

# शोधशौर्यम्



Website : <http://shisrrj.com>

**ISSN : 2581-6306**

Peer Reviewed and Refereed International Journal

: Editor-In-Chief :

Dr. Raj Kumar



**Volume 3, Issue 5, September-October-2020**

## **SHODHSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL**

Email: [editor@shisrrj.com](mailto:editor@shisrrj.com)

Publisher Address :

3 & 4, Sterling Plaza,  
Indira Circle, 150 Feet Ring Road,  
Rajkot-360005, Gujarat, India



**शोधशौर्यम्**

**Shodhshauryam**

**International Scientific Refereed Research Journal**

[ Frequency: Bimonthly ]

**ISSN : 2581-6306**

**Volume 3, Issue 5, September-October-2020**

**International Peer Reviewed, Open Access Journal  
Bimonthly Publication**

**Published By  
Technoscience Academy**



**Website URL : [www.technoscienceacademy.com](http://www.technoscienceacademy.com)**

# Advisory/Editorial Board

## Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**  
SST, Palamu, Jharkhand, India
- 

## Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**  
Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
  - **Dr. Ashok Kumar Mishra**  
Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
  - **Prof. Ajit Singh**  
Assistant Professor, Department of MCA, Patna Women's College, Patna, Bihar, India
  - **Dr. Somanath Dash**  
Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
  - **Dr. Raj Kumar Mishra**  
Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- 

## Executive Editor

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**  
Head of Computer Department, Sigma Institute of Engineering, Vadodara, Gujarat, India
-

## Editors

- **Dr. Ekkurti Venkateswarlu**  
Assistant Professor in Education, Sri Lal bahadur Sashtri National Sanskrit University, ( Central University ), New Delhi, India
  - **Rajesh Mondal**  
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- 

## Assistant Editors

- **Dr. Virendra Kumar Maurya**  
Assistant Professor- Sanskrit, Government P.G. College Alapur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh, India
- 

## International Editorial Board

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**  
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia
- **Onu Peter**  
Asst. Professor, Mechanical Engineering, Kampala International University, Kampala, Uganda
- **Dr. Morve Roshan K**  
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator  
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**  
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

- **Robbi Rahim**  
Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambang, 20122, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
- **Dr. Abul Salam**  
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
- **Dr. Vaibhav Sundriyal**  
Department of Computer Engineering , Old Dominion University research Foundation, USA (Phd in Computer Engineering from Iowa State University, USA)
- **Dr. Katarzyna Pietrucha-Urbanik**  
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Poland
- **Indrasen Poola**  
Data Scientist & Artificial Intelligence - Industry Consultant & Professional Researcher, Palo Alto Networks, Santa Clara, CA, USA
- **Dr. Mohd Muntjir**  
Information Technology Department, College of Computers and Information Technology, Taif University, Al-Hawiya, Taif, Kingdom of Saudi Arabia
- **Vaibhav Sundriyal**  
Research Scientist, Old Dominion University Research Foundation, USA
- **Dr. Elsadig Gamaleldeen**  
Assistant Professor, Omdurman Ahlia University, Sudan
- **Dr. Yasin Ozdemir**  
Ataturk Bahce Kulturleri Merkez Arastırma Enstitusu, Gıda Teknolojileri Bolumu - Yalova
- **Frank Angelo Pacala**  
Samar State University, Samahang Pisika ng Pilipinas
- **Thabani Nyoni**  
Department of Economics Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ) , University of Zimbabwe, Zimbabwe
- **Dr. Yasin Ozdemir**  
Ataturk Central Horticultural Research Institute, Department of Food Technologies, Yalova, TURKEY

- **Dr. Moustafa Mohamed Sabry Bakry**  
Plant Protection Research Institute, A.R.C, Dokii, Giza, Egypt
- **Dr. Muhammad Akram**  
Assistant Professor, Department of Eastern Medicine, Directorate of Medical Sciences, Faculty of Science and Technology, Government College University, Faisalabad, Pakistan
- **Dr. Andie Siahaan**  
Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
- **AbdulGaniyu Abdu Yusuf**  
Computer Science, National Biotechnology Development Agency (NABDA), Abuja, Nigeria
- **Dr. M. A. Ashabrawy**  
Computer Science and Engineering, Prince Sattm bin Abdulaziz University, Kingdom Saudi Arabia(KSA), Saudi Arabia
- **Lusekelo Kibona**  
Department of Computer Science, Ruaha Catholic University (RUCU) , Iringa, Tanzania
- **Md. Amir Hossain**  
IBAIS University/Uttara University, Dhaka, Bangladesh
- **Mohammed Noaman Murad**  
Department of Computer Science, Cihan University Erbil, Kurdistan Region, Iraq
- **Sanusi Abdullahi**  
Department of Physics, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Dundaye, Wamakko LGA, Nigeria  
Email : [abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng](mailto:abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng)
- **Mahasin Gad Alla Mohamed**  
Assistant Professor, Kingdom Saudi Arabia, Jazan University, Faculty of Education - Female Section, Sabya
- **SK. Saidhbi**  
Assistant Professor, Department of Information Systems, University of Gondar, Ethiopia

## Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**  
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University  
Haridwar, Uttarakhand, India
- **Dr. Ganeshwar Nath Jha**  
H.O.D Vyakaran Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Radha Nagar,  
Agartala Tripura, India
- **Dr. Anita Sengupta**  
Associate Professor, Sanskrit Department, Iswar Saran PG College, University of  
Allahabad, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**  
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus,  
Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Sudheer Singh**  
Associate Professor, Amity School of Architecture And Planning, Amity  
University, Gwalior, Madhya Pradesh, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**  
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Shanti Lal Salvi**  
Assistant Professor, Department of Literature, Faculty of Sanskrit Studies, Banaras  
Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ajay Kumar Dwivedi**  
Director, MIMT, N4/7 Karaundi Crossing , BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Arvind Bijalwan**  
Associate Professor (Agroforestry), College of Forestry, VCSG Uttarakhand  
University of Horticulture and Forestry, (A State Government Autonomous  
University), Ranichauri, Distt.-Tehri Garhwal, Uttarakhand, India
- **K. Jagadeesh**  
Assistant Professor , Noble Group of Institutions, Villupuram, Tamil Nadu, India
- **Rohit Kumar Verma**  
Researcher & Writer, Institute of Law, Jiwaji University, Gwalior, Madhya  
Pradesh, India

- **Dr. R. Reka**  
Professor & Head, Department of Computer Science & Engineering, Annai Mathammal Sheela Engineering College, Tamil Nadu, India
- **Dr. Nilamadhab Mishra**  
Post Graduate Teaching & Research Department, School of Computing, Debre Berhan University, Ethiopia, India
- **Dr. S. Ramkumar**  
Department of Computer Applications, Kalasalingam University, Krishnankoil, Sirivilliputhur, Palani, Dindugal, Tamil Nadu, India
- **Prof. Umesh Sehgal**  
Associate Professor, GNA University, Phagwara, Punjab, India
- **Dr. Ikvinderpal Singh**  
Department of Computer Science & Applications, Trai Shatabdi GGS Khalsa College, Amritsar, Punjab, India
- **Dr. Bhasker Mishra**  
Assistant Professor, Department of Political Science, H.N.B. Garhwal Central University, SRT Campus, Badshahithaul, Tehri, Uttarakhand, India
- **Dr. Nirajkumar C. Mehta**  
Associate Professor, Institute of Technology and Management Universe, Vadodara. Gujarat, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**  
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ramu Nagarajapillai**  
Associate Professor and UGC Research Awardee, Department of Commerce, Annamalai University, Annamalai Nagar, Chidambaram, Tamil Nadu, India

# CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	अनुकूल गुण परिणाम - एक समीक्षा स्मिता देवी	01-05
2	आधाराधेयविचारः विपिन कुमार	06-13
3	संस्कृत साहित्य में वर्णित राजधर्म की वर्तमानकालिक प्रासंगिकता डॉ. दिनेश शर्मा	14-20
4	भारत का अभ्युदय Kirit Debnath	21-28
5	भट्टनागेशरीत्या लक्षणातत्त्वविमर्शः विदुषी बोल्ला	29-37
6	पुरुषार्थचतुष्टयः साधुः मुनिवत्सलदासः	38-43
7	मोनपा जनजाति में प्रचलित लोकविश्वास (शव काटनेवाला आदमी उपन्यास के विशेष संदर्भ में) दिगंत बोरा	44-47
8	श्रीमद्भगवद्गीतायाः दार्शनिकसिद्धान्तानां वर्तमाने उपादेयता सुमन	48-56
9	प्रेमचंद की ग्रामीण चेतना ('सद्गति' कहानी के विशेष संदर्भ में) प्रदीप कुमार साव	57-60
10	'नौकर की कमीज़', व्यवस्था और मुक्तिबोध आराधना साव	61-66
11	Moral Implication of Jaspers Existentialism in Modern Society Pandey Kumari Neelam Dayashankar	67-69
12	सौन्दर्यसप्तशती में सांस्कृतिक तत्व खुशबू ठाकुर	70-79
13	भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव मदालसा मणि त्रिपाठी	80-84
14	Individual Private Initiative in Primary Education in Colonial Delhi (1910-1947) Akanshi Vidyarthi	85-95
15	बच्चों का नैतिक विकास (Moral Development of Children) कमलावती कुमारी	96-101
16	दिल्ली सल्तनत के अधीन ललित कलाओं का विकास (13वीं-14वीं शताब्दी) अंकुर वर्मा	102-108

17	सलतनतकाल में औद्योगिक तकनीक का विकास साक्षी मिश्रा	109-115
18	जीते-मरते गांधी : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद पर विचार गौरव	116-121
19	कृदन्तविमर्श- आचार्य विश्वेश्वर की दृष्टि में भूपेन्द्र, डॉ.सत्यपाल सिंह	122-126
20	छायावाद डॉ. राजेश कुमार मिश्र	127-131
21	दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ : फ्रायड के नज़रिए से कमलावती कुमारी	132-136
22	काव्य-शब्दशास्त्रयोः ध्वनिसिद्धान्तविमर्शः रामकुमारी	137-144
23	हिन्दू विधि (ला०) के प्राचीन स्रोत के रूप में श्रुतियों और स्मृतियों का महत्त्व डॉ. सर्वेश कुमार	145-150
24	शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षकीय कौशल डॉ. विनय कुमार	151-155
25	कविव्यापारवक्रत्वप्रकारम् नर्मदा बेहेरा	156-158
26	पातंजल योगदर्शन में प्राणायाम का स्वरूप डॉ० उमाकान्त यादव	159-163
27	उत्तर प्रदेश में गरीबों हेतु योजनाएँ: एक विश्लेषण डॉ. मनमोहन प्रसाद पाण्डेय	164-187
28	भारतीयप्राचीनमूल्यविचारः डा. इक्कुर्ति वेङ्कटेश्वर्लु	188-195
29	परिभाषानिसरनस्थानकृत आन्तर्यस्य बलीयस्यश्च विमर्शः डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः	196-211
30	राष्ट्रस्य महत्त्वं वैदिकग्रन्थेषु प्रायुख्येन वर्णितम् डॉ. मुकेश कुमार डागरः	212-232
31	ब्राह्मणग्रन्थेषु गो महिमा डॉ. नानूराम जाटः	233-260
32	राज्य के सप्तांगों में कोष की महत्ता डॉ. आरती यादव	261-273
33	शिवराजविजय में प्रतिपादित भौगोलिक परिदृश्य डा० सुजीत कुमार	274-278
34	शक्तिनिरूपणम् डॉ. सुभाषचन्द्र मीणा	279-286
35	उपसर्ग-निपातार्थ विवेचनम् डॉ. सांवरिया लाल शर्मा	287-290
36	भारत द्वारा सुरक्षा की खोज मदन कुमार वर्मा	291-294

37	काव्यप्रकाश के आलोक में कालिदास समीक्षा डॉ. नंदिता मिश्रा	295-303
38	भाषाविज्ञानदृष्ट्या मैथिलीसंस्कृतभाषयोः ध्वनितत्त्वानुशीलनम् गौतमकुमारराजहंसः	304-314
39	वैदिक संस्कृति में चिकित्सा विज्ञान डॉ. ज्योति कपूर	315-318
40	महाभारत के आदिपर्व में वर्णित राजधर्मः एक अध्ययन डॉ. अशोक कुमार वर्मा	319-323
41	उपसर्गाः डॉ. सन्तोष माझी	324-329
42	महाभाष्यवचनाच्च सर्वेषां शब्दानां धातुप्रत्यनिष्पन्नत्वात् को नाम धात्वर्थ ? डॉ. छगन लाल महोलिया	330-331

## अनुकूल गुण परिणाम – एक समीक्षा



सरिता देवी (नेट)

(शोधच्छात्रा) संस्कृत

शिब्ली नेशनल पी.जी. कालेज, आजमगढ़  
यूनिवर्सिटी (पूर्वान्चल), उत्तर प्रदेश, भारत।

### शोध आलेख सार

#### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 01-05

Publication Issue :

September-October-2020

#### Article History

Accepted : 01 Sep 2020

Published : 06 Sep 2020

आसन के अभ्यास के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्थिरता पाने के लिए इस आसन का उपयोग होता है। इसमें मस्तिष्क की पेशियों में बिना बाधा के रक्त की आपूर्ति के कारण उसमें झोंके कम होती हैं, स्पंदन कम होते हैं, स्थिरता आ जाती है और तटस्थ वृत्ति उत्पन्न होती है। यही तटस्थता और निर्बाधता आगे के आसन अभ्यास की ठोस नींव बनती है। इस आसन से पूरा शरीर ताजा रहता है विशेष रूप से रीढ़ की हड्डियाँ और मज्जारज्जु तन जाने से शरीर का आलस्य दूर होकर मस्तिष्क फुर्तीला बनता है। अधोमुख श्वानासन के ये दो प्रकार के दोहरे लाभ ध्यान रखकर प्रातः अभ्यास के आरंभ में यह आसन करने से मन और शरीर तरोताजा बनकर कार्यशील हो जाता है। सायंकाल में आसनाभ्यास के आरंभ करने से शरीर और मन स्थिर होने में सहायता मिलती है।

**मुख्य शब्द** – अनुकूल, गुण, परिणाम, शारीरिक, मानसिक, प्रकृति, आसन, अभ्यास, मन।

आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में मन की शांति के लिए संसार त्याग करके दूर कहीं एकांत में न जाकर क्या अपने भीतर ही उचित बदलाव लाना संभव है ? आसनकर्ता ऋषियों ने इस बात का विचार किया था।

प्रकृति के त्रिगुण (सत,रज और तग) मनुष्य के शरीर मन, बुद्धि, चित्त, हृदय और स्वभाव पर अत्यंत सहज रूप में अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। इनके कारण उसका आचार-व्यवहार, विचार, रुचि-अरुचि आदि में क्षण-क्षण बदलाव आता रहता है। एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत अध्ययन के लिए या साधना के लिए – चाहे व शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आत्मिक एकाग्रता एवं स्थिरता की, तटस्थ वृत्ति और शांति की।

योगाभ्यास के लिए शरीर चुस्त और मन प्रसन्न होना चाहिए। अति उत्साहित शरीर और मन अभ्यास में अवरोध पैदा करता है। दैनिक जीवन में भी शरीर को चुस्त और मन शांत अर्थात् शरीर क्रियाशील और मन शांतिशील रखने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अधोमुख श्वानासन, आसन उपयुक्त सिद्ध होते हैं। देहबल और मनोबल दोनों का विकास करके और उनमें समन्वय व संतुलन बनाये रखने के लिए, साथ ही इन दोनों के बल का प्रयोग अपनी जरूरत के अनुसार करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए इन आसनों की उत्पत्ति हुई है।

### अधोमुख श्वानासन –

अध यानी, मुख अर्थात् मुँह श्वान यानी कुत्ता। मुँह नीचे किए हुए शरीर को तानकर खड़े कुत्ते के समान यह आसन दीखता है।

रात भर रखवाली करके कुत्ता सो जाता है और नींद से उठने पर खड़ा होकर अगले पैरों से पीछे के पैरों की ओर शरीर को तानता है और क्षण भर में ताजा-फुरतीला होकर दौड़ने लगता है। तमोगुण छोड़कर रजोगुण स्वीकार करता है। प्रकृति के अत्यंत मामूली से लगने वाले प्राणी में स्थित इन गुणों को समझने पर उसकी ओर देखने की हमारी दृष्टि बदल देती है। अपने भीतर का अहं टूट जाता है और जिन्होंने कुत्ते जैसे प्राणी की गतिविधियों का इतनी बारीकी से निरीक्षण किया, उन ऋषियों के प्रति आदर की भावना जाग्रत हो जाती है।

### विधि –

1. पैर के घुटनों को जरा सा मोड़कर साँस छोड़ते हुए दोनों हथेलियाँ कदमों के सामने जमीन पर टिकाइए। दोनों तलवों में एक से डेढ़ फीट का अंतर रखिए। हाथ की उँगलियाँ फैला दीजिए। बीच की उँगली सामने रखिए और अँगूठा व तर्जनी का बगल की तरफ फैलाइए।
2. जरा सी साँस लीजिए और फिर से छोड़िए। दायाँ और बायाँ पैर क्रम से हाथ से चार से साढ़े चार फीट का अंतर के फासले पर पीछे ले जाइये। दोनों कदमों में एक से डेढ़ फीट का अन्तर रखिए। कदमों की उँगलियाँ सामने और अंदर की तरफ के किनारे, साथ ही बायाँ हाथ और पैर एक-दूसरे के समान्तर रखिए। दायाँ और बायाँ पैर भी रेखा में रखिये। चाहे जमीन पर रेखा खींचकर उसपर खड़े रहें अथवा हाथ या पैर की ओर देखकर उन्हें एक सीध में लाइये। एक-दो सामान्य साँस लीजिए।

3. साँस छोड़ते हुए धड़ का भाग ऐसे कड़ा करके अंदर की तरफ धकेलिए कि कंधे के पंखे अवतल (कॉनकेव) हो जाएँगे और सिर अंदर की ओर अर्थात् पैरों की तरफ जायेगा। साथ ही धड़ कंधे से कूल्हों की ओर ऊपर उठाया जायेगा।
4. अब कुहनी और घुटनों को कड़ा करते हुए, दीर्घ (लंबी) साँस छोड़ते हुए जाँघों को पीछे धकेलिए, धड़ को ऊपर तानिए और पीठ की ओर से सीने को आगे फैलाते हुए तालू को जमीन पर टिकाइए।
5. इस पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वासोच्छ्वास करते हुए 20 से 30 सेकण्ड रुकिए। आगे चलकर इसकाल को एक मिनट या उससे अधिक बढ़ाइए।
6. साँस लेते हुए सिर को जमीन से ऊपर उठाइये। घुटनें से पैर को झुकाकर क्रमशः पैरों को आगे लाइए और समस्थिति में आइए। इस आसन में अगले नियमों को ध्यान में रखिए।

हथेली को जमीन पर दबाकर धड़ का पैर की ओर धकेलने के लिए बगल का भाग ऊर्ध्वहस्तासन के समान तानिए और लंबा कीजिए। पैर को कड़ा बनाने की क्रिया प्रत्येक आसन में ध्यानपूर्वक करनी होगी। पैर को मात्र सीधा करना कड़ा करना नहीं है। पैर को कड़ा (सख्त) करते हुए उसे गोलाकार घुमाने की क्रिया महत्वपूर्ण है। उसके लिए जाँघ और पिंडली के मांसल भाग की गोलाई (वृत्ताकार) देते हुए हड्डियों को कड़ा करना होगा।

नव प्रशिक्षिओं को पहले पैरों के घुटनों को कड़ा करना पड़ता है। उससे मांसल भाग का हिलना-डुलना खुला हो जाता है, वरना स्नायुँ कड़ी हो जाती है। पैरों को घुटना, पिंडली के आगे की हड्डी और जाँघ को क्रम से कड़ा करने की उच्छ्वास के बाद करनी चाहिए। घुटने की चकती (नी कॅप) को अन्दर की ओर धकेलिए और मंदिरशिरा को तानिए। पिंडलियाँ अंदर की ओर के किनारों से बाहरी किनारों की ओर गोलाकार घुमाइए और पिंडली के आगे के भाग के पीछे खुली तनी स्नायुओं की ओर धकेलिए।

हालाँकि जाँघ एकावयव होती है, फिर भी उसे तानते समय जाँघ का शारीरिक विभाजन करना है – जैसे जाँघ का अगला हिस्सा और पिछला भाग, अंदर के और बाहरी किनारे। पहले जाँघों के पिछले भाग अंदर से बाहर के किनारों की ओर और अगले भागों को अंदर के किनारों की ओर गोलाकार घुमाइये और किनारों को आगे से पीछे धकेलिए। लेकिन जाँघ, घुटना और पिंडली के मध्य को एक सीध में रखिए। परन्तु गोलाकार घुमाते समय इस मध्य को हिलने न दें।

पिंडली में नस चढ़ना, दर्द होना, मरोड़ आना, मोच आना या सिकुड़न जाना या साइटिका जैसे विकारों में भी पैर को खींचने की क्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है। इस क्रिया से शरीर में रक्त-संचरण ठीक हो जाता है और शक्ति का प्रवाह बना रहता है। पैरों को खींचने की क्रिया को कम महत्व मानकर उसे दुर्लक्षित करने का असर विपरीत होता है, जो रीढ़ और स्नायु पर दिखने लगता है। इसलिए कोई भी आराम

करते समय लापरवाही न बरतें। प्रत्येक स्थिति को ध्यानपूर्वक और लगन से करें। जैसे – सिर को जमीन पर टिकाने की आखिरी क्रिया जल्दबाजी में न करें। पहले पैर को व्यवस्थित रूप से रखकर उसे कड़ा करने पर ध्यान दें।

कूल्हों को ऊपर खींचते समय उन्हें ऊँचा करके चौड़ाई में फैलाना है। हाथ कड़ा करते समय हथेली को सिकुड़ने न दें। उसे पूर्णतः फैला हुआ रखकर कुहनी-संधि को ऊपर उठाएँ। पीछे से सीने को आगे धकेलने की और सीने को फैलाने की क्रिया हाथों का उचित उपयोग करके करनी होगी। हाथ को इस क्रिया से छाती का विस्तार अपने आप होता है।

नीचे जमीन की ओर गिरने वाले हाथ को ऊपर उठाकर रखें और बगल को तानें कंधे के पंखे को अंदर की तरफ दबाकर सीने और उदर को ऊपर की ओर खींचिए। धड़ छत की ओर और सिर जमीन की ओर, इस प्रकार विपरीत तनाव से यह क्रिया पूरी करनी है। यानी गर्दन की स्नायुओं पर या रीढ़ की हड्डियों पर ज्यादा तनाव नहीं आता। इस सबको साधते हुए मुख्य कठिनाई आती है जमीन पर हाथ या पैर फिसलने की। उसके उपाय है – दो प्रकार से आधार लेना – 1, एड़ियाँ दीवार पर सटाकर, 2. हथेली दीवार से लगाकर।

### **आधार (सहारा) लेकर अगली तीन क्रियाएँ कीजिए –**

**(क)** हाथ जमीन पर टिकाएँ और पैरों को दीवार पर लगाएँ। एड़ियों को दीवार की ओर, तलवे का अगला हिस्सा जमीन पर टिकाएँ। इससे फिसलने वाले पैरों को ब्रेक लगाया जाता है और ऊपर की क्रियाएँ की जाती हैं। एड़ियाँ जमीन पर अगर टिक नहीं सकती तो उनके लिए भी उपाय है। पैरों के पीछे का पिछला भाग तन जाने पर एड़ियों को टिका सकते हैं।

**(ख)** हाथ के पंजे जरा सा बाहर घुमाकर, अँगूठा और उसके पास की उँगली, तर्जनी को पूरी तरह से फैलाकर दीवार से लगाइये/ टिकाइए या दो ईंटें अथवा उस आकार का संदूक दीवार से सटाकर हथेली की कलाई के पास का किनारा ऊपर की वस्तुओं के किनारे पर दबाकर धड़ के सन्दर्भ में ऊपर बताई हुई क्रियाएँ की जा सकती हैं।

**(ग)** सहारा लेकर की गई ऊपर की तीनों क्रियाओं के कई असर होते हैं। पैरों के आकार में सुघड़ता और चपलता आती है। सीना फैलाकर चौड़ा होने के कारण दमे के रोगी को या शारीरिक परिश्रम से थके हुए व्यक्ति की श्वसन-क्रिया दीर्घ, खुली और सहज हो जाती है। छात्र और बुद्धिजीवियों को भी मस्तिष्क की थकान मिटाने में यह आसन लाभकारी है। सिर का सहारा लेकर टेकने से मस्तिष्क में रक्त-संचार होकर उत्पन्न होता है। परिश्रम से बढ़ा हुआ हृदय स्पंदन या उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण हो जाता है। सिरदर्द (माइग्रेन), अम्लपित्त आदि विकारों पर भी यह उपयोगी है। मासिक धर्म के समय शरीर दर्द, स्तनभार, अतिस्राव जैसे विकारों पर महिलाओं के लिए यह आसन उपयुक्त है। दफ्तर में काम करने से आई मानसिक

थकान, लंबी बीमारी के बाद की अशक्तता, दुर्बलता अथवा पढ़ाई के कारण आई दिमागी थकान को दूर करने के लिए और अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए यह आसन उपयुक्त है।

आरंभिक उल्लेख के अनुसार आसन के अभ्यास के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्थिरता पाने के लिए इस आसन का उपयोग होता है। इसमें मस्तिष्क की पेशियों में बिना बाधा के रक्त की आपूर्ति के कारण उसमें झोंके कम होती हैं, स्पंदन कम होते हैं, स्थिरता आ जाती है और तटस्थ वृत्ति उत्पन्न होती है। यहीं तटस्थता और निर्बाधता आगे के आसन अभ्यास की ठोस नींव बनती है। इस आसन से पूरा शरीर ताजा रहता है विशेष रूप से रीढ़ की हड्डियाँ और मज्जारज्जु तन जाने से शरीर का आलस्य दूर होकर मस्तिष्क फुर्तीला बनता है। अधोमुख श्वानासन के ये दो प्रकार के दोहरे लाभ ध्यान रखकर प्रातः अभ्यास के आरंभ में यह आसन करने से मन और शरीर तरोताजा बनकर कार्यशील हो जाता है। सायंकाल में आसनाभ्यास के आरंभ करने से शरीर और मन स्थिर होने में सहायता मिलती है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- (1) पुरी अंजलि, योग मंजरी।
- (2) पाण्डेय, गोविन्द चन्द, वैदिक संस्कृति माण्डूक्योपनिषद्।
- (3) उमेश जोशी, भारतीय संगीत का इतिहास ।
- (4) रावत,, रामदयाल, योग साधना।
- (5) स्वात्मराम, स्वामी, हठ प्रदीपिका।
- (6) मनुस्मृति।
- (7) वैदालकार, जगन्नाथ, श्री अरविन्द योग समन्वय, श्री भरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी, 1990।

## आधाराधेयविचारः



विपिन कुमार

शोधच्छात्रः,

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

गुजरात, भारतम्।

### शोध आलेख सार

#### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 06-13

Publication Issue :

September-October-2020

#### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

संस्कृतभाषा विभक्तिप्रधाना अस्ति, तथा च वाक्यार्थः विभक्त्याधीनं भवति। पाणिनीय व्याकरणे प्रस्तुतेषु बहुषु प्रकरणेषु अन्यतमं प्रकरणं व्याकरणशास्त्रस्य हृदयभूतं चकास्ति कारकप्रकरणम्। इदं कारकम् षड्विधम्। एतेषु कारकेषु अन्तिमं कारकाधिकरणं अधिकरणकारकमिति।

**मुख्यशब्दः** – आधाराधेयविचारः, संस्कृतभाषा, विभक्तिः, पाणिनिः, कारकप्रकरणम्।

संस्कृतभाषा विभक्तिप्रधाना अस्ति, तथा च वाक्यार्थः विभक्त्याधीनं भवति। विभक्त्याः विषये उक्तम्—**संख्याकारकबोधयित्री विभक्तिः** अर्थात् यया संख्याकारकयोः बोधः जायते सा विभक्तिः। विभक्तिः यस्य कारकस्य बोधं कारयति तदेव कारकस्य पृथक्-पृथक् रूपेण वर्णयते—**क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्** यः क्रियां निष्पादयति तदेव कारकम्। एतेषु अन्वयार्थं कारकाणां क्रियासु साक्षादन्वयः आवश्यकमस्ति। अतः उच्यते—**साक्षात् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्**। आचार्यः पाणिनिः कारकस्य कापि स्पष्टा परिभाषा नैव चकार परञ्च “**कारके**” इत्यनेन कारकपदार्थं दर्शयति। “**कारके**” इत्यारभ्य ‘**तत्प्रयोजको हेतुश्च**’ इति यावत् कारकाणां संख्या षड् सन्ति। तद्यथा—**1.कर्ता 2.कर्म 3. करणम् 4.सम्प्रदानम् 5.अपादानम् 6.अधिकरणम्**। एतानि कारकाणि क्रियाभिः साक्षात्सम्बन्धकारणेन मन्यन्ते। ‘सम्बन्ध’ इत्यस्य क्रियया साक्षात्सम्बन्धः न भवति। अतः कारकं न मन्यते। एवमेव सम्बोधनमपि कारकं न मन्यते। तद्यथा—

कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च ।

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्।।<sup>1</sup>

वाक्यपदीये कारकम् 'साधनम्'इत्यपि नाम्ना भर्तृहरिः उवाच—

स्वाश्रये समवेतानां तद्देवाश्रयान्तरे ।

क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः ।<sup>2</sup>

कारकम् 'सुबर्थः' 'विभक्त्यर्थः' च नामयोरपि अभिधीयते । कारकम् विभक्त्यर्थः, विभक्तयः कारकाणि स्पष्टीकरणाय चिह्नानि सन्ति । कारकविभक्त्यौ चान्तरा एवमपि वैभिन्न्यता भवति यत् कुत्रचित् कारकाणि भिन्नानि भवन्ति, कुत्रचित् विभक्तयः पृथगेव भवन्ति । यथा—कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा विभक्तिः, कर्मणि द्वितीया तथा च क्रिया कर्त्रनुसारं भवति । कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिः, कर्मणि प्रथमा विभक्तिः, क्रिया च कर्मानुसारं भवति । एतादृशेषु वैषम्यस्थलेष्वपि सम्यगवबोधनाय कारकज्ञानमावश्यकम् । सहैव वाक्यनिर्मितसाहित्यिकरचनाः कारकज्ञानेन सारल्येनावगन्तुं शक्नुमः ।

पाणिनीय व्याकरणे प्रस्तुतेषु बहुषु प्रकरणेषु अन्यतमं प्रकरणं व्याकरणशास्त्रस्य हृदयभूतं चकारि कारकप्रकरणम् । इदं कारकम् षड्विधम् । एतेषु कारकेषु अन्तिमं कारकाधिकरणं अधिकरणकारकमिति ।

अधिकरणकारकमधिकृत्य स्तोकमिव विषयः उपस्थाप्यते ।

किन्नाम अधिकरणम्? इति प्रश्नस्य समाधाने भगवता पाणिनिना प्राह 'आधारोऽधिकरणम्'<sup>3</sup> । सूत्रमिदं अधिकरण कारकस्य लक्षणप्रतिपादकमस्ति ।

यः आधारस्तदधिकरणम्<sup>4</sup>

सूत्रविमर्शः—आधारोऽधिकरणम्

पदच्छेदः— आधारः प्रथमैकवचनम्, अधिकरणम् प्रथमैकवचनम्

अनुवृत्तिः —कारके

सूत्रार्थः— कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्पत्क्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात् ।<sup>5</sup> कर्तुरि विद्यमान क्रियायाः कर्मणि विद्यमान फलस्य वा आधारः अधिकरणसंज्ञको भवतीति फलितार्थः ।

अधिकरणसंज्ञा एकेनैव सूत्रेण विहिता । यदा अधिकरणसंज्ञा प्रवृत्ता भवति तदा 'सप्तम्यधिकरणे च' इत्यनेन सूत्रेण अधिकरणे सप्तमी भवतीति । चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः ।

यद्यपि साक्षात् क्रियान्वयित्वं कर्तृकर्मणोरेव तथापि 'क्रियाश्रयोः कर्तृकर्मणोः धारणाद् परम्परया क्रियां प्रति आधारः यत्कारकं तदधिकरणसंज्ञामिति सूत्रार्थः भट्टोजिदीक्षितानामभिमतम् ।

नागेशभट्टरीत्या अस्य सूत्रस्य कारकाधिकारे पाठात् क्रियाजनके एव एतत्प्रवृत्त्या उपस्थितत्वादेव आधारः क्रियायाः एव गृह्यते ।

नागेशभट्टस्तु एतस्य साक्षात्क्रियापरिच्छेदकत्वेन तस्य क्रियाधिकरणत्वसम्भवेपि कर्तृकर्मद्वारैव अधिकरणसंज्ञा भवति, न तु साक्षात् क्रियाधारस्य कालस्येति विशेष्य प्रदर्श्यते, अत्र च तद्रीत्यानुभवो हेतुः ।

आधारभेदेऽपि नागेशभट्टस्तु स्वमतं भट्टोजिदीक्षितमतपेक्षया किञ्चित् पृथक् प्रतिपाद्यते ।

भट्टोजिदीक्षितोक्तप्रकारेण आधारस्य त्रैविध्येऽपि नागेशभट्टरीत्या 'सकलत्वाभावः व्याप्तौ यत् व्यापकाधारत्वं तदेव मुख्यधिकरणं बोध्यम् ।

कर्तृनिष्पत्क्रियायाः उदाहरणम्—

बालः कटे उपविशति। उप उपसर्गपूर्वकविष् धातोः अर्थः यत्किञ्चिद्देशसंयोगरूपं फलम्, तदनुकूलक्रिया च। उपवेशनक्रियायाः आश्रयः बालः कर्ता। बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः कटः। अतः कटः अधिकरणम्।

### कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्—

सूदः ओदनं पचति। पच् धातोः अर्थः विक्लित्तिरूपफलं, तदनुकूलक्रिया च। पाकक्रियाश्रयः सूदः कर्ता। विक्लित्तिरूपफलाश्रयः ओदनः कर्म। अतः स्थाली अधिकरणम्।

### एतच्चाधिकरणं त्रिविधम् भवति ।<sup>6</sup>तद्यथा—

क. अभिव्यापकम्

ख. औपश्लेषिकम्

ग. वैषयिकम्

### अभिव्यापकस्योदाहरणम् अर्थश्च—

अभि=सर्वात्मा व्याप्नोति इति अभिव्यापकम्। आधेयस्य व्याप्तिः आधारस्य समस्तावयवे चेत् अभिव्यापकमधिकरणम्।

1. दिक्कालाकाशेषु पदार्थाः सन्ति।

2. ईश्वरे सर्वं जगद्वर्तते।

3. तिलेषु तैलम्।

एतेषु उदाहरणेषु सर्वत्र संयोगसमवायमूलकः सकलावयवव्यापिरूपः अभिव्यापकः। यथा—तिलेषु तैलम् अस्ति। अत्र आधारः तिलानि। तिलानां सकलावयवेषु तैलम् अस्ति। सम्बन्धश्च समवायः। अतः अयम् अभिव्यापकः आधारः। एवं सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। दध्नि सर्पिः अस्ति। इत्यादीनि।

### औपश्लेषिकस्योदाहरणम् अर्थश्च—

त्रिविधोऽत्र विग्रहो व्याख्याकृद्भिः प्रदर्शितः<sup>7</sup>—

क. उपगतः श्लेषः उपश्लेषः=संयोग इति यावत्। अत्र 'उप' इत्यविवक्षितम्।

ख. उप=समीपे श्लेषः संयोग उपश्लेषस्तत आगतमौपश्लेषिकम्।

ग. श्लेषस्य समीपमुपश्लेषम्, आरोपितश्लेष इत्यर्थः।

1. खट्वायां शेते

2. गृहे निवसति

3. शिशुः कटे शेते

अत्र सर्वत्रोदाहरणेषु एकदेशव्याप्तिरूपः आधारः औपश्लेषिकः। सः च संयोगमूलकः समवायमूलको वा भवति। अयम् आधारः स्वस्य एकदेशव्याप्तिरूपो भवति, न तु सकलावयवव्याप्तिरूपः। यथा—कटे उपविशति।

अत्र कटः उपवेशनक्रियायाः आधारः। किन्तु उपवेशनक्रिया कटस्य एकदेशे भवति, न तु कृत्स्ने कटे। अत्र सम्बन्धः संयोगः। अतः अयम् औपश्लेषिकः आधारः। 'पाचकः स्थाल्याम् ओदनं पचति' इत्यत्र तु ओदनं कर्म। तन्कर्मनिष्ठक्रियायाः आधारः स्थाली। एषोऽपि औपश्लेषिकः एव।

### वैषयिकोदाहरणम् अर्थश्च—

विषयो नाम अनन्यभावः, तत्कृतं वैषयिकम् । अप्राप्तिपूर्वकप्राप्तिरूपसंयोगसमवायैतदिभ सम्बन्धेन यदधिकरणं तत् वैषयिकम् ।<sup>8</sup>

1. धर्मे प्रतिष्ठते
2. विद्यायां यतते
3. मोक्षे इच्छा अस्ति

विषयतादिसम्बन्धमूलकः आधारः वैषयिकः ।

अत्र संयोगः समवायो वा न भवति । अतः औपश्लेषिकाभिव्यापकातिरिक्तः सर्वः अपि आधारः वैषयिकः इति ज्ञेयम् । यथा—पठने इच्छा अस्ति । पठनविषयिणी इच्छा इत्यर्थः । अत्र पठनम् आधारः । सम्बन्धश्च विषयता, न संयोगः समवायो वा ।

इदं ज्ञेयम्—पक्षिणः आकाशे डयन्ते । शिष्यः गुरौ वसति । इत्यादीनि वैषयिकस्यैव उदाहरणानि । न हि अत्र संयोगः समवायो वा सम्बन्धः । अतो अत्र संयोगसमवायसम्बन्धौ न भवतः तत्र सर्वत्रापि वैषयिकः आधारः इति निश्चेतव्यम् ।

अथ च इदं कारकम् कारकसम्बन्धोद्घोतानुसारं

**षट् कारकाणिसम्बन्ध उक्तानुक्ततया द्विधा ।<sup>9</sup>**

**विभक्तिश्चेति निश्चेयमवश्यं योगमिच्छता ।।**

षट् कारकाणि —कर्तृ—कर्म—करण—सम्प्रदानापादानाधिकरणनामानि प्रत्येक—मुक्तानुक्ततया द्विधा अर्थात् द्विप्रकाराणि वर्तन्ते । तथा सम्बन्धोऽपि । तद्यथा—उक्तः कर्त्ता, अनुक्तः कर्त्ता, उक्तं कर्म, अनुक्तं कर्म, उक्तं करणम्, अनुक्तं करणम्, उक्तं सम्प्रदानम्, अनुक्तं सम्प्रदानम्, उक्तमपदानम्, अनुक्तमपदानम्, उक्तमधिकरणम्, अनुक्तमधिकरणम्, उक्तः सम्बन्धः, अनुक्तः सम्बन्धः ।

एतासु कारकोक्तानुक्तव्यवस्थासु आधाराधेय सम्बन्धः अधिकरणोऽपि द्विविधः<sup>10</sup> ।

### उक्तमधिकरणम्—

आसनं पीठम् । आस्यते यस्मिन् इति आसनम् । करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन अधिरणे युट् । एवं वटकिनी पूर्णमासी । प्रायेण वटका भुज्यन्ते यस्यां पूर्णमास्यां सा वटकिनी पूर्णमासी । अधिकरणे तद्वितो रूढित इतीन् । एवमादिषूक्तत्वादधिकरणे प्रथमा ।

### अनुक्तमधिकरणम्—

आस्ते पीठे । अथवा आस्यते पीठे । आसितं पीठे, गङ्गायां घोषः, तिलेषु तैलम्, दिवि देवाः । एवमादिषु न कश्चिदधिकरणे प्रत्ययो विहित इत्यनुक्तत्वादधिकरणे सप्तमी ।

अधिकरणकारके 'कारके' इत्यधिकारे 1.4.45 –1.4.48 पर्यन्तं चत्वारि सूत्राणि वर्तन्ते । विभक्ति प्रकरणे च 2.3.36 तः 2.3.45 पर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति तानि अथ च सप्तमीविभक्तिसम्बद्धानि सूत्राणि क्रमेण संक्षेपेण च विवेचनं अर्थपुरस्सरं ससूत्रं प्रस्तूयते ।

**अधिकरणकारकविधायकानि सूत्राणि –**

**1.सप्तम्यधिकरणे च । अ. 2.3.36**

अनुवृत्तिः—दूरान्तिकार्थेभ्यः, अनभिहिते

सूत्रार्थः—अधिकरणे सप्तमी स्यात् । चकाराद् दूरान्तिकार्थेभ्यः ।

उदा.—कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । दूरान्तिकार्थेभ्यः—दूरे ग्रामस्य । विप्रकृष्टे ग्रामस्य । अन्तिके ग्रामस्य ।

**2.यस्य च भावेन भावलक्षणम् । अ. 2.3.37**

अनुवृत्तिः—सप्तमी

सूत्रार्थः—यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्या । अर्हाणां कर्तृत्वेऽनर्हाणामकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च ।

उदा.—गोषु दुह्यमानासु गतः । सत्सु तरत्सु असन्त आसते । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति । असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति ।

**3.षष्ठी चानादरे । अ.2.3.38**

अनुवृत्तिः—यस्य च भावेन भावलक्षणम्,सप्तमी

सूत्रार्थः—अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः ।

उदाहरणानि —रुदति रुदतो वा प्राब्राजीत् । रुदन्तं पुत्रादिकमनादृत्य संन्यस्तवानित्यर्थः ।

**4.स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च । अ.2.3.39**

अनुवृत्तिः—षष्ठी,सप्तमी

सूत्रार्थः—एतैःसप्तभिर्योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनम् ।

उदा.—गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसूतः ।

**5.आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् । अ.2.3.40**

अनुवृत्तिः—षष्ठी,सप्तमी

सूत्रार्थः—आभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः तात्पर्येऽर्थे ।

उदा.—आयुक्तो व्यापारितः । आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा ।

आयुक्तो गौः शकटे ।

**6.यतश्च निर्धारणम् । अ.2.3.41**

अनुवृत्तिः—षष्ठी,सप्तमी

सूत्रार्थः—जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः ।

उदा.—नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । गवां गोषु वा कृष्ण बहुक्षीरा । छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः ।

**7.पञ्चमी विभक्ते । अ.2.3.42**

अनुवृत्तिः—यतश्च निर्धारणम्

सूत्रार्थः—विभागो विभक्तम् । निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात् ।

उदा.—माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यःआढ्यतराः ।

**8.साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः । अ.2.3.43**

सूत्रार्थः—आभ्यां योगे सप्तमी स्यादर्चायाम्, न तु प्रतेःयोगे ।

उदा.— मातरि साधुर्निपुणो वा । निपुणो राज्ञो भृत्यः ।

**9.प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । अ.2.3.44**

अनुवृत्तिः—सप्तमी

सूत्रार्थः— आभ्यां योगे तृतीया स्यात् चात्सप्तमी च ।

उदा.—प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरौ वा ।

**10.नक्षत्रे च लुपि । अ.2.3.45**

अनुवृत्तिः—तृतीया,सप्तमी

सूत्रार्थः—नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप्संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र वर्तमानात्तृतीयासप्तम्यौ स्तोऽधिकरणे ।

उदा.—पुष्येण पायसमश्नीयात् । पुष्ये पायसमश्नीयात् ।

**11.सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये । अ.2.3.7**

अनुवृत्तिः—कालाध्वनोः

सूत्रार्थः—शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यामेते स्तः ।

उदा.— अद्य भुक्त्वायं द्वयहे द्वयहाद्वा भोक्ता ।

**12.अधिरीश्वरे । अ.1.4.96**

अनुवृत्तिः—कर्मप्रवचनीयाः,निपाताः

सूत्रार्थः—स्वस्वामिसम्बन्धे अधिःकर्मप्रवचीयसंज्ञःस्यात् ।

उदाहरणम्—अधि देवदत्ते पञ्चालाः,अधि पञ्चालेषु देवदत्तः ।

**13.यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी । अ.2.3.9**

अनुवृत्तिः—कर्मप्रवचनीययुक्ते

सूत्रार्थः—अत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात् ।

**14. विभाषा कृञि । अ.1.4.97**

अनुवृत्तिः—अधि, कर्मप्रवचनीयाः,निपाताः

सूत्रार्थः—अधिः करोतौ प्राक्संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽर्थे ।

उदा.यदत्र मामाधिकरिष्यति । पक्षे—यदत्र माम् अधि करिष्यति ।

एवं प्रकारेण च पञ्चदशभिः सूत्रैः अधिकरणसंज्ञा उक्ता, एवमेव यानि अधिकरणसंज्ञाविधायकानिसम्बद्धानि वार्तिकानि चर्चितानि तानि अत्र प्रस्तूयते—

**वार्तिकानि—**

**1.सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् । अ.2.3.36**

वार्तिकार्थः—यत्र क्तप्रत्ययान्तशब्दैः इन् प्रत्ययो विधीयते,तत्र कर्मकारके सप्तमीविभक्तिः भवति ।

उदाहरणम्—असावधीती व्याकरणे । परिगणिती याज्ञिके ।

**2.साध्वसाधुप्रयोगे च । अ.2.3.36**

वार्तिकार्थः—साध्वसाधु शब्दयोः प्रयोगे सप्तमी विभक्तिः स्यात् ।

उदा.—साधुर्देवदत्तो व्याकरणे, असाधव आर्येषु दस्यवः ।

### 3.कारकार्हाणां च कारकत्वे । अ.2.3.36

अर्थः—यत्र कारकाणि स्वकृत्यकर्म सुचारुतया प्राप्यन्ते तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवेत् ।

उदा.—ऋद्धेषु भुञ्जानेषु दरिद्रा आसते ।

### 4. अकारकार्हाणां चाकारकत्वे । अ.2.3.36

अर्थः—यत्र कारकाणि स्व अयोग्यता सुचारुतया प्राप्यन्ते तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवेत् ।

उदा.—मूर्खेष्वसीनेषु ऋद्धा भुञ्जते ।

### 5.तद्विपर्यासे च । अ.2.3.36

अर्थः—अकारकार्हाणां कारकार्हाणां च उभयोः योगे सप्तमी विभक्तिः भवति ।

उदा.—ऋद्धेष्वसीनेषु मूर्खा भुञ्जते । ब्राह्मणेष्वसीनेषु वृषलास्तरन्ति ।

### 6.निमित्तात्कर्मसंयोगे । अ.2.3.36

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति,दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् ।

केशेषु चमरीं हन्ति,सीम्नि पुष्कलको हतः ।।

हेतौ तृतीयात्र प्राप्ता,तन्निवारणार्थमिदम् । सीमाऽण्डकोशः पुष्कलको गन्धमृगः,योग विशेषे किम्? वेतनेन धान्यं लुनाति ।  
सीम्नि पुष्कलको हतः । इत्यत्र हेतौ तृतीया तादर्थ्यं चतुर्थी च प्राप्ता । तयोः निषेधात् 'निमित्तात्कर्मयोगे' इति वार्तिकेन सप्तमी ।

### 7.अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् । अ.2.3.43

अर्थः—प्रत्यादिभिः योगे सप्तमी न स्यात् ।

उदा.—साधुर्देवदत्तो मातरं प्ररि ।

## सहायकग्रन्थसूची—

- 1.परमलघुमञ्जूषा,प्रो.बोधकुमार झा, हंसा प्रकाशनम्,जयपुरम्,2018
- 2.वाक्यपदीयम् 3.7.1
- 3.अष्टाध्यायी 1.4.45 वै.सि.कौ.सूत्र—634
- 4.कातन्त्रव्याकरणम्, 2.4.11
- 5.वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी—विभक्त्यर्थप्रकरणम्,व्याख्याकार—श्रीधरानन्दः,  
मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशनम्,अष्टमसंस्करणम्,2017
- 6.परमलघुमञ्जूषा,प्रो.बोधकुमार झा, हंसा प्रकाशनम्,जयपुरम्,2018  
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी
- 7.परमलघुमञ्जूषा,प्रो.बोधकुमार झा, हंसा प्रकाशनम्,जयपुरम्,2018

8. परमलघुमञ्जूषा, प्रो. बोधकुमार झा, हंसा प्रकाशनम्, जयपुरम्, 2018
9. कारकसम्बन्धोद्घोतः, हिन्दी विवृत्तिकारः—प्रो. कृष्ण शर्मा, राजस्थानी ग्रन्थागारः, जोधपुरम्, प्रथमं संस्करणम्, 2008
10. कारकसम्बन्धोद्घोतः, हिन्दी विवृत्तिकारः—प्रो. कृष्ण शर्मा, राजस्थानी ग्रन्थागारः, जोधपुरम्, प्रथमं संस्करणम्, 2008

### अन्यग्रन्थ—पत्रपत्रिकादिसूची—

1. कारकीये, स्वामी दयानन्द, परोपकारीणि सभा, अजमेर
2. कारकम्, जि. महाबलेश्वरभट्टः, संस्कृतभारती, बेंगलूरु, 2010
3. अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, श्री पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, रामलाल कपूर ट्रस्ट, हरियाणा, 2008
4. संस्कृतविमर्शः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, वर्षम् 2019
5. अष्टाध्यायीप्रवेश, रामलाल कपूर ट्रस्ट, हरियाणा, 2008

## संस्कृत साहित्य में वर्णित राजधर्म की वर्तमानकालिक प्रासंगिकता



डॉ. दिनेश शर्मा

सहायकाचार्य (साहित्य विभाग )

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय-क्यार्ट

जिला-शिमला (हि. प्र.) भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 14-20

Publication Issue :

September-October-2020

### शोध आलेख सार

संस्कृत काव्यों में अनेकत्र वर्णित इन उपदेशों का अनुपालन करते हुए तत्कालीन राजवर्ग की नैतिकता, चरित्रों की पावनता तथा प्रजावत्सलता ज्ञात होती है। वस्तुतः वर्तमान शासन प्रणाली का मूल उत्स धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र है, जिसका उपबृहण संस्कृत साहित्य में हुआ है।सहस्रों वर्षों के बाद भी स्मृति ग्रन्थों में निर्दिष्ट तथा संस्कृत काव्यों में राजाओं की राजव्यवस्था में अनुपालित राजधर्मविषयक सूत्रों का वर्तमान शासन व्यवस्था में महनीय योगदान परिलक्षित होता है। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित ये सिद्धान्त यद्यपि भिन्न परिस्थितियों में लिखे गए थे किन्तु आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था में धर्मशास्त्र प्रोक्त इन राजधर्म विषयक गुणों का अनुकरण यदि वर्तमान शासक करें तो निश्चित रूप से प्रजा का हित हो सकता है। किञ्च संस्कृत साहित्य में वर्णित राजव्यवस्था के सूत्रों की हजारों वर्षों के उपरांत प्रासंगिकता से यह भी सिद्ध होता है कि ये रचनाएं कालजयी है।

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

**मुख्य शब्द** – संस्कृत, साहित्य, राजधर्म, वर्तमानकालिक, नैतिकता, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजानिक।

संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। सहस्र-वर्षों से संस्कृत वाङ्मय ने अपने उज्वल ज्ञान से विश्व की अनेक सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन और विकास में अपनी भूमिका अदा की है। सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजानिक उपदेशों के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय की एक और विशेषता यह है कि शायद ही जीवन का कोई पहलू है जो यहाँ अछूता रहा हो। राष्ट्र को समृद्ध और संगठित बनाने के लिए मनु आदि

स्मृतिकारों ने राजधर्म के सूत्रों का प्रणयन किया। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में राजधर्म वर्णन प्रसङ्ग में राजाओं के आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए आदिपुरुष मनु कहते हैं कि राजाओं का चारीत्रिक स्तर इतना ऊंचा हो कि जनता उसका अनुकरण करें तथा कोई उस पर उंगली न उठा सके। किसी भी देश का शुभाशुभ राजा के आचार-व्यवहार पर निर्भर होता है। राजा और प्रजा के परस्पर सहयोग और समन्वय से सबका कल्याण निश्चित है। "राजा प्रकृतिरंजनात्" के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की सेवा करना होता है। राजकार्य के संचालन में राजा का आचार और उसकी प्रजापालन की व्यवस्था के सम्बंध में स्मृतिग्रन्थों में (राजधर्म की) चर्चा की गई है। संस्कृत वाङ्मय में वर्णित राजाओं की कार्यशैली और राजव्यवस्था में स्मृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधर्म का अनुपालन दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य के काव्य तथा नाटकों में राजा, मंत्री, दण्डविधान, करव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आदि का यथावसर सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। राजव्यवस्था चलाने में प्राचीन भारत में राजाओं की महती भूमिका रही है। धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट तथा संस्कृत काव्यों में प्रतिपादित राजधर्म की वर्तमान शासनव्यवस्था में महती प्रासंगिकता है। धर्मशास्त्र और काव्यों में हजारों वर्ष पूर्व निर्दिष्ट एवं वर्णित ये राजसिद्धांत हमारे लिए मात्र धरोहर नहीं हैं अपितु ये हमारी बौद्धिकता और संवेदना को उत्प्रेरित भी करते हैं। काव्यों में प्रतिपादित राजाओं के पुनीत चरित्रों में आचरणशुद्धि की प्रेरकता, प्रजावत्सलता तथा विनयशीलता पदे-पदे दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिविषयक दण्डव्यवस्था और न्यायपथ का भी सुन्दर उपदेश मिलता है। रघुवंश में वर्णित राजधर्म न केवल रघुवंशी राजाओं के राजधर्म को व्यक्त करता है अपितु वर्तमान शासनव्यवस्था के शासक को प्रजा के कल्याण हेतु मार्ग भी प्रशस्त करता है। रघुवंशी राजा शास्त्रसम्मत राजकाज व्यवस्था के संवाहक थे। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो रघुवंशी राजाओं का चरित्र वास्तव में अनुकरणीय है। कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र की पवित्रता, कार्य के प्रति दृढ़ता तथा साम्राज्य की विशालता, शास्त्र के अनुसार आचरण, मितभाषिता एवं धर्मपरायणता का वर्णन किया है-

सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् ।

आसमुद्रक्षितीशानाम् अनाकरथवर्त्मनाम् ॥

यथाविधिहताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम् ।

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥

त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।

यशसे विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥<sup>1</sup>

महाकवि कालिदास की कालजयी रचना रघुवंश में राजधर्म बहुत्र वर्णित है। रघुवंश के प्रथम, पञ्चम, अष्टम और चतुर्दश सर्ग में कालिदास ने राजधर्म का वर्णन किया है। रघुवंशी राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने हेतु

सतत प्रयत्नशील थे। रघुवंश के प्रथम सर्ग में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य हजारों गुना जल लौटाने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा से कर लेकर उनके विकास कार्यों में लगाकर उन्हें लौटा देते थे-

**प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।**

**सहस्रगुणं उत्स्रष्टुं आदत्ते हि रसं रविः ॥<sup>2</sup>**

राजधर्म के अंतर्गत आने वाले "सामदानाद्युपाय" भी राजा दिलीप के गुप्तविचारों से तथा हर्षशोकादि चिन्हों को छिपाने से अनुमान किये जाते थे-तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढा कारेंगितस्य च।<sup>3</sup> राजा दिलीप प्रजा को विनम्रता का पाठ पढ़ाने तथा उनका भरण-पोषण करने के कारण उनका वास्तविक पिता था-

**प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भ्रणादपि ।**

**स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥<sup>4</sup>**

किसी भी साम्राज्य की सफलता या असफलता प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासन यदि गतिशील, व्यवस्थित एवं संगठित है तो साम्राज्य सुदृढ़ होगा। रघुवंशी राजाओं में अन्यतम, प्रजाहित के प्रबल चिंतक 'रघु' अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण सफल शासक हुए। राजा दिलीप और राजा रघु द्वारा प्रजाहित में किये गए कार्यों का बखान ग्राम्य बालाओं के गीतों में गूँजता है। राम ने सीता के प्रति प्रजा द्वारा शंका व्यक्त किए जाने के पश्चात अपने व्यक्तिगत संबंध का (रिश्ते का) विचार न कर, राजधर्म के पालन हेतु उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। इस विषय में महाकवि कालिदास मार्मिक भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं –  
'कौलीनभीतेन गृहत्रिरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ।'<sup>5</sup> अर्थात् लोकनिंदा के भय से श्रीराम ने सीताको घर से तो बाहर भेज दिया, परंतु मन से नहीं। प्रजा में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करना राजा का अन्य प्रमुख धर्म है। रघुवंश में महाकवि कहते हैं-"नृपस्य वर्णाश्रमपालनम् यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः"<sup>6</sup> आश्रम धर्म के अनुपालन में रघुवंशी राजा प्रजा के लिए आदर्शस्वरूप थे-

**शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् ।**

**वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥<sup>7</sup>**

इस प्रकार कालिदास ने स्मृतियों ने प्रतिपादित राजधर्म के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक सम्बन्ध को नैतिक तथा धार्मिक रूप देकर उसे दृढ़ स्वरूप प्रदान किया है।

कालिदास के पश्चात भारवि ने भी राजधर्म को अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया। भारवि राजनीति में निष्णात है, उनका राजधर्मविषयक व्यापक ज्ञान युधिष्ठिर की उक्तियों में मूर्तिमान हो उठा है। भीम को

समझाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि बिना विचार किया गया कार्य विपत्ति देने वाला होता है। जो व्यक्ति विचारपूर्वक कार्य करता है, उसके गुणों से आकृष्ट सम्पत्ति स्वयं उसके पास चली जाती है-

**सहसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदाम् पदम्।**

**वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥<sup>8</sup>**

शत्रु द्वारा अपमान का स्मरण करने के कारण क्षुब्ध भीम को न्याय पथ का सुन्दर उपदेश देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि जो राजा उचित समय पर मृदुता और तीक्ष्णता धारण करता है वह सूर्य के समान अपने तेज से समस्त जगत को अपना वशवर्ती बनाता है। भीम को नीतिशास्त्र का उपदेश देते हुए धर्मराज कहते हैं कि यद्यपि इस समय दुर्योधन का उत्कर्ष हो रहा है फिर भी उसकी उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि अविनयी शत्रु को उपेक्षा से ही जीता जा सकता है- "**विपदन्ता ह्यविनीतसंपदः**"।<sup>9</sup>

नीतिज्ञों की राज्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक नीतियों को प्रतिपादित करते हुए कवि माघ ने कहा है कि सहायादि समस्त कार्यों में पाँच अंगों के अतिरिक्त राजा का उस प्रकार दूसरा कोई मन्त्र नहीं है, जिस प्रकार उस शरीर में पाँच स्कन्धों के अतिरिक्त बौद्धों के मत से दूसरा कोई आत्मा नहीं है। राजा के पाँच अंग हैं- 1. कार्यों के आरम्भ करने का उपाय, 2. कार्यों की सिद्धि में उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, 3. देश तथा काल (स्थान और समय) का यथा योग्य विभाजन, 4. विपत्तियों के दूर करने के उपाय, 5. कार्यों की सिद्धि।

**सर्व कार्यशरीरेषु मुक्त्वाङ्गस्कन्धपञ्चकम्।**

**सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्॥<sup>10</sup>**

राजाओं के सहाय आदि में पाँच अंग समायोजित रहते हैं तो उनके सन्धि, विग्रह के साथ मन्त्रणा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रत्येक राजा को अपने राज्य में इन पाँचों अंगों पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। कवि माघ ने पूर्व बौद्ध दर्शन की मान्यता को प्रतिपादित करते हुए राजनीति का यह उपदेश दिया है।

काव्यों के अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में भी राजधर्म का यत्र तत्र वर्णन हुआ है। मुद्राराक्षस नाटक में विशाखदत्त ने राजशास्त्र का विशद परिचय दिया है। विशाखदत्त न केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य नीतिशास्त्रों से परिचित थे बल्कि उसके प्रकांड पण्डित थे। अर्थशास्त्र के राजनीति विषयक विचारों व गजाध्यक्ष, षाडगुण्य, द्रव्य, उपाय, बाह्यकोप, अन्तःकोप जैसे पारिभाषिक शब्दों को विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में यत्र-तत्र प्रयुक्त किया है। मुद्राराक्षस के तृतीयांक में सफल शासनव्यवस्था की चर्चा की गई है। चाणक्य कहता है कि- "**वृषल ! श्रूयताम् । इह खल्वर्थ शास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णयन्ति राजायतां सचिवायतामुभयायतां चेति।**"<sup>11</sup>

राज्य के विषय में चन्द्रगुप्त का विचार है-**राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस्य नृपतेर्महदप्रीतिस्थानम्।**<sup>12</sup> राजधर्म का पालन करने में तत्पर राजा के लिए राज्य सुख के स्थान पर दुःख की सृष्टि करने वाला है क्योंकि - दूसरों का हित साधने के लिए राजा को अपना हित छोड़ना पड़ता है, अपने इच्छित आमोद-प्रमोद का त्याग करने के लिए विवश राजा किस बात का 'राजा' ! यदि उसके लिए दूसरों का प्रयोजन अपने प्रयोजन से अधिक अभीष्ट है, तो वह तो पराधीन हुआ. और पराधीन व्यक्ति कैसे जान सकता है कि सुखानुभूति का आनंद क्या चीज़ है-

**परार्थानुष्ठाने रहयति नृपं स्वार्थपरता  
परित्यक्तस्वार्थो नियतमयथार्थः क्षितिपतिः।  
परार्थस्चेत्स्वार्थादभिमततरो हन्त परवान्  
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः”।।**<sup>13</sup>

आचार्य दण्डी ने दशकुमारचरित में विश्रुतचरित में राजनीति का सुंदर उपदेश स्वाभाविक शैली में प्रस्तुत किया है। वृद्धमंत्री वसुरक्षित अनंतवर्मा को उपदेश देते हुए कहते हैं "बुद्धिशून्य राजा उन्नतिशील होने पर भी दूसरों के द्वारा आक्रांत होने पर अपने आप को संभाल नहीं पाता। वह साध्य और साधन का विभाग कर किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। निश्चित व्यवहार में दक्ष न होने के कारण प्रत्येक काम में असफल होकर वह अपने और दूसरों से अपमानित होता है। लोग उसका अनादर करने लगते हैं और उसकी आज्ञा प्रजा के योगक्षेम में असफल रहती है। इसलिए बाहरी विद्याओं में दिलचस्पी छोड़कर तुम अपनी कुलविद्या राजनीति (दण्डनीति) का सेवन करो। इसका सेवन करने से तुम्हें समस्त शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति होगी और तुम बिना किसी विघ्न के अस्खलित शासन होकर आसमुद्र पृथ्वी का पालन करो।"<sup>14</sup>

संस्कृत साहित्य के आधुनिक नाटक भारतविजयनाटक के प्रथम अंक में भी राजधर्म वर्णित है। दानाशाह शिराज को प्रजा-व्यभिचारी, कलुषित मनोवृत्ति तथा राजधर्म से शून्य बताते हैं। प्रत्युत्तर में शिराज दानाशाह को कहते हैं कि इस समय मैं मायावियों के जाल से सम्भ्रान्त हूँ अन्यथा राजधर्म को भली भाँति जानता हूँ। स्वयं को राजधर्मवेत्ता बताते हुए शिराज कहता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि धर्म से अर्थ और काम में रुकावट न डाले, और अर्थ से धर्म और काम में, एवं काम से धर्म और अर्थ में बाधा न डाले। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आक्रमण और आपत्ति के समय प्रजा का पालन करना चाहिए-यह राजा का धर्म है-

**अर्थकामौ न धर्मेण प्रबाधेत विचक्षणः।  
धर्मकामौ न चार्थेन न कामेनेतेरद् द्वयम्।  
ईतावापत्तिकाले च प्रजानां पालनं चरेत्।**

## व्यसनाद् भयतो रक्षदेष धर्मो महीपते: ॥<sup>15</sup>

अंत में कौटिल्य के वचनों में कि "प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् ।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥<sup>16</sup>

संस्कृत काव्यों में अनेकत्र वर्णित इन उपदेशों का अनुपालन करते हुए तत्कालीन राजवर्ग की नैतिकता, चरित्रों की पावनता तथा प्रजावत्सलता ज्ञात होती है। वस्तुतः वर्तमान शासन प्रणाली का मूल उत्स धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र है, जिसका उपबृहण संस्कृत साहित्य में हुआ है। सहस्रों वर्षों के बाद भी स्मृति ग्रन्थों में निर्दिष्ट तथा संस्कृत काव्यों में राजाओं की राजव्यवस्था में अनुपालित राजधर्मविषयक सूत्रों का वर्तमान शासन व्यवस्था में महनीय योगदान परिलक्षित होता है। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित ये सिद्धान्त यद्यपि भिन्न परिस्थितियों में लिखे गए थे किन्तु आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था में धर्मशास्त्र प्रोक्त इन राजधर्म विषयक गुणों का अनुकरण यदि वर्तमान शासक करें तो निश्चित रूप से प्रजा का हित हो सकता है। किञ्च संस्कृत साहित्य में वर्णित राजव्यवस्था के सूत्रों की हजारों वर्षों के उपरांत प्रासंगिकता से यह भी सिद्ध होता है कि ये रचनाएं कालजयी हैं।

### पादटिपणी-

<sup>1</sup> रघुवंश, १/५-७

<sup>2</sup> रघुवंश, १/१८

<sup>3</sup> रघुवंश, १/२०

<sup>4</sup> रघुवंश, १/२४

<sup>5</sup> रघुवंश, १४/ ८४

<sup>6</sup> रघुवंश, १४/६७

<sup>7</sup> रघुवंश-१/८

<sup>8</sup> किरातार्जुनीयम्-२/३०

<sup>9</sup> किरातार्जुनीयम्-२/५२

- 10 शिशुपालवध-२/२६
- 11 मुद्राराक्षस, पृ.१७६,
- 12 मुद्राराक्षस, अंक-३
- 13 मुद्राराक्षसम्, ३/४
- 14 दशकुमारचरितम्, अष्टमउच्छवास, पृ-255,56
- 15 भारतविजयनाटकम्-१/१८-१९
- 16 अर्थशास्त्रम्-१/१९/३४

### सन्दर्भग्रन्थसूची :-

1. अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी २०००
2. किरातार्जुनीयम्, पंडित दुर्गा प्रसाद, निर्णय सागर प्रेस बम्बई -१८९५
3. दशकुमारचरितम्, श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन -२०१०
4. मुद्राराक्षसम्, जगदीश चन्द्र मिश्र, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी २०१३
5. रघुवंश, श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१८
6. शिशुपालवध, राम जी लाल शर्मा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन -२०११
7. भारतविजयनाटकम्, मोतीलालबनारसीदास नई दिल्ली -२००६

## भारत का अभ्युदय



Kirit Debnath,  
Senior Research Scholar,  
Department of Hindi  
Presidency University, Kolkata,  
India

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 21-28

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

### शोध आलेख सार

इस आलेख में मैंने भारत के प्रख्यात अयाचक ऋषि अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव (श्री श्री बाबामणि) के ब्रह्मचर्य और स्वदेश की सेवा, ब्रह्मचर्य और अन्य धर्मों आदि प्रति सहिष्णुता आदि पर उनके विचारों की

आलोचना की है।  
**मुख्य शब्द** – ब्रह्मचर्य, आधुनिकता, अभ्युदय।

भूमिका :- भारत की जागृति में ब्रह्मचर्य, विधा :- आलोचनात्मक

आज हम एक आधुनिक भारत में जी रहे हैं आज हमारे पास ऐसी सेनाएँ हैं जिनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं। आज हम सूचना प्रद्योगिकी ( information -technology) के युग में जी रहे हैं । हमारे पास आधुनिक शिक्षा है। हमने मंगल ग्रह पर अभियान किया है, चंद्र अभियान भी किया है, मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया है, देश की सरकार की बुलेट ट्रेन लाने की भी परिकल्पना है यहाँ तक कि हमारी सरकार ने देश के विकास के लिए 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति भी अपनाई थी। आज हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली (education system) भी लगभग ऑन लाइन हो चुकी है और आज जो हम देख रहे हैं कि कक्षाओं में बैठ कर छात्रों और शिक्षकों के बीच पठन-पाठन की प्रक्रिया चलती है जिसे अंग्रेजी में manual teaching कहते हैं वह भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। यहाँ यह कहना उचित होगा कि आज के इस कोरोना काल में पठन-पाठन तो ऑन लाइन के माध्यम से संचालित हो रहा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऑन लाइन संगोष्ठियाँ संचालित हो रही हैं। आज पाठ्यक्रम भी

ऑन लाइन लाइन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ नगरीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती चली जा रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जन-धन योजना, कन्याश्री (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कन्याओं के कल्याण के लिए संचालित योजना) आदि बहुत सारी योजनाएँ हमारी सरकारों द्वारा संचालित की जा रही है।

मित्रों ऊपर वर्णित कथनों के द्वारा आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। जी हाँ आप सही सोच रहे हैं कि देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है लेकिन यह अगर उन्नति है तो आज के समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएँ ही क्यों छोटे-छोटे बच्चों पर भी अत्याचार किया जा रहा है। क्या यह प्रगति है? क्या यहीं विकास है? क्या यहीं जागरूकता है? निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि केवल महिलाएँ प्रताड़ित होती हैं बल्कि पुरुष भी प्रताड़ित होता है। पुरुष वर्ग महिलाओं को एक वस्तु के रूप देखता है और वह उसे अपने हवस का शिकार बनाता है, आज कल के पुत्र और पुत्रियाँ अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेज देते हैं क्या यह उन्नति की निशानी है? क्या यह एक पुत्र का अपने माता-पिता के प्रति अत्याचार नहीं है? क्या एक पुत्री का अपने माता-पिता के प्रति शोषण नहीं है? क्या यहीं उन्नति है? ऐसा करना क्या एक पुत्र का अपने माता-पिता के प्रति शोषण या अत्याचार नहीं है? सास बहू पर अत्याचार करती है ठीक इसी प्रकार बहू सास पर अत्याचार करती है। कहीं पैतृक सम्पत्ति हेतु माता-पिता की हत्या की जाती है, कहीं दहेज के लिए महिलाएँ उत्पीड़ित होती हैं क्या यह विकास है? जी हाँ आपने सही कहा कि यह विकास नहीं है। अब इन सब घटनाओं के पीछे मूल कारण पर विचार करते हैं। यह कारण यहाँ मूल चुनौती है कि नारी जाति माँ होती उनके समक्ष शिशु के समान सरल होना होता है ठीक इसी प्रकार महिलाएँ भी यह भूल गई हैं कि पुरुष वर्ग संतान तुल्य है वे मातृ शक्ति हैं। जाति ब्रह्मचर्य परायण नहीं हो पा रही है और साधक नहीं हो पा रही है सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान को ही भूल चुके हैं साथ ही साथ जो पुरुष महिलाओं का शील भंग करते हैं या कहा जाए उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको यथोचित सज़ा नहीं मिले बाकी है। वही सही है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, यह प्राचीन मुनि-ऋषियों की मातृभूमि रही है यहाँ ब्रह्म गायत्री ध्वनित हुई है अतः इस देश की उन्नति आध्यात्मिकता के माध्यम से ही होगी साथ ही साथ संतान जन्म के समय माता-पिता को सद संतान, ब्रह्मज संतान हेतु प्रार्थना और चिंतन करना चाहिए क्योंकि चिंता में बड़ी शक्ति होती है स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम

जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। यहाँ इस बात के उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि शिशु के जन्म के समय माता-पिता जिस प्रकार का चिंतन करते हैं उसी प्रकार का प्रभाव शिशु के मन में पड़ता है और धीरे-धीरे उसी प्रकार के चिंतन के आधार पर उसका विकास होता चला जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मिश्राजी के पुत्र का विवाह ओझाजी की पुत्री के साथ हुआ संतान जन्म के समय मिश्राजी की अगर शूद्र बुद्धि रही और ओझाजी की ब्राह्मण बुद्धि हुई या मिश्रा के पुत्र की ब्राह्मण बुद्धि हुई और ओझाजी के पुत्री की शूद्र बुद्धि हुई तो क्या ब्राह्मण संतान का जन्म होगा, हाँ जाति के दृष्टिकोण से वह ब्राह्मण होगा लेकिन चिंतन के दृष्टिकोण से नहीं। अतः भगवत स्मरण के माध्यम से माता को उपयुक्त क्षेत्र निर्माण का प्रयास करना चाहिए और पिता को उत्कृष्ट बीज निर्माण का प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ बात भारत के उत्थान के क्षेत्र में मूल रूप से ब्रह्मचर्य के भूमिका की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही इस सम्पूर्ण भारत की उन्नति हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। अब यहाँ बात आती है कि यह तो हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से देश की उन्नति हो सकती है। परंतु अब बात यहाँ यह है कि ब्रह्मचर्य की साधना किस प्रकार से की जा सकती है ? इस विषय पर बात करते हुए भारत के प्रख्यात साधक अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (भक्तों के श्री श्री बाबामणि) ने कहा है कि "पहला उपाय है सद संकल्प को मन के भीतर प्रबल से प्रबलतर करने के लिए प्रयासशील होना। मनुष्य अभ्यास के फलस्वरूप जो करता है अथवा करना चाहता है, उसे दमन करके चलने का श्रेष्ठ उपाय है तीव्र संकल्प। यह संकल्प सुप्रतिष्ठित नहीं होता, यदि आँखों के सामने ब्रह्मचर्य के आदर्श को न रखा जाए। इसी कारण सर्वदा संसार के श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों के जीवन और चरित्र की आलोचना करना चाहिए। इन सद आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप मन के भीतर सद होने की आकांक्षा तीव्र से तीव्रतर होता है। ब्रह्मचर्य के साधना का दूसरा उपाय है अपने मन से अकारण भय और आशंका को दूर कर देना। अभी मर जा रहा हूँ, अभी गिर जा रहा हूँ। इस प्रकार की दुर्बलताएँ मनुष्य को बड़े होने में बाधा देती हैं। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहता है उसे सबल, सुंदर मन लेकर निर्भरता के साथ अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। संकट बहुल स्थान में भी जिसके मन में आशंका और आतंक नहीं होता, वहीं हर समय स्वयं को पापों से मुक्त रखकर चल सकता है। अतः मन से आशंका और आतंक को पहले दूर करना चाहिए। संसार के आलोच्य गदयांश में वर्णित बातों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में कल्याण के लिए हम सारी संपत्ति बाँट देंगे मन की यह भावना भी ब्रह्मचर्य के पालन में विशेष सहायक है"।<sup>1</sup> ब्रह्मचर्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीव्र संकल्प के माध्यम से ही ब्रह्मचर्य की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। मन की दुर्बलता ब्रह्मचर्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। अतः एक ब्रह्मचर्य परायण व्यक्ति को कभी भी

अपने मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए। दुर्बलता ही विनाश का कारण है। अगर मनुष्य के भीतर कोई बुरी आदत है तो उसे भी वह अपने कठोर संकल्प के माध्यम से दूर कर सकता है। ब्रह्मचर्य परायण व्यक्ति के मन में संसार के कल्याण की कामना होनी चाहिए। संसार के कल्याण की कामना एक महान भावना है। जो संसार के कल्याण के लिए अपने क्षुद्र स्वार्थ का परित्याग कर सकता है वहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। स्वार्थ का त्याग ब्रह्मचर्य का सहायक होता है। हम देखते हैं कि श्री श्री बाबामणि ने आलोच्य गद्यांश में निर्भरता की बात कही है। अब यहाँ बात आती है वे किस निर्भरता की बात कर रहे हैं ? यहाँ निर्भरता से अभिप्राय है भगवान के उभर निर्भरता क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भरता के माध्यम से ही ब्रह्मचर्य की बुनियाद टिकी रह सकती है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य को किस प्रकार से एक महान आंदोलन के रूप में सम्पूर्ण देश के कल्याण के लिए फैलाया जा सकता है इस विषय में अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (श्री श्री बाबामणि) कहते हैं कि "यथार्थ ब्रह्मचर्य का आंदोलन आलस्यहीनता का आंदोलन है। ब्रह्मचर्य का शत्रु कौन है ? आलस्य और अवसाद है कि नहीं ? आलसियों का समूह ही क्या अपने मन में बुरी चिंता और बुरी बातों की चर्चा नहीं करता है ? आलस्य क्या गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं है ? दिन के समय जो सोते रहते हैं और रात में जागकर ताश आदि का श्राद्ध करते हैं वे ही क्या दूसरे की नारियों के सतीत्व के हरण में कुमारियों के कौमार्य के उल्लंघन में, विधवा के पवित्रता के विनाश में सबसे पहले उत्साही नहीं होते हैं ? जिनके हाथ में कोई काम नहीं होता वे ही क्या अधिकतर समय समाज के शरीर में कामुकता के कालकूट का विस्तार नहीं करते हैं ? वे ही क्या छोटे-छोटे बच्चों का मस्तक नहीं खाते हैं ? वे ही क्या घर-घर में गुप्त पाप का प्रवेश द्वार नहीं खोलते हैं ? वे ही क्या अधिकांश समय जिसे भाई कहते हैं उसके प्रति साँप की भाँति आचरण नहीं करते हैं ? जिसे बहन सम्बोधन करते हैं उसके प्रति बृश्चिक के समान आचरण नहीं करते हैं ? इसीलिए अगर लम्पटता को अगर दूर करना है तो आज घर-घर में कर्मशीलता की प्रतिष्ठा करना होगा। अतः आज ब्रह्मचर्य आंदोलन को विश्वग्रासिनी कर्म की ऊँची आकांक्षा के ऊपर खड़ा करवाना होगा"।<sup>2</sup>

आलोच्य गद्यांश में वर्णित बातों की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आलस्य का विनाश करना है। मन का जो आलसीपन है वहीं ब्रह्मचर्य का शत्रु है। जनता को कर्मशील बनाना होगा। जो लोग अपने कर्मशील समय को व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं वे ही समाज में अत्याचारी बनते हैं। दूसरे की बहू-बेटियों का शोषण करते हैं। कहा जाता है कि 'खाली दिमाग शयतान का घर होता है।' यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ दिन कर्मशीलता और व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। जिस समय मानव के शरीर में ऊर्जा विद्यमान रहती है

उस समय जो सद कर्म किया करते हैं भगवान का स्मरण करते हैं अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा को भगवान के कर्म में लगाते हैं वे ही सफल होते हैं। मनुष्य को पहचानना बड़ा ही कठिन होता है। जो किसी को बहन या भाई के रूप में सम्बोधित करते हैं वे ही लोगों के प्रति अत्याचार कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। ब्रह्मचर्य आंदोलन के द्वारा समाज के इस दुष्टतापूर्ण आचरण को समझा जा सकता है। विश्व को ग्रास करने वाली जो कर्म की आकांक्षा है उसे भेद करते हुए उच्च स्तर पर पहुँचना ही ब्रह्मचर्य आंदोलन का लक्ष्य है। यहाँ यहीं बताया गया है कि अब तक मैं बात कर रहा था ब्रह्मचर्य और कर्म को लेकर कि इसके माध्यम से सद कर्मों का निर्माण होता है बुरे कर्मों के विनाश के लिए ब्रह्मचर्य आंदोलन की आवश्यकता है। और बुरे कर्मों का विनाश होता है। अब इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कर्म की हमारी हिंदू चिंतन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती। हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्ति एक क्षण भी अपने कर्म से विचलित नहीं हो सकता। व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षण अपने कर्म में लगा रहना पड़ता है। मनुष्य चाहे गृहस्थाश्रम में रहे या सन्यास आश्रम में। कर्म तो उसे करना ही पड़ता है। अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (श्री श्री बाबामणि) ब्रह्मचर्य आश्रम किस प्रकार होना का होना चाहिए इस पर बात करते हुए कहते हैं कि "ब्रह्मचार्यश्रमों को कर्मयोगाश्रम होना होगा। किस निर्दिष्ट कर्म के माध्यम से आश्रम के विद्यार्थीगण उनके भावी जीवन के कठोरतम व्रतों का पालन करेंगे इसे निर्धारित करना ब्रह्मचर्य विद्यालय का कार्य नहीं है। कारण अपनी-अपनी स्वाधीन विचारधारा, स्वाधीन रुचि के द्वारा ब्रह्मचारीगण यथासमय यह स्वयं ही ठीक कर लेंगे। इसलिए हमें माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य विद्यालय का वास्तविक कार्य है समस्त कर्मों में भगवान के जुड़ाव को अनुभव करना। इस कौशल को प्रत्येक आलोच्य गद्यांश में वर्णित बातों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य लोगों भगवत ब्रह्मचारी को सीखना होगा"।<sup>3</sup>

परायण करते हुए भगवान के कर्म की ओर आकृष्ट करना। सर्व वस्तु में या सर्व भाव में छात्रों को भगवान का दर्शन कराना ही ब्रह्मचर्य विद्यालय का कार्य है। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के छात्र अपनी अभिलाषा के अनुसार किसी भी प्रकार की सद आजीविका अपने जीवन को संचालित करने हेतु ग्रहण कर सकता है वह देश के लिए सैनिक बन सकता है। या कोई विद्यार्थी किसी कार्यालय में कलम चलाने की नौकरी कर सकता है। इसके लिए वह स्वतंत्र है। कोई छात्र ऐसा भी हो सकता जो आश्रम में रहकर एक ब्रह्मचारी का जीवन बिता सकता है। किंतु बात यहाँ यह है कि जो विद्यार्थी आश्रम के ब्रह्मचर्य विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके देश की रक्षा के लिए रणभूमि में बंदूक चलाकर अपने देश को शत्रुओं से बचाने युद्ध करने हेतु सैनिक बना हो उसे बंदूक की प्रत्येक गोली की आवाज़ में भी ब्रह्म दर्शन करते रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस विद्यार्थी को किसी कार्यालय में कलम चलाने की नौकरी मिली हो उसे भी कागज में कलम संचालन की ध्वनि में दवात की सियाही में उसे परमब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। यहीं बात उस विद्यार्थी के लिए भी लागू होती है जो ब्रह्मचर्य विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करते हुए

ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन संचालित करना चाहता है। मूल बात यह है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के आचरण की आवश्यकता होती है ब्रह्मचर्य विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को यहीं शिक्षा दी जाती है।

अब हम बात उस विषय के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम किन व्यक्तियों का निर्माण करेगा इस विषय में अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (श्री श्री बाबामणि) कहते हैं कि "देश तो मनुष्य चाह रहा है। देश ऐसे मनुष्यों को चाह रहा है जो उनकी समस्त शक्तियों को किसी एक कार्य के लिए जगा सकते हैं। कार्य में हाथ डालने से जिसकी शक्ति का एक कण भी सोया हुआ नहीं रह सकता। जिसका एक सामर्थ्य भी कुंठित होकर नहीं लौटता। ऐसे ही उन्नत और वज्र के समान तेजस्वी कर्मियों को आज देश चाहता है। लेकिन यदि उसका सामर्थ्य दो दिन श्रम करने के उपरांत क्लान्त हो जाए तो ? जीव की शक्ति तो सिमाबद्ध है। अतः ऐसे वज्र की आवश्यकता है जिसका विद्युत तोड़ी सी आँखें दिखाने से ही विलीन नहीं हो जाता है परंतु वज्र के साथ निवास कर चिर-अविनाश्वर हो जाता है। इसीलिए बाल-ब्रह्मचारी की आवश्यकता है। शक्ति रूपी भगवान के साथ नित जुड़ाव की व्यवस्था और दीर्घकालीन त्याग स्वीकार की पद्धति का अनुशीलन को सम्भव बनाने की अनुकूल व्यवस्था करना। जो ब्रह्मचर्य आश्रम इतना कर पाएगा एक आश्रम के रूप में परिचय देना उसी का अधिकार होगा"।<sup>4</sup>

आलोच्य गद्यांश में वर्णित बातों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि आज देश की माँग ऐसे त्यागी पुरुषों की है। जो किसी एक महान कार्य में स्वयं को सम्पूर्ण रूम से समाहित कर सके। जो कार्य से कुंठित होकर अपनी एक कण शक्ति को भी वापस नहीं लौटा ले जाएँगे। ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसे ही त्यागी मनुष्य का निर्माण करेगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा बालपन से ही देने की आवश्यकता है। बाल-मन को परम ब्रह्म के प्रेम और भक्ति की दिशा में सहजता से ले जाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसे लोगों का निर्माण करेंगे जो भगवान के जीव के नित्य सम्बंध को समझ पाएँगे। यह ऐसे लोगों का समुदाय होगा जिनका कभी भी विनाश नहीं होगा और भगवत प्रेरित किसी महान कार्य को सम्पन्न करने के लिए इनकी उपस्थिति सदा बनी रहेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि वे वज्र के साथ निवास करेंगे। यहाँ वज्र शब्द अन्याय, अत्याचार और दुष्टता के दमन की शक्ति का प्रतीक है। अर्थात् कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसे लोगों का निर्माण करेगा जो समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध अपनी भगवत शक्ति के माध्यम से करेंगे और संसार एक शांतिधाम में परिणत होगा।

ब्रह्मचर्य के साथ स्वदेश सेवा की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदू आध्यात्मिक चिंतन में स्वदेश को भी ब्रह्म का स्वरूप में ही देखा गया है। एक जिज्ञासु ने जब श्री श्री बाबामणि से यह पूछा कि स्वदेश की सेवा के माध्यम से क्या ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो सकती है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (श्री श्री बाबामणि) ने जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है "क्यों नहीं किया जा सकता है ? अगर प्रेम के माध्यम से स्वदेश की सेवा की जाए तो सारे अब्रह्मचर्य स्वयं ही दूर जाते हैं। स्वयमेव चित्त की शुद्धि होती है। प्रेम प्रेम मानवता प्रदान करती है। जिस प्रकार से देश की सेवा करने से तुम्हारे प्रेम में वृद्धि होगी, यह जानकर रखो कि वहीं तुम्हारे ब्रह्मचर्य का सहायक है। प्रेम का क्या मतलब है ? आसक्ति नहीं। प्रेम का अर्थ स्वार्थ बुद्धिहीन अहेतुक अनुराग। देश की सेवा करना क्यों अच्छा लगता है जब इसका कारण नहीं खोज पाओगे तब यह जानो कि देश के प्रति प्रेम हो गया है। पहले ऐसा होगा कि तुम्हारे मन में देश सेवा की प्रवृत्ति किसी कारण को आधार बनाकर ही बनाकर ही जागेगा। किंतु देश-सेवा के साथ निः स्वार्थता का अनुशीलन करने की चेष्टा करने से देश के प्रति अहेतुक अनुराग का जन्म होगा, तभी जानोगे तुम्हारे देश-सेवा का व्रत सार्थक होने जा रहा है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी सुप्रतिष्ठित होने के मार्ग में आ गया। दिन-रात देश की मंगल कामना में स्वयं को व्यस्थ रखो, और रात में सोने का समय आने पर भगवान के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो"।<sup>5</sup>

आलोच्य गद्यांश के आधार पर यहीं कहा जा सकता है कि देश सेवा के माध्यम एक सेवक तो तभी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी जब उसके मन में स्वार्थ की भावना नहीं होगी। इस सेवा के माध्यम से किसी भी प्रकार की निजी लाभ की भावना नहीं होगी। मन में केवल यह भावना रहेगी कि इस देश की संतान होने के नाते इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही साथ देश की सेवा करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होना होगा।

आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस समय विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के प्रति मनुष्य हिंसक हो चुका है। चारों तरफ़ मार-काट और दंगे हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मचारी को दूसरी जातियों, धर्मों या पंथों के प्रति असहिष्णु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य हमें सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य और सहिष्णुता के विषय में बात करते हुए श्री श्री बाबामणि कहते हैं कि "विश्वग्रासिनी ऊँची आकांक्षा के साथ-साथ परमत में सहिष्णुता।" साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि "वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य का प्रमाण है"।<sup>6</sup>

आलोच्य गद्यांश में अन्य पंथों, मतों आदि के प्रति सहिष्णुता की भावना के साथ ही वीर्य धारण की शक्ति को भी ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक बताया गया है।

ब्रह्मचर्य आश्रम जातिभेद विषय में श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव (श्री श्री बाबामणि) से जब एक जिज्ञासु ने पूछा कि "क्या आप लोग आश्रम में जाति प्रथा को रखेंगे तो उन्होंने कहा कि "जातिभेद नहीं, श्रेणी भेद रखा जाएगा। ब्रह्मचारी और अब्रह्मचारी की श्रेणी"।<sup>7</sup>

निष्कर्ष :-

जाति अगर तपस्यपरायण और ब्रह्मचर्य परायण होगी तभी इस देश में देव मानव का आगमन होगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ है। स्कूलों, कालेजों के पाठ्यक्रम में याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि की पवित्र चरित गाथाओं को लागू करना चाहिए तब तथाकथित पुरुष वर्ग जो नारी समाज को हीन मानता है उसे भी इस बात का बोध होगा कि ज्ञान और योग्यता में नारी भी निकृष्ट नहीं है। मुझे यह भी लगता है कि जो पुरुष महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें हमारे समाज में दामाद आदर देना बंद करना चाहिए और मृत्यु दंड देना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के बारे में जिन विचारों को व्यक्त किया है हमें उस पर अमल करने का प्रयास करना

**संदर्भ :**  
होगा तभी देश का वास्तविक अभ्युदय होगा।

1. आलोच्य कथन में श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव ने ब्रह्मचर्य साधना के उपायों की बात की है। उनका यह दीर्घ कथन ॐ अखंड-संहिता अथवा श्री श्री अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वरूपानंद परमहंसदेव की उपदेश वाणी नामक पुस्तक के दूसरे खंड की पृष्ठ संख्या, 385, में वर्णित है। यह पुस्तक समय-समय पर अपने शिष्यों, भक्तों आदि को विभिन्न विषयों पर समय-समय पर दिए गए उपदेशों, विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों एवं लिखे गए पत्रों संकलन है। इस पुस्तक के कुल चौबीस खंड हैं। इस आलेख के लिए दूसरे खंड को आधार बनाया है।
2. उपरिवत, पृष्ठ संख्या, 160 आलोच्य पृष्ठ में उन्होंने ब्रह्मचर्य आंदोलन और कर्म के विषय में बताया है।
3. उपरिवत पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या, 161 और 162 ब्रह्मचर्य आश्रम कर्म-क्षेत्र है।
4. उपरिवत पृष्ठ संख्या, 162 और 163 मानव निर्माण की बात
5. वहीं पुस्तक, पृष्ठ संख्या, 82
6. उपरिवत, पृष्ठ संख्या, 385, सहिष्णुता
7. उपरिवत, पृष्ठ संख्या, 271

## भट्टनागेशरीत्या लक्षणातत्त्वविमर्शः



विदुषी बोल्ला

सहायकाचार्या, व्याकरणविभागः,  
श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेरालम्, गुजरातम्।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 29-37

Publication Issue :

September-October-2020

### शोध आलेख सार

वृत्तिस्त्रिधा शक्तिलक्षणाव्यञ्जनाश्च अत्र साहित्यिकाः, नैयायिकाः, मीमांसकाः, वेदान्तिनश्च लक्षणां स्वीकुर्वन्ति, किन्तु वैयाकरणैः लक्षणा न स्वीक्रियते। एतैस्तु 'शक्यतावच्छेदकारोप एव लक्षणा' इति मन्यते। शक्यावच्छेदकारोप इत्यत्र शक्यः अर्थात् शक्यता उपस्थापितः अर्थः, शक्यता शक्ये तिष्ठति, तस्याः अवच्छेदकः गङ्गात्वकाकत्वादिः, तस्याऽऽरोपः एव लक्षणा । यथा तीरे गङ्गात्वारोपः, दध्युपघातकमात्रे च काकत्वारोपः। तेन च तीरादीनां गङ्गादिना बोधो जायते। एवञ्च शक्यता एव लक्ष्यार्थबोधसत्त्वे तदर्थं पुनः अतिरिक्ततया लक्षणावृत्तेः स्वीकारः अनावश्यक एव। एवञ्च लक्षणायाः अभावे भाष्यप्रामाण्यात्, गौरवात्, अन्याय्यत्वाच्च वृत्त्यान्यतमत्वेन लक्षणा न स्वीकरणीया। अस्याः अभावे भाष्यप्रामाण्यन्तु 'सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः' इति वचनम्, अनेन लक्षणाभावेऽपि गङ्गापदेन तीरबोधो जायते । अत्र 'सति तात्पर्ये' इत्युक्तत्वात् वक्तुः तात्पर्ये सत्येव तदर्थः बुद्ध्यते, तस्मात् सर्वैः शब्दैः निखिलार्थाः न ज्ञायन्ते । अत्र भट्टपादस्तु शक्तेर्द्वैविध्यं मत्वा लक्षणायाः खण्डनं प्रदर्शितम् । तथा च शक्तिर्द्विधा प्रसिद्धाऽप्रसिद्धा च। तत्र मन्दान् आरभ्य तीक्ष्णं यावत् सर्वेषां बुद्धिद्वारा यस्यां शक्तौ वेद्यात्वं भवति, सा प्रसिद्धा शक्तिः, एवं सहृदयानां प्रशस्तमानसां बुद्ध्या एव वेद्यात्वं यत्र शक्तौ, सा अप्रसिद्धा शक्तिरिति कथ्यते । अस्याः लक्षणायाः मूलन्तु 'तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमे'वा अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य बीजत्वे तु 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ गङ्गापदार्थादेः तीराद्यर्थेष्विव घोषादिपदार्थादेः मकराद्यर्थेषु लक्षणापत्तिः स्यात्, एतादृश लक्षणायाऽपि अन्वयानुपपत्तेः परिहारसम्भवात्।

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

मुख्य शब्द — भट्टनागेशः, साहित्यिकाः, नैयायिकाः, मीमांसकाः, व्याकरणम्, लक्षणा।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेण नागेशेन वैयाकरणसिद्धान्तप्रतिपादिका नानादर्शनदर्शितमतमतान्तरखण्डनमण्डनपूर्वकं 'परे तु' इत्यनेन स्वमतप्रख्यापिका 'मञ्जूषात्रयी' व्यरचि । तस्या एवान्यतमा परमलघुमञ्जूषा शक्तिलक्षणानिरूपणादिचतुर्दश-प्रकरणघटिता सर्वत्रैवाध्ययनाध्यापनविषयत्वेन संसेव्यते ।

तत्र तावदादौ शाब्दबोधाय कार्यकारणभावं 'तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नप्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः, वैशिष्ट्यञ्च स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्य-स्वाश्रयपदविषयकत्वोभयसम्बन्धेनेति' प्रदर्श्य, अत्र कारणत्वेनोपस्थितवृत्तेः स्वरूपं प्रतिपादनावसरे लक्षणायाः स्वरूपं, तद्भेदाः, तद्विषयकमततान्तराणि, प्रमाणपूर्वकं तत्खण्डनञ्च विहितम् । मयाऽत्र लक्षणां बिन्दुशः विभज्य सङ्क्षेपरूपेण मञ्जूषानुगुणं प्रतिपाद्यते । बिन्दवस्तु –

### 1. लक्षणायाः प्रस्तावना

(1.1) तार्किकमते लक्षणा

(1.1.1) परिशीलनम्

(1.2) मीमांसकमते लक्षणा

(1.3) शाब्दिकमते लक्षणा

### 2. लक्षणाबीजम्

(2.1) तार्किकसम्मतम्

(2.2) मीमांसकमतम्

(2.3) शाब्दिकमतम्

### 3. लक्षणाभेदाः तदुदाहरणानि च

(3.1) परिशीलनम्

### 4. लक्षणायाः निमित्तानि

### 5. मञ्जूषाकारदिशा लक्षणायाः खण्डनम्

### 6. निष्कर्षः

### 1. लक्षणायाः प्रस्तावना

शाब्दबोधरूपे कार्ये वृत्तिज्ञानं कारणम् । वृत्तिश्च पदपदार्थसम्बन्धरूपा, सा च त्रिधा शक्तिलक्षणाव्यञ्जनारूपा च । अत्र साहित्यिकैः, नैयायिकैः, मीमांसकैः, वेदान्तिभिश्च लक्षणावृत्तिः मन्यते । किन्तु वैयाकरणैः शक्यतिरिक्तवृत्तिरूपा लक्षणा न स्वीक्रियते ।

### (1.1) तार्किकमते लक्षणा

नैयायिकमते लक्षणा 'स्वशक्यसम्बन्धो' वर्तते । अत्र स्वपदेन शक्तं पदं गृह्यते । शक्यः अर्थात् शक्यता उपस्थापितः अर्थः। तथाहि पदशक्यता उपस्थापितस्य अर्थस्य यः सादृश्यसामीप्यादिसम्बन्धः सः सम्बन्ध एव लक्षणापदार्थः। यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र शक्तपदं = गङ्गापदम्, गङ्गापदशक्यता उपस्थापितः अर्थः = भगीरथरथखातावच्छिन्नजलप्रवाहः, न च तत्राऽऽभीरपल्ली जलप्रवाहे स्थातुं शक्नोति । अतः वक्तुः तात्पर्योपपत्तये जलप्रवाहे तत्सम्बन्धे तीरे चेत्यनयोः लक्षणा = सामीप्यसम्बन्धः स्वीक्रियते । तथा लक्षणया (सम्बन्धेन) च सम्बद्धस्य बोधात् शैत्यपावनत्वादिविशिष्टीरवृत्तिः घोषः इत्याकारकबोधः।

### (1.1.1) परिशीलनम्

लक्षणायामलङ्कारिकाणां नैयायिकानाञ्च बोधे कश्चिद्भेदो वर्तते –

- अलङ्कारिकाः<sup>1</sup> – शक्यतावच्छेदकप्रकारको बोधः।
- नैयायिकाः – लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारको बोधः।

<sup>1</sup> मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ इति का० द्वितीयोल्लासे नवमकारिका ।

‘जाता लता हि शैले जातु लतायां न जायते शैलः।  
सम्प्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम् ॥

अत्र कनकलतायाम् अर्थात् नायिकायाम्, गिरिद्वयम् अर्थात् स्तनद्वयम् । आलङ्कारिकाः शक्यतावच्छेदक-लतात्वरूपेण नायिकाबोधं स्वीकुर्वन्ति, यतो लतात्वप्रकारकबोधे एव चमत्कारो, न तु स्त्रीत्वप्रकारकबोधे । नैयायिकास्तु लताया लक्ष्यः = स्त्रीविशेषः, तत्र या लक्ष्यता, तस्या अवच्छेदकं स्त्रीत्वम्, तादृशस्त्रीत्वरूपलक्ष्यतावच्छेदक-प्रकारकबोधमामन्ति ।

वस्तुतस्तु क्वचित् लक्षणायां शक्यतावच्छेदकप्रकारकबोधः, क्वचिच्च लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारकबोध उचितः। यथा –

‘कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचमण्डलं त्रस्यति ।

मध्याद् बिभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति’ ॥

अत्र कचस्य (केशस्य) राहौ, वदनस्य (मुखस्य) चन्द्रे, कुचमण्डलस्य चक्रवाके, मध्यभागस्य सिंहे, नयनस्य हरिणे, अधरस्य च प्रवाले (सद्योजातपल्लवे) लक्षणा । एवञ्च अत्र शक्यतावच्छेदककचत्वादिना लक्ष्यस्य राहादेः प्रतीतिः न तथा त्रासविशेषोत्पादिका, यथा लक्ष्यतावच्छेदकराहुत्वचन्द्रत्वादिना रूपेण प्रतीतिः त्रासजनिका ।

### (1.2) मीमांसकमते लक्षणा

नैयायिकमतेन शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति स्वीकारे शक्यताः पदे विद्यमानत्वात्<sup>2</sup> पदे एव लक्षणा सम्भवति, न तु वाक्ये, तत्र शक्तेः अभावात् । अतः ‘गभीरायां नद्यां घोषः’ इत्यादिस्थले गभीरायां नद्याम् इत्यादिखण्डवाक्यानां गम्भीरनदीतीराद्यर्थे लक्षणायै लक्षणान्तरं वक्ति – ‘स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा’ इति । अत्र स्वपदेन वाक्यं पदं वा गृह्यते, तस्य यः बोध्यः = बोधविषयः ज्ञाप्यः अर्थः, तस्य सम्बन्धः एव लक्षणा । यथा गभीरायां नद्यां घोषः इत्यत्र स्वम् = गम्भीरायां नद्याम् इति खण्डवाक्यम्, तद्बोध्यः अर्थः = गभीरत्वविशिष्टनदीवृत्तित्वरूपः, तादृशस्य वाक्यार्थस्य सामीप्यसम्बन्धरूपा लक्षणा गभीरनदीतीरवृत्तित्वरूपे । एवञ्च तादृशवाक्यात् गभीरनदीतीरवृत्तिर्घोषः इति बोधः। अत्र नैयायिकैः गभीरायां नद्यां घोषः इति वाक्ये नदीपदस्य एव गभीरनदीतीरे लक्षणा, गभीरपदन्तत्र तात्पर्यग्राहकमेवेति उच्यते, तन्न विनिगमनाविरहात्<sup>3</sup> अर्थात् नदीपदस्य लक्षणायां गभीरपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वम्, गभीरपदस्य लक्षणायां नदीपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वं वेत्यन्यतरपक्षे प्रमाणाभावात् । परं पदे लक्षणां स्वीकृत्य वाञ्छितार्थो न लभ्यत इति मीमांसकाः। अत्र गभीरनदीपदयोः सप्तम्यन्तत्वात् समानविभक्तिकत्वात् नामार्थयोः अभेदसम्बन्धेनैवान्वयः, यथा नीलो घटः इत्यत्र नीलाभिन्नो घटः। अत्र यद्यत्र पदे लक्षणा मन्यते तदा अभेदान्वयेन निम्नलिखितोऽनन्वितो बोधोऽप्यद्येत –

1. गभीरपदे लक्षणायाम् – (गभीर)तीराभिन्ना नदी तत्र घोषः इति बोधः स्यात् । स च असङ्गतः, तीरं नदी न भवति । तीरेण नदी भिन्ना एवास्ति, न त्वभिन्ना । नद्यामित्यनेन पदार्थेन लक्ष्यार्थस्य तीरस्य अभेदसम्बन्धेनान्वेतुं योग्यताऽभावात् अन्वयाभावरूपदोषापत्तिः<sup>4</sup>।
2. नदीपदे लक्षणायाम् – गभीराभिन्नं (नदी)तीरम्, तत्र घोष इति बोधः। नहि तीरं गभीरं भवति, अपितु नदी गभीरा भवति। अतः गभीरपदार्थस्य तीरपदार्थे अन्वयापत्तिः<sup>5</sup>।
3. प्रत्येकं पदद्वये तीरे लक्षणायाम् – गभीरतीराभिन्नं यन्नदीतीरं तत्र घोषः इति बोध इत्यप्यनुचितः। यतो हि विशिष्टनदीबोधस्यानापत्तिः स्यादर्थात् गभीराभिन्ना या नदी तत्तीरे घोषः इति गभीरपदार्थेन अभेदेनान्वितस्य नदीपदार्थस्य बोधो न स्यात्<sup>6</sup> । गभीरायां नद्यामिति वाक्यात् गभीरत्वविशिष्टनदीबोध एव इष्टः, स च एकस्योभयस्य वा पदस्य लक्षणायां न सम्भवः। उपर्युक्ताभिरापत्तिभिः ‘गभीरायां नद्याम्’ इत्यादिखण्डवाक्येन गभीरत्वविशिष्टनदीपदार्थो बोध्यते, तस्य सामीप्यसम्बन्धः लक्षणेति मीमांसकमतम् ।

### (1.3) शाब्दिकमते लक्षणा

<sup>2</sup> शक्तं पदम्

<sup>3</sup> अन्यतरपक्षपातिनी युक्तिः विनिगमना(प्रमाणविशेषः), तस्याः विरहः अर्थात् अभावः।

<sup>4</sup> न तावद् गभीरपदं तीरलक्षकं, नद्यामित्यनन्वयापत्तेरिति, प०ल०म० पृ०स०-269, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>5</sup> अत एव न नदीपदेऽपि, गभीरपदार्थानन्वयादिति, प०ल०म० पृ०स०-269, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>6</sup> न च प्रत्येकं पदद्वये सा, विशिष्टनदीबोधानापत्तेरिति, प०ल०म० पृ०स०-269, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

वैयाकरणैः अतिरिक्तवृत्तिरूपा लक्षणा न स्वीक्रियते । एतैस्तु शक्यतावच्छेदकारोप एव लक्षणा इति मन्यते । शक्यावच्छेदकारोप इत्यत्र शक्यः अर्थात् शक्त्या उपस्थापितः अर्थः, शक्यता शक्ये तिष्ठति, तस्याः अवच्छेदकः गङ्गात्वकाकत्वादिः, तस्याऽऽरोपः एव लक्षणा । यथा तीरे गङ्गात्वारोपः, दध्युपघातकमात्रे च काकत्वारोपः। तेन च तीरादीनां गङ्गादिना बोधो जायते । एवञ्च शक्या एव लक्ष्यार्थबोधसत्त्वे तदर्थं पुनः अतिरिक्ततया लक्षणावृत्तेः स्वीकारः अनावश्यक एव ।

## 2. लक्षणाबीजम्

लक्षणायाः बीजं किमिति शङ्कायां मतद्वयं प्रसिद्धम् –

- मीमांसकाः – अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम् ।
- नैयायिकशाब्दिकाश्च – तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम् ।

### (2.1) मीमांसकमतम्

‘अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमे’व लक्षणायाः बीजमिति मीमांसकैः स्वीक्रियते । यतो हि वक्तुरिच्छा तात्पर्यम् । वेदस्य अपौरुषेयत्वात् कश्चिद् वक्ता एव नास्ति । अतः मीमांसकाः अन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजम्, तात्पर्यानुपपत्तेः लक्षणाबीजत्वस्वीकारे वेदे तात्पर्याभावाद् वेदार्थबोधो न स्यादिति वदन्ति । एवञ्च ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र गङ्गापदात् जलप्रवाहरूपः, घोषपदाच्च आभीरपल्लीरूपः शक्यार्थो उपस्थितौ, तयोः शक्यार्थयोः जलप्रवाहाभीरपल्ल्योः परस्परमन्वयः, आभीरपल्ल्याः जलप्रवाहे आधारत्वायोग्यत्वादन्ययानुपपत्तिज्ञानं = आभीरपल्ली न जलप्रवाहवृत्तिरिति ज्ञानम्, ततश्च वाक्यार्थबोधाभावः। वाक्यार्थबोधाय च शक्यार्थजलप्रवाहस्य तीरेण सह स्वशक्यसम्बन्धरूपसामीप्यसम्बन्धज्ञानं, तेन तीरस्योपस्थितिर्भवति । तस्मिन् उपस्थिते तीरे आभीरपल्ल्याः अन्वययोग्यतासत्त्वात्, गङ्गातीरे घोषः इति शाब्दबोधो जायते । तथाहि लक्षणायां क्रमः – प्रथमं शक्यार्थज्ञानम्, ततः अन्वयबाधः, ततः वाक्यार्थबोधाभावः, ततः शक्यार्थसम्बन्धानुसन्धानम्, ततः लक्ष्यार्थतीरस्य बोधः।

### (2.2) नैयायिकमतम्

वस्तुतः ‘तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमे’व लक्षणाबीजम् । अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य बीजत्वे तु ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ गङ्गापदार्थादेः तीराद्यर्थेष्विव घोषादिपदार्थादेः मकराद्यर्थेषु लक्षणापत्तिः। यतो हि एतादृश लक्षणायाऽपि अन्वयानुपपत्तेः परिहारः सम्भवति । अपि च ‘गङ्गायां पापी गच्छती’त्यादौ गङ्गापदस्य नरके लक्षणाया पापिनः गङ्गायाम् अर्थात् नरकेऽन्वयोपपत्तिः स्यात् । किन्तु तात्पर्यानुपपत्तेः बीजत्वेन स्वीकारे पापिपदस्य भूतपूर्वपापयुक्ते लक्षकत्वे न गङ्गापदस्य नरकार्थरूपदोषः स्यात् । कथन्तु एतद्वाक्यप्रयोगे पूर्वजन्मनि कृतं पापमपनेतुं जनः स्नानाय गङ्गायां गच्छतीति तात्पर्यमस्ति । अस्यार्थस्य लाभोऽन्वयानुपपत्तिबीजेन गङ्गापदस्य नरके लक्षणायां न सम्भवः। अपि च, लक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेदित्यत्रान्वये सुलभे अन्वयानुपपत्तिरूपं बीजं नास्ति, तथापि लक्षणा सर्वैः स्वीक्रियते । तात्पर्यानुपपत्तिबीजग्रहणादेव रात्रिकाले मौनमाचरेदिति तात्पर्यम् । अतः नक्षत्रस्य शक्यार्थेन तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षत्रपदस्य नक्षत्रदर्शनयोग्यकाले लक्षणा क्रियते । एवं सर्वत्र तात्पर्यानुपपत्त्या एकस्यानुगमकस्य स्वीकारेणैव निर्वाहसम्भवेऽन्वयाद्यनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्यावश्यकता नास्ति । मीमांसकमतेऽपि वक्तुरभावादपि वेदे मन्त्राणां प्रकरणादिना तात्पर्यग्रहसम्भवाद्भक्तुरनपेक्षया लक्षणा सम्भवैव ।

### (2.3) शाब्दिकमतम्

शाब्दिकमतेऽपि ‘तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमे’व लक्षणायाः ज्ञापकं वर्तते । अस्य निरूपणं पूर्वमेव कृतम् ।

## 3. लक्षणाभेदाः

शक्यसम्बन्धरूपायाः लक्षणायाः नानाभेदाः<sup>7</sup> सन्ति । यथा - गौणीलक्षणा-शुद्धालक्षणा-अजहत्स्वार्था-जहत्स्वार्था-जहदजल्लक्षणा-लक्षितलक्षणा-निरूढलक्षणा-प्रयोजनवती-स्वारसिकलक्षणा चेत्यादयः ।

**गौणीलक्षणा** - गुणात् आगता गौणी लक्षणा । शक्यार्थस्य क्रौर्यजाड्यमान्द्यादिगुणरूपं यत् सादृश्यं तद्रूपः सम्बन्धो गौणी लक्षणा । तदेवोक्तं मञ्जूषायाम् - स्वनिरूपितसादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धर्थप्रतिपादिका गौणी<sup>8</sup> । अस्य समन्वयस्तु - स्वः = पदशक्यः, तेन निरूपितं = सम्बन्धि, यत् सादृश्यम् = सदृशे विद्यमानं क्रौर्यादिरूपम्, तस्याधिकरणत्वसम्बन्धेन = अनुयोगित्वसम्बन्धेन (सादृश्यं यत्र तिष्ठति, तत् सादृश्याधिकरणं सादृश्यानुयोगि वेति कथ्यते) शक्यसम्बन्धार्थः तत्प्रतिपादिका गौणीलक्षणा वर्तते । एवञ्च शक्यार्थसम्बन्धिक्रौर्यादिगुणरूपसादृश्या-नुयोगित्वसम्बन्धेन शक्यार्थसम्बन्धार्थप्रतिपादिका गौणी कथ्यते । यथा सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंहपदशक्यः केसरी, तत्क्रौर्यरूपसादृश्यानुयोगित्वं माणवके विज्ञाय सिंहपदस्य शक्यार्थसम्बन्धोऽर्थः सिंहसादृश्यविशिष्टः सिंहसदृशः अर्थः, तस्य प्रतिपादिका गौणी । अत्र सिंहे माणवके च विद्यमानो यः सादृश्यसम्बन्धः (गौणीलक्षणारूपः) सः सम्बन्धस्य सिंहसदृशस्यार्थस्य प्रतिपादको विद्यते ।

**शुद्धालक्षणा** - सादृश्यसम्बन्धातिरिक्तसामीप्यादिसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धार्थप्रतिपादिका शुद्धा<sup>9</sup> । यथा - 'गङ्गायां घोष' इत्यत्र गङ्गापदशक्यार्थभगीरथरथखातावच्छिन्नजलप्रवाहसामीप्यानुगोत्वं तीरे विज्ञाय गङ्गासामीप्यविशिष्टस्य तीरस्यार्थस्य प्रतिपादिका शुद्धालक्षणा ।

तथाहि सादृश्यसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धार्थप्रतिपादिका गौणी, सामीप्यादिसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धार्थप्रतिपादिका शुद्धा लक्षणोति पर्यवस्यति ।

**जहत्स्वार्था** - जहति = परित्यजन्ति स्वानि = पदानि यम् = अर्थम्, सः जहत्स्वः। जहत्स्वः (पदकर्तृकत्याग-कर्मीभूतः) अर्थो यस्यां लक्षणायां सा जहत्स्वार्था लक्षणा । तदेवोक्तं मञ्जूषायाम् - स्वार्थपरित्यागेनेतरार्थाभिधायिका-ऽन्त्येति<sup>10</sup> । स्वार्थः = शक्यार्थः, तस्य परित्यागेन = शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थान्वयिना अनन्वयित्वेन इतरार्थस्य = अन्यार्थस्य, प्रतिपादिका जहत्स्वार्था लक्षणा । यथा गां वाहीकं पाठय इत्यत्र शक्यार्थस्य = सास्नादिमतः गोपदार्थस्य, लक्ष्यार्थगोसदृशवाहीकस्य, अन्वयिना = पाठनेन, अनन्वयित्वात् = अन्वयाभावात्, तथा च स्वार्थत्यागात् इतरार्थस्य = गोसदृशस्य प्रतिपादिकात्वात् जहत्स्वार्था । अत्र गोः वाहीकस्य च जाड्यमान्द्यादिरूपः सादृश्यसम्बन्धः। वाहीके गोगतजाड्यमान्द्यादिप्रतीतिः प्रयोजनम् ।

**अजहत्स्वार्था** - न जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्थेति । उक्तञ्च मञ्जूषायाम् - स्वार्थसंवलितपरार्थाभिधायिका-ऽजहत्स्वार्थेति ।<sup>11</sup> शक्यार्थेन सहितः यो लक्ष्यार्थः, तस्य प्रतिपादिकाऽजहत्स्वार्था लक्षणा । एवञ्च शक्यार्थस्याऽपरित्यागेन यत्र शक्यसम्बन्धिऽन्त्यस्याऽर्थस्य बोधः, तत्राऽजहत्स्वार्था लक्षणोच्यते । शक्यार्थस्याऽपरित्यागोऽर्थात् शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य चोभयसाधारणेन केनचित् रूपेण लक्ष्यार्थस्य सम्बन्धिना सम्बन्धः। यथा - छत्रिणो यान्तीत्यत्र शक्यार्थः = छत्रीति, लक्ष्यार्थः = छत्र्यच्छत्रिसमुदायः सेनारूपस्तयोः एकसार्थवाहित्वं = एकसाहचर्यं सम्बन्धः, असौ सम्बन्ध एवाऽजहत्स्वार्था लक्षणा । एवञ्च छत्र्यच्छत्रिसमुदाये नाम उभयविधसेनार्थे छत्रिपदस्य लक्षणा । एवमेव कुन्तान् प्रवेशय इत्यत्र कुन्तधारिणः कुन्तनिष्ठतीक्ष्णतया प्रवेशयेत्यर्थः। एवञ्च यष्टीः प्रवेशय इत्यत्र यष्टिसंयुक्तपुरुषान् प्रवेशयेत्यर्थः। तथा च काकेभ्यो दधि रक्षयतामित्यत्र काकसहितसर्वदध्युपघातकेभ्यः दधि रक्षयतामित्यर्थः।

**जहदजल्लक्षणा** - वेदान्तिनः जहदजल्लक्षणा इति लक्षणायास्तृतीयं भेदमपि स्वीकुर्वन्ति । विशिष्टार्थबोधके शब्दे यदि विशिष्टार्थस्य एकस्मिन्शे लक्षणा क्रियते, तदा जहदजल्लक्षणा<sup>12</sup> भवति । यथा विशिष्टार्थबोधकः ग्रामशब्दः, पटशब्दश्च । ग्रामशब्दस्य शालासमुदायः, पटशब्दस्य च तन्तुसमूहः विशिष्टार्थः। तस्य विशिष्टार्थबोधकशब्दस्य पदार्थैकदेशेऽर्थात् ग्रामावयवे कतिपयशालासमुदाये, एवमेव पटावयवे कतिपयतन्तुसमूहे लक्षणायां ग्रामैकदेशे दधे ग्रामो दग्धः, पटैकदेशे च दधे पटो दग्ध इति व्यवह्रियते । तथा च याः शालाः दग्धाः, याश्चाऽदग्धाः तत्र स्वार्थग्रहणं स्वार्थपरित्यागश्च क्रियते । इयं वेदेऽपि प्रसिद्धा । छान्दोग्योपनिषदि 'तत्त्वमसि' इति वाक्ये तत्पदे त्वम्पदे च जहदजल्लक्षणा वर्तते । अत्र तत्पदं त्वम्पदञ्च विशिष्टार्थबोधकम् । तत्पदस्य विशिष्टार्थः = सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम्, त्वम्पदस्य च विशिष्टार्थः = अल्पज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यमिति । अत्र पदार्थैकदेशः = चैतन्यम्, तस्मिन् चैतन्यरूपे पदार्थैकदेशे लक्षणा क्रियते । तथाहि विशिष्टार्थे 'सर्वज्ञत्वादि' 'अल्पज्ञत्वादि' इति किञ्चिदंशः

<sup>7</sup> साहित्यदर्पणे लक्षणायाः षोडशभेदाः उक्ताः, उदाहृताश्च । तत्र शुद्धाया अष्टौ, गौण्यास्तावन्त एवेति अष्टद्वैगुण्यात् षोडशेति ।

<sup>8</sup> प.ल.म. पृ.सं.-255, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>9</sup> तदतिरिक्तसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धर्थप्रतिपादिका शुद्धा, प.ल.म. पृ.सं.-255, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>10</sup> प.ल.म. पृ.सं.-255, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>11</sup> प.ल.म. पृ.सं.-255, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>12</sup> वाच्यार्थे किञ्चिदंशत्यागः किञ्चिदंशपरिग्रहश्चेति, प.ल.म. पृ.सं.-265, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

परित्यज्यते, चैतन्यमिति किञ्चिदंशश्च गृह्यते । अनया लक्षणया च 'तत्त्वमसि' इति वाक्येन जीवब्रह्मणोः अभेदसम्बन्धः अर्थात् ऐक्यं प्रतिपाद्यते । इयं जहदजहल्लक्षणा पदार्थस्यैकभागे भवत्यतः 'भागलक्षणा'ऽप्युच्यते ।

**निरूढलक्षणा** – प्रयोजनाभावे अर्थात् अर्थविशेषप्रतीत्यभावे शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थेन सह यः सम्बन्धः, सः निरूढलक्षणेति । यथा त्वचा ज्ञातम् इत्यादिलाक्षणिकप्रयोगे ज्ञातम् इति पदस्य समीपोच्चारणात् त्वक्छब्दस्य ज्ञानसाधने त्वगिन्द्रिये निरूढलक्षणा । अत्र शक्यार्थस्य चर्मरूपस्य ज्ञानसाधनत्वे बाधात् । तदेवं बाधज्ञानपूर्वकः यदि इन्द्रियार्थलाभः, तदा त्वचा ज्ञातमित्यत्र इन्द्रियार्थे निरूढलक्षणा । यदि प्रसिद्ध्यैव त्वक्पदेन त्वगिन्द्रियबोधः, तदा इन्द्रिये रूढशक्तिः एव, रूढिरर्थात् प्रसिद्धिः । इयं निरूढलक्षणा, रूढिशक्तिश्च साम्यार्थमेव बोधयति, अतः पर्यायत्वं<sup>13</sup> द्वयोः । एवञ्च सति बाधज्ञाने निरूढलक्षणा, असति बाधज्ञाने च रूढिशक्तिः इति विशेषः ।

**प्रयोजनवती** – यस्यां लक्षणयाञ्च किमपि प्रयोजनं विशेषार्थप्रतिपत्तिरूपं फलं भवति, सा प्रयोजनवती लक्षणेति । यथा – गङ्गायां घोषः इत्यत्र तटे गङ्गास्थितशैत्यपावनत्वादिबोधः प्रयोजनम् । एतादृशश्च बोधः गङ्गातीरे घोष इति वाक्येनालभ्यः, तादृशबोधलाभाय लक्षणाऽत्र प्रयोजनवती । गोः वाहीकेऽभेदप्रत्ययः प्रयोजनम् । गोसदृशो वाहीक इत्यर्थः । कुन्ताः प्रविशन्त्यत्र भयात् आत्मपरित्राणार्थं पलायमानस्य जनस्य आत्मीयान् प्रति कथनमिदम् । अत्र कुन्ताः इत्यस्य कुन्तसंयुक्ताः इत्यर्थो लक्षणा बुध्यते । कुन्तगततैक्ष्ण्यस्य (आशुतया प्राणघातकत्वस्य) कुन्तसंयुक्तपुरुषे प्रतीतिरेवात्र प्रयोजनम् । एताः प्रयोजनरूपाः प्रतीतयः व्यञ्जनावृत्त्या, लक्षणावृत्त्या तु लक्ष्यार्थमात्रस्य तीरादिरेव बुद्ध्यते ।

**लक्षितलक्षणा** - शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धो लक्षितलक्षणेति नैयायिकाः । द्विरेफौ रौतैत्यत्र परम्परासम्बन्धेन स्वशक्यघटितपदवाच्यत्वसम्बन्धेन द्विरेफपदस्य भ्रमरे लक्षणया भ्रमरो रौतैति बोधो जायते । तथाहि स्वं द्विरेफपदम्, तस्य शक्यं रेफद्वयम्, तद्वटितं पदं भ्रमरपदम्, तद्वाच्यत्वं भ्रमरे इति परम्परासम्बन्धोऽत्र निर्वहति । इदमेवोच्यते – द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्यभ्रमरशब्दवाच्यार्थे लक्षणा भवति । स्वं द्विरेफपदम्, तस्य लक्ष्योऽर्थात् लक्षणया बोधितो यो भ्रमरशब्दस्तस्य (लक्षितस्य) वाच्यार्थे जन्तुविशेषे लक्षणायां सत्यां लक्षितलक्षणा (लक्षितस्य लक्षणा) इति तार्किकैः व्यवहियते । तथाह्यत्र लक्षणाद्वयी । द्विरेफपदस्य लक्षणा भ्रमरपदे, लक्षितस्य भ्रमरपदस्य च लक्षणा भ्रमरेऽर्थे इति बोद्ध्यम् । अत्र लक्षकस्य द्विरेफस्य, लक्ष्यार्थस्य भ्रमरस्य च मध्ये कीदृशः सम्बन्धः (लक्षणा) इति जिज्ञासायां मूले उच्यते – 'स्वबोध्यपदवाच्यत्वं सम्बन्धः'<sup>14</sup> इति । स्वबोध्यपदम् अर्थात् स्वशक्यघटितपदम् । स्वं द्विरेफपदम्, तस्य शक्यं रेफद्वयम्, तद्बोध्यम् अर्थात् तद्वटितं भ्रमरपदम्, तद्वाच्यत्वं भ्रमररूपेऽर्थे विद्यते ।

### (3.1) परिशीलनम्

लक्षणायाः इमान् भेदान् एवं विभक्तुं शक्यते –

सम्बन्धदृष्ट्या	1. गौणी लक्षणा – सिंहो माणवकः ।
	2. शुद्धा लक्षणा – गङ्गायां घोषः ।
शक्यार्थन्वयदृष्ट्या	3. अजहत्स्वार्था लक्षणा – छत्रिणो यान्ति ।
	4. जहत्स्वार्था लक्षणा – गां पाठय ।
	5. जहदजहल्लक्षणा – ग्रामो दग्धः ।

<sup>13</sup> इयं तु शक्यपरपर्यायैवेति बोध्यमिति, प.ल.म. पृ.सं.-275, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>14</sup> प.ल.म. पृ.सं.-271, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

प्रयोजनदृष्ट्या	6. निरूढलक्षणा – त्वचा ज्ञातम् ।
	7. प्रयोजनवती लक्षणा – गौर्वाहीकः।
लक्षितपदेन लक्ष्यार्थबोधात्	8. लक्षितलक्षणा – द्विरेफः।
सम्बन्धपञ्चकमाधृत्य	9. तात्स्थ्यलक्षणा – मञ्चा हसन्ति ।
	10. ताद्धर्म्यलक्षणा – सिंहो माणवकः।
	11. तत्सामीप्यलक्षणा – गङ्गायां घोषः।
	12. तत्साहचर्यलक्षणा – यष्टीः प्रवेशाय ।
	13. तादर्थ्यलक्षणा – स्थूणा इन्द्रः।

#### 4. लक्षणायाः निमित्तानि

अर्थविशेषे शक्यसम्बन्धात्मिका लक्षणा तात्स्थ्य-ताद्धर्म्य-तत्सामीप्य-तत्साहचर्य-तादर्थ्यरूपकारणैः पञ्चविधा, अत्र सर्वत्र तत्पदेन शक्यार्थो गृह्यते । तदेवोक्तं भट्टनागेशेन मञ्जूषायाम् – सा च लक्षणा तात्स्थ्यादिनिमित्तिका । तदाह –

तात्स्थ्यात्तथैव ताद्धर्म्यात्तत्सामीप्यात्तथैव च ।

तत्साहचर्यात्तादर्थ्याज्ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः॥ इति<sup>15</sup> ।

**तात्स्थ्यात्** - तात्स्थ्यारूपनिमित्तात् जायमानलक्षणायाः उदाहरणम् – मञ्चाः हसन्ति, ग्रामः पलायिताः। अत्र मञ्चस्थत्वनिमित्तेन मञ्चपदस्य मञ्चस्थेषु बालकेषु लक्षणया मञ्चस्थाः बालकाः हसन्तीति बोधः। तथैव ग्रामस्थत्वनिमित्तेन ग्रामपदस्य ग्रामस्थे लक्षणया ग्रामस्थो जनः पलायित इति बोधः।

**ताद्धर्म्यात्** – ताद्धर्म्यरूपहेतोरुदाहरणम् – सिंहो माणवकः, गौर्वाहीकश्चेति । अत्र सिंहवृत्तिशौर्यादिधर्मस्य माणवके, गोवृत्तिजाड्यमान्द्यादिधर्मस्य च वाहीके विद्यमानत्वात् सिंहपदं सिंहसदृशस्यार्थात् सिंहवृत्तिशौर्यादिमान् इत्यस्य, गोपदञ्च गोसदृशस्याऽर्थात् गोवृत्तिजाड्यमान्द्यादिमान् इत्यस्य बोधको लक्षणया ।

**तत्सामीप्यात्** – तत्सामीप्यहेतोरुदाहरणम् – गङ्गायां घोष इति । अत्र गङ्गापदं सामीप्यसम्बन्धेन तीरस्य बोधकम् ।

**तत्साहचर्यात्** – तत्साहचर्यस्योदाहरणम् – यष्टीः प्रवेशाय इति । अत्र यष्टिपदं साहचर्यसम्बन्धेन यष्टिधरस्य बोधकम् ।

**तादर्थ्यात्** – तादर्थ्यस्योदाहरणम् – इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्र इति । इन्द्रस्य कृते इन्द्रमुद्दिश्य यागाय पशुबन्धनकृते या स्थूणा यज्ञस्य स्तम्भः सः इन्द्रः अर्थात् इन्द्रोपकारको भवति । अत्र इन्द्रपदस्य इन्द्रोपकारके लक्षणा, उपकारकत्वात् । तेन इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रोपकारिकेत्यर्थः।

#### 5. लक्षणाखण्डनम्

वैयाकरणमते वृत्तिद्विधा – शक्तिव्यञ्जनान्यतररूपैव । लक्षणा तु हेतुत्रयात् न स्वीक्रियते, ते – लक्षणायाः अभावे भाष्यप्रामाण्यम्, गौरवम्, अन्याय्यत्वञ्च । **लक्षणायाः अभावे भाष्यप्रामाण्यात्**– भाष्य उक्तम् – ‘सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः’ इति । यदि वक्तुः तात्पर्यं भवेत्, तर्हि

<sup>15</sup> प.ल.म. पृ.सं.-260, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

सर्वे वाचकाः (शक्ताः) शब्दाः सर्वार्थस्य शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च बोधकाः भवन्तीति, एतेन भाष्येण लक्षणायाः अभावः सूच्यते, शक्तस्यैव लक्ष्यार्थस्याऽपि बोधकत्वात् । **गौरवात्** – लक्षणास्वीकारे शाब्दबोधं प्रति शक्तिजन्योपस्थितेः लक्षणाजन्योपस्थितेश्च कारणत्वं वाच्यम् । तथा च कार्यकारणभावद्वयस्य कल्पने गौरवं स्यात् । तथा च लक्षणायाः स्वीकारे च तदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तदर्थनिरूपिततत्पदनिष्ठलक्षणाज्ञानं तदधीनतदर्थोपस्थितिश्च कारणमित्यतिरिक्तकार्यकारणभावः कल्पनीय इति गौरवम् । एवञ्च शक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदिका वृत्तिः शक्तिः, लक्षणाज्ञानाधीनोपस्थितिनिष्ठ-कारणतायाः अवच्छेदिका वृत्तिः लक्षणोति, अतः वृत्तिद्वये अर्थात् शक्तिवृत्तौ लक्षणावृत्तौ चोपस्थितिनिष्ठकारणता-वच्छेदकत्वद्वयस्य कल्पनापत्त्या गौरवम् । **अन्याय्यत्वात्** – ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ पूर्वोपस्थितत्वात् अन्तरङ्गस्य, लघुस्वरूपस्य च शक्तिरूपसम्बन्धस्य वृत्तित्वकल्पनापेक्षया पश्चादुपस्थितायाः बहिरङ्गायाः, गुरुभूतायाः (शक्तिसम्बन्धघटितसम्बन्धस्य) शक्यसम्बन्धरूपायाः लक्षणायाः वृत्तित्वकल्पनायाः अनुचितत्वम् ।

लक्षणायाः अस्वीकारे ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ गङ्गादिपदात् लक्ष्यार्थस्य तीरादेः भानन्तु ‘सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः’ इति भाष्याशयात् गङ्गादिपदात् शक्त्या एव तीरादिः बोध्यते । एवञ्च गङ्गादिपदे विलक्षणजलप्रवाहादिनिरूपिता, तीरादिनिरूपिता च शक्तिः तिष्ठति । यत्र यादृशं तात्पर्यं तत्र तादृशार्थस्य बोधः। तथा च शक्तिर्द्विविधा – प्रसिद्धा शक्तिः, अप्रसिद्धा शक्तिश्चेति ।

**प्रसिद्धा शक्तिः** – ‘आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्’<sup>16</sup> । मन्दान् आरभ्य तीक्ष्णं यावत् सर्वेषां बुद्धिद्वारा यस्यां शक्तौ वेद्यात्वं ज्ञेयता भवति, सा प्रसिद्धा शक्तिरुच्यते ।

**अप्रसिद्धा शक्तिः** – ‘सहृदयहृदयमात्रवेद्यात्वमप्रसिद्धात्वम्’<sup>17</sup> । सहृदयानां बुद्ध्या एव वेद्यात्वं यत्र शक्तौ, सा अप्रसिद्धा शक्तिः कथ्यते । तदेवं विदुषां कृते एव गङ्गादिपदात् तीरादिलक्ष्यार्थबोधः शक्त्या जायते इति भावः। तथाहि लक्षणया यो बोधस्तस्य शक्त्यैव सम्भवे लक्षणायाः अस्वीकारे न कोऽप्यनुपपत्तिविषयः।

ननु ‘सर्वे सर्वार्थवाचकाः’ इति भाष्यवचनानुसारं घटपदात् पटपदार्थस्याऽपि ज्ञानं भवतीति न शङ्क्यम्, तात्पर्ये सत्येव सर्वे शब्दाः सर्वेषाम् अर्थानां वाचकाः भवन्तीति भाष्यकारवचनम् । तथा च घटशब्दे पटपदार्थतात्पर्याभावात् न घटात् पटबोधः। वक्तुरिच्छायास्तात्पर्येण वक्तृणां वैविध्यात् गौरवापत्त्याऽत्र ईश्वरकृतं तात्पर्यं गृह्यते । ईश्वरकृतस्य तात्पर्यस्यास्मदादीनां लाभस्तु देवतानां, महर्षीणां, लोके वृद्धानाञ्च परम्परया सततव्यवहारेण ऐश्वरस्य तात्पर्यस्य लब्धुं शक्यत्वात् ।

## 5. निष्कर्षः

वृत्तिस्त्रिधा शक्तिलक्षणाव्यञ्जनाश्च । अत्र साहित्यिकाः, नैयायिकाः, मीमांसकाः, वेदान्तिनश्च लक्षणां स्वीकुर्वन्ति, किन्तु वैयाकरणैः लक्षणा न स्वीक्रियते । एतैस्तु ‘शक्यतावच्छेदकारोप एव लक्षणा’ इति मन्यते । शक्यतावच्छेदकारोप इत्यत्र शक्यः अर्थात् शक्त्या उपस्थापितः अर्थः, शक्यता शक्ये तिष्ठति, तस्याः अवच्छेदकः गङ्गात्वकाकत्वादिः, तस्याऽऽरोपः एव लक्षणा । यथा तीरे गङ्गात्वारोपः, दध्युपघातकमात्रे च काकत्वारोपः। तेन च तीरादीनां गङ्गादिना बोधो जायते । एवञ्च शक्त्या एव लक्ष्यार्थबोधसत्त्वे तदर्थं पुनः अतिरिक्ततया लक्षणावृत्तेः स्वीकारः अनावश्यक एव । एवञ्च लक्षणायाः अभावे भाष्यप्रामाण्यात्, गौरवात्, अन्याय्यत्वाच्च वृत्त्यान्यतमत्वेन लक्षणा न स्वीकरणीया । अस्याः अभावे भाष्यप्रामाण्यन्तु ‘सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः’ इति वचनम्, अनेन लक्षणाभावेऽपि गङ्गापदेन तीरबोधो जायते । अत्र ‘सति तात्पर्ये’ इत्युक्तत्वात् वक्तुः तात्पर्ये सत्येव तदर्थः बुद्ध्यते, तस्मात् सर्वैः शब्दैः निखिलार्थाः न ज्ञायन्ते । अत्र भट्टपादस्तु शक्तेर्द्वैविध्यं मत्वा लक्षणायाः खण्डनं प्रदर्शितम् । तथा च शक्तिर्द्विधा प्रसिद्धाऽप्रसिद्धा च । तत्र मन्दान् आरभ्य तीक्ष्णं यावत् सर्वेषां बुद्धिद्वारा यस्यां शक्तौ वेद्यात्वं भवति, सा प्रसिद्धा शक्तिः, एवं सहृदयानां प्रशस्तमानसां बुद्ध्या एव वेद्यात्वं यत्र शक्तौ, सा अप्रसिद्धा शक्तिरिति कथ्यते । अस्याः लक्षणायाः मूलन्तु ‘तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमे’व ।

<sup>16</sup> प०ल०म० पृ०स०-283, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

<sup>17</sup> प०ल०म० पृ०स०-283, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य बीजत्वे तु 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ गङ्गापदार्थादेः तीराद्यर्थेष्विव घोषादिपदार्थादेः मकराद्यर्थेषु लक्षणापत्तिः स्यात्, एतादृश लक्षणयाऽपि अन्वयानुपपत्तेः परिहारसम्भवात्।

### सहायकग्रन्थसूची

1. साहित्यदर्पणः, श्रीविश्वनाथाचार्यः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 2013
2. काव्यप्रकाशः, श्रीमम्मटाचार्यः, सम्पादकः - डा. नरेन्द्रः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, षष्ठसंस्करणम्, 2010
3. प्रौढनिबन्धसौरभम्, आचार्यविश्वनाथमिश्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसाहित्यकेन्द्रम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2003
4. मीमांसायां काव्यशास्त्रे च शब्दशक्तिः, विरूपाक्ष वि० जङ्गीपाल्, अमरग्रन्थपब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथमसंस्करणम्, 2002
5. शब्दशक्तिप्रकाशिकासमीक्षणम्, डा. विष्णुपदमाहापात्रः, मान्यताप्रकाशनम्, मायापुरी, प्रथमसंस्करणम्, 2005
1. 6. वैयाकरणानामन्येषाञ्च मतेन शब्दस्वरूपतच्छक्तिविचारः, डा. कालिकाप्रसादशुक्लः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 2001
6. परमलघुमञ्जूषा, श्रीनागेशभट्टः, व्याख्याकारः - प्रो. बोधकुमारझाः, हंसाप्रकाशन, जयपुर, प्रथमसंस्करणम्, 2018
7. परमलघुमञ्जूषा, श्रीनागेशभट्टः, व्याख्याकारः - डा. जयशङ्करलालत्रिपाठी, चौखम्बाकृष्णदासअकादमी, वाराणसी, चतुर्थसंस्करणम्, 2011
8. तत्त्वचिन्तामणिः, श्रीगङ्गेशोपाध्यायः, सम्पादकः - श्रीमदुमेशमिश्रः, मिथिलाविद्यापीठः, प्रथमसंस्करणम्, 1957
9. शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्रीजगदीशतर्कालङ्कारः, व्याख्याकारः - श्रीयोगगुरुचरणदेवशर्मा, कलिकाताविश्वविद्यालयः, कलिकाता, 1914
10. काव्यप्रकाशः, श्रीमम्मटाचार्यः, व्याख्याकारः - श्रीहरिशङ्करशर्मा, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, दशमसंस्करणम्, वि०2060

# पुरुषार्थचतुष्टयः



साधुः मुनिवत्सलदासः  
गुरुवर्याः श्रीमाधवप्रियदासजीस्वामिनः ,  
श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी,  
वेरावलम् ।

## Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 38-43

Publication Issue :

September-October-2020

शोध आलेख सार

शास्त्रानुरीत्या चतुर्विधपुरुषार्थप्राप्तये सर्वेषामपि मनुष्याणां प्रवृत्तिस्स्यात् चेत् पुरुषार्थसिद्ध्या सहास्माकं राष्ट्रस्यार्थिकविकासः, सामाजिकविकासः, स्त्रीणां गौरवहानिकारकव्यवहारत्यागः, एकतायाः समर्थनं तद्रक्षणञ्च, प्रादेशिकधार्मिकभेदेभ्यः परं स्थित्वा वसुधैव कुटुम्बकम् इति समानबन्धुत्वभावनायाः वृद्धिः, प्राकृतिकपर्यावरणरक्षा तत्सुधारणा च अवश्यंभाविनी ।

## Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

मुख्य शब्द - पुरुषार्थचतुष्टयः, संस्कृत, मानवजीवनः, लक्ष्यम्, धर्मः, अर्थम्, कामः, मोक्षः।

**पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः ।** मानवजीवनस्य चतुर्विधं लक्ष्यम् तत् पुरुषार्थचतुष्टयमिति नाम्ना प्रसिद्धम् । ते च धर्मः, अर्थम्, कामः मोक्षश्चेति । मनुष्यः एतेषां प्राप्तये प्रयतते आजीवनम् । स्वरुचिशक्त्यनुगुणं मनुष्यः पुरुषार्थप्राप्तये यतते । चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्षः परमो पुरुषार्थः, यतोहि धर्मार्थकामाः तस्य सहायकाः सन्ति ।

पुरुषस्य प्रयोजनमुद्दिश्य प्रकृते प्रवर्तनात् पुरुषार्थः । चतुर्विधे पुरुषार्थे मोक्ष एव परमपुरुषार्थः । दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपमुख्यप्रयोजनस्य अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वात् प्राधान्यम् । धर्मार्थकामास्तु तत्साधनानि, तत्रापि धर्मोऽर्थस्य साधनम्, अर्थः कामस्य साधनमिति ।

प्रभुः जीवानां सुखाय विश्वस्य उत्पत्तिस्थितिसंहारान् करोति, तत्रास्य प्रभोः कश्चिदपि स्वार्थः नैव विद्यते । तदुक्तञ्च श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे यथा –

**बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् जनानामसृजत्प्रभुः ।**

**मात्रार्थं च भवार्थं च ह्यात्मनेऽकल्पनाय च ॥<sup>1</sup>**

मीयन्ते जीवैः करणद्वारानुभूयन्ते इति मात्रा विषयाः, तदर्थं मात्रार्थम् । भूयते सत्कर्मभिर्देवादियोनिषु प्रादुर्भूयते इति भवः, तदर्थं भवार्थम् । प्रभुः जनानां बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् मात्रार्थं भवार्थं परमात्मप्राप्तिलक्षणमोक्षार्थं कल्पयते । धर्मादिसम्पादनार्थं समर्थो भूयतेऽनेनेति कल्पनमर्थः तदर्थम् अर्थात् कामधर्ममोक्षार्थाख्यचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् असृजत् ।

**धर्मः-**

धर्मार्थकाममोक्षभेदेन मानवजन्मनः चत्वारः पुरुषार्था विभाजिताः ऋषिभिः । तत्र चतुर्णां पुरुषार्थाणां क्रमशः स्थानं सप्रयोजनम् यथा धर्मः, अर्थः, कामः मोक्षश्च । अत्र धर्ममोक्षयोर्मध्ये अर्थकामयोः क्रमः ऋषिभिः सम्यक् विचिन्त्येव कृतः । यतोहि मनुष्यजीवने प्रथमं सोपानं धर्मः, धर्ममनुसृत्यैव अर्थोपार्जनं, तेनार्थेनैव कामनापरिपूर्तिः तथा च धर्ममार्गेण अर्थकामना सह अन्तिमं लक्ष्यं मोक्षोऽपि समुपलभ्यते । तेषु चतुर्विधेषु पुरुषार्थेषु मनुष्यजीवनस्य पथप्रदर्शकरूपेण तथा नियन्त्ररूपेण धर्म एवावतिष्ठते । वस्तुतस्तु मानवजीवने प्रतिक्षणं धर्मस्य प्रभावः साक्षात् परम्परया वा दृश्यते ।

“धर्मो ज्ञेयः सदाचारः श्रुतिस्मृत्युपपादितः”<sup>2</sup> इति भगवता श्रीस्वामिनारायणेन स्वलिखितायां शिक्षापत्र्यां धर्मस्य लक्षणं लक्षितम् । आचारस्य आत्मना सह प्रत्यक्षसम्बन्धः । यथा भोजनेन स्वोदरपूर्तिः तद्वत् धर्माचरणेन स्वकीयपुण्यसञ्चयः । आत्मा तु शाश्वतश्चेत् धर्मोऽपि शाश्वतरूपेण तिष्ठति । भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां प्रोक्तं यत् – यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥<sup>3</sup>

अर्थात् श्रेष्ठः पुरुषः यदाचरति, अन्ये जनाः तदेव अनुसरन्ति । सः यत् प्रमाणीक्रियते मनुष्याः तमेव आचरन्ति ।

शीलेन विना मनुष्यजीवनं निरर्थकं भवति । यथा सौन्दर्यमस्ति चेदपि कुसुमे सुगन्धं नास्ति चेत् तत् केवलं दर्शनसुखकरं भवति, न तु मनोरञ्जकम् तथैव आचारहीनः जनः दर्शनसौख्याय न तु नमस्काराय ।

### अर्थः-

चतुर्विधपुरुषार्थेषु अर्थोपार्जनं व्यावहारिक जीवने पारमार्थिकसाधनसिद्धये च आवश्यकम् । विना अर्थं इह लोके किं कर्तव्यम् ? सर्वेऽपि मनुष्याः अर्थोपार्जनाय अहोरात्रं प्रयत्नशीलाः भवन्ति । धर्मेण अर्थो साध्यः न तु अधर्मेण ।

केचन जनाः अर्थप्राप्तये मरणासन्ना भवन्ति । तदुक्तम् आङ्गलभाषायाम् यत् – BURNING DESIRE FOR WEALTH. केषांचित् धनक्षये वर्धति जाठराग्निः । धनप्राप्त्या गर्विष्ठाश्च भवन्ति केचन ।

In hinduism, artha is one of the four goals of life, known as purusharthas.

जीवनयापनाय अर्थस्यावश्यकता सर्वथा वर्तते । यस्याम् आवश्यकतायां मानवजीवनस्य ऐहिकम् आमुष्मिकञ्च साक्षात् सिद्धयति । जीवनस्य सर्वाण्यपि प्रयोजनानि अर्थमूलानि एव । स एवार्थसंज्ञः वाच्यः अयम् ।

अर्थे एव सर्वेऽपि गुणाः समाहिताः सन्ति । अर्थसत्त्वे तद्दोषा अपि कुत्रचित् गुणाः प्रतीयन्ते । यस्य पार्श्वे धनमस्ति स एव समाजे प्रतिष्ठितः उच्चकुलोत्पन्नः स एव पण्डितः वक्ता गुणवान् दर्शनीयश्च । अत एव भर्तृहरिणा नीतिशतके निरूपितं यत् –

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥<sup>4</sup>

चाणक्यः अपि वर्णयति यत् अर्थार्थं प्रवर्तते लोकः ।<sup>5</sup> अर्थात् गतानुगतिकं जगत् वर्तते, तस्मिन् समुपस्थिताः ये जनाः वर्तन्ते तेषां अर्थप्राप्तौ स्वाभाविकी प्रवृत्तिः ।

### कामः-

काम इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते । काम्यते असौ इति कामः नाम इच्छा । कर्मणि घञ् प्रत्यये कृते कामशब्दनिष्पत्तिः । रघुवंशे कविकुलगुरुः महाकविः कालिदासः वक्ति यत् –

सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा ॥<sup>6</sup>

अत्र कामं वरं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय इत्यर्थः । कामो नाम मनोरथः ।

**Kama is fulfilling ones desires. Desires are in various forms – to be wealthy, powerful, recognition, service, etc. The Kama purushartha advocates that one's desires in this lifetime need to be fulfilled, albeit in a state of awareness and without harming anyone in the process.**

मनुमहर्षिणा स्मृतौ उक्तम् यत् –

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते ॥<sup>7</sup>

प्रायः जनाः मन्यन्ते यत् – विषयोपभोगेन कामः शाम्यति, किन्तु जन्तोः कामाः उपभोगेन न शाम्यति, अपितु वर्धते एव । अत्र मनुना दृष्टान्तं प्रदत्तं तद्यथा प्रज्वलिते अग्नौ घृतहोमेन अग्निः न शाम्यति अपितु विवर्धते तथैव विषयोपभोगेन कामः न शाम्यति अपितु विशेषेण वृद्धिमवाप्नोति । अतः कामशान्तये विषयोपभोगवृत्तिं परित्यज्य शमदमादिसाधनेन संयमो पालनीयः ।

भगवतो ध्यानाभ्यासनतत्परः भक्तः श्रीहरेरक्षरपरत्वादिमहिमानं ज्ञात्वा आत्मबुद्ध्या स्वं सम्प्राप्तसकलमनोरथं मन्येत् । तदुक्तं च हरिवाक्यसुधासिन्धोः दुर्गपुरप्रथमप्रकरणस्य पञ्चदशतरङ्गे यथा –

महन्माहात्म्यमीशस्य विबुध्यात्मानमात्मना ।

मन्येत पूर्णकामं च ध्यानाभ्यासपरायणाः ॥<sup>8</sup>

सकामिनिष्कामिनोः मध्ये निष्कामिनो नाम पूर्णकामो भक्तः श्रेष्ठः ।

**मोक्षः-**

धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्विधेषु पुरुषार्थेषु मानवजीवनस्य अन्तिमं प्रमुखं लक्ष्यं मोक्षप्राप्तिरेव कल्पिता भारतीयसंस्कृतौ । यावदायुष्यं मनुष्यः विविधासु समस्यासु निमग्नो भूत्वा दुःखमवाप्नोति, एतासां सर्वासां समस्यानां मूलं तु जन्ममरणचक्रमेव वर्तते ।

भारतीयैः ऋषिमुनिभिः बहूनि शास्त्राणि विरचितानि । साम्प्रतकालेऽपि आधुनिकाः बौद्धिकाः लौकिकार्थदर्शकानि अलौकिकविचारविमर्शकाणि च शास्त्राणि विरचन्ति । एतेषु सर्वेषु ग्रन्थावलिषु लौकिकविषयदर्शकानि शास्त्राणि बहुसङ्ख्यकानि सन्ति । जीवानां कल्याणपथप्रदर्शकाणि शास्त्राणि अल्पसङ्ख्यकानि भवन्ति । मोक्षस्वरूपनिरूपकेषु शास्त्रेष्वपि विभिन्नानि मतानि सन्ति । अतः मोक्षमार्गः गहनः प्रोक्तः । मोक्षस्य परिभाषानुगुणं साधनविचारः शास्त्रेषु दृश्यते ।

मोक्षप्राप्तिस्तु भगवद्कृपया भवति । केवलं स्वात्मबलेन प्राप्तुं न शक्यते । परमात्मप्राप्तिरूपो मोक्षः परमात्मकृपया एव प्राप्यते न तु केवलं स्वपुरुषार्थेण । तत्र प्रमाणं वर्तते कठोपनिषदि यत् –

नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥<sup>9</sup>

अयं परमात्मा बहुकृतेन प्रवचनेन बुद्ध्या वा बहुकथाश्रवणेन न लभ्यः, यमुपासकं एषः परमात्मा चिनोति तस्य कृते सः भगवान् स्वकीयां तनूं संदर्शयति । अर्थात् केवलं स्वपुरुषार्थेण परमात्मप्राप्तिः न अपितु परमात्मकृपया परमात्मप्राप्तिरूपो मोक्षः इति ।

संसारेऽस्मिन् सर्वेषां कृते परं प्राप्यः एक एव परमेश्वरः । महर्षिः बादरायणः ब्रह्मसूत्रे लिखति यत् – अत एव चानन्याधिपतिः ॥<sup>10</sup>

मुक्त्यवस्थायामपि ब्रह्माऽहं कृष्णदासोऽस्मि इति भावः मुक्तस्य तथैव तिष्ठति । एषः मम स्वामी, अहं तु सेवकः इति भावस्तु भगवद्दाम्नि अपि वर्तते । मुक्तस्तु भगवत्किङ्करः खलु । मुक्तः भगवद्दाम्नि दासभावेन यथेच्छरूपेण परमात्मनः सेवां विदधाति ।

भगवता श्रीस्वामिनारायणेन स्वलिखितशिक्षापत्र्यां मुक्तेः स्वरूपं स्पष्टीकृतं यत् –

तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवामुक्तिश्च गम्यताम् ॥<sup>11</sup>

भगवदाज्ञया तत् प्रसन्नतार्थं निष्कामभावेन यानि कर्माणि आचरितानि तानि सर्वाण्यपि क्रियमाणकर्माणि भक्तिरूपतामैति । अतः तानि कर्माणि बन्धनरूपाणि न भवन्ति ।

सम्प्रति पुरुषार्थचतुष्टयस्य आवश्यकताः-

अस्माकं समाजोपरि कर्तव्यस्य प्रगाढप्रभावो दरीदृश्यते । यावत्पर्यन्तं समाजे सर्वेऽपि जनाः स्वकर्तव्यपालनं न करिष्यन्ति, तावत् समाजस्योन्नतिः अशक्या एव । यदि वयं आदर्शसमाजनिर्माणं वाञ्छामश्चेत् प्रथमन्तावत् सर्वैः स्वकर्तव्यपालनम् सम्यक्तया कर्तव्यम् आपतति । तच्च धर्मावबोधं विना कथं कर्तव्याकर्तव्यज्ञानम् ? आदर्शसमाजनिर्माणे अस्माभिस्सर्वैः देवसदृशैः भाव्यम् । धर्मावलम्बनेन विना कथं विवेकबुद्धिः समुदेति । तत एव देवसदृशं मानवजीवनम् ।

अर्थनिर्भरं सकलं जगत् । विनार्थं न किमपि सिद्ध्यति । लोकेऽस्मिन् अर्थनैव गौरवं दरीदृश्यते । सार्थं मनुष्यमेव सर्वे जनाः पूजयन्ति । स्वार्थपरार्थहेतवेऽपि अर्थसिद्धिरावश्यकी ।

शुभाशुभकामनया प्रवर्तितोऽयं प्रपञ्चः । विना कामनया न कोऽपि प्रवर्तते कर्मणि मनुष्यः । स्वपरकामनयैव मनुष्याणां प्रवृत्तिः ।

चतुर्विधपुरुषार्थेषु वास्तविकरूपेण मोक्ष एवाऽस्माकं परमं लक्ष्यम् । जन्मनैव दुःखसंक्षेपः, यदा जन्ममरणशून्यो भवत्युपासकः तदैव दुःखानामत्यन्ताभावः ।

शास्त्रानुरीत्या चतुर्विधपुरुषार्थप्राप्तये सर्वेषामपि मनुष्याणां प्रवृत्तिस्स्यात् चेत् पुरुषार्थसिद्ध्या सहास्माकं राष्ट्रस्यार्थिकविकासः, सामाजिकविकासः, स्त्रीणां गौरवहानिकारकव्यवहारत्यागः, एकतायाः समर्थनं तद्रक्षणञ्च, प्रादेशिकधार्मिकभेदेभ्यः परं स्थित्वा वसुधैव कुटुम्बकम् इति समानबन्धुत्वभावनायाः वृद्धिः, प्राकृतिकपर्यावरणरक्षा तत्सुधारणा च अवश्यंभाविनी ।

**सन्दर्भग्रन्थाः-**

- (1) श्रीमद्भागवतम् – स्कन्धः-10, अध्यायः-87, श्लोकः-2
- (2) शिक्षापत्री – 103
- (3) श्रीमद्भागवद्गीता – अध्यायः-3, श्लोकः-21
- (4) नीतिशतकम् – श्लोकः- 37
- (5) चाणक्यसूत्रम् – 509
- (6) रघुवंशः – सर्गः-2, श्लोकः-67
- (7) मनुस्मृतिः – अध्यायः-2, श्लोकः-94
- (8) श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धुः- तरङ्गः-15, श्लोकः-8
- (9) कठोपनिषत् - वल्ली-2, मन्त्रः-23
- (10) ब्रह्मसूत्रम् - अध्याय-4, पाद-4, सूत्र-9
- (11) शिक्षापत्री – श्लोक- 121

## मोनपा जनजाति में प्रचलित लोकविश्वास (शव काटनेवाला आदमी उपन्यास के विशेष संदर्भ में)



दिगंत बोरा  
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग  
जे.डी.एच.जी. महाविद्यालय  
बोकाखाट, असम, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 44-47

Publication Issue :

September-October-2020

**शोध सारांशिका :** – सभी समाज में धर्म, जीव, जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित लोक-विश्वास युगों-युगों से चली आ रही हैं। लोकविश्वास लोक-संस्कृति का ही एक अंग है। जन जीवन में बहुत से ऐसे विश्वास जड़े जमाए हुए हैं, जिनके फल-फूल-पत्र के रूप में बहुत सी प्रथा-परंपराएँ विकसित होती हैं। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से एक है। मोनपा जनजाति के लोग अपनी सामाजिक परंपरा का पालन करनेवाले विनम्र किंतु अपने धर्म पर दृढ़ आस्था रखने वाले लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के लोग सबसे अधिक धर्म पर आस्था रखते हैं। किसी बच्चों के जन्म पर लामा को जन्म कुंडली दिखाकर ही उसका नामकरण करते हैं। मोनपा जनजाति में कुंडली का पाठ केवल नामकरण में ही नहीं किया जाता है, किसी के सत्कार के लिए भी जन्म कुंडली देखा जाता है। मोनपा समाज के लोग व्यक्ति के पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म लेना पूर्वजन्म का फल है। उसी पूण्य पर आस्था रखते हुए दारुगे नरबू आजीवन शव का सत्कार करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग भूत-प्रेत, आत्मा-प्रेतात्मा आदि पर भी विश्वास रखते हैं। ज्यादातर लोकविश्वास जन्म, मृत्यु, कर्मफल, मुक्ति आदि से ही संबंधित है।

### Article History

Accepted : 01 Oct 2020

Published : 08 Oct 2020

**बीज शब्द :** पूर्वजन्म, भाग्यवाद, लोक-संस्कृति, लोक-विश्वास, मोनपा जनजाति, बौद्ध धर्म आदि

**प्रस्तावना :** – लोक-विश्वास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ब्रह्मांड में यावत् वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं, इस जगत में जितनी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं, उनमें से प्रत्येक के संबंध में लोक-विश्वास निश्चित रूप से प्रचलित है। सभी समाज में धर्म, जीव, जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित लोक-विश्वास युगों-युगों से चली आ रही हैं। इन लोक-विश्वासों के मूल में मनुष्य के अलौकिक शक्ति के प्रति डर, श्रद्धा और दीर्घ जीवन लाभ की आशा प्रमुख हैं। आदिम समय में बड़े वृक्ष, पत्थर आदि

को डर की दृष्टि से देखा जाता था, इसी के आधार पर समाज में बहुत सारी धारणाएँ प्रचलित हो गयी थी, जिसे बाद में लोक-विश्वास के रूप में मान्यता मिली। लोक-विश्वास और अंधविश्वास दोनों शब्द एक दूसरे के ही पर्याय हैं। अंधविश्वास शब्द अंग्रेजी के 'Superstition' का हिंदी पर्याय है, 'Superstition' के पर्याय ग्रीक शब्द 'deisidaimonia' का अर्थ है 'अलौकिक शक्ति प्रति डर'। फिर भी लोक-विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ी बहुत अंतर है। लोक-विश्वास युक्तिसंगत होते हैं, परंतु अंधविश्वास में कोई तर्क नहीं होते हैं। फिर भी युगों-युगों से प्रचलित होने के कारण बहुत सारी अंधविश्वास भी लोक-विश्वास में रूपांतरित हो जाती है। जैसे- बारिश का न आना सुखा पड़ना परिस्थितिगत है। परंतु लोक में विश्वास है कि मेढक की विवाह करने से बारिश आयेगी। यह एक अंधविश्वास है कि मेढक की विवाह आयोजित करने से बारिश आयेगी। परंतु प्राचीन काल से प्रचलित रहने के कारण यह आज लोक-विश्वास में परिवर्तित हो गयी है। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं, तदनु रूप उनके विश्वास होते हैं। उन विश्वासों के अनुसार ही जीवन चलते हैं।

डॉ. हरीशकुमार शर्मा लिखते हैं - "जन विश्वास जन जीवन के आधार है। यह लोक जीवन के सामान्य निकष एवं लोक-संस्कृति के आवश्यक अंग है। जन जीवन में बहुत से ऐसे विश्वास जड़े जमाए हुए हैं, जिनके फल-फूल-पत्र के रूप में बहुत सी प्रथा-परंपराएँ विकसित होती हैं।"

डॉ. बलदेव उपाध्याय के अनुसार – लोक-विश्वास का साम्राज्य इस विश्व में सर्वत्र विराजमान है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ के निवासियों के जीवन को लोकविश्वास प्रभावित नहीं करता है। शिक्षित-अशिक्षित, सभ्य-असभ्य, बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष ऐसा कोई प्राणी दृष्टिगोचर नहीं होता जो अपने जीवन में इन लोक-विश्वासों की उपयोगिता का अनुभव नहीं करता। साधारण विश्वास है कि भारत के ही निवासियों की दृढ़ मान्यता इन पर है। परंतु विदेशों में अमेरिका तथा यूरोप में, अफ्रीका तथा एशिया में भी इनकी प्रमुख व्यापकता देखकर आलोचकों को नितान्त आश्चर्य होता है।"

मूल विषय :

शव काटनेवाला आदमी उपन्यास में हमें मोनपा जनसमूदाय में प्रचलित लोक-विश्वासों को देखने को मिलते हैं। विश्वासों के स्वरूप निर्धारण में धर्म का बहुत बड़ा योगदान होती है और बहुत से विश्वासों का आधार धार्मिक मान्यताएँ ही होती हैं। शव काटनेवाला आदमी उपन्यास का आधार मोनपा जनजाति है। इस जनजाति के लोग धर्मनिष्ठ, अपने विश्वासों के प्रति दृढ़, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं का अनुपालन करने वाले हैं। उपन्यास आधार पर मोनपा जनजाति में प्रचलित जो लोक-विश्वास उभरकर सामने आते हैं, उनको संक्षेप में निम्नबिंदुओं में देख सकते हैं –

भूत-प्रेत :

भूत-प्रेत संबंधी बातें ग्रामीण समाज के लोगों के बीच प्रायः प्रचलित है। इस उपन्यास में भूत-प्रेत संबंधी कोई बातें सामने आये हैं। घुरवा गाँव के पास जहाँ शव का सत्कार किया जाता है, वहाँ पर भूत-प्रेत, पिशाच आदि का निवास है। इन भूत-प्रेतों को लोगों ने दिन में भी देखा है। इन भूत-प्रेत, पिशाच से बचने के लिए वहाँ पर एक मने स्तुप का निर्माण किया जाता है। "वहीं पर एक स्तुपमने का निर्माण भी किया गया था ताकिवह स्थान भूत-प्रेत, चुडैल आदि से आक्रांत न हो सके। मगर मने रहने के बावजूद भी कहा जाता है कि वह स्थान भूत-प्रेत आदि का अड्डा बन चुका है। 'ऊँ मने पेमे हूँ' मंत्र जिस शिलापर लिखा हुआ है वहाँ पर दिन में ही शव काटने के लिए आदमी के न जाने पर भूत-प्रेत ताश निकालकर

जुआ खेलने बैठ जाते हैं। .....गलती से भी कई आदमी अकेले उस तरफ नहीं जाता, जब भी जाना होता है, समूह बनाकर लोग जाते हैं। 'ऊँ मने पेमे हूँ' मंत्र पढ़ते हुए।"<sup>5</sup>

लोगों की यह भी मानना है कि आऊ थांपा की बेटी रिजोम्बा के गूंगी और मंद बुद्धि होने का कारण भी वहाँ के भूत-प्रेत ही है। "जिस समय आऊ थांपा उन मृतकों के शवों को काटकर नदी में बहा रहा था, उसी समय लड़की का जन्म होने के कारण उन सारी प्रेतात्माओं का प्रभाव पड़ने के कारण वह मंद बुद्धि वाली बन गयी।"<sup>6</sup>

सभी समाज में इस तरह की मान्यता प्रचलित है। जब भी किसी व्यक्ति का कोई अशुभ होता है उसमें किसी बुरी आत्मा या भूत-प्रेत का प्रभाव मानकर उस बुरी आत्मा को दूर करने का उपाय किया जाता है। चीनी हमले में अपने दोस्त, प्रेमिका को खोकर दारगे नरबु पागल हो जाता है। यहाँ तक कि अपने माँ की हत्या कर देता। इसके पीछे लोग किसी बुरी आत्मा का प्रभाव मानते हैं। "युद्ध के समय इतनी मारा-मारी, इतने मृतक-मृतकों की प्रेतात्माएँ, चारों तरफ सिर्फ केन(अशुभ शक्ति, भूत-प्रेत), वहीं केन आजांग दारगे के भीतर समा गया था। तुम्हारा आजांग पागल हो गया था। उसके लिए मामा-मामी ने कितने पूजा-पाठ किये, मगर उसका केन दूर नहीं हुआ। उसी केन के प्रभाव में एक दिन मामी को लाश समझकर काट डाला।"<sup>7</sup>

शकुन-अपशकुन :

शकुन-अपशकुन संबंधी मान्यताएँ सभी समाजों में होती हैं। शव काटनेवाला आदमी उपन्यास में मोनपा समाज में प्रचलित शकुन-अपशकुन संबंधी विचार देखने को मिलते हैं।

आँख का फड़कना भी शुभ-अशुभ दोनों तरह के परिणाम होते हैं। उपन्यास एक स्थान में रिजोम्बा दारगे से कहती है -"मेरी दायी आँख फड़क रही है। माँ के मरने से पहले भी मेरी दायी आँख इसी तरह फड़क रही थी।"<sup>8</sup>

कुत्तों का रात में रोना भी अशुभ माना जाता है। इस उपन्यास में रोने के स्थान पर कुत्तों का भौंकना भी अशुभ माना गया है। "गाँव के बाहर रात के अंधेरे को चीरकर कुत्तों के सामूहिक रूप से भौंकने की आवाज के पीछे किसी भयानक घटना का पूर्व संकेत महसूस होने लगा और उसका दिन जोर-जोर से धड़कने लगा।"<sup>9</sup>

सपने के भीस शुभ-अशुभ फल देने के विशय में समाज में लोकविश्वास प्रचलित हैं। कुछ स्वप्न सुफलदायक और कुछ स्वप्न अशुभ फलदायक माने जाते हैं। चीन के लडाई के समय अपने परिवार से बिछड़-अने से पहले एक ऐसा ही स्वप्न देखता है - "बीच-बीच में सपने देखा रहा था, अजीब सपने.. भयानक सपने- रिजोम्बा आसमान में उड़ती हुई जा रही है और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। रिजोम्बा से न जानेके लिए कह रहा है, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है .... जिग्मे को बुखार है..... सोती हुई जगह से वह दोनों प्रेतात्माओं को देख रहा है।"<sup>10</sup>

पूर्वजन्म एवं भाग्यवाद :

मोनपा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। शव काटनेवाला आदमी उपन्यास के नायिका रिनचिन जोम्बा जो कि बाद में पूर्णता प्राप्त करती है और आने बनती है। वह कई जन्मों की साधना के पश्चात इस जन्म में पूर्णता को प्राप्त करती है और मोक्ष पाती है। पिछले जन्म में तिब्बत के छारिंग गोम्पा की मठाधिकारी रिनचिन जोम्बा को इस जन्म में दलाई लामा बचपन में एक ही दृष्टि से पहचान लेते हैं और अंततः उसका आने सांगे के रूप में भविष्य सुनिश्चित होता है। किंतु इस जन्म में वह मृत्यु से पूर्व ही सारी व्यवस्थाएँ करने के बाद अपने अनुयायियों

को बता देती है कि अब पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होगा। “आने सांगे ने सभी लोगों को बता दिया कि उसका पृथ्वी पर यह आखिरी जन्म था, इस मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा कईपेमे में जाने वाली थी अर्थात उसकी आत्मा को निर्वाण प्राप्त होनेवाली थी। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसने फिर कहाँ जन्म लिया है, इसके बारे में खोजबीन कर किसी को गोम्पा का मठाधिकारी बनाने की आवश्यकता नहीं है।.....इसलिए अस्थायी मठाधिकारी चुनकर उसके माध्यम से नयी रिम्पोछे ने कहाँ जन्म लिया है, इस बात का पता लगाकर शिक्षा-दीक्षा नये सिरे से देकर फिर गोम्पा में बिठाने की जरूरत नहीं है।”<sup>11</sup>

इतना ही नहीं आने सांगे ने अपने बचपन के प्रेमी दारगे नरबू से आने सांगे नोरजोलम का जन्म-जन्मांतर का संबंध बताकर वह अंतिम समय में उपस्थित जनों के समक्ष यह रहस्य खोल देती है कि -“कई जन्मों तक तुमने मेरी भक्ति की, मेरे कुत्ते के रूप में, मेरा सामान उठाने वाले के रूप में, मेरे भृत्य के रूप में और अंत में मेरी प्रेमी और शव सत्कार करने वाले थांपा के रूप में। तुम्हारा भी इस धरती पर यह आखिरी जन्म था। मेरा शव सत्कार करने के बाद तुम भी इस धरती से मुक्ति पाकर कईपेमे की यात्रा करोगे।”<sup>12</sup>

पुनर्जन्म के अलावा मोनपा समाज के लोग भाग्यवाद में भी विश्वास करते हैं। मोनपा लोग मानते हैं कि बहुत कुछ पहले से ही भाग्यमें तय होकर सभी व्यक्ति का जन्म पृथ्वी में होते हैं। विभिन्न कठिन परिस्थितियों में लोग भगवान का मर्जी कहकर अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं। जब दारगे नरबू अपने मातृ का हत्या करते हैं। मातृहत्या से ग्रस्त दारगे को आने सांगे नोरजोलम सांत्वना देती है कि - “सब अपने कर्मों का फल होता है। दिल दुखाने से फायदा नहीं होगा।”<sup>13</sup>

इस तरह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मोनपा समाज में अनेक लोकविश्वास प्रचलन में हैं। मोनपा जनजाति के लोग पूर्वजन्म या भाग्यवाद पर विश्वास रखते हैं। उन लोगों की मान्यताएँ हैं कि मनुष्य जीवन में जो भी कार्य घटित होती सब मनुष्य के कर्मों का ही फल है। इसके अतिरिक्त वे लोग भूत-प्रेत, आत्मा-प्रेतात्मा आदि पर भी विश्वास रखते हैं। मोनपा जनजाति के लोगों में मान्यताएँ हैं कि मनुष्य कई जन्म लेते हैं और अपने पूर्वजन्मों के कर्मों का फल उसे परवर्ती जीवन में भोगना ही पड़ता है। उन लोगों में मान्यताएँ हैं कि किसी व्यक्ति में मृत शरीर को एक सौ आठ टुकड़ों में काटकर नदी में बहाने से ही मृतक के आत्मा को स्वर्ग यानि मुक्ति मिलती है। इस तरह देखते हैं कि मोनपा जनजाति में अनेक लोकविश्वास प्रचलित हैं। ज्यादातर लोकविश्वास जन्म, मृत्यु, कर्मफल, मुक्ति आदि से ही संबंधित हैं।

#### संदर्भ सूची :

1. शव काटनेवाला आदमी, येसे दोरजे थोंगछी,, पृष्ठ – 29
2. वही, पृष्ठ – 46
3. वही, पृष्ठ – 224
4. वही, पृष्ठ – 111
5. वही, पृष्ठ – 156
6. वही, पृष्ठ – 138
7. वही, पृष्ठ – 264-265
8. वही, पृष्ठ – 266
9. वही, पृष्ठ – 106

## श्रीमद्भगवद्गीतायाः दार्शनिकसिद्धान्तानां वर्तमाने उपादेयता



सुमन  
असिस्टेन्ट प्रोफेसर  
राजकीय महिला महाविद्यालय जींद,  
भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 48-56

Publication Issue :

September-October-2020

### शोध सारांशिका : -

श्रीमद्भगवद्गीता विश्वपटले तदा अवतरिता यदा युद्धस्य मृत्योः भयाशान्तेश्च वातावरणमासीत्। श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमाने धर्मस्य कृते न प्रत्युत जीवनं प्रति स्वदार्शनिकसिद्धान्तानां कारणाद् विश्वस्य मानवानां ध्यानमाकर्षयति। निष्कामकर्मणः संदेशः प्रबन्धनगुरुनपि प्रलोभयति। अद्य वर्तमानजीवने मानवस्य प्रमुखावश्यकता स्वाभ्यन्तरबाह्यसंतुलनस्य विद्यते। एतदकर्म स दैनन्दिनकार्येषु स्थापयति चेत् कामकोधलोभमोहेर्ष्याद्वेषादिभ्यः दूरीभवति। येन तस्य कार्येषु सामंजस्यं जायते तेन स सर्वान् प्रेमभावनया पश्यति। कालकमेण तदेव निष्कामकर्मणि परिणमति। तदेव दर्शनस्य साफल्यं गीतायाश्च।

### Article History

Accepted : 03 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

बीज शब्द : श्रीमद्भगवद्गीता, वर्तमानजीवनः, दार्शनिकसिद्धान्तानः, मानवः, विश्वः।

भगवद्गीताया महत्तां प्रतिपादयन् आचार्यशंकरो गीताभाष्यस्य भूमिकायां लिखति—“इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतम्”।। गीता उपनिषद्दर्शनानां च सारसंक्षेप एवास्ति।

वर्तमानकाल एते सिद्धान्ताः कथमुपयोगिनः स्युरिति विचारणायाः प्राग् वयं वर्तमानपरिप्रेक्षे दृष्टिपातं कुर्मः।

सृष्टेरारम्भतोऽधुनापर्यन्तं सर्वत्र पातोत्पातो दृश्यते। पातोत्पातस्य केन्द्रबिन्दुमनुष्य एव यतोहि अस्मिन् भूतले सैव विवेकशीलः। अन्ये पदार्था वस्तुनो ग्रन्थाः शास्त्रास्तदर्थमेव सन्ति। मनुष्यसहिताः सर्वे प्राणिनः सुखं इच्छन्ति दुखस्य च निवृत्तिम्। तदर्थमेव तेषां सर्वाश्वेष्टाकियाश्च भवन्ति। मनुष्य स्वज्ञानानुसारं सुखप्राप्त्यर्थं दुखनिवत्यर्थं च सुकरं मार्गं स्वीकरोति। सामान्यमनुष्यस्य ज्ञानं अपूर्णं भ्रान्तियुक्तं च भवति। सुखप्राप्तिकामोऽपि स विपरीतमार्गाश्रयेण दुखमेव प्राप्नोति। स पञ्चज्ञानेन्द्रियैः संसारे सुखं अन्विष्यति। तेनापि तस्य जीवने प्रसन्नताया अभाव एव। अपि च कामकोधलोभमोहेर्ष्याद्वेषादयः प्रवर्धन्तः सन्ति यस्य परिणामरूपेण भ्रष्टाचार आतंकवादो अश्वेतधनमनियन्त्रितोपभोगप्रवृत्ति चौर्य लुण्ठनं परद्रव्यापहरणं स्त्रीणामसुरक्षितं जीवनं पितृगुरुजनानां च तिरस्कारः भूमण्डलेऽत्यधिकोष्णताया वृद्धि ( ग्लोबल वार्मिंग ) ओजोनस्तरे छिद्रः समुद्रजलेषु वृद्धि विविधा रोगव्याधयश्च सर्वत्र जरीजृम्भन्तः सन्ति। एतासां समस्यानां प्रमुखकारणमविद्या अस्ति। ज्ञानस्य स्रोतो दर्शनेषूपनिषत्सु च विद्यते। दर्शनेषु दुखं दुखकारणं तस्य समाधानं च व्याख्यातमस्ति। अस्मिन् शोधपत्रे गीतामधिकृत्य दार्शनिकसिद्धान्तानामेव विवेचनं करिष्याम्यहं।।

आसक्तिः— सर्वेषां दुखानां मूलं कारणं आसक्तिरेव। आसक्तिः सङ्ग— नाम्नाप्युच्यते। कस्यापि वस्तुनो व्यक्तित्वो वा सार्धं स्वस्वामीभावसम्बन्ध एव सङ्गः। मनुष्यः पुत्रपौत्रधनज्ञातिषु सर्वत्र ममत्वमेव पश्यति यदा कुत्रापि तस्य ममत्वे शिथिलता जायते तदा स दुःखी भवति। अत एव भगवान् श्रीकृष्णो मोहग्रस्तमर्जुनं सङ्गस्य परित्यागायोपदिशति।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। 1

आसक्तेरुत्पत्ति कस्यचिद् वस्तुनो ध्यानात् भवति । अधिकध्यानकारणेन तस्मिन् व्यक्तनि वस्तुनि वा सङ्ग उत्पद्यते । सङ्गकारणेन कामः समुत्पद्यते कामस्यापूर्तो क्रोधो अभिजायते क्रोधकारणेन मनुष्यः सम्मोहितो भवति सम्मोहनेन अधीतं स्मृतं सर्वं नष्टं भवति । कामक्रोधमोहादयः समुत्पद्यन्ते । क्रोध एव पारम्पर्यकमेण बुद्धिभ्रंशं करोति । बुद्धिनाशो सति मनुष्यपशोः भेद एव समाप्नोति । अतः गीतायामुक्तमस्ति—

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते  
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥  
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहत्स्मृतिविभ्रमः ।  
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥<sup>2</sup>

इन्द्रियाणां नियन्त्रणम्— इन्द्रियशब्दं आचार्यपाणिनिः अष्टाध्याय्यां “इन्द्रियमिन्द्रलिंगमिन्द्रदृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा”<sup>3</sup> इत्यत्र इन्द्रियमित्यन्तोदात्तं शब्दरूपं घच् प्रत्ययान्तं निपातितमस्ति । “इन्द्रस्य लिंगम् इन्द्रियम् ” इन्द्र इति आत्मा तस्य साधनं चक्षुरादिः इन्द्रिय नाम्ना उच्यन्ते । आत्मनः सहायार्थं ईश्वरेण एकादश इन्द्रियाणि प्रदत्तानि । तेषां नामानि—

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषो जिह्वा नासिका चैव पंचमी ।  
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥<sup>4</sup>

एतेषु पंच श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियाणि नाम्ना तथा पाय्वादीनि पंच कर्मेन्द्रियाणि नाम्ना उच्यन्ते । “एकादशं मनो ज्ञेयं” ज्ञानकर्मेन्द्रियरूपेण मन उभयात्मकं वर्तते । “इन्द्रियाणां विषयेष्वप्रतिपत्तिरिन्द्रियजय उच्यते ” । इन्द्रियाणि स्वस्वविषयं प्रति वेगेन गच्छन्ति विषयसेवनेन एतासां तृष्णा न शाम्यति । अपितु वर्धते एव—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाऽभिवर्धते ।।<sup>5</sup>

एतासां बुद्धिद्वारा नियन्त्रणमत्यावश्यकमस्ति । “बुद्धिं तु सारथिं विद्धि” बुद्धि सदैव सारथिरिव मनादि इन्द्रियाणि नियम्येत। अभ्यासवैराग्याभ्यामेव इन्द्रियाणां नियन्त्रणं भवितुमर्हति। गीतायामपि उक्तमस्ति—

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।<sup>6</sup>

अभ्यास—वैराग्य— इन्द्रियाणां निरोधो अभ्यासवैराग्याभ्यामेव भवति । कोऽयं अभ्यास इति जिज्ञासायां “तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः”<sup>7</sup> वृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिमाणः स्थितिस्तस्यां यत्न उत्साहः पुनः पुनस्तत्वेन चेतसि निवेशनमभ्यास इत्युच्यते । अभ्यासः तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्दृढभूमिर्भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। श्रद्धायाः महत्ता गीतायां—

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभोल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ।।<sup>8</sup>

द्वितीयो वैराग्यम्— “दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्”<sup>9</sup> विरागस्य भावः कर्म वा वैराग्यम् । दृष्टेभ्यः श्रुतेभ्यः अनुभूतेभ्यः विषयेभ्यः इन्द्रियाणां वशीकरणमव वैराग्यम् । वैराग्यं यमनियमासनप्रणायामप्रत्याहारधारणाभ्यां एव सिद्ध्यति। एतेषां श्रद्धापूर्वकाभ्यासेन एव परब्रह्मणः प्राप्तिर्भवितुमर्हति । गीतायां प्रोक्तम्—

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।।<sup>10</sup>

ये जनाः ईश्वरं प्राप्तुमिच्छन्ति परं ज्ञानवैराग्यशून्याः सन्ति तेषां कृते योगाभ्यास एव श्रेष्ठतमोऽस्ति । पूर्वजन्मनः संस्कारकारणात् येषां मन वायुरिव चंचलो वर्तते । मनस

अस्थिरताया कारणेन ते विषयेषु लिप्ताः भवन्ति । एते विषया एव दुखस्य मूलकारणानि सन्ति । योगाभ्यास दुखस्य परिहारः –

अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति ।<sup>11</sup>

स्थितप्रज्ञ— परब्रह्मपरमात्मनि समाधौ वा स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञ उच्यते । भगवद्गीतायां श्रीकृष्णं किंकर्तव्यविमूढमर्जुनः स्थितप्रज्ञस्य स्वरूपं पृच्छति—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम् ।।<sup>12</sup>

परमकारुणिको भगवान् स्वशिष्यस्य जिज्ञासां समादधति—

दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्निरुच्यते ।।<sup>13</sup>

सर्वान् कामान् यः प्रकर्षेण जहाति, त्यक्तपुत्रवित्तलोकैषणः, आत्मारामः स्थितप्रज्ञ उच्यते । य आध्यात्मिकादिषु दुखेषु प्राप्तेषु न प्रक्षुभति , सुखेषु प्राप्तेषु विगतस्पृहो भवति । यस्य रागद्वेषभयक्रोधादयः कल्मषाः दग्धाः ,सर्वेभ्यः सम्बन्धेभ्यः आत्मानं पृथक् पश्यति सैव स्थितिधीः । ईशोपनिषद् अपि इमम् पक्षं दृढीकरोति ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।।<sup>14</sup>

एतादृशी स्थितिः यदा मनुष्यस्य भविष्यति । तदा आत्महननं सम्बन्धविच्छेदं कलहं परदोषाविष्करणं न कोऽपि करिष्यति ।

त्रिगुणाः— त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।।<sup>15</sup>

अयं सम्पूर्ण चराचरात्मक संसारः त्रिगुणात्मकमस्ति । सत्त्वरजस्तमस इत्येते गुणाः प्रकृतिसम्भवाः सन्ति । एतेषां वियोगावस्था एव प्रलयनाम्ना उच्यते । सृष्टिदशायां एते गुणाः सर्वदा सम्पृक्ता एव उपलभन्ते । सांख्यदर्शनेऽप्युक्तमस्ति “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था

प्रकृतिः<sup>16</sup> सृष्टेः रचनायां गुणा एव कारणाः सन्ति । वैशेषिकदर्शने उक्तः— “कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः<sup>17</sup> इममेव सिद्धान्तं गीतापि दृढीकरोति । नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।<sup>18</sup>

अर्थात् विद्यमानस्य (सत्) अभाव अविद्यमानस्य ( असत् ) च भावो न कदापि भवति । जडचेतनरूपेण संसार उभयात्मकस्ति । जडपदार्थेषु तमोगुणस्य प्रमुखता भवति । मनुष्येषु रजो गुणस्य देवेषु च सत्वगुणस्य । एते गुणाः गतिशीलाः सन्ति अतः क्षणे क्षणे मनसः स्थितिपरिवर्तनं कुर्वन्ति । यदा सुखज्ञानयो अनुभूतिर्जायते तदा सत्वस्योद्रेको भवति । यथा —

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।<sup>19</sup>

रजो रागात्मकं विद्धि यतोहि अस्य वर्तमानतायां मनुष्यः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः हर्षशोकान्वितो भवति । तमसः स्थितौ मनुष्यः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोऽनैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री भवति । सुखैश्वर्यं दुखदारिद्र्यं धर्माधर्मं प्रवृत्तिं निवृत्तिं बन्धं मोक्षं कार्याकार्यं भयाभयं एतेषां कारणादेव भवति । सत्वगुणेन मनुष्यः ऊर्ध्वं गच्छति । इन्द्रियनिग्रहयोगाङ्गानुष्ठानेन च कोऽपि मनुष्यः सात्त्विकीं स्थितिं लब्धुमर्हति । सम्पूर्णजगतः वर्णनं अस्मिन् श्लोके वर्तते—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।।<sup>20</sup>

मुक्ति— “मुच्यन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः निश्रेयसमोक्षापवर्गाः मुक्ते एव अपरनामानि सन्ति । “तदत्यन्तविमाक्षोऽपवर्गः—दुखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः”<sup>21</sup>

दुखजन्मप्रवृत्ति इत्यादीनामत्यन्त अर्थात् पूर्णरूपेण अपायविघातो वा मुक्तिः । गीतायां मुण्डकोपनिषदि च मुक्तिविषये साम्यमस्ति । गीतायां यथा —  
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति ।<sup>22</sup>  
मुण्डकोपनिषदि च—

ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ।<sup>23</sup>

मुक्तात्मा परान्तकालपर्यन्तं मोक्षसुखमनुभूय पुनः पुण्यक्षये सति अस्मिन् जगति जन्म लभते ।  
गीतायां शुभाशुभफलानां परिणाम एव मुक्ति ।

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्म बन्धनैः ।  
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।<sup>24</sup>

अर्थात् यो जनः शुभाशुभकर्मणां बन्धनात् विमुक्तो भूत्वा निष्कामभावेन कार्याणि सम्पादयति स कर्मफलैर्मुच्यते । कर्मेष्वसक्तिः बन्धनकारिका विरक्तिश्च मुक्तिविधायिका भवति । एतदेव योगदर्शने ईश्वरप्रणिधाननाम्ना उच्यते ‘ईश्वरप्रणिधानं च सर्वकियाणां परमगुरावर्षणं तत्फलसंन्यासो वा’ ।

निष्कर्षः— श्रीमद्भगवद्गीता विश्वपटले तदा अवतरिता यदा युद्धस्य मृत्योः भयाशान्तेश्च वातावरणमासीत् । श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमाने धर्मस्य कृते न प्रत्युत जीवनं प्रति

स्वदार्शनिकसिद्धान्तानां कारणाद् विश्वस्य मानवानां ध्यानमाकर्षयति। निष्कामकर्मणः संदेशः प्रबन्धनगुरुनपि प्रलोभयति। अद्य वर्तमानजीवने मानवस्य प्रमुखावश्यकता स्वाभ्यन्तरबाह्यसंतुलनस्य विद्यते। एतदकर्म स दैनन्दिनकार्येषु स्थापयति चेत् कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याद्वेषादिभ्यः दूरीभवति। येन तस्य कार्येषु सामंजस्यं जायते तेन स सर्वान् प्रेमभावनया पश्यति। कालक्रमेण तदेव निष्कामकर्मणि परिणमति। तदेव दर्शनस्य साफल्यं गीतायाश्च।

सन्दर्भाः —

1. श्रीमद्भगवद्गीता 2/48
2. तदेव 2/62-63
3. अष्टाध्यायी 5/2/93
4. मनुस्मृति 2/90
5. तदेव 2/94
6. श्रीमद्भगवद्गीता 2/68
7. योगदर्शन 1/13
8. श्रीमद्भगवद्गीता 18/71
9. योगदर्शन 1/15
10. श्रीमद्भगवद्गीता 12/09
11. तदेव 18/36
12. तदेव 2/54
13. तदेव 2/56
14. इशोपनिषद् 6
15. श्रीमद्भगवद्गीता 07/13
16. सांख्यदर्शन 1/61

17. वशेषिकदर्शन 1 / 1 / 24
18. श्रोमद्भगवद्गीता 02 / 16
19. तदेव 14 / 06
20. तदेव 14 / 18
21. न्यायदर्शन 1 / 1 / 21
22. श्रोमद्भगवद्गीता 9 / 21
23. मण्डकोपनिषद् 3 / 2 / 6
24. श्रोमद्भगवद्गीता 09 / 28

# प्रेमचंद के नजर में दलित चेतना : समस्याएँ और समाधान (‘सद्गति’ कहानी के संदर्भ में)

प्रदीप कुमार साव

शोध छात्र, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

## Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 57-60

Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 23 Sep 2020

## शोध आलेख सार

प्रेमचंद ने ‘सद्गति’ कहानी के माध्यम से समाज के यथार्थ को उजागर किया है। प्रेमचंद के समकालीन समाज में प्रखर रूप से जाति-पाति, वर्गों का भेदभाव था। उस समय में ब्राह्मणों का आदर सत्कार था। बाहरी रूप से दिखावा करते थे पर आंतरिक रूप से धर्म संस्कार के नाम पर निम्न जातियों पर शोषण करता था। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों के साथ-साथ उस वर्ग को उभारते हैं जो हाशिए पर पड़ा है।

**मुख्य शब्द** – सद्गति, भेदभाव

समाज में ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए धर्म के मूल बातों को हटाकर अपने द्वारा बनाए गए बातों को रखा। जिससे उसका समाज पर वर्चस्व रहे और उसे मान- सम्मान मिलता रहे। इन बातों से ब्राह्मणों द्वारा पाखंड नजर आता है जब दुखी चमार पंडित के घर आता है जो पंडिताइन कहती है "चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई।" दुखी से काम करते समय छुआछूत की भावना नहीं आती, जहां अपना नुकसान होने की बात हो वहां छुआछूत की भावना ले आता है। जब दुखी चमार पंडित का काम करते हुए 'सद्गति' प्राप्त कर लेता है तब किसी ने भी लाश को नहीं उठाया तब मजबूरन सुबह-सुबह कोई ना देखें, उस समय लाश को घसीटते हुए ले जाता है। सद्गति कहानी में मानवीयता का अभाव पंडित और पंडिताइन में दिखाया गया है जहां प्रेमचंद संकेत करते हैं ब्राह्मण के पास और अमानवीयता का भाव भी होता है। जब दुखी चमार पंडित के घर अपनी बेटी की सगाई हेतु नजराने के साथ साइत-सगुन निकलवाने जाता है तब उसे अपने काम करने को कहता है जिससे झाड़ू लगाना, गोबर से बैठक के स्थान पर लिपना, फिर लकड़ी चीरने को भी कहा गया। भूखे पेट दुखी चमार पंडित के घर आया था। दोपहर हो चली थी खाना तक नहीं दिया गया जब लकड़ी चीरने पर

आराम करने लगा उस पर दुखी चमार को कहा "अरे दुखिया तू सो रहा है ?लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तक तो क्या करता रहा? मुट्टी भर भूषा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है तुझसे जरा सी लकड़ी भी नहीं फटती"<sup>2</sup> फिर साइत भी वैसी निकलेगी। मुझे दोष मत देना यह बात सुनकर चमार के हाथों में ना जाने कहां से 'अदृश्य शक्ति' आ गई थी वह लकड़ी पर प्रहार करने लगा हुआ। वह सुध बुध खो कर प्रहार करता रहा अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। पंडिताइन में अमानवीयता का भाव दिखता है। जब दुखी चमार चिलम जलाने को आग मांगता है तो पंडिताइन चिमटे से पकड़ कर आग लाती है। पांच हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर लगी। जिसके घर का काम कर रहा हूं वहां इस तरह का व्यवहार करना अमानवीय है। पंडिताइन की दूसरी बात से पता चलता है उसमें संवेदनशीलता एवं सहानुभूति भी नहीं दिखती। यथा "जब पंडित कहता है वह दुखी चमार लकड़ी चीरते-चीरते मर गया। अब क्या होगा? तब पंडिताइन कहती है होगा क्या, चमारौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए"<sup>3</sup> अगर स्वभाविक रूप से दया य सहानुभूति आती भी है तो वहां स्वार्थ का पर्दा उसे ढक देता है। जैसे पंडिताइन कहती है "चमारवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है। भूखा होगा"। "पंडित पूछता है रोटियां हैं? तो पंडिताइन कहती है दो-चार बची है। पंडित करता है दो-चार से क्या होगा चमार है उसे तो शेर भर चाहिए ऐसा करो की भूमी चौकर मिला कर दो मोटी रोटियां बना दो पर पंडिताइन बोलती है पत्नी रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, अब जाने भी दो धूप में कौन मरे!"<sup>4</sup>

दूसरी तरफ प्रेमचंद ने दिखाया है समाज के पीड़ित तबके में संवेदनशीलता होती है जैसे चमार का साथी गोड़ जिसे पता था कि यह पंडित लोग काम तो करवा लेते हैं पर खाने को या दूसरे के काम के समय साथ नहीं देते हैं इसलिए दुखी चमार को देख दया आती है तो उसके लकड़ी चीरने में सहायता भी करता है जो कि चमार के अंदर ब्राह्मणों के प्रति जो आस्था है और भाई आधारित है उसके आदर सत्कार करता है जो समाज पुराने समय से ब्राह्मणों को मान सम्मान करते आ रहे थे वह संस्कार, कर्म बन गया था। उसी बात को लेकर दुखी चमार समाज भी कर्मों से छूटा नहीं था। दुखी चमार की सामाजिक व्यवहारिक सोच बनी हुई थी। जो एक सामाजिक व्यक्ति का परिचय देता है। दुखी चमार समाज व्यवस्था को इतनी तन्मयता से अपनाया हुआ है कि वह पंडित जी के घर खाली हाथ जाने से भी डरता है। प्रेमचंद कहते हैं "उस खाली हाथ देखकर तो पंडित जी उसे दूर से ही

दुत्कार देते"<sup>5</sup> दुखी चमार इतना डरता है, वह खाना खाने के लिए वह वापस घर नहीं जाता बल्कि पंडित का ही काम करता है क्योंकि पंडित जी भड़क जाए। मानसिकता को दिखाएं है पहली जो निराशा को दिखाते हैं वहीं दूसरी तरफ आशा की बात करते हैं। पहली निराशा को दिखाते हैं ब्राह्मण धर्म पाखंड और अंधविश्वास जैसी चीजों को मानकर दुखी चमार जैसे लोग फंस जाते हैं। दुखी अछूत कहे जाने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह मानता है कि मैं पिछले जन्म में पाप किया है तभी नीच जाति में जन्म हुआ और अगर ब्राह्मण की सेवा करे तो हमें सद्गति प्राप्त होगी क्योंकि चमार जानता है कि उस पर अन्याय हो रहा है वो नियति मान लेता है। जो स्वयं सोचता है

"साइत का ही सब खेल है जिस चाहे बना दे जिस चाहे बिगाड़ दे"<sup>6</sup> यहां प्रेमचंद निम्न वर्ग को ही जिम्मेदार ठहराया। पिछड़े वर्ग विरोध नहीं करता है। नियति को मान लेता है जिससे ब्राह्मण इसी का फायदा उठाकर उस पर शोषण करता है। यह मान लेता है कि मैं पंडित के घर में घुस गया हूं क्योंकि यह गलत है और जो पंडिताइन के

आग मांगने पर उसके तरफ आग फेकता है तो चिंगारी दुखी के सिर पर जा लगा उसके मन ने कहा यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है भगवान ने कितने जल्दी फल दे दिया। एक और बात से और पता चलता है कि वह कितने अपने आप को छोटा समझता है जिसमें स्वाभिमान की भावना नहीं है। जब गोड़ पूछता है "कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं जाकर मांगते क्यों नहीं ?तब दुखी कहता है

कैसे बात करते हो ,चिखुरी ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी।"<sup>7</sup>

दूसरी तरफ प्रेमचंद ने गोड़ के माध्यम से आशा की किरण को जीवित रखा है। वह इस बात को भलीभांति जान गया है ब्राह्मण केवल नाम का है जो दूसरों पर शोषण करता है काम करवाता है बेगारी करवाता है खाने को कुछ देता नहीं है हकीम भी बेगारी लेता है तो थोड़ी बहुत मजबूरी दे देता है। यह तो उनसे भी बढ़ गए, उस पर परमात्मा बनते हैं इसलिए दुखी चमार को काम करने से मना करता है और जब दुखी चमार लकड़ी चीरते-चीरते मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तब "गोड़ ने चमारों में जाकर सबसे कह दिया खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी दिललगी है कि गरीब की जान ले ली। पंडित अपने घर के होंगे। उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इस तरह गोड़ ने लोगों को बोल दिया।"<sup>8</sup> पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। आखिर इस बार पंडित निराश होकर लौट आए। इस तरह पंडित के प्रति विरोध जाहिर किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में भी ऐसे लोग सामने आए हैं जो सोशल पंडितों के द्वारा नहीं होना चाहते हैं। जो समाज में साम्यवाद चाहते हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं यह प्रेमचंद द्वारा समाज के बदलाव होने का संकेत है।

इस कहानी में प्रेमचंद ने कहीं कहीं एक का जगह व्यंग किए हैं जैसे जिसमें पर हुआ समाज में ब्राह्मणों के प्रति कहे गए हैं जैसे उसके पूजा पाठ की बातों को उसके खेती कहते हैं। पर जो सबसे बड़ा व्यंग दिखता है वह 'सद्गति' शीर्षक में ही है। सद्गति प्राप्त कर लिया यानी मोक्ष प्राप्त कर दिया जो जन्म जन्मांतर से एक धारणा बनी हुई है पंडित अंतिम संस्कार के समय छूने से प्राप्त कर लेता है। जब पंडित ने दुखी चमार की लाश को गांव के बाहर ले जाता है। प्रेमचंद कहते हैं कि उसकी सद्गति प्राप्त हो गई। इस तरह दुर्गति को प्रेमचंद जी सद्गति कहकर व्यंग करते हैं। यही जीवन पर्यन्त की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने समय के यथार्थ के एक पक्ष को उतारते हैं जिसमें समाज के उच्च जाति के प्रति विरोध का भाव को दिखाते हैं। तथा दुखी चमार जैसे लोगों की स्वाभिमान समाप्त हो रहे हैं तथा अपने आप नीच मान लेना, नियतिवाद में जीना एक स्वयं शोषण होने के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ जैसे लोगों से प्रेमचंद ने समाज के बदलाव होने का संकेत किया है।

## मूल ग्रंथ

1. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-111
2. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-114
3. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-115
4. प्रतिनिधि कहानियाँ –प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-112
5. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-111
6. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-112
7. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-113
8. प्रतिनिधि कहानियाँ – प्रेमचंद, सम्पादन- भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, 2018,पेज-115

## सहायक ग्रंथ :

1. हिन्दी कहानी का विकास- मधुरेश, समित प्रकशन, इलाहाबाद – 2018
2. हिन्दी कहानी का इतिहास – गोपाल राय-राजकमल प्रकाशन -2018
3. परिकथा, द्विमासिक हिन्दी पत्रिका, गाँव-किसान अंक, जुलाई –अगस्त, 2019
4. हंस, मासिक हिन्दी पत्रिका, संपादक- राजेंद्र यादव,अगस्त,-2006
5. आजकल, हिन्दी पत्रिका,संपादक- फरहत परवीन, जुलाई-2015

# ‘नौकर की कमीज़’, व्यवस्था और मुक्तिबोध

आराधना साव

नेट/जेआरएफ़, शोधार्थी, हिन्दी विभाग, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता

## Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 61-66

Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 01 Oct 2020

Published : 09 Oct 2020

शोध-सार - हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार तथा कवि विनोद कुमार शुक्ल काफी लंबा समय कवि मुक्तिबोध के साथ बिताए थे, यही कारण है कि उनपर मुक्तिबोध का काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वयं कई साक्षात्कारों में यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनके लेखन पर मुक्तिबोध का काफी प्रभाव है। अतः इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रस्तुत शोध-पत्र में विनोद कुमार शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास ‘नौकर की कमीज़’ पर मुक्तिबोध के प्रभाव की पड़ताल करने की कोशिश की है एवं इसी आधार पर निष्कर्ष तक पहुंची हूँ।

मूल-शब्द - व्यवस्था, निम्नमध्यवर्ग, संघर्ष, शोषण, नौकरशाही, नौकर, विनोद कुमार शुक्ल, मुक्तिबोध।

हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ‘कविता क्या है?’ निबंध में लिखा है कि “सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए।” 1979 में प्रकाशित विनोद कुमार शुक्ल जी के पहले उपन्यास ‘नौकर की कमीज़’ पर उपरोक्त पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इस उपन्यास में भारतीय नौकरशाही तंत्र के मकड़जाल एवं बाबुओं के घर और बाहर की दयनीय एवं विवश ज़िंदगी तथा अफसरशाही की क्रूर एवं संवेदनहीन मानसिकता के चित्रण में विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपने गहरे अनुभव और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सभ्यता के आधुनिक दौर में शोषण का रूप भी सभ्य हो गया है जहां मनुष्य के लोभी, कपटी, अहंकारी आदि रूप सभ्यता के आवरण के पीछे छिप जाता है। इसी आवरण को विनोद कुमार शुक्ल जी ‘नौकर की कमीज़’ उपन्यास में उधेड़ते-बुनते हैं और इस उधेड़बुन के दौरान उपन्यास के कुछ धागे अप्रत्यक्ष रूप से मुक्तिबोध से जाकर भी जुड़ जाते हैं जिसकी हम यहाँ पड़ताल करेंगे लेकिन उससे पहले ‘नौकर की कमीज़’ उपन्यास के संबंध में थोड़ा जान लेना आवश्यक होगा।

‘नौकर की कमीज़’ उपन्यास की पूरी कहानी उपन्यास के नायक संतू बाबू के इर्द-गिर्द घूमती है। उपन्यास की शुरुआत संतू बाबू की मनस्थिति के चित्रण के साथ होती है जहां वे अपनी जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ और संघर्षों के साथ चिंतन-मनन करते हुए थोड़ी सुकून और शांति पाने की लगातार जद्दोजहद करते दिखाई पड़ते हैं। वे जिस दफ्तर में काम करते हैं वहाँ कमोबेश हर अधीनस्थ कर्मचारी का यही हाल होता है जहां वे अपने से ऊपर अफसर की गुलामी करने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ तक की संतू बाबू को किराए के घर में रहने के लिए भी मालिक और मालकिन की जी हुजुरी करनी पड़ती है। संतू बाबू के साहब ने अपने घर के नौकर के लिए एक

कमीज़ बनवा रखी थी और उसे पहनने वाला उनका नौकर पूरी तरह से उनका गुलाम था । एक दिन वह नौकर गायब हो जाता है और परिस्थिति उस नौकर की कमीज़ को पहनने के लिए संतू बाबू को सामने ला खड़ा करता है । इन सारी परिस्थितियों से संतू बाबू और उनके दफ्तर के बाकी कर्मचारी कैसे जूझते हैं और इनसे कैसे संघर्ष करते हैं तथा पार पाते हैं, उपन्यास इसी को लेकर आगे बढ़ता है ।

विनोद कुमार शुक्ल जी के लेखन के विशिष्ट अंदाज़ ने साहित्य-लेखन परंपरा को एक नई दिशा दी है । इसके साथ ही उनका लेखन समकालीनता को एक नई परिभाषा देता है । उन्होंने 'नौकर की कमीज़' उपन्यास से भारतीय मध्यवर्गीय नौकरी पेशा जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं को नया स्वर दिया है । इस उपन्यास के संबंध में डॉ. रामचन्द्र तिवारी ने लिखा है, "कुल घटना घर से दफ्तर जाने और दफ्तर से घर आने तक सीमित है । पति दफ्तर में साहब का बेगार करता है और पत्नी घर में मकान-मालकिन का हुकम बजाती है । आज का निम्नवर्गीय व्यक्ति अभाव, घुटन और दैन्य को भोगते हुए भी संभ्रांत जीवन बिताने की ललक पाले रहता है । उसकी छोटी-छोटी इच्छाएँ भी पूरी नहीं हो पाती । लेखक ने निम्नमध्यवर्ग की इसी पीड़ा और अंतर्विरोध को संवेदना के स्तर पर पूरी मार्मिकता के साथ व्यंजित किया है ।"<sup>2</sup> वस्तुतः इस उपन्यास में कमीज़ वह संरचना है जो हमें व्यवस्था की सच्चाईयों को दिखलाती है और यह भी स्पष्ट करती है कि नौकर की कमीज़ पहनने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग आतुर नहीं तो कम से कम मजबूर अवश्य है । इस उपन्यास में बड़े साहब ने जो कमीज़ बनवा रखी है उसमें एक आदमी ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा वर्ग फिट होता दिखाई देता है । दरअसल 'कमीज़' उस क्रूर व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें बेगारी प्रथा चरम पर है, नौकरशाही तंत्र के ताने-बाने से निर्मित 'कमीज़' वह साँचा है जिसमें इस व्यवस्था में आने वाले प्रत्येक नौकर के लिए फिट होना या ढलना अनिवार्य है । फलतः संवेदनहीन अफसरशाही के शिकंजे में हजारों संतू बाबू जैसे लोग मजबूरी में कुदते रहते हैं । विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस उपन्यास में स्वतंत्र्योत्तर भारतीय नौकरशाही में मौजूद गुलामी के इसी मनोविकास की गहरी छानबीन की है और इसी प्रयास में संवेदना एवं अनुभूति के धरातल पर निम्न मध्यवर्गीय ज़िंदगी में बहुत अंदर तक चले गए हैं । रमेशचन्द्र शाह ने लिखा है, "एक हिंदुस्तानी निम्न-मध्यमवर्गीय घर की जो भी स्थितियाँ होती हैं, हो सकती हैं, विनोदकुमार शुक्ल ने उनका लघुतम समापवर्त्य इस उपन्यास में रच दिया है और वह हमारे अपने अनुभव से सिर्फ़ मेल ही नहीं खाता- उसे रूपांतरित भी कर देता है- हमारे आँख-कान लगा देता है ।"<sup>3</sup> यही कारण है कि हम इस उपन्यास के प्रत्येक उस पात्र से जुड़ाव महसूस करते हैं जो जीवन जीने के लिए संघर्ष और अपनी परिस्थितियों से जद्दोजहद करते नज़र आते हैं ।

'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि रचनाकार केवल नायक की सफलता का पक्ष दिखाए तो नायक का सौंदर्यत्व एवं नायकत्व उभरकर सामने नहीं आ पाएगा । उदाहरण के लिए, श्रीराम का नायकत्व एवं सौंदर्य रावण से युद्ध के बाद ही अधिक उभरकर सामने आ पाता है । विनोद कुमार शुक्ल भी मध्यवर्गीय परिस्थितियों से जूझते संतू बाबू का संघर्ष 'नौकर की कमीज़' उपन्यास में दिखाते हैं जो उसके नायकत्व को उभारकर पाठकों के समक्ष रखता है । निम्नमध्यवर्गीय व्यक्ति या संतू बाबू जैसे लोग जीवन के एक-एक क्षण को समेटने और उसे जीने के लिए तड़पता है लेकिन समाज, व्यवस्था और उसकी विडंबनाओं में इस प्रकार फँसता चला जाता है कि उसके दोनों हाथ समय को पकड़ने के लिए बस उठे के उठे रह जाते हैं । इस प्रक्रिया में एक इंसान दूसरे इंसान का जबड़ा कब, कैसे और कितना कसता चला जाता है, समझना मुश्किल है और उसका विरोध करना तो उससे भी मुश्किल है । उपन्यासकर संतू बाबू के इन निम्नमध्यवर्गीय स्थितियों, विडंबनाओं एवं शोषण को दिखाकर नौकरशाही में संतू बाबू की दयनीय स्थिति को और मजबूत करते हैं ।

संतू बाबू के घर का टपकता छत, मंहगाई, परिवार की ज़िम्मेदारी आदि परिस्थितियों के कारण ही संतू बाबू का वेतन उनके लिए कटघरा बन जाता है जिसे तोड़कर वे पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आधुनिक दौर में मनुष्य की आर्थिक सुरक्षा उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक बन गया है। उपन्यास में संतू बाबू कहता है, “मेरा वेतन एक कटघरा था, जिसे तोड़ना मेरे बस में नहीं था। यह कटघरा मुझमें कमीज़ की तरह फिट था। और मैं अपनी पूरी ताकत से कमजोर होने के हद तक अपना वेतन पा रहा था।”<sup>४</sup> यहाँ कटघरा यानि वेतन और कमीज़ प्रतीक रूप में दिखाई पड़ता है जो वेतन भोगी नौकर का दायरा और हैसियत बताता है। यह वेतन ही है जो व्यवस्था के खिलाफ व्यक्ति की जुबान पर ताला जड़ देता है। उपन्यास में बड़े बाबू कहते हैं कि दफ्तर में जबान को मुंह में नहीं, टेबिल की ड्र में रखकर काम करना पड़ता है। उपन्यास की यह पंक्ति बाबूओं और नौकरीपेशा लोगों की दयनीय स्थिति को साफ करती है और उनकी स्थिति पर एक ज़बरदस्त उदाहरण पेश करती है। अतः ‘नौकर की कमीज़’ उपन्यास में नौकरीपेशा लोगों और भारतीय निम्न-मध्यवर्गीय परिवार का संघर्ष, अंतर्द्वंद्व और जीवन की विडंबनाएं प्रमुख तत्व हैं जो कि मुक्तिबोध की रचनाओं का भी प्रमुख तत्व रहा है।

दरअसल, विनोद कुमार शुक्ल का केवल जन्म ही मुक्तिबोध के गाँव राजनांद में नहीं हुआ था बल्कि उनपर कवि मुक्तिबोध का काफी गहरा प्रभाव भी था। विनोद जी ने काफी लंबा समय मुक्तिबोध के साथ बिताया था। यही कारण है कि विनोद जी का लेखन कर्म भी मुक्तिबोध से काफी प्रभावित है। बल्कि यह बात उन्होंने कई साक्षात्कारों में स्वयं स्वीकार किया है। अपने एक संस्मरण में उन्होंने लिखा है, “मेरे लेखन में मुक्तिबोध के प्रभाव से तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता। लेखन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता ही है और ये प्रभाव एक अच्छी बात है। अकेला लेखन जैसा कुछ भी नहीं होता। लेखन किसी भी समय हमेशा मिलजुल करके होता है और असल में लेखन मिलजुल कर एक-दूसरे के प्रभाव का ही परिणाम होता है।”<sup>५</sup> वस्तुतः उनका लिखा ‘नौकर की कमीज़’ भी उनके इस कथन से अछूता नहीं है।

मुक्तिबोध जीवन पर्यंत व्यवस्था और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते रहें और इसी के परिणामस्वरूप ‘चाँद का मुंह टेढ़ा है’ जैसी रचना भी प्रकाश में आई जिसमें मुक्तिबोध ने व्यवस्था की कुरूपता को उजागर किया है। व्यवस्था की कुरूपता की परतें ‘नौकर की कमीज़’ में भी खुलती हैं।

अगर हम मुक्तिबोध की सबसे प्रसिद्ध कविता ‘अंधेरे में’ की भी बात करे तो पाएंगे कि ‘नौकर की कमीज़’ एवं ‘अंधेरे में’ में काफी कुछ साम्य है। ‘अंधेरे में’ का नायक गहरे अंतर्द्वंद्व में फंसा होता है। कविता में दो ‘मैं’ उभरकर सामने आता है जिसमें एक ‘मैं’ वह है जो कवि है और दूसरा ‘मैं’, जो कवि बनना या होना चाहता है। हिन्दी के आलोचक गोरखनाथ ने लिखा है, “इस कविता(अंधेरे में) में आनेवाले ‘मैं’ और ‘वह’ मध्यवर्गीय व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व, आत्मसंघर्ष की प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्गान्तरित होने का भाव प्रकट करते हैं। कविता में आनेवाले पागल की आत्मभत्सर्ना वास्तव में आदर्शवादी, सिद्धांतवादी भारतीय मध्यवर्ग के मन का यथार्थ है।”<sup>६</sup> ‘नौकर की कमीज़’ में भी संतू बाबू गहरे अंतर्द्वंद्व में फंसे होते हैं। उपन्यास के आरंभ में उनका बार-बार घर से बाहर एवं बाहर से घर आना, न चाहते हुए भी साहब के बंगले पर काम के लिए जाना, घास उखाड़ने वाला प्रसंग आदि उनके गहरे अनतर्द्वंद्व को दर्शाता है। दरअसल, रचनाकार के भीतर प्रतिरोध अधिक है, इसलिए वह अपने अंदर अपना ही एक प्रतिपक्ष बना लेता है अर्थात् उसके अंदर का अंतर्द्वंद्व ही उसका प्रतिपक्ष बन जाता है। कहना न होगा कि ‘नौकर की कमीज़ में’ में संतू बाबू और ‘अंधेरे में’ के नायक, दोनों के भीतर एक मजबूत प्रतिपक्ष कार्य कर रहा होता है।

इसके अतिरिक्त 'अंधेरे में' कविता में व्यवस्था के खिलाफ जन-जन की एकजुट संघर्ष की शक्ति चित्रित है तो 'नौकर की कमीज़' में भी शोषण की प्रतीक 'कमीज़' को जलाने में गौराहा बाबू, देवांगन बाबू, बड़े बाबू एवं संतू बाबू की एकजुटता दिखाई पड़ती है ।

सन् 1962-64 के चीन युद्ध के बाद एवं जन संघ का कट्टर नीतियों के साथ उदय के बाद देश में जो अंधेरा छाया, कवि मुक्तिबोध उस 'अंधेरे' की बात करते हैं । तो 'नौकर की कमीज़' में 1975 में लागू आपातकाल और फिर सन् 1977 में जनता दल के गठबंधन सरकार के बाद भारतीय नौकरशाही तंत्र में बढ़ी अराजकता, मनमानी एवं आमजन की त्राहिम स्थिति को उपन्यासकार दर्शाता है । दोनों ही रचना अपने समय की परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्षरत हैं, मगर दोनों रचनाओं का नायक परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है ।

मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे । इसका प्रभाव भी विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी रचनाओं में मिलता है । 'नौकर की कमीज़' उपन्यास में मंहगू का संतू बाबू के घर पर आने वाला प्रसंग इसका अच्छा उदाहरण है । संतू बाबू कहते हैं, "पत्नी चाय लेकर आई । पत्नी ने मुझे वैसा ही कप दिया, जैसा मंहगू का था । यह देखकर मुझे खुशी हुई । कप लेकर वह बोरे में बैठने जा रहा था, तब "कुर्सी पर बैठ जाओ मंहगू" मेरे मुंह से निकला ।"७ एक अन्य जगह पर उपन्यासकार लिखते हैं, "मुझे चंद्रमा आकाश में गोल कटी हुई खिड़की की तरह लगता था जिससे आकाश की आड़ में छुपी हुई दुनिया का उजाला आता था । सूर्य का भी यही हाल था । फर्क सिर्फ दिन और रात का था ।"८ उपन्यास में आगे संतु उस गोल कटी हुई खिड़की को तोड़कर अंधेरे को खिड़की के उस पार की रोशनी से दूर कर देने की बात करता है । उपन्यास में और आगे संतु बाबू कहते हैं-"हालत सुधारने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने के उपाय पर मुझे विश्वास नहीं था । कुदाली चलाने वाला मजदूर दिन-रात कुदाली चलाकर भी अपनी हालत सुधार नहीं सकता था । संपत के विचार से मैं सहमत नहीं हो पाता था । दरअसल बाज़ार में मेहनत की कोई कीमत नहीं है । आदमी की अधिक से अधिक आमदनी और कम से कम आमदनी में भयानक अंतर था ।"९ कहना न होगा कि उपर्युक्त कथनों में क्रमशः वर्ग संरचना (class structure) को तोड़ने एवं धन का समान वितरण (equal distribution of money) जैसे मार्क्सवादी सिद्धांतों का अप्रत्यक्ष जिक्र एवं समर्थन है । हालांकि चंद्रमा को गोल कटी खिड़की के रूप में देखना एक फेंटेसी हो सकती है मगर उपन्यास के टेक्सचर को देखते हुए चंद्रमा के रूप में गोल कटी खिड़की के इस पार के अंधेरे और उस पार के उजाले को दो वर्गों की बीच की दूरी के रूप में देखना अधिक संगत लगता है ।

व्यवस्था एवं नौकरशाही तंत्र की भयावहता हमें मंहगू, बड़े बाबू और संतु बाबू की स्थितियों पर गौर करने से साफ-साफ दिख पड़ता है । व्यवस्था की मार सीधे इनके दिमागी स्थिति को प्रभावित करती है । एक तरफ मंहगू राम-राम साहब बोलते-बोलते अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता है और पागल हो जाता है, दूसरी तरफ बड़े बाबू भी अपने बेटे के चले जाने के बाद उसके लौट आने के लिए जो-जो करते हैं, वह उनकी सामान्य मानसिक स्थिति को नहीं दर्शाता है । जो नहीं है उसका उनको बार-बार भ्रम होता है । और यह एक सीजोफ्रेनिया का भी लक्षण है । एक स्वास्थ्य संबंधी वैबसाइट के अनुसार, "इस रोग में, लोग वास्तविकता को असामान्य रूप से व्याख्या करते हैं। स्कीज़ोफ्रेनिया के परिणामस्वरूप मतिभ्रम, भ्रम और बेहद अनियंत्रित सोच और व्यवहार का कुछ संयोजन होता है जो रोजाना कामकाज को खराब करता है, और अक्षम हो सकता है।"१० वस्तुतः बड़े बाबू को भी बार-बार भ्रम होता है कि उनका बेटा आ गया है और वे अजीबोगरीब हरकत करते हैं । वहीं दूसरी ओर संतु बाबू बार-बार स्वप्न देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि वे किसी गहरी खाई में गिरते चले जा रहे हैं । अगर गौर करे तो हम पाएंगे कि

उपर्युक्त सभी पात्रों की मानसिक स्थिति का एक तार मुक्तिबोध से जाकर जुड़ता है। हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नई कविता और अस्तित्ववाद' में लिखते हैं कि मुक्तिबोध सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि इस बात को बाद में कई आलोचकों ने विरोध करके नकार दिया जिसमें डॉ. नामवर सिंह जैसे आलोचक भी शामिल हैं, मगर मुक्तिबोध की कविताओं के अध्ययन करने के बाद उनके अंतर्द्वंद्व और उनके भीतर की बेचैनी को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसे रामविलास शर्मा ने सीजोफ्रेनिया का नाम दिया। यही बेचैनी और अंतर्द्वंद्व 'नौकर की कमीज़' के पात्रों में दिखती हैं। मुक्तिबोध की कविताओं और विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं खासकर 'नौकर की कमीज़' की पृष्ठभूमि में एक चीज जो समान है, वह है भारतीय मध्य एवं निम्नवर्ग, उनकी बेचैनी, उनका अंतर्द्वंद्व।

'नौकर की कमीज़' उपन्यास में कई प्रसंग निम्नमध्यवर्गीय पीड़ा, घुटन, मजबूरी आदि तथा सम्पन्न वर्ग की सुविधाभोगिता और चालाकी प्रकट करता है। संतु बाबू की पत्नी का डॉक्टरनी के यहाँ काम करना एवं बाई साहब का चालाकी से काम निकलवाना इसके उदाहरण हैं। लेखक लिखते हैं, "अगर बाई साहब को मालूम हो जाए कि तुम्हारे चौके के पाटे पर बैठकर खाना खा ले तो आप उनके गुलाम हो जाएंगे तो घिन लगने के बावजूद वे जरूर खाएँगी।" ११ यह वाक्य उच्च वर्ग की स्वार्थलोलुपता को ही दर्शाता है। उच्च वर्ग, एवं व्यवस्था तथा शासन तंत्र की मिलीभगत ही जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि को अंजाम देते हैं। जहाँ एक ओर संतु बाबू के घर में सब्जी भी रोज नहीं बनती वहाँ दूसरी ओर बाई साहब के घर में काजू-बादाम सड़ रहा होता है। एक जगह उपन्यासकार आकाल एवं हरे-भरे खेत की चर्चा एक साथ करते हैं। वे लिखते हैं, "...लड़के का नाम टोटके के लिए 'यथार्थ' भी रखा जा सकता था और लड़की का नाम टोटके के लिए 'विचार'। यथार्थ अकाल नहीं है। यथार्थ हरे-भरे खेत हैं।" १२ वस्तुतः हरे-भरे खेत होने के बावजूद अकाल जैसी स्थिति है, इसका कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी ही है। सीधी-सपाट चलने वाली आम लोगों के जीवन के यथार्थ को विनोद कुमार शुक्ल अपनी उपन्यास में रचनात्मकता में तब्दील करते हैं। रमेशचन्द्र शाह लिखते हैं, "लेखक ने ऐसा किया और ऐसा करके उसने पाया कि यह यथार्थ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वह और भी बहुत कुछ है जिसे हमारी संवेदना ने खोजा नहीं, हमारी कल्पना ने छुआ नहीं। यही हमारे लोग हैं, यही उनका जीवन है, पर उन्हें अपने जिन गुणों और संभावनाओं की स्वयं ही उस तरह चेतना नहीं, वह चेतना उस जीवन और उसके पात्रों के बीच डूबे हुए लेखक के भीतर जागने लगती है।" १३ यही कारण है कि संतु बाबू में कई बार हमें विनोद कुमार शुक्ल बोलते नज़र आते हैं। यथार्थ की यह चेतना मुक्तिबोध की रचनाओं में भी हमें मिलती है।

निष्कर्षतः 'नौकर की कमीज़' भारतीय नौकरशाही एवं भ्रष्ट व्यवस्था की एक ऐसी विडम्बना है जिससे हम आज भी मुक्त नहीं हो पाये हैं। इसकी जड़े जितनी बाहर दिखाई देती हैं, उससे भी अधिक भीतर फैली हुई हैं। और इसी व्यवस्था के खिलाफ मुक्तिबोध भी आजीवन लिखते रहें।

टी.एस.इलियट ने अपनी परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धान्त में कहा था कि महान रचनाकार अपनी परंपरा से कुछ न कुछ ग्रहण अवश्य करता है अर्थात् उसपर उसकी पूर्ववर्ती रचनाकारों का प्रभाव अवश्य होता है। विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी रचनाओं पर भी मुक्तिबोध का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है और उनका उपन्यास 'नौकर की कमीज़' भी इससे अछूता नहीं है। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय मध्य एवं निम्नमध्यवर्ग के संघर्ष एवं अंतर्द्वंद्वों को भी केंद्र में रखा जो कि विनोद कुमार शुक्ल की 'नौकर की कमीज़' एवं अन्य कई रचनाओं के भी केंद्र में दिखाई देती है। मध्य एवं निम्नमध्यवर्ग का दिवास्वप्न कितना ही लुभावना क्यों

न हो, उसका जीवन परिस्थितियों से लड़ने एवं संघर्ष करने में ही बीतता है । वस्तुतः दफ्तर एवं अपनी जीवन की परिस्थितियों से जूझते हुए भी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के आरंभ की दास्तां है 'नौकर की कमीज़' ।

## संदर्भ

१. शुक्ल रामचंद्र.(1988). कविता क्या है?. नामवर सिंह (सं.), रामचन्द्र शुक्ल संचयन(पृ.20). साहित्य अकादेमी.
२. तिवारी रामचन्द्र.(2014). हिन्दी का गद्य-साहित्य(नौवा संस्करण). विश्वविद्यालय प्रकाशन. पृ.240.
३. शाह रमेशचन्द्र. दो नए उपन्यास. परमानंद श्रीवास्तव (सं.), समकालीन हिन्दी आलोचना(पृ.345). साहित्य अकादेमी.
४. शुक्ल विनोद कुमार.(1994). नौकर की कमीज़.राजकमल पेपरबैक्स. पृ-18.
५. [https://www.bbc.com/hindi/india/2014/09/140912\\_muktibodh\\_vinod\\_kumar\\_shukl\\_rns](https://www.bbc.com/hindi/india/2014/09/140912_muktibodh_vinod_kumar_shukl_rns)
६. गोरखनाथ.(2019). मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष. वी.जी.गोपालकृष्णन (सं.), मुक्तिबोध : विचार और विवेक(पृ.27). वाणी प्रकाशन.
७. शुक्ल विनोद कुमार.(1994). नौकर की कमीज़.राजकमल पेपरबैक्स. पृ-203.
८. वही, पृ-113.
९. वही, पृ-118.
१०. <https://www.credihealth.com/blog/hi/schizophrenia-meaning-in-hindi>
११. शुक्ल विनोद कुमार.(1994). नौकर की कमीज़. राजकमल पेपरबैक्स. पृ-225.
१२. वही, पृ.-221.
१३. शाह रमेशचन्द्र. दो नए उपन्यास. परमानंद श्रीवास्तव (सं.), समकालीन हिन्दी आलोचना(पृ.343). साहित्य अकादेमी.



## Moral Implication of Jaspers Existentialism in Modern Society



**Pandey Kumari Neelam Dayashankar**  
Research Scholar  
Department of Philosophy & Religion  
Banaras Hindu University,  
Varanasi, India

### ABSTRACT

#### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 67-69  
Publication Issue :  
September-October-2020

The world today is witnessing moral crisis on a huge level which is a consequence of mainly the materialistic attitude and the narrow mindedness of mankind as well as the advancement of technology. Nineteenth and Twentieth century was the age of scientific Advancement, the Industrialisation and Universalisation. Parallel to this, in the field of philosophy there was abstraction. The absolute rational approach both in social and philosophical field brought human dignity to a loss. Meanwhile, Existentialism came in to the scenario as a revolt against abstract philosophy as a vision to pave the way towards Humanity and to revive the lost human dignity but, what is humanity and how can it solve main problems of present age? In my opinion, Karl Jaspers's philosophy provides a number of moral ideas that are relevant and helpful in solving present problems .The purpose of this article is to bring awareness among the readers regarding the distinction between objective ideology and subjective ideology of morality. The method of this article is critical.

Karl Jasper was aware of the loss of individual freedom. The answers of above mentioned questions lies in the fact that what are man's nature and the nature of his existence. I have focused on the main themes of Karl jaspers Existentialism regarding values and moral values so that the reader is able to develop a clear understanding of the topic and can relate to his own personality ,which will help to make the topic more relevant.

**Keywords :** Encompassing, Ultimate Situations, Existential Communication, Freedom.

#### Article History

Accepted : 01 Oct 2020  
Published : 12 Oct 2020

Existentialism is a philosophy that conducts war against all kinds of scientific positivism, materialism and technological pragmatism, accusing them of the crime of having killed the true spirit of human culture by reducing mans highest values and ideals to mere sublimation of animal instincts. It is deeply interested in ethical questions , i.e. in trying to provide a theoretical as well as practical answer to the question ‘how ought to people live?’ Existentialism criticizes both ordinary man’s way of life as well as that of traditional philosophers. Because for them supreme value of life lies in the secure and tranquil enjoyment of worldly pleasure and in the absence of suffering. But for the existentialist on the other hand **“The commanding value of life is intensity, as manifested in acts of free choices, individual self assertion, personal love or creative work , and these various forms of intensely lived experience are impossible without anguish, suffering and risk”**<sup>1</sup>. In the words of Nietzsche **“The secret of the greatest fruitfulness & the greatest enjoyment of existence is to live dangerously”**<sup>2</sup>. The intension of this article is to point out some implicit ideas of Karl Jaspers’ (1883-1969) existentialism regarding value, moral values and relevancy of these values in present age.

Karl Jaspers was very much concerned about ‘modern man’. He was very much worried about the serious imperiled harmony of the mankind by the rise of mediocrity. Although he was aware of the uniqueness of scientific development, he was also concerned with its limitation . He realized that the rise of machine age has brought menace to civilization from within in twentieth century. It is the inner crisis of man that he has ceased to exist as a man & has become an automatic man. He is now no longer is able to experience his inner self rather his analytical attitude demands explanation for everything which is experienced. For protecting modern era from dehumanization jaspers calls for an attitudinal change i.e., instead of resisting the world man must accept the world as it is and self realize the meaning of life which is identical to the values which he finds in life.

Jaspers main problem was the search of true being. He believed that man is the place at which and through which everything that is real, exist for us at all. Therefore he believed that the ground of philosophizing should be on the ground of possible existenz. The notion of ‘Encompassing’ is of cardinal importance for an understanding of the philosophy of Karl Jaspers. It intends to suggest all-inclusive reality within which human existence is enclosed. A human being realizes oneself in four modes or four dimensions of being. These modes of encompassing are:

- a) Being there i.e. Dasein
- b) Being oneself i.e. Consciousness in general
- c) Being itself .i.e. Geist or Spirit
- d) Existenz

The above three modes of being of self-realization are immanent . It represents man only as an empirical phenomenon. Man owes his potentiality to a fourth dimensions of self-realization, the mode of transcendence or the self-realization as existenz. The above three modes are not three separate entities, but three starting points through which man approaches the being that he is.

The first mode of encompassing i.e. Dasein refers to 'Existence'. It is existence of being as an object in particular space and time like other beings. This 'Dasein' is different from Heidegger's 'Dasein'. It may be viewed as virtually identical with Hobbes's man in a state of nature. The being in this stage is a hedonist entirely devoid of any notion of right & wrong, justice & injustice, etc.

When we moved from the perceptible level to the scientific level i.e. consciousness in general, we try to grasp clear and certain knowledge. Whether it is scientific law, species concept, aesthetic or moral norms. All such knowledge is justified on logical judgment. The knowledge in this level is accepted only as a universal truth.

Next to scientific level, comes the level of spirit called spiritual level or the level of possible existenz. It is necessarily oriented to the truth of consciousness as such, as to the world of encounters. As spirit, man consciously relates himself to everything he comprehends and in this mode of encompassing he comes to know himself and this world as one, unique, all embracing reality. This is how, spirit tries to access the true being (Existenz) to at least possible.

Existenz is the dimension of authentic and genuine self. It cannot be defined nor objectified. It is the authentic ground of human being, of personal freedom and true selfhood. It is the process of self development that amounts to struggle with itself. It is the drive to authenticity from one's own historicity. This realisation according to Karl Jaspers is possible through the method of transcendence. Transcendence for jaspers means to go beyond objectiveness in to non-objectiveness, which may seem to suggest an unveiling of the mystery of being.

Jaspers emphasizes that the realization of existenz through the method of transcendence is possible under two conditions:

- a) The experience of boundary or ultimate situations and,
- b) Existential communication

**"To exist on the level of existenz and to experience boundary- situations are identical."**<sup>3</sup> To exist and to be in a situation is one and the same. It is a limit, a wall against which everyone collides. Jaspers talk about 'ultimate situations' which must be lived through. They are inescapable. These situations raise the question on the quality and character of our existence. Some situations are changeable some are not. The ultimate situations of historical determinacy according to jaspers are not changeable. But, ultimate situations such as suffering, conflict, guilt and death are changeable. It is a choice of an individual whether to face it or just to escape it by assuming an aesthetic attitude (in Kierkegaard's sense). It is a call to our existence to give quality and meaning to our life. These situations signify both limit and possibility. In other words, Man has the ability to cope with his given situation. This ability of man in jaspers term is called Freedom. It is the freedom of choice. It is mans free decision either to be present in the world as a 'thing' thrown in to it or to exist as a man conscious of his freedom and responsibility. **"For human beings are what they are, not simply through birth, breeding & education, but through the freedom of each individual upon the foundation of his self existence"**<sup>4</sup>. The existence of an authentic being lies in the fact that he exercises his freedom in terms of action, choice, resolution, decision, etc. In order to know his real self in his Historicity, It is the task of an individual to bring meaning to

the situation by accepting it and developing an optimistic attitude through his choice will, action, resolution etc. These are the personal values through which man can seek to mould the situations in to what he wants to be. In other words, authenticity lies in the fact that one accepts the given situation and makes choice according to his will and remains committed to it and acts upon it optimistically.

But man cannot achieve authenticity in isolation. For it brings misery to the life. There are many types of communications but jaspers adheres to the existential communication, for in it **“the truth begins with the two”**<sup>5</sup>. Again love is the framework in which such communication prospers. It is the way for self realization and for the realization of others too. In existential communication man stands in real, historical, open relation to his fellow-men and does not look upon him as a man in general. The truth known in communication is an individual, particular truth of his historicity and not any universal truth. Hence, according to jaspers this transcendence through the modes of being is possible through the cultivation of moral values like love, freedom, choice, decision, resolution, communication, etc. In other words this existenz is realized through freedom & the choice which are made in the prevailing situations.

Hence, it can be concluded that the ideas of value in jaspers existentialism is relevant in present age. It cannot be denied that modern age is suffering through moral crisis. On one hand technology has brought innumerable numbers of facility to the world. On the other hand, its rapid advance has reduced the ties between the family and society members. It has brought social disruption, dependence on mechanization, expectation of instant gratification among people, downfall of values, etc. In the dazzle of this technological advancement, man has lost his uniqueness. Losing uniqueness is losing self as well as values. Jaspers philosophy is the call to bring this humanity by knowing ones inner self, the transcendence mode which is possible through the authentic implication of freedom and resolution. Inculcating moral values as suggested in jaspers philosophy can be useful in bringing back the lost dignity of mankind in modern age.

#### REFERENCES:

1. Olson.G.Robert, An Introduction to Existentialism, Dover publications, Inc, New York, 1962, Pg.19.
2. Ibid. Pg.18.
3. Schrader, George Alfred, Existential Philosophers: Kierkegaard to Merleau-Ponty ,McGraw-Hill book company, New York,1967,Pg.140.
4. Bedford Mitchell, Existentialism and creativity, Philosophical library, 1972, Pg.150.
5. Ibid.Pg.173.

## सौन्दर्यसप्तशती में सांस्कृतिक तत्व



**खुशबू ठाकुर**

शोध-छात्रा

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)  
भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 70-79

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 01 Oct 2020

Published : 10 Oct 2020

**सारांश—** सौन्दर्यसप्तशती में सांस्कृतिक तत्व एक बृहद विषय है। इसे एक शोध पत्र में समाहित करना छोटी सी नाव से सागर पार करने जैसा है। तथापि सांस्कृतिक तत्वों का संक्षिप्त सार गर्भित विश्लेषण किया गया है। प्रथमतः संस्कृति की मूल अवधारणाओं या सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृति के मूल संस्कारों पर विमर्श किया गया है। संस्कृति के मूल तत्वों में पुरुषार्थ चतुष्टय, आचार, नीति, धर्म इत्यादि विषयों का सोदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सांस्कृतिक तत्वों का विमर्श करना है और सभी तत्वों का यथानुरूप विश्लेषण करके इति श्री किया गया है।

**मुख्य शब्द** – सौन्दर्यसप्तशती, सांस्कृतिक, संस्कार, पुरुषार्थ, मानव, नैतिक।

मानव में सृष्टि के प्रारम्भ से ही जीवन जीने की आकांक्षा रही है और वह जीवन को सुखद बनाने के लिए सदैव प्रवृत्त रहा है। परिणामस्वरूप प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से सन्तुष्ट न रहकर वह अधिक से अधिक वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी बनाने में भी प्रयत्नशील रहा है।

मनुष्य के अजस्र प्रयत्न से ही भौतिक, नैतिक चारित्रिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास संभव बन पाया। सांस्कृतिक विकास से मनुष्य का सुव्यवस्थित जीवन बना। संस्कृति शब्द संस्कृत के सम् उपसर्ग के साथ कृ धातु में सुट् आगम पूर्वक क्तिन् प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ। इसका मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है।<sup>1</sup>

पं. मोतीलाल के शब्दों में संस्कृति शब्द के सम्-स्-कृति ये मुख्य पर्व विभाग हैं। इन तीन विभागों में भी मुख्य सम्-कृति ये दो विभाग हैं।<sup>2</sup>

डॉ. रामजी उपाध्याय के अनुसार प्राकृतिक जीवन को व्यवस्थित और शालीन बनाकर सँवारना तथा जीवन में आध्यात्मिक, कलात्मक और सेवात्मक पक्ष की प्रतिष्ठा और विकास करना संस्कृति है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति का मौलिक अर्थ सुधारना अथवा सुन्दर या पूर्ण बनाना है।<sup>3</sup>

डॉ. देवराज के अनुसार संस्कृति का अर्थ चिन्तन तथा कलात्मक सृजन की क्रियाएँ समझनी चाहिए जो मानव व्यक्तित्व और जीवन के लिए साक्षात् उपयोगी न होते हुए उसे समृद्ध बनाने वाली है।<sup>4</sup>

संस्कृति देश काल के अनुसार बदलती रहती है सभी संस्कृतियों में भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। हडप्पा संस्कृति तथा मोहनजोदड़ों की खुदाई के पश्चात् यह मिस्र, मेसोपोटेमिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। प्राचीनता के साथ-साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी मेसोपोटेमिया की सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और खाल्दी प्रभृति तथा मिस्र ईरान, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ काल के कराल में समा चुकी है। भारतीय संस्कृति हजार वर्ष तक काल के कूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है।

भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता यह है कि जगद्गुरु होना है। भारतीय संस्कृति न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढाया, अपितु भारत के बाहर बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया, साइबेरिया के सिंहल (श्री लंका) तक और मैडीगास्कर टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो, वाली के द्वीपों तक के विशाल भू-खण्डों पर अपना अप्रतिम प्रभाव छोड़ा है।

भारतीय संस्कृति सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। हमारी संस्कृति मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित है—

**सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।**

**सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाव भवेत् ॥<sup>5</sup>**

संस्कृति से ही मनुष्य का सार्वभौमिक विकास होता है। सभ्य समाज से ही एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना होती है। संस्कृति को दो भागों में बाँटा गया है— पहला भौतिक संस्कृति तथा दूसरा अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है। जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया है तथा जिन्हें हम देख एवं स्पर्श कर सकते हैं।

अभौतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ होती हैं— यह संस्कृति मूर्त होती है तथा इसमें निरन्तर वृद्धि होती रहती है। अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है, जिनके कोई माप— तौल आकार एवं रंग आदि नहीं होते।

अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उस पक्ष में होता है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता।

संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है जो संस्कारों से परिष्कृत हो उसे संस्कृति कहते हैं। सर्वप्रथम हमें संस्कृति के मूल तत्त्वों में संस्कारों के सन्दर्भ में विमर्श करना होगा। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धीकरण। मानव को अपने जीवन को अग्रसर करने में उसका व्यवहार, आचरण, सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त होता है। सुसंगठित तथा व्यवस्थित समाज की उन्नति मनुष्य के संस्कारों पर ही निर्भर होती है।

सनातन/हिन्दू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का निर्माण किया। धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्त्व है। सर्वप्रथम संस्कारों का दिग्दर्शन हमारे उपजीव्य काव्य रामायण तथा महाभारत में प्राप्त होता है। उन महान ग्रन्थों की प्रेरणा से प्राचीन कवियों ने काव्य महाकाव्यों की रचनाएँ की—जैसे— कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंश, भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम् तथा महाभारत आश्रित नैषधीयचरितम्, किरातार्जुनीयम् महाकाव्यों की रचना हुई। जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी प्रचलित है।

वस्तुतः हमारे समाज में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्त्व रहा है। किन्तु संस्कारों की संख्या में मनीषियों में एक मत नहीं है। गौतम धर्म सूत्र में चालीस संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है—

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, चार वेदव्रत, समावर्तन स्नान, अष्टका पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी आग्रहायणी, चैत्री आवयुजी इति। महायज्ञसंस्था, अग्नयाधेय, अग्निहोत्र, दर्शपर्णमास, आग्रयण चातुर्मास्य अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी वाजपेय, सप्तहविर्यज्ञ, वाजपेय, इतिरात्र अप्तोयमिइति सप्त सोमयज्ञ संस्कार।<sup>6</sup>

बौद्धायनगृह्यसूत्र में तेरह संस्कारों का वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त तेरह स्मार्त संस्कार हैं— गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामधेय, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, मौजीबन्धन, केशान्त, समावर्तन, अन्त्येष्टि।<sup>7</sup>

इसी परम्परा में पारस्कर गृह्यसूत्र में भी तेरह संस्कारों को बताया गया है। इसके पश्चात् गोभिल गृह्यसूत्र में दस संस्कारों का वर्णन मिलता है। संस्कार चन्द्रिका में षोडश संस्कारों को स्वीकृत किया गया है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों की प्रधानता प्राचीन काल से ही रही है। हमारे ऋषियों ने मानव जाति के सर्वांगीण विकास एवं प्रोन्नत बनाने के लिए मुख्य सोलह संस्कारों का विधान निर्धारित किया है जो इस प्रकार है। यह संस्कार सर्वमान्य है। आज भी हमारा समाज इन निम्न संस्कारों के प्रयोग अपने-अपने परिवारों में करते हैं।

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्धन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यासंस्कार, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, अन्त्येष्टि।

भारतीय परम्परा में संस्कृति के मूल तत्त्व हैं जैसे— संस्कार, व्रत, त्योहार, वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष)। सौन्दर्यसप्तशती का सांस्कृतिक विमर्श करना शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य है। सौन्दर्यसप्तशती हिन्दी साहित्य शिरोमणि बिहारी सतसई का सम्पूर्ण पद्यानुवाद है।

बिहारी राजाश्रित कवि थे। बिहारी एक स्थान पर नहीं रहे। उनका बचचन बुन्देलखण्ड में व्यतीत हुआ। तत्पश्चात् युवास्था का कुछ समय ब्रज में बीता तदोपरांत वह जयपुर नरेश राजाजयसिंह के आश्रय में रहे। इसलिए बिहारी के ग्रन्थ में ब्रज, बुन्देली भाषा का समावेश है। बिहारी की निपुणता हर क्षेत्र में थी वह गणित, ज्योतिष, राजनीति, लोकजीवन का ज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में परिपक्व थे। लोकजीवन के समस्त दतार-चढाव को भली प्रकार समझते थे। बिहारी सतसई में कवि ने लोकजीवन के विभिन्न रंगों एवं पक्षों का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। जैसे— भारतीय संस्कृति के पर्व, नाटकीय खेल, पवंग बाजी, होलिका उत्सव एवं संस्कृति के अनेक रंगों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि बिहारी के समय में उत्सवों का महत्त्व था। पं. प्रेमनारयण द्विवेदी जी ने बिहारी सतसई का अनुवाद करते समय संस्कृति का ज्यों का त्यों अनुवाद किया। जिससे समस्त लोक जन को बिहारी के समय की संस्कृति की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो।

अनूदित पद्य—

बिहारी सतसई में कवि ने गर्भाधान संस्कार को बताया है—

स्नात्वा सरोवरे सार्द्रवस्त्रा सङ्कृचितेव च।

कृचयोः कृत हस्ता च हसन्ती याति तत्तटम्।<sup>8</sup>

मूल पद्य—

दृग थिरकौहैं, अधखुलैं, देह थकौहैं ढार।

सुरत सुखित सी देखियत, दुखित गरभ कैं भार।<sup>9</sup>

स्त्रियां अपने पति के हाथों से शृङ्गार करवाया करती थी, और इसी रति क्रीडा में वह गर्भ धारण करती थी उसी प्रसंग को कवि ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से कवि ने पाणिग्रहण संस्कार का भी वर्णन किया है। जो इस प्रकार है—

अनूदित पद्य—

वध्वाः पाणिग्रहणे रोमाञ्चा द्वयोः स्वेदसलिलं च ।

तेन जलेन सहैव हृदयं च समर्पितं द्वाभ्याम् ॥<sup>10</sup>

मूल पद्य—

स्वेद सलिलु, रोमांच—कुसु गहि दुलही अरू नाथ ।

दियौ हियौ सँग हाथ कैँ हथलेय हीं हाथ ॥<sup>11</sup>

हिन्दू परिवारों में धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। स्त्रियाँ पूजा पाठ आदि किया करती थी। गणेशचतुर्थी व्रत सबसे अधिक प्रसिद्ध था। स्त्रियां सारा दिन उपवास रखती थी, रात्रि को चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का परायण किया जाता था। पं. प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने अपने ग्रन्थ में भी व्रत के महत्त्व को बताया, गणेश चतुर्थी के व्रत को दर्शाते हुए निम्न अनूदित पद्य दृष्टव्य है—

अगचछाधः प्रदत्तोऽर्घो दूरं गच्छन्तु सङ्कटा ।

अन्याः स्त्रियोऽपि निर्वृद्धं पश्येयुः शशिनं त्विमम् ॥

मूल पद्य—

दियौ अरघु, नीचैँ चलौ, संकटु भानैँ जाइ ।

सुचिति है औरौ सबै ससिहि बिलोकैँ आइ ॥

त्यौहारों में फागुन के होली के त्यौहार का लोग बड़ी धूम-धाम से मनाया करते थे। इन त्यौहार का अत्याधिक महत्त्व था। दम्पति अति हर्षोल्लास से इस खेल में मस्त होते हैं। होली त्यौहार का वर्णन द्विवेदी जी ने सौन्दर्यसप्तशती में बड़ी समग्रता से किया है। नायिका जब नायक को गुलाल की मुट्ठी ताने देखती है तो आँखों में पडने के भय से चौक्कर, घूँघट से मुँह ढाँक कर, झुक जाता है, और खिलखिलाकर हँसती है। नायक बार-बार उसकी इस अदा को देखना चाहता है इसलिए मुट्ठी तानता ही है, उस पर गुलाल डालता नहीं है। ताकि वह बार-बार यह किया करे और गुलाल डालने पर कहीं उसका भय न निकल जाए—

अनूदित पद्य—

मुखाच्छादनं सा यथा भावभङ्ग्या

करोत्याशु तिर्यक् च भूत्वाऽथ किञ्चित् ।

गृहीत्वा करे कुङ्कुमं तत्प्रियोऽस्याः

मुखे लिम्पितुं तां विभीतां करोति ।।

मूल पद्य—

जज्यौ उज्जकि ज्ञापति बदनु, झुकति बिहँसि, सतराइ ।

तत्यौ गुलाल—मुठी झूठी झञ्जकावत प्यौ जाइ ।।

कवि ने तीज त्यौहार का भी वर्णन किया है। तीज के दिन स्त्रियाँ नये-नये वस्त्र, आभूषण पहना करती थी। मेंहदी लगाया करती थी, परन्तु इन सब त्यौहारों, व्रतों में शृङ्गार भावना ही प्रमुख थी।

अनूदित पद्य—

सुसज्जिताः पर्वणि तत्सपत्न्य

आभूषणैः सद्दसनैर्नवैश्च ।

एषा च चीरैरपि शोभमाना

म्लानानि तासां कुरुते मुखानि ।।

मूल पद्य—

तीज—परब सौतिनु सजे भूषन बसन सरीर ।

सबै मरगजे—मुँह करीं इहीं मरगजैं चीर ।।

वर्ण व्यवस्था के विषय में सौन्दर्यसप्तशती में एक भी पद्य प्राप्त नहीं होता। क्योंकि बिहारी का समय शृङ्गार परक था। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी नहीं। उस समय सामंतों का युग था, वर्ण और आश्रम सामन्ती समाज की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वर्ण व्यवस्था संसार के प्रत्येक सामन्ती समाज की विशेषता है। इसमें सम्पत्ति का स्वामी भू-स्वामी वर्ग होता है। संस्कृति और शिक्षा का काम पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है, सामन्तों के साथ उनके अधीन रहकर या उनका सहयोगी बनकर व्यापारी वर्ग काम करते थे। समाज के शेष सदस्य खेती, कारीगरी के द्वारा उच्च वर्गों की सेवा करते हैं। अतः उस समय जाति सम्प्रदाय में भेदभाव होता था।

आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। संस्कृति जीवन-सापेक्ष होती है। जीवन से कटकर संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारु रूप से चलाने, उसकी काम भावना को नियंत्रित करने के लिए भारतीय आचार्यों ने मानव के समस्त जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया है— ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का पालन करते हुए ही मनुष्य मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। बिहारी के युग में गृहस्थ आश्रम को ही अपनाया गया। शेष आश्रमों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

बिहारी के समय में संयुक्त परिवार होते थे। सारे परिवार का आय का साधन एक ही होता था। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति मुखिया होता था। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक-दूसरे की भावनाओं को समझते थे, और हमेशा परिवार

सुसंगठित रहे इसका ध्यान रखा जाता था। इसी प्रयत्न में कुलवधू की क्या दशा होती है –

वदति कुलवधूःसा नैव किञ्चित्कथञ्चित्

गृहकलहविभीता देवरस्यापि चेष्टाः।

निजगृहगतमार्जारद्विभीता शुकीव

प्रतिदिनमतिशुष्का जायते पंजरस्था।।

मूल पद्य—

कहति न देवर की कुबत कुल-तिय कलह डराति।

पंजर-गत मंजार-ढिग सुक ज्यों सूकाति जाति।।

नववधू की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। देवर के खोटेपन को इसलिए छिपाती है कि कही भाई- भाई में बैर न हो जाए, पर साथ ही उसे यह भी डर है कि उसकी चुप्पी को देखकर देवर सहमति समझकर अकेले में उसका आलिंगन न कर ले।

बिहारी के समय में धर्म को बाँट दिया गया था। विभिन्न सम्प्रदाय प्रचलन में थे किन्तु बिहारी ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वह राम और कृष्ण को एक ही मानते हैं। इसी भावना से वह अपनी उक्तियाँ लिखा करते थे—

कथं प्रशस्तिस्तव सा मुरारे

भवेत्स्थिरा नाथ न सोऽस्मि गृद्धः।

यं तारयित्वा हि वृथाभिमानी

पश्यामि शक्तिं मम सम्मुखश्चेद् ।।

मूल पद्य—

कौन भाँति रहिहै बिरदु अब देखिवी, मुरारि ।

बीधे मोसौं आइ कै गीधे गीधहिं तारि ।।

गिद्ध को तारने वाले भगवान राम थे, कृष्ण दोनों के रूपों एवं कार्यों को मिला दिया है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का उस देश की संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। संस्कृति अर्थ पर अवलम्बित होती है। प्रायः देखा जाता है कि जिस देश की आर्थिक दशा उन्नत एवं अच्छी होगी, उस देश की संस्कृति भी श्रेष्ठ होगी। अतः संस्कृति में अर्थ का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉ. एंजिल का मत है कि जब आय में वृद्धि होती है। तब आवश्यक वस्तुओं पर व्यय में प्रतिशत परिमाण घट जाता है और विलासिता पर व्यय बढ़ जाता है। कवि बिहारी ने भी अपने ग्रन्थ में बताया है कि जैसे-जैसे संपत्ति बढ़ती है, विलासिता आदि ऐच्छिक विषयों में व्यय करने का उत्साह भी बढ़ता जाता है। उससे जो सुख सम्पन्नता पूर्ण जीवन यापन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह धन घटने पर भी समाप्त नहीं होती—

अनूदित पद्य—

वर्धते हि मनः पद्मं प्रवृद्धे वित्तवारिणि ।

तस्मिंश्च क्षयति क्षीणे ततः शुष्यति मूलतः ।।

मूल पद्य—

बढत बढत संपति—सलिलु मन—सरोज बढि जाइ ।

घटत घटत सु न फिरि घटै, बरु समूल कुम्हिलाइ ।।

पुरुषार्थ चतुष्टय में काम प्रधान होता है क्योंकि प्राणी की उत्पत्ति और विकास काम पर केन्द्रित होते हैं। कवि बिहारी ने काम को अपनी सतसई में आद्यान्त विवेचित किया है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सतसई काम श्रृंगार रस प्रधान है। परन्तु बिहारी को कभी हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनका ग्रन्थ बहुआयामी है तथापि हम काम पुरुषार्थ को यों देख सकते हैं—

अनूदित पद्य—

विधुरिव वदनं तच्छोभते कञ्चुकी सा  
गगनमिव सुनीला मौक्तिकैस्तारकाभिः ।  
विलसति च निशेव भ्राजमाना तु बाला  
शिथिलयति शरीरं स्नेहनिद्रां ददाना ॥

मूल पद्य—

चुनरी स्याम सतार नभ, मुँह ससि की उनहारि ।  
नेहु दबावतु नींद लौं निरखि निसा सी नारि ॥

कवि ने पुरुषार्थ चतुष्टय को अपने काव्य में बताया है जिसमें अंतिम है मोक्ष। मोक्ष से ही भव सागर पार करने की बात कही—

अन्ये च पापा यदि तारितास्ते  
कथं त्वयाहं नहि तारणीयः ।  
तोषोऽथवा ते यदि बन्धनेन  
कार्यस्त्वयाऽसौ स्वगुणे सुबन्धः ॥

मूल पद्य—

मोहूँ दीजै मोषु, ज्यों अनेक अधमनु दियौ ।  
जौ बाँधे ही तोषु, तौ बाँधौ अपनै गुननु ॥

इस पद्य में भक्त भगवान से कह रहा है कि जिस प्रकार आपने अपनी करुणा दृष्टि से संत जनों को इस संसार से मुक्त किया अर्थात् मोक्ष प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार मुझे भी दीजिए या अपनी सगुण स्वरूप की उपासना मे लगा रखिए ।

उपसंहार

सौन्दर्यसप्तशती में सांस्कृतिक तत्व एक बृहद विषय है। इसे एक शोध पत्र में समाहित करना छोटी सी नाव से सागर पार करने जैसा है। तथापि सांस्कृतिक तत्वों का संक्षिप्त सार गर्भित विप्लेषण किया गया है। प्रथमतः संस्कृति की मूल अवधारणाओं या सिध्दांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृति के मूल संस्कारों पर विमर्श किया गया है। संस्कृति के मूल तत्वों में पुरुषार्थ चतुष्टय, आचार, नीति, धर्म इत्यादि विषयों का सोदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सांस्कृतिक तत्वों का विमर्श करना है और सभी तत्वों का यथानुरूप विश्लेषण करके इति श्री किया गया है।

### संदर्भ—सूची

1. गुलाबराय, साहित्य और समीक्षा पृ. 16
2. पं. मोतीलाल शर्मा, सत निरपेक्ष संस्कृति शब्द एवं सत्ता सापेक्ष सम्यता शब्द का चिरंतन इतिवृत्त तथा भारतीय सांस्कृतिक आयोजनों की रूपरेखा, पृ. 61
3. डॉ. रामजी उपाध्याय, भारतीय संस्कृति का उत्थान, पृ. 6
4. डॉ. देवराज संस्कृति टिप्पणी, प्र. सम्पा. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोश भाग-1, पृ.868
5. गरुण पुराण, अ.,35.51
6. <https://darshandeepkr.wordpress.com>
7. <https://darshandeepkr.wordpress.com>
8. सौन्दर्यसप्तशती, पं. प्रेमनारायण द्विवेदी, पं. प्रेमनारायणद्विवेदीरचनावलि: द्वितीय भागः, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, नवदेहली, संस्करण 2012, श्लोक-692
9. बिहारी सतसई, जगन्नाथदास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, जयभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2006, श्लोक -692
10. सौ.स.,श्लोक-259
11. बि.स.,श्लोक-259

## भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

मदालसा मणि त्रिपाठी

शोधार्थी, हिंदी विभाग, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, दोड़मुख ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 80-84  
Publication Issue :  
September-October-2020

### Article History

Accepted : 01 Oct 2020  
Published : 10 Oct 2020

**शोध-सार:-** बाज़ार और भोगवादी संस्कृति ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। आज के समय में इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता । यह सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि पहलुओं को छूता है। वर्तमान में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता हो। भारतीय संस्कृति पर तो खासकर इसके प्रभाव बखूबी देखने लायक हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मैंने वैश्वीकरण के इसी प्रभाव को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। इसके सभी पहलुओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया है।

**मूल-शब्द:-** संस्कृति, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, मूल्य, देश, विश्व, विज्ञापन।

प्राचीनता और आधुनिकता की टकराहट भारत के सभी समाजों और संस्कृति में दिखाई पड़ती है। वरिष्ठ भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता को धारण करके बहती रहती है। वह शुद्ध रूप में भारतीय इतिहास के अतीत से बहती दिखती है, किन्तु अंग्रेजों के आगमन से उसमें पाश्चात्य संस्कृति का मिलन होता है और इससे वह थोड़ी बहुत परिवर्तित दिखाई पड़ती है।

“वैश्वीकरण” शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है, हालांकि 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। वैश्वीकरण को एक सदियों लंबी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो मानव जनसंख्या और सभ्यता के विकास पर नजर रखती है, जो पिछले कई वर्षों में नाटकीय ढंग से त्वरित हुई है। वैश्वीकरण के प्रारम्भिक रूप रोमन साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य, हान राजवंश और मंगोल साम्राज्य के समय में पाये जाते थे।

17 वीं सदी में वैश्वीकरण एक कारोबार बन गया जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो पहला बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है। ब्रिटिश साम्राज्य को इसके पूर्ण आकार और शक्ति के कारण वैश्वीकरण का दर्जा मिला था। इस अवधि के दौरान ब्रिटेन के आदर्शों और संस्कृति को अन्य देशों पर थोपा गया। 19 वीं सदी को कभी-कभी “वैश्वीकरण का प्रथम युग” भी कहा जाता है। यह वह काल था, जिसका वर्गीकरण यूरोपीय शाही शक्तियों, उनके

उपनिवेशों और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के आधार पर किया गया।

विकिपीडिया के अनुसार "वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का प्रयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात् व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह और तकनीक के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण।"<sup>1</sup>

पहले-पहल यही माना जाता रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारे भाषा के संस्कार हमारे रक्त में इस कदर घुले होते हैं कि उनकी जड़ों को हिला पाना कठिन होता है, परंतु आज के इस वैश्वीकरण के युग में यह सब मिथ्या साबित हो रहा है। आज हमारे आस-पास का सबकुछ बदल रहा है, हमारे संस्कार, संस्कृति और भाषा बदल रही है। भारत वैश्वीकरण द्वारा प्रारम्भ की गयी सांस्कृतिक अन्तरक्रिया की प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा है। भारत में अब उदारीकरण, बजारीकरण, भूमंडलीकरण जैसी आर्थिक प्रवृत्तियाँ पूरी तरह से फैल चुकी हैं। इसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए चिंतक अमित कुमार सिंह का मानना है कि " भूमंडलीकरण ने समूचे विश्व में हाशिएकरण को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है। राज्यों को नियंत्रित करने वाली जनता कि शक्ति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उसके समर्थक लॉबी का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है भले वे किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व हो या फिर किसी भी देश का समृद्ध आर्थिक प्रतिष्ठान।"<sup>2</sup>

करीब 200 सालों के साम्राज्यवादी शासन ने हमारी संस्कृति में जो बदलाव लाए उनका प्रभाव अभी तक व्याप्त है। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात प्रबुद्ध बंगाली समाज का रहन-सहन, उनका पहनावा सब बदल गया, धोती-कुर्ते कि जगह पैंट-शर्ट ने ले ली, कॉफी, कटलेट ने माछ-भात को मात दे दी थी और धर्म भी बदला जाने लगा था। वैश्वीकरण के चलते उपजे संस्कृति एवं भाषाई संकट में बड़ा उथल-पुथल हुआ। इस वैश्वीकरण के चलते भाषा व संस्कृति का संकट हमारे सामने खड़ा नज़र आता है। वैश्वीकरण में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हैं। व्यक्तिगत स्तर पर वैश्वीकरण जीवन के मानक और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।

वास्तव में संस्कृति एक व्यवस्था है, जिसमें हम जीवन के प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, अनेकानेक भौतिक एवं अभौतिक प्रतीकों, परम्पराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं और आविष्कारों को शामिल करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ की मानव जीवन के दिन-प्रतिदिन के आचार-विचार, जीवन शैली तथा कार्य-व्यवहार ही संस्कृति कहलाती है। यह हमारी संस्कृति ही है, जो हमें एक-दूसरे से अलग करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृति के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति है, पारंपरिक सद्व्यवहार है और एक-दूसरे को समझने कि शक्ति है।

वस्तुतः भारतीय संस्कृति विश्व की सार्वधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है, जो हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। हिन्दी विश्व कोश के अनुसार " संस्कृति उस समुच्चय का नाम है, जिसमें ज्ञान, कला, नीति-विधि, रीति-रिवाज का समावेश रहता है, जिसमें मानुषी समाज को सदस्य के रूप में मानता हैं।"<sup>3</sup> वही हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार संस्कृति कि परिभाषा इस प्रकार है, " विभिन्न शास्त्रों, दर्शन आदि में होने वाले चिंतन, साहित्य, चित्रांकन आदि कलाओं एवं परहित साधन आदि नैतिक आदर्शों तथा व्यापारों को संस्कृति कहा जाता है।"<sup>4</sup> अन्य देशों की संस्कृतियां

तो समय की धारा के साथ-साथ नष्ट होती रही हैं, किन्तु भारतीय संस्कृति आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर-अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्यवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किन्तु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है तभी तो पाश्चात्य विद्यवान अपने देश की संस्कृति को समझते हुए भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं।

संस्कृति के दो भिन्न उप-विभाग होते हैं- भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबद्ध हैं, जैसे हमारी वेषभूषा, भोजन, घरेलू सामान आदि। अभौतिक संस्कृति का संबद्ध विचारों, आदर्शों, भावनाओं और विश्वासों से है। इस प्रकार इन दोनों विभागों के संयुक्त विकास से परिष्कार पाकर मनुष्य सुसंस्कृत बनता है। परंतु हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य हो ये ज़रूरी नहीं है। संस्कृति सीखी जाती है, यह संचयी होती है। यह परिवर्तनशील होती है जिसमें समय बीतने के साथ ही परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को गतिशीलता के साथ देखना चाहिए, यहाँ परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि नए को अपनाने के चक्कर में, अपनी विशेषताएँ खो दी जाएँ, जैसा की आज हमारी संस्कृति के साथ हो रहा है। संस्कृति में प्रत्येक भाग एक-दूसरे पर आश्रित होता है, एक के अस्तित्व के साथ ही दूसरे का वजूद जुड़ा होता है। परंतु आज हर कोई आत्मनिर्भरता और अकेले अपनी पहचान बनाने के इस चूहा दौड़ में अपनी निजता को खोते जा रहे हैं। उदहारण स्वरूप हमारे देश की सभी हस्तकलाएँ, कपड़ा उद्योग काश्तकारों, मजदूरों, कलाकारों के आपसी भरोसे और योगदान पर निर्भर हैं, वहाँ अपनापन है एक दूसरे के लिए और समर्पण है अपनी कला के लिए। परंतु विदेशी कपड़ा उद्योग में बस घाटा-मुनाफे का सौदा होता है, वहाँ अपने कार्य अथवा अपने साथियों के लिए कोई समर्पण भाव नहीं है। प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. यशपाल भी भूमंडलीकरण कि अपसंस्कृतिकरण से चिंतित नज़र आते हैं उनका मानना है की " भूमंडलीकरण का अर्थ यह नहीं है कि यह सब लोगों के लिए बराबर है। इसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसी बात बिलकुल नहीं है। भूमंडलीकरण एक ऐसी स्वेच्छाकारी प्रक्रिया है जिसके नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा और हम सबको उसके पीछे चलना पड़ेगा। यह भी तय करेंगी कि हमारी स्थितियाँ कैसी होगी। उन्हे कैसी होनी चाहिए।"<sup>5</sup> यही से वैश्वीकरण हमारी संस्कृति में घुसता है और अब एक विशेष वर्ग सदियों पुरानी हस्तकला और काश्तकारों की मेहनत पर अपना स्वामित्व बनाने में लगा है, उसका 'पैटेंट' लेने में लगा है, जबकि यह सांस्कृतिक धरोहर सबकी है।

संस्कृति के बिना मनुष्य ही नहीं रहेंगे क्यूंकी सत्य, शिव और सुंदर ये तीन शाश्वत मूल्य हैं जो संस्कृति से निकट से जुड़े हैं। इसकी एक वजह यह भी है की मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति मानव को मनाव बनती है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि जंगलों में रहते थे, पत्ते खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में रसोई बनाते थे लेकिन अपने मौलिक और विशिष्ट गुणों के कारण सुसंस्कृत कहे जाते थे। वही पर आज के वैश्वीकरण में सुसंस्कृत मनुष्य होने की परिभाषा ही अलग है, अगर आप बड़े बंगले में रहते हैं, महंगे बर्तनों में खाते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं आदि तो आप सुसंस्कृत हैं। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्याप्त है, जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता, युग-युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है।

वैश्वीकरण ने संस्कृति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान क्षेत्रियता का किया है। इसने मानव मूल्य बदल दिये हैं और ग्रामीण भारतीय समाज के लिए कई खतरों भी उत्पन्न किए हैं। इसी का परिणाम है की वर्तमान में किसानों को पारंपरिक फसलों के स्थान पर निर्यात उन्मुख फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया गया। 2011 से 2016 के मध्य लगभग 9 मिलियन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास किया। भारत का जनसंख्या आयोग भले ही यह

कहता रहे कि अगले दो दशकों में भारत गावों का देश नहीं रहेगा, परंतु आज कोरोना महामारी ने इसे झूठा साबित कर दिया क्योंकि इस संकट में सब गावों की ओर पलायन कर रहे हैं और ऐसे ही एक झटके की ज़रूरत भारतीय संस्कृति की ओर लौटने के लिए भी है। आज की ये कोरोना महामारी और इसके जैसी कई और अनगिनत महामारियों का विश्व भर में फैलाव वैश्वीकरण का ही प्रमाण है।

आज प्रत्येक गतिविधि संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन सभी पर वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाई पड़ता है जैसे की आज हमारा देश संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जा रहा है, शहरों में "ओल्ड एज होम" का होना भी अपनेआप में इसका एक प्रमाण है। पश्चिमी देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों की समझ साफ है कि अगर उन्हें अपना कोई भी ब्रांड अखिल भारतीय बाज़ार में उतारना है, तो उसे भारतीय संस्कृति को करीब से जानकर, भारतीय लोगों के अनुसार अपना विज्ञापन करना होगा, पिज्जा, मैगी, टॉफी आदि बेचने के लिए भारतीय संस्कृति में बसे माँ के दुलार-प्यार को हथियार बनाना होगा। यह नया सांस्कृतिक स्तर है, जो पिछले 20 वर्षों में सक्रिय हुआ है। यही कारण है की बहुराष्ट्रीय निगम बाज़ारों के रूझानों को जानने के लिए, भारतीय संस्कृति के जानकारों को रखते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति कभी भी बाज़ार का विषय नहीं रही है, फिर भी वैश्वीकरण और निजीकरण के चलते आज पूरे विश्व की निगाह भारत पर है, क्योंकि आज के समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है। आज भारतीय संस्कृति को इस बाज़ार में बेचा जा रहा है। इस उत्पादन और बाज़ार के संबंध को एन.सी.आर.टी. कि पुस्तक 'वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था' में भलीभाँति स्पष्ट किया गया है, पुस्तक के अनुसार "समान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उत्पाद इकाई स्थापित करती हैं जो बाज़ार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पाद के अन्य कारकों कि उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती हैं।"<sup>6</sup> जहां एक तरफ वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति का वर्चस्व कम किया है वही दूसरी तरफ इस उपभोक्तावाद ने भारतीय संस्कृति को विश्व में एक ऊँचा दर्जा दिलाया है। यह दर्जा जनसंख्या, मार्केट और मीडिया ने दिलाया है।

यह ऊँचा दर्जा दिलाने का मुख्य श्रेय भारतीय सिनेमा को जाता है। भारतीय सिनेमा ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर रखा है और साथ ही वैश्वीकरण के प्रभाव के चलते उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव किए ताकि पर्दे की डिमांड के चलते विश्व पटल पर मुनाफा कमाया जा सके। इससे फायदा यह हुआ की भारतीय संस्कृति विश्व पटल पर पहचानी जाने लगी परंतु उसमें एकरूपता आ गयी, दिखावा आ गया। उदाहरण स्वरूप "दी ग्रेट इंडियन बिग फेट वैडिंग" को हल्दी, मेहंदी, संगीत आदि जैसे बिना सिर-पैर की रस्मों में ऐसा उलझाया गया की आज के समय में भिन्न प्रांतों, प्रदेशों की भिन्न शादियों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। आज बंगाली, पंजाबी, मराठी आदि सभी शादियाँ फिल्मी बॉलीवुड के जैसी वैश्विक तो हो गयी है, परंतु इस दौरान उन्होंने अपनी क्षेत्रियता की पहचान खो दी है। अब सभी प्रान्तों की शादी एक सी लगती है।

वर्तमान में संस्कृति एवं संसाधनों का अविवेकपूर्ण हस्तांतरण हो रहा है। विकासशील देशों की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक अस्मिता दांव पर लगी हुई है। अपसंस्कृति साथ-साथ चल रही है। भारतीय जीवन दृष्टि को पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार बदला जा रहा है।

भारतीय संस्कृति कोई प्रतिस्पर्धा करने का क्षेत्र नहीं है, कि उसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों की संस्कृति से की जाए और फिर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित की जाए। अपनी संस्कृति को बजारवादी बनने से रोकना होगा।

संस्कृति को स्थानीय संरक्षण देना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति आज संस्कृति से आगे बढ़कर उपभोक्तावादी संस्कृति बनती जा रही है। भारतीय संस्कृति विज्ञापन का बाज़ार बनती जा रही है, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से इस संस्कृति से अपनी निजता ज्यादा सिद्ध करके अपने उत्पाद बेच रहे हैं। संभवतः यही वजह है की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अथवा संस्थाएं भी बड़े पैमाने पर हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर, अपने उत्पादों में बदलाव ल रहे हैं, उन्हे हमारे क्षेत्रीय बाज़ार के लायक बना रहे हैं। उदाहरण के लिए- मैकडौनल्ड्स भी भारत में केवल शाकाहारी एवं चिकन उत्पादों की ही बिक्री करता है, बीफ उत्पादों की नहीं, जो विदेशों में प्रचलित है। ऐसे में हमें अपना दायित्व पहचानना होगा।

अपनी संस्कृतिके बिना कोई भी राष्ट्र दुनिया में शक्ति का झंडा नहीं फहरा सकता। भारतीय जीवन मूल्य और संस्कृति को इस वैश्वीकरण ने कुछ हद तक हिला दिया है। वास्तव में ग्लोबलाइजेशन आंचलिकता, क्षेत्रीयता, स्थानीयता का धुर विरोधी है। असल में वैश्वीकरण 'एक रास्ता' लगता है। एक रास्ता, एक विश्व, एक व्यापार, एक संस्कृति, सब कुछ एक। और इसके चक्कर में भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति नष्ट हो रही है। वर्तमान फिल्मी 'रिमिक्स' गानों की तरह भारतीय संस्कृति भी रिमिक्स हो रही है। अब हाल यह है की यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि 'क्या भारतीय संस्कृति का अपना है और क्या गैर'।

आज हमारे सामने प्रश्न यह है की आखिर वैश्वीकरण को इस अल्ट्रा मॉडर्न युग में भारतीय संस्कृति की जरूरत किसे है? आज के समय की पीढ़ी के लिए सब कुछ एक खिचड़ी संस्कृति होता जा रहा है।लिव-इन-रेलेशनशिप की संख्या में वृद्धि तथा मल्टीप्लेक्स थियेटर्स, वॉलेंटाइन्-डे, फ्रेंडशिप-डे आदि का प्रचलन इसका ही एक उदाहरण हैं। कहने को तो पूरा विश्व "एक गाँव" में तब्दील हो चुका है, परंतु वर्तमान की दूरियां बढ़ती ही जा रही है।

वैश्वीकरण विभिन्न समाजों की विविधता में वृद्धि करता है तथा बहुसंस्कृतिवाद को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के कारण संस्कृति को, भाषा को लाभ भी मिला है। जैसे की भाषा की गतिशीलता, सरल भाषा का अत्यधिक प्रसार जिसके कारण संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। आज बी.बी.सी. और डिस्कवरी जैसे बहुराष्ट्रीय चैनल अपने कार्यक्रम भारतीय संस्कृति पर बना रहे हैं और वो भी हिन्दी में। संस्कृति बदल जरूर रही है, परंतु वह किसी न किसी रूप में बरकरार रहती है। करीब 200 सालों का साम्राज्यवादी शासन भी इस भारतीय संस्कृति को जड़ से नष्ट नहीं कर पाया। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है की वर्तमान में देश और विदेश में आयुर्वेद, योग, भारतीय दर्शन आदि बहुत प्रचलित हो रहा है, जो एक अच्छा सूचक है।

भारतीय सांस्कृतिक शक्ति लोगों को आकर्षित करती है। एक विचित्र-सी चीज़ भारतीय संस्कृति के पास है। वह है इसकी अविभाज्यता। हम संस्कृति को काट नहीं सकते। हम कला को नहीं हटा सकते। कविता को अलग नहीं कर सकते। यहाँ तक की निर्गुण और सगुण को नहीं काट सकते। कम से कम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यही सच है। भौगोलिक या क्षेत्रीय विशेषताओं में उसे सीमित कर सकते हैं, किन्तु उसकी भारतीय उपमहाद्वीपीय विस्तृति से हम उसे अलग नहीं कर सकते।वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवित रहने के लिए हमारी संस्कृति को और मजबूत होना होगा, उसको अपनी जड़ो को और गहरा करना होगा।

## संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. <https://hi.wikipedia.org/wiki/वैश्वीकरण>
2. **अमित कुमार सिंह, भूमंडलीकरण और भारत: परिदृश्य और विकल्प, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2010, पृष्ठ सं. 33**
3. **हिन्दी-विश्वकोश, खंड-12, पृष्ठ सं. 14**
4. **हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ सं. 701-702**
5. **प्रो. यशपाल, उद्धृत अक्षर पर्व, मार्च 2004, नरेन का लेख**
6. **एन.सी.आर.टी., वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ सं. 57**

## Individual Private Initiative in Primary Education in Colonial Delhi (1910-1947)



Akanshi Vidyarthi  
PhD student, Centre for Historical Studies  
School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University,  
New Delhi, India

### ABSTRACT

The article examines the attempts made by non-government individuals in the sphere of primary education in colonial Delhi. The colonial state was talking vigorous measures to spread their version of education among the residents. The educational institutions were the spaces to translate the necessity of British rule in India. Acceptance of their superiority was one such aim. Although the colonial administration left no stone unturned to fulfil their aims, the Indians were not silent spectators. The Indians on the other hand participated actively in building and funding the schools. Both the colonial rule and Indian private investors had their reasons to pursue the task i.e., propagate their authority and reproduce their society and culture. The paper comprises of two parts. The first part discusses the individual private enterprise in primary education by Indian personalities. And secondly the paper discusses and analyses the aims of state and Indians in forming educational institutions. The motive was to propagate their interest and conserve and reproduce their respective cultures through these schools. The schools also became a means to translate the authority of individual charity makers in the times of transition.

**Keywords :** Colonial State, Private, Primary education, Culture, Charity.

### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 85-95  
Publication Issue :  
September-October-2020

### Article History

Accepted : 01 Oct 2020  
Published : 10 Oct 2020

**Introduction-** Private enterprise in education in colonial period came as a reaction to the British government's attempts to secularise education. Purna Sengupta in her book argues that modern education effectively reinforced the place of religion in colonial India.<sup>i</sup> She says that the pursuit and adaptation of modern educational techniques and institutions, mainly exported to the colonies by Protestant missionaries, opened up new ways for the Hindu and Muslim leaders and the colonial state to reformulate ideas of community along religious lines.<sup>ii</sup> Due to the colonial encounter the indigenous schools underwent considerable changes. The schools and their curriculum became the defining element for what it is to be a Hindu, Muslim, Christian etc. In a similar manner the community schools also were trying to redefine their identities through the schools. Hence, all started schools to suit their aims. Private enterprise was on the rise both at collective and individual level. Apart from the state

sponsored history there were also communities involved in the process of unfolding of history. Every community had its own history and its own struggles and practices associated with the colonial history in one way or the other. Instead of focussing on some mega or macro history, it's necessary to analyse the micro or community level histories. The communities negotiated with the modern education in different capacities. After the coming of British in India, Indian elites and upper castes became familiar with the idea that the nation's wellbeing and developmental gains can be measured in terms of its educational attainments.<sup>iii</sup> The upper castes of India were quick to realise the importance of the new form of education and its use to get into administrative structure. But economic benefit was not the sole interest of the communities. They were keen to preserve their community ethos in the colonial times. Private initiative in education was more of a cultural project than it was economic agenda. The British schools were not capable of providing community qualities for the diverse Indian population. The colonial schools emphasized on secular education which led to the erosion of the long prevailing cultural diversity of India. To avoid this weaning away, the Indian communities started schools exclusively for their respective communities.

In addition to protecting their ethos, the communities were also keenly interested in becoming eligible for harnessing and participating in the British administration in India. The establishment of British administration threw new career opportunities for Indians. In 1844, Lord Hardinge issued a regulation enjoining the selection for Government service of candidates who had received an English education; and secondly, "the adoption of English as the language of public business" rendered a still further impetus to the development of English education in India<sup>iv</sup>. The British administrators introduced the rule to facilitate the functioning of their foreign bureaucracy in India.

## **Methodology**

This paper has undertaken a historical research using qualitative techniques to critically the nature of educational developments in colonial Delhi with respect to colonial state and the changing conditions in Indian society. The paper is structured keeping in view the available theoretical and archival material. The paper is written within a historical framework and analyses the trends of both the colonial state and colonised citizens in terms of educational proceedings. The interest of colonial state in educational matters evolved primarily for administrative purpose. Although the deeper motive was to legitimise the authority and superiority of the colonial state. Perrie Bourdieu's work *Reproduction in Education, Society and Culture* have been used as a base to theorise and analyse the pedagogical trends and their motives.

The colonial state was not a welfare agency. It existed to facilitate and expand its exploitative trade. Initiating and funding a program of mass education was beyond the purview of the colonial state. On the one hand it needed people within the colonised society whom it could depend on. But it was important that these people withhold an influential status among the native population. The colonial state was too small an agency to ensure order without the collaboration and support of this elite native population.<sup>v</sup> The British realized that it was not possible for them to rule India without the collaboration of the native elites. Hence, they collaborated with them for their interests. It was a symbiotic process where both sides gained something. For the British it meant the stabilization of their rule in India and for the native elites it extended privileges by getting a share in the British administration. By collaborating with the new ruling regime they translated their superiority in the colonial times.

The colonial education was a new cultural property. The major social function of education was to differentiate its beneficiaries from the large population.<sup>vi</sup> The different communities were able to restore their identity through the ages by educating their people of the specific values of their community. Under colonial rule, the secularisation of education instigated the diverse groups of India to preserve and restore their values. The formation of schools was the most viable option as these schools were the amalgamation of tradition values and modern knowledge. Hence, the coming of the British rule intensified the process of formation of educational institutions on caste, community and religious lines. Education was also valued for its moralising effects it gave to the educated. Most often the colonial education was used to differentiate between the ones who received it from the ones who had not received it. The educated were considered to be morally superior to the one who has not received education. Colonial education was considered by many (both Indian and British) as an agent of change. Since the different agents of change have different expectations from same common programme of action, it was obvious that they were unable to provide a single or agreed statement of the objective of change. The social reformers, teachers, Christian Missionaries, the colonial state all had different expectations from education. There were divisions among the social reformers as well as the Christian Missionaries. For instance, the Arya Samaj aimed at revoking the vedic form of society or moving on the lines of the Vedas whereas the reformers like Ram Mohan Roy advocated the use of western science and English as essential for the upliftment of Indians. In the same way some Christian missionaries like the CMS worked among the elites to fulfil their aims whereas the American missionaries worked among the lower castes in Delhi for the purpose.

Both rich communities and rich individuals became active participants in promoting education. The monetary assistance was most of the times oriented towards educating their own community. In the colonial period every community wanted to synchronise with the developmental activities but were also ambiguous about the nature of education imparted by the colonial state. It was believed that the colonial education was not sufficiently providing the cultural values to the children. The secular education provided was thought to put the community values at risk.

Throughout Delhi, the concern with preserving and enhancing wealth and family status, extending and sustaining religious and community values propelled commercial magnets and indigenous elites to seek relationship with powerful extra local authorities who enforced law and order and were responsible for running the state. These people by engaging in such attempts were able to build relationships with the state of relatively enduring nature and acquired leverage. The individuals or community's financial contribution thus contributed to the formation of social bonds deemed culturally appropriate to members of both groups and consequently to a certain stabilization in the local political order.<sup>vii</sup> As the political scenario of the country changed, the sphere of education emerged as focal point for tribute from native elites anxious to acquire and translate prestige under the English rule. Education was emphasized more than any other welfare activity due to its capacity to endure long run results. Because of its perpetually weak financial state, the colonial rule itself relied and readily accepted the private initiatives in education occurred by the natives.<sup>viii</sup> Those who became increasingly involved in private efforts were generally persons whose business depended on successful dealings with colonial institutions or who derived benefit from or were employed by it. For instance, Lala Duni Chand was the Municipal Commissioner in Delhi province for 35 years and he was also actively involved in promoting and financing educational institutions in his place.

### Individual private enterprise in education

Apart from the community action many individuals took keen interest in education. These individuals dedicated both manual and monetary assistance for the cause of education. Some of the efforts were made towards the educational development of their own community.<sup>ix</sup> Individual philanthropists like Lala Duni Chand, Pandit Mul Raj, Seth Girdari Lal, the Municipal Commissioner, Nawab Itmaduddulah were some of the active people who took up the cause of education. These personalities belonged to the prominent families of traditional elites. For some of them charity in education was carried out through the lineage.

The individuals involved were very often the influential people with repute among the people and funded schools as per their ideological inclination and orientation. The schools were the experimental spaces to form a society of their vision. There were scholarships sponsored by the community elites for their community children. For instance the zamindari scholarship was granted only to Rajputs or Jat zamindars.<sup>x</sup>

The new private entrepreneurs in education evinced an interest in the public good and the progress of the community or the people of their city, they simultaneously sought to solidify protective ties with the largely foreign rule and to enhance their local prestige through association with the rulers, purposes that were certainly in line with the longstanding practice.<sup>xi</sup> For instance, Nawab Itmaduddulah was the patron of education Delhi and he was also the Municipal Commissioner of Delhi. He gave a substantial fund to the Muslim education in the city.<sup>xii</sup>

The heavy emphasis on educational patronage during the period, no doubt, was in part response to the emergence of a general demand for schooling among the high status residents.<sup>xiii</sup> Engagements in the new forms of charitable giving communicated to the rulers a concern with the well being of the city's citizenry and an acceptance to the value of the government committed to stimulating "moral and material progress." But the realignment of indigenous values to the changing context of power that this process involved could be partial and selective.<sup>xiv</sup>

The people who participated actively in funding education came from a certain section of society. The people who took initiatives for education were mostly the ones who were also part of colonial administration and bureaucracy. These were the people who on the one hand were employers of the British administration and on the other hand acted as beneficiaries of the masses by funding different welfare schemes like education, health etc. The latter practice legitimised their status in native society whereas the former helped them to keep pace with the changing ambience of the colonial rule. These men were the influential lot who through their private initiatives tried to translate their pre-colonial status in colonial times. The schools established by them were the manifestation of their ideology and thought process. They had an influential voice in the proceedings of the schools and controlled the curriculum etc. of the institution.

Girdhari Lal Salwan was the son of Pandit Mool Raj Salwan. Mool Raj was the grandson of a prominent and well respected commander in the army of Maharaja Ranjit Singh. Hence, Girdhari Lala belonged to the family of prominent and traditional elites and enjoyed cultural and social capital culminated through decades. He also served as the Municipal Commissioner of Delhi. Girdhari Lal inherited the business initiated by his father. The furniture business was started by his father Pandit Mool Raj. Son spread and prospered this business. Girdhari Lal was committed to the cause of education and funded education throughout his lifetime. He was compelled to leave

education at a tender age due to financial constraints and took up the responsibility of supporting his family. He spend a substantial number of money on social welfare activities.<sup>xvi</sup> He donated money to the social and educational institutions formed on the line of Arya Samaj. When the Arya Samaj launched a mass direct action against the Nizam of Hyderabad, he vigorously helped the movement and in addition sent his two youthful sons to Hyderabad, the British tyranny, he was the first to volunteer his services.<sup>xvii</sup> An ardent Arya Samaji and having ideological inclination towards the Hindu reformist ideologies, Girdhari Lal was disliked by the major Muslim populations and the Muslim League. The schools or the educational institutions established and funded by him were also the ones influenced by the ideology of the Arya Samaj. The educational institutions were the means to propagate and reproduce the society desired by Arya Samaj and Girdhari Lal. The school thus became a means of reproducing the same culture and values instead of being the means of emancipation as said by Bourdieu. He did charity work in many educational institutions in Delhi, Gaziabad and Gourgaon. The Salwan was the name of the furniture business. It catered mainly to the Indian and English elites settled in India at that time. The credibility and craftsmanship of his furniture could be measured from the fact that he all the furniture in NWFP's governor house was supplied by him.<sup>xviii</sup>

The private entrepreneurs came to be regarded as agents of progress whose efforts might help to transform what was viewed as backward society by the Britishers. The involvement in private enterprise was consistent with the cautious, risk-averse character of the merchant mentality. Their activities were part of a large "portfolio" of symbolic investment that elites developed in building stable social relationships with members of their community and with their rulers or the ruling regimes, and which they adjusted as the socio-political world around them changed. Private enterprise became a means to maintain their reputation by contributing to the educational institutions. By directing portions of their profits or wealth into the channels highly valued by their community, the entrepreneurs attained a place of special social prominence. It was used to establish ones identity as a person committed to the community values, and a trustworthy individual.<sup>xix</sup>

Private enterprise in education was motivated by specific aims. The people involved in it were either the traditional elites or the ones who had close ties with the government. The private entrepreneurs by their charity or initiative in education were also able to fashion stable moral bonds with their overlords. These entrepreneurs were very often also the employees of the colonial government hence, it became necessary to maintain cordial relations with the employers. In this way they ensured continuity of their profession and their individual prestige and also maintained their community's social and religious life. The prominent donors also shared in the mystique of the imperial power thus ensuring their local prestige.<sup>xx</sup> It was largely by spending in welfare activities like education health etc., that the entrepreneurs reached a place of special local esteem.

One of such persons was Lala Duni Chand. As the name is not a misnomer, he belonged to the moneyed family. His father was a clerk in Lahore and had big dreams for his son. His father was a prominent landowner of Sharakpur in the District of Sheikhpura (now in Pakistan). He was a clerk in the court of Lahore. He went to the Government College Lahore. His father was both rich and courageous enough to send his son abroad for future studies. But Lala Duni Chand decided to stay back in Lahore. He was elected to the Municipal Committee of Lahore where he served uninterruptedly for 35 years. He was active in the non-cooperation movement but his political activism did not affect his role as a Municipal Commissioner. He also started a political movement in Punjab called 'the Indian Association.' It was not a great success. He was imprisoned after the implementation of Rowlatt Act in

Punjab by General Dwyer. His case was fought by his elder brother Lala Ganpat Rai. Lala Duni Chand was an active participant in the Gandhian movement, the non-cooperation movement. He also presided over the Indian National Congress annual session at Amritsar in 1919.<sup>xxi</sup> Lala Duni Chand played a key role in uniting the Hindus and Muslims of the area and hence, he was called the “uncrowned prince of Punjab” by Mr. Fyson, the Deputy Commissioner of Lahore. He united them against the Rowlatt Act.

The Indians were not the simple sponges, passive recipients of the values and skills that British education required them to internalise. Instead they negotiated with the British education and values. There was an amalgamation of the two i.e., the Western and Indian culture and values through education. The fact that the representatives of the two cultural traditions met, under the dominance-dependence relationship of colonialism, did not mean that the one system of stratification ‘replaced’ or was absorbed by the ‘other’. It was rather that, in certain places and situations, either systems or combination of both could operate simultaneously. A person’s perception of his own status and the social structure of which he was a part depended not merely on the cultural section to which he belonged but also on his own place within it.<sup>xxii</sup>

Rai Bahadur Dr. Mathra Das Pahwa was the eye surgeon (1880-1972). He was a renowned person in his profession and was also awarded Padam Shree for his contribution in medical field. He has been honoured with many awards viz. the Padam Shri (1954), title of Rai Bahadur (1921), Kesari Hind- Gold Medal (1924), Kesari Hind-Silver Medal (1912) etc. for his services to the society.<sup>xxiii</sup> He was also a member of the Provincial Medical Service. He was a specialist in his field and conducted over half a million operations in his medical career. He helped innumerable people gain eyesight through the charity camps held at different parts of India mainly in Moga, Punjab, Beawar, Rajasthan, Srinagar, Jammu & Kashmir, Darbhanga, Bihar, Delhi and numerous other places.

Apart from being a surgeon he also volunteered the formation of certain education institutions. The Mathra Das High School in the same town has been built at a cost of Rs. 75,000 by the generosity of Rai Bahadur Dr. Mathra Das.<sup>xxiv</sup> In addition to hospitals, he also laid the foundation of many education institutions which are running in his name today; viz Arya Putri Pathshala, MDAS – High School 1919 (Sr. Sec. School), DM College of Education (1926), Moga & many other similar reputed institutions.<sup>xxv</sup> Mathra Das was a well known Arya Samaji.

### **Conserving culture or reproducing culture**

The establishment of British rule rested on the acceptance of Britishers and their culture. The cynical attack of the British scholars on the Indian values and culture made the latter conscious of their qualities. The response was the initiation of reforms in India. Indians tried to modify or reincarnate their practices with such ease that the reform is attained without discrediting their values. The English culture and values were increasingly attracting the English educated Indians. The newly educated generation developed was being influenced by the new way of life. The communities carved out means to preserve their identity. The women were the major protagonists in this process of conservation. The women’s education was promoted keeping in mind the changing contours but it was strictly followed that curriculum should not make women rebel against the system.<sup>xxvi</sup> The reformers advocated education that would help women perform their destined duties with more ease and perfection. The reformers blamed the English education for demoralising the Indian women.<sup>xxvii</sup> The agency of women was being used to

sustain the moral values of India which were under threat due to English education. Education was being used as a means to reproduce the same values in the modern colonial context.<sup>xxviii</sup> The reformers attempted to invoke nationalism among Indian women.<sup>xxix</sup> The schools established for the education of Indian women were categorized into three types. The first one consisted of the schools attended by the daughters of well of parents. The girls were trained to become eligible wives of the prominent officers and leaders of society. The others aimed exclusively to settle down in the humble walks of life with some professional training as that of nursing, health visiting or teachers as sources of economic help to supplement the house income.<sup>xxx</sup> New education policy was used in defining meanings and coding and decoding values. The education was used by different people in different capacities. As Bourdieu defines education system as a model of social mediations and processes which tend behind the backs of the agents engaged in the school system- teachers, students and their parents, to ensure the transmission of cultural capital across generations and to stamp pre-existing differences in inherited cultural capital.<sup>xxxi</sup> The reformers and the educated lot of the time were apprehensive of the new educational policy introduced by the colonial rule. The newspapers and magazines of the time were full of articles advocating special attention to education of Indian women as they are the first step in the development of society. In a article published in Chand the author Babuu Vishambhar Singh B.A. advocated religious and moral education, chastity and self-sacrifice a must for Indian women's educational curriculum. The author exemplifies by valorising Rani Padmavati, the wife of Maharaja Bhim Singh and Rani Padmavati. Padmavati was valorised. The author also talks about returning to ancient Indian past. Education was not just seen as a means of achieving economic security.<sup>xxxii</sup> Instead it was used as a cultural projects by Indians to acculturatised the masses of their ancient culture. The new order was seen as a threat to the old prevailing values. In another article published the editor writes, "Education is an attempt on the part of adult members of human society to shape the development of coming generation in accordance with their own ideals of life." In the mentioned quote the author talks about the regenerating and recreating the values of Indian society by means of education. Education is intended to be used in accordance with the norms and ideals of the respective society.

School spaces proved to be quite helpful in propagating the values of the community responsible for establishing the school. The appointment of staff and teachers was carried out carefully keeping in view the aims of the community. The communities were keen to preserve themselves and used the schools as a powerful tool for the purpose. What needs to be emphasised here is that the communities which enjoyed certain amount of social prestige were the ones keen to preserve their values. Their culture became a means of assert their exclusive identity. The Madrasi Association in New Delhi maintained a school for the education of people from South India. The whole staff except for the Hindi teacher consisted of Madrasis. They had also instituted a few scholarships for the encouragement of Madrasi boys.<sup>xxxiii</sup> Some communities were active and smart enough to understand the immediate and long term benefits extended by the English education. They used the modern education to retranslate their relevance in the rapidly changing scenario. These communities were quick to realise benefits extended by the modern education. The communities who were already enjoying some social, economic and cultural capital were keen to preserve it and sustain it through changing times. Education was seen as the most appropriate tool to retranslate these privileges in colonial times. The communities used education not to purge of the traditions and customs of their communities, instead education was being used to preserve the customs. The exclusive customs which were very often discriminatory by nature were valorised and identified as synonym of the community pride. The communities with middle class status were more eager to establish schools for their children. As Nita Kumar in her work says that the National history is false and the community history is the reality. The national history

taught in schools is in a way not addressing the complexity and diversity of the divergent communities and their histories. It brings everything under the single frame. But National history is something which empowers and benefits the person whereas the community history does not.

The communities were keen to preserve their history and culture and coding their values. The school spaces played a major role in reformulating traditions. Apart from the formal school spaces, the agency of the mother, wife, sister and daughter also played a major role in it. As females they had an important role to play in the formulation of their values. More than anything else the loss of identity bothered the reformers the most. Hence, it was decided to mould the females in a way that reforms and restoration of values were carried out hand in hand. The reformed women became more aware about the attacks on their antique identity, hence derived all means possible to restore it. The educated women advocating reforms helped moving the popular consciousness in their favour.<sup>xxxiv</sup> In the times of reform we see many educated women coming in the scene and advocating reforms. But we also witness these women contempting the English and Westernisation of Indian culture and its sideeffects on India. In a newspaper article published in Chand Sushila Devi Nigam, a women who did her B.A., talks about the glorious ancient Indian past saying that the contemporary professors or the intelligentsia class was nowhere in comparison to the traditional sages and gurus. She also talks about the immediate need to form new educational institutions for the interest of Indian women and advocated the inclusion of Buddha, Rahim, Veads and Upanishads in the curriculum taught to women. Moreover, she favoured the inclusion of needle work in women's curriculum. The English culture is taking away the chastity of Indian women by teaching them Shakespeare, Darwin, Gladstone's diplomacy, William Pitt's life history, Lord Lawrence, Raymond's and Victoria Cross's erotic poetry. The writer goes on to say that the system of education followed in India would be appropriate for the British society as their moral values are different than that of Indian society.<sup>xxxv</sup>

The schools established by the private initiative offered a specific cultural grounding to the aim of 'character building'. The kind of academic exposure that would lead to character building along community and nationalist lines was provided by these schools. Their vision of education was grounded in a revivalist perception of culture. As might be expected, the reading and discussion of ancient Indian texts of religion and literature acquired a considerable place in the curriculum of these schools. For ethos building, too, the private institutions depended on religious symbols and rituals.<sup>xxxvi</sup> These schools considered the religious faith to be an important ingredient of identity contrary to the government belief which emphasised and imparted purely secular education. Religious identity was not considered a problem for the national identity. The communities do not wanted their coming generation to cut off from the cultural currents of their own religion.<sup>xxxvii</sup> The private schools were the community project and not the gift of the administration to its people. These schools became the mint where the modern cultural coinage of the place was stamped and approved for circulation. The schools were open to cultural intervention and in terms of socialization of the young. They provided both English education along with religious and community values. School education became the means whereby the cultural agenda of the respective religious literati could advance without facing much. Education in Delhi remained a largely reproductive agency, transmitting the cultural heritage and vision of the literate upper castes to their own children.<sup>xxxviii</sup>

The Indians should not be seen as victims of the new government. They were able to found new schools and institutions, and were not necessarily victims of polemics and intrusive colonial infrastructures. Indians were alert to the utility of western English education, and for the purpose pioneered their own schools. Education was

being continuously moulded by them via schools to suit the needs of both the market requirement and restoring the cultural ethos.<sup>xxxix</sup> Indians for their part were intensely alert to the advantages of English education. They patronized and undertook educational initiatives, rather needing to be convinced that education invariably led to 'progress'. One significant by-product of this Indian engagement was that schools and hostels tended to reproduce the social ethos and norms of their students.<sup>xl</sup>

Private enterprise in Indian education system was done with the aim of controlling the curriculum and the activities of the school. In addition to this the private enterprise acted under the wider framework of supervising or exercising control over the students and their minds. The aided schools provided a unique curriculum to suit the needs of the time. Although the reformist agenda was adopted by the donators, they made sure that the student's minds were moulded to follow the norms of the society. In all the philanthropic schools the need to maintain social order and control was emphasized and the importance of duties and obligations was underscored.<sup>xli</sup>

In The prevalence of colonialism and the absence of a sympathetic state in India, voluntary organisations and associations gained even more importance than they hold in Western countries. This gave a greater scope for Indian voluntary private efforts in India in colonial times. Economic vibrancy and the generation of wealth were important because they provided the material and social conditions which can support the establishment of new associations and institutions involved in private enterprise and social service work. The people involved in private efforts in education were very often the people who themselves had benefitted from it. They were very often the products of the educational opportunities catered by the colonial state or the colonial education system.

The purely secular policy followed by the British government in Indian schools was compensated or dealt with by Indian communities by forming their own schools. The remedy was that religious instruction was a prominent feature of all schools, including government schools. The establishment of Hindu and Muslim denominational schools of modern type, and the drive to establish colleges and universities that would combine Western learning with Hindu and Muslim religious instruction, made such argument have great effect. The schools wanted to perpetuate obedience among the youth and the children through these schools. The association of religion and culture with western science and knowledge in these schools led to the development and redefining of their respective identities.

---

## References

<sup>i</sup> Sengupta, P. (2011). *Pedagogy for Religion: Missionary Education and the Fashioning of Hindus and Muslims in Bengal*. United States: University of California Press.

<sup>ii</sup> *Ibid.*, p. 1.

<sup>iii</sup> Bayly, Susan, (1999). *Caste, Society and Politics in India: From the eighteenth Century to the Modern Age*, New York: Cambridge University Press, p. 355.

<sup>iv</sup> Anderson, G. (1923). *British Administration in India*. India: Macmillan, p. 143.

<sup>v</sup> Kumar, K. (1989). Colonial Citizen as an Educational Ideal. *Economic and Political Weekly*, 24(4), PE45-PE51. Retrieved October 8, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/4394308>

<sup>vi</sup> *Ibid.*

<sup>vii</sup> Haynes, D. (1987). From Tribute to Philanthropy: The Politics of Gift Giving in a Western Indian City. *The Journal of Asian Studies*, 46(2), 339-360. doi:10.2307/2056018, pp. 345-346.

- viii Report on the progress of education in Punjab during the Quinquennium ending 1921-22, R- 588/A, 1912, Delhi State Archives (DSA), p. 91.
- ix Muhammad Ahmad started an endowment for the education of Muslim women. Under this endowment a total grant of sixty thousand rupees was to be given as charity. Out of this sixty thousand rupees, three thousand rupees were to be spend annually for the education of Muslim females in Delhi. Muhammad Ahmad requested the government to establish a charitable trust for the perpetual and permanent supply of endowments, Creation of the Muhammad Ahmed Endowment Trust for the education of Muslim Girls in Delhi, 69/1924, DC, DSA, pp. 1-2.
- x Quinquennium Report on Education in the Delhi Province 1932-37, R-335, DSA, p. 62.
- xi Haynes, D. (1987). From Tribute to Philanthropy: The Politics of Gift Giving in a Western Indian City. *The Journal of Asian Studies*, 46(2), 339-360. doi:10.2307/2056018, pp. 339-360.
- xii Anglo-Arabic High School of Delhi was provided financial assistance by the Nawab Itmaduddulah Government grant and fees. The following special scholarships were for boys of poor Mohammaden communities:-*Ex-* Royal Family Scholarship of Rs. 4 p.m. and of Rs. 6 p.m. each payable from Provincial Revenues in the High and Middle Departments respectively; High School Scholarship of Rs. 6 p.m. each payable from Provincial Revenues; Middle School Scholarship of Rs. 4 p.m. each payable from D.B. and M.B. Funds, Quinquennial report on education under the Delhi Province ending 31<sup>st</sup> March 1927, R-114, DSA, p. 50.
- xiii Haynes, D. (1987). From Tribute to Philanthropy: The Politics of Gift Giving in a Western Indian City. *The Journal of Asian Studies*, 46(2), 339-360. doi:10.2307/2056018, p. 353.
- xiv *Ibid.*, p. 357.
- xvi Singh, M. \. K. I. (2012). *The Invincible Soul : Pt. Girdhari Lal Salwan -A Biography*. India: HarperCollins Publishers India.
- xvii *Personalities: A Comprehensive and Authentic Biographical Dictionary of Men who Matter in India [Northern India and Parliament]*. (1950). India: Arunam & Sheel, p. 28
- xviii *Ibid*, p. 53.
- xix Haynes, D. (1987). From Tribute to Philanthropy: The Politics of Gift Giving in a Western Indian City. *The Journal of Asian Studies*, 46(2), 339-360. doi:10.2307/2056018, pp. 339-360.
- xx *Ibid.*, p. 341.
- xxi Malik, G. (2010). *Susan's Tiger - Essays from India*. United Kingdom: Writersprintshop, pp. 24-25.
- xxii King, A. D. (2012). *Colonial Urban Development: Culture, Social Power and Environment*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- xxiii [http://www.mathradaspahwa.com/?page\\_id=21](http://www.mathradaspahwa.com/?page_id=21), 6 July 2018, 12:05 noon.
- xxiv Report on the Progress of Education in Punjab during the Quinquennium ending 1921-22, R-588, DSA, p. 46-47.
- xxv [http://www.mathradaspahwa.com/?page\\_id=21](http://www.mathradaspahwa.com/?page_id=21), 6 July 2018, 12:05 noon.
- xxvi The most essential part of women's education is physical education as it makes women aware of her body. Healthy women would become a healthy mother which will result in the formation of a healthy society. It is not necessary for a woman to have the knowledge of science or worldly facts. Instead, a women ought to be a virtuous and of good moral character. The writing also says that women are intellectually equal or more capable than men. But due to the difficult times and continuous suppression they became backward. The article was an excerpt from another article named 'Welfare' by Nandlal Maniklal published in an English magazine, *Stri Siksha ka Vastawik Swaroop*, *Chand*, Nov. 1927, Index no. R-3244, NMML, pp. 157-158.
- xxvii The article 'Vartman Stri Siksha ki Apurnta' written by Ganga Prasad Upadhayaye M.A., advocated that women's education would not arouse hatred for their natural duties. Women's education should synthesis household education. The British women settled in India are not portraying good influence on Indian educated women. These women's husbands get heavily paid in India, resulting in the hatred for manual labour. The British

women in their mother country were well versed in household duties. The Indian women should not get influenced by the British women in India, *Chand*, Aug. 1925, Index no. R- 4433, NMML, p. 240.

<sup>xxviii</sup> The writer valorises the ancient Indian sages and glories and advocates the inclusion of Buddha, Tulsidas, Rahim, Vedas and Upanishads in the curriculum taught to women. The present curriculum which included Shakespeare, Darwin, Gladstone, William Pitt, Lord Lawrence and Victoria Cross spoiled the Indian women's chastity and purity. Instead of blaming the English education the writer feels that the system of education was at flaw. The English values were unfit for Indian society. The curriculum for Indian women should include needle work, cooking etc., which were more practical, Sushila Devi Nigam B.A., *Striyon ke liye navin sansthaon ki avashyakta aur Bhartiya Mahilaon ka Kartavya*, *Chand*, Dec. 1922, Index no. R-4433, NMML, p. 327.

<sup>xxix</sup> The editorial talks about the need to reform women's education. The article appreciated the present progress in education but claims the excessive emphasis on English to be the faulty. As English education was waking women immoral, hence, parents were reluctant to send their daughters to schools. Women's curriculum should include heroes who sacrificed their lives for the country, which will instigate nationalistic feelings among the women. The article valorises Shivaji as a patriotic figure. *Stri Siksha Ke Karyakram me Parivartan ki Avashyakta*, *Ibid.*, p. 134.

<sup>xxx</sup> *Quinquennium Report on Education in the Delhi Province 1932-37*, R-335, DSA, p. 105

<sup>xxxi</sup> Bourdieu, P. P., Passeron, J., Bourdieu, P. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. India: SAGE Publications, p. 9.

<sup>xxxi</sup> *Vartaman Siksha Padhati me Parivartan ki Avashyakta*, *Chand*, Dec. 1922, NMML, p. 244.

<sup>xxxiii</sup> *Quinquennium Report on Education in the Delhi Province 1932-37*, R-335, DSA, p. 129

<sup>xxxiv</sup> Kumar, K. (2005). *Political Agenda of Education: A Study of Colonialist and Nationalist Ideas*. India: SAGE Publications, pp. 111-120.

<sup>xxxv</sup> *Striyon ke liye navin sansthano ki avashyakta aur Bhartiya mahilaon ka kartavya*, *Chand*, Dec 1922, part 1, series 2, p. 327.

<sup>xxxvi</sup> Kumar, K. (2005). *Political Agenda of Education: A Study of Colonialist and Nationalist Ideas*. India: SAGE Publications, pp. 111-120.

<sup>xxxvii</sup> *Ibid.*, p. 141.

<sup>xxxviii</sup> *Ibid.*, p. 153.

<sup>xxxix</sup> Bellenoit, H. J. A. (2015). *Missionary Education and Empire in Late Colonial India, 1860-1920*. United Kingdom: Taylor & Francis, pp. 118-120.

<sup>xl</sup> *Ibid.*, p. 120.

<sup>xli</sup> Watt, C. A. (2005). *Serving the Nation: Cultures of Service, Association, and Citizenship*. India: Oxford University Press, p. 131.

## बच्चों का नैतिक विकास (Moral Development of Children)

कमलावती कुमारी

पीआरटी, दक्षिण पूर्व रेलवे मिश्रित प्रा. विद्यालय, आद्रा, पुरुलिया, प. बंगाल, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 96-101

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 12 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**सारांश** – बच्चों के नैतिक विकास में बहुत सारे सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह सभी तत्व बच्चों के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

**मुख्य शब्द** – नैतिक , विकास, मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति, समाज, जन्म, कानून, बच्चे, सामाजिक नियम।

व्यक्ति को समाज में रहने के लिए समाज के कुछ आदर्शों (Ideals) और मानकों (Norms) को मानना पड़ता है, जो समाज उस व्यक्ति पर आरोपित करता है। समाज के द्वारा आरोपित इन बंधनों, दायित्वों व निर्देशों का व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से संघर्ष होना स्वाभाविक है।

जन्म के समान बच्चे के भीतर भले- बुरे की कोई भावना नहीं होती है। अतः वह नैतिकता रहित होता है। बच्चों में नैतिक विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और यह क्रमशः होता है। प्रारंभ में बच्चे सामाजिक नियमों (Social Rules), मानकों (Norms) अथवा कानूनों (Laws) को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, परंतु बच्चों को ऐसा करने के लिए समाजीकृत किया जाता है।

“समाजीकरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए नैतिक विकास कहलाती है।” (गुप्ता एवं गुप्ता 2003)

नैतिकता की व्याख्या समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में की जाती है। इसलिए नैतिक व्यवहार में किसी सार्वभौमिक मापदंड की कल्पना नहीं की जा सकती है। अलग – अलग समाज और सभ्यताओं में नैतिकता के पैमाने अलग- अलग होते हैं, कोई एक नैतिक विचार जो किसी समाज के लिए आदर्श है किसी अन्य समाज में अनैतिक हो सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे सापेक्षिक अवधारणा (Relative Concept) के रूप में स्वीकार किया है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए कुछ नियमों, मान्यताओं, आदर्शों एवं मर्यादाओं की व्यवस्था करते हैं जिस के अनुरूप व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। ऐसे व्यवहार ही नैतिक व्यवहार कहे जाते हैं।

### नैतिक विकास का अर्थ:

नैतिकता की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। इसका संबंध सामाजिक परिस्थिति से होता है। हरलॉक (Hurlock 1974) ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि, "सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है।" नैतिकता संबंधी नियम धार्मिक विश्वासों, नियमों, आस्था, न्याय, सत्यता, पवित्रता एवं तार्किकता से संबंधित होते हैं। जैसे नैतिकता के आधार पर सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परन्तु वहीं नैतिकता यह भी कहती है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए।

"सत्यम् ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्"

इस तरह यह बात स्पष्ट है कि नैतिक नियम विभिन्न काल एवं परिस्थितियों में अलग-अलग होते हैं। नैतिकता को एक आंतरिक वृत्ति माना जा सकता है जो व्यक्ति को उचित- अनुचित का बोध कराती है तथा मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसे आत्म चेतना की अवस्था माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति भलाई-बुराई, सत्य- असत्य, उचित- अनुचित, न्याय अन्याय में भेद करना सीखता है।

नैतिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति मानव समाज के साथ अपने संबंधों को समझता है एवं सीखता है। नैतिक मूल्यों के विकास को माता-पिता एवं परिवार की अभिवृत्तियाँ, पोषण की विधियाँ तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा प्रभावित करती है। इसके साथ समूह आदर्श भी इसके विकास को प्रभावित करता है। अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य संबंधित वयस्क लोगों का व्यवहार नैतिकता के क्षेत्र में बच्चों के लिए उदाहरण पेश करता है।

### नैतिकता का अधिगम (Learning of Morality) :

बच्चों में नैतिक विकास के कुछ प्रमुख स्तर निम्न प्रकार से हैं -

1. **प्रयास एवं भूल के स्तर** : नैतिकता के विकास का प्रारंभिक स्तर प्रयास और भूल का है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे प्रयत्न और भूल के आधार पर ही सीखते हैं। इस स्तर पर परिवार में उसे नैतिकता के संबंध में जो कुछ सिखाया जाता है सीखता है फिर भूल जाता है, फिर सिखाया जाता है और फिर भूल जाता है। इस प्रकार प्रयास और भूल का क्रम चलता रहता है।
2. **पुरस्कार और दंड** : इसके माध्यम से भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। परिवार एवं स्कूल में बच्चे अनेक मूल्यों को प्रलोभन और भय के आधार पर सीखते हैं। उन्हें पुरस्कार और दंड द्वारा समय-समय पर यह बताया जाता है कि कौन सा व्यवहार और कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। पुरस्कार और दंड या प्रलोभन और भय के आधार पर बच्चे नैतिक मूल्यों को तभी सीखते हैं जब परिवार और विद्यालय के नैतिक मूल्यों में कोई विशेष अंतर न हो।
3. **रूढ़ियों और प्रथाओं का कार्य** : श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों (1978) ने प्रथा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, "प्रथा का अर्थ - समाज से मान्यता प्राप्त कार्य और व्यवहार करने की विधियाँ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं।" इसी प्रकार रूढ़ियों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, "रूढ़ियाँ ऐसी जन- रीतियाँ हैं जिनसे समूह कल्याण की भावना जुड़ी हुई होती है।" बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं

उन्हें रुढ़ियों एवं प्रथाओं का पालन करना सिखाया जाता है क्योंकि इनके पालन करने से समाज एक स्थिर दिशा में काम करता है।

4. **भले बुरे की भावना का कार्य** : आधुनिक युग में यह माना जाता है कि भले बुरे की योग्यता का बच्चे अधिगम करते हैं। हाईजनेक (HJ Eysenck, 2011) का विचार है कि बच्चे की भले बुरे की भावना को Super Ego या Inner light या Internalized Policeman कह सकते हैं। यह भले बुरे की भावना बच्चों की क्रियाओं को देखती रहती है। जब कभी बच्चे सामाजिक नैतिक मूल्यों से हटकर व्यवहार करते हैं तो यह भावना उसे ऐसा करने से रोकती है।
5. **दोष और शर्म का कार्य** : जब बच्चे में विवेक (Conscience) का इतना विकास हो जाता है कि इसकी चेतावनी उसे उस समय मिलने लगती है जब वह नीतियों के विरुद्ध कार्य करता है। तब इस अवस्था में वह अपने विवेक को व्यवहार के रूप में प्रयुक्त करता है। परंतु जब उसका व्यवहार उसके विवेक के अनुसार नहीं हो पाता तब वह शर्म एवं दोष का अनुभव करता है। परंतु बच्चे में शर्म एवं दोष उस समय भी उत्पन्न होते हैं जब उसमें उचित अनुचित की भावना का एक निश्चित मात्रा में विकास हुआ हो तथा उसमें आत्म आलोचना की योग्यता हो। हरलॉक ने दोष (guilt) के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, "If a child felt no guilt, he would have little motivation to conform to social expectations." (Hurlock, 1978)

कुछ अध्ययनों (A. Bandura, 1969; P. A. Cowan, 1969) में यह देखा गया है कि बच्चा समूह में रहकर बहुत से ऐसे अनैतिक व्यवहार कर जाता है जो यदि वह अकेले की अवस्था में हो तो नहीं कर सकता। समूह में वह इस प्रकार का व्यवहार केवल इसलिए करता है कि समूह में उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा बनी रहे।

नैतिक मूल्यों के अधिगम में बच्चे को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इनमें इनमें से कुछ कठिनाइयां निम्न प्रकार हैं -

1. नैतिक मूल्यों के विकास के लिए उपयुक्त मात्रा में बौद्धिक क्षमताओं का विकास आवश्यक है क्योंकि इन्हीं क्षमताओं के द्वारा बालक नैतिक मूल्यों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और सीखता है। अगर बच्चे की बौद्धिक क्षमता में किसी तरह की रुकावट आ रही हो तो उसका नैतिक विकास भी इससे प्रभावित होता है।
2. जब परिवार और स्कूल आदि के नैतिक मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं तो इस अवस्था में बच्चा भ्रम में पड़ जाता है, कि परिवार में जो व्यवहार उचित समझा जाता है उसी व्यवहार के लिए स्कूल में दंड क्यों मिलता है?
3. बच्चों को नैतिक मूल्यों को सीखने में उस समय भी कठिनाई होती है जब परिवार के लोग नैतिक मूल्य के निर्णय ऋणात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हैं तथा धनात्मक पक्ष पर कम बल देते हैं।

बच्चों में नैतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं-

1. **बाल्यावस्था में नैतिक विकास** : बाल्यावस्था में अक्सर बच्चे उस कार्य या व्यवहार को अच्छा समझते हैं जिसमें उन्हें सुखद अनुभव होते हैं तथा उसे बुरा समझते हैं जिसमें उन्हें सुखद अनुभूति नहीं होती है। इस अवस्था में अनुशासन के द्वारा माता-पिता बालक को उचित- अनुचित का ज्ञान कराते हैं। बालकों को दंड

एवं पुरस्कार के द्वारा भले बुरे की शिक्षा देते हैं। माता- पिता को बच्चे को दंड उसी अवस्था में देना चाहिए जब बच्चा जानबूझकर अनैतिक व्यवहार करे।

2. **पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास:** पूर्व बाल्यावस्था लगभग 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित नैतिक व्यवहार अवश्य सीख लेता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि मध्य वर्ग (Middle Class) के माता-पिता बच्चों के प्रति इस बात को लेकर अधिक कठोर होते हैं कि बच्चा समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाए। इस अवस्था के अंत तक बालक अनुशासित अवश्य हो जाता है। वह उचित अनुचित को ध्यान में रखकर व्यवहार करने लग जाता है।

अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बाल्यावस्था में बालक को यदि अधिक दंड दिया जाता है तो उसका व्यवहार ऋणात्मक हो सकता है। ऐसे कुसमायोजित एवं अपराधी भी हो सकते हैं।

3. **उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास:** उत्तर बाल्यावस्था लगभग 6 से 12 साल तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास मुख्यतः उसके समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस अवस्था में वह सीखे गए नैतिक मूल्यों का सामान्यीकरण करने लग जाता है। वह समझने लग जाता है कि पैसा या वस्तु या खिलौना आज किसी भी चीज की चोरी करना अच्छी बात नहीं है। वह यह समझने लगता है कि माता-पिता, सहपाठी, अध्यापक तथा अन्य किसी से भी झूठ बोलना बुरा व्यवहार है।

इस अवस्था में बच्चों को उसी समय दंड देना चाहिए जब वे जानबूझकर शैतानी करते हैं तथा उन्हें उस समय पुरस्कृत करना चाहिए जब वे उचित व्यवहार करते हैं। बच्चों में इस अवस्था में भले बुरे की भावना का विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में नैतिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण बात है।

4. **किशोरावस्था में नैतिक विकास :** इस अवस्था में बालक प्रत्येक उचित और अनुचित व्यवहार से संबंधित कारणों को समझने लग जाता है। वह अपने व्यवहार को समाज एवं समूह की प्रत्याशाओं के अनुसार सीखता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि वे किशोर बहुधा अपराधी प्रवृत्ति अपनाते हैं जो ऐसे परिवारों से संबंधित होते हैं जिनमें विवाह विच्छेद या किसी की मृत्यु हो गई होती है। इस अवस्था तक वे स्वेच्छा से नैतिक मूल्यों का पालन करने लग जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक किशोरों में पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता, उदारता आदि गुण विकसित हो जाते हैं। उनका नैतिक व्यवहार वयस्कों के समान होने लगता है। नैतिक दृष्टि से परिपक्व किशोर समाज के नियमों एवं नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार, भय के कारण न करके इसलिए करता है कि वह इन नियमों एवं मूल्यों को उपयुक्त समझता है।

बच्चों के नैतिक विकास को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-

1. **बुद्धि :** बच्चों के नैतिक विकास को बुद्धि महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही वह विभिन्न नैतिक मूल्यों को समझता है एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित प्रत्ययों का सामान्यीकरण करता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन बच्चों में बुद्धि अधिक होती है उनमें मंदबुद्धि बालकों की

अपेक्षा नैतिक विकास अधिक मात्रा में तथा शीघ्र होता है। टरमन (L. M Terman, 1925) ने अपने अध्ययन में देखा कि मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा बुद्धि वाले बालकों में ईमानदारी, सहनशीलता, सत्यवादिता आदि गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।

2. आयु : आयु बढ़ने के साथ-साथ बच्चे में नैतिक मूल्यों एवं व्यवहार का विकास होता है। आयु बढ़ने के साथ-साथ भले-बुरे, उचित- अनुचित के ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। आयु बढ़ने के साथ- साथ वह सत्य-असत्य के अंतर को भी समझने लग जाता है। सहानुभूति, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यवादिता आदि गुणों का विकास भी आयु बढ़ने के साथ-साथ होता जाता है।
3. लिंग : नैतिक मूल्यों का विकास लैंगिक कारक से भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होता है। लड़के और लड़कियों के चरित्र एवं नैतिक गुणों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में चारित्रिक एवं नैतिक विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक लज्जालु होती हैं। यह फर्क समाज द्वारा स्त्री- पुरुष के लिए अलग- अलग बनाये गए नियमों के कारण होता है। जिन समाजों में स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक फर्क जितना कम है वहाँ यह कारक उतना ही कम असरदायी होता है।
4. परिवार: नैतिक मूल्यों को बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। बच्चे का लालन-पालन किस प्रकार किया जाता है इसका भी उनके नैतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों का पारिवारिक समायोजन अच्छा होता है वे बच्चे परिवार के सदस्यों के अनुकरण के आधार पर नैतिक मूल्यों को अपेक्षाकृत जल्दी सीख लेते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन परिवारों का वातावरण दूषित होता है उन परिवारों के बच्चे मिथ्याभाषी, चोर, डरपोक, ईर्ष्यालु, घर से भागने वाले, बाल अपराधी, क्रोधी, दुराचारी आदि कुछ भी हो सकते हैं।
5. विद्यालय : बच्चों के नैतिक विकास में विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विद्यालय के शिक्षक, सहपाठी, वातावरण आदि सभी कुछ बच्चों के नैतिक विकास में कुछ न कुछ योगदान अवश्य करते हैं। यदि विद्यालय का सामान्य अनुशासन और व्यवस्था ठीक होती है तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए सुंदर वातावरण मिलता है।
6. साथी समूह (Peer Group) : जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब उसका साथी समूहों से संबंध बनने लगता है। बच्चे इन मित्रों एवं साथी समूहों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वह अपने इन्हीं साथी समूहों से अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। इस संबंध में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिस प्रकार के चरित्र वाले बच्चे या साथी - समूह के बीच बच्चा रहता है उसी प्रकार के नैतिक मूल्य भी वह अनुकरण के आधार पर सीखता है। यदि उसके मित्रगण झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले आदि अनैतिक काम करने वाले होते हैं तो वह भी इसी प्रकार के व्यवहारों को सीखता है।

7. जनमाध्यम : आधुनिक समाज में बच्चा सिनेमा टेलीविजन और मैगजीन सोशल मीडिया आदि से बहुत अधिक प्रभावित होता है बच्चा जिस प्रकार के साहित्य पढ़ता है उसी प्रकार का चरित्र उसमें विकसित होता है। आज टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्म, धारावाहिक, कार्टूनों आदि से बच्चों का चरित्र बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। आज बच्चा टीवी पर हीरो को अगर पुरस्कृत होते हुए देखता है तो उसके चारित्रिक मूल्यों का अनुकरण अधिक करता है। वह हीरो या एक्टर उसके लिए एक आदर्श बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के नैतिक विकास में बहुत सारे सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह सभी तत्व बच्चों के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. गुप्ता, एस. पी. और गुप्ता, अलका (2003). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पब्लिकेशन, इलाहाबाद, पृष्ठ - 65
2. श्रीवास्तव, डी. एन और वर्मा, प्रीति (2007). बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ- 154
3. Bandura, A. (1969). Social learning of moral judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 11(3), 275-279.
4. Cowan, Philip A., Langer, J., Judith H., Nathanson M. (1969) Social learning and Piaget's cognitive theory of moral development, *Journal of Personality and Social Psychology* 11(3):261-74
5. Eysneck, H.. (2011). Symposium: The Development of Moral Value in Children. *British Journal of Educational Psychology*. 30. 11 - 21. 10.1111/j.2044-8279.1960.tb01516.x.
6. Hurlock, Elizabeth B. (1974). *Child Development*, McGraw- Hill, New York, p. 234
7. Terman, L.M. (1925). *Genetic studies of genius. Mental and physical traits of a thousand gifted children*. Stanford Univ. Press.

## दिल्ली सल्तनत के अधीन ललित कलाओं का विकास (13वीं-14वीं शताब्दी)

(अंकुर वर्मा)

शोध छात्र,

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।



### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 102-108

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 12 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**सारांश** – प्रमुख कलाओं के अलावा भी निश्चित रूप से अन्य ललित कलाओं का अस्तित्व भी अवश्य रहा होगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे पास इस विषय से सम्बंधित प्रामाणिक साक्ष्यों की इस कालखंड में काफी कमी है। 13वीं-14वीं शताब्दी का समय व्यापार-वाणिज्य की दृष्टि से प्रगतिशील माना जाता है। प्रो.मोहम्मद हबीब इस काल को नगरीय क्रांति की अवधारणा से संबद्ध करते हैं। सामाजिक बंधनों और जड़ता में इस काल में निश्चित रूप से ढीलापन आया। जब भी समाज में रूढ़िवादिता और संकीर्णता के बंधन कमजोर पड़ते हैं तो कलाओं के विकास के बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं। व्यापार-वाणिज्य और आर्थिक प्रगति के चलते वैदेशिक संपर्कों की स्थापना भी हुई। ऐसे में बाहरी कलाओं और संस्कृतियों से भी संपर्क अवश्य स्थापित हुआ होगा, जिसका प्रभाव यहां के कलात्मक माहौल पर स्वाभाविक रूप से पड़ा होगा। साथ ही कृषि में अधिशेष के चलते शिल्प आदि के विकास के लिए भी परिस्थितियां बनी होंगी। साक्ष्यों के अभाव में यह मान लेना कि जिन सुल्तानों के समय स्थापत्य और संगीत और चित्रकला की प्रगति होती रही, उन्होंने अन्य कलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया होगा, तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। भारत में कुटीर व्यवसायों की परंपरा संपूर्ण मध्यकाल में रही है। इनमें से कई व्यवसाय शिल्प और कलाओं से संबंधित थे (जैसे-कपड़ों की रंगाई, कढ़ाई, खिलौना निर्माण, मूर्ति निर्माण इत्यादि)। इनका विकास स्वतंत्र रूप से स्थानीय स्तर पर होता रहा। साथ ही, प्रांतीय केंद्रों और हिंदू राजाओं के यहां भी कलाओं को आश्रय मिला। ऐसे में दिल्ली सल्तनत निश्चित रूप से इनसे अछूती नहीं रही होगी।

**मुख्य शब्द** – दिल्ली, सल्तनत, ललित, कला, व्यापार-वाणिज्य, सामाजिक, रूढ़िवादिता, संकीर्णता।

ललित कलाओं से तात्पर्य उन सभी विधाओं से है जो मनुष्य की भावनाओं को एक साकार रूप प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। अपने व्यापक स्वरूप में यह किसी समाज की सांस्कृतिक मनोदशा की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती

हैं। इनकी स्थिति का मूल्यांकन करके हम किसी देश काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और काफी हद तक राजनीतिक परिस्थितियों तथा शासक वर्ग के दृष्टिकोण का अनुमान लगा सकते हैं। ललित कलाओं के अंतर्गत स्थापत्य, चित्रकला, संगीत आदि मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं।

विविध संस्कृतियों वाला भारत प्राचीन काल से ही ललित कलाओं के संदर्भ में काफी उन्नत रहा है। पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न प्रकार से इसका विकास निरंतर होता रहा। ऐसे में अगर हम अपने अध्ययन को एक ऐसी कालावधि पर केंद्रित करें, जिसमें धर्म की भूमिका काफी प्रमुख रही हो और यह धर्म भी ऐसा कि इसमें ललित कलाओं के विकास की गुंजाइश कम हो तो अध्ययन निश्चित रूप से अधिक रुचिकर होगा। उत्तर भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी का समय एक ऐसा ही कालखंड था।

भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना एक क्रांतिकारी परिघटना थी जिसने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावित किया और भावी समाज-संस्कृति के निर्माण को नई दिशा प्रदान की। नवस्थापित तुर्की शासक और शासित वर्ग के मध्य सबसे बड़ा अंतर संस्कृतियों का था। जहां एक और यहां की बहुसंख्यक आबादी गैर मुसलमान (हिन्दू) थी, तो वहीं दूसरी ओर एक कट्टर धार्मिक उलेमा वर्ग था जो कि इस नवस्थापित सत्ता को धार्मिक आधार पर वैधता प्रदान कर सकता था। किंतु यह धार्मिक वर्ग भारत में तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करा कर अपनी संस्कृति को थोपने का दबाव शासक वर्ग पर डाल रहा था<sup>1</sup> जो कि व्यवहारिक रूप से अतार्किक और असंभव था, क्योंकि बिना हिंदुओं के सहयोग के शासन को सुदृढ़ करना संभव नहीं था। स्थानीय स्तर के अधिकांश अधिकारी हिंदू थे तथा इनकी जनता पर पकड़ भी बेहतर थी। ऐसे में शासक वर्ग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि धार्मिक वर्ग को रुष्ट किए बिना जनता का समर्थन कैसे प्राप्त किया जाए। अतः परिस्थिति वश ही किंतु मुस्लिम सत्ताधारी वर्ग को हिंदुओं से सहयोग लेना पड़ा। इस प्रक्रिया में दोनों वर्ग एक-दूसरे के समीप आए और शनैः-शनैः दो ऐसी संस्कृति और सभ्यताओं, जो कि मान्यताओं रिवाजों से लेकर लगभग हर बात में भिन्न थीं, के सम्मिश्रण की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फलस्वरूप एक नवीन संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम हिंदू-इस्लामी संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों ही सभ्यताओं की अच्छी बातें मौजूद थी। वह हिंदू-इस्लामी संस्कृति जो अकबर के समय अपने चरम पर जा पहुंची, वस्तुतः उसकी नींव इसी काल में रखी गई थी। 13वीं 14वीं शताब्दी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान यह मिली-जुली संस्कृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त हुई।

सबसे पहले स्थापत्य कला की चर्चा करना उचित होगा जो कि इस काल में सर्वाधिक विकसित अवस्था में रही। भारत में स्थापत्य समृद्ध परंपरा रही है। स्तूपों, चैत्यों, महलों के अवशेषों आदि के माध्यम से इसे रेखांकित किया भी जा सकता है। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इसमें विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक व लोककल्याण संबंधी कारकों ने भी भूमिका निभायी। इस दौरान इमारत निर्माण शैली में अनेक नवीन तत्वों ने जन्म लिया जो कि भारतीय-इस्लामी शैली के सुंदर मिश्रण के प्रतीक थे। सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से मानी जाती है। उसी ने सल्तनत कालीन स्थापत्य की नींव भी रखी। रायपिथौरा में उसने सर्वप्रथम एक मस्जिद "कुवत उल इस्लाम" का निर्माण कराया जो कि मंदिर के अवशेषों पर निर्मित की गई थी।<sup>2</sup> निर्माण का लक्ष्य था कि इबादत के स्थान होने के साथ-साथ या मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रार्थना स्थल का भी कार्य कर सके। इसमें ही सबसे पहले हिंदू-इस्लामी संस्कृति की झलक दिखती है। यहां मेहराबें उत्कृष्ट और सही अनुपात में दिखती हैं, हालांकि तकनीकी रूप से ये

1. मध्यकालीन प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, प्रो. राधेश्याम, पृ. 176।

2. आर्किटेक्चर इन मेडिवाल इंडिया, मोनिका जुनेजा, पृ. 143।

कमतर थीं। इसी कारण सल्तनत काल की प्रारंभ की इमारतें शीघ्र ही ध्वस्त हो गईं। ऐबक द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत कुतुबमीनार थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। संभवतः यह मीनार तुर्कों की भारत विजय के प्रतीक स्वरूप बनवाई गई थी। यह मीनार सुंदरता और मजबूती का श्रेष्ठ उदाहरण है। आधार पर 15 मीटर चौड़ाई शीर्ष पर घटते-घटते मात्र 3 मीटर रह जाती है जो कि तकनीकी श्रेष्ठता का द्योतक है। छज्जों में प्रयुक्त अवरोही टोडा तकनीक दर्शनीय है। ऐबक ने एक अन्य इमारत अड़ाई दिन का झोपड़ा भी बनवाई जो कि अजमेर में स्थित है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने भी निर्माण कार्य कराए। भारत में मकबरा शैली का जनक उसे ही माना जाता है। महरौली क्षेत्र में उसने खुद का एक सुंदर मकबरा बनवाया। तीन ओर से मेहराबयुक्त द्वारों वाली एक वर्गाकार इमारत है जो कि लाल पत्थरों से निर्मित है तथा केंद्र में संगमरमर की कब्र है। दीवारों पर फूल पत्तियों, ज्यामितीय आकृतियों, बेलबूटों, कुरान की आयतों आदि से सजावट की गई है। हालांकि बाद में इस मकबरे में नासिरुद्दीन महमूद को दफनाया गया। इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में सुधार कराने के साथ ही बदायूं में इससे भी बड़ी एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में जलापूर्ति के लिए एक विशाल तालाब "हौज-ए-शम्सी" भी बनवाया जो कि लोककल्याण की ओर संकेत करता है। सल्तनत काल की अन्य प्रमुख इमारत थी 'बलबन का मकबरा'। सबसे पहले इसी में सच्ची मेहराब का प्रयोग हुआ है। यह महरौली क्षेत्र में स्थित है तथा वर्तमान में जर्जर अवस्था में है।

सल्तनतकालीन स्थापत्य का सबसे शानदार युग खिलजी काल को माना जाता है। अलाउद्दीन ने भव्य इमारतें बनवाईं। उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्षेत्र बढ़वाने के साथ ही महरौली में इमारतों की एक श्रृंखला बनवाने की योजना बनवाई जो कि उसकी मृत्यु के चलते अधूरी रह गई। इसी के तहत उसने महरौली के प्रवेश द्वार के रूप में 'अलाई दरवाजा' निर्मित करवाया जो कि पूरे सल्तनतकाल की सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है।<sup>3</sup> लाल पत्थरों से निर्मित यह इमारत इंडो इस्लामिक शैली की प्रथम स्पष्ट कृति मानी जा सकती है। इसमें पत्थर को काटकर घनी नक्काशी की गई है। इस्लामी (ईरानी) तत्वों में अरबी अभिलेख, कंगूरों पर नक्काशी, ज्यामितीय आकृतियों का अंकन प्रमुख है, जबकि भारतीय तत्वों के रूप में कमल और कलियों व लताओं का अंकन प्रमुख रूप से किया गया है। इसकी बारीक कारीगरी और जालियां दर्शनीय हैं। सर्वप्रथम घोड़े की नाल वाली आकृति की मेहराबों का उपयोग इसी में किया गया।<sup>4</sup> अलाउद्दीन ने एक मीनार अलाई मीनार का निर्माण भी आरंभ करवाया, किंतु यह पूरी न हो सकी। उसने दिल्ली का दूसरा नगर सीरी स्थापित किया तथा इसमें अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें हजार सूतून महल सर्वप्रमुख था। इल्तुतमिश की भांति ही अलाउद्दीन ने भी एक तालाब सीरी में जलापूर्ति के लिए बनवाया, जिसे हौज-ए-खास अथवा हौज-ए-अलाई कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के साहित्य में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है।

खिलजी काल के विपरीत तुगलकों के स्थापत्य में सादगी थी। इसके पीछे विद्वानों ने अलग-अलग मत दिए हैं। कुछ लोग गयासुद्दीन का सादगीपूर्ण व्यक्तित्व तो कुछ लोग तुगलकों के पास धन के अभाव को इसका प्रमुख कारण मानते हैं (जबकि अलाउद्दीन के पास दक्षिण से प्राप्त की गई अकूत संपत्ति थी)। कुछ समकालीन स्रोतों में यह मत भी है कि मोहम्मद तुगलक जब राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया तो दिल्ली में कुशल कारीगरों का अभाव हो गया, जिसके चलते यहां की इमारतें सादी हो गयीं। हालांकि यह मत अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस काल की स्थापत्य कला के प्रमुख लक्षण रंगीन पत्थरों की जगह रंगों का प्रयोग, अभिलेखों का अभाव, निर्माण में ईंटों और मलबे

3. आर्किटेक्चर इन मेडिवाल इंडिया, मोनिका जुनेजा, पृ.15।

4. मध्यकालीन भारतीय कलाएं और उनका विकास, डॉ. रामनाथ, पृ.38।

का प्रयोग, भद्दी मोटी कमजोर दीवारें, अंदर की ओर झुकी मस्जिदों, इमारतों, दुर्गों की दीवारों और बुर्ज तथा उभरी गर्दन वाले नुकीले गुंबदों का प्रयोग इत्यादि थे। गयासुद्दीन ने दिल्ली का तीसरा नगर तुगलकाबाद भी बताया और इसमें कई इमारतें बनवाईं। उसके महल का उल्लेख इब्नबतूता करता है जिसे वह अत्यंत सुंदर और भव्य बताता है। गयासुद्दीन ने खुद का मकबरा भी बनवाया जो एक कृतिम झील के बीचोंबीच स्थित है।<sup>5</sup> इसमें हिंदू तत्वों कलश और आमलक का प्रयोग किया गया है। यह एक पंचमुखी इमारत है। मोहम्मद तुगलक ने भी निर्माण कार्य करवाए। उसने चौथी दिल्ली या 'जहांपनाह' नगर को बसाया। इसमें बनी कई इमारतों में से वर्तमान में विजय मंडल और सतपुला बंधके अवशेष प्राप्त होते हैं। उसने तुगलकाबाद के समीप आदिलाबाद किला का निर्माण भी करवाया। तुगलक सुल्तानों में स्थापत्य का सबसे शौकीन फिरोज था। हालांकि उसने संख्या पर अधिक ध्यान दिया, गुणवत्ता पर नहीं।<sup>6</sup> सजावट का कार्य मुख्यतः मेहराबों पर बने पलस्तर किए चित्रफलकों में दिखता है। उसने मस्जिद के डिजाइन में नई शैली लाने का सुंदर प्रयास किया, जिसका आधार पारंपरिक सहन होने की बजाय क्रॉस का आकार था।<sup>7</sup> यह शैली उसकी समस्त इमारतों में झलकती है। उसने दिल्ली का पांचवा नगर 'फिरोजाबाद' बसाया जहां 'कुशक-ए-सफेद' महल बनवाया जो उसके स्वयं के रहने के लिए था। इसे ही बाद में फिरोजशाह कोटला के नाम से जाना गया। नगर में उसने कई मस्जिदें बनवाईं जिसमें सर्वप्रमुख थी जामा मस्जिद, जिसके खंभों पर उसने अपने शासन की उपलब्धियां अंकित कराईं तथा इनका संकलन भी फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से करवाया। फिरोज ने पुरानी इमारतों की मरम्मत के साथ-साथ तमाम नए नगर, उद्यान और औषधालयों, मदरसों आदि की स्थापना भी करवायी। उसके समय की एक अति महत्वपूर्ण इमारत खानेजहां तेलंगानी का मकबरा है।<sup>8</sup> प्रथम मकबरा है, जो कि अष्टभुजाकार था। इस पर एक विशाल गुंबद का निर्माण किया गया तथा इसके चारों ओर स्तंभों वाला एक बरामदा बनाया गया। आगे चलकर मकबरा निर्माण के क्षेत्र में यह मानक की भांति साबित हुआ।

स्थापत्य के उपरांत संगीत की चर्चा करना उचित होगा। इस ललित कला के दृष्टिकोण से भी यह एक उन्नत काल था। वस्तुतः भारत में संगीत की परंपरा विश्व की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। माना जाता है कि यह कला शिव से ब्रह्म तथा ब्रह्म से सरस्वती जी को प्राप्त हुई। ऋग्वेद में वीणा, मृदंग, बांसुरी आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। सामवेद संगीत से ही संबंधित है। इसमें सात स्वरों का उल्लेख है। नाट्यशास्त्र, श्रृंगारप्रकाश, संगीत रत्नाकर जैसे अनेक ग्रंथ भारत में ही लिखे गए। मोहम्मद कासिम की सिंध विजय के समय भी वहां पर भारतीय संगीत पद्धति काफी प्रचलित थी।<sup>9</sup> कुछ अवरोधों और परिवर्तनों के बावजूद 13वीं-14वीं शताब्दी में संगीत का विकास निरंतर होता रहा। यद्यपि संगीत को स्थापत्य की भांति व्यापक स्तर पर उतना संरक्षण नहीं मिला, तथापि इसका अस्तित्व निरंतर बना रहा और प्रगति होती रही। वस्तुतः तुर्क अपने साथ अरबों की समृद्ध परंपरा तथा रबाब व सारंगी जैसे वाद्य भी लाए थे। सुल्तानों और अमीरों ने भी इस कला को सहारा दिया और कई नए तत्वों ने भारतीय संगीत में प्रवेश किया। स्थानीय केंद्रों और हिंदू शासकों के यहां भी संगीत को प्रश्रय मिला। राजपूतों के रनिवासों में संगीतमय माहौल हुआ करता था और उनकी स्त्रियां भी गाने बजाने में निपुण हुआ करती थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो तुर्की आक्रमणों से भारतीय संगीत कला पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। 12 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कवि लोचन ने रागतंरिणी की रचना

5. मध्यकालीन भारतीय कलाएं और उनका विकास, डॉ. रामनाथ, पृ.38 ।

6. मध्यकालीन भारत(750-1540ई.), हरिश्चंद्र वर्मा, भाग-1, पृ.519 ।

7. मध्यकालीन भारत(750-1540ई.), हरिश्चंद्र वर्मा, भाग-1, पृ.519 ।

8. मध्यकालीन भारतीय कलाएं और उनका विकास, डॉ. रामनाथ, पृ.39 ।

9. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस: द मोहम्मडन पीरियड, इलियट&डाउसन, भाग-1, पृ.19 ।

की जिसमें हिंदू संगीत पद्धति में गीत संगीत रचना के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था।<sup>10</sup> महमूद गजनवी योद्धा होने के बावजूद एक संगीत प्रेमी था। सल्तनत काल भारतीय संगीत के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों का काल रहा है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के सर्वप्रमुख प्रणेता अमीर खुसरो थे जो कि एक कवि और दार्शनिक भी थे। उन्हें 'तूती ए हिंद' भी कहा जाता है। भारतीय संगीत को इन्होंने अरब के संगीत से श्रेष्ठ बताया। उनका कहना था कि "यहां का संगीत मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को प्रभावित कर देता है तथा इस संगीत से हरिण कृत्रिम निद्रा में निमग्न होकर शिकारी का शिकार बन जाते हैं।"<sup>11</sup> अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कई तालों और रागों की वृद्धि की, जैसे राग गोरा, तिलक, सनम, सरपादा इत्यादि।<sup>12</sup> उन्होंने संगीत में प्रयुक्त होने वाले बारह स्वरों के ईरानी नामों के आधार पर भारतीय रागों का वर्गीकरण किया। खुसरो को ही कव्वाली गायन का भी प्रणेता माना जाता है। यद्यपि इस पर विवाद है तथापि अनेक विद्वान तबले और सितार के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही देते हैं।<sup>13</sup> अमीर खुसरो ने दक्षिण के संगीतकारों से भी संपर्क स्थापित किया। गोपाल नायक एक प्रमुख संगीतकार थे जो अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के उपरांत उपहारस्वरूप दिल्ली लाए गए थे। इनके साथ अमीर खुसरो की संगीत प्रतियोगिता के आयोजन के उल्लेख मिलते हैं।<sup>14</sup> तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संगीत पर एक ग्रंथ संगीत रत्नाकर लिखा गया जिसके रचयिता सारंगदेव थे। इसी प्रकार अलाउद्दीन की गुजरात विजय के उपरांत परवार नामक जाति के लोगों को बंदी बनाकर दिल्ली लाए जाने का उल्लेख मिलता है जो कि गा-बजा कर अपनी जीविका चलाते थे।

संगीत के विकास में 'सूफियों' का अद्वितीय योगदान रहा है। वैसे तो इस्लाम में संगीत को लेकर स्पष्ट अनुमति या प्रतिबंध नहीं है, किंतु सूफियों में अधिकांश संप्रदायों में इसकी अनुमति थी। ये लोग संगीत को ईश्वर की इबादत का एक जरिया मानते थे। सूफी संगीत सभाओं को 'समा' कहा जाता था। सुल्तानों की ओर से भी सूफियों को अधिकांशतः समर्थन मिलता रहा तथा कई सुल्तान तो स्वयं इन सूफियों के अनुयायी भी थे। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह सुल्तान बनने से पहले सूफियों के उपदेश और संगीत लीन होकर सुना करता था। बलबन अत्यंत सुरीले अंदाज में स्वयं कुरान का उच्चारण करता था, इसीलिए उसे कुरानख्वां कहा जाता था। सूफियों ने आम जनता से संपर्क स्थापित किए। इनकी खानकाहों में बिना धर्म-जाति-वर्ग के भेद के सभी को शरण मिलती थी। सूफियों में भी चिश्ती सिलसिले ने संगीत के विकास में विशेष योगदान दिया। कहा जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह पर संगीत सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्र होती थी। सूफी लोग गजलों के माध्यम से खुदा की इबादत करते थे। गजलों का स्वरूप भौतिक रूप से देखने में तो वासनामय लगता था, लेकिन जब इनका गायन खानकाहों में किया जाता था तो यह भक्तिमय प्रतीत होती थी। 13वीं-14वीं शताब्दी में गजल की प्रसिद्धि सभी सुल्तानों के दरबार में रही। इल्तुतमिश, शाहजादा, मोहम्मद, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक आदि सभी गजल के शौकीन थे। गजल से ही मिलती-जुलती विधा कव्वाली<sup>15</sup> भी सूफियों में काफी प्रचलित थी। गजल और कव्वाली आज भी अत्यंत लोकप्रिय संगीत विधाएं हैं। बलबन का पुत्र कैकुवाद बड़ा संगीत प्रेमी था।<sup>16</sup> सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उस के दरबार में लगभग 12 सौ संगीतज्ञ थे जो गायन के साथ-साथ संगीत की शिक्षा भी देते थे। फिरोज शाह

10. ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, वी.एन. भातखण्डे, पृ.5-9 ।

11. द गजेटियर ऑफ इंडियन यूनिशन, भाग-II, हिस्ट्री एंड कल्चर, संपा.-पी.एन. चोपड़ा, पृ.494 ।

12. ए सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग-II, पृ.236 ।

13. इस्लामिक कल्चर-प्रमोशन ऑफ म्यूजिक बाय टर्को अफगान रूसर्स ऑफ इंडिया, भाग-XXIV, पृ.494 ।

14. द हिस्ट्री ऑफ खल्जीज, के.एस. लाल, पृ.336 ।

15. लीव्ज फ्रॉम इंडियन कल्चर, सर अब्दुल कादिर, पृ.280 ।

16. मुंतखब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, भाग-I, पृ.158-161 ।

तुगलक के समय संगीत एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। इसी के समय संगीत के ग्रंथ रागदर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया।<sup>17</sup> इस प्रकार स्पष्ट है कि सल्तनत काल की पहली दो शताब्दियों में संगीत का पर्याप्त विकास हुआ।

**चित्रकला** का अस्तित्व भारत में आदिकाल से ही रहा है और इसकी एक उन्नत परंपरा हमेशा यहाँ विद्यमान रही है। भीमबेटका, अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है। भारतीय चित्रकला के प्रमुख रूप भित्तिचित्र, चित्रपट, चित्रफलक एवं लघु चित्रांकन आदि हैं। तुर्की शासन की स्थापना राजनीति के साथ-साथ समाज और संस्कृति के क्षेत्र में भी क्रांति थी। इस्लाम में जीव प्रतिरूपण निश्चित होने के कारण इस काल में चित्रकला अलग रूप में सामने आई सजावट के लिए ज्यामितीय आकारों, बेलबूटों, फूल, पत्तियों आदि का चित्रांकन किया गया। पहले ऐसा माना जाता था कि सल्तनत काल में धार्मिक बंदिशों के चलते चित्रकला अस्तित्व में नहीं रही, किंतु पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय चित्रकला को भी छोटे स्तर पर ही सही, किंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रोत्साहन मिलता रहा। साथ ही तमाम क्षेत्रीय शासकों द्वारा भी चित्रकला को बढ़ावा दिया जा रहा था। समूचे मध्यकाल में इस्लामी जगत में राजकीय कक्षों और भवनों को भित्तिचित्रों से सजाने का चलन था।<sup>18</sup> दिल्ली सल्तनत भी इससे अछूती नहीं रही। अमीरों और कुलीन वर्ग द्वारा बाहर से आयात की जाने वाली चित्रित पांडुलिपियों से भी सुल्तानों का संपर्क अवश्य रहा होगा। 13वीं-14वीं शताब्दी में चित्रकला के कुछ उदाहरणों की चर्चा भी की जा सकती है, जैसे-समकालीन लेखक ताजुद्दीन रजा सुल्तान इल्तुतमिश के समय चित्रकला से सजावट के प्रचलन का एक उल्लेख करता है।<sup>19</sup> साथ ही वह 1229 ईसवी में बगदाद के खलीफा के दूत के आगमन के समय तख्तमहल की मेहराब पर मानव और पशु आकृतियों के अंकन की भी सूचना देता है, जिसकी पुष्टि बाद में ईसामी के ग्रंथ फुतुह उस सलातीन से होती है। मिनहाज सिराज भी बताता है कि इसी समय सुल्तान इल्तुतमिश की एक विशाल तस्वीर समारोह के दौरान मुख्य बाजार में लगाई गई। इसामी इल्तुतमिश के समय चीनी चित्रकारों के दिल्ली लाए जाने का उल्लेख करता है। इससे सुल्तान इल्तुतमिश के समय चित्रकला की परंपरा मौजूद होने का अनुमान मिलता है। समकालीन ग्रंथों में भी चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ये ग्रंथ भित्ति चित्रों, पांडुलिपियों, कपड़े पर बने चित्रों आदि के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। 'देवलरानी खिन्न खां' में डिजाइन के लिए चकरबों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। 'नूहसिपिहर' में अमीर खुसरो ने सुंदर चित्रित वस्त्रों का विवरण दिया है।<sup>20</sup> साथ ही उनके अन्य ग्रंथों में भी बहुत से स्थानों पर आकृतिमूलक रेखांकनों व आकृतियों में अंकित पदों का उल्लेख मिलता है। 'छिताई वार्ता' नामक एक ग्रंथ में चित्रकार और उसकी रचनाओं का उल्लेख है। इस प्रकार, चित्रकला से संबंधित कई साक्ष्य साहित्य में देखे जा सकते हैं। अफीफ़ की 'तारीख ए फिरोजशाही' में चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। वह इसमें सुल्तान फिरोज शाह द्वारा महल की दीवार की सजावट के संदर्भ में दिए गए आदेश की चर्चा करता है और बताता है कि सुल्तानों में आरामगृहों को आकृतिमूलक चित्रों से सजाने की परंपरा थी। यह परंपरा मध्य एशिया और ईरान से ली गई थी। बरनी भी अपनी पुस्तक 'तारीख ए फिरोजशाही' में कैकुवाद द्वारा प्रारंभ करवाये गए महल की चर्चा करता है जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने पूरा करवाया और उसकी सजावट चित्रों के माध्यम से करवायी। मुल्ला दाऊद की 'चंदायन' में भी चित्रांकित महल की अटारी की चर्चा होती है। साथ ही, जैन सौदागरों से संबंधित सचित्र पांडुलिपियाँ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इस

<sup>17</sup>. इस्लामिक कल्चर-प्रमोशन ऑफ़ म्यूजिक बाय टर्को अफगान रूलर्स ऑफ़ इंडिया, भाग-XXIV, पृ.19 ।

<sup>18</sup>. मध्यकालीन भारत(750-1540ई.), हरिश्चंद्र वर्मा, भाग-1, पृ.526 ।

<sup>19</sup> वही, पृ.525 ।

<sup>20</sup>. वही, पृ.525 ।

प्रकार, निश्चित रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि सल्तनत काल में चित्रकला सामान्य चलन में थी तथा इस पूरे कालखण्ड में निरन्तरता बनाये हुए आगे बढ़ती रही।

उपरोक्त वर्णित प्रमुख कलाओं के अलावा भी निश्चित रूप से अन्य ललित कलाओं का अस्तित्व भी अवश्य रहा होगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे पास इस विषय से सम्बंधित प्रामाणिक साक्ष्यों की इस कालखंड में काफी कमी है। 13वीं-14वीं शताब्दी का समय व्यापार-वाणिज्य की दृष्टि से प्रगतिशील माना जाता है। प्रो.मोहम्मद हबीब इस काल को नगरीय क्रांति की अवधारणा से संबद्ध करते हैं। सामाजिक बंधनों और जड़ता में इस काल में निश्चित रूप से ढीलापन आया। जब भी समाज में रूढ़िवादिता और संकीर्णता के बंधन कमजोर पड़ते हैं तो कलाओं के विकास के बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं। व्यापार-वाणिज्य और आर्थिक प्रगति के चलते वैदेशिक संपर्कों की स्थापना भी हुई। ऐसे में बाहरी कलाओं और संस्कृतियों से भी संपर्क अवश्य स्थापित हुआ होगा, जिसका प्रभाव यहां के कलात्मक माहौल पर स्वाभाविक रूप से पड़ा होगा। साथ ही कृषि में अधिशेष के चलते शिल्प आदि के विकास के लिए भी परिस्थितियां बनी होंगी। साक्ष्यों के अभाव में यह मान लेना कि जिन सुल्तानों के समय स्थापत्य और संगीत और चित्रकला की प्रगति होती रही, उन्होंने अन्य कलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया होगा, तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। भारत में कुटीर व्यवसायों की परंपरा संपूर्ण मध्यकाल में रही है। इनमें से कई व्यवसाय शिल्प और कलाओं से संबंधित थे (जैसे-कपड़ों की रंगाई, कढ़ाई, खिलौना निर्माण, मूर्ति निर्माण इत्यादि)। इनका विकास स्वतंत्र रूप से स्थानीय स्तर पर होता रहा। साथ ही, प्रांतीय केंद्रों और हिंदू राजाओं के यहां भी कलाओं को आश्रय मिला। ऐसे में दिल्ली सल्तनत निश्चित रूप से इनसे अछूती नहीं रही होगी।

#### सन्दर्भ सूची :

1. मध्यकालीन प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, प्रो.राधेश्याम
2. आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया, मोनिका जुनेजा
3. मध्यकालीन भारतीय कलाएं और उनका विकास, डॉ. रामनाथ
4. मध्यकालीन भारत(750-1540ई.), हरिश्चंद्र वर्मा, भाग-I
5. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस: द मोहम्मडन पीरियड, इलियट&डाउसन, भाग-I
6. ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, वी.एन. भातखण्डे
7. द गजेटियर ऑफ इंडियन यूनियन, भाग-II, हिस्ट्री एंड कल्चर, संपा.-पी.एन. चोपड़ा
8. ए सोशल,कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग-II
9. इस्लामिक कल्चर-प्रमोशन ऑफ म्यूजिक बाय टर्को अफगान रूलर्स ऑफ इंडिया, भाग-XXIV
10. द हिस्ट्री ऑफ खल्जीज, के.एस. लाल
11. लीव्ज फ्रॉम इंडियन कल्चर, सर अब्दुल कादिर
12. मुंतख्ब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, भाग-I

## सलतनतकाल में औद्योगिक तकनीक का विकास

साक्षी मिश्रा,

शोधछात्रा,

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहासविभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।



### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 109-115

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 12 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**सारांश** - तकनीकी विकास के अलावा और भी औद्योगिक विकास अवश्य हुए रहे होंगे, जिसका उस समय के विद्वानों द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह बात सत्य है कि नवीन तकनीकी विकास होने से विभिन्न औद्योगिक व्यवसायों में उन्नति हुई जैसे-कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, भवन निर्माण कार्य इत्यादि। इस तकनीकी विकास के कारण कारीगरों की संख्या में वृद्धि हुई और नगरीय क्रांति आई, जिसके कारण आमूलचूल परिवर्तन हुए।

**मुख्यशब्द** - औद्योगिक, सलतनतकाल, तकनीकी, विकास, व्यवसाय।

वास्तव में प्राचीन भारत में जिस प्रकार आर्थिक जीवन कृषि पर ही निर्भर था, ठीक उसी प्रकार मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन भी कृषि पर आश्रित था, क्योंकि अर्थप्राप्ति, जीवन यापन के साधन और व्यापार कृषि पर आधारित थे। कृषि से अधिक मात्रा में उत्पादित वस्तुएं ही व्यापार की आधारशिला थी। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय तकनीकी आदिम अवस्था में बनी रही।<sup>1</sup>

हरिश्चंद्र वर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के भाग प्रथम में इस प्रकार उल्लेख किया है-

"भारत जैसी प्राचीन सभ्यता में औजारों, यंत्रों और प्रयोग तकनीक का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। पाल वाले जहाज, पन चक्कियां, हथकरघे इत्यादि उस युग के अत्यंत जटिल यंत्र रहे हैं और भारतीय तकनीकी कौशल, आर्थिक संगठन एवं निर्माताओं की संख्या की दृष्टि से विश्व के कुछ अन्य देशों का अगुआ रहा है।<sup>2</sup>

प्राचीन काल में भारतीय संपन्नता का कारण विभिन्न उद्योगों का विकसित होना था जैसे- कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, समुद्री मोतियों का उद्योग आदि, जिसके कारण विदेशी व्यापार अधिक मात्रा में होता था और इससे विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती थीं। पूर्व मध्य युग में सामंती व्यवस्था के कारण व्यापार में कमी आई और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। ज्यादातर राजाओं के खजाने मंदिर महलों और किलों के निर्माण कार्य में ही खर्च हो गए। जाति व्यवस्था की जटिलताओं के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। विभिन्न उद्योगों में लगे कारीगर वर्ग जैसे -जुलाहे, लोहार, दर्जी, बढ़ई आदि जातियों को शुद्रों में स्थान प्राप्त था। इनका व्यवसाय वंशानुगत था, जिसके कारण उद्योगों के विकास पर कम ध्यान दिया गया, परंतु तुर्कों के आगमन के बाद कुछ औद्योगिक व तकनीकी विकास पर जोर दिया गया, जिसके कारण उद्योगों का विकास हुआ।

सल्तनतकाल में नगरी अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ जिसके तीन विकास क्रम देखने को मिलते हैं-  
क) नगरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि।

ख) दस्तकारी तथा कारीगरों द्वारा उत्पादन की वृद्धि।

ग) वाणिज्य -व्यापार का प्रसार।

13वीं 14वीं शताब्दी में कुतुब देहली, किलोखरी, सीरी महल, तुगलकाबाद तथा फिरोजाबाद बस्तियों के स्थापना के बाद लगातार आबादी बढ़ती गई। "नगरों के प्रसार के साथ दस्तकराना उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई उससे तकनीकी विकास में अनेक परिवर्तन और सुधारों में बल मिला।"<sup>3</sup>

ऐसा माना जाता है कि भारत कपास का जन्मदाता है, जिसकी पुष्टि में मेहरगढ़ से प्राप्त कपास के बीजों से हुई है। कपास को खेतों से निकालने से लेकर कपड़े के बुनाई तक की प्रक्रिया की जाती थी। सर्वप्रथम कपास के रेशों को उसके दानों से अलग किया जाता था और इस कार्य को करने के लिए **भारतीय सूती ओटनी का प्रयोग** जिसे हिंदुस्तान में **चरखी** भी कहते थे।<sup>4</sup> इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए **वर्म गियर** और **क्रैंक वाले हथे की** आवश्यकता होती थी। प्राचीन स्रोतों से ज्ञात होता है, कि 13वीं सदी से पूर्व जब ओटनी हिंदुस्तान से चीन पहुंचाया गया तो वर्म गियर का प्रयोग नहीं होता था। यह निश्चित है कि जब भारतीय कपास ओटनी का विस्तार 13 वीं सदी से 17 वीं सदी तक हुआ तब इस उपकरण में वर्म गियर का प्रयोग हुआ।<sup>5</sup> सल्तनतकाल में 1342 में संकलित

क्वावास के शब्दकोश में **कपास धुनने वाली धुनकी** का संदर्भ मिलता है। इसी प्रकार मिफताहुल फुज़ाला से भी ज्ञात होता है कि धुनाई द्वारा कपास को साफ कर देने के बाद कताई द्वारा धागा तैयार किया जाता था। सूती कपड़े के क्षेत्र में चरखे के आगमन के कारण सूत के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई।

हिंदुस्तान में इस अहम यंत्र का पहला हवाला इसामी की रचना **फुतुहुस्सालातीन** में मिलता है, ऐसे यंत्र के रूप में जिससे स्त्रियों को इस्तेमाल करना चाहिए। कताई वाले **चरखे** का उल्लेख मिलता है और इस को चित्रित किया है।<sup>6</sup> इसामी भी चरखे के विषय में बताता है, वह कहता है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए।

कपड़े की कताई के बाद बुनाई का कार्य होता था। इस कार्य के लिए **लूम** का प्रयोग होता था। भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 15वीं सदी में मिलता है। मिफताहुल फुज़ाला पैर से चालित लूम (लौह-पाए) को बुनकरों द्वारा पैर के नीचे रखने वाले बोर्ड के रूप में उल्लेखित किया है।<sup>7</sup> लूम में ताना-बाना के पश्चात रंगने की प्रक्रिया होती थी। रंगाई का कार्य कई पद्धतियों से होता था, जैसे -**टाई एंड डाई, स्टैसलिंग** इत्यादि।

अंतिम चरण में कढ़ाई व सिलाई के लिए सुई का प्रयोग होता था। हालांकि हर्षचरित्र में रंगाई का उल्लेख मिलता है, परंतु सुई से कढ़ाई का नहीं। अमीर खुसरो ने 1301 में तकुओ और सुई को महिलाओं के भाले और तीर के रूप में चिन्हित किया है और सलाह दी है कि यह आशा की जाती है कि महिलाएं सुई एवं तकुए से व्यस्त रहेंगी।<sup>8</sup> बुनाई का एक अन्य स्वरूप भी प्रचलित था, जिसे **जरवाफ्त या सोने की जरदारी** कहा जाता था। यह रेशमी धागे और सोने के बारीक कपड़े पर की गई कढ़ाई होती थी। इस प्रकार सल्तनतकाल में सूत कातने के लिए चरखे और रुई धुनने के लिए धुनिया की कमान का प्रयोग होने लगा। प्रोफेसर हबीब के अनुसार "इसके प्रयोग से सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा साधारण जनता को लाभ हुआ और जुलाहा वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। वस्त्र उद्योगों में तकनीकी विकास के कारण सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन उद्योग, रंगाई तथा छपाई इत्यादि औद्योगिक क्षेत्रों को गति मिली।"

**खनन उद्योग व धातु विज्ञान-** पत्थरों के खनन का इतिहास बहुत प्राचीन है, इसके बाद तांबा और लोहे के खनन का इतिहास है। तेरहवीं सदी तक लोहे के कार्य के रूप में दमिश्क स्टील के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में लिखी पुस्तक फ़ाख -ए-मुदाब्बीर हिंदुस्तान में बनी तलवारों की बड़ी प्रशंसा करता है। यह दमिश्क स्टील उत्पादन की तकनीक के बारे में सबसे पहला विवरण है। 15 वीं सदी के अंत तक हिंदुस्तान के लौह उद्योग में **हैडगन** तथा **मस्कट** निर्मित होता था और बाद में लोहे की बंदूके भी निर्मित की जाने लगी।<sup>9</sup> साथ ही

तीर कमान को लचीला बनाने के लिए लोहे की स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता था। रूई की धुनने वाली धुनिया में भी स्प्रिंग का प्रयोग होता था।

प्राचीन काल में जस्ते का उत्खनन राजस्थान के जावर क्षेत्र से किया जाता था। इसी खदान से ही चांदी व शीशा भी निकाला जाता था। सीमेन्टिंग द्वारा इसका प्रयोग पीतल बनाने में किया जाता था। 13वीं सदी से पुनः खनन प्रारंभ हुआ। इस समय मुख्य रूप से जस्ते का उत्खनन किया गया, जोकि आसवन क्रिया द्वारा जस्ता प्राप्त किया जाता था।<sup>10</sup> 13वीं 14वीं शताब्दी में शीशे के बर्तनों के बहुतायत उपयोग करने की पुष्टि होती है। साथ ही उत्तरी भारत में सोना, चांदी व कांसे के काम करने वाले कारीगर तथा सुनार पाए जाते थे। दिल्ली व सिंध क्षेत्र सोने व चांदी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इब्नबतूता सोने व अन्य धातुओं के प्रयोग का विस्तृत वर्णन करता है।

**भवन निर्माण उद्योग -** 13 वीं सदी के वास्तुशिल्प में भवन निर्माण पद्धति में गुणात्मक विकास नजर आता है। इस समय भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री और गुंबद, मेहराब साथ ही मेहराबदार छत के निर्माण की तकनीक में परिवर्तन हुआ।<sup>11</sup> अब खुरदरे पत्थरों और पक्की ईंटों का प्रयोग अधिक होने लगा तथा चूने व जिप्सम का प्रयोग मसालों के रूप में होने लगा, जिसके कारण जटिल संरचना बनाने में आसानी हुई। "भारतीय शिल्पकारों को जब गोल, नुकीले मेहराब और गुंबद बनाना पड़ा तो उन्होंने प्रारंभ में कारबेलिंग पद्धति को लागू किया, जिससे वे भलीभांति परिचित थे"। उदाहरण स्वरूप दिल्ली के कुतुब मीनार को देखा जा सकता है। 14वीं सदी प्रारंभ होते- होते दिल्ली और आसपास क्षेत्रों में बड़ी इमारतों का निर्माण होता था जिसके साक्ष्य मिलते हैं।

भारी वजन उठाने वाले यंत्र **कैपस्टन** का सर्वप्रथम उल्लेख सीरत-ए-फिरोजशाही में है और अफीफ अपने यातायात के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि अशोक कि शिवालिक स्तंभ को उसके मूल स्थान से लाकर 1367 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया गया। अफीफ ने इस यंत्र को चित्र के द्वारा दर्शाते हुए बताया है, कि प्रत्येक कैपस्टन की चार भुजाएं होती थी, जिसको घुमाकर स्तंभ के चारों तरफ लिपटी हुई रस्सी से स्तंभ को ऊपर उठाया जाता था।<sup>12</sup>

**कागज उद्योग-** प्राचीन उपलब्ध कागज का टुकड़ा जो संभवतः तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बना माना जाता है। अमीर खुसरो ने 1289 में कागज उत्पादन का उल्लेख एक शिल्प के रूप में किया तथा अपने लेख पद्य में वह रबड़ या मुहरा से कागज चमकाने का वर्णन करता है। 1452 में महुआन ने बंगाल के उत्पादों का वर्णन करते हुए 'पेड़ की छाल से बनाए जाने वाले सफेद पेपर' का जिक्र करता है। वह कागज की प्रशंसा करते हुए कहता है कि कागज हिरन की खाल की तरह चमकदार तथा चिकना होता था। महुआन बताता है कि कागज का निर्माण पेड़ की छाल से होता

था। 14 वीं शताब्दी तक कागज प्रचुर मात्रा में मिलने लगा था। उदाहरण स्वरूप एक विद्वान हलवाई की दुकान से जमीन संबंधित कागजात लेने जाता है तो देखता है कि हलवाई मिठाई रखने के लिए कागज का प्रयोग करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कागज सस्ता हो गया था, जिसका प्रयोग चीजों की पैकिंग में होने लगा था।

**चमड़ा उद्योग-** सल्तनत काल में चमड़ा उद्योग का उल्लेख मिलता है, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग संलग्न थे। अमीर खुसरो ने चमड़ा कारीगरों के अनेक संगठनों का उल्लेख किया है<sup>13</sup>। सल्तनत काल में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम होता था, परंतु इसे बनाने में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग होता था। चमड़ी का प्रयोग प्रायः जूते, कोड़े, तलवार की म्यान, ढोल तथा ताशों में होता था। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ने के लिए चमड़े की सीढ़ियों का प्रयोग होता था। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को रखने के लिए चमड़ी के बर्तनों का निर्माण कार्य होता था। गुजरात से चमड़े की बनी विभिन्न वस्तुओं का अरब तथा अन्य देशों में निर्यात होता था, किंतु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी परवर्ती शताब्दियों से मांग में कमी आती गई।

**अन्य विभिन्न उद्योग-** सल्तनत काल में चीनी मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। चमकीले पाटरी (चीनी मिट्टी) उद्योगों को उपयोगी बनाने में मध्यकाल का विशिष्ट स्थान था।<sup>14</sup> 14वीं सदी के सुल्तानों तथा अमीर वर्ग द्वारा बर्तनों का उपयोग अधिक होता था।

14वीं सदी में काष्ठ उद्योग का उपयोग जहाज, नौका निर्माण, बैल गाड़ियां तथा परिवहन के साधनों को बनाने में किया जाता था।<sup>15</sup> इब्न बतूता ने गृह उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग में काष्ठ के प्रयोगों का उल्लेख किया है, परंतु अधिकांशतः इसका उपयोग गृह निर्माण में किया जाता था।

सल्तनत काल में मिट्टी के बर्तनों चमकदार बनाने की विशेष तकनीकी विकसित हुई। इस प्रकार के बर्तनों पर एक स्पष्ट पतली चमकदार परत होती थी, जिस पर कभी-कभी टिन मिश्रित घोल की परत चढ़ाई जाती थी। दिल्ली के लालकोट उत्खनन स्थल से चमकदार बर्तनों की मौजूदगी तथा उनके बाद में बहुतायत प्रयोग दोनों के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर चमकदार खपरैल (टाइल्स) का समय सल्तनतकाल निर्धारित है।<sup>16</sup>

पी.के. गोडे साबुन निर्माण का इतिहास लिखते हुए बताते हैं कि प्राचीन समय में सफाई के लिए साबुन की जगह रीठा का प्रयोग किया जाता था। लवणीय मिट्टी तथा पशुओं की चर्बी से साबुन बनाने का प्रथम प्रयास तुर्कों के आगमन के बाद ही प्रारंभ हुआ। फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में साबुन बनाने का कार्य होता था।

हिंदुस्तान गर्म देश है इसलिए यहां और आवश्यकता रूप में **शीतलन उपकरणों** का प्रयोग किया जाता था। धूप से बचने के लिए छाता सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, किंतु खोलने और बंद करने वाले छाते का प्रयोग मध्य काल में हुआ। इसका विवरण जॉन डे मैरिंग की एशिया यात्रा से प्राप्त होता है। यहां के लोग टेंट की तरह एक छोटी चीज लेकर चलते थे। धूप व वर्षा से बचाव के लिए इच्छा अनुसार खोलते व बंद करते थे। उसने आगे लिखा है कि इसे छत्र कहते थे।

सल्तनतकालीन औद्योगिक तकनीकी विकास के अंतर्गत **समय सूचक उपकरणों** का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा समय का सही पता किया जाना संभव हो सका। सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने फिरोजाबाद में एक **धूप घरी** तथा एक **जल घरी** बनवाई।<sup>17</sup> जल घरी जिसे बाद में घरियाल कहा गया एक पानी से भरा ताबे का प्याला होता था, जिसमें एक छोटा प्याला रखा जाता था। इस छोटे प्याले में बहुत बारीक छिद्र होते थे, जिससे बड़े वाले का पानी काफी धीरे-धीरे छोटे प्याले में भरता था। यह छिद्र इस अनुपात में होता था कि एक घरी में इसमें पानी भर जाता था। इसके साथ ही फिरोजशाह तुगलक ने पूरे शहर को समय सूचित करने के लिए दिल्ली में कांसे का **घंटा** या **ताश घरियाल** टंगवाया था।

उपरोक्त तकनीकी विकास के अलावा और भी औद्योगिक विकास अवश्य हुए रहे होंगे, जिसका उस समय के विद्वानों द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह बात सत्य है कि नवीन तकनीकी विकास होने से विभिन्न औद्योगिक व्यवसायों में उन्नति हुई जैसे-कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, भवन निर्माण कार्य इत्यादि। इस तकनीकी विकास के कारण कारीगरों की संख्या में वृद्धि हुई और नगरीय क्रांति आई, जिसके कारण आमूलचूल परिवर्तन हुए।

#### **संदर्भ सूची-**

1. मध्यकालीन भारत का आर्थिक इतिहास, इरफान हबीब, पृष्ठ 32
2. मध्यकालीन भारत भाग-1 हरिश्चंद्र वर्मा, पृष्ठ 418
3. मध्यकालीन भारत में प्रौद्योगिकी, इरफान हबीब, पृष्ठ 32
4. जनरल ऑफ इंडियन टैक्सटाइल इंडस्ट्री, खंड 1-4
5. मध्यकालीन भारत में प्रौद्योगिकी, इरफान हबीब, पृष्ठ 52-53
6. फुतुहुस्सालातीन, इसामी, अनुवादक ए. एस. ऊषा, पृष्ठ 134
7. टेक्नोलॉजी इन एन्सिएंट मिडिवल इंडिया, अनिरुद्ध रे और एस के बागची
8. मध्यकालीन भारत भाग-1 हरीशचंद्र वर्मा, पृष्ठ 386-387
9. मध्यकालीन भारत में प्रौद्योगिकी, इरफान हबीब, पृष्ठ-63
10. इंडियन जनरल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, वॉल्यूम-44, नं.2 पी. टी. क्राडोक

11. इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ़ दिल्ली सल्तनत एंड एसेस इन इंटरप्रेटेशन, पृष्ठ 263
12. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया: दी इवीडेंस फ्रॉम पेंटिंग, ए.जे. कैसर
13. रेहला ,इब्नबतूता, भाग-4 ,पृष्ठ 47
14. इंडियन आर्किटेक्चर, पर्सी ब्राउन, पृष्ठ 63
15. रेहला, इब्नबतूता, भाग-3 पृष्ठ 123
16. मैन एंड एनवायरमेंट xxxi(2) कुलदीप के. भान
17. मध्यकालीन भारत में प्रौद्योगिकी, इरफान हबीब, पृष्ठ 88-89

## जीते-मरते गांधी : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद पर विचार



गौरव

शोध छात्र,

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 116-121

Publication Issue :

September-October-2020

**सारांश** – अपने समय-काल में किसी व्यक्ति के प्रासंगिक विचारों की, किसी अन्य समय-काल में प्रासंगिकता दो पूर्णतः भिन्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, समय-काल की सादृश्यता एवं दूसरा विचारों की व्यपकता, जो सभी समय-कालों में उपयुक्त हो। वर्तमान भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में गांधी के विचार दोनों ही आधारों पर प्रासंगिक दिखते हैं। गांधी के समकाल की बहुत सी परिस्थितियाँ आज भी विद्यमान हैं। यथा अश्वपृश्यता, अशिक्षा, पूंजीवादी शोषण, साम्प्रदायिकता, वर्चस्ववादी समाज में विभिन्न तबकों का दमन आदि। इनके खिलाफ संघर्ष में आज भी गांधी के विचार एवं संघर्ष प्रभावी हैं। विभिन्न समाज सुधारक, पर्यावरणवादी इन मार्गों के माध्यम से अपने संघर्ष में सफल हुए हैं। दूसरा, बदलती परिस्थितियों में भी गांधी के विचार समान रूप से उपयोगी हैं। राज्य-व्यक्ति सम्बन्ध, मानव अधिकार, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान, मानवता, धार्मिक-सांस्कृतिक सहिष्णुता जैसे गांधी के विचार प्रत्येक समय-काल में उपयोगी रहेंगे। क्योंकि ये मूल्य ही मानव सभ्यता व मानव सह-सम्बन्ध के आधार हैं, जिनपर मानवजाति का अस्तित्व निर्भर है।

### Article History

Accepted : 12 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**मुख्य शब्द** – जीते-मरते, गांधी, वर्तमान, गांधीवाद, भारत, अश्वपृश्यता, अशिक्षा, पूंजीवादी, साम्प्रदायिकता।

महात्मा गांधी की मृत्यु पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए कहा था- "एक अंधेरा सा छा गया है....हमारे देश के, राष्ट्र के, पिता का देहांत हो गया है। हमारी जो बड़ी-बड़ी उम्मीदें थी, एकदम खत्म सी हो गयी और हम निराश हो गए हैं।" ये उद्गार निश्चित रूप से नेहरू के मस्तिष्क से नहीं अपितु उनके हृदय के कम्पन से निकले भावुक स्वर थे। जो अपने किसी प्रिय के चले जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। अपने संबोधन में वह

आगे संयत होने पर महात्मा गांधी के व्यक्ति-रूप से महात्मा गांधी की विरासत पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए बोलते हैं- "आखिर में वह गए, देहांत उनका हुआ, लेकिन न वह हिंदुस्तान को छोड़ेंगे न कभी हिंदुस्तान उन्हें छोड़ सकता है।.. वह रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती। आज से हजार वर्ष बाद भी वह चमकेगी और इस देश और दुनिया को चमकाएगी।"<sup>2</sup> नेहरू स्पष्ट कर रहे थे कि बापू का नश्वर शरीर तो समय के गॉल में समा सकता है किंतु उनके द्वारा उद्घाटित सत्य व अहिंसा का उपदेश सदियों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ये वो मार्ग है जो न समय के तूफान में खोएगा न ही अंधकार में विस्मृत होगा।

आज महात्मा गांधी की मृत्यु के महज 70 वर्षों में ही उनके विषय में लिखे जा रहे तमाम लेखों, विमर्शों एवं आलोचनात्मक मूल्यांकनों में इन शीर्षकों पर बड़ा आश्चर्य होता है। जो निम्नवत रूपों में विभिन्न बौद्धिक पत्र-पत्रिकाओं से लेकर पुस्तकों में चर्चा का विषय बने रहते हैं -

- क्या आज भी गांधीवाद प्रासंगिक है ?
- क्यों महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है ?<sup>3</sup>
- महात्मा गांधी और आज।<sup>4</sup>
- महात्मा गांधी 150 वीं जयन्ती : पक्ष-विपक्ष।<sup>5</sup>

इसी प्रकार से विभिन्न आलेख शब्दों की बाज़ीगरी से देखने-पढ़ने को मिलते रहते हैं। ऐसे लेखों में ज़ाहिर है, आगे समर्थन या विरोध में विद्वतापूर्ण मूर्खता से भरे, अधकचरे ज्ञान पर आधारित विवेचन होते हैं। जो निश्चित रूप से महात्मा गांधी एवं उनके दर्शन की खंडित व्याख्या की परिणति हैं।

सर्वप्रथम महात्मा गांधी के विचारों एवं उनकी शिक्षाओं के मूल उद्गम का संक्षेप में विश्लेषण करते हैं। महात्मा गांधी के विचार मनुष्य के हृदय से प्रस्फुटित होते थे और वहीं पर प्रभावित भी करते थे। मानवीय करुणा, प्रेम, सहृदयता उसके मूल आधार हैं। ये पवित्र मानवीय भावनाएं देश-काल से सीमातीत होती हैं। ये मानवता के सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक गुण हैं। ज़ाहिर है कि इन भावनाओं के गर्भ से उपजे विचार एवं संघर्ष कभी भी समय और क्षेत्र की परिधि में सीमित नहीं किये जा सकते हैं।

महात्मा गांधी के समस्त आंदोलन एवं सुधार की कार्यप्रणालियाँ इन्ही मानवीय भावनाओं पर आधारित होती थी। यद्यपि कभी-कभी समय और परिस्थिति की चादर उन भावनाओं को ढक लेती है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के जीवन में दूषित भावनाएं अपनी जड़े जमा लेती है। जिनके फलस्वरूप संसार शोषण, असमानता एवं पाप का गढ़ बन जाता है। महात्मा गांधी का समस्त आंदोलन इन्ही दुष्ट परतों को हटाकर संसार में मानवता की सच्ची भावनाएं - करुणा एवं प्रेम पर आधारित आदर्श संसार का निर्माण था।

महात्मा गांधी के आंदोलन का भौतिक पक्ष द्वितीय स्तर पर आता है। जो उनके आदर्शों को मूर्तिमान बनाने के साधन मात्र है। आंदोलन के भौतिक या कार्यात्मक पक्ष में समय और परिस्थिति अनुसार नए प्रयोगों व नवीन रणनीतियों का आचार-व्यवहार प्रयोग में लाया जाता है। हम महात्मा गांधी के आंदोलनों में विभिन्न

कार्यप्रणालियाँ समय और उद्देश्य अनुसार देख सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए उन्होंने कभी **सत्याग्रह**, **सविनय अवज्ञा**, से लेकर **करो या मरो** तक की विभिन्न प्रकार की नीतियों एवं कार्यप्रणालियों को अपने संघर्ष में प्रयुक्त किया। वहीं दूसरी तरफ अपने देश की समाजसेवा एवं अछूतोउद्धार के कार्यों के लिए 'रचनात्मक कार्यों' से लेकर **अनशनन** एवं **आमरण अनशन** तक जोखिम भरे रास्तों को अपने आंदोलन का हथियार बनाया। अपने अंतिम दिनों में साम्प्रदायिकता से जलते इस देश को बचाने के लिए गाँवों-कस्बों तक पैदल चलकर लोगों को समझाते एवं देश में लगी आग बुझाते रहे। आखिर में इस हेतु स्वयं का बलिदान भी कर गए।

यहाँ कहने का आशय है कि भौतिक परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पर गांधीवादी आंदोलन की कार्यप्रणालियाँ एवं नीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, परन्तु उसका मूल तत्व अपरिवर्तित ही रहता है। वह तत्व था मनुष्य की आत्मा को झकझोड़ना, उसकी करुणा एवं प्रेमभावना का उद्घाटन करना। महात्मा गांधी का समस्त कार्य-व्यवहार सदैव इसी से प्रेरित होता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति में वह साहस, त्याग एवं मनुष्य के इन उच्च आदर्शों के प्रति विभिन्न साधन अपने प्रयोग में लाते रहे जो अनिवार्य रूप से **सत्य-अहिंसा** के मूल धरातल पर अवस्थित होते थे।

यदि बात आज महात्मा गांधी की प्रासंगिकता की हो रही है तो सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि 'क्या महात्मा गांधी स्वयं जिस युग में थे, वह उसके लिए प्रासंगिक थे ? ' या 'वह युग महात्मा गांधी के लिए प्रासंगिक था ? ' महात्मा गांधी जिस युग में सत्य व अहिंसा के संदेश पर आधारित, पीड़ित मानवता के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसी युग में मानवता अपने इतिहास में सबसे बुरी तरह कुचली जा रही थी। सत्य और अहिंसा जैसे आदर्शों पर सर्वाधिक घने बादल छाए थे। साम्राज्यवाद, नस्लवाद, आर्थिक शोषण, महामारी, अकाल, साम्प्रदायिक द्वेष एवं महायुद्ध की विभीषिका उस युग की कड़वी सच्चाईयाँ थी। जब महात्मा गांधी साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अपने जीवन तक को दांव पर लगा दे रहे थे। उसी समय शांति हेतु, युद्ध समाप्ति के लिए एक बम से लाखों व्यक्ति मौत की नींद में सुला दिए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी आजादी में सांस लेने की बात कर रहे थे, लाखों की सांसें गैस चैंबरों में घुट-घुट के खत्म हो रही थी। महात्मा गांधी के कार्यात्मक जीवनकाल में युद्ध एवं युद्ध जनित अपराधों व आपदाओं से 6-8 करोड़ व्यक्ति-बच्चे-स्त्रियाँ मौत की नींद सो चुके थे। संसार भर में अकाल एवं भुखमरी लोगों को अपने सैलाब में ले डूबा रहा था।

तो क्या वह समय महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा पर आधारित उनके विचारों एवं कार्यों के लिए उपयुक्त था? फिर भी महात्मा गांधी ने अपने विचारों को लाखों-करोड़ों भारतीयों के हृदय में रोपा, उसे विपरीत वातावरण में भी फलने-फूलने की प्रेरणादायी शक्ति प्रदान की। उस विपरीत समय के बरअक्स आज संसार में कम ही अंधकार है। मानवाधिकार एवं आत्मनिर्णय के अधिकार आज पहले की अपेक्षा अधिक सर्वमान्य हैं। तो फिर आज यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो रहा कि वर्तमान की समस्याओं के समाधान में महात्मा गांधी के विचार और कार्य प्रासंगिक है कि नहीं?

वास्तव में ये प्रश्न गांधीवाद के सीमित वैचारिक विश्लेषण पर आधारित हैं। जब महात्मा गांधी एवं उनके दर्शन को केवल उसके कार्यात्मक रूप में ग्रहण कर उसके वैचारिक उद्गम को अवहेलित कर दिया जाता है और उस पर पर्याप्त वैचारिक विश्लेषण नहीं किया जाता है, तब ऐसे प्रश्न संशय के रूप में प्रस्तुत होते हैं।

महात्मा गांधी की प्रासंगिकता के संदर्भ में संशय का प्रमुख आधार वर्तमान समाज में उपस्थित कुछ नवीन समस्याओं के संदर्भ में ढूँढा जा सकता है। समाज में शोषण के ये नए रूप अपने पंजे में समाज और देश को जकड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए नव-साम्राज्यवादी तथा वैश्वीकरण की आड़ में हो रहे विभिन्न आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक एवं संसाधनात्मक शोषण के रूप। इसी क्रम में अनियंत्रित विकास एवं निर्बाध उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट, जो आज समूची मानवता को उसके मृत्यु द्वार को अग्रसर किये है। इसमें भी निम्न तबके के हाशियाकृत जनसमुदाय एवं गरीब देश ही प्रमुख ग्रास बन रहे हैं। इन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के अतिरिक्त भारत के संदर्भ में देश की राजनीतिक व्यवस्था व जनमानस के मध्य का द्वंद एवं लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर नागरिक उपेक्षा, सैनिक दमन, उग्रपंथी वैचारिकी से भारत की सामासिक संस्कृति को उत्पन्न खतरा आदि अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं से समाज घिरा हुआ है।

इन समस्याओं से लड़ने के क्रम में जब हम आज गांधीवादी प्रक्रिया पर विचार करते हैं तो प्रारम्भिक दृष्टि से जो सतही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर ये स्वीकार कर लिया जाता है कि महात्मा गांधी का संघर्ष किन्हीं अन्य परिस्थितियों में बिल्कुल अलग प्रकार के शोषण के विरुद्ध था। इनके किस प्रकार उपयोग से वर्तमान की समस्याओं का सामना किया जा सकता है? यहाँ पर सीमित गांधीवादी दृष्टि, जो आंदोलन के भौतिक तत्वों व कार्य-प्रणाली पर आधारित है, संशय का प्रमुख कारण है।

एक अन्य प्रकार के संशय का कारण गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कतिपय आंदोलनों की असफलता, सीमित सफलता अथवा अल्पकालिक उत्तेजना जो क्षणभंगुर उन्माद के रूप में सफलता रहित होकर विलुप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में गांधीवादी विचार से प्रेरित आन्दोलनों के गांधीवादी पद्धति से भिन्न होते हुए लक्षित उद्देश्यों से भटकाव है। उदाहरण के लिए 'अन्ना आन्दोलन' के नाम से जाना जाने वाला राजनैतिक सुधार आंदोलन, जो तात्कालिक उत्तेजना उत्पन्न कर अपने घोषित लक्ष्य से भटकते हुए अन्य उद्देश्यों को प्राप्त हुआ।

यहाँ पर यह विचारणीय है कि महात्मा गांधी की आंदोलन प्रक्रिया में लक्ष्य केंद्रित होकर एक-मुखी दिशा में कार्य संचालित नहीं किया जाता था। यह समस्त प्रक्रिया द्वि-मुखी एवं द्विदिशात्मक होती थी। इसमें सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक तत्वों के साथ ही सुधारक में भी आवश्यक सुधार को लक्ष्य किया जाता था। आंदोलनकर्ता को लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले समर्थ बनाया जाता था जिससे कि वह उस संघर्ष को दृढ़तापूर्वक चला सके और उन समर्थक तत्वों और स्थितियों को समाप्त कर सके जो किसी भी प्रकार की असमानता और शोषण के लिए उत्तरदायी हैं।

**सुधारक <----- गांधीवादी आंदोलन के तत्व -----> लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं**

महात्मा गांधी के **स्वराज** का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनके अनुसार- "स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्म-शासन और आत्म-संयम। अंग्रेजी शब्द 'इंडिपेंडेन्स' अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी का या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज के शब्द में नहीं है।"<sup>7</sup> महात्मा गांधी अपने **स्वराज** के लक्ष्य में केवल अंग्रेजों पर ही केंद्रित नहीं थे अपितु साथ ही भारतीय भी उनके इस लक्ष्य का प्रमुख केंद्र थे। वह कहा करते थे- "अगर स्वराज का अर्थ हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को अधिक शुद्ध तथा मजबूत बनाना न हो, तो वह किसी कीमत का नहीं होगा।"<sup>8</sup> महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार से नैतिक युद्ध में भारतीयों के नैतिक विचारों को भी परिमार्जित कर रहे थे। वे स्वराज के फल को अंग्रेजी शासन के वृक्ष से तोड़ने के संघर्ष के साथ-साथ भारतीयों को उस फल के उचित उपभोग हेतु प्रशिक्षित भी कर रहे थे। इसी हेतु वह अंग्रेजों से संघर्ष के साथ ही **रचनात्मक कार्यों** एवं समाजसुधार के विभिन्न आंदोलन क्रियाशील किये हुए थे।

महात्मा गांधी अपनी पद्धति में शोषण अथवा अन्याय के स्वरूप का विश्लेषण करते थे। उसके आधार पर शोषक-शोषित के बीच के आधार संबंध पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस प्रक्रिया में वे शोषितों पर सर्वप्रथम ध्यान देते थे। वे शोषितों को साहसपूर्ण ढंग से उस शोषण आधारित प्रक्रिया का प्रतिकार करने का सम्बल प्रदान करते थे। महात्मा गांधी ने एक स्थान पर कहा है कि- "अपने सक्रिय रूप में अहिंसा का अर्थ है ज्ञानपूर्वक कष्ट सहना। उसका अर्थ अन्यायी की इच्छा के आगे दबकर घुटने टेकना नहीं है, उसका अर्थ यह है कि अत्याचारी की इच्छा के खिलाफ अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगा दी जाए।" कायरता उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पाप था जो किसी भी प्रकार के अन्याय को मौन समर्थन प्रदान करता है। वे प्रेरित करते थे अपने शोषण के बंधनों को काट, बंधन मुक्त मनुष्य के स्वाभिमानपूर्वक खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु। उनका मानना था कि प्रत्येक अन्याय एवं शोषण हमारी मूक सहमति पर ही आधारित होता है। वे इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का, बलिदान का आग्रह करते थे। विक्टर. ई. फ्रैंकल अपनी पुस्तक **मैन्स सर्च फ़ॉर मीनिंग** में लिखते हैं- "वे समस्त शक्तियाँ जो आपकी सामर्थ्य से बाहर हैं, वे आपसे आपका सब कुछ छीन सकती हैं, लेकिन उनके साथ आप किस तरह पेश आये, ये वो आपसे कभी नहीं छीन सकती। इस पर सदैव आप का अधिकार होता है।"<sup>9</sup> महात्मा गांधी इस 'प्रतिक्रिया के अधिकार' को जीवित रखने पर बल देते थे। वे अन्याय के प्रति मूक समर्थन की प्रतिक्रिया को साहसपूर्ण प्रतिकार की प्रतिक्रिया में परिवर्तित कर देना चाहते थे।

आज के तथाकथित गांधीवादी आंदोलनों में इस दृष्टि का अभाव सा है। वे शोषण केंद्र को लक्षित कर उस पर अपना वार आरम्भ कर देते हैं। वे कभी उन हथियारों की क्षमता आंकने या उनकी क्षमता में वृद्धि कर उनको लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। वे प्रशिक्षित सैनिकों के बजाय भाड़े के सैनिकों का प्रयोग अपने आन्दोलन में करते हैं। वे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों एवं आंदोलनकारियों में त्याग व बलिदान की भावना का संचार किये बगैर अपने लक्ष्य हेतु लड़ने निकल पड़ते हैं। संघर्ष में पीछे ये कमजोरियाँ उजागर होती हैं। **भीड़ के साथ आंदोलन करना और**

सत्याग्रहियों के साथ आंदोलन करने के मूलभूत अंतर है, इसे वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। निष्कर्षतः वे निष्प्रभावी या असफल हो जाते हैं। उनका असफल होना गांधीवाद की प्रासंगिकता की कसौटी नहीं है।

यहाँ एक विशेष तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर समाजसेवा करना और गांधीवादी आंदोलन का संचालन करना मूल रूप से दो भिन्न चीजें हैं। समाजसेवा किसी विशेष रणनीति के बजाय करुणा और सेवाभाव की मांग करती है। परंतु गांधीवादी आंदोलन शोषितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हुए विशेष रणनीति और व्यापक कार्यक्रम की माँग करता है। ये सभी संबंधित पक्षों के गहन विश्लेषण से उत्पन्न होती है। यदि गांधीवादी आंदोलन को उचित प्रकार से संचालित किया जाए तो वह प्रत्येक देश-काल एवं परिस्थिति में प्रासंगिक हो सकता है। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के आंदोलन इसके प्रमाण हैं।

अब रही बात महात्मा गांधी के मरने की तो महात्मा गांधी इस संसार में अनंत काल तक जीते-मरते रहेंगे। जहाँ कहीं भी मानवता का दमन किसी भी रूप में होता रहेगा, वहाँ महात्मा गांधी की सांसें घुटती रहेंगी। जहाँ कहीं भी इसका प्रतिकार होगा वहाँ उनकी सांसें गतिमान होंगी। संसार में जब कभी, जहाँ भी, सत्य-असत्य का संघर्ष होगा, महात्मा गांधी वहाँ सत्य की मशाल लिए खड़े मिलेंगे। आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं व मानवता की रक्षा के लिए महात्मा गांधी को याद किये जाने की जरूरत है। यदि आज कहीं पर महात्मा गांधी के विचार आप्रासंगिक हो रहे हैं तो इसका कारण ये नहीं कि महात्मा गांधी हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहे, बल्कि हम स्वयं उनके दिखाएँ मानवता के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य खो चुके हैं। हम अपनी असफलता की कसौटी पर गांधी को नहीं कस सकते। हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है कि देखें कि हमारे पैर कितने कमजोर हो चुके हैं, मानवता के उस मार्ग पर चलने को, जिसे उन्होंने दिखाया है।

#### संदर्भ सूची-

1. महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहर लाल नेहरू का देश को सम्बोधन। आकाशवाणी- 30 जनवरी, 1948।
2. पूर्वोक्त।
3. वर्ल्ड फोकस, अक्टूबर 2011
4. आजकल, 21 अक्टूबर 2019
5. समयांतर: अक्टूबर 2019
6. यंग इंडिया: 21-2-1929
7. हिंदी नवजीवन: 7-1-1926
8. यंग इंडिया, 11-8-1940
9. मैन्स सर्च फ़ॉर मीनिंग - विक्टर. ई. फ्रैंकल, पृष्ठ- 6-7

## कृदन्तविमर्श- आचार्य विश्वेश्वर की दृष्टि में



भूपेन्द्र,  
शोधछात्र, संस्कृत विभाग,  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।  
डॉ. सत्यपाल सिंह, शोधनिर्देशक,  
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

### ABSTRACT

#### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 122-126  
Publication Issue :  
September-October-2020

**सारांश** –संस्कृत व्याकरण की परम्परा में आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी का विशेष योगदान है। अष्टाध्यायी के सूत्रों का समय समय पर विभिन्न आचार्यों ने व्याख्यान किया। इसी क्रम में आचार्य विश्वेश्वर का नाम आता है। इन्होंने पाणिनीय सूत्रों को नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास किया। प्रस्तुत शोधपत्र में कृदन्त प्रकरण को विषय बनाया गया है अतः यहाँ कृदन्त प्रकरण में प्रतिपादित सूत्रों पर ही विचार किया गया है। कृदन्त प्रकरण के अनेक स्थलों पर आचार्य विश्वेश्वरसूरि, महाभाष्यकार-न्यासकार-पदमंजरीकार तथा भट्टोजि दीक्षित के मत से साम्य रखते हैं परन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ सुधानिधिकार अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरणों से आगे बढ़कर नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया हैं। इस शोधपत्र से कृदन्त के विषय में आचार्य विश्वेश्वर की सूक्ष्म दृष्टि का बोध तो होता ही है साथ ही कृदन्त प्रकरण को समझने में यह अत्यन्त उपयोगी भी है।

#### Article History

Accepted : 10 Oct 2020  
Published : 20 Oct 2020

**Keywords** : संस्कृत, व्याकरण, कृदन्त, विश्वेश्वर, पाणिनि, अष्टाध्यायी

भारतीय संस्कृति का आधार चतुर्दशविद्या है। चतुर्दश विद्याओं में चार वेद, छः वेदाङ्ग और चार आन्विकिकी आदि विद्याओं को ग्रहण किया जाता है। छः वेदाङ्गों में व्याकरण का स्थान प्रमुख माना गया है। व्याकरण को वेदरूपी पुरुष

<sup>1</sup> टिप्पणी- आन्विकिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति को मिलाकर चतुर्दशविद्या कही जाती हैं। परन्तु कुछ विद्वानों ने इन चारों के स्थान पर दर्शन, साहित्यशास्त्रादि को चतुर्दशविद्याओं में स्वीकार किया है।

का मुख कहा गया है।<sup>2</sup> व्याकरणशास्त्र के विकासक्रम में आचार्यों की एक विस्तृत परम्परा ने अपना योगदान दिया है। इनमें पाणिनि का विशेष स्थान है, इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियों का अध्ययन करके सर्वाङ्गपूर्ण अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थ की रचना की। कात्यायन ने इसे और भी परिपूर्ण करने के लिए वार्तिकों की रचना की। इसी परम्परा में पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों को आधार बनाकर सर्वातिशायी ग्रन्थ व्याकरणमहाभाष्य की रचना की। इस प्रकार पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि संस्कृत व्याकरण के तीन प्रमुख व्याख्याता हुए, जिन्हें परम्परा त्रिमुनि नाम से पुकारती है। इन तीनों में व्याकरण का क्रमिक विकास देखने को मिलता है। इसलिए पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन और कात्यायन की भी अपेक्षा पतञ्जलि अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं।<sup>3</sup> इनमें भी पतञ्जलि प्रौढ पाण्डित्य, गम्भीर अर्थविवेचन और व्यापक दृष्टिकोण के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके बाद भी वैयाकरणों ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर समय-समय पर निरन्तर विश्लेषण का काम जारी रखा। कालान्तर में अष्टाध्यायी के ऊपर अनेक वृत्तिग्रन्थ लिखे गए हैं। जिनमें काशिका और सिद्धान्तकौमुदी प्रसिद्ध हैं। काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास और हरदत्त ने पदमञ्जरी नामक व्याख्या लिखी तथा सिद्धान्तकौमुदी पर भट्टोजि दीक्षित ने स्वयं प्रौढमनोरमा, ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने तत्त्वबोधिनी तथा नागेश भट्ट ने शेखर व्याख्या लिखी है। इसी क्रम में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में आचार्य विश्वेश्वरसूरिकृत व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या का विलक्षण ग्रन्थ है। आचार्य विश्वेश्वर ने महाभाष्य की शैली को आधार बनाकर व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि नामक वृत्तिग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में पाणिनि के सूत्रों को न्यासकार, पदमञ्जरीकार और महाभाष्यकार के अनुसार उहापोह पूर्वक विश्लेषण करके नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। कई ग्रन्थों के विश्लेषण और नव्यन्यायभाषा प्रयोग से यह ग्रन्थ जटिल व दुरुह होता चला गया। सम्भवतः इसी कारण से इस ग्रन्थ को अधिक प्रसिद्धि नहीं मिल सकी इसलिए यह लुप्तप्रायः हो गया। डॉ. दयानन्द भार्गव और जोधपुर के आचार्य डॉ० सत्यप्रकाश दुबे के अथक परिश्रम से यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से प्रकाशित होकर विद्वज्जगत् के सम्मुख उपस्थित हो पाया है।

सुधानिधि के कृदन्त प्रकरण में आचार्य विश्वेश्वरसूरि ने प्रायः महाभाष्यकार और न्यासकारादि पूर्व आचार्यों के मत का अनुसरण किया है परन्तु अनेक सूत्रों में नवीन कल्पना पूर्वक मतवैभिन्य भी दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही कतिपय सूत्रों को इस शोधपत्र का विषय बनाया गया है। जो निम्न प्रकार है-

**वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्<sup>4</sup>** सूत्र के अनुसार **धातोः<sup>5</sup>** के अधिकार में असरूप प्रत्यय वाला अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाधक होता है। **धातोः** सूत्र का अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यन्त जाता है अतः तृतीय अध्यायस्थ तव्यादि प्रत्यय धातु से होते हैं।<sup>6</sup> व्याकरण का प्रमुख नियम यह है कि अपवाद सूत्र, उत्सर्ग सूत्र का नित्य बाधक होता है परन्तु इस प्रमुख नियम में **वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्** सूत्र ने शिथिलता प्रदान की। आचार्य विश्वेश्वरसूरि इस सूत्र के आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं -**असरूपवाचनमुत्सर्गस्य बाधकविषये प्रवृत्त्यर्थम्<sup>7</sup>** अर्थात् तृतीय अध्याय में अपवाद सूत्र

<sup>2</sup> मुखं व्याकरणं स्मृतम्। पाणिनीय शिक्षा

<sup>3</sup> यथोत्तरमुनिनां प्रामाण्यम्।

<sup>4</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.1.94

<sup>5</sup> अष्टाध्यायी। 3.1.91

<sup>6</sup> अष्टाध्यायी-भाष्य- प्रथमावृत्ति। 3.1.91

<sup>7</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । वासरूपोऽस्त्रियाम्।3.1.94

की विकल्प से प्रवृत्ति के लिए प्रकृत सूत्र का कथन किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि यह नियम तृतीय अध्याय के धातोः सूत्र के अधिकार में ही प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं।

**तव्यत्तव्यानीयरः**<sup>8</sup> उत्सर्ग सूत्र है तथा **अचो यत्**<sup>9</sup> अपवाद सूत्र है। दोनों सूत्र तृतीय अध्यायस्थ धातोः के अधिकार में उपस्थित **वाऽसरूपऽस्त्रियाम्** की शर्त को भी पूर्ण कर रहे हैं अतः वाऽसरूपविधि के अनुसार विकल्प से अजन्तधातुओं से तव्यदादि प्रत्ययों की भी प्राप्ति हो जाती है। यह भाव आचार्य विश्वेश्वर से भिन्न वैयाकरण स्वीकार करते हैं परन्तु आचार्य विश्वेश्वर इस भाव को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि तव्यदादि प्रत्यय **वाऽसरूपऽस्त्रियाम्** सूत्र के उदाहरण हो ही नहीं सकते क्योंकि अपवाद सूत्र की विकल्प से प्रसक्ति के कारण तव्यदादि प्रत्यय नहीं होते अपितु आरम्भ सामर्थ्य से तव्यदादि प्रत्यय होते हैं। इसका कारण बताते हुए आचार्य कहते हैं कि धातुएँ दो प्रकार की होती हैं- अजन्त और हलन्त। **अचो यत्** तथा **ऋहलोर्ण्यत्**<sup>10</sup> से क्रमशः अजन्त धातुओं से **यत्** व हलन्त धातुओं से **ण्यत्** प्रत्यय का विधान किया गया है, इनमें सभी विषय आ जाते हैं तथा **तव्यत्तव्यानीयरः** सूत्र के लिए कोई स्थल बचता ही नहीं किन्तु तव्यादि प्रत्ययों का विधान तो किया ही गया है अतः आचार्य विश्वेश्वर के मत में विधान सामर्थ्य से धातुओं से तव्यादि प्रत्यय हो जाते हैं। तव्यादि प्रत्ययों का विधान करने वाला (**तव्यत्तव्यानीयरः**) सूत्र, उत्सर्ग सूत्र तो है परन्तु आचार्य विश्वेश्वर इस सूत्र का कोई अपवाद सूत्र नहीं मानते अतः वे वासरूपविधि की प्रसक्ति भी इस सूत्र में स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए **अचो यत्** और **तव्यत्तव्यानीयरः** सूत्र के विषय में उत्सर्ग-अपवादव्यवस्था को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार **पचादिभ्यः सर्वधातुभ्योः अच्** और **ण्वुल्लृचौ** में भी वासरूपविधि की प्रवृत्ति नहीं हो जाती यहाँ भी आरम्भ सामर्थ्य से सिद्धि समझनी चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विषय में वासरूप की प्रवृत्ति होगी? आचार्य विश्वेश्वरसूरि वासरूपविधि को **इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः** और **ण्वुल्लृचौ** इत्यादि सूत्रों के विषय में समावेशार्थ मानते हैं। क्योंकि कर्ता अर्थ में धातु से **ण्वुल्** और **तृच्** प्रत्यय होते हैं इसी अर्थ में केवल इगुपध, ज्ञा, प्री, किर् धातुओं से **क** प्रत्यय भी होता है अतः **इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः** सूत्र **ण्वुल्लृचौ** का अपवाद बनता है और अपवाद को छोड़कर उत्सर्ग लगता है परन्तु यहाँ वासरूप परिभाषा के कारण विकल्प से **ण्वुल्** और **तृच्** प्रत्ययों के साथ **क** प्रत्यय की भी प्रसक्ति होकर बुधः, बोद्धा, बोधकः तीनों इष्ट रूप निष्पन्न हो जाते हैं। **क** असरूप अपवाद प्रत्यय भी है और **स्त्रियाम् क्तिन्**<sup>11</sup> के प्रसिद्ध अधिकार में भी इसकी गणना नहीं है इसलिए वासरूप परिभाषा की प्रसक्ति यहाँ हो जाती है।

इस प्रकार तो **ण्वुल्लृचौ** सूत्र की प्रसक्ति भी विधान सामर्थ्य से स्वीकार करनी चाहिए परन्तु इसकी प्रसक्ति विधान सामर्थ्य में स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि **ण्वुल्लृचौ** सूत्र को इगुपध, ज्ञ, प्री और कृ धातुओं से अन्य धातुओं में अवकाश है जबकि **तव्यत्तव्यानीयरः** को अन्य धातुओं में अवकाश ही नहीं मिलता है अतः **ण्वुल्लृचौ** सूत्र उत्सर्गापवाद

<sup>8</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.1.96

<sup>9</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.1.97

<sup>10</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.1.124

<sup>11</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.3.94

विषय के अन्तर्गत आ जाने पर इसमें वासरूपविधि घट जाती है तथा तव्यतव्यानीयरः सूत्र इसमें नहीं आ पाता है अतः इसमें वासरूपविधि भी नहीं घटती है। ऐसा आचार्य विश्वेश्वर का मत है।

**वासरूपोऽस्त्रियाम्** सूत्र में अस्त्रियाम् का एक अर्थ स्त्रीलिंग को छोड़कर भी हो सकता है परन्तु आचार्य विश्वेश्वरसूरि **वासरूपोऽस्त्रियाम्** सूत्र में अस्त्रियाम् से **स्त्रियाम् क्तिन्** सूत्र में विद्यमान स्त्रियाम् पद के अधिकार को ही ग्रहण करना उचित समझते हैं क्योंकि सूत्र में अस्त्रियाम् का अर्थ स्त्रीलिंग रहित मानने पर लव्या और लवितव्या दोनों इष्टरूप निष्पन्न ही नहीं हो सकते क्योंकि **अचो यत्** सूत्र स्त्रीलिंग में नित्य ही **तव्यतव्यानीयरः** सूत्र को बाधित करने लगता। इसके साथ ही **भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र**<sup>12</sup> महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया स्त्रिलिंग में तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग भी यही दर्शाता है कि- सूत्र में अस्त्रियाम् पद से स्त्रिलिङ्ग का ग्रहण अनभिष्ट है। अतः **अस्त्रियाम्** से तृतीय अध्यायस्थ स्त्री अधिकार को ही ग्रहण करना चाहिए।

इसी प्रकार एक अन्य सूत्र को लेकर विचार किया जा रहा है जो निम्नप्रकार है-

**भुवश्च**<sup>13</sup> सूत्र का अर्थ है कि- छन्द विषय में भू धातु से तच्छीलादि कर्ता अर्थ में **इष्णुच्** प्रत्यय होता है। भविष्णुः, प्रभविष्णुः। काशिका में चकार का ग्रहण का प्रयोजन अनुक्त समुच्चय के लिए बताया गया है। यथा - **भ्राजिष्णुः**। अनुक्त समुच्चय कहने से भ्राजादि धातुओं का भी ग्रहण हो जाता है। वैष्णवमत में **प्रभविष्णु**पद का प्रयोग : दिखाई देता है। परन्तु सुधानिधिकार ने वैष्णवमत में **प्रभविष्णुः** पद को असाधु ग्रहण करते हुए प्रमादपाठ माना है और पदमञ्जरीकार भी इस प्रयोग को **नैतद्भाष्ये समाश्रितम्**<sup>14</sup> कहकर असाधु स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही कुछ वैयाकरण **क्षयिष्णुः** पद का प्रयोग करते हैं परन्तु इस प्रकार के प्रयोग की चर्चा महाभाष्य, काशिका, न्यास तथा पदमंजरी आदि ग्रन्थों में न होने पर सुधानिधिकार ऐसे प्रयोग को मूल से अतिरिक्त स्वीकार करते हैं।

इसी प्रकार **निन्दहिंसक्लिशादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूत्रो वुञ्**<sup>15</sup> सूत्र पर विचार करते हुए आचार्य विश्वेश्वर कहते हैं -तच्छीलादि कर्ता अर्थ में निन्द, हिंस, क्लिशादि धातुओं से **वुञ्** प्रत्यय होता है। निन्दकः, हिंसकः इत्यादि।

महाभाष्य, काशिका और अष्टाध्यायी के मूलपाठों में **निन्दहिंस---भाषासूत्रो वुञ्** पाठ मिलता है परन्तु सुधानिधि में **निन्दहिंसभाषासूत्रो... वुञ्** अर्थात् यकार के स्थान पर जकार का पाठ मिलता है। काशिका में **निन्दहिंस**<sup>16</sup>:**भाषासूत्र...** प्रथमान्त पद है परन्तु इष्ट अर्थ के लिए काशिकाकार ने सूत्र में पञ्चमी के अर्थ में प्रथमा का प्रयोग माना है। सुधानिधिकार कहते हैं कि सूत्र में पञ्चमी के अर्थ में प्रथमा का प्रयोग मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुधानिधिकार के मत में सूत्र का अन्तिम भाग वस्तुतः **भाषासूत्रः** न होकर **भाषासूजः** है और यह पद स्वरूपतः पञ्चम्यन्त है। इस पद को पञ्चम्यन्त स्वीकार करने से अनिष्ट की आपत्ति भी नहीं होती अतः इस सूत्र में आचार्य विश्वेश्वरसूरि द्वारा **भाषासूजः** पद को पञ्चम्यन्त स्वीकार करना उचित प्रतीत हो रहा है।

<sup>12</sup> अभिज्ञानशाकुन्तलम्। प्रथम अंक, श्लोक 16

<sup>13</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.2.138

<sup>14</sup> भुवश्च।3.2.138 काशिका न्यास-पदमंजरी-भावबोधिनि, तृतीय भाग, जयशङ्कर लाल त्रिपाठी, पेज 523

<sup>15</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.2.146

<sup>16</sup> काशिका न्यास-पदमंजरी-भावबोधिनि, तृतीय भाग ।3.2.146

अब मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च<sup>17</sup> सूत्र पर विचार किया जाता है। मति, बुद्धि और पूजा अर्थ वाली धातुओं से वर्तमानकाल अर्थ में क्त प्रत्यय होता है। राज्ञां मतः पुजितः बुद्धमः वा। ज्ञातम् पद भी बुद्ध्यर्थक है। प्रकृत सूत्र के नियम से बुद्ध्यर्थक होने पर ज्ञातम् पद वर्तमान काल में ही प्रयुक्त होना चाहिए परन्तु आचार्य विश्वेश्वर कहते हैं कि- ज्ञातम् शब्द का प्रयोग भूतकाल में भी होता है क्योंकि तेन प्रोक्तम्<sup>18</sup> सूत्र के अधिकार में उपज्ञाते<sup>19</sup> सूत्र में भूतकाल अर्थ में क्त प्रत्यय का प्रयोग दिखाई देता है। यथा -पाणिनिना उपज्ञातम् पाणिनीयम्। यदि यहाँ वर्तमान काल में क्त प्रत्यय का प्रयोग होता तो क्तस्य च वर्तमाने(वर्तमानस्थस्य क्तस्य योगे षष्ठि स्यात्। राज्ञां मतः)<sup>20</sup> सूत्र से कर्तृपद 'पाणिनि' में षष्ठि विभक्ति की आपत्ती होने लग जाती परन्तु 'उपज्ञातम्' पद में क्त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में स्वीकृत करने पर षष्ठि विभक्ति की आपत्ति भी नहीं होती। अतः निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य विश्वेश्वर के मत में क्वचित् बुद्ध्यर्थक धातुओं से भूतकाल में भी क्त प्रत्यय का प्रयोग दिखाई देता है।

ऊपर बताया जा चुका है कि- अनेक स्थलों पर आचार्य विश्वेश्वरसूरि महाभाष्यकार-न्यासकार-पदमंजरीकार तथा भट्टोजि दीक्षित के मत से साम्य रखते हैं परन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ सुधानिधिकार अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरणों से आगे बढ़कर नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कृदन्त सूत्रों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि- प्रस्तुत शोधपत्र में आचार्य विश्वेश्वरसूरि ने नवीन कल्पना प्रस्तुत करके पाणिनीय सूत्रों को नवीन रीति से समझने-समझाने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।

## ग्रन्थ-सूची

1. विश्वेश्वरसूरि.वैयाकरणसिद्धान्तसुधानिधि. सम्पादक डॉ. सत्यप्रकाश दुबे, प्रकाशक राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, राजस्थान।
2. कालिदास.अभिज्ञानशाकुन्तलम्. सम्पादक निरुपण विद्यालंकार, प्रकाशक रतिराम शास्त्री साहित्य भण्डार, मेरठ।
3. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु. अष्टाध्यायी-भाष्य-प्रथमावृत्ति. प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत हरियाणा
4. वामन जयादित्य. काशिका न्यास-पदमंजरी-भावबोधिनी-सहिता. सम्पादक डॉ. जयशङ्कर लाल त्रिपाठी, डॉ. सुधाकर मालवीय. प्रकाशक तारा प्रिंटिंग वर्क्स वाराणसी 1984
5. पाणिनि. अष्टाध्यायी. सम्पादक. आचार्य हरिदेव. नीता प्रकाशन दिल्ली
6. भट्टोजि दीक्षित. वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी. सम्पादक गोपालदत्त पाण्डेय. प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी

<sup>17</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 3.2.188

<sup>18</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 4.3.101

<sup>19</sup> व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि । 4.3.115

<sup>20</sup> सिद्धान्तकौमुदी। 625

## छायावाद



डॉ० राजेश कुमार मिश्र  
सहायक आचार्य, (हिंदी विभाग),  
मर्यादा देवी कन्या पीजी कालेज,  
बिरगापुर, हनुमानगंज, प्रयागराज,  
उत्त प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 127-131

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**सारांश** – कठोर नियंत्रण व बंधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही स्वच्छन्दता का जन्म होता है। द्विवेदी युग में स्वच्छंद मन की प्रेममयी कतिवताएं छपती नहीं थीं। 1916 में लिखी निराला की जूही की कली को इसी के चलते किनारे कर दिया गया था। एक ओर भाषा और शैलीगत बंधन दूसरी ओर विषयगत बन्धन के चलते स्वच्छन्द प्रवृत्ति का जन्म हुआ। 1918 के बाद की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी इस स्वच्छन्दता को प्रोत्साहित कर रही थीं। बढ़ती शिक्षा व्यवस्था तथा अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी वैचारिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने में सहायक हुआ। एक ओर शेली, कीट्स, वायरन की स्वच्छंद और मुक्त हृदय की कविता थी दूसरी ओर द्विवेदी कालीन मर्यादाशील कविता। युवा वर्ग का आकर्षण स्वच्छन्द विचारधारा की ओर उन्मुख हुआ जिसका प्रमाण बंगाल रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता की धूम मच जाना। रविन्द्र की कविता मुक्त और स्वच्छंद मन की, मानवतावादी तथा आध्यत्मिकता की पुट लेकर आई।

**मुख्य शब्द** – छायावाद, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, द्विवेदी युग

इस प्रकार द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के प्रतिरोध अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों की प्रेरणा, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ तथा रविन्द्र की कविताओं का बंगाल में धूम मचा देना छायावाद की बुनावट में मददगार साबित हुई। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एक ऐसी सशक्त विचारधारा का नाम जिनसे छायावाद की आलोचना शुरू हुई। छायावाद के स्वरूप, उसके आन्तरिक भावों, रहस्यवाद, लाक्षणिकता प्रकृति चित्रण आदि को लेकर शुक्ल जी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना। हमें यहां छायावाद के स्वरूप, उसकी आन्तरिक व वाह्य बुनावट, उस पर वाह्य विचारधारा का प्रभाव उसमें जीवन मूल्य आदि पर विचार करना है जो विविध विद्वानों

के मत मतान्तरों से निकलकर हमारे सामने आयेगा। आ०रा०च० शुक्ल ने छायावाद को जिस स्वरूप में, जिस लिबाज में देखा उसमें उनको कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का प्रभाव दिखा। भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान दिखा। अप्रस्तुत योजना, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता दिखी, तथा अभिव्यंजना प्रणाली व विचित्रता ही सब कुछ समझी जाने लगी। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुका सा दिखा। “छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य .....चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को साध्य मानकर चले।”<sup>1</sup> (हि०सा०का० इति० पृ०-445) शुक्ल जी छायावादी कविता का संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए पाश्चात्य ढाँचे में देखा “इसाई संतों के छायाभास (फैटासमाटा) तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (सिंबलिज्म) के उदकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिन्दी के कुछ नए कवि उधर एकबारगी झुक पड़े”<sup>2</sup> (हि०सा०का० इति० पृ०-444) शुक्ल जी छायावाद के चलन के पीछे बाहरी ही नहीं द्विवेदी कालीन रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का संकोच हो जाना तथा वस्तुविधान का भुला देना शुक्ल जी की आपत्ति का मूल कारण था। शुक्ल जी ने देखा कि छायावाद के समर्थन में लोग कहने लगे कि जीवन व जगत् में एक नई कविता का संचार है, प्रकृति पर प्रेममय दृष्टि डालकर, रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर स्वच्छंद मार्ग निकालने का काव्य है, अंग्रेजी व बांग्ला साहित्य के प्रभाव से कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसके चलते उनको छायावाद की राह पकड़नी पड़ी। शुक्ल जी ने इन सब आडम्बरों को सिरे से खारिज किया— “न आंधी थी न तूफान न कोई कसक थी न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, .....इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह उस ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता।”<sup>3</sup> (हि०सा०का० इति० पृ०-444) शुक्ल जी छायावाद में जन मानस के भावों व प्रवृत्तियों की खोज कर रहे थे। जब नहीं दिखा तो छायावाद पर आक्रमण किया। पर ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी ने सारे छायावाद को सिरे से कमियों का लिबाज पहनाया जहां उनको अपने मानक पर छायावाद दिखा उसकी प्रशंसा भी की। “छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ। उसमें कोई संदेह नहीं उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता विरोध चमत्कार कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संघटित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखी।”<sup>4</sup>(हि०सा०का० इति० पृ०-447) शुक्ल जी मानते हैं कि यदि आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आया होता और अभिव्यंजना की यह शैली स्वतंत्र रूप से फैली होती तो घनानंद की जैसी लाक्षणिकता का आभास हमें छायावाद में भी दिखता। क्योंकि शुक्ल जी का मानना है— छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहा तक तो रहस्यवाद, प्रतीकवाद, चित्र भाषावाद की शैली बनकर प्रेमगान ही करता रहा है। छायावादी कवियों का स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना प्रकृति का कोई दृश्य न दे पाना, ऊषा सुन्दरी के कपोलों की ललाई, रजनी के जटिल केश कलाप, दीर्घ निश्वास, किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सबका अप्सरा या परियां बनकर सामने आना, चुबन, अलिंगन, मधुग्रहण कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि शुक्ल जी को छायावाद के प्रति उदास बनाते हैं।

डा० नामवर सिंह का मानना है कि “छायावाद समूचे जीवन से दूर नहीं केवल उसके व्यक्त वस्तुगत (आब्जेक्टिव) रूप से दूर था “एक ही सत्ता के अव्यक्त और व्यक्त दो पहलू हैं तो एक को सत्य व पूर्ण कहना भ्रांति

है, व्यक्त से दूर रहने वाला उतना ही एकांगी है जितना अव्यक्त से दूर रहने वाला। यदि व्यापकता की दृष्टि से देखा जाय तो अव्यक्त अधिक रहस्यगर्भी और असीम है। नए छायावादी युग की उदात्त भावना को इस असीम अव्यक्त सत्ता में विचरण करना अधिक सुखद मालूम हुआ।<sup>5</sup> हिन्दी गद्य का पर्व (नामवर सिंह, पृ०121) नामवर जी कहते हैं शुक्ल जी ने इस भावना अर्थात् असीम अव्यक्त सत्ता की भावना को जीवन से दूर रखा, जबकि उनका मानना है कि जीवन का एक पक्ष भावगत भी है, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। छायावाद रहस्यवाद ने प्रधानतः भाव पक्ष को अपनाया। शुक्ल जी का छायावाद से विरोध का एक कारण और नामवर जी बताते हैं— “शुक्ल जी को विश्वास न था कि ये कवि सचमुच ही अव्यक्त से प्रेम करते हैं। परन्तु सच तो यह है कि छायावादी काव्य में भावों का उदात्तीकरण ही महान् अव्यक्त सत्ता का रूपधारण कर लेता है। .....छायावादी कवियों की कविताओं का आधार भले ही मानवीय प्रेम रहा हों, परन्तु उच्चदशा में उस अशरीरी भावना ने यदि वैयक्तिकता की स्थूल सतह छोंडकर किसी उदात्त अव्यक्त सत्ता का अनुभव किया होता तो क्या आश्चर्य?”<sup>6</sup> डॉ० नामवर सिंह ने शुक्ल जी के कलावाद का भी सामना किया जिसके आधार पर शुक्ल जी ने छायावाद को नकारा था। नामवर जी का मानना है कि “उच्चकोटि के छायावादी कवियों में कलावाद कभी आया ही नहीं। रसवादी आचार्य को केवल अलंकारवाद का विरोध करना था और उन्होंने यूरोपीय कलावाद के आगमन का संकट कालीन भोपू बजाना आरम्भ कर दिया। ऐसा लगता है कि समीक्षा को छोड़कर हिंदी के अन्य क्षेत्रों में उस समय यूरोपीय कलावाद आया ही नहीं। आचार्य ने केवल आसमान में मुक्का मारा।”<sup>7</sup>

डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी अपने साहित्य और संवेदना के विकास में कहते हैं— “कभी-कभी हिन्दी समीक्षा में छायावाद शब्द एक दुर्बचन के रूप में प्रयुक्त होता दिखता है। भावुकता, कल्पना विलास, यथार्थ से लगाव और जिसे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में मधुचर्या, कहा, इन विविध मनः स्थितियों को वर्णित करने के लिए एक मोटा शब्द— छायावाद चल जाता है। यह परिस्थिति जहां अति सरलीकरण से उत्पन्न हुई है वहीं अनेक विभ्रमों को उपजाती है। .....यह सचमुच एक विचित्र स्थिति है कि साधारण ढंग से छायावाद कहने से चाँदनी रात, नौका बिहार, जूही की कली आदि कविताओं की याद अधिक दिलाई जाती है, कामायनी, राम की शक्तिपूजा, तुलसीदास को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। छायावाद का यह मानचित्र बनाने में कुछ समीक्षकों का योगदान है जो छायावाद को मूलतः प्रकृति संबन्धी काव्य मानना चाहते थे।”<sup>8</sup> रामस्वरूप जी स्पष्ट कहते हैं कि “छायावाद महज संध्या सुंदरी, चाँदनी रात की नौका बिहार, का चित्र नहीं है वह मूलतः शक्ति काव्य है।, पुर्नजागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। .....यह अधिक सर्जनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है, उसके वर्तमान संकट के बचाव की संभाव्य दिशा संकेतित है।”<sup>9</sup> चतुर्वेदी जी ‘विकल बिखरे शक्ति के विद्युतकण’ जिसे इकट्ठा करने की बात मनु से करते हुए प्रसाद जी कहते हैं— “विजयिनी मानवता हो जाय” को छायावाद मानते हैं। “शक्ति की करो मौलिक कल्पना” निराला जी जब कहते हैं तो उसे छायावाद मानते हैं, होगी जय, होगी जय, को छायावाद की मूल संवेदना मानते हैं। चतुर्वेदी जी दो कदम आगे बढ़ कर छायावादी संवेदना को मध्य कालीन भक्ति काल के कवियों की संवेदना से ऊपर उठा दिया है— “ऐहिक जीवन और शरीर का महत्व जिसे मध्यकालीन संतों और कवियों ने पानी का बुलबुला और काग-गीध का भोजन कहा था .....सन्यास वैराग्य तपस्या और परलोकवाद में आस्था जैसे मूल्यों के स्थान पर अब ऐहिक जीवन, इहलौक और मानव शरीर के आकर्षण का महत्व प्रतिपादित होता है। निष्काम कर्म की जगह प्रसाद की कामायनी में कर्म का भोग का गुण गान हुआ है।

कबीर, सूर, तुलसी, जायसी की भक्ति में संसार का निषेध करके परम तत्व की ओर मन ले जाने की उपक्रम है। छायावादी कवि इस संसार को पूरी तरह साकार कर परम तत्व से अभिन्न मानते हैं। हिन्दी मानसिकता की विश्व दृष्टि पुनर्जागरण के संक्रमण में जैसे पूरी तरह से घूम गयी हो।<sup>10</sup>

डॉ० बच्चन सिंह आधुनिक साहित्य के इतिहास में छायावाद नामकरण जो कि रूढ़ हो गया था को असंगत मानते हैं उनका कहना है “हिन्दी साहित्य में यह युग छायावाद नाम से रूढ़ हो गया है। पर यह शब्द न अपेक्षित अर्थ दे पाता है न तत्कालीन काव्य का विशेषण बन पाता है। पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्य धारा से संबन्ध न करने के कारण शुक्ल जी ने उसे बाहर से आई हुई वस्तु कहकर तिरस्कार किया और केवल शैली वैचित्र्य के रूप में ग्रहण किया। छायावादी काव्य शैली को वे फ्रांस के रहस्यवादी कवियों के प्रतीकवाद से जोड़ते हैं। “वस्तुतः छायावाद रूपी गंगावतरण की यह धारणा (यारोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थीं) कोरी काल्पनिक है। बंगाल में किसी प्रकार की कविता को छायावादी की संज्ञा नहीं दी गई न तो हिन्दी का छायावाद ब्रिटेन से सात समुंद्र पार करता हुआ बंगाल पहुँच कर हिन्दी में आया।” “यह अपने देश की उस बेचैनी का परिणाम है जो सांस्कृतिक राजनीतिक पुर्नजागरण में दिखाई पड़ता है, जिसका सीधा सम्बन्ध नई मूल्य दृष्टि से है .....निश्चय ही उसकी ऐतिहासिक शक्तियाँ अन्य देशों से भिन्न न थीं।<sup>11</sup> छायावाद के सम्बन्ध में वाजपेयी जी का विचार था कि छायावाद की काव्य शैली यूरोप से बंगाल होती हुई हिन्दी में आई। इस पर रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। वास्तव में छायावाद का सामाजिक संदर्भ जितनी स्पष्टता के साथ वाजपेयी जी ने बताया है उतना उनकी पीढ़ी के किसी अन्य समालोचक ने नहीं बताया। छायावाद को इसाईयत से प्रभावित रविन्द्रनाथ से प्रभावित जब शुक्ल जी ने बताया तो आलोचकों की पूरी टोली खड़ी हो गई उनके विराध में। जबकि वाजपेयी जी स्पष्ट रूप से शुक्ल जी का समर्थन कर रहे हैं। जिस रहस्यवाद को शुक्ल जी ने छायावाद में हानिकारक बताया वाजपेयी जी उसी रहस्यवाद में समरसता को खोजते हैं। अचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी छायावाद का लक्षण ही यह बताते हैं— मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद में वाजपेयी जी अपना आदर्श कवि रूप पाते हैं और प्रसाद में प्रेम, व रहस्यवाद के धरातल को वे श्रेष्ठ और उच्च काटि का मानते हैं। छायावाद को बाहरी, रहस्यवादी, आदि आरोप लगाकर शुक्ल जी ने शैली मात्र कहा, उसी छायावाद में नन्ददुलारे वाजपेयी जी ने प्रेम, रहस्यभाव, यूरोप का प्रभाव, रविन्द्र व बांग्ला का प्रभाव स्वीकार कर उसमें आध्यात्मिक छाया का भान करते हैं।

डॉ० नगेन्द्र छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। “जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावत्मक दृष्टिकोण है। उन्होंने छायावाद की मूल प्रवृत्ति के विषय में लिखा है कि “वास्तव पर अन्तर्मुखी दृष्टि डालते हुए उसको वायवी अथवा अतीन्द्रिय रूप देने की प्रवृत्ति ही मूल वृत्ति है। उनके अनुसार युग की उद्बुद्ध चेतना ने वाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। नगेन्द्र जी छायावाद को अतृप्त वासना और मानसिक कुंठाओं का परिणाम स्वीकार करते हैं। डॉ० देवराज छायावाद को पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह स्वीकार किया है। प्रसाद जी वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति जब हिन्दी में होने लगी तब उसे छायावाद कहा। गंगा प्रसाद पाण्डेय कहते हैं छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता

स्पष्ट है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात प्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी जी छायावाद और रहस्यवाद में गहरा संबंध स्थापित करते हैं तथा कहते हैं जिस प्रकार मैटर आफ फैक्ट (इतिवृत्तात्मक) के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है।

डॉ० राम कुमार भी छायावाद और रहस्यवाद में कोई अन्तर नहीं माना आत्मा और परमात्मा के गुप्त वाग्विलास को रहस्यवाद कहते हैं और उसी को छायावाद कहते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद का मूल सर्वात्मवादी दर्शन में माना। उनका कहना है छायावादी कवि मूर्त अमूर्त मिलाकर पूर्णता पाता है। उपर्युक्त अनेक परिभाषाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि छायावाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं बन सकी। पर छायावाद स्वच्छन्दतावाद के काफी निकट हैं। आधुनिक काल के छायावाद का निर्माण भारतीय और यूरोपीय भावनाओं के मेल से हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्करण 2014 पृ० 445।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्करण 2014 पृ० 444।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्करण 2014 पृ० 444।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्करण 2014 पृ० 447।
5. हिंदी का गद्य पर्व डॉ० नामवर सिंह, संस्करण 2010 पृ० 121।
6. हिंदी का गद्य पर्व डॉ० नामवर सिंह, संस्करण 2010 पृ० 121।
7. हिंदी का गद्य पर्व डॉ० नामवर सिंह, संस्करण 2010 पृ० 122।
8. हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, डॉ० राम स्वरुप चतुर्वेदी, संस्करण सोलहवां 2002, पृ० 107।
9. हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, डॉ० राम स्वरुप चतुर्वेदी, संस्करण सोलहवां 2002, पृ० 110।
10. हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, डॉ० राम स्वरुप चतुर्वेदी, संस्करण सोलहवां 2002, पृ० 112।
11. आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह, संस्करण 2003, पृ० 137-138।

## दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ : फ्रायड के नज़रिए से कमलावती कुमारी

पीआरटी, दक्षिण पूर्व रेलवे मिश्रित प्रा. विद्यालय, आद्रा, पुरुलिया, प. बंगाल, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 132-136

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांश** – दैनिक जीवन में होनेवाली भूलों के पीछे व्यक्तिगत अचेतन के साथ-साथ सामूहिक अचेतन का भी हाथ होता है। उन्होंने अपने विश्लेषणात्मक सिद्धांत में दावा किया कि दैनिक जीवन की कुछ भूलें ऐसी हैं जिनकी समुचित व्याख्या व्यक्तिगत अचेतन के आलोक में संभव नहीं है। जैसे हम खेल-खेल में चिड़ियों की तरह आवाज क्यों निकालते हैं, कभी-कभी हम जानवरों की बोली बोलने की भूल क्यों करते हैं, आदि की व्याख्या सामूहिक अचेतन के आधार पर ही अधिक तर्कसंगत है। अतः दैनिक जीवन की भूलों की समुचित व्याख्या करने में मनोविश्लेषण सिद्धांत का विश्लेषणात्मक सिद्धांत एक दूसरे के सम्पूरक हैं।

**मुख्यशब्द** – दैनिक जीवन, मनोविकृतियाँ, फ्रायड, अचेतन, विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक।

हम सभी अपने दैनिक जीवन में छोटी – मोटी गलतियाँ करते रहते हैं और यही समझते हैं कि ये गलतियाँ अज्ञानवश या अनायास हो जाती हैं तथा हम तुरंत ही उन्हें सुधार भी लेते हैं। जैसे – लिखने की भूलें, बोलने की भूलें, वस्तुओं को रखकर भूल जाना आदि। ये भूलें किसी बीमारी के कारण नहीं होतीं क्योंकि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में भी वे दिखाई देती हैं। ये ऐसी भूलें हैं जिसे कोई भी व्यक्ति जानकर नहीं करता है और यदि बाध्यता नहीं हो तो वह इन्हें करना भी नहीं चाहता है। मनोवैज्ञानिक इन गलतियों को सांकेतिक क्रियाओं (symbolic actions) के नाम से पुकारते हैं। फ्रायड (freud) के अनुसार ऐसी भूलें अनायास नहीं होती बल्कि उनका कारण होता है, जो अचेतन (Un- Conscious Mind) में दमित होता है। अचेतन में दमित विरोधी विचार, कामुख इच्छायें, अतृप्त इच्छायें, आक्रामक प्रवृत्तियाँ ही भूलों का कारण होती हैं। अचेतन में दमित ऐसी प्रवृत्तियाँ, इन गलतियों या भूलों द्वारा चेतन (Conscious Mind) में अभिव्यक्त होती हैं। ऐसी गलतियों को ही फ्रायड ने “दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ” कहा है।

फ्रायड ने अपनी पुस्तक “Psychopathology of Everyday life” जो 1914 में प्रकाशित हुई, में इन मनोविकृतियों का विस्तृत वर्णन किया है। इन मनोविकृतियों (Psychopathologies) में बोलने की भूलें (Slips of Tongue), लिखने की भूलें (Slips of Pen), किसी व्यक्ति या स्थान के नामों को भूलना, चीजों को इधर-उधर रखने की भूलें, पहचानने की भूलें, छपाई की भूलें, अनजाने में की गयी क्रियाएँ आदि प्रमुख हैं। चूँकि इन भूलों के कारण अचेतन में होते हैं, अतः व्यक्ति इन भूलों के प्रति अनभिज्ञ रहता है, तथा उन्हें मात्र संयोगवश होनेवाली गलती समझकर अपने-आप को संतुष्ट कर लेता है।

**दैनिक जीवन के मनोवृत्तियों के प्रमुख प्रकार**

फ्रायड ने अनेक तरह की मनोविकृतियों का वर्णन किया है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-

**(1) बोलने की भूलें (Slip of Tongue) :** दैनिक-जीवन में प्रायः व्यक्ति से बोलने की भूलें हो जाया करती हैं। वह बोलना कुछ चाहता है पर बोल कुछ और देता है। मेरिंगर तथा मेयर (Meringer and Mayer, 1948) ने बोलने में इस तरह की भूल का कारण शब्दों की ध्वनियों में समानता बतलाया है। परन्तु फ्रायड ने इसका खंडन किया है और कहा है कि, इसका कारण अचेतन में दमित इच्छाएँ होती हैं जो इस तरह की भूल के रूप में व्यक्त होकर अपनी आंशिक संतुष्टि कर लेती हैं। उदाहरणस्वरूप, एक बार एक नेता ने किसी सभा का उद्घाटन करते हुए कहा, “सज्जनों मैं घोषणा करता हूँ कि ‘कोरम’ पूरा है अतः मैं सभा की कार्यवाही विधिवत रूप से समाप्त करता हूँ।” जबकि नेताजी को बोलना था “सज्जनों मैं घोषणा करता हूँ कि ‘कोरम’ पूरा है और अब मैं सभा की कार्यवाही विधिवत रूप से प्रारंभ करता हूँ।” बाद में नेताजी के विचारों के विश्लेषण से पता चला कि नेताजी उस सभा को नहीं होने देना चाहते थे। क्योंकि उस सभा का उनकी नजरों में कोई औचित्य नहीं था, ना ही उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होती थी। इसी तरह बोलने की भूल का एक अच्छा उदाहरण ब्राउन (Brown, 1969, P-233-234) ने दिया है - ब्राउन के एक मित्र को अपने ऊपर काफी गर्व था तथा वह अपने ज्ञान-भंडार को अन्य व्यक्तियों के ज्ञान-भंडार से काफी बड़ा समझता था। एक बार उसे एक सभा में अपने मित्र के लेख पर बधाई देनी थी, सामान्यतः उसे कहना था, “क्या मैं इस महान लेख पर अपना साधारण विचार प्रकट कर सकता हूँ।” परन्तु उसने कहा, “इस निम्नकोटी के लेख पर मैं अपना महान विचार प्रकट कर सकता हूँ।” उपरोक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि बोलने की भूल अचेतन द्वारा प्रेरित होती है।

**(2) नामों को भूलना :** प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में परिचित व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नामों को स्थायी या अस्थायी तौर पर भूल जाते हैं। कई बार तो बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके नाम याद नहीं आते हैं, परन्तु अपने आप फिर बाद में याद आ जाते हैं। यह अस्थायी रूप से भूलने का कारण अर्धचेतन (Semiconscious) होता है। परन्तु स्थायी रूप से भूलना या याद नहीं आने का कारण अचेतन ही होता है। नामों को भूलने के सामान ही हम अन्य बातों को भी भूलते हैं। जैसे किसी से किये गए

वायदों को भूल जाना, किसी से ली गयी वस्तु को लौटाना भूल जाना आदि भी दैनिक जीवन में प्रायः होते रहते हैं, इन सभी तरह की भूलने की क्रिया का कोई स्पष्ट कारण हमें नहीं पता चलता है और हम इसे संयोगवश या निरर्थक होने वाली क्रिया समझकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। परंतु फ्रायड का कहना है कि ये सभी तरह का भूलना निरर्थक या संयोगवश नहीं होते बल्कि ये सार्थक होते हैं और उनका कारण अचेतन या अर्धचेतन में होता है। फ्रायड ने अपनी पुस्तक 'psychopathology of everyday life' में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है- एक व्यक्ति को किसी महिला से प्रेम हो गया जो कि एक तरफ़ा था। महिला को उस व्यक्ति से प्रेम नहीं था। कुछ दिनों बाद उस महिला की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गयी। इस व्यक्ति को महिला का प्रेमी पहले से जनता था तथा उसके साथ उनका व्यापारिक संबंध था। पुरानी जान-पहचान होने के बाद भी वह व्यक्ति महिला के पति का नाम भूल जाया करता था। इसका कारण स्पष्ट था कि वह व्यक्ति महिला के पति का नाम तक भूल जाना चाहता था।

**(3) लिखने की भूलें:-** लिखने की भूलें भी हमारे दैनिक जीवन की सामान्य भूलों में से एक है। इस तरह की भूल में व्यक्ति लिखना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और ही देता है। प्रायः ऐसी गलतियों का कारण लिखते समय ध्यान न देना या ध्यान का बँट जाना या भाषा-ज्ञान का अभाव माना गया है। परंतु फ्रायड ने विश्लेषणात्मक सबूत देकर यह साबित कर दिया है कि लिखने की भूलें भी अचेतन की दमित इच्छाओं के कारण ही होती हैं। ब्राउन (Brown, 1969) ने इससे सम्बंधित एक उदाहरण दिया है, जिसमें डॉ. कार्ल मेनिंगर किसी कार्य से एक व्यक्ति के घर पर मिलने गये। पर उस व्यक्ति ने डॉ. मेनिंगर में कोई रुचि नहीं दिखाई, और मात्र एक साधारण व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया। मेनिंगर ने वापस आकर उस व्यक्ति को एक धन्यवाद पत्र लिखा, "मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सम्मान में आपने कोई शिष्टता नहीं दिखाई।" लेकिन सचमुच में वे लिखना चाहते थे, "मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सम्मान में आपने काफी शिष्टता दिखाई। स्पष्ट है कि डॉ. मेनिंगर उस व्यक्ति के व्यवहार के प्रति आभार प्रकट करने की इच्छा नहीं रखते थे।

**(4) छपाई की भूलें:-** छपाई की भूलें भी हमारे दैनिक जीवन में अक्सर देखने को मिलती हैं। समाचार-पत्रों, पुस्तकों, विज्ञापनों आदि में इस तरह की भूलें देखने को मिलती हैं तथा बाद में इन गलतियों का सुधार भी देखने को मिलता है। चूँकि इस तरह की भूलों में लेखक, प्रूफ संशोधक, कम्पोजीटर और संपादक सबका हाथ रहता है, इसलिए एक व्यक्ति के अचेतन मन के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। फिर भी, ऐसी छपने की भूलों में अचेतन मन काम करता है। फ्रायड ने इस प्रकार की भूलों की विस्तृत व्याख्या की है। डॉ. स्टीकेल (Dr. Stekel) ने एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। एक समाचार पत्र में छपा, "हमारे पाठक इस सत्य के गवाह हैं कि किस 'स्वार्थ' भाव से हमने हमेशा मानव जाति की सेवा की है।" यहाँ स्पष्ट है कि संपादक 'निःस्वार्थ' भाव छापना चाहता था पर सच्ची बात छप गयी। इस तरह छपने की भूलों से भी उससे संबंधित व्यक्तियों की अचेतन इच्छाएँ संतुष्ट होती हैं।

(5) **पहचानने की भूलें:-** हमारे दैनिक जीवन में पहचानने की भूल भी एक महत्वपूर्ण भूल है। ऐसी भूलें किसी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति को पहचानने से सम्बंधित होती हैं। अक्सर देखा गया है कि हम किसी अपरिचित व्यक्ति को परिचित व्यक्ति या मित्र समझ लेते हैं, तथा किसी परिचित या वस्तु को देखकर भी पहचान नहीं पाते हैं। पहचानने की इन दोनों तरह की भूलें अधिक सामान्य हैं और इनके द्वारा व्यक्ति के मन में दमित इच्छाओं के बारे में हमें संकेत मिलते हैं। फ्रायड के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मित्र या प्रेमपात्र को देखना चाहता है तो अपरिचित को ही अपना मित्र या प्रेमपात्र समझ बैठता है। इसके विपरीत परिचित अप्रिय व्यक्ति को भी व्यक्ति नहीं पहचान पाता है।

(6) **वस्तुओं को गलत स्थान पर रखना:-** यह भी दैनिक जीवन की मनोविकृतियों में से एक है। अक्सर देखा गया है कि हम वस्तुओं जैसे- चाभी, महत्वपूर्ण कागज, रुमाल, कलम, डायरी आदि को हम इधर-उधर रख देते हैं, और समय पर जब हम उन्हें खोजते हैं तो वह हमें नहीं मिलती है। दैनिक जीवन की इन भूलों के पीछे भी अचेतन की दमित इच्छायें सक्रिय होती हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में उस वस्तु को अपने सामने से हटा देने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी किसी समस्या या उलझन का समाधान हो जाता है। जोन्स (jones) ने इस संबंध में एक उदाहरण दिया है कि जब उन्हें अधिक खांसी आती थी तो वे अपनी धूम्रपान पाईप भूल से गलत स्थान पर रख देते थे और काफी प्रयास के बावजूद भी वे उसे खोज नहीं पाते थे। परंतु जब खांसी समाप्त हो जाती थी तो धूम्रपान-पाईप मिल जाती थी।

(7) **अनजाने में की गयी क्रियाएँ:-** अनजाने में की गयी गलतियाँ भी हमारे दैनिक जीवन की मनोविकृतियों में शामिल हैं। ऐसी गलतियाँ प्रायः होती हैं। लोग यह कह कर संतोष कर लेते हैं कि हम बहुत भुलक्कड़ हैं। परन्तु वास्तव में ये गलतियाँ दमित इच्छाओं के कारण ही होती हैं। हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, उसके बदले कोई और कार्य कर बैठते हैं। यह कार्य इच्छा के अनुकूल होता है। जोन्स(jones) ने अपने अनुभव के आधार पर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है- एक दिन जोन्स ने एक डिब्बा सिगरेट खरीदा, परन्तु पहले वाले डिब्बे में भी कुछ सिगरेट बची हुई थी। उन्हें नई सिगरेट पीने की इच्छा थी, परन्तु मितव्ययिता को ध्यान में रखकर वे पुरानी सिगरेट पीने का निर्णय कर किताब पढ़ने में व्यस्त हो गये। किताब पढ़ते-पढ़ते उन्होंने नई सिगरेट को ही पी लिया, जिसका ज्ञान उन्हें बाद में हुआ और वे समझ नहीं पाये कि ऐसी गलती क्यों हुई।

(8) **सांकेतिक क्रियाएँ:-** सांकेतिक क्रियाओं को भी फ्रायड ने दैनिक जीवन की मनोविकृतियों में रखा है। इन क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता और ऐसी क्रियाओं को करनेवालों को भी इसका अर्थ ज्ञात नहीं होता है। परन्तु उनके अचेतन मन का विश्लेषण करने पर ये पता चलता है कि ये क्रियाएँ भी सार्थक हैं। इन क्रियाओं के अंतर्गत बटन लगाना और खोलना, बार-बार अंगूठी निकलना और पहनना, ताले की चाभी को हाथ में नचाते रहना आदि क्रियाएँ आती हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति द्वारा दी गयी अंगूठी को बार-बार उँगली से निकलती और पहनती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने पति से संतुष्ट नहीं है और उससे छुटकारा पाना चाहती है।

**(9) वस्तुओं का खो जाना:-** वस्तुओं का खो जाना भी दैनिक जीवन की भूलों में शामिल हैं। प्रायः हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को किसी ऐसी जगह छोड़ देता है कि बाद में उसे यह बिल्कुल स्मरण नहीं रहता कि उसने उसे रखा कहाँ था। ऐसी स्थिति में वस्तु खो जाती है। उसकी यह भूल भी अकारण नहीं है। सच तो यह है कि यह भूल भी उद्देश्यपूर्ण है। फ्रायड ने अन्य भूलों की तरह इस भूल को भी कारणवश व उद्देश्यपूर्ण माना है, उनके अनुसार इस भूल के माध्यम से व्यक्ति की दमित इच्छाओं या अचेतन प्रेरणाओं की संतुष्टि होती है, जिससे अचेतन द्वंद्वों का समाधान होता है। उदाहरण के तौर पर, एक लड़की की शादी की अंगूठी शादी की पहली रात में ही खो गयी। लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं मिल पायी। मनोविश्लेषण से पता चला कि वह लड़की उस युवक से विवाह करना ही नहीं चाहती थी।

मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर सहमति है कि दैनिक जीवन की भूलें कारणवश या उद्देश्यपूर्ण होती हैं। ये भूलें निरुद्देश्य नहीं होती हैं। फ्रायड (freud) तथा युंग (jung) दोनों इस बात से सहमत हैं कि दैनिक जीवन की प्रत्येक भूल कारणवश या उद्देश्यपूर्ण होती हैं। परन्तु इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बीच दैनिक जीवन की भूलों के आधार को लेकर स्पष्ट अंतर है। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत (Psychoanalytic theory) के अंतर्गत दैनिक जीवन की विभिन्न भूलों की व्याख्या व्यक्तिगत अचेतन (Personal unconscious) के आधार पर की है। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन की भूलों के पीछे व्यक्तिगत अचेतन में दमित इच्छाएँ सक्रिय रहती हैं।

दूसरी ओर युंग (jung) ने कहा है कि दैनिक जीवन में होनेवाली भूलों के पीछे व्यक्तिगत अचेतन के साथ-साथ सामूहिक अचेतन का भी हाथ होता है। उन्होंने अपने विश्लेषणात्मक सिद्धांत में दावा किया कि दैनिक जीवन की कुछ भूलें ऐसी हैं जिनकी समुचित व्याख्या व्यक्तिगत अचेतन के आलोक में संभव नहीं है। जैसे हम खेल-खेल में चिड़ियों की तरह आवाज क्यों निकालते हैं, कभी-कभी हम जानवरों की बोली बोलने की भूल क्यों करते हैं, आदि की व्याख्या सामूहिक अचेतन के आधार पर ही अधिक तर्कसंगत है। अतः दैनिक जीवन की भूलों की समुचित व्याख्या करने में मनोविश्लेषण सिद्धांत का विश्लेषणात्मक सिद्धांत एक दूसरे के सम्पूरक हैं।

## संदर्भ सूची :

- [1]. S. Freud: The Psychopathology of Everyday Life, Standard Edition, Vol. VI,
- [2]. Meringer and C. Mayer (1948). A study on Mistakes in Speech and Reading, p-72
- [3]. Ernest Jones, (1953). The Life and Work of Sigmund Freud , vol -1, Basic Books,
- [4]. Brown, J.W. (1969). Brown's syndrome. Described in Illustrated Dictionary of Eponymic Syndromes and Diseases and their Synonyms Saunders, Philadelphia.
- [5]. Wilhelm Stekel (1950). "The Doubt", Compulsion and Doubt (London: Peter Nevill, 1950)

## काव्य-शब्दशास्त्रयोः ध्वनिसिद्धान्तविमर्शः



रामकुमारी

अतिथि प्राध्यापिका,

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,

उज्जैन (मध्यप्रदेशः), भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 137-144

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

**सारांशः-** शब्दसाध्वसाधुप्रतिपादकं शास्त्रं शब्दशास्त्रम् आहोस्वित् पदशास्त्रम् व्याकरणशास्त्रमिति वा। साहित्यस्य काव्यस्य वा तत्त्वप्रतिपादकं शास्त्रं साहित्यशास्त्रं काव्यशास्त्रं वेत्ति। ध्वनितत्त्वविषयकविचारः न केवलं साहित्यशास्त्रे विवेचिताः, अपितु वेदाङ्गेषु, उपनिषत्सु दर्शनशास्त्रेषु च अवलोकनेन सर्वत्र दरिदृश्यते।

**मुख्यशब्दः-** काव्यशब्दशास्त्रः, ध्वनिसिद्धान्तः, विमर्शः।

शब्दसाध्वसाधुप्रतिपादकं शास्त्रं शब्दशास्त्रम् आहोस्वित् पदशास्त्रम् व्याकरणशास्त्रमिति वा। साहित्यस्य काव्यस्य वा तत्त्वप्रतिपादकं शास्त्रं साहित्यशास्त्रं काव्यशास्त्रं वेत्ति। ध्वनितत्त्वविषयकविचारः न केवलं साहित्यशास्त्रे विवेचिताः, अपितु वेदाङ्गेषु, उपनिषत्सु दर्शनशास्त्रेषु च अवलोकनेन सर्वत्र दरिदृश्यते। परञ्च व्याकरणशास्त्रे ध्वनिविषयकविहितविचारः सर्वेषु शास्त्रेषु प्रमाणभूतः परमसिद्धान्तभूतश्चायतो 'सर्वशास्त्रोपकारकं व्याकरणमिति'। ध्वनिप्रतिपादकः ध्वन्यालोके ध्वनितः आनन्दवर्धनाचार्यः-

**वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्।<sup>1</sup>**

**पदमञ्जरीकारा हरदत्तमिश्रा अप्यवोचन् -**

**उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्।**

**प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्॥<sup>2</sup>**

**पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते।<sup>3</sup>**

व्याकरणशास्त्रे न केवलं शब्दतत्त्वानि निहितानि विवेचिनी च, अपि च दार्शनिकतत्त्वानि, काव्यशास्त्रस्य प्रमेयभूताः रसोलङ्कारध्वनिसिद्धान्ताः इत्यादयः अनुसन्धेयविषयाः शास्त्रीयरीत्या विवेचिताः।

**किन्नाम ध्वनिरिति? कश्च व्युत्पत्तिः?**

'ध्वनि' शब्दोऽयं 'ध्वन शब्दे' इत्यस्माद् धातोः 'खनिकष्यञ्ज्यसि वसि वनिसनि ध्वनिग्रन्थि चरिभ्यश्च'<sup>4</sup> इति सूत्रेण 'इ' प्रत्ययेनैव सिद्धयति।

ध्वनिपदमिदम् अनेकार्थवाचकम्। तद्यथा-

1. ध्वनतीति ध्वनिरिति कर्तृव्युत्पत्त्या व्यञ्जकशब्दे।
2. ध्वन्यते इति ध्वनिरिति कर्मव्युत्पत्त्या व्यञ्जनाशक्तेर्वाचकम्।
3. ध्वननं ध्वनिरिति भावव्युत्पत्त्या रसादिप्रतीतिरर्थः।
4. ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिरिति अधिकरणव्युत्पत्त्या उत्तमकाव्यमर्थः।

**काव्यशास्त्रदृष्ट्या ध्वनिविमर्शः-**

साहित्यशास्त्रे रसालङ्काराः, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्यविचारादिप्रमुखविषयाः सन्तीति। काव्याभिलाषिणाम् काव्यजिज्ञासूणाञ्च कृते काव्याचार्याः वादप्रतिवादर्ूपेण स्वप्रतिभाकौशलैः काव्यालङ्कारादिविषयाः लौकिकोदाहरणैः दृष्टान्तैश्च प्रतिपादिताः। एतेषु विषयेष्वन्यतमः विषयः अन्यतमः वादः सिद्धान्तो वास्ति ध्वनिसिद्धान्तः। ध्वनिसिद्धान्तोऽयमतीव रमणीयः गहनीयः वर्तते।

साहित्यदर्पणे तस्य लक्षणं प्रोवाच-

**"वाच्यातिशायिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्"<sup>5</sup>**

वस्तुतस्तु ध्वनति व्यञ्जनया रसादीन् प्रत्यायतीति ध्वनिः शब्दार्थसमुदाय इत्यर्थः।

यत्र वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्याधिकचमत्कारिता, 'ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः' इति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम्।

यथा-

**कदली कदली करभः करभः, करिराजकरः करिराजकरः।**

**भुवनत्रितयेऽपि विभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः॥**

इत्यत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिता जाड्यादिगुणविशिष्टकदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति, जाड्यातिशयश्च व्यङ्ग्यः। अत्र वाच्यात् कदल्याद्यर्थं विशेषाद् अधिकचमत्कारी जाड्यातिरूपोऽर्थः, इति ध्वनिर्नामोत्तमम् काव्यमिदम्।

अथ च

**यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।**

**व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरभिः कथितः॥<sup>6</sup>**

यत्र=यस्मिन् काव्ये,वाक्ये,रचनायां वा,अर्थः शब्दो वा वाच्यः वाचको वा उपसर्जनी-कृत स्वार्थो -  
उपसर्जनीकृतः=गौणीकृतः,स्वात्मा=वाचकः अर्थश्च =वाच्यश्च येन सः तमर्थम्=वाच्यभिन्नमर्थम्,  
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इत्यनया कारिकयाऽभिहितं प्रतीयमानार्थम् व्यक्तः=प्रतीतिविषयीकृतः स=काव्यविशेषः  
ध्वनिरिति=ध्वनि-नामधेयः,सूरिभिः=बुधैः वैयाकरणैः,काव्यतत्त्वविद्भिः वा कथितः=अभिहितः।  
स्वश्च अर्थश्च इति स्वार्थो।वाच्यवाचकौ व्यंग्यार्थोपकारकत्वात्,गुणीकृत्य व्यंग्यार्थं बोधयतःइत्यत्र तात्पर्यः  
पर्यवसितः।शब्दश्चार्थश्च व्यङ्ग्यार्थं बोधयत इति ग्रन्थकर्तुराशयः स्वार्थो अप्रधानं कृत्वा इति। अप्रधानोपसर्जने  
इत्यमरः।

तदुक्तं साहित्यदर्पणे-

शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः।

एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता॥

मम्मटाचार्यानुसारम्-

"इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः॥"<sup>7</sup>

पण्डितराजजगन्नाथमतानुसारम्-

'शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ

कमप्यर्थमङ्कारस्तदाद्यामिति'<sup>8</sup>

'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' इति व्यवहारादथ च काव्यस्यात्मा च एवार्थः<sup>9</sup>।शब्दार्थशरीरन्तावत् काव्यमिति यत्र  
काव्यव्यवहारः प्रसिद्धः तत्र शरीरत्वे सति तस्मिन् चैतन्यलावण्यादिप्रतीतौ काव्यस्य आत्मा अपि वक्तव्यमिति। अत  
एवोच्यते काव्यस्यात्मा इति।काव्यशरीरस्य आत्मतत्त्वं नाम।स एव व्यञ्जनागम्य एव अर्थः। तदेव स्फोटयति -तथा  
चादिकवेः पुराः।

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुराः।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः॥<sup>10</sup>

पुरा आदिकविवाल्मीकिः नित्यकर्मनिवृत्तये गच्छन् केनचित् व्याधेन व्यापाद्यमान क्रौञ्चद्वन्द्वमध्ये एकं ददर्श,तदैव  
अपरया क्रौञ्चा वियोगजन्यकरुणस्थायिभावं शोकं सहदतयाऽसह्यमान सहसा व्याधं शशाप-

मा निषाद!प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा।

यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥<sup>11</sup>

तदेव लौकिकसाहित्यस्यादिभूतं अनुष्टुब्धन्दबद्धं सहसा स्फुरितं काव्यरत्न कवितारूपेण बहिरागतः। सोऽयं  
प्रतीयमानार्थरूपः करुणरसस्य स्थायिभावश्श्लोकः।

तदेव ध्वनिकारेण प्रथममेवोक्तम् प्रतीयमानमित्यादिना-

## प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु।<sup>12</sup>

कर्मव्युत्पत्त्यानुसारेण ध्वन्यते यः सः ध्वनिरिति ध्वनिपदाभिधेयो व्यङ्ग्यार्थः काव्यस्यात्मा इति ध्वनिकाराभिप्रायेण सिद्धम्। अयमेव सिद्धान्तश्चापि।

तत्र ध्वनिः द्विविधः-

एकः लक्षणामूलः, अपरः अभिधामूलः। तत्र विवक्षिताविवक्षितादि नैकैः भेदोपभेदाः सन्तीति।

शब्दशास्त्रदृष्ट्या ध्वनिविमर्शः 'ध्वनिः' शब्दस्य प्रयोगः महाभाष्यकारः शब्दानुशासनमिति उपदेशप्रसङ्गे पस्पशान्हिके 'कस्तर्हि शब्दः?' इति प्रश्नोत्तरपक्षं समादधति-

"प्रतीतपदार्थको ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तद्यथा -शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः। शब्दकार्यं माणवकः इति ध्वनिकुर्वन्नेवमुच्यते। तस्माद् ध्वनिः शब्दः।<sup>13</sup>

\*वैयाकरणनये ध्वनिप्रकारः\*

तत्र तावच्छब्दो द्विविधः स्फोटो ध्वनिश्च<sup>14</sup>। ध्वनिरपि द्विविधः प्राकृतो वैकृतश्च। तत्र प्राकृतो नाम येन विनाऽभिव्यक्तं स्फोटस्वरूपं न परिच्छिद्यते। विकृत एव वैकृत इति प्रज्ञादित्वात् स्वार्थेऽण् प्रत्ययः। प्राकृतेन ध्वनिनाऽस्फोटरूपं येन ध्वनिना प्रचितप्रचिततरं कालं पुनः पुनरिविच्छेदेनोपलभ्यते स वैकृतः। यावदयं ध्वनिर्नोपरमति तावदुपलभ्यते स्फोट इति हि स्थितिः। तदुक्तम्-

शब्दस्यग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते।

वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते।।

प्राकृतध्वनिं विना स्फोटः सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा न भासते। अयमेव ह्रस्वदीर्घप्लुतादिव्यवहारहेतुरिति प्राकृतध्वनिगतकालभेदः प्राकृतध्वन्यभिन्नत्वेन स्फोटे प्रतीयते। वैकृतध्वनिस्तु प्राकृतध्वनिप्रतीतं स्फोटमुत्तरकालं स एवायमित्यनेन चिरकालमुपलभ्यति। वैकृतध्वनिभिः स्फोटो न भिद्यते।

तदुक्तम्-

शब्दस्योर्ध्वमिव्यक्तेर्वृत्तिभेदे तु वैकृताः।

ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते।।<sup>15</sup>

तिसृषु वृत्तिषु समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति, स्फोटस्तु तैर्न भिद्यत इति तदर्थः।

अनयोर्ध्वन्योः शब्दोत्पत्तेः प्राग्यानि कम्पनानि भवन्ति, तानि प्राकृतध्वनेः भवन्ति, भवन्ति च शब्दोत्पत्तेः पश्चाद्यान्यनुरणनानि, तानि वैकृतध्वनेरिति विद्वद्भिर्विभावनीयम्।

यथा- केनचित् घटमानयेति वैखरीनादः प्रयुक्तः, सः केनचिच्छ्रोत्रेन्द्रियेण गृहीतः स नाद इन्द्रियद्वारा बुद्धिहृद्गतस्सन्नर्थकबोधकं शब्दं स्वनिष्ठकत्वादिना व्यञ्जयति तस्मादर्थबोधः। स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति व्युत्पत्त्या स्फोटः।

उच्चारयितुस्तु युगपदेव मध्यमावैखरीभ्यां नाद उत्पद्यते। तत्र वैखरीनादो वहेः पूत्कारादिवन्मध्यमानादोत्साहकः मध्यमानादस्फोटं व्यञ्जयतीति शीघ्रमेव ततोऽर्थबोधः। परस्य विलम्बेनानुभवसिद्धत्वात्। अतएव श्रोत्रोपलब्धिबुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः॥<sup>16</sup>

\*स्फोटध्वन्योः सम्बन्धः\* ध्वनिः स्फोटाभिव्यक्तौ निमित्तः।

\*यथोक्तं-\*

द्वावुपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदोविदुः।

एको निमित्तः शब्दानामपरेऽर्थे प्रयुज्यते॥<sup>17</sup>

अभिव्यक्तिवादिनः इत्थं प्राह-

इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्यैवोभयस्य च।

क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोभिव्यक्तिवादिनाम्॥<sup>18</sup>

अत्र त्रयवादाः इत्थं विद्वद्भिः क्रियते-

- ध्वनिभिः इन्द्रियस्यैव नाम श्रवणेन्द्रियस्य संस्कारः क्रियते येन कर्णेन्द्रियः शब्दग्रहणयोग्यतां दधाति स्फोटः अभिव्यक्तश्च भवतीति प्रथमं मतम्।
- ध्वनिभिः शब्दस्यैव संस्कारः क्रियते येन शब्दस्य ग्राह्यत्वशक्तिः उद्बुद्धा भवति। स च शब्दः इन्द्रियग्राह्यः भवतीति द्वितीयं मतम्।
- ध्वनिभिः शब्दस्य इन्द्रियस्य च उभयोः संस्कारः क्रियते यथा चक्षुषा रूपग्रहणे तेजसा द्वयोरपि संस्कारः क्रियते इति तृतीयं मतम्।

ध्वनेः ग्रहणविषयेऽपि वाक्यपदीयकारः इत्थं प्रोवाच-

स्फोटरूपाविभागेन ध्वनिर्ग्रहणमिष्यते।

कैश्चित् ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकल्पितः॥<sup>19</sup>

अर्थात्

1. स्फोटस्वरूपात् अविभागेन
2. ध्वनिः स्फोटस्य उपलब्धौ असंवेद्यः
3. ध्वनिः स्फोटस्य उपलब्धौ स्वतन्त्रः

शब्दानित्यत्ववादिनां मते स्फोटनादयोः स्वरूपम्

यः संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते।

सः स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः॥

वैयाकरणनये यः प्राकृतः सः तार्किकमते स्फोटः, यश्च वैकृतः स तर्के ध्वनिः उच्यते। तदेवं तार्किकानुसारं स्फोटध्वन्योः जन्यजनकभाव सम्बन्धः। जन्यो ध्वनिः, जनकश्च स्फोटः।<sup>20</sup>

### \*स्फोटवादः\*

शब्दशास्त्रे नैकेषु सिद्धान्तेष्वन्यतमः सिद्धान्तः भाषाविज्ञानस्य चोद्धारकः मूलसिद्धान्तः स्फोटायनाचार्येण<sup>21</sup> प्रवर्तितः स्फोटवादः।

### \*स्फोटस्वरूपम्\*

- स्फुट्यते ध्वनिना अभिव्यज्यते इति कर्मव्युत्पत्त्या स्फोटः।
- स्फुट्यर्थोऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या च घञन्तः स्फोटशब्दः निष्पद्यते।
- ध्वनिव्यङ्ग्यत्वे सति अर्थविषयकबोधजनकत्वं स्फोटः।
- वर्णातिरिक्तो वर्णाभिव्यङ्ग्योऽर्थप्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोटः। अर्थात् यद्वलादर्थप्रतीतिः सः स्फोटः।

### अयं स्फोटः अष्टविधः-

अष्टविधस्फोटात्मको शब्दो वृत्त्याश्रयः। तत्र वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटस्त्रिधा। तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षोढा। अखण्डपदस्फोटोऽखण्डवाक्यस्फोटश्चेति संकलनयाऽष्टौ स्फोटाः।<sup>22</sup>

तथा हि-

1. वर्णस्फोटः
2. पदस्फोटः
3. वाक्यस्फोटः
4. वर्णजातिस्फोटः
5. पदजातिस्फोटः
6. वाक्यजातिस्फोटः
7. अखण्डपदस्फोटः
8. अखण्डवाक्यस्फोटः

एतेषु वाक्यस्फोटो मुख्यः, तस्यैव लोकेऽर्थबोधकत्वात्तेनैवार्थसमाप्तश्चेति। तदाह न्यायभाष्यकारः-

पदसमूहो वाक्यामर्थसमाप्तौ इति।<sup>23</sup>

स्फोटस्याखण्डत्वपक्षमाह हरिः-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न श्रन।<sup>24</sup>

वाणीभेदः -

कोऽयं स्फोटः इति जिज्ञासायामुच्यते- चतुर्विधा<sup>25</sup> हि वागस्ति।

1. परा
2. पश्यन्ती
3. मध्यमा
4. वैखरी

परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।

हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।।

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः।

मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।।

परा-

पवनसंस्कारीभूता मूलाधारस्था शब्दब्रह्मरूपा स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी परा वागुच्यते।

पश्यन्ती- ततः नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती वागुच्यते।

मध्यमा - ततो हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचकस्फोटरूपा श्रोतग्रहणयोग्यत्वेन सूक्ष्मजपादौ बुद्धिनिर्गाह्या मध्यमा वागुच्यते।

वैखरी -तत आस्यपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनोर्ध्वमाक्रामता च मूर्धानमाहत्य परावृत्य च ततस्थानेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि ग्राह्या वैखरी वागुच्यते। एवं रीत्या व्याकरणशास्त्रे साहित्यशास्त्रे च ध्वनिसिद्धान्तः प्रतिपादितः। उभयोः प्रयोजनं तु धर्मार्थकाममोक्षेति चतुर्विध पुरुषार्थः प्राप्तिः आनन्दप्राप्तिः ब्रह्मानन्दावाप्तिश्च।

सन्दर्भाः-

1. ध्वन्यालोकः, आचार्य विश्वेश्वरः, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी
2. वाक्यपदीयम्
3. वाक्यपदीयम्, 1.14
4. उणादिकोषः, 4.140
5. साहित्यदर्पणः, 4.23, व्याख्याकारः-शालिग्राम, प्रकाशनम्, मोतीलाल बनारसीदास
6. ध्वन्यालोकः, 1 कारिका- 13
7. काव्यप्रकाशः, कारिका-4, आचार्य विश्वेश्वरः
8. रसगङ्गाधरः, 1 सूत्रम्-2
9. ध्वन्यालोकः, कारिका-5
10. ध्वन्यालोकः, 1 कारिका-5
11. वाल्मीकिरामायणम्, 1.1
12. ध्वन्यालोकः, प्रथम. कारिका. 4

13. महाभाष्यम्, पस्पशान्हिके
14. वैयाकरणसिद्धान्तदिग्दर्शनम्, डॉ. बोधकुमारझा:
15. वाक्यपदीयम्, कारिका 1.77
16. वर्णोच्चारणशिक्षा
17. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, का.43
18. वाक्यपदीयम्, ब्रह्म. का.78
19. वाक्यपदीयम्, ब्रह्म. का.80
20. वैयाकरणसिद्धान्तदिग्दर्शनम्
21. अष्टाध्यायी, 6.1.123
22. परमलघुमञ्जूषा, प्रो. बोधकुमार झा
23. तदेव
24. वाक्यपदीयम्, ब्रह्म. का.73
25. वैयाकरणसिद्धान्तदिग्दर्शनम्

**अन्यसहायकग्रन्थवेबसाइटपत्रपत्रिकासूची-**

1. पाणिनीय शब्दानुशासनम्, सम्पादकः-सत्यानन्दः वेदवागीशः
2. विद्यारश्मिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, मुम्बई
3. वैयाकरणभूषणसारः, बालकृष्ण पंचोली
4. Sanskrit.nic.in

## हिन्दू विधि (लॉ) के प्राचीन स्रोत के रूप में श्रुतियों और स्मृतियों का महत्त्व



डॉ. सर्वेश कुमार  
असिस्टेंट प्रोफेसर,  
संस्कृत विभाग,  
के.एन.आई.पी.एस.एस.,  
सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 145-150  
Publication Issue :  
September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Oct 2020  
Published : 20 Oct 2020

**सारांश** – हिन्दू विधि एक-दो सदी में विकसित होने वाली विधि नहीं है। बल्कि यह काल के प्रवाह के साथ वैदिक युग से निरन्तर चली आ रही प्रक्रिया है। समाज में होने वाले बदलाव और सामाजिक आवश्यकतानुरूप इसमें अनेकानेक परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान हिन्दू विधि के संहिताबद्ध हो जाने पर भी कुछ विषयों (जो आज भी असंहिताबद्ध हैं) के सन्दर्भ में आज भी स्मृतियाँ और टीकायें प्रामाणिक बनी हुयी हैं।

**मुख्य शब्द** – हिन्दू विधि, श्रुति, स्मृति, प्रथा, सामाजिक, वेद।

हिन्दू विधि का उद्भव वैदिक काल से ही माना जाता है। विधि का कार्य सामाजिक आवश्यकताओं और ध्येयों की पूर्ति करना है, यह अनिवार्य है कि विधि बदलती सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो। हिन्दू-विधि-व्यवस्था की श्रेष्ठता इसी में रही है कि बदली हुई समाज व्यवस्था के साथ-साथ इसका प्रवाह बदलता रहा है।

हिन्दू-विधि का प्रथम स्रोत वेद-वेदाङ्ग एवं उपनिषद् हैं। विधि शास्त्र में हिन्दू-विधि को ईश्वर प्रदत्त अर्थात् ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिये गये आदेश और उपदेश के रूप में माना गया है। गौतम ने "वेदो धर्ममूलम् तद्विदां च स्मृतिशीले।"<sup>1</sup> कहकर स्पष्ट रूप से वेद को ही प्राथमिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। ध्यातव्य है कि वेद को धर्म का मूल मानने के पीछे का कारण वेद का अपौरुषेय होना है। स्मृतियाँ भी वेद पर आधारित होने के कारण प्रमाण हैं।

लौकिक विधियों यथा- उपनयन, शिक्षा, समावर्तन, विवाह, न्याय आदि के लिये समाज को आधार माना गया है। उनसे सम्बन्धित विधियों को आचार्यों द्वारा समय-समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित एवं व्यवस्थित किया जाता था। ये विधियाँ न तो सार्वकालिक होती थीं और न ही सार्वभौमिक। सामयाचारिक होने के कारण इनमें समय-समय पर देश-काल, परिस्थिति आदि के आधार पर परिवर्तन होते रहते थे। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में विधियों को निर्धारित करने वाले धर्मसूत्रों, धर्मप्रश्नों, स्मृतियों, पुराणादि ग्रन्थों की एक लम्बी शृंखला हो गयी है।

गौतम ने तो कृषक, व्यापारी, गोपालक, महाजन और शिल्पी को भी अपने-अपने वर्ग में प्रमाण स्वीकार किया है।<sup>2</sup> बौधायन तथा वशिष्ठ ने श्रुति और स्मृति के अभाव में शिष्ट जनों के आचरण, देश, जाति और कुल को भी प्रमाण माना है—

उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम् । स्मार्तो द्वितीयः । तृतीयः शिष्टागमः ।

तत्र तत्र देशप्रमाण्यमेवस्यात् ।<sup>3</sup>

श्रुतिस्मृतिनिहितो धर्मः । तदलाभेशिष्टाचारः प्रमाणम् ।

देशधर्मजातिधर्मकुलधर्मान्श्रुत्यभावादब्रवीन्मनुः ।<sup>4</sup>


आगे चलकर स्मृतिकार मनु ने वेद, स्मृति तथा श्रेष्ठ जनों के आचरण के अतिरिक्त अन्तरात्मा की प्रसन्नता (स्वयं का अभीष्ट आचरण) को भी विधि का स्रोत माना है। इस तरह जिन विषयों के सम्बन्ध में वेदादि ग्रन्थों में उल्लेख नहीं किया गया था, उन विषयों के सन्दर्भ में मनु ने व्यक्ति के अन्तरात्मा की प्रसन्नता को विधि का स्रोत मानकर इसे अत्यन्त व्यापक बना दिया है—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ।<sup>5</sup>

याज्ञवल्क्य के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार, जो स्वयं को उचित लगे तथा सम्यक् संकल्पों से उत्पन्न इच्छाएँ ये पाँचों हिन्दू-विधि के स्रोत हैं।<sup>6</sup> इन सभी के द्वारा धर्म-निर्णय न हो पाने की दशा में 'दशावरा परिषद्' को भी प्रमाण माना गया है। इन्हीं कारणों से विधि शास्त्री पारस दीवान ने हिन्दू विधि के स्रोतों को दो भागों में बाँटकर अध्ययन किया है<sup>7</sup>—

### हिन्दू विधि के स्रोत



हिन्दू विधि के इन स्रोतों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है—

#### मूल स्रोत (प्राचीन स्रोत)

**श्रुति** — 'श्रुति' का शाब्दिक अर्थ है— श्रवण किया हुआ। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि-मुनियों ने श्रवण की और हमें दी, श्रुति कहलाती है। श्रुति का ही दूसरा नाम वेद है। वेद चार हैं— ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ही प्राचीनतम और मुख्य वेद है, जिसमें व्यावहारिक विधि का आभास मिलता है। सामवेद केवल मन्त्र और प्रार्थना आदि का ही उल्लेख करता है। जहाँ तक यजुर्वेद का प्रश्न है इसमें यज्ञ, हवन आदि प्रक्रियाओं का उल्लेख है और अथर्ववेद में मन्त्र द्वारा सांसारिक सुख प्राप्त करने का प्रयास उल्लिखित है। इस प्रकार व्यावहारिक हिन्दू विधि का उल्लेख

केवल ऋग्वेद में मिलता है। इसमें तीन प्रकार के विवाह— ब्रह्म, असुर और गन्धर्व का उल्लेख है और पुत्र एवं पुत्राधिकार के सम्बन्ध में भी प्रावधान हैं।

ऋग्वेद में आर्य लोगों के जीवन—निर्वाह के तरीके, विचार और आचरण का वर्णन है। एक स्थान पर ऋग्वेद में लिखा है कि— जब आर्य इन्द्र की पूजा करते थे तो उससे प्रार्थना करते थे कि— “हे इन्द्र! हमें ऋत की राह पर ले चलो। वह राह जो सही राह है। जो हमारे पूर्वजों और वृहद् मानव ने बतायी है।”<sup>8</sup>

**स्मृति** — स्मृतियों के साथ विधि के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास के युग का आरम्भ होता है। इसीलिए स्मृतियों को भारतीय विधि का ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है। ‘स्मृति’ पद का शाब्दिक अर्थ स्मरण से है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने जो कुछ ऋषियों को उपदेश दिया, वह ऋषियों ने अपने शिष्यों और पुत्रों को दिया। चूँकि प्राचीन काल में लेखन का प्रचलन कम या फिर नहीं के बराबर था अतः याददाश्त के आधार पर ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक स्थानान्तरित होते रहे और इन्होंने बाद में स्मृतियों का रूप ले लिया।

प्राचीन स्मृतियों (धर्म सूत्रों) में आपस्तम्ब, गौतम, बौधायन, हारीति, कात्यायन, अत्रि, अंगरीष, बृहस्पति, पराशर, व्यास, यम, वशिष्ठ और विष्णु आदि प्रमुख ऋषियों द्वारा लिखित स्मृतियाँ हैं। वहीं आधुनिक स्मृतियों में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर आदि प्रमुख स्मृतियाँ हैं—

(i) **मनुस्मृति** — मनुस्मृति के आठवें अध्याय में व्यवहार यानि हिन्दू विधि को अट्टारह विषयों में विभाजित करते हुए दीवानी और आपराधिक विधि को अलग—अलग बताया गया है। ये अट्टारह विषय निम्न हैं—

1.	कर्ज की वसूली	2.	धरोहर और गिरवी
3.	स्वामित्व बिना विक्रय	4.	भागीदारी के सम्बन्ध
5.	दान	6.	मजदूरी का भुगतान न होने पर
7.	अनुबन्ध की अनुपालना	8.	क्रय—विक्रय का निरसन
9.	स्वामी—सेवक के बीच विवाद	10.	सीमा से सम्बन्धित विवाद
11.	प्रहार	12.	मनहानि
13.	चोरी	14.	दंगा एवं लूटपाट
15.	जारता	16.	पति—पत्नी के कर्तव्य
17.	विभाजन	18.	जुआ, शर्त आदि

मनुस्मृति में दण्ड को विशेष महत्त्व दिया गया है और कहा गया है, राजा दण्ड व्यवस्था द्वारा ही शासन कर सकता है। राजा को विधि से ऊपर स्थान प्राप्त नहीं है, विधि सर्वोपरि है। कुछ स्थानों पर मनु ने कट्टरपंथी विचारों और सिद्धान्तों का प्रवर्तन किया है। स्त्री और शूद्रों के प्रति उनके विचार प्रायः कठोर थे। उन्हें सम्पत्ति का स्वामी भी नहीं

माना है। इस प्रकार यद्यपि मनुस्मृति के कुछ प्रावधान संकुचित और अव्यावहारिक हैं किन्तु वह मूल हिन्दू विधि की प्रथम दिग्दर्शिका है, इस बात में कोई सन्देह नहीं है।

(ii) **याज्ञवल्क्य स्मृति** – याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक संश्लेषणात्मक, संक्षिप्त, उदार और युक्ति-युक्त है। इसमें स्पष्ट रूप से हिन्दू विधि के सिद्धान्त और नियमों की विवेचना की गयी है। यह स्मृति शूद्र और स्त्रियों के प्रति भी उदार है और उन्हें सम्पत्ति पर सीमित स्वामित्व का अधिकार भी देती है।

**टीका एवं निबन्ध** – हिन्दू विधि के विकास में भाष्य, निबन्ध एवं टीकाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियों में निर्धारित विधि के नियम और सिद्धान्त कहीं-कहीं अस्पष्ट थे और किन्हीं विषयों पर उनका नितान्त अभाव था। यही नहीं एक स्मृति दूसरी से भिन्न थी और कभी-कभी एक ही विषय पर विपरीत नियम प्रतिपादित करती थी।<sup>9</sup> कभी-कभी एक ही स्मृति में विरोधात्मक निर्णय थे, अतः यह आवश्यक था कि विधिक नियमों, सिद्धान्तों और संस्थाओं का विश्लेषण किया जाय, उन्हें आत्मसात किया जाय और सुव्यवस्थित रूप दिया जाय। यही कार्य टीकाकारों और निबन्धकारों ने किया।

मनुस्मृति पर मेधातिथि, गोविन्दराज, उल्लूकभट्ट, असहाय और विष्णु स्वामी ने टीकायें लिखी हैं, इनमें उल्लूकभट्ट की टीका हिन्दू विधि के नियमों की व्याख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी बालक्रीड़ा (विश्वरूप), अपरादित्य (अपरा), वीरमित्रोदय (मित्रमिश्र), मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर) आदि टीकायें लिखी गईं। इन टीकाओं में ग्यारहवीं सदी में लिखी गई विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा टीका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बंगाल और असम के कुछ भागों को छोड़कर अधिनियमित हिन्दू-विधि से पूर्व मिताक्षरा विधि ही लागू थी। प्रिवी कौंसिल ने बुधासिंह बनाम ललतुसिंह<sup>10</sup> के वाद में मिताक्षरा को हिन्दू-विधि की व्याख्या का मूल ग्रन्थ माना है।

**परम्परा और प्रथा** – हिन्दू विधि का चौथा प्राचीन स्रोत परम्परा है। कहीं-कहीं इसे सदाचार भी कहा गया है। कौटिल्य ने इसको चरित्र नाम दिया है। परम्परा वे नियम हैं जो किसी विशेष परिवार या प्रदेश में लम्बे समय से रीति के रूप में पालन की जा रही हैं और जिसने विधि की शक्ति प्राप्त कर ली है।<sup>11</sup> एक मान्य परम्परा जो विधि का स्थान लेना चाहती है, के लिए निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है—

1. परम्परा प्राचीन होनी चाहिए
2. परम्परा के पालन में निरन्तरता होनी चाहिए
3. परम्परा निश्चित होनी चाहिए
4. परम्परा युक्तिसंगत होनी चाहिए
5. परम्परा में नैतिकता होनी चाहिए
6. परम्परा लोकनीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए
7. परम्परा विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए

**आधुनिक स्रोत** – हिन्दू विधि के वर्तमान स्रोत हैं – साम्या, न्याय, सु-आत्मा, पूर्वनिर्णय और विधान। इनका क्रमशः विवेचन इस प्रकार है—

**साम्या, न्याय और सु-आत्मा** – सन् 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट और उसके अन्तर्गत पारित 1774 के चार्टर एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया था कि यदि भारत में हिन्दू या मुस्लिम विधि के अन्तर्गत किसी विषय पर प्रचलित नियम नहीं मिल रहे तो न्यायालय साम्या, न्याय और स्वविवेक के आधार पर उस विषय पर निर्णय

दे सकता है। उदाहरण के लिए हिन्दू वसीयत अधिनियम 1870 से पूर्व प्राचीन शास्त्रिक हिन्दू-विधि में किसी हिन्दू द्वारा अपनी सम्पत्ति का वसीयत से हस्तांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी हिन्दू द्वारा अपनी सम्पत्ति को वसीयत से हस्तांतरित करने पर प्रिवीकौंसिल ने जितेन्द्र मोहन टैगोर बनाम ज्ञानेन्द्र मोहन टैगोर<sup>12</sup> के वाद में वैध माना था। गौतम स्मृति से भी यह आभास मिलता है कि जहाँ किसी विषय पर दस गणमान्य व्यक्ति अपना एक ही मत दें तो उसे उचित और स्वीकार्य माना जाय।<sup>13</sup>

बृहस्पति के अनुसार भी कोई निर्णय केवल शास्त्र के नियमों के अनुसार देना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो निर्णय युक्तिहीन हैं उससे न्याय का हनन होता है।<sup>14</sup> याज्ञवल्क्य का भी मानना है कि यदि किसी विषय पर विरोधाभासी नियम हो तो उस विषय पर निर्णय द्वारा युक्ति देना चाहिए। इसी प्रकार कात्यायन का भी कथन है कि न्याय और युक्ति के प्रतिकूल कुछ भी मान्य नहीं होना चाहिये।

स्पष्ट है कि न्याय और युक्ति का सिद्धांत न केवल विधि की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिये किया गया है, बल्कि न्याय, युक्ति और सद्भावना के प्रतिकूल शास्त्रीय विधि के नियमों के अपखंडन के लिये भी किया गया है। इस सिद्धांत का प्रयोग विधि के कठोर नियमों की कठोरता को कम करने के लिये भी किया गया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विधान किया है कि हिन्दू-विधि में किसी नियम के अभाव में न्यायालय किसी भी वाद पर साम्या, न्याय और सु-आत्मा के अन्तर्गत निर्णय दे सकता है, यदि ऐसा करना हिन्दू विधि के किसी सिद्धांत के प्रतिकूल न हो।<sup>15</sup>

**पूर्व निर्णय** – न्यायिक निर्णय का यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे (अनु. 141) केवल उच्चतम न्यायालय ही अपने पूर्व निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह अनु. 137 के तहत अपने निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। वर्तमान में सभी निर्णयों को लिखित रूप में देने तथा उसे संरक्षित रखने की व्यवस्था है।

**विधायन** – विधायन हिन्दू-विधि का आधुनिक स्रोत है। स्वतंत्रता के बाद हिन्दू-विधि जो कि प्रमुखतः असंहिताबद्ध थी, प्रमुख विषयों पर अधिनियमों द्वारा संहिताबद्ध कर दी गयी। यथा- हिन्दू-विवाह अधिनियम, 1955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956; हिन्दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 1956; दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961; पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिन्दू उत्तराधिकार संसोधन अधिनियम, 1905; हिन्दू-विवाह मान्यता अधिनियम, 1950 के तहत अन्तर्जातीय विवाह को मान्य किया गया। इस प्रकार हिन्दू-विधि के विविध स्रोत हैं जो हिन्दू विधि को एक दृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

**निष्कर्ष** रूप में हम कह सकते हैं कि हिन्दू विधि एक-दो सदी में विकसित होने वाली विधि नहीं है। बल्कि यह काल के प्रवाह के साथ वैदिक युग से निरन्तर चली आ रही प्रक्रिया है। समाज में होने वाले बदलाव और सामाजिक आवश्यकतानुरूप इसमें अनेकानेक परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान हिन्दू विधि के संहिताबद्ध हो जाने पर भी कुछ विषयों (जो आज भी असंहिताबद्ध हैं) के सन्दर्भ में आज भी स्मृतियाँ और टीकायें प्रामाणिक बनी हुयी हैं।

## सन्दर्भ

- 1 गौ. धर्म. 1/1/1-2
- 2 कर्षकवणिकपशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे । गौ. धर्म. 2/2/21
- 3 बौ. धर्म. 1/1/1/1-4, 1/1/2/6
- 4 वशि. धर्म. 1/4-5
- 5 मनु. 2/12
- 6 श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्व च प्रियमात्मनः ।  
सम्यक् संकल्पः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ याज्ञ. 1/7
- 7 आधुनिक हिन्दू विधि, पारस दीवान, पृ. 11
- 8 ऋ. 8/40/1
- 9 विरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम् । जैमिनीय सूत्र 1/3/3
- 10 ए.आई.आर. 1915 पी.सी. 70
- 11 हरप्रसाद बनाम शिवदयाल (1876)3 आई.ए. 259
- 12 जितेन्द्र मोहन टैगोर बनाम ज्ञानेन्द्र मोहन टैगोर, ए.आई.आर. (1928), लाहौर 902
- 13 गौ. धर्म. 2/28/48
- 14 बृह. धर्म. 2/12
- 15 गुरुनाथ बनाम कमलाबाई (1951) । सु.को. रिपोर्ट्स 1135

## शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षकीय कौशल



डॉ. विनय कुमार  
प्राचार्य,  
त्रिवेणी कॉलेज ऑफ एजुकेशन,  
नवादा, बिहार, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 151-155

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Oct 2020

Published : 20 Oct 2020

### सारांश

शिक्षक का व्यवसायिक प्रशिक्षण कितना अहम हैं, इस ओर दवे 'शिक्षा में नवचिंतन' में जिक्र करते हैं कि टीचर प्रतिदिन अपने को नया करने तथा नए अंदाज में प्रस्तुत करने की मांग करता है। इसलिए एक टीचर को टीचिंग के लिए सदैव नवीनता की खोज करते रहना होगा। नवीनता के लिए जरूरी है कल्पना, कौतुक, जिज्ञासा और आनंददायी भावना। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षण एक आनंददायी काम है। इस आनंद का प्रतिदिन अन्वेषण करते रहना ही एक शिक्षक का कर्म और धर्म है।

**मुख्य शब्द**—शैक्षिक, गुणवत्ता, शिक्षकीय, कौशल, व्यवसायिक, कर्म, धर्म।

समाज के समुचित विकास और संवर्द्धन में जिन महत्वपूर्ण तत्वों में शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है, इनमें से कोई भी कड़ी यदि कमजोर पड़ती है तो समझना चाहिए कि समाज व देश का विकास सही और समुचित दिशा में नहीं हो रहा है। यदि उपरोक्त किसी भी एक के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि उस समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। सरकारें आती जाती हैं लेकिन प्रतिबद्धताएं, समस्याएं, चिंताएं यथावत् समाधान के इंतजार में अपनी जगह पर बरकरार रहती हैं। हमने आजादी के बाद भी यह दुहराना नहीं छोड़ा कि समाज का विकास करना है तो शिक्षा को दुरुस्त करना होगा। वह 1952 की समिति हो, 1964-66 की कोटारी आयोग की संस्तुतियां हों, 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, 1990-92 की आचार्य राममूर्ति पुनरीक्षा समिति हो, 2002 की संविधान के 86वें संशोधन के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की धारा 21 में 'ए' को शामिल करना हो आदि। इन उपरोक्त समितियों, आयोगों और घोषणाओं आदि की रोशनी में हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या हमने इन संस्तुतियों को प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ काम किया। इस बाबत जे0पी0 नाईक शिक्षा आयोग और

उसके बाद किताब में जिक्र करते हैं कि सार्जेंट रिपोर्ट ने प्रस्तावित किया था कि 6-11 वर्ष के सब बच्चों के लिए सर्वव्यापी प्रारंभिक शिक्षा 1984 तक उपलब्ध करा देनी होगी। नार्इक आगे लिखते हैं कि 6-11 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 1980-81 तक और 11-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 1985-86 तक सर्वव्यापी शिक्षा प्रदान की जाए।

हर बार सरकारों ने शिक्षा संबंधी कई सारी घोषणाएं कीं, किन्तु प्राथमिक शिक्षा की दशा दिशा अभी भी हमारे तय लक्ष्य से दूर है। यहाँ यह भी बताते चलें कि 1968 में यह बात कहीं और स्वीकारी गई थी कि 1986 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी। शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर जिस प्रकार की चिंता शिक्षा जगत में देखी सुनी जाती है वह पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक वर्ग जिस शिद्दत से गंभीर व्यावसायिक प्रशिक्षण और अंतः सेवाकालीन प्रशिक्षण की मांग करते हैं उस ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितने की दरकार है। शिक्षा आयोग और उसके बाद किताब में जे0पी0 नार्इक इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि शिक्षा के स्तर सबसे अधिक शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और योग्यता पर निर्भर करेंगे, अतः इनकी उन्नति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापकों के चयन प्रक्रिया में सुधार हो और उनके कार्य और सेवा की शर्तों को संतोषजनक बनाने का प्रयत्न किया जाए। शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुधार हो, चुने हुए केन्द्रों में शिक्षा विद्यालय स्थापित किया जाए और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय प्रणाली में समेकित किया जाए।

शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के आर्थिक मदद की जरूर पड़ती है। गौरतलब है कि 1964-66 में कोठारी आयोग ने तब सकल घरेलू उत्पाद के 6 फीसदी दिए जाने की सिफारिश की गई थी। यदि आज से 2012-13, 2013-14 और 2015-16 के बजट को देखें तो हम बामुश्किल 3 फीसदी ही शिक्षा को बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के मद में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में ऐतिहासिक कटौती की गई। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन आदि में भारी कटौती की गई। इस पहल की आलोचना शैक्षिक क्षेत्र की हुई। तमाम शिक्षाविदों, अर्थशास्त्र के जानकार मानते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की भविष्य को बेहतर बनाना है तो सरकार को शिक्षा के मद में कैंची नहीं चलानी चाहिए थी। यहां याद दिला दे तो 2000 में जब डकार में सम्मेलन हुआ जहां 1990 में घोषित सभी के लिए शिक्षा की पुनरीक्षा हो रही थी तब भारत सरकार ने कहा था कि हमें आर्थिक मदद चाहिए ताकि हम तय समय सीमा के भीतर शिक्षा के अधिकार को पूरा कर पाएं। यही वह वर्ष है जब वैश्विक स्तर पर भारत को तमाम श्रोतों से आर्थिक मदद मिलने शुरू हो गए।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ रुपए सरकार को हर वर्ष मिले। यदि इस लिहाज से देखें तो शिक्षा को उस अनुपात में सुधार नहीं हुए। आर्थिक मार झेल रही प्राथमिक शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए कई स्तरों पर योजनाएं बनाई गई। कोठारी आयोग ने कहा था कि यदि प्राथमिक शिक्षा में

गुणवत्ता सुनिश्चित करना है तो कक्षा में 25/1 यानी बच्चे और शिक्षक के अनुपात होने चाहिए लेकिन यह अनुपात सरकारी स्कूलों में अभी भी दूर की कौड़ी है। इसके पीछे के कारणों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों इस रूप से पहचान हो कि हमारे स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने का एक वैकल्पिक रास्ता यह 1990 के आसपास यह निकाला गया कि हम कम प्रशिक्षित पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, अनुबंधित शिक्षकों से कक्षा में शिक्षण का काम लेंगे। यह एक ऐतिहासिक कदम था। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा मित्रों के हवाले शिक्षा को छोड़ दिया गया। प्रो० अनिल सद्गोपाल की नजर में यह उदारीकरण और प्राथमिक शिक्षा में विश्व बैंक का प्रवेश काल था। प्रो० सद्गोपाल आगे कहते हैं कि यह एक सरकारी तंत्र को भारत की हाथों से झीन का बाजार को सौंपने से कम नहीं था। हमने अपनी शैक्षिक नीति और दिशा तय करने के लिए विश्व बैंकों को आमंत्रित किया। आज भी प्राथमिक स्कूलों में देश भर में लाखों पद खाली हैं जिन पर शिक्षा मित्र और अनुबंधित शिक्षक खट रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में इस तदर्थवादी पहल ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को खासा प्रभावित किया। शिक्षाविद् प्रेमपाल शर्मा शिक्षा-कुशिक्षा किताब में लिखते हैं कि आज प्राथमिक शिक्षा में सबसे भयावह स्थिति और बोझ समझ का तो है ही साथ भाषा के तौर पर अंग्रेजी की ज्यादा है। हमारे अधिकांश बच्चे अंग्रेजी के डर में जीवन जीते हैं। आज प्राथमिक शिक्षा यदि किसी बड़े संक्रमण काल से गुजर नहीं है तो वह भाषायी विस्थापन है। भाषायी समझ और विषयों शिक्षण में शिक्षक की अपनी तालीम काफी मायने रखता है। क्योंकि जिस तरह आज हमारे शिक्षक प्रशिक्षण पा रहे हैं वे खुद शंका के घेरे में है।

औपनिवेशिक व्यवस्था द्वारा लाए गए नौकरशाही में यह बात निहित थी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से संबंधित सारे फैसले वरिष्ठ प्रशासकों द्वारा ही लिए जाते थे। पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर नजर डालें तो पाएंगे कि शिक्षकीय भूमिका न के बराबर है। दस्तावेज तो दावा करते हैं कि शिक्षकों से राय ली गई लेकिन वास्तव में वह नक्कारखाने में तूती की तरह होती है।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सवाल को अपने समय के प्रसिद्ध हस्ताक्षरों ने दर्ज किया है। प्रो० कृष्ण कुमार ने विभिन्न पत्रों में इस मसले को उठाया है। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की प्रशिक्षणीय कौशलों और पाठ्यक्रमों पर भी विमर्श करते हैं। अपनी किताब स्कूली हिंदी में चर्चा करते हैं कि शिक्षकों की हैसियत और सामाजिक पहचान भी प्रकारांतर से उसके व्यवसाय को प्रभावित करता है। वहीं शिक्षा के नए क्षितिज किताब में रमेश दवे लिखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी का असर कहीं न कहीं गुणवत्ता पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षकों को मिलने वाली पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण उस स्तर के नहीं हैं जिसकी अपेक्षा शिक्षा शास्त्र में की जाती है। यही वजह है कि शिक्षा में जो भी गिरावट बताई जा रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही माना जाता है। जबकि इस गिरावट में शिक्षक एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि हमारी योजना, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रमों और रणनीतियों में शिक्षक

को कोई अहम भूमिका नहीं होती तो वह कैसे अपनी हैसियत और हस्तक्षेप को सुनिश्चित कर सकता है। प्रो० कृष्ण कुमार गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद में विमर्श करते हैं कि शिक्षक शिक्षा विभाग में सबसे छोटी इकाई होता है जिसकी कोई नहीं सुनता। यह सिर्फ अपनी कक्षा में निर्माता और सर्वेसर्वा होता है लेकिन समाज में उसकी हैसियत कमतर ही आंकी जाती है।

शिक्षक की गुणवत्ता और कौशल काफी हद तक कक्षायी शिक्षण को प्रभावित करता है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो प्रो० कृष्ण कुमार अपनी किबात गुलामी शिक्षा और राष्ट्रवाद में चर्चा करते हैं कि जिन कारकों ने शिक्षकों को एक कमजोर पेशागत पहचान और हैसियत बख्शी है, उनमें एक पाठ्यचर्या के मामले में उसका कोई हाथ न होना भी था। औपनिवेशिक व्यवस्था द्वारा लाए गए नौकरशाही में वह बात निहित थी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से संबंधित सारे फैसले वरिष्ठ प्रशासकों द्वारा ही लिए जाते थे। पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर नजर डालें तो पाएंगे कि शिक्षकीय भूमिका न के बराबर है। कहने को हर दस्तावेज यह तो दावा करता है कि शिक्षकों से राय ली गई लेकिन सूक्ष्मता से देखें तो पाएंगे कि वह नक्कारखाने में तूती की तरह होती है।

शिक्षक की आवाज शैक्षिक विमर्शों में नजरअंदाज ही किया गया है। वरना शिक्षकीय समूह से उठने वाली शिकायतों पर ध्यान दिया जाता। शिक्षकों का बड़ा समूह आज भी यह आरोप लगाता मिल जाएगा कि किताबें बनाते वक्त हमसे कोई नहीं पूछता। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष रामपाल सिंह का कहना है कि शिक्षा में यदि सबसे ज्यादा उपेक्षा किसी होती है तो वह प्राथमिक शिक्षक है। कोई भी प्राथमिक शिक्षा की नीति बनाने का मामला हो या किताबों का निर्माण हमें तो कमतर समझा जाता है। जितने भी शिक्षणोत्तर काम होते हैं वह प्राथमिक शिक्षकों के कंधों पर डाला जाता है। ऐसे में एक शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ाए। शिक्षकों का एक वृहद् समूह है जो पढ़ाना तो चाहता है लेकिन उसे पढ़ाने के अवसर नहीं मिलते। बाल गणना, जनगणना, बालिका गणना, भोजन वितरण, वजीफा बांटने जैसे अनुत्पादक और असृजनात्मक कामों में लगाए जाने का विरोध एक प्रतिबद्ध शिक्षक विरोध करता आया है। हालांकि डाइस की रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि पूरे साल में शिक्षकों से महज 12, 16 और 22 दिन ही इस तरह के कामों में लगाए जाते हैं लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। दर्ज न हुए कामों जो कहीं दस्तावेजों में नहीं होते, साल भर चलते रहते हैं और शिक्षक स्कूल में पढ़ाना छोड़ कर अन्य कामों में जोत दिए जाते हैं।

शिक्षण बतौर व्यवसाय चुनने वालों में लगातार गिरावट भी देखी गई है। आज के युवा जिस शिद्दत से मैनेजमेंट, आई0आई0टी0 एवं मल्टी नेशनल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए विषयों और स्कूलों का चुनाव करते हैं। शिक्षा के हिस्से में बचे हुए, छटे हुए व कहेँ जीवन की अंतिम ख्वाहिश के तौर पर मजबूरन अपनाया जाने वाला व्यवसाय के तौर पर उभरा। यही वजह कि शिक्षण कर्म में आने वाले शिक्षकों की रूचि शिक्षा में बहुत बाद में पैदा होती है। ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है जिन्होंने अध्यापन कर्म को प्रथमदृष्ट्या

चुना हो। इस पर कृष्ण कुमार लिखते हैं कि कैरियर की दृष्टि से स्कूली शिक्षण को सिर्फ वे युवक अपनाते थे, जिन्हें कोई और काम नहीं मिल सका होता था, और जब भी उन्हें किसी और काम में जाने का मौका मिलता था, मसलन किसी दफ्तरी नौकरी में, तो वे तुरंत उसमें चले जाया करते थे।

गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारणों में निश्चित तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया करीब से देखी समझी जानी चाहिए। डी पी पटनायक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाषा को दिए जा रहे महत्व की ओर सुधि पाठकों का ध्यान अपनी पुस्तिका 'शिक्षा संदर्भ और भाषा' में खींचते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को देखने से पता चलता है कि इसमें भाषा से अधिक पद्धति पर ज्यादा जोर दिया गया है। मान लीजिए कि 6 घंटों में से 2 घंटे वास्तविक भाषा के लिए है और 4 घंटे भाषा पढ़ाने की पद्धति के लिए, जिसमें भाषा की भाषा तथा अपेक्षित और बेकार की विधियों की चर्चा ही अधिक लेती है। कहना होगा कि छात्रों की कमजोरी दूर करने में अक्षम शिक्षक ही हमें शिक्षा व्यवस्था से प्राप्त होंगे।

शिक्षक का व्यवसायिक प्रशिक्षण कितना अहम है, इस ओर दवे 'शिक्षा में नवचिंतन' में जिक्र करते हैं कि टीचर प्रतिदिन अपने को नया करने तथा नए अंदाज में प्रस्तुत करने की मांग करता है। इसलिए एक टीचर को टीचिंग के लिए सदैव नवीनता की खोज करते रहना होगा। नवीनता के लिए जरूरी है कल्पना, कौतुक, जिज्ञासा और आनंददायी भावना। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षण एक आनंददायी काम है। इस आनंद का प्रतिदिन अन्वेषण करते रहना ही एक शिक्षक का कर्म और धर्म है।

## संदर्भ

1. नाईक, जे0पी0, शिक्षा आयोग
2. नाई, जे0पी0, शिक्षा आयोग
3. शर्मा, प्रेमपाल, शिक्षा, कुशिक्षा
4. कुमार, कृष्ण, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद
5. डी पी पाट्टनायक, शिक्षा संदर्भ और भाषा
6. दवे, रमेश, शिक्षा में नवचिंतन
- 7- Loyd, Les. (Ed.), Technology and Teaching, Publication Information Medford, NJ : Information Today, 1997.
- 8- <http://him.wikipedia.org>.

## कविव्यापारवक्रत्वप्रकारम्



नर्मदा बेहेरा  
शोधच्छात्रा,  
राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,  
तिरुपतिः, आन्ध्रप्रदेशः, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 156-158

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

### सारांश

वक्रोक्तिर्वचो भङ्गिमा एव । यत्र कस्मिंश्चिद् वर्ण्यविषये तस्य कस्यचिद् धर्मस्य गुणस्य वाऽतिशयनोक्तिः वैचित्र्येण विच्छित्या वा प्रतिपादनम् तत्र वक्रोक्तिः । सैषा वर्ण -पद-प्रत्यय-वाक्य-प्रकरण-प्रबन्ध भेदेन षड्प्रकारका ।

**मुख्यशब्दः**-कविः, व्यापारः, वक्रोक्तिः, भङ्गिमा, अलंकारः, सम्प्रदायः, आचार्यः।

काव्यलक्षणविषये संस्कृतज्ञानां नैकमत्यम् । यस्माद् षड् संप्रदायानाम् आविर्भावः । अलङ्कार सम्प्रदायः, रस सम्प्रदायः, ध्वनि सम्प्रदायः, वक्रोक्ति सम्प्रदायः, रीति सम्प्रदायः, औचित्यसम्प्रदायेषु एतेषु षड् सम्प्रदायेषु वक्रोक्ति सम्प्रदायः विशिष्टः प्रमुखश्च । आनन्दवर्धनाचार्यप्रतिपादितेन ध्वनिसिद्धान्तेन नैराश्याम् आप्ता अलङ्कारवादिनः अलङ्कारेषु काव्यस्य मूलतत्त्वं अन्वेषयन्तो वक्रोक्तिम् समासादयन् ।

वक्रोक्तिसिद्धान्तस्यास्य उद्भवः आचार्य भामहेन प्रारभते । भामहाभिमतेन वक्रोक्तिः सर्वालंकाररूपा । सर्वेषाम् अलङ्काराणाम् मूलमेतत् । अनयैव अर्थाभिव्यक्तिः । वक्रोक्तिरेव काव्यत्वम् सम्पादयति । सैषा सर्वालंकाररूपा । वक्रोक्तिः काव्ये समस्त सौन्दर्याभिदायिका । एवं भामहाभिमतेन वक्रोक्तिः काव्यस्यात्मा । यथा -

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ (काव्या.- 2/85)

भोजराजोपि वक्रोक्तिम् उपास्ते । वक्रोक्ति मूलकं काव्यलक्षणम् उपपादयता तेनोच्यते -

यद् वक्रम् वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत्

वक्र यदर्थवादादौ तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥ (शृङ्गारप्रकाशः)

आचार्य दण्डी काव्यं द्विधा विभजति स्वभावोक्तिः , वक्रोक्तिश्च ।

श्लेषः सर्वासु पुष्पाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

भिन्नं द्विधा समासोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्॥ (काव्यादर्शः)

वक्रोक्तेः स्वरूपम् -

उभावेतावलङ्कार्यौ तयोः पुनरलङ्कतिः।

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणिति रुच्यते॥ (वक्रोक्तिः 1.10)

वक्रोक्तिर्वचो भङ्गिमा एव । एषा वचोभङ्गिमा एव उक्तौ शोभाम् आदधाती । उक्तौ चमत्कृतेश्चरुतायाश्च सम्पादनं वक्रोक्तेरेव सम्भाव्यते । अतः वक्रोक्तिः काव्यजीवनम्। वक्रोक्तिहीनं काव्यं निर्जीवमेव। उक्ते वैचित्र्यम् चमत्कृतिर्वा वक्रोक्तिः। सैषा विशेषता काव्यप्रतिभामूलैवायत्र कस्मिंश्चिद् वर्ण्यविषये तस्य कस्यचिद् धर्मस्य गुणस्य वाऽतिशयेनोक्तिः वैचित्र्येण विच्छित्या वा प्रतिपादनं तत्र वक्रोक्तिः।

शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनि ।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी ॥

वक्र कविव्यापारशालिनि तद्विदाह्लादकारिणी बन्धे व्यवस्थितौ शब्दार्थौ काव्यमिति । कविव्यापारवक्रत्वम् षट् प्रकारकं सम्भवन्ति। यथा -

कवि व्यापारवक्रत्व प्रकाराः सम्भवन्ति षट् ।

प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोभिनः॥

कवि व्यापारवक्रत्व- प्रकाराः षट् सम्भवन्ति । तेषां प्रत्येकं बहवः भेदाः सन्ति ।

ते भेदाः यथा -

वर्णविन्यास वक्रत्वं पदपूर्वार्ध वक्रता ।

वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥

वर्णविन्यास - पदपूर्वार्ध - प्रत्ययाश्रित - वाक्य - प्रकरण - प्रबन्धभेदन षट्प्रकारकाः वक्रोक्तिः भवन्ति ।

1. वर्णविन्यासवक्रता -

वर्णविन्यासवक्रता वर्णानां विन्यासो वर्णविन्यासः अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य वक्रत्वं वक्रभावः प्रसिद्धप्रस्थान - व्यतिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबद्धः सन्निवेशविशेषविहितस्तद्विदाह्लादकारी शब्दशोभातिषयः ।

यथा -

प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभ

स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युतिः ।

प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदामुखे ,

सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृगलाञ्छनः ॥

अत्र वर्णविन्यासवक्रतामात्रविहितः शब्दशोभातिषयः उन्मिलितः।

2. पदपूर्वार्ध वक्रता -

रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि परा

मस्मद्भाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम् ।

वन्दीवैष यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणाहति

**श्रेणीभूतविशालतालविवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः ॥**

अत्र रामशब्दो लोकोत्तरशौर्यादिधर्मातिशयाध्यारोप परत्वेनोपात्तो वक्रतां प्रथयति ।

3. प्रत्ययाश्रय वक्रता - प्रत्ययः सुप्तिङ् च यस्याश्रयः स्थानं न तथोक्तः। तथापि बहवः प्रकाराः सम्भवन्ति-  
संख्या-कारक-पुरुष इत्यादयः ।

यथा - मैथिली तस्य दाराः ।

4. वाक्यवक्रता -

**वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा ।**

**यात्रालङ्कारवर्गोऽमौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति । ।**

वाक्यस्य वक्रभावः अन्यः यः सहस्रधा भिद्यते । यत्र अलङ्कारवर्गः असौ सर्वः अपि अन्तर्भवति।

**उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मी वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः ।**

**त्वमाश्रयं प्राप्य तयानुकोपात् सोढास्मि न त्वद्भवे वमन्ती ॥**

5. प्रकरणवक्रता-

**वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे यास्ति यादृशः ।**

**उच्यते सहजाहार्यं सौकुमार्यं मनोहरः ॥**

वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे यादृशोऽस्ति नाटकादौ कथ्यते । यथा - तत्र प्रकरणे वक्रभावो यथा - रामायणे मारीचमायामयमाणिक्यमृगानुसारिणो रामस्य करुणाक्रन्दकर्णकान्तरान्तःकरणया जनक राजपुत्र्या तत्प्राणपरित्राणाय स्वजीवितपरिरक्षानिरपेक्षया लक्ष्मणो निर्भत्स्य प्रेषितः ।

6. प्रबन्धवक्रता -

कुत्रचिन्महाकवि विरचित रामकथोपनिबन्धे नाटकादौ पञ्चविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरं हृदयहारी महापुरुषवर्णनमुपक्रमे प्रतिभासते परमार्थस्तु विधिनिश्चयात्मक धर्मोपदेशः पर्यवस्यति, रामवद् वर्तितव्यं न रावणावदिति।

एवं प्रकारेण वर्णविन्यास - पदपूर्वार्ध - प्रत्ययाश्रित - वाक्य - प्रकरण - प्रबन्धाश्रित भेदेन षड् प्रकारकं कविव्यापारवक्रत्वं प्रतिपादितम्।

**सहायक ग्रन्थसूची**

1. ध्वन्यालोकः - सांवीदी प्रकाशनम्, वाराणसी
2. वक्रोक्तिकाव्यजीवितम् - चौखम्भा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी
3. काव्यादर्शः - चौखम्भा प्रकाशनम्, वाराणसी
4. शृंगारप्रकाशः - सांवीदी प्रकाशनम्, वाराणसी

## पातंजल योगदर्शन में प्राणायाम का स्वरूप



डॉ० उमाकान्त यादव

प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 159-163

Publication Issue :  
September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020  
Published : 20 Sep 2020

**सारांश** – प्राणायाम मनोविरोध का अमोघ अस्त्र है जिसके माध्यम से हम मन को नियंत्रित करके अपनी प्राणशक्ति का विकास करने में समर्थ होते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि प्राण और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में से एक को भी नियंत्रित कर लिया जाय तो दूसरा स्वयं नियंत्रित हो जाता है। मन के नियंत्रित होने पर ही साधक धारणा, ध्यान एवं समाधि की ओर अग्रसर होता है। प्राणायाम से मस्तिष्क की सूक्ष्म और सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं जिसके फलस्वरूप मानस रोग यथा तनाव आदि नष्ट होते हैं। वर्तमान काल में प्राणायाम चिकित्सा के माध्यम से असाध्य रोगों का निवारण भी हो रहा है। वस्तुतः प्राणायाम से नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और रक्त संचार सभी सक्रिय हो जाते हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी सामर्थ्य बढ़ायें तथा रोग-मुक्त होकर जीवन का आनन्द लें।

**मुख्य शब्द** – प्राणायाम, योगदर्शन, पातंजल, मनोविरोध, जीवन-आनन्द, मन, मानव-शरीर।

मानव-शरीर की प्रत्येक चेष्टा एवं गति का आधार प्राण है। प्राण केवल वायु नहीं है अपितु मानव-शरीर की 'जीवनी शक्ति' है। इस जीवनी शक्ति के सम्बर्धन का सशक्त साधन 'प्राणायाम' है। इस जीवनी शक्ति के सम्बर्धन से निरोगता, ओजस्विता, तेजस्विता एवं आत्मिक बल प्राप्त होता है। साथ ही मनोबल, इच्छाशक्ति, स्फूर्ति, जागरुकता, सक्रियता एवं नवजीवन की प्राप्ति होती है। यह शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास का सर्वोत्तम साधन है।

**प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः** अर्थात् प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। यहाँ 'आयाम' पद आङ् उपसर्ग पूर्वक नियन्त्रणार्थक  $\sqrt{यम्}$  धातु से घञ् प्रत्यय संयुज्य होकर बनता है। अतः प्राणवायु को नियंत्रित

करना ही प्राणायाम है। पतंजलि ने योगदर्शन में श्वास और प्रश्वास की गति को रोकने को प्राणायाम कहा है—**तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः।**<sup>1</sup> बाह्य वायु को ग्रहण करना 'श्वास' है तथा उदरस्थ वायु का निकालना 'प्रश्वास' है। व्यास भाष्य में कहा गया है कि श्वास एवं प्रश्वास दोनों का अलग-अलग अथवा दोनों का एक साथ अभाव प्राणायाम है— **तयोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः।**<sup>2</sup>

अष्टांगयोग में 'प्राणायाम' चतुर्थ क्रमांक पर है। तृतीय क्रमांक पर 'आसन' है। अतः योगसूत्र में 'तस्मिन् सति' के द्वारा पतंजलि ने निर्दिष्ट किया है कि 'आसन' सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये। व्यास ने 'तस्मिन् सति' का भाष्य 'सति आसनजये'<sup>3</sup> किया है।

पतंजलि ने योगसूत्र के साधनपाद के 50वें सूत्र में बाह्य, आभ्यन्तर एवं स्तम्भवृत्ति इन प्राणायामों का उल्लेख किया है।<sup>4</sup> इन्हीं को सम्प्रदायविद् क्रमशः रेचक, पूरक एवं कुम्भक कहते हैं। जहाँ पर श्वास छोड़ते हुए (श्वास ग्रहण की) गति का अवरोध होता है, वह बाह्य या रेचक प्राणायाम है— **यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः।**<sup>5</sup> जहाँ पर श्वास ग्रहण करते हुए (श्वास निःसारण की) गति का अवरोध होता है, वह आभ्यन्तर या 'पूरक' प्राणायाम है— **यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यान्तरः।**<sup>6</sup> जहाँ पर श्वास और प्रश्वास दोनों की गति का अवरोध पहले ही प्रयास से हो जाता है वह 'स्तम्भवृत्ति' या 'कुम्भक' तीसरा प्राणायाम है— **तृतीयः स्तम्भवृत्तिर्यत्रोभया भावः सकृत्प्रयत्नाद्भवति।**<sup>7</sup> इस तरह हम देखते हैं कि रेचक करने से 'रेचक' पूरण करने से 'पूरक' और 'कुम्भन्' अर्थात् प्राणवायु के रोकने या पूर्ण निरोध करने से 'कुम्भक' प्राणायाम होता है।

योगदर्शन के अनुसार ये तीनों प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा परीक्षित किये जाते हैं। देश या स्थान पर्यालोचन के द्वारा हम यह आकलन करते हैं कि रेचक, पूरक या कुम्भक का देश या स्थान अभी इतना है। यह पर्यालोचन देश की कमी और अधिकता दोनों के द्वारा प्राणायाम विषयक प्रगति को सूचित करता है। इसी तरह हमने इतने क्षणों<sup>8</sup> तक प्राणायाम किया और फिर बढ़ते-बढ़ते इतने क्षणों तक हो गया, यह काल पर्यालोचन है। संख्या या गणना के द्वारा भी प्राणायाम परीक्षित होते हैं। योगवार्तिक में कहा गया है कि जहाँ मात्रा, संख्या द्वारा योग का नियमन होता है वहाँ संख्या परिदृष्ट होता है।<sup>9</sup> साँस लेने और छोड़ने से उपलक्षित समय को 'मात्रा' कहते हैं। 12 मात्राओं से परिमित पूरकादि प्राणायाम का प्रथम उद्घात होता है। इससे अधिक अर्थात् 24 मात्राओं वाले प्राणायाम से दूसरा उद्घात सिद्ध होता है। इसी प्रकार इससे भी अधिक अर्थात् 36 मात्राओं वाले प्राणायाम से तृतीय उद्घात सिद्ध होता है। व्यास-भाष्य में एक उद्घात वाले प्राणायाम को 'मृदु' दो उद्घात वाले प्राणायाम को 'मध्य' एवं तीन उद्घात वाले प्राणायाम को तीव्र कहा गया है।<sup>10</sup>

अब प्रश्न उठता है कि उद्घात क्या है? राजमार्तण्डवृत्ति में शरीर के अन्दर प्रेरित 'अपानवायु' का नाभिमूल से ऊपर उठकर शिरोभाग से टकराने को 'उद्घात' कहा गया है— **उद्घातो नाम नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोः (अपानस्य) शिरसि अभिहननम्।<sup>11</sup>**

पतंजलि ने देश, काल और संख्या परिदृष्टि के उपाय से प्रतिदिन अभ्यस्त पूरक, रेचक और कुम्भक रूपी त्रिविध प्राणायाम को दीर्घ (कालव्यापी) और सूक्ष्म (वायु संचार वाला) कहा है— **बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः।<sup>12</sup>**

योगवार्तिक में कहा गया है कि प्राणायाम देश, काल और संख्या में से किसी एक के द्वारा भी आलोचित किया जा सकता है। तीनों से या दो से अवधारण करने की आवश्यकता नहीं है—

**देशकालसंख्याभिः परिदृष्ट इत्यत्र चेच्छाविकल्प एव न तु समुच्चयः उदाहृतवसिष्ठवाक्यादौ केवलमात्रासंख्यायामपि प्राणायामदर्शनात्।<sup>13</sup>**

पतंजलि ने रेचक, पूरक एवं कुम्भक के अतिरिक्त केवल कुम्भक नामक चौथे प्राणायाम का विधान किया है। उनका कथन है कि बाह्य प्रदेश वाले अर्थात् रेचक और आभ्यन्तर प्रदेश वाले अर्थात् पूरक का अतिक्रमण करने वाला चौथा केवल कुम्भक प्राणायाम होता है।<sup>14</sup> यह प्राणायाम बहुत ही प्रयत्न या अभ्यास के बाद ही किया जा सकता है। रेचक और पूरक प्राणायामों के दीर्घ एवं सूक्ष्म रूप में सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही भूमिविजय के कारण श्वास एवं प्रश्वास की गति का पूर्ण अभाव चतुर्थ केवल कुम्भक प्राणायाम है।

हठप्रदीपिका में सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा और प्लाविनी में आठ कुम्भक प्राणायाम वर्णित हैं।<sup>15</sup> घेरण्ड संहिता में सहित, सूर्यभेद उज्जायी, शीतली भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा एवं केवली ये आठ कुम्भक प्राणायाम प्रतिपादित हैं।<sup>16</sup> इन दोनों ग्रन्थों में छः प्राणायाम समान हैं। हठप्रदीपिका में वर्णित सीत्कारी एवं प्लाविनी प्राणायाम घेरण्ड संहिता में नहीं हैं। वहाँ उनके स्थान पर सहित और केवली प्राणायाम हैं। इस तरह कुम्भक प्राणायामों की संख्या दस हो जाती है। स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थ बहिरंग योग में इनके अतिरिक्त 60 प्राणायामों का उल्लेख किया है जिनमें अग्नि, प्रदीप्त, अनुलोम—विलोम, नाडीशोधन, प्रच्छर्दन कपालभाति, सूक्ष्मनाडीशोधन आदि प्रमुख हैं। योगदर्शन में प्राणायाम का महत्त्व दर्शाते हुए कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर दूसरा तप नहीं है इससे सारे मल नष्ट हो जाते हैं और ज्ञानरूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है।<sup>17</sup>

पतंजलि ने प्राणायाम के लाभ का उल्लेख साधन पाद के बावनवें एवं तिरपनवें सूत्र में किया है। उनका कथन है कि प्राणायाम से प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा क्षीण हो जाता है— **ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्।<sup>18</sup>**

तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के ऊपर अविद्या रूपी अंधकार का जो आवरण है, उससे आत्म-प्रकाश का भान नहीं हो पाता है। जब प्राणायाम से यह आवरण नष्ट हो जाता है तो आत्मा के प्रकाश का दर्शन होने लगता है। अगले सूत्र में उनका कथन है कि प्राणायाम के अभ्यास से धारणा करने या चित्त को एकाग्र करने में साधक में विशेष योग्यता आ जाती है— **धारणासु च योग्यता मनसः**।<sup>19</sup> तत्त्ववेशारदी में भी कहा गया है कि प्राणायाम मन को स्थिर कर धारणा की योग्यता प्राप्त कराता है—**प्राणायामो हि मनः स्थिरीकुर्वन् धारणासु योग्यं भवति इति**।<sup>20</sup> हठयोग प्रदीपिका में भी मन की स्थिरता के लिये प्राणायाम करने का विधान किया गया है। वहाँ कहा गया है कि प्राणवायु के चंचल होने पर मन भी चंचल होता है और प्राणवायु के निश्चल या शान्त होने पर मन भी स्थिर हो जाता है।<sup>21</sup> मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार आग में डालने से लोहे आदि धातुओं का मल जल जाता है और वे निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणायाम करने से शरीर के सारे मल एवं दूषित तत्त्व जलकर नष्ट हो जाते हैं।<sup>22</sup>

इस तरह हम देखते हैं कि प्राणायाम मनोविरोध का अमोघ अस्त्र है जिसके माध्यम से हम मन को नियंत्रित करके अपनी प्राणशक्ति का विकास करने में समर्थ होते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि प्राण और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में से एक को भी नियंत्रित कर लिया जाय तो दूसरा स्वयं नियंत्रित हो जाता है। मन के नियंत्रित होने पर ही साधक धारणा, ध्यान एवं समाधि की ओर अग्रसर होता है। प्राणायाम से मस्तिष्क की सूक्ष्म और सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं जिसके फलस्वरूप मानस रोग यथा तनाव आदि नष्ट होते हैं। वर्तमान काल में प्राणायाम चिकित्सा के माध्यम से असाध्य रोगों का निवारण भी हो रहा है। वस्तुतः प्राणायाम से नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और रक्त संचार सभी सक्रिय हो जाते हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी सामर्थ्य बढ़ायें तथा रोग-मुक्त होकर जीवन का आनन्द लें।

#### सन्दर्भ—

1. यो0सू0 2.49
2. योग सू0 2.49 पर व्यास भाष्य
3. योग सू0 2.49 पर व्यास भाष्य
4. यो0सू0 2.50 बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।
5. वही व्यास-भाष्य
6. वही व्यास-भाष्य
7. वही व्यास-भाष्य
8. निमेषक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः । तत्त्ववेशारदी पृ0 271

9. यत्र च मात्रासंख्याभिः प्राणायामनियमः क्रियते स संख्यापरिदृष्टः। योगवार्तिक पृ० 253
10. संख्याभिः परिदृष्टाः— एतवदिभ श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातस्तद्वन्निगृहीतस्यैतावदिभर्द्धितीय उद्घात एवं तृतीयः एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिदृष्टः। यो०सू० 2.50 पर व्यास भाष्य
11. राजमार्तण्डवृत्ति पृ० 53
12. यो०सू० 2.50
13. योगवार्तिक, पृ० 272
14. ब्राह्म्याभ्यन्तरविषयाक्षपी चतुर्थः। योगसूत्र 2.51
15. हठप्रदीपिका 2.44
16. घेरण्ड संहिता 5.46
17. तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति। यो०सू० 2.52 पर व्यास भाष्य।
18. यो०सू० 2.52
19. यो०सू० 2.53
20. त०वै० पृ० 276
21. हठ०प्रदी० 2.2
22. मनुस्मृति 6.71

## उत्तर प्रदेश में गरीबों हेतु योजनाएँ : एक विश्लेषण



डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय

भूतपूर्व शोध छात्र,

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,

उत्तर प्रदेश,भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 164-188

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांश—** विधवा पेंशन योजना 15 अगस्त, 1995 को एक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत अनाथ (विधवा) महिलाओं को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को छमाही आधार पर या वर्ष में दो बार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए विधवा महिलाओं को अपने क्षेत्र के लेखपाल द्वारा फार्म भरकर उप-जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रेषित करना होता है। 66 विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को सामाजिक सहायता के रूप में 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करना है।

**मुख्यशब्द—** उत्तर प्रदेश, गरीबी, हेतु, योजना, विधवा, महिला, सामाजिक, दयनीय।

1940 के दशक में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन, कृषि की दयनीय स्थिति और इनको दूर करने में प्रशासनिक अकर्मणता के परिणाम स्वरूप प्रदेश में गरीबी की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ स्तर पर लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गयी तथा 26 नवम्बर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया। संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अभिकल्पना की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार का दायित्व होता है कि वह आम जनता की समस्याओं को दूर करते हुए उनके लिये बेहतर जीवन स्तर के अवसर प्रदान करें। संविधान के भाग 3 के तहत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0 38 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 व 51 ए में बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा

का प्रबन्ध किया गया है। इसके साथ ही अनु0 47 के तहत सरकार का यह कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु समुचित कदम उठाये।

संविधान द्वारा निर्देशित उपरोक्त कार्यों के परिपालन हेतु संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है जिसमें गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी सम्मिलित है। यद्यपि विभिन्न स्तरों पर विकास सूचकांकों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है किन्तु कतिपय कारणों से सभी योजनाएं अपने निर्धारित बंचित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। प्रस्तुत अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर विशेष रूप से केन्द्रित है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के पक्षों पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः किसी भी स्तर पर गरीबी का प्रमुख कारण योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त न होना उपलब्ध रोजगार हेतु वांछित योग्यता का न होना या फिर रोजगार एवं योग्यता के बावजूद उपलब्ध मानव संसाधन के स्वास्थ्य का ठीक न होने, जैसे कारणों से मानव अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने में असफल हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि वह गरीबी के दुष्क्र में फँस जाता है। इन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेषीकृत योजनाएं चलायी जाती रही हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन योजनाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है—

### **आवासीय योजनाएं**

प्राकृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर जीवन की प्रत्याशा मानव भावना के मूल स्वभाव में रची-बसी है तथा यही भावना उसे आदि काल में प्राकृतिक अवस्था से निकाल कर सामाजिक जीवन में लाई। प्राकृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा से प्रेरित होकर मानव घर बनाने एवं बस्तियाँ बसाने की इच्छा जागृत हुई। यदि मानव अपने को सुरक्षित महसूस न करें तो उसे भूख न लगेगी, उसे अपने शरीर पर कपड़ों की चिन्ता न होगी और उसका जीवन संकटमय हो जायेगा, क्योंकि यह सब तो सुरक्षित जीवन के बाद की आवश्यकताएं हैं। सुरक्षित जीवन के लिए उसे सर्वप्रथम आवास चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो "रोटी, कपड़ा और मकान" के नारे में मकान गौण या तीसरे दर्जे की आवश्यकता नहीं, अपितु रोटी और कपड़े के बराबर और किसी हद तक उससे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अपने लिए एक मकान का सपना संजोए रखता है। भले ही यह मकान "एक महल", "एक बंगला", "एक कोठी" न होकर चार कच्ची दीवारों पर एक घास-फूस की छत ही क्यों न हो। उसकी लालसा सदैव अपने लिए एक 'घर' की ही होती है। इस शब्द 'घर' के लिए हमारी लगन, हमारा लगाव, हमारी भावनाएं कितनी प्रबल हैं, यह बताने की बात नहीं है। कितना संतोष, कितना सुकून मिलता है, व्यक्ति को अपने घर पहुँच कर और घर छोड़ते समय वह कितना विचलित होता है, यह अनुभव की बात है। घर, अपने अन्दर मानव के लिए असीम सन्तुष्टि लिए हुए है। सुरक्षा, सन्तुष्टि एवं आरम्भ की बात छोड़ आगे देखें तो आवास मानव को प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आवास से इंसान की पहचान बनती है, सामाजिक वातावरण से जुड़ाव आता है। व्यक्ति को आत्म-सम्मान की अनुभूति होती है। परन्तु इतना सब कुछ होते हुए आज की विकासोन्मुख समाज में सबके पास

आवास नहीं हो पाता, विशेषकर कमजोर तबकों एवं अल्प आय वर्ग के लोगों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, टूटते-बिखरते परिवार तथा रोज बढ़ती मँहगाई के चलते समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। लोग झोपड़ी एवं फुटपाथ का सहारा लेने पर विवश हो रहे हैं। न जाने कितनों का बचपन इन झुग्गी-झोपड़ियों की गन्दी गलियों में खोता जा रहा है।<sup>12</sup>

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास विहीन, आपदा प्रभावित एवं झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के लिए निःशुल्क सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान कर आवासीय समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए समय-समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं को लागू किया है, जो काफी हद तक सफल भी रही है। कुछ प्रमुख आवासीय योजनाएं निम्न है।



**सारणी 4.1: विभिन्न आवासीय योजनाओं द्वारा लाभान्वित ग्रामीण परिवार**



जनपद	ग्रामीण बीपीएल परिवार*	बीपीएल परिवार में लाभान्वित परिवारों की संख्या व प्रतिशत**							
		इन्दिरा आवास		महामाया आवास		मछुआ आवास		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इलाहाबाद	279542	15499	5.54	6896	2.47	168	0.06	22563	8.07
चित्रकूट	78047	3082	3.95	6285	8.05	100	0.13	9467	12.13
मथुरा	118199	9685	8.19	432	0.37	115	0.10	10232	8.66
बाराबंकी	314363	32864	10.45	4369	1.39	115	0.04	50640	16.11

स्रोत:— \* बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित

\*\* कार्यालय, जिला विकास अधिकारी व जिला विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के बाद चयनित जनपदों में विभिन्न आवासीय योजनाएं काफी कम मात्रा में दी गईं। ग्रामीण कुल बी0पी0एल0 परिवारों की तुलना में इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा एवं बाराबंकी में क्रमशः 8.07 प्रतिशत 12.13 प्रतिशत, 8.66 प्रतिशत तथा 16.11 प्रतिशत परिवारों को इन्दिरा आवास, महामाया आवास तथा मछुआ आवास योजना को लाभ दिया गया है। चयनित सभी जनपदों में चित्रकूट जनपद को छोड़कर अन्य तीन जनपदों में सर्वाधिक बी0पी0एल0 परिवार इन्दिरा आवास योजना द्वारा लाभान्वित किए गए हैं जबकि महामाया आवास योजना में लाभार्थियों की संख्या दूसरे स्थान पर है।





### इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1980 में ग्रामीण रोज़गार योजना के रूप में हुई, प्रारम्भ में इस योजना का मुख्य कार्य भवन निर्माण था। यह योजना अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना

(NREP) और वर्ष 1983 में प्रारम्भ ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना के तहत शुरू की गयी थी। 1 जून 1985 के सरकारी घोषणा के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों और मुक्त बन्धुवा मजदूर परिवारों के हित के लिए आरम्भ किया गया और इसके निमित्त ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना की निधियों का एक भाग आरक्षित किया गया। तब से इस योजना के तहत भवन निर्माण कराया जा रहा है। यह योजना वर्ष 1985-86 से ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना की उप योजना के रूप में चलायी जाती रही। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (NREP) एवं ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना (RLEGP) को मिला दिया गया और इनके स्थान पर जवाहर रोज़गार योजना के प्रारम्भ होने पर इसके अंग के रूप में इन्दिरा आवास योजना को क्रियान्वित किया गया। जवाहर रोज़गार योजना के कुल संसाधनों का 6 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए आवंटित किया गया।<sup>3</sup> वर्ष 1993-94 में इन्दिरा आवास योजना के क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति के गरीब एवं आवास विहीन परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। परन्तु प्रतिबन्ध यह रखा गया कि सकल लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का प्रतिशत 60 से कम नहीं होना चाहिए। योजना के आकार के इस भौतिक विस्तार के साथ ही जवाहर रोज़गार योजना के कुल संसाधनों का 10 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1996 से एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारत सरकार ने इन्दिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में मान्यता प्रदान की और तब से यह योजना एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 1999 में इन्दिरा आवास योजना के प्रावधानों में पुनः बदलाव करके और इस योजना को दो धाराओं में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। एक धारा में पूर्व की भाँति गरीब आवास विहीनों के लिए नये आवास निर्माण का क्रम जारी रखा गया वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के मकानों के उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के लिए 10000 रूपयों के अनुदान की व्यवस्था की गयी। योजना के 80 प्रतिशत संसाधन नये आवासों के निर्माण हेतु तथा शेष 20 प्रतिशत संसाधन स्तर उच्चीकरण के लिए मात्राकृत किये गये। प्रारम्भ में इस योजना के लिए योजना राशि का 6 प्रतिशत निधि खर्च के लिए दिया जाता था, जो वर्ष 1993-94 में बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा वर्ष 1995-96 में 15 प्रतिशत कर दिया गया। तब से अब तक यह योजना इसी रूप में क्रियान्वित की जाती रही है।<sup>4</sup>

### योजना का उद्देश्य

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बन्धुवा मजदूर परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों को, जो आवास विहीन हैं, मुफ्त में आवास मुहैया कराना है, परन्तु गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## लाभार्थी का चयन

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों का यह दायित्व होता है कि वे वार्षिक आवंटन के सापेक्ष आवास निर्माण का ग्राम सभावार लक्ष्य निर्धारित करें और आवासों की संख्या ग्राम पंचायतों को सूचित करें। ग्राम पंचायतें इन लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित शर्तें और पात्रता के मापदण्डों के अनुरूप लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित सूची क्षेत्र पंचायत को भेजी जाती है। सूची को क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

## पात्रता की क्षणी

इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र माने जाते हैं—

- ⇒ मुक्त कराये गये बन्धुवा मजदूर।
- ⇒ अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार,
  - जो अत्याचार से पीड़ित हों।
  - जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिलायें हों।
  - जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हों।
  - अन्य परिवार।
- ⇒ युद्ध के दौरान शहीद रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवा/परिवार।
- ⇒ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।
- ⇒ शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।
- ⇒ सुरक्षा सेवा/अर्द्ध सैनिक बलों के सेवा निवृत्त कर्मचारी।
- ⇒ विकास योजनाओं के कारण विस्थापित परिवार, यदि वे गरीबी रेखा के नीचे हैं।

## 4.1.2 समग्र आवास योजना

जिस प्रकार आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से पीने का पानी, शौचालय, जल निकासी की उचित व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल आवास की कमी को पूरा करता है, बल्कि समाज के लिए एक स्वच्छ एवं उन्नतशील वातावरण भी प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वर्ष 1980 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत शौचालय, पीने के पानी, गन्दे जल की निकासी की समुचित व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, सड़क, जल निकासी आदि की समुचित व्यवस्था के लिए अलग से एक कार्यक्रम निर्धारित कर कार्य को पूरा करने की व्यवस्था की थी। लेकिन इस कार्यक्रम के अपने उद्देश्यों में सफल न होने के कारण वित्त मंत्री ने वर्ष 1999 में अपने बजट भाषण में आवास, शौचालय, पीने का पानी, गन्दे जल की निकासी, सड़क आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर बल

दिया और उसके लिये एक नयी योजना का गठन किया, जिसे समग्र आवास योजना का नाम दिया गया। यह योजना अप्रैल 1999 से प्रारम्भ की गयी। समग्र आवास योजना का उद्देश्य सभी योजनाओं को समान रूप से महत्व देना तथा वर्तमान ग्रामीण आवास, शौचालय, पीने का पानी तथा जल निकासी आदि तकनीक में बदलाव, मानव संसाधनों का विकास कर उन्हें उन्नत जीवन शैली से जोड़ना है। प्रारम्भ में यह योजना देश के 24 राज्यों के 25 जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को विशेष कर जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।<sup>7</sup>

### योजना का उद्देश्य

- ⇒ गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर तथा गाँव के सम्पूर्ण पर्यावरण का सुधार करना है।
- ⇒ समग्र आवास योजना के अन्तर्गत अब तक पृथक रूप से क्रियान्वित आवास, स्वच्छता एवं पेयजल कार्यक्रमों को समन्वित एवं एकीकृत किया जाना है, जिससे इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं लाभकारी बनाया जा सके।
- ⇒ तकनीकी, सूचना शिक्षा एवं संचार सुविधाओं को अपनाना, इन्हें ग्रामीण लोगों तक पहुँचाना और ग्रामीणों को इनका लाभ पहुँचाना भी है।

### प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसे पूरा करने के लिए वह जीवन पर्यन्त प्रयासरत् रहता है, लेकिन गरीबी व अन्य अपरिहार्य कारणों से वह अपनी इस आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। इस कमी (आवास) को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की एक उप-योजना के रूप में 15 सितम्बर 2000 को प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने सभी लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, शौचालय, वर्षा जल के निकास के लिए नालियां आदि को प्राथमिकता का विषय मानकर इनके समुचित क्रियान्वयन पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी गरीब परिवारों (अनु0 जाति/जनजाति, बन्धुवा मजदूर व विकलांग) जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त हैं, के आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी इन्दिरा आवास योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करने के लिए चलायी जा रही है। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली योजना राशि का 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 को योजना राशि को परिवर्तित करके 75:25 के अनुपात में निर्धारित किया गया।<sup>8</sup>



## योजना का उद्देश्य

- ⇒ आवासीय क्षेत्र में चल रही इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रयासों को समर्थन देना है।
- ⇒ इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, बन्धुवा मजदूरों को (योजना राशि का 60 प्रतिशत) तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति को (योजना राशि का 40 प्रतिशत) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को (योजना राशि का 3 प्रतिशत) निःशुल्क भवन मुहैया कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ पर्यावरण के विकास में सहायता मिल सके।<sup>10</sup>

## खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाएं

भोजन किसी भी जीव के लिए जीवन रक्षक तत्व है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह मानव हो या जीव-जन्तु। मानव के लिए खाद्यान्न मूल आवश्यकता है और गरीबों के लिए तो यही एकमात्र जीवन रक्षक आधार है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं में गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को सस्ती दर पर तथा अति गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अति सस्ते दर पर चावल और गेहूँ उपलब्ध कराना तथा गरीबी रेखा के नीचे के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले असहाय लोगों को 10 किग्रा गेहूँ मुफ्त में प्रदान करना प्रमुख है, जिसके माध्यम से इनकी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है—

सारणी 1 : ग्रामीण परिवार, बीपीएल परिवार एवं अन्त्योदय, बी0पी0एल0 कार्ड धारक



जनपद	कुल ग्रामीण परिवार *	कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार *	बी0पी0एल0 परिवार का प्रतिशत *	कुल बीपीएल परिवार में कार्ड धारकों की संख्या** व प्रतिशत***					
				अन्त्योदय		बी0पी0एल0		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इलाहाबाद	99244 5	27954 2	28.2	88108	31.5 2	14230 1	50.9 1	23040 9	82.43
चित्रकूट	14155 9	78047	55.1	22774	29.1 8	37235	47.7 1	60009	76.89
मथुरा	26041 7	11819 9	45.4	47243	39.9 7	67243	56.8 9	10448 6	96.90


बाराबंकी	66542	31436	47.2	13288	42.2	18359	58.4	31648	100.6
	9	3		3	7	7	0	0	7

**स्रोत:—** \* बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित, \*\* कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, \*\*\* कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार का।

**नोट:—** अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारकों की वर्तमान (2007-08) की संख्या।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण परिवारों में ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत 28.2 है जबकि चित्रकूट में 55.1 प्रतिशत मथुरा में 45.4 प्रतिशत तथा बाराबंकी में 47.2 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इस प्रकार बाराबंकी जनपद में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या की तुलना में 100.67 प्रतिशत अंत्योदय एवं बी0पी0एल0 राशन दिया गया। जिसमें 42.27 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड दिये गये हैं तथा 58.4 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये हैं। जबकि मथुरा जनपद में कुल 96.9 प्रतिशत कार्ड धारकों में से 39.97 प्रतिशत (अति गरीब) को अंत्योदय राशन कार्ड दिये गये हैं तथा 56.89 प्रतिशत गरीब परिवार को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद जनपद में कुल 82.43 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों में 31.52 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड दिये गये हैं जबकि 50.9 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये हैं। बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में कुल 76.89 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों में से 29.18 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड तथा 47.7 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्रकूट जनपद में 23 प्रतिशत से अधिक, इलाहाबाद में 17.0 प्रतिशत से अधिक एवं मथुरा में लगभग 3.0 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवार अभी भी सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।





### अंत्योदय अन्न योजना

भोजन मनुष्य की अहम् आवश्यकताओं में से एक है। भारत जैसे देश में जहाँ 23 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त है, उनके खाद्य सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने अपने 76वें जन्म दिवस, 25 दिसम्बर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना का शुभारम्भ किया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार को 25 किग्रा अनाज अत्यन्त रियायती दर पर (गेहूँ 2 रुपये प्रति किग्रा और चावल 3 रुपये प्रति किग्रा) उपलब्ध कराया जाता है। 1 अप्रैल 2002 से इस योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2003 तक अनाज की इस मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति परिवार से बढ़ाकर 35 किलोग्राम (23 किलोग्राम गेहूँ और 12 किलोग्राम चावल) प्रति परिवार कर दिया गया।

केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया है इसमें निम्न परिवारों के प्राथमिकता समूहों को शामिल किया गया है।<sup>14</sup>

- (क) परिवार की विधवाएं, मरणासन्न व्यक्ति, विकलांग या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा ऐसी अकेली महिला या अकेला पुरुष, जिसका पारिवारिक या सामाजिक, कोई सहारा न हो।

(ख) विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

(ग) अंत्योदय अन्न योजना से लाभान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों की पहचान करके विशेष राशन कार्ड जारी किया जाता है।

वर्तमान समय में यह योजना केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत चलायी जा रही है।<sup>15</sup>

सारणी 2: वर्षवार अंत्योदय कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद		चित्रकूट		मथुरा		बाराबंकी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2000-01	30147	10.78	7250	9.29	24857	21.03	38378	12.21
2001-02	34900	12.48	7650	9.80	24857	21.03	44800	14.25
2002-03	35226	12.60	9100	11.66	24857	21.03	45175	14.37
2003-04	52854	18.91	9106	11.67	24857	21.03	45175	14.37
2004-05	69778	24.96	13662	17.50	24857	21.03	73512	23.38
2005-06	88108	31.52	18034	23.11	32812	27.76	97039	30.87
2006-07	88108	31.52	22774	29.18	41436	35.06	122545	38.98
2007-08	88108	31.52	22774	29.18	47243	39.97	132883	42.27

स्रोत:- संख्या- कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, एवं प्रतिशत- बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2002-03 में इलाहाबाद जनपद में कुल बीपीएल ग्रामीण परिवारों में से 12.6 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये, जबकि वर्ष 2004-05 में अति गरीब परिवारों को दिये जाने वाले अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों का प्रतिशत बढ़कर 24.96 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007-08 में यह बढ़कर 31.52 प्रतिशत हो गया। चित्रकूट जनपद में कुल ग्रामीण बीपीएल परिवारों में से 11.66 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये, वही वर्ष 2004-05 में यह प्रतिशत बढ़कर 17.50 हो गया तथा वर्ष 2007-08 में बढ़कर यह प्रतिशत 29.18 हो गया। वही दूसरी ओर मथुरा जनपद में वर्ष 2002-03 में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 21.03 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004-05 में अति गरीब परिवारों को दिये जाने वाले अन्त्योदय कार्ड धारकों के प्रतिशत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी, वही वर्ष 2007-08 में कार्ड धारकों का प्रतिशत बढ़कर 39.97 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002-03 में कुल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में से 14.37 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये जबकि वही वर्ष 2004-05 में अतिगरीब परिवारों को दिये जाने वाला अन्त्योदय कार्ड राशन का प्रतिशत बढ़कर 23.38 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007-08 में बढ़कर यह 38.98 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार आँकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि 2000-01 की तुलना में सभी जनपदों में अति गरीब परिवारों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो स्पष्ट करता है कि अति गरीब परिवारों को विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा बेहतर स्थिति में नहीं लाया जा सका साथ ही अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की वर्ष-वार बढ़ती संख्या गरीबी के स्वरूप को और भी विकराल तस्वीर प्रस्तुत करती है।

### **गरीबी रेखा के नीचे की योजना**

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 1997 से खाद्य सुरक्षा के रूप में 25 किलोग्राम अनाज (गेंहूँ एवं चावल) सस्ते दर की दुकान से बीपीएल कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वे समस्त परिवार, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, लाभान्वित किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत गेंहूँ 4.65 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 5.35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना के प्रारम्भ होने पर उन गरीब परिवारों में जो परिवार अति गरीब थे, उन्हें लाल रंग का कार्ड देकर अन्त्योदय योजना का तथा शेष परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे का सफेद राशन कार्ड देकर लाभान्वित किया जाने लगा। इन योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे गरीबों को काफी लाभ पहुँचा है किन्तु गरीबी रेखा के निर्धारण में खामियों की वजह से जहाँ आज भी हजारों गरीब परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वहीं हजारों अपात्र परिवार इस योजना का लाभ ले रहा है।<sup>17</sup>

## योजना का उद्देश्य

इस योजना का एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश के ऐसे गरीब परिवार, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं और बाजार के मँहगे दर पर खाद्यान्न खरीदकर काम नहीं चला पाते हैं, उन्हें पूर्व में 25 किलोग्राम तथा वर्तमान में 35 किलोग्राम खाद्यान्न (23 किलोग्राम गेहूँ और 12 किलोग्राम चावल) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित दर की दुकान से सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए।

### सारणी 4.5: वर्षवार बीपीएल कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद		चित्रकूट		मथुरा		बाराबंकी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2000-01	194572	69.60	47380	60.71	24857	21.03	250350	79.64
2001-02	176946	63.30	53227	68.20	24857	21.03	247700	78.79
2002-03	160030	57.25	50294	64.44	91371	77.30	249960	79.51
2003-04	141692	50.69	45738	58.60	91503	77.41	246027	78.26
2004-05	142301	50.91	41366	53.00	81213	68.71	222500	70.78
2005-06	142301	50.91	36626	46.93	75258	63.67	196994	62.66
2006-07	142301	50.91	37235	47.71	67243	56.89	197603	62.86
2007-08	142301	50.91	37235	47.71	67243	56.89	183597	58.40

स्रोत:— संख्या— कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, एवं प्रतिशत— बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि वर्ष 2002-03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 57.25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड दिये गये जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बी.पी.एल कार्ड का प्रतिशत 2004-05 में घटकर 50.91 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007-08 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बीपीएल राशन कार्डों के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं दर्ज की गयी। चित्रकूट जनपद में वर्ष 2002-03 में कुल ग्रामीण बीपीएल परिवारों में से 64.44 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004-05 में रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बीपीएल राशन कार्डों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। मथुरा जनपद में वर्ष 2002-03 में कुल बीपीएल राशन कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले कार्डों का प्रतिशत घटकर 68.71 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007-08 में यह संख्या पुनः घटकर 56.89 प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002-03 में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 79.51 प्रतिशत बी.पी.एल परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004-05 में बी.पी.एल परिवारों को दिये जाने वाले राशन कार्डों का प्रतिशत घटकर 70.78 प्रतिशत हो गया तथा यह संख्या पुनः वर्ष 2007-08 में घटकर 58.4 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि चयनित जनपदों में मथुरा जनपद छोड़कर अन्य तीनों जनपदों में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी दिखाई देती है।

## रोज़गार से सम्बन्धित योजनाएं

आवासीय सुविधा के बाद रोज़गार गरीबों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आवश्यक रोज़गार मिलने से गरीब व्यक्ति अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित किये जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय का एकमात्र साधन मजदूरी है। इन गरीब परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव होने के कारण मजदूरी ही इनकी आय का स्रोत है और इसके अलावा उनके पास आय अर्जित करने का कोई अन्य साधन नहीं है। पूर्व में कृषि भूमि में मजदूरी के पर्याप्त अवसर विद्यमान थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में कृषि के उन्नत तरीकों के अपनाए जाने से कृषि क्षेत्र में मजदूरी के अवसर काफी कम हो गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार की रोज़गार परक योजनाओं को क्रियान्वित करती रहती है, जिसके द्वारा रोज़गार के अवसर तो उपलब्ध होते ही हैं, साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण होता है, जिससे विकास की गति को भी बल मिलता है। रोज़गार से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का आरम्भ अक्टूबर 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया। इस योजना को भी भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के रूप में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर कार्यान्वित किया गया। इस योजना में बेरोज़गारी एवं अल्प बेरोज़गारी को दूर करने के लिए 3000 से 4000 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोज़गार प्रति वर्ष देने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस योजना के अन्तर्गत योजना राशि का 10 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों पर खर्च करना अनिवार्य था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे पीने के लिए पानी के कुएं, सार्वजनिक सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण सड़कें, स्कूल, बालवाड़ी भवन, पंचायत घर आदि का निर्माण करना था।<sup>18</sup>

## योजना का उद्देश्य

इस योजना के प्राथमिक एवं गौण दो प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गये जो हैं—

- ⇒ **प्राथमिक उद्देश्य** राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की बेरोज़गारी एवं अल्प-बेरोज़गारी को दूर करने के लिए 3000 से 4000 लाख मानव दिवस के अतिरिक्त रोज़गार प्रति वर्ष उपलब्ध कराना है।
- ⇒ **द्वितीयक उद्देश्य** इस योजना का गौण उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों, जैसे पीने के लिए पानी के कुएं, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, छोटी परियोजनाएं, सड़कें, स्कूल, बालवाड़ी भवन एवं पंचायत घर का निर्माण आदि कराना है।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती मजदूरी रोज़गार कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एन0आर0ई0पी0) 1980, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम (आर0एल0ई0जी0पी0) 1983, जवाहर रोज़गार योजना (जे0आर0वाई0) 1989, सुनिश्चित रोज़गार योजना (ई0ए0एस0) 1993, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे0जी0एस0वाई0) 1999, सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (एस0जी0आर0वाई0) 2001, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0एफ0एफ0डब्लू0पी0) 2004, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, को मिलाकर 7 सितम्बर 2005 को संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम पारित किया गया। प्रारम्भ में यह योजना देश के 200 जनपदों में लागू की गयी, लेकिन 5 वर्ष की अवधि के भीतर इसे पूरे देश में लागू करने का प्रावधान रखा गया।<sup>39</sup>

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोज़गार की गारण्टी प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार का अर्थ है एकल परिवार, जिसमें माँ, बाप तथा उनके बच्चे शामिल हों। परिवार के मुखिया के उपर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्भर किसी भी व्यक्ति को परिवार में शामिल किया जा सकता है तथा इसमें एक सदस्यीय परिवार भी शामिल हो सकता है। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इस तरह यह मजदूरी 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है और हर हाल में 15 दिन के भीतर किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रत्येक राज्य को एन0आर0ई0जी0पी0 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य रोज़गार गारण्टी योजना बनानी पड़ती है। योजना में रोज़गार चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत सत्यापन के पश्चात ग्राम सभा द्वारा पंजीकृत किया जाता है और उस परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता है। अधिनियम के लागू होने पर अधिनियम के बारे में जानकारी देने, आवेदन इकट्ठा करने, पंजीकरण और सत्यापन करने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित की जाती है। अधिनियम के तहत रोज़गार के लिए पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण भी किया जाता है। एन0आर0ई0जी0पी0 को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के साथ जॉब कार्ड के लिए एक सुझाव प्रपत्र संलग्न किया जाता है, जिसमें परिवार की स्थाई जानकारी और 5 वर्ष के लिए दिए गए कार्य की प्रविष्टियाँ होंगी। जॉब कार्ड की स्थायी जानकारी में परिवार का पंजीकरण कोड नम्बर, आवेदक तथा परिवार के सभी सदस्यों की लिंग व आयु से सम्बन्धित जानकारी तथा काम करने के इच्छुक वयस्क का नाम होगा। परिवार के प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को अलग पहचान पर्ची भी दी जाती है।

रोज़गार चाहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा काम के लिए आवेदन दिये जाने के 15 दिनों के भीतर रोज़गार दिया जाता है। यदि 15 दिन के भीतर रोज़गार नहीं दिया जाता है तो दैनिक बेरोज़गारी भत्ता नगद दिया जाता

है। रोज़गार देने की कानूनी जवाबदेही राज्यों की है और उसी अनुपात में निधियाँ देने की जवाबदेही केन्द्र की है। इस योजना में बेरोज़गारी भत्ता भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

इस योजना के अन्तर्गत नया काम तभी शुरू किया जाता है, जब काम के लिए कम से कम 50 श्रमिक मिल जाते हैं। योजना के अन्तर्गत एक तिहाई महिला श्रमिकों को काम दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। ग्राम पंचायत नियोजन व पंजीकरण करने, लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी करने, रोज़गार आवंटित करने और कार्यों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रैंक से उपर के अधिकारी योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह ग्राम योजनाओं की जाँच करने, कार्यों और रोज़गार की मांग के बीच तालमेल सुनिश्चित करने, समय सीमों के भीतर रोज़गार की मांग को पूरा करने और कामगारों को उनका हक दिलाने के लिए जिम्मेदार होता है।<sup>40</sup>

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस योजना को लागू करने के लिए सहमति दिये जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसी दिन यह योजना लागू की गयी। प्रदेश के चयनित 39 जिलों में यह योजना लागू की गयी, जिसमें वर्ष 2006-07 में 22 जिले तथा 2007-08 में 17 जिलों को और शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 से प्रदेश के शेष 31 जिलों में भी यह योजना प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाले धन का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।<sup>41</sup>

### योजना का उद्देश्य

- ⇒ इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोज़गार की गारण्टी प्रदान करना।
- ⇒ मांग के 15 दिनों के अन्दर श्रमिकों को कम से कम 14 दिन का रोज़गार एक बार में उपलब्ध कराना।
- ⇒ रोज़गार, श्रमिक के निवास स्थान के 5 किमी<sup>0</sup> के अन्दर उपलब्ध कराना। इससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी भुगतान करना।
- ⇒ यदि 15 दिनों के अन्दर रोज़गार न दिया गया तो बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान किया जाना, जो वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिन के लिए 1/4 और शेष दिनों के लिए 1/2 होता है।

### कृषि से सम्बन्धित योजनाएं

देश की जनसंख्या का 74 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिनके जीवन का आशय मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। देश की गरीबी निवारण में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र ही गरीबों की संख्या घटाने तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलायी जाती रही हैं, जिससे गरीब परिवारों की गरीबी भी कम होती रही है।



### किसान क्रेडिट कार्ड योजना

भारतीय किसानों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों से मिलने वाले ऋण को सरल बनाने, ऋण की सीमा को उनके जोत के आधार पर कम या अधिक करने के लिए वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरम्भ किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वे किसान पात्र होते हैं, जिनका कृषि उत्पादन 5,000 रुपये या उससे अधिक है। किसानों को क्रेडिट कार्ड उनके भूमि के आधार पर जारी किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों का कार्ड और पासबुक अथवा कार्ड-सह-पासबुक दिये जाते हैं। किसानों द्वारा बैंकों से मिलने वाली इस धनराशि का प्रयोग कृषि के लिए बीज, खाद और कीट नाशक आदि खरीदने पर किया जाता है। किसानों को दिये जाने वाले धन की सीमा उनके प्रचलित जोत, फसल पैटर्न (खेती एक फसली होती है या दो फसली) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसानों को दिये जाने वाले क्रेडिट कार्ड पर लिये जाने वाले ब्याज का निर्धारण रिजर्व बैंक करता है।<sup>47</sup>

### योजना का उद्देश्य

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों या ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण को और सरल बनाना है, जिससे किसानों को सरलता से ऋण प्राप्त हो सके।

### स्वास्थ्य सम्बन्धित योजनाएं

गरीबी निवारण में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि लोग स्वस्थ हैं, तो वह अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई उद्यम अवश्य करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और उनके स्वास्थ्य पर व्यय भी कम हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अस्वस्थ है, तो उसकी आय घट जाती है या घटकर शून्य हो जाती है, साथ ही उन्हें अपनी अस्वस्थता दूर करने में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण वे अत्यधिक कर्ज में डूब जाते हैं, जो गरीबी जैसी विषम समस्या के रूप में सामने आती है। इसी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख योजनाएं निम्नवत हैं—

### जननी सुरक्षा योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 1 अप्रैल, 2005 से जननी सुरक्षा योजना का आरम्भ किया गया। इस योजना को मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने एवं गर्भवती महिलाओं के हितों के लिए लागू किया गया। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है। तीसरे प्रसव के समय भी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। साथ ही यदि महिलाएं अपनी नसबन्दी कराती हैं, तो योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं के साथ-साथ प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य सेविका को भी 200 रुपये से 800 रुपये तक की राशि (धनराशि का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर

किया जाता है।) प्रदान की जाती है। प्रसव कराने वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने पर भी इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना पर आने वाले खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में पूर्व में चलायी गयी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को शामिल कर दिया गया तथा वर्ष 2005-06 के बजट में यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक हो गयी। वर्तमान में यह योजना देश के 10 राज्यों, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम तथा जम्मू कश्मीर में चलायी जा रही है।<sup>51</sup>

### योजना का उद्देश्य

- ⇒ जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों के मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाना है।
- ⇒ योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है, पहले दो जीवित प्रसवों के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

### शिक्षा सम्बन्धित योजनाएं

गरीबी निवारण की दिशा में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक शिक्षित परिवार अपने आय को ध्यान में रखकर परिवार के आकार को छोटा रखता है, जिससे जनसंख्या भी नियंत्रित रहती है और परिवार पर विभिन्न प्रकार के (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं) खर्चों पर अंकुश लगा रहता है। शिक्षा का प्रभाव रहन-सहन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, देश-विदेश की जानकारी एवं रोजगार आदि पर पड़ता है। यही वजह है कि शिक्षा की महत्ता को समझते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित होती रही हैं, जिनमें प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

### सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार ने सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना का आरम्भ किया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला व वर्ष 2007 तक इन सभी बच्चों के पाँच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा (पूर्व माध्यमिक स्तर) की ओर ध्यान केन्द्रित करना, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए हैं, आदि लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता था, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा

वहन की गयी। वहीं इसके बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान देश के गोवा राज्य को छोड़कर, समूचे देश में चलाया जा रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 598 जनपदों के लिए वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदित किये गए। सर्व शिक्षा अभियान में ऐसी मलिन बस्तियों में नये स्कूल स्थापित करना, जहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूली सुविधा मौजूद नहीं है तथा बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण, अनुदान तथा स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधानों के माध्यम से स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाना है।<sup>59</sup> सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अपर्याप्त शिक्षक वाले मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, मौजूदा अध्यापकों की क्षमता, प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगमन सामग्री और शैक्षिक अनुसमर्थन तंत्र का विकास करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर इनके लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों सहित अनेक प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं चलायी गयी। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों के बच्चों को, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया है।

### योजना का उद्देश्य

- ⇒ वर्ष 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए।
- ⇒ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पाँच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना।
- ⇒ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना।
- ⇒ जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना है।
- ⇒ प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अन्तर और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।

### राष्ट्रीय सामाजिक सहायता एवं बीमा से सम्बन्धित योजनाएं

समाज में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो बेसहारा और निःसहाय हैं और गरीबी के कारण कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर गरीबी निवारण का प्रयास करती रही है, जिनमें कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

### राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 15 अगस्त, 1995 से एक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे ग्रामीण

वृद्ध, जिनकी मासिक आय 2250 रुपये से कम हो, उन्हें 125 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता था। वर्ष 2006-07 के बजट में 75 रुपये के स्थान पर 200 रुपये केन्द्र सरकार द्वारा तथा 200 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार इस योजना के लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाने लगा। इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के लेखपाल के माध्यम से फार्म भरकर उप-जिलाधिकारी को प्रेषित करना पड़ता है तथा शासन से सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति मिल जाने पर उन्हें पेंशन दिया जाने लगता है। इसका भुगतान मासिक न होकर त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक समय के अन्तराल पर किया जाता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 6 सीमावर्ती जनपदों में, जो आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं से प्रभावित हैं, चलायी जा रही है।<sup>65</sup>

#### सन्दर्भ—

- 1— आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या-1, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2— आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 1-2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3— आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 0-5, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 4— आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या-5-6, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 5— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या- 27-28, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 6— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या- 28, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या- 43, पैराग्राफ-1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 8— मार्ग निर्देशिका (परफार्मेंस बजट), 2008-09, पृष्ठ-56, पैराग्राफ 3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 9— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या- 21-22, पैराग्राफ 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 10— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या- 21, पैराग्राफ 4, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 11— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 1998, पृष्ठ संख्या- 42, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 12— निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 1998, पृष्ठ संख्या- 50, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 13— निर्देशिका (कार्य पूर्ति दिग्दर्शक ), 2008-09, पृष्ठ संख्या- 18, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश भारत सरकार।

- 14- प्रगति रिपोर्ट, 2008-09, पृष्ठ संख्या-28, पैराग्राफ 2 खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- प्रगति रिपोर्ट, 2008-09, पृष्ठ संख्या-29, पैराग्राफ 5 खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09, पृष्ठ संख्या 60, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 17- प्रगति रिपोर्ट, 2008-09, पृष्ठ संख्या-22-23, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 266-267, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।
- 19- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 268, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।
- 20- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 268, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।
- 21- ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मार्ग निर्देशिका, 1998-99, पृष्ठ संख्या 96, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 22- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 266, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।
- 23- वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 64, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 24- मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998-99, पृष्ठ संख्या 1-2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 25- मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998-99, पृष्ठ संख्या 3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 26- मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998-99, पृष्ठ संख्या 1-2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 27- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 275, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0पी0एम0 सुन्दरम।
- 28- मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998-99, पृष्ठ संख्या 28-29, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

- 29— मार्ग निर्देशिका (दस लाख कूपन योजना), 1998, पृष्ठ संख्या 1 पैराग्राफ 1 ग्रामीण रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार।
- 30— मार्ग निर्देशिका (दस लाख कूपन योजना), 1998, पृष्ठ संख्या 1 पैराग्राफ 2 ग्रामीण रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार।
- 31— मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998-99, पृष्ठ संख्या 44-45, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 32— भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 276, पैराग्राफ 3 एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।
- 33— सामार्थ्य पत्रिका (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना), 2004, पृष्ठ संख्या 24-25, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 34— सामार्थ्य पत्रिका (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना), 2004, पृष्ठ संख्या 25, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 35— रिपोर्ट (सम्पूर्ण ग्रामीण योजना), 2005 पृष्ठ संख्या 1, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, भास्कर मजूमदार
- 36— मार्गदर्शिका (सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 2-3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 37— मार्गदर्शिका (ग्रामीण रोज़गार मंत्रालय), 1995, पृष्ठ संख्या 42, ग्रामीण रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार।
- 38— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 9-10,, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 39— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 40— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 15-16, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 41— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 17-18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 42— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ संख्या 64, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 43— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-316, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 44— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-312, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 45— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-315, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 46— मार्ग दर्शिका (जैविक खाद ग्रंथ) 2005-06 पृष्ठ-1-3, कृषि निदेशालय (कृषि भवन), उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ।
- 47— भारतीय अर्थव्यवस्था, 2009, पृष्ठ-304, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, एस0 के0 मिश्र एवं वी0 के0 पुरी।
- 48— भारतीय अर्थव्यवस्था, 2009, पृष्ठ-331-334, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, एस0 के0 मिश्र एवं वी0 के0 पुरी।

- 49— मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 1999, पृष्ठ-15-16 परिवार कल्याण महनिदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 50— मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 1999, पृष्ठ संख्या- 5 परिवार कल्याण महनिदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 51— मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 2007, पृष्ठ-16, परिवार कल्याण महनिदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 52— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-387, सूचना, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 53— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-386, सूचना, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 54— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-388, सूचना, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 55— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-390, सूचना, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 56— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-389, सूचना, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 57— मूल्यांकन निर्देशिका, 2000, पृष्ठ-7, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, भारत सरकार।
- 58— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-216, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 59— वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06, पृष्ठ-6-9, यू0पी0, एजूकेशन फॉर आल प्रोजेक्ट बोर्ड विद्या भवन, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 60— मार्गनिर्देशिका, 2007, पृष्ठ-12, निदेशालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 61— मार्गनिर्देशिका, 2006, पृष्ठ-22, निदेशालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 62— मूल्यांकन निर्देशिका, 2000, पृष्ठ-5, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।
- 63— मूल्यांकन निर्देशिका, 2000, पृष्ठ-6, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।
- 63— मार्गनिर्देशिका, 2000, पृष्ठ-20, निदेशालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 64— मूल्यांकन निर्देशिका, 2000, पृष्ठ-25, सामाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ।
- 65— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-311, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नयी दिल्ली।
- 66— भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ-312, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नयी दिल्ली।

## भारतीयप्राचीनमूल्यविचारः



डा. इक्कुर्ति वेड्कटेश्वर्तु

सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

नवदेहली।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 188-195

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांशः** – सुवर्णस्य तावद् मूल्यं कथमागतं? कथमिति चेत् तस्मिन् लोहे विद्यमानप्रकाशादि गुणाः ये विद्यन्ते तेषां गुणानां कारणेन तस्य सुवर्णस्य मूल्यमधिकमस्माभिः अनुभूयते। तथैव व्यक्तेः अपि गुणाः मूल्यत्वेन परिणमन्ति। जातिपितुः गान्धिमहात्मनः कीर्तिः कथं विश्वे व्याप्ता चेत् तेषु विद्यमानगुणानां कारणेनैव भवति। अतैवोच्यते सत्यं, अहिंसा, क्षमा, सामाजिकसेवा, शान्तिः, सामाजिकदायित्वानीति गान्धिमहात्मनः मूल्यानि लोके प्रसिद्धानि सन्ति। तथैव हैन्दवानां भगवतीता, यवनानां खुरान्, क्रैस्तवानां बैबिल् इत्यादि ग्रन्थाः मूल्ययुक्ताः वर्तन्ते। यथा व्यक्तिमूल्यानि तथैव समूहमूल्यानि अर्थात् सामाजिकमूल्यानि अपि जायन्ते।

**मुख्यशब्दः** – मूल्यम्, भारतीयः, प्राचीनः, गुणाः, सामाजिकसेवा, शान्तिः, कीर्तिः, गान्धिमहात्मनः।

**मूल्यस्य अर्थः** :- मूल्यमिति पदम् आङ्ग्लभाषायां Value इति उच्यते। Value इति शब्दः लाटिनभाषायाः Valéry इति शब्दात् निष्पन्नोऽस्ति। यस्य च अर्थः कस्यचन वस्तुनः मूल्यम्, गुणम्, विशेषतां उपयोगितां वा सूचयति। इदं मूल्यम् एतादृशी एका आचारसंहिता आहोस्वित् सुणानां समूहः भवति। यत् मूल्यमाधारीकृत्य व्यक्तिः व्यक्तित्वविकासं, समाजः समाजविकासं च कर्तुं समर्था भवति। मूल्यानि इमानि धर्मप्रचारकैः, आध्यात्मिकप्राचारकैः, शिक्षाशास्त्रिभिः, मानवैः, दार्शनिकैः, राजकीयनायकैः, मनोवैज्ञानिकैः, समाजशास्त्रज्ञैः, चिन्तकैः च सञ्जायन्ते। तथैव प्राचीने भारते ऋषिभिः, महर्षिभिः, मुनिभिः, दार्शनिकैः च विभिन्नमूल्यानि संजातानि, सञ्जायन्ते च।

मूल्यवर्गीकरणम् :-

यद्यपि मूल्यविषये मतभेदाः सन्ति तथापि मूल्यानां १९७९ तमे वर्षे पर्णRऊ द्वारा प्रकाशिताः मूल्यप्रकारकाः ८४ सन्ति। तत्र प्रमुखाः मूल्यप्रकाराः एवं वर्तन्ते। ते यथा –

- |                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| १. सामाजिकमूल्यानि।   | २. आर्थिकमूल्यानि।     | ३. राजनैतिकमूल्यानि।   |
| ४. नैतिकमूल्यानि।     | ५. शास्त्रिकमूल्यानि।  | ६. आध्यात्मिकमूल्यानि। |
| ७. शैक्षिकमूल्यानि।   | ८. परम्परागतमूल्यानि।  | ९. आधुनिकमूल्यानि।     |
| १०. प्राथमिकमूल्यानि। | ११. उद्वेगमूल्यानि।    | १२. मानसिकमूल्यानि।    |
| १३. मानवीयमूल्यानि।   | १४. वैज्ञानिकमूल्यानि। | १५. राष्ट्रियमूल्यानि। |

एतेषां समेषां मूल्यानाम् आधारस्तु तद्देशीयवाङ्मय एव भवति। अर्थात् तद्देशीयसाहित्यानुगुणमेव तद्देशीयमूल्यानि उद्भवन्ति। तथैव अस्मद्देशीयमूल्यानि अपि भारतीयसंस्कृतवाङ्मये वर्तन्ते। यथा – वेदोपनिषत्पुराणरामायणभारतभागवतदर्शनादिषु ग्रन्थेषु अस्मद्देशीयपरम्परागतमूल्यानि ससान्दर्भिकम् उल्लिखितानि वर्तन्ते। भारतीयसंस्कृते नैकानि मूल्यानि प्रोक्तानि दृश्यन्ति। तत्रापि राजनैतिकमूल्यानि समाजे सर्वान् शासयन्ति। इमानि राजकीयमूल्यानि समाजे व्यक्तिं, व्यक्तिमूहञ्च शासयन्ति, अनुशासयन्ति, पालयन्ति, अनुपालयन्ति, नियन्त्रयन्ति दिशन्ति, आदिशन्ति च। भारतीयनवसमाजः चत्वारिमूल्येषु आधारितः वर्तते। यथा समानता - सोदरभावः - स्वेच्छा - समन्यायः इति मूल्येषु समाजः जीवति। इदृशान्येव मूल्यानि अपि च उत्कृष्टान्यपि मूल्यानि संस्कृतवाङ्मये उपदिष्टानि आसन्। यद्यपि समाजे नैकानि मूल्यानि सन्ति, तथापि तानि सर्वाण्यपि मूल्यानि राजनैतिकमूल्यानि एव नियन्त्रयन्ति, तत्रापि शिक्षाव्यवस्थां सर्वामपि राजनैतिकमूल्यान्येव उचितानुचितम् उपदिशन्ति प्रभावयन्ति च। परञ्च विद्यालयस्तरे राजनैतिकमूल्यानि अध्यापकैः छात्राः बोधनीयाः भवन्ति। अन्यथा राजनैतिकमूल्यानि समाजे न भवन्ति। केवलं राजकीयमूल्यान्येव दृश्यन्ते। संस्कृतवाङ्मये तु राजनैतिकमूल्यान्येव अवलोकयितुं शक्यन्ते।

भारतीयप्राचीने काले मूल्यशब्दस्य प्रयोगः गुणेति/शीलेति वा शब्दार्थे कृतोऽस्ति। मूल्यमिति पदेन व्यवहारः न स्यात् परन्तु सर्वदा सर्वत्र च मूल्यविचारैव कृतः आसीत्। शब्दोऽयं न मूल्यशब्दस्य पर्यायः अपि तु तत्समवाची शब्दः। उक्तं च यथा –

शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः।

नहि किञ्चिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्॥ (महाभारते)

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। (नीति. श. १.८३)

चन्दनं तगरं वापि उत्पलम् अथ वस्समिकी।

एतेसं गन्धजातानं शीलग्रन्थो अनुत्तरो॥ (धर्मपदम्)

**भारतीयसंस्कृतौ मूल्यानि:-** सृष्टविश्वासः अथवा सुदृढा रीतिः सांस्कृतिकमूल्यमिति उच्चते। मानवजीवनस्य उत्कर्षापादकः धर्मविशेषः संस्कृतिः भवति। उक्तञ्च - **भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा।** तत्तत् समाजे निवसतां जनानां समग्रजीवनविधानस्य प्रवृत्तीनां मूल्यानाञ्च सम्मिश्रितं रूपं संस्कृतिरिति। एवं तत्तत् समाजे निवसन्तः जनाः तदीयां संस्कृतिम् अनुभूय तां संस्कृतिम् आगामि सन्ततिभ्यः परम्परारूपेण सङ्क्रामयन्ति। संस्कृतिः द्विविधा भवति। भौतिकी, भावात्मिका च। दृग्गोचरी संस्कृतिः भौतिकसंस्कृतिः भवति। ऐतिहासिकप्रदेशाः दैनन्दिनजीवने उपयुज्यमानानि उपकरणानि, भौतिकवस्तूनि, सामाजिकाचाराशअच भौतिकसंस्कृतौ अन्तर्भवन्ति। वर्तमानकाले चित्रवस्तुप्रदर्शनशालाः अस्याः संस्कृतेः प्रतीकरूपाः भवन्ति।

भावात्मिका संस्कृतिः दृग्गोचरी न भवति परं अभिज्ञातुं शक्यते। मूल्यानि सामाजिकविश्वासाः, आदर्शाः, इत्यादयः भावात्मिकसंस्कृती अन्तर्भवन्ति।

**भारतीयसंस्कृतौ सामाजिकानि मूल्यानि :-**

आश्रमधर्माः, अतिथिसेवा, पुरुषार्थाः, क्षमा, कर्मसिद्धान्ते विश्वासः, विरागित्वम्, आध्यात्मिकता, सार्वजनीनभावना, भक्तिभावना, ईषणात्त्रयस्य परित्यागः, शान्तिकामना, ऋणत्रयात् विमोचनम् 7. सर्वभूतहितत्वम्, शिक्षाविषयणी संस्कृतिः, विश्वशान्तिः, सामाजिकी संस्कृतिः, सत्यनिष्ठता, वैवाहिकजीवनव्यवस्थाविषयकल्याणसंस्कृतिः, त्यागनिरतिः, आर्षसंस्कृतिः। इत्यादीनि भारतीयसंस्कृतौ प्रधानवैशिष्ट्यानि भवन्ति।

**भारतीयसंस्कृतौ मूल्यानि बहुधा वर्णितानि**

**आश्रमधर्माः-पुरुषार्थचतुष्टयश्च**

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोष्णात्।

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्।

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्योऽब्रवीत् मनुः॥

धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः।

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्ष्ययं कलासु च।

करोति कीर्तिं प्रीतिञ्च साधुकाव्य निषेवणम्॥

**कर्मसिद्धान्ते विश्वासः**

सञ्चितागामि कर्माणि दहन्ते ज्ञानकर्मणा।

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः।  
प्रारब्धानुभवान्मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः॥  
ज्ञानानिदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः॥  
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।  
यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन।  
मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥  
ज्ञानानिस्सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।

### आध्यात्मिकता

यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः।  
आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते॥  
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्योतिरेव यः।  
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥

### भक्तिभावना

अनेकजन्मसंसारचिते पापसमुच्चये।  
नाक्षीणे जायते पुंसां मार्तण्डाभिमुखी मतिः॥  
नाक्षीणे जायते पुंसां मार्तण्डाभिमुखी मतिः॥

### सर्वभूतहितत्वम्

ॐस्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।  
गोब्राह्मणेभ्यश्शुभमस्तु नित्यं लोकास्समस्तास्सुखिनो भवन्तु ॥

### विश्वशान्तिः

\_\_\_ ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्व  
शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

### त्यागनिरतिः

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। सत्यनिष्ठता

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ।

सत्यमेवाक्षयाः वेदाः सत्येनैवाप्यते परम् ॥

### अतिथेसेवा

अरौ अपि उचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते।

छेत्तुमपि आगते छायां न उपसंहरते द्रुमः॥

### विरागित्वम्

वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

### विश्वजनीनभावना

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

### ऋणत्रयात् विमोचनम्

पितृ-ऋणम्, ऋषि-ऋणम्, देव-ऋणमिति त्रिभिः ऋणवान् जायते। सन्तत्या पितृ-ऋणम्, ब्रह्मचर्येण ऋषि-ऋणम्, यज्ञयागाद्याचरणेन देव-ऋणञ्च अपाकर्तव्यं भवति।

### शिक्षाविषयिकीसंस्कृतिः

क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्।

क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम् ॥ समावर्तनोपदेशः शिक्षासंस्कृतेः प्रबलोदाहरणं भवति। तद्यथा - सत्यं वद, धर्मं चर,

स्वाध्यायात् मा प्रमदः .....।

### सामाजिकी संस्कृतिः

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः।

किन्तु में पशुभिस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषैरिव॥

### क्षमा

क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति । अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

राजनैतिकमूल्यानि :-

प्राचीनकाले राजनीतिशास्त्रस्य विभिन्नानि नामानि आसन्। यथा राजशास्त्रम्, राजर्धः, दण्डनीतिः, नीतिशास्त्रम्, अर्थशास्त्रमिति नामान्तराणि संस्कृतसाहित्ये विद्यन्ते। (मनु.६.२, महा. ६२. २९) राजनीतिशास्त्रस्य एकं सुप्रसिद्धनाम भवति नीतिशास्त्रमिति अत्र का नाम नीति इत्युक्तौ नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु सदाचारेषु लोकाः यथा स नीतिः अर्थात् प्रजान् सदाचारेषु यथा आनीयते सा एव नीतिरित्युच्यते। अत एवोच्यते नयनाद् नीतिरित्युच्यते ( शुक्रनीतिः.१.१५७) अस्मिन् नीतिशास्त्रे उक्ताः गुणाः एव राजनीत्यां स्वीकृताः आसन्। ते एव गुणाः राजनैतिकमूल्यानि इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते तेषु कतिचन मूल्यानि आधुनिकसमाजेऽपि दृश्यन्ते। तानि यथा- राज्ये संघटनभावः :- उत्तमसमाजस्य निर्माणं कतिचन मूल्यानामुपरि आधारितं भवतीति। यथा- ब्रह्मणे ब्रह्मणम्, क्षत्राय राजन्यम्, मरुद्भ्यो वैश्यम्, तपसे शूद्रम्। (यजु. ३०.५) अर्थात् अत्र अयमर्थः स्वीकर्तव्यः यत् ब्रह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रादयः कर्मानुगुणं विभक्ताः चेतदपि सर्वे मिलित्वैव राज्याङ्गं भवति। अतः संघटनमिति मूल्यमस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति।

**आदर्शराज्यस्य लक्षणानि :-** प्राचीनकाले आदर्शराज्यनिष्ठाणाय मूल्यानि कतिपयोक्तानि तान्यथा - लोकं पृण, छिद्रं पृण। (यजु. १५.५९) राज्यपालकाय वेदः निर्दिशति, यत् राज्ञा लोकहितमेवं जनहितबाधकानि च दूरीकरणीयानीति। एवं महाभारते, शुक्रनीतौ चोच्यते **प्रत्यक्षं सुखभूयिष्ठम्, आत्मसाक्षिकमच्छलम्।**

**सर्वलोकहितं धर्मं, क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्॥** (शान्ति. ६४. ५)

**सर्वोपजीवकं लोकस्थितिकृद् नीतिशास्त्रकम्।**

**धर्मार्थकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः॥** (शुक्र. १.५)

अत्र राज्यस्थ प्रजानां शान्तिः, कपटरहित्यं, लोकहितं, धर्मार्थकाममोक्षाः, राज्यस्य सुरक्षा च आदर्शराज्ये भवितव्यानीति राजनीतिशास्त्रं वदति।

**वृत्तिसम्बन्धमूल्यानि :-**

प्राचीने काले मनु-महाभारत-गीतादि ग्रन्थेषु कर्मानुगुणं गुणानुगुणं च वृत्तिः निर्दिष्टा वर्तते। यदि तस्यां वृत्तौ निदिष्टगुणाः न भवन्ति तर्हि ते शूद्राः भवन्तीति सुंणाः भवेयुः, नतु दुर्गुणाः इति चा ते यथा –

**ब्रह्मणक्षत्रियविशां, शूद्राणां च परन्तप।**

**कर्माणि प्रभविभक्तानि, स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥** (गीता. १८. ४१)

**तस्माद् धर्मो विहितो ब्रह्मणस्य दमः शौचमार्जवं चापि राजन्।**

**ऋजुर्मृदुरनृशंसः क्षमावान, स वै विप्रो नेतरः पापकर्मा॥** (शान्ति. ६३.७/७)

**शूद्रो राजन् भवति ब्रह्मबन्धुः, दुश्चारित्रो यश्च धर्मादपेतः।**

निर्मर्यादे चाशुचौ क्रूरवृत्तौ हिंसात्मके त्यक्तधर्मस्ववृत्ते ॥ (शान्ति. ६३.४/६)

इत्थं वृत्तिसम्बन्धानिमूल्यानि संस्कृते उल्लिखितानि वर्तन्ते।

राज्याङ्गानि :- भारते प्राचीनकालदेव सुराज्याङ्गव्यवस्था आसीदिति ज्ञायते यत्

स्वाम्यमात्य-सुहृत्-कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानि च।

सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं, तत्र मूर्धा नृपः स्मृतः॥

दृगमात्यः सुहृच्छ्रोत्रं, मुखं बलं मनः।

स्तौ पादौ दुर्गराष्ट्रौ, राज्याङ्गानि स्मृतानि हि॥ (शुक्र. १.६१, ६२)

अत्र राज्ञे शरीरे यथा अवयवाः प्रधानाः तथैव राज्ये अङ्गानि अपि अत्यन्तमूल्यानीति प्रत्यपादि। परञ्च इदानीं पालकेषु ईदृशानि मूल्यानि नैव दृश्यते।

राज्ञः गुणाः, कर्तव्यानि च :- राजा नाम अधुना राष्ट्रपतिः भवति। प्राचीने काले राष्ट्रपतेः कीयत्प्राधान्यमासीत् तावद् अद्यत्वे नैव अवलोक्यते यथा –

यदि न स्याद् नरपतिः, सम्यङ् नेता ततः प्रजाः।

अकर्णधारा जलधौ, विप्लवेतेह नौरिव॥ (शुक्र. १.६५)

राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं, प्रजाश्च राजोऽप्रतिमं शरीरम्।

राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा, देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति। (माहा. शान्ति. ६८.५९)

अत्र राज्ञा विना राज्यसुभिक्षं न भवति, राज्ञः अभावे राज्यं प्रजानाम् अभावे राज्यं नैव भवतीति राज्ञे महत् प्राधान्यं दत्तमासीत्।

राज्ञः गुणाः :- महाभारते, शुक्रनीतौ च राज्ञः गुणाः अत्यन्तं मूल्ययुक्तानि आसन्। कश्चन प्रापरिपालकः कथं स्यात्। प्रशासनदक्षता कीदृशी स्यात् इति संस्कृते स्पष्टनिरूपितमासीत्। यथा –

पिता माता गुरुर्भ्रता, बन्धुर्वैश्रवणोः यमः।

नित्यं सप्तगुणैरेषां, यक्तो राजा न चान्यथा॥ (शुक्र. १.७७)

माता पिता गुरुर्गोप्ता, वह्निवैश्रवणो यमः।

सप्त राज्ञो गुणानेतान्, मनुराह प्रजापतिः॥ (महा.शान्ति. १३९.१०३)

नहीदृशं संवननं, त्रिषु लोकेषु विद्यते।

दया मैत्री च भूतेषु, दानं च मधुरा चवाक्॥ (शुक्र. १. १७१)

इत्थमत्र बहुगुणसम्पन्नः राजा नित्यं प्राजासु ऐक्यं भवेदिति प्रचीनकाले राज्ञे निर्देशाः आसन्। इमे सर्वेऽपि तदानीतन राज्ञः मूल्यान्येव आसन्निति नास्ति सन्देहः।

**राज्ञः कर्तव्यानि** : - शूकनीतौ राज्ञः कर्तव्यानि सुपरिपालनाय, दुष्टदण्डनाय, शिष्टसंरक्षणाय, राज्ञा किं कर्तव्यानि इत्थं निर्दिष्टानि सन्ति। यथा –

**दुष्टनिग्रहणं दानं, प्रजायाः परिपालनम्।**

**यजनं राजसूयादेः, कोशानां न्यायतोऽर्जनम्॥**

**करदीकरणं राज्ञा, रिपूणां परिमर्दनम्।**

**भूमरुपार्जनं भूयो, राजवृत्तं तु चाष्टधा॥ ( शुक्र .१.१२३.१२३४ )**

अत्र राज्ञः कर्तव्यानि सुस्पष्टानि उद्दिष्टानि इमान्येव कर्तव्यानि मूल्यत्वेन परिणम्य लोके अधुनापि अस्माभिः अनुभूयते एव।

**उपसंहारः** - भारतीयसमाजः ऋषीणां, महर्षीणां मुनीनां, कविनां परम्परात्मकः वर्तते। एतेषां कारणेनैव भारतीयसनातनधर्मः परिदृश्यते। तथैव संस्कृतवाङ्मये नैके विषयाः प्रोक्ताः, तत्र सामाजिक-राजनैतिक-शैक्षिक-आर्थिक-आध्यात्मिक-वैज्ञानिक-शास्त्रीयविषयाः तत्तत् सन्दर्भानुगुणं उल्लिखिताः वर्तन्ते। एते विषयाः कालानुक्रमेण मूल्यरूपेण परिणम्य समाजे सम्मिलिताः वर्तन्ते। अत्र राजनैतिकमूल्यानि समाजमत्यन्तं प्रभावयन्ति। नैकानिमूल्यानि सस्त्वपि राजनैतिकमूल्यानि प्राचीने आधुनिके च अन्यानि मूल्यानि प्रभावयन्ति। संस्कृतवाङ्मये नैकानि राजनैतिकमूल्यानि वर्तन्ते। राज्ञः गुणाः-कर्तव्यानि, राजधर्माः, राज्याङ्गानि, संविधानम्, प्रशासनविधानम्, दण्डनीतिः, वृत्तिधर्माः, शिक्षाविषयकराजधर्माः इतीमे विषयाः मूल्यरूपेण अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। वस्तुतः गुणाः एव मूल्यानि भवन्ति। अतः संस्कृतवाङ्मये राजनैतिकमूल्यानि अधुनिकराजकीयमूल्यै सह छात्रेभ्यः बोधनीयाः भवन्ति। इति मे मतिः।

**सन्दर्भग्रन्थसूची :-**

1. वेदों में राजनीतिशास्त्र –डा. कपिलदेव द्विवेदी –विश्वभारती अनुसन्धान परिषद् -ज्ञानपुर।
2. वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र – डा.कपिलदेव द्विवेदी-विश्वभारती अनुसन्धान परिषद् - ज्ञानपुर।
3. वर्तमानभारतदेशमुलो विद्या –तेलुगु अकाडमी- अन्ध्रप्रदेश:- हैदराबाद् -२००१३।
4. कौटिल्यमर्थशास्त्रम् - पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु, श्रीजयलक्ष्मी पब्लिकेशन्स्, हैदराबाद्।
5. भारतीय संस्कृति - डा.प्रीति प्रभा गोयल, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर।
6. वैदिकशिक्षापद्धतिः - डा.भाष्यकरमिश्रः, महर्षिसान्दीपनि राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनि, २००३।

## परिभाषानिसरनस्थानकृत आन्तर्यस्य बलीयस्यश्च विमर्शः



डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः  
(वैयाकरणशास्त्र विशारदः) प्राचार्य,  
गुरुकुल शिक्षा समिति, मौजमाबाद,  
जयपुर, राजस्थान, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 196-211

Publication Issue :

September-October-2020

Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांशः**— अवयवसमूहरूपत्वान् मिदेः । अथ गुणविधाविक परिभाषाभावे तस्यानिग्लक्षणत्वात्। चितं स्तुतं भिन्न छिन्नमित्यादौ किडति चेति निषेधो न स्यात् । नैष दोषः । क्कुक्कुक्नो क्तोश्च कित्कारणं ज्ञापकमनिग्लक्षणयोरपि सार्वधातुकादि लघूपधगुणयोर्निषेधो भवतीति। धातुप्रत्ययो कित्वं कृत्वं सजातीयत्वात् धातुप्रत्ययनिमित्ते एव गुणवृद्धि निवर्तयति।

**मुख्यशब्दः**— परिभाषानिसरनस्थानकृत, आन्तर्यस्य, बलीयस्यश्च, परिहारः, विमर्शः।

**परिभाषानिसरन आक्षेप विमर्शः** । किञ्च सर्वेषामेष परिहारः। इतो सर्वनामस्थान इतीत्<sup>1</sup> ग्रहणं ज्ञापकं स्वसंज्ञया विधान एवेक परिभाषोपतिष्ठते। नान्यत्र पूर्वसूत्रद्वयानुवृत्त्याप्ययमर्थः सिध्यतीत्यपि प्रागुक्तं तदर्थं गुणवृद्धिग्रहणं न कर्तव्यमिति स्थितम् । अथ किमर्थमियं परिभाषारभ्यते। गुणवृद्धयोरिकपदोपस्थाने न स्थानिनियमो यथा स्यात्। नैतदस्ति प्रयोजनमिह तावत् ह्रस्वस्य गुणः<sup>2</sup>, जसि च<sup>3</sup>, घेडिति ऋतोडिसर्वनामस्थानयोः, ओर्गुणः<sup>4</sup>, ऋतश्च संयोगादेः, गुणोर्तिसंयोगाद्योः उरडि गुणः इत्यादौ ह्रस्वादिना गृह्यमाणे नाड्स्य विशेषणात् स्थाने स्थानि अनपायादलोन्त्यपरिभाषायां यस्येक एव गुणो भविष्यति न हे अग्निर्वित्यादौ पुगन्तलघूपधस्य गणोऽपि अन्तः लध्वी उपधेति तत्पुरुषाश्रयणादन च तद् विशेषणादकोऽपीत्यादाविक एव सिद्धः । एवं मिदेर्गुणोऽपि मिद इनिरितीकत्वात् । ऋच्छति गुणोऽपि अकारान्तरप्रश्लेषाद् वृत्तेनुरेव भविष्यति।

दृशेरपि योगविभागात्सिद्धम्। उरडि गुणः ततो दृशे उरित्येव । क्षिप्रक्षुदयोरपि योरपि योगो विभज्यतेस्थूल इग्युवरयुव ह्रस्वानां यणादिपरं यणश्चादिर्यणादिः यणादेः परं यणादिपरमिति पञ्चमीसमासः एषां यणः आदिभूतावर्णात्परं शब्दरूपं लुप्यत इत्यर्थः न चैवं ह्रस्वशब्दे हकारान्त्य तस्य ह्रस्वशब्दस्य लोपप्रसंगो विप्रतिषेधाश्रयणात्सकृत्प्रवृत्त्या चरितार्थस्य पुनः प्रवृत्त्यभावाच्च।

न चाक्षरसमाम्नायेन फलस्यैव परत्वात्तदानेनैव लोपः सूक्तं वाच्यम् । प्रयोगश्रुतवर्णपाठापेक्षयैव शब्दपरविप्रतिषेधस्य प्रसिद्धेः । अन्यथा पब्धामृधेत्यत्र भाष्योदाहृतः स बाध्येत वर्णपाठे तु मस्यैव परत्वात् । तदेवं परस्य यणादेर्लोपे कृते पूर्वस्य च गुणः कस्मात्पूर्वस्य अर्थाद्यण आदेर्वर्णात्यकारात् वकाराच्च पूर्वस्येति गम्यते । एतदेव च पूर्वग्रहणस्य प्रयोजनम् । एवञ्च जसि गुणादिरन्त्यस्य मिदि गुणादिस्त्वन्त्यस्ये क एवेति सिद्ध मिष्टम् । स्यादे तत् । सार्वधातुकादिगुणोगी<sup>5</sup>त्यस्य भवन्नन्त्यस्य विशेषितत्वादनिकोऽपि स्यात् । याता वाता ग्लायति इहिता उम्भितेत्यादौ एवं डसि गुणोऽपि इहापि स्यादनेनिजुः पर्यवेविमुरिति।

अत आत्सन्ध्यक्षरव्यञ्जनानां मा भूदिति गुणविधाविक इतिवत् कृत्यम् । नैतदस्ति प्रयोजनं ज्ञापकासिद्धं यदयमातोऽनुपसर्गे क<sup>6</sup> इति ककारमनुबन्धं करोति तत् ज्ञापयति नाकारस्य गुणो भवतीति यदि स्यात् नैवैनं कुर्यात् आकारस्य गुणोऽकारे कृते द्वयोरकारयोः पररूपेव सिद्धं गोदः कम्बलदः इति । मैवमुत्तरार्थमेतत्स्यात् । न तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोरिति। एवं तर्हि न्यायो वृकः कित्वं ज्ञापकमन्यथा पूर्ववद्गुणे द्वयोः पररूपेव सिद्धः स्यात् सागम इति। अत्र केचित् सामगायेत्यादावेवादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणादातो धातोरिति लोपः स्यात्।

न च पररूपात्परत्वादाऊत्वाच्चातो लोपप्रसङ्गः । आर्धधातुकोपदेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणाद् यदकारान्तं तस्यातो लोप विज्ञानात् । अन्यथागत इत्यादावपि स्यादिति चेत् । अत्रोक्तं कैयटेन सन्निपातपरिभाषया लोपो<sup>7</sup> न भविष्यति। अकारं व्याश्रित्यनिपातनाद् भवतीति नव्यास्त्वाहुः। धात्वधातुसमुदायस्याकारो न त्वाद्धातोराकारोत्वाभावाद् लोप प्रसङ्ग एव नास्ति । यथाश्रुमप्यकुलायेत्यत्र क्विबन्तेऽस्ति प्रसंगा।

न चैकादेशस्य पूर्वगतित्वेन ग्रहणादित्युक्तयुक्तिमत् खट्वाभिरित्यादाविव छन्दो गायेत्येकादेशान्ते पूर्वव्यपदेशनिबन्धनस्य प्रवर्त्यस्य कार्यस्याभावात् इति । तदप्रेक्षिताभिधानं ब्रह्म च भूरित्यत्रापि प्रातिपदिकाप्रातिपदिकसमुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सुबुत्पनापत्तेः । नन्वेतदर्थमेवांतादिवभाव आरभ्यते । प्रातिपदिकग्रहणाग्रहणं यथा स्यादिति कथं चैतद् भवति एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्। तर्हि सामगायेत्यत्रापि एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणाददन्तस्य धातुत्वेकानुपपत्तिः । तथा च तस्यैव सुपि चेति<sup>8</sup> दीर्घ कृते एकदेशविकृतन्यायेन धातुश्चादन्तश्चासौ भवतीति कथं नामो लोपः स्यात् । यत्तूक्तं- ब्रह्मवं भूरित्यादाविवेहैकादेशान्ते पूर्वव्यपदेशनिबन्धनस्य प्रवर्त्यस्य कार्यभावादिति । तदप्यसत्। आतो लोपस्याप्येकादेशान्त एव प्रवर्तनात्। नैकादेशो दीर्घ इति चेत् । किमेतावता आतोरादन्तत्वं विहन्यते।

न चैकादेशोऽविकृत एवान्तादिवद्भावो भवति तर्हि दन्ते राजा ज्ञापयति। आश्रीयमाणं पूर्वं प्रत्यन्तवदित्युक्तत्वात् । आश्रितश्चात्र धातुलोपं प्रति निमित्तत्वेन तस्य एव निर्दिष्टे तन्मात्रस्य वा विकृतस्य वास्तु कार्यं न तत्राग्रहः । न हि दृष्टान्ते तथा न दृष्टमित्येता लक्षणं संलोचमर्हति । यावद् वचनं वाचनिकमिति न्यायात् । अन्यथा देवताब्रह्म वंधूव नास्तीत्यादन्ते नैतत्प्रवर्तत इत्यप्युच्येत।

यदप्युच्यते:- सन्निपातपरिभाषया समाधानमप्ययुक्तम्। अकारलोपे य शब्दस्यानिमित्तत्वादिति। तदप्यसत् । या देशे हि विशिष्टं निमित्तं ह्रस्वत्वमत्वं च अत इत्यनुवृत्तेः । तत्र यद्यपि दीर्घेण ह्रस्वरूपं निवर्तितं अत्वं तु तदनुगतमिहाप्यस्ति तदप्यातो लोपे न निवर्तनीयं चेद् भवति

य शब्दो निमित्तं सन्निपात परिभाषा तत्र यथा दीर्घ णत्वा विधाने ऽपि हु स्वत्व विधातान्निमित्तविधातः शंक्यते । एवमातो लोपेऽपि ह्रस्वविधतेष्वप्यत्वविधानान्निमित्त विधान उच्यते। विशेष्योभयात्मकत्वाद् विशिष्टस्यान्यतरनिवृत्यापि विशिष्टनिवृत्तेर्दृष्टत्वात्।

किञ्च दीर्घण निवृत्तावस्यादेशद्वारा स एवानुवर्तत इति व्यपदिश्यते स्थानिन्यकारे दृष्टस्यात्वस्यादेशेऽपि प्रत्यभिज्ञानात्। तस्यापि चेदातो लोपः स्यात् वान्त्येति क एवोच्छेदोकारस्य कृतः स्यात् । प्रत्यभिज्ञा हेतोः कस्याप्यंशस्य दर्शनात् । ह्रस्वद्वयसंघात एव दीर्घ इति तु दर्शने आतो लोपे न इस्वद्वयमेव निवर्तते। ह्रस्वश्च य शब्दस्य निमित्तमिति स्पष्ट एव निमित्तसन्निपातविधातः । अन्येत्वाहुः । कप्रत्ययसन्निपाताश्रयं यत्वं स्थानिवद्भूतादशलोपस्य निमित्तमिति । यदप्युक्तं सन्निपातपरिभाषा नित्याच्चेद् दीर्घेणापि न भाव्यम्। अथानित्या तातो लोपोऽपि स्यादिति। नदपि तुच्छां दीर्घप्रत्येव ज्ञापकदर्शनादनित्यत्वं नान्यं प्रत्यपीति कैयटेनैव स्पष्टमभिधानात् । अत्र चार्थेऽनन्यार्थतां टकः कित्वस्य च वदन् भाष्यकार एव प्रमाणम्।

एतेन शुभंया<sup>9</sup> शब्दस्य नपुंसके ह्रस्वे च डेर्यदेशे दीर्घ च सत्यातो धातोरित्यालोपे च शुभंय्येति भवतीति वदन् माधवोऽपि प्रत्युक्तः। यदप्युच्यते परमार्थतस्तु सन्निपातः संश्लेषस्तन्निमित्तो यो विधिसतत् विधातस्यातं सन्निपात यो विहन्ति तस्य विधेरनिमित्तमिति परिभाषार्थात् छन्दो गायेत्यत्रात्वमेव न स्यात् । तस्यैव सन्निपातविधात<sup>10</sup> कालोप्यनिमित्तत्वात्। य शब्दनिमित्तकत्वाच्च यथा शातानीत्यत्र षट्संज्ञा न भवति इयेषेत्यत्र वाम् इति। तदप्यनतिरिक्तार्थं तथा हि यद्यकारसंश्लेषनिमित्तो विधिर्यशब्दः सगकारसन्निपातं यो विहन्ति विधिरात्वं तस्य निमित्तमित्यत्वं नैव स्यादभिमतं तदेतन्न पूर्वमुच्यते कैयटादिभिरेवापादित्वात् । कष्टायेति ज्ञापकेनपारेहृतत्वाच्च। किञ्च वस्यैव सन्निपातविधातलोपनिमित्तत्वादिति हेतावपि यदि तस्यैवेत्यनेन सन्निहितयात्वमेव परामृष्यते तदा विशेषण सिद्धिः । न ह्योलोपोऽकार सन्निपातं विहन्ति दीर्घेणैव तस्य प्रागेव निवृत्तत्वात् । अथ सन्निहितसन्निपातविधातकत्व माकारस्य विशेषणं न लोपस्य ततश्चायमर्थः आकारोकारं सन्निपातविधातको य आकरस्तस्य यो लोपस्तन्निमित्तमित्याकार एव न स्यादिति मतं तालोप निमित्तत्वादिति अयं विशेष्यत सन्निपातविधातकलोपनिमित्तत्वादिति।

तदपि न कार्थिणे निमित्तत्वविरोधात् । अन्यथाशेत इत्यत्र किङ्कित्चेति गुणनिषेधापत्तेः<sup>11</sup> किञ्च यकारस्य हि सन्निपातः किं य शब्देनोताकारेणैव नाद्यः य शब्दस्याकार सन्निपात लक्षणत्वसम्भवात् । तद् विधातस्येति तच्छब्देन विधिशब्दोपस्थायि स य शब्दसन्निपातस्य सङ्गतं सिद्धिसिद्धि व्याघातादेव।

किञ्चातोलोपे अ च परामर्शात् । न द्वितीयः आकारस्याकार सन्निपातलक्षणत्वाभावात्। सिद्धिसिद्धिव्याघातात् अथोच्येत य शब्दसन्निपातकृतो विधिनात्वं तद्यथा शब्दाकारसन्निपात विधातकस्यातो लोपस्यानिमित्तमिति । ताकार एव न स्यादित्यापादनमसतम्। सिद्धिसिद्धिव्याघातादेव । किञ्चातो लोपे आकारः कार्यं न च कार्यानिमित्तमित्युच्यते । तथा हि सति शेते इति किङ्कित्चेति गुणनिषेधः प्रसज्येत<sup>12</sup>। तत्र कथमनिमित्त तद्विधातस्येत्येतत्प्रयोजनम्।

न च निमित्तशब्दः प्रयोजकपरः अन्यैस्तथानभिधानात् । अथापि कथञ्चित्स्यात् । तर्हि सिद्धं न समीहितं उपपन्नतरमेतत्सन्निपातपरिभाषया लोपो न भविष्यतीति कैयटे दूषणमलग्नकम् । तथा च सन्निपातपरिभाषया समाधानमप्युक्तमित्येवायुक्तम् अन्ये त्वाहुः सामग अ इति स्थितेऽन्तरत्वात् पूर्वरूपे वान्तादिवत्भावात्पूर्वमेव वार्णादाङ्गं बलीय इति ।

डेयदेशे दीर्घ च कृतेऽप्यातो लोपो न प्राप्नोति वातोरान्तत्वाभावात् । न चान्तवभावात्प्राप्तिः दीर्घस्यैकादेशत्वाभावात् । दीर्घात्पूर्वं चान्तवभावो न प्रवर्तते संज्ञापरिभाषावत्कार्यार्थत्वेन न कार्यकालत्वादतिदेशस्य तदानीं च कार्याभावादकारान्तत्वात् । इति तन्ना दीर्घ कृतेऽपि तस्य स्थानिवद्भावेनैकादेशत्वादान्तवद्भावसम्भवात् ।

न च आदेशत्वमच्चिधिः । यदा तु यथोदेशपक्षस्तदानपेक्ष्यैव प्रयोजनमन्तवद्भावे कृतेऽपि प्रान्यूह एवातो लोप इति । तस्मात्सन्निपातपरिभाषया न भवतीत्येतदेव ज्यायः । अथ ग्लायतीत्यादौ सन्ध्यक्षराणां गुणो मा भूदिक परिभाषारन्वव्येति चेत् । न ग्लै<sup>13</sup> ग्लै इत्यैजुपदेशो ज्ञापयति न सन्ध्यक्षरस्य गुणो भवतीति । अन्यथा प्रक्रिया नाद्यवार्थ इत्येवोपक्षिशेत् । यद्येवमापादयोऽपि न स्युः नैवं यं विधिं प्रत्युपदेशोऽनर्थक सुप्विधिर्बाध्यते । यस्य तु विधेः निमित्तमेव नासौ बाध्यते गुणञ्च प्रत्युपदेशोऽनर्थकः आयादीनां पुनर्निमित्तमेव । तमन्तरेण ग्लायतीत्यसिद्धेरिति न ते बाध्यते ।

नून यद्ययादयः स्युः तर्हि ग्लाय् इत्येवोपदिश्येत् । मैवं तथा सति त्वया ग्लायत इति रूपं न सिध्येत् यलोप सम्भवात् ।

किञ्चैवमेकाजजन्तत्वाभावात् । ग्लायत्यादावित् प्रसङ्गा । तुल्य नोपदेशेष्वेते पठिष्यत इति तन्न । अग्लासिष्टामित्यसिद्धेः । अतादन्तत्वेन सगिटोरसंभवात् । यमरमनमातां सक्चेत्युक्तौ<sup>14</sup> त्वपसिष्टसिद्धेः । तस्मादुपदेशसामर्थ्याद् गुण न भवतीत्येव ज्यायः । नन्वेवमादेच इत्यात्वमपि बाध्यते न यजुपदेश आत्वस्य निमित्तं ग्लै इत्युपदेशोऽपि तस्य सुकरत्वात् इति । विवरणकृतोक्तोः ।

यत्तु प्रज्ञाचक्षुराह । नैतदेवं ग्ले इति पाठे ग्लायतीति रूपासिद्धिप्रसङ्गत् । द्विमात्रत्वाविशेषात्प्रक्रियालाघत्वे विशेषाभावाच्चैकारपाठस्य उपपत्तेरिति तदाशया ज्ञानाविजृम्भितम् । एवं हि स मन्यते । यदि सन्ध्यक्षराणामुपदेशसामर्थ्याद् वृणोत भवतीत्युच्यते तात्यसपि न स्यात् । डि.ति गुणनिषेधेत्यात्वेनापहतत्वेनैव श्रवणासंभवात् । न चात्वसिध्यर्थमचैजुपदेशः एकारपाठेनापि तत्सिद्धेः । यत्तु तदुक्तं ग्लायतीति रूपासिद्धिः स्यादिति । तदसत् कृतेऽप्यैजुपदेशे गुणो नैकारेयादेशे च ग्लायतीत्येव रूपेण नित्यं भवितव्यं न ग्लायतीति तत्र चावश्यकत्वादेकार एवोपदिश्यतां एवञ्च प्रक्रियालाघवमपि भवति । अन्यथा<sup>15</sup> एकारमुपदिश्य तस्य गुणेन एकारं संपाद्य तस्याच्चादेशे क्रियमाणे गौरवापत्तिः ।

यदपि स्वयं परिजहार<sup>16</sup> यद्यैच आत्वं स्यादाकारमेवोपदिशेत् । न चैवं ग्लायतीति रूपासिद्धिः । श्यन् व्यत्ययेन सिद्धे यथादावेवायं त दैवास्तीति भाष्ये दापयतीति सिद्धिः नन्वेवमादैच उपदेशोऽशित्<sup>17</sup>त्यनर्थकं तथा चोपदेशसूत्रप्रामाण्यन्यथानुपपत्त्या विकल्पः स्यात्तथा च न व्याख्येति कैयटोक्तज्ञापकानुपपत्तिरिति चेन्न । सूत्रस्यैव खण्डने शो तंनूकरणे षान्त कर्मणीत्यादौ चरितार्थत्वात् ।

न च तत्राप्युपदेशसामा दात्वाभाव इति वाच्यम् । द्यतीत्यादावोकारोपदेशस्य लोपार्थत्वात् । ओतः<sup>18</sup> श्यनीत्याकारोपादानेन तद् विधानात् । न चातः श्यनीत्येव वक्तुं युक्तम् श्यन् व्यत्ययपक्षे दापतीत्यादेरसिद्धिसिद्धिङ्गात् । नन्वेवमादो त उपदेशे इत्येव वदेकिमेच् ग्रहणेनेतिचेत्<sup>19</sup> । न। प्रत्याहारग्रहणस्य धेट पाने ज्योङ् नियमव्रतादो दोऽवखण्डने इत्याद्यर्थत्वात् । न चात्रोपदेशसामर्थ्यम् ।

धयति ज्यवते द्यतीत्यादिरूपसिध्यर्थत्वात् । एवं तह्यदेङ् उपदेश इत्येक ग्रहण एव कर्तव्ये एच इति वचनादैकारोप्यात्वनिमित्तमिति चेत् । ऐजुपादानस्य मीनातिमिनोतीत्यत्र दापयतीति मापयतीत्येतदर्थत्वात् । तथा चैकारो नात्वस्य निमित्तमित्यात्वं वा बाधेतेति। तदप्यसत् । यत् तावदुच्यते :- ग्लायतीति श्यन् व्यत्ययेनेति। तदयुक्तं छन्दसि हि व्यत्यय उक्तः स भाषायां कथं स्यात् । दापतीत्यत्र तु भाष्यकारवचनाद्भवतुनाम् ।

न चेह तथा वचनमस्ति । अथ मतं दिवादिषुपाठः कर्तव्यः इति तर्हि गै शब्देपैओ वै शोषण इत्येतावपि यद्यादन्तौततस्तयोः श्यनि गायति पायतीत्यत्र घुमास्थेतीत्वं<sup>20</sup> स्यात् । पयतेश्चादन्तपाठेरिवादेश शप्रत्ययः सिज्जुकोपि स्युः । अथैतो न श्यनन्तौ। तर्हि गायतीत्यादिव सिध्येत् । अथैतावेदन्तौभोवादिको तर्हि गुणः स्यात् । अथैजुपदेशसामर्थ्याद्गुणभावः तात्वमपि गाता पातेति न स्यात् गुणवदेकारपाठेनाप्युपत्तेः । अथापि कथञ्चिदात्वमत्रेष्यते तेषु कथमादेच इत्यैजुपादानमुत्तरार्थाकृतमिहार्थत्वस्यैव सम्भवात् ।

यत्तु केचिदाहुः- नैचः आत्वेन भाव्यं परत्वाद्गुणप्राप्तेः । न चात्वं नित्यम् अनैमित्तिकमात्वं शिति तु प्रतिषेध इत्युक्तेरात्वस्यान्तरकृत्वाद्गुणात्पूर्वं प्रवृत्तेः किञ्च यदप्युत्तरार्थमित्युक्तम् ।

तदप्यसत् । मीनाति<sup>21</sup> सूत्रे हि नैचः स्थाने आत्वमुच्यतेऽपित्वेनिमित्ते प्रत्ययेवि वक्षिते।

उपदेशावस्थायामेवान्त्यमात्रस्यात्वं विधीयते। अन्यथा दापो वर्तते इत्यादौ भावे घनं बाधित्वा एरच् स्यात् । ईषदवदानः स्ववदान इत्यातो युच्च न स्यात् । अवदाय इति श्यन्व्यधेति न स्यात् । यत्तु घुसंज्ञाभाष्ये उपक्षये इत्यत्रोक्तेः अकारान्तानामेजन्ताः प्रकृतयः एजन्तानामपीकारान्ताः ।

न च प्रकृतिप्रकृतिप्रकृतिग्रहणेन ग्रह्यत इति । वार्तिककृतो मतमेतावत् । यत्वात्विकमिति तत्रैव स्थितम् । एवञ्च एङ् निमित्ते प्रत्यय इत्युच्यमानेऽपि दापयति मापयतीत्यात्व सिध्यत्येव णिचो गुणं प्रत्यपि निमित्तत्वात् । वृद्धयागुण बाधनेऽपि गुणनिमित्तत्वानपायात् । न ह्यत्र कुर्वद् रूपं निमित्तत्वानपायात् । न येवमप्यसंभवादुपदेश एवात्वविधानात्। किन्तु योग्यतारूपं तच्च गुणं प्रत्यप्यस्ति।

न च परिकल्प्यर<sup>22</sup> चेति न्यायादपवादविषयम् उत्सर्गस्य गुणस्य योग्यतापि नास्तीति युक्तम् । कार्याभावस्यान्य हेतुकत्वेन<sup>23</sup> योग्यतानपायात् ।

अन्यथात्वविषये ऐज निमित्ततापिदुर्लभा स्यात् । न चात्वप्रवृत्तेः प्रागसञ्जातविरौधित्वेनैज् वृद्धिरेवास्ति। गुणवृद्धिस्तु णौ विवक्षिते वृद्धिबुध्यानिवर्तितेति नेङ् निमित्तता शक्यते व्यवसातुमिति वाच्यम् । यतो सौ निवर्त्यते अत एव तद्योग्यतोच्यते न हि

नित्यप्रसक्तेऽत्यन्ताप्रसक्ते वा तद्योग्यतया व्यपदिश्यते इति अथापि अकारान्तानामेजन्ताः प्रकृतयः एजन्तानामपीकारान्ता इति वार्तिक पक्ष आश्रीयेत्। तत्रापि वृद्धौ कृतायामपि पुनः प्रसङ्गविज्ञानाद् गुणप्रवृत्तेरवश्यं भावात्।

किञ्च । ग्लायत इत्यादौ द्विवचनादिषु सति शिष्टत्वान्निस्वरः प्रसज्जेत् । अथात्र तस्यानुदात्तेदिति ल सार्वधातुकानुदात्तं ल भविष्यति। एवमपि ग्लायमान इति वावश्यनिष्ठ स्वरं स्यात् । नन्वन्यत्र विकरणेभ्य इति पर्युदासान्निस्तरेण न भाव्यम्। सत्याम्यतो नित्कारणसामर्थ्यात्पर्युहासो बाधिष्यते। अन्यथानुदात्ते प्रत्यये धातुस्वरेण सिद्धं उदात्तसंभुतेनैव वातितत्वाच्च नित्वमनर्थकं स्यादिति नित्स्वरे बाधित्वानित्स्वर एव स्यात् । अथ भाष्यकारेण दायतीत्यादौ श्यन आश्रयणादत्र नित्स्वरो न भविष्यतीति चेन्ना।

भाष्यकार वचनप्रामाण्यात् तस्य स्वरस्येष्टत्वात्। यथोत्तरं<sup>24</sup> मुनीनां प्रामाण्यात्। अन्यत्र तत्स्वरस्वीकारे प्रमाणाभावात्।

तस्मादादन्तपाठे य सिज् लुक् युक्तः न च श्यन् व्यत्ययोऽपि । न चादेचे शिति गुणो शिति वा तमित्युभाभ्यामैवोपहारान् क्वचिदप्ययं श्रूयेतेति गुणवदात्वमपि बाधेतेति प्राप्तम् । तत्समाधत्ते स्म कैयटः न व्याख्येति निपातनादात्वं गुणावत्र बाधिष्यते इति। अस्तु तर्हि ऐजुपदेश न व्याख्येति<sup>25</sup> लिअभ्यामात्वविकल्पइत्यत उक्तं निपातनादिति। अनिमित्तानामप्यैचां निपातत्वादेवात्वमित्यर्थः । बाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति सर्वनामानीति णत्वाभाववत्। तेन आत्वं भवति न विकल्पेन । गुणे तु तथा निपातनादर्शनायं विधिं प्रतीति न्यायादुत्वं तं स वोच्यते । एवं ध्यायतीत्यादा वैजुपदेशस्यार्थत्वात्सामोपक्षयात्नात्वेपि विकल्प शंकोदय इति भावः।

यत्तु ध्यायते कृतात्वस्य निर्देशात्सामान्येन वा निमित्तमैकार इति ज्ञाप्यत इत्याचक्षते । तदसत् । लिङ्गादात्वमुपदेशसामर्थ्याच्च तदभाव इति विकल्पतयादुपपत्तेरात्वस्यैकान्तिकत्वासिद्धेः निपातनाभिधानवैयर्थ्यप्रसङ्गच्चेति। इदं तत्प्रयोजनं व्यञ्ज नस्य गुणे मा भूत् इति हसितेति। हकारस्य कथं स्याकारः भकारस्य चौध्यस्यौ कारः स्यात् तस्य चायादेशे श्रुतेऽनुस्वारपरसवर्णयोर्निवृत्तानुनवितेति स्यात् । नैष दोषः ।

सप्तम्यां जनेर्<sup>26</sup> इति डित्करणं ज्ञापकोपजनस्य गुणो भवतीति। यदि स्यात् नकारस्यार्धमात्रिकस्य मात्रिकेऽकारे गुणे कृते त्रयाणामकाराणामतो गुण इति पररूपमेव सिद्धम् । उपसरजो मन्दुरज इति किं टिलोपार्थे न डित्करणे नानच् डकारः श्रवणार्थो स्थितिः वाच्यम् । प्रावृटशरत्कालदिवाज<sup>27</sup> इत्यत्र जनेर्<sup>26</sup> प्रत्यये कृत टिलोपस्य निर्देशाल्लितात् ।

ननु नैतल्लिड जायते कोतस्य ज इति निर्देशोपपत्तेः । अथ कर्मण्युपपदे को विहितः कथं प्रावृषिज इत्यादौ स्यादिति चेत् । एवं तर्हि सुपि च इत्यत्र सुपीति योगविभागाद् भविष्यति द्विपः पापदं इति यथा। सत्यं डकारस्य श्रवणार्थत्वे इत्संज्ञाशास्त्रं बाध्यं स्यात् । न च प्रयोजनाभावः टिलोपार्थत्वात् । न च गुणेन सोऽन्यथासिद्धः । तत एव ज्ञापनफलत्वात्। न चैवं कल्पनागौरवं फलमुखस्य तत्यादोषत्वात् । ननु नकारस्य गुणोऽन्तरतमत्वात्सानुनासिकोकारः स्यान्न चास्य पररूपेण<sup>28</sup> शुद्धिर्भविष्यतीति शङ्क्यम् । पररूपेणापि सानुनासिकनिरनुनासिककयोः स्थानेऽन्तरतम<sup>29</sup> इत्यनुनासिके नैव भाव्यत्वात् । अत्राहुः- एङि पर इतीयता सिद्धरूपग्रहणस्यैतत्प्रयोजनं यादृशं परस्य रूपं निरनुनासिकमित्यादिकृत्स्वधर्मवत्तादृशमेवैकादेशो यथा स्यादिति।

यत्तु केचिदाहुः- नन्वेडि पर इत्युच्यमानेऽपि भाव्यमानोऽण् सवर्णान् गृह्णातीति यादृशः<sup>30</sup> परस्तादृश एव भविष्यतीति व्यर्थ रूपग्रहणमिति चेत् । न क्वचिद् भाव्यमानोऽप्यण् सवर्णान् गृह्णातीति ज्ञापनार्थत्वादमूभ्यामित्यादिसिद्धये इति तदसत् । पर इति यत्युक्तेऽपि सिद्धस्य परस्य विधेयत्वासम्भवादवश्यं परशब्देनाकृतिः सादृश्यं वा लक्षणीयं तत् चानुनासिकादिसाधारणं न चात्यन्तसादृश्यान्निरनुनासिकयवलक्षयिष्यत इति वाच्यम् । आत्यन्तिकत्वलक्षणे प्रमाणाभावात् सादृश्यमात्रलक्षणयापि विध्युपपत्तेः । अत्र चार्थे रूपग्रहणमेव ज्ञापकम् । गमेरप्यभ्यामित्यादौ तु दिव उदिति<sup>31</sup> तपरत्वं ज्ञापकं भाव्यमानोऽप्युवर्णः सवर्णान् गृह्णातीति तदप्युवर्णमात्रविपर्यानाम्नात्रविषयम् । तथात्वे हि त्यदाद्यत्वमिदमो मस्य सानुनासिकं प्रसज्येतेति । तस्माज्जनेर्द वचनं ज्ञापकं न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति प्राप्तेराह भाष्यकारः नैतदस्ति ज्ञापकं गमेरप्ययं डविधियते गमेश्च गुण उच्यमान आन्तर्यत आकारः स्यादिति । विवृतं च कैयटेन सप्तम्यां जनेर्द<sup>32</sup> इत्यतोऽन्येष्वपि दृश्यत इत्यत्र डोऽनुवर्तमानो गमेरपि विधीयत इत्यज्ञापकं डित्वमिति ।

नन्वनेष्वपि दृश्यत इति वार्तिकेनेति भाव इति यथा परितः खाता परिखेति उपपदान्तरे धात्वन्तराच्च डो भवत्येवं न गोगः गुरुतल्यगः । अभ्युद्गसमुद्ग इति गमेरपि भवतीत्युक्तं भवति । ननु कथमसौत्रं गमेर्दविधानं सौत्रस्य डित्वस्यावकाशः स्यात् ।

अत्राहुः- व्यञ्जननिवृतौ च सप्तम्यां जनेर्द इति सौत्रमेव डविधानं जनावर्णो कं सद् गमे रपि एनं कल्पयति । न च डित्करणस्य व्यञ्जनगुणनिवृत्तिज्ञापनेनापि चरितार्थत्वात्कथमस्यान्यतस्तत्कल्पनेति वाच्यम् । शास्त्रान्तरप्राप्तिव्यवहितगुणनिवृत्तिकल्पनापेक्षया स्वस्यान्यतो विधि कल्पने लाघवान् । न चैवमन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वार्तिकवैयर्थ्यम् । डविधिसामर्थ्यं प्रपञ्चार्थत्वात्ता वस्तुतस्तु अन्येष्वपि दृश्यत इति सूत्रेणैव गमे? विधीयत इति यथा श्रुतं कैयटोक्तमेव साधीयेत विवरणोक्तं यात आह वृत्तिकृत् । अपि शब्दः । सर्वोपाधिव्यनिवारार्थम्लेन धात्वन्तरादपि भवति । परित खाता परिखा आखेति तेन दृश्यपि ग्रहणसूचितम् एवार्थोवार्तिकेन विवृत इति न गमेर्द स्यात्सौत्रत्वं शंकनीयम् । अतो नैतडित्वं ज्ञापकमिति स्थितम् । तदेतन्नरोचयामहे । यतो नानेन गमे ? विधीयतेऽपितु गमश्च अन्तात्यन्ताच्चेति प्रकरणपठितेनान्यत्रापि दृश्यत इति वार्तिकेन स यथा ग्रामगः नगरगः गुरुतल्यगः इत्यादौ भवत्येव<sup>33</sup> मगोनगः आयुद्गः समुद्ग इत्यादाव पिष्यति तत्कथं न नेटुंविधानमलिङ्गम् ।

यत्तवन्तात्यन्ताच्चेति डप्रकरणमन्येभ्योऽपि दृश्यत<sup>34</sup> इत्यस्य प्रपञ्चार्थम् इत्याहुः । तच्च तथा सति जनेर्द इत्यस्य भूते विधानाद् गमेरपि डो भूत एव स्यान्न कालान्तरे दृश्यते च ग्रामं गच्छत्यपि प्रमग इति प्रयोगः । न चैवं नगः गुरुतल्यग इत्यादौ भूते डो न स्यादिति वाच्यम् । अन्तेत्यादिप्राकरणिकस्य डस्य कालत्रयेऽपि विधीयमानस्य यथाभिधानं भूतेऽप सुलभत्वात् । अत एव कालभेदेन विधीयमानयोरनयो न प्रपञ्चप्रपञ्चिभावसम्भवः । तथा हि सति प्रकरणभेदोऽनर्थकः । स्यात् । एकप्रकरणे हि पुनर्दग्रहणं न कर्तव्यं भवतीति लाघवमपि संपद्यते ।

यत्तुच्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यत<sup>35</sup> इति दृशिग्रहणादपि ग्रहणान्वयथाकारकान्तरे परितः खाता परिखेत्यादौ भवत्येवं कालान्तरेऽपि भविष्यतीति युक्तः प्रपञ्चप्रपञ्चिभाव इति तदसत् । अन्तादिप्रकरणोक्तप्रतिपदोक्ते सार्वकालिकत्वाद् भूतेऽपि डे सम्भवति दृश्यपि ग्रहणानुसरणरूपन्नस्नास्त्या श्रयणस्यानवसरात् दृश्यपि ग्रहणादिप्रपञ्चिभाव इति कं हि यत्रार्थे प्रतिपदोक्तं लक्षणं नास्ति तत्संग्रहाय प्रवर्तते

अन्यत्र संभवति च कालभेदेनोभयोः स्वातन्त्र्यप्रपञ्चतापि नोचिता निर्थकानुवादकल्पनायाः आनर्थक्य परपर्यायत्वात्। अथ सतमन्तात्येतेतिङ् प्रकरणं करिष्यते।

अन्यथा गमिडप्रकरणे ग्रामग सिद्धयेऽन्यत्रापि दृश्यत इति । जनिड प्रकरणे च परिखेत्येतत् सिद्धयेतेभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यं स्यात् इति तन्ना यत उच्यत एन्न्यास एव । उक्तस्यापि शब्दादिनान्यथासिद्धा लाघवं संपादयनात्मनः शास्त्रस्य च महदेव माधवमापादितं महतो महतः प्रकरणस्यादावेकतमपि ग्रहणं कृत्वा तदकृत्वा च कृती भवेदाचार्य<sup>36</sup> इति । एवमपि प्रपञ्चत्वेऽन्यत्रापि दृश्यत इत्यस्यैव सप्तम्यां जनेड<sup>37,38</sup> इत्यादिप्रकरणे प्रपञ्चः किं न स्यात्। तत्रापि दृशिग्रहणात्परिखेत्यादौ धात्वन्तरादपि भूतेऽपि जनेरपि डस्य सुकरत्वात् । नन्वस्त्वेवमेवमपि पूर्वोत्तरविहितो एक एवेति डित्वमलिमिति। तावत्सिद्धं नः समीहितमिति चेन्ना एवं हि गमश्चेत्यपि कृत्य गमेर्द्विधानं प्रायमकल्पिक जनेस्त्वपि शब्दादिना भूदिति। तथा च गमेरप्ययं डो विधीयत इति भाष्येऽपि नागमेरन्वयो विरुध्येत<sup>39</sup> । ननु तदुद्धातव्यम् । अत एवापि ग्रहणं सर्वो हि प्रधानमन्वीयते। तदेवमन्येऽपि दृश्यत इत्यनेन गमे? विधीयत इत्येतच्छिष्य बुद्धिपरीक्षा मात्रार्थं मुक्तं भगवता ननु तच्छब्दातव्यम् ।

अत एवाचि ग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थं तेन धात्वन्तरादपि भवतीत्यभिधाय वृत्तिकृता खनेरेव परिखेत्युदाहृतम् । न तु गमेः किञ्चित् । अस्तुवागमेरप्यनेन ड तथापि डित्वमनर्थकं गुणेन मकारस्यार्धमात्रस्य मात्रिकेकारे कृते उपसरज इतिवत्सिद्धेः ।

### स्थानकृत आन्तर्यस्य बलीयस्त्व विमर्शः ।

ननु स्थानत आन्तर्यस्य बलीयस्त्वादोकारः स्यादिति चेन्ना गमे? इति डो वचनं ज्ञापकं न मकारस्य गुणेनोकारो भवतीति अन्यथा विषमेव<sup>40</sup> विदधीत । तत्र च मकारस्य गुणेनौकारेऽतोऽगुण<sup>41</sup> इति पररूपेण गोरूपसिद्धेः । किं डो विध नेन एवञ्च कृत्वा इदमपि डो प्रत्ययस्य डित्वं ज्ञापकं न व्यञ्जनस्य गुण इति कथं ओ इत्यपि प्रत्यये कृते मकारस्य गुणेनाकारे पररूपे च गोरूपसिद्धेः<sup>42</sup> । ओकारस्तु गुण न भवति। तथा सति विषमेव कुर्यादित्यनन्तरमेवोक्तत्वात् । किञ्च तनोतेर्ड उ सन्वच्येति विकरणान्न व्यञ्जनस्य गुणो भविष्यति । अत्र हे चारूतम् असति डित्वेडकारोच्चारण सामर्थ्यात्पररूपं बाधित्वा सवर्णदीर्घः स्यात् ।

अन्यथा हि डमात्रमेव विदध्यात् गुणेन तित उ इति रूपसिद्धेरिति । तदसत् । तस्यान्तर्यतोऽनुनासिके गुणेऽकारे कृते तस्य पररूपेण शुध यर्थमकारस्यार्थवत्त्वात्।

दीर्घार्थातात्वस्यत शक्या कल्पयितुम<sup>43</sup> परेण पररूपेणैव तस्य साधनात्<sup>5</sup> ।

न च पररूपेऽकारकरणव्यर्थं शुध्यर्थत्वादित्युक्तेः । किन्त्वसत्यकारे उप्रत्ययेन सहाद गुणः स्यात् अतो विगृहीताकारोच्चारणमर्थवत् । यत्तु वदन्ति भूभृशात् चरित्सरितनिधनिमित्तस्त्रिभ्यं चरित्यस्यान्ते योद्धेवेत्यस्यानन्तरं तनोतेर्लोप उ सन्वच्येति वक्तव्यम् । ततो दुरीणश्चरमिति ततः सापि तन्वीति रक्त प्रकरणमस्तु। तत्र प्रत्ययेऽनुवर्तमाने तनोतेः पुनरूपप्रत्ययोपादानसामर्थ्याद्

आहुणो न भविष्यतीति। न लोपेन शुद्धाकारश्रवणं च सेत्स्यतीति तदसत् । एवं हि कुर्मश्चेत्यत्र यो देवेति द्विग्रहणं न सम्बध्येत् । रक्तप्रकरणेन<sup>44</sup> व्यवायात्। किञ्च उरिति वर्तमाने कुर्मश्चेति प्रत्ययान्तरकरणं धान्ये निरनिवर्तसाननिद्धहणनिवृत्यर्थमिति स्थितं ततश्च ततः प्राक् रक्तप्रकरणकरणे तत्रापि डित्वं सम्बध्येता उप्रत्ययान्तरकरणमेव निवर्तकमिति चेत् । हन्तैवं विकारनिवृत्यर्थत्वं दुर्लभं सामर्थ्येऽपि क्षयात् । अथ कुप्रकरणान्त एव तनोतेर्लोप उ सन्वच्चेत्युक्तादुरीणश्चरगित्यादि उच्येत एवमपि कुप्रकर प्रारापादुग्रहणानुवृत्तेः पुनरुग्रहणमिति कथं विकारनिवृत्यर्थं तस्मादिति। यदपि सति गुणे सन्वद्भावेदेशादस्तु न गमादिभिः दीर्घः स्यादिति। न च तदप्यनिर्दिश्यते सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशात्।

यपि डित्वेन नियतिदरिद्रातित्य इतीट् वलादिलक्षणेन स्यात् । न च सनीव सन्वदिति सप्तम्यं नाद्विति विज्ञायते इट त सति पर इति नाभविष्यतीति वाच्यम् । सन्यडो<sup>45</sup>रिति षष्ठी व्यायाम च सनीव सन्वदिति प्रसङ्गात्तदपि हि सनन्तस्य विधीयते न सनि पर इति।

न च षष्ठयन्तावृतौ सत्त्वादित्वासंग्रहः । षष्ठयाः सम्बन्धमात्रार्थलाघत्सनं कार्ये यच्च सति मद्भयस्यापि सङ्ग्रहात्। एतेन तनोतेः विभाषेतिः<sup>46</sup> विशेष विहितो दीर्घविकल्पोऽपि प्रत्युक्तः । वलीत्यनुवृत्तेर्त्रापिसत्त्वात् । तथा च तित नि षतीतीट् पक्षैः न भवति यदप्युक्तं-अ उ र् द्विश्चेति वक्तव्ये सन्वच्चेत्यति देशसामर्थ्याद् विशेषकार्यस्य रूत्वादिलक्षणदीर्घस्याप्यतिदेशः स्यादिति तदप्यसत्। अरूरुद्विश्चेत्येतावत्युक्ते सन्नहीवानतिदेशे सन्यत इतीत्वसिद्धेः। यत्तु सन्वदित्युक्तेऽपि प्राधान्यात्कार्यातिदेशेनेनैव द्वित्वे षाष्ठद्विर्वचनापेक्षाभ्याससंज्ञा भावादित्वं न प्राप्नोति । अथातिदेशसामर्थ्यादित्वं भवति तर्हि दीर्घोऽपि स्यादिति। तन्ना अभ्याससंज्ञायां धातोरित्यनवत्तेः धातद्वित्वमात्रविषयत्वात्। अन्यथा द्युतिगमिजुहोतीनां द्वेवेति जातीयेऽपि द्वित्वेऽभ्यासकार्यं न स्यात्। तत्कथमित्त्वप्रसङ्ग सामर्थ्यमप्ययुक्तम् । द्वित्वेनाप्युपक्षीणत्वात् ।

अस्तु वा शास्त्रातिदेशः तत्र न चाशंकानवोत्तरं तस्मात् इट डित्वं ज्ञापकमेव न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति। यत्तु न व्यभिधानम् । तथापि जुसि<sup>47</sup> गणो व्यञ्जनेति प्रसज्येत् । ज्ञापकस्य गुणमात्रविषयत्वे प्रमाणाभावादिति तत्रा न्यैरूक्तानां ज्ञापकानां गुणमात्रविषयत्वे यत्प्रमाणं तदेवात्रापि भविष्यति स्तमित्येव दष्यमिति चेत् । असूयामात्रमेतत् । यत्तु डारौरस<sup>48</sup> इति डित्करणं ज्ञापकमन्यथा तासे सस्यान्तरतमत्वाद् गुणोऽकारे सवर्णदीर्घं च सिले स्याल्लवितेति। तत्र आत्मनेपदार्थत्वात् तत्र डित्वे किडिति चेति<sup>49</sup> निषेधात् । न हीक्परिभाषा नारम्भे इक् एव निषेध इत्यस्ति। एतेमनासरूपोर्लोप इति सादौ सस्य लोप वचनं व्यञ्जनस्य गुणाभावे ज्ञापकं स्यादित्यपि नास्ति। तदेवं ज्ञापकान्न व्यञ्जनस्य गुणः निर्देशाच्च । यदयं यातिवाति ध्यायते सम्प्रसारणं च उयति वहतीति निर्दिशति। तत ज्ञापयति नात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जनानां गुण इति। अत एव रैवोस्तौ शब्दानामाचार क्विबन्तानां दशादौ गुणप्रसङ्गो ना अनाभधानाच्च । यत्तु न चकास् तृजन्तानामनभिधानेऽपि गुणमात्रानभिधानस्य दुर्विज्ञानत्वात् । ईदृशसमाधानस्य सर्वत्र सुकरत्वाच्च ।

न वाचारक्विबन्तानां तजादावनभिधानादगुणे नेत्यर्थः । अत एवेत्यय चस्य वानर्थक्यप्रसादिति। तन्ना अनभिधानादेभ्यः क्विवेव नोत्पद्यत इत्यभियुक्ताभिधानाद्यव्यभिधानमस्तीति हरदत्तेन यद्युपनिषेधानेभ्यः क्विवेव नास्थिनवतसन्तरेणैषां धातुत्वं न वा तदृते तृजादय

इत्यवधारिते कथं दुनित्वमिति न विदमः। यत्तवाचार क्विबन्तस्य शब्दस्याभिधानमस्ति नैषामिति विशेषस्य नाशयत्वादिति। तदपि समानमीहमानानामिति न्यायादितिहायमाण कत्वाच्चोपेक्ष्यम्। आनर्थक्यप्रसादित्यपि कथञ्चिदभ्युपेत्याभिधानम्। प्रथमो हेतुः। अन्यथा त्वपर इति व्यस्थिते। तत्समुच्चयार्थश्च चशब्दोऽपि न व्यर्थः। यदपि ध्यायतेरिति प्रयोगः पूर्वसमाधानसमाहित एवेति तस्यात एवेत्यभिहितं हेरुत्वमपि न संगच्छत इति। तत्तुच्छं उपायस्योपायान्तराविरोधि त्वात्। प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थमनमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः। यदपि प्रयोगज्ञापकानि च नियतनत्वेनाप्युपपद्यन्ते तथा च बाधकान्याय निपातनानि भवन्तीति पक्षे वचनमावश्यकं पक्षान्तरेऽपि ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्रति इति। तदतद् चात्वभाषित्वं पयोगतापकमात्रोच्छेदापत्तेः। सवनामा कल्पोरदन्तत्वनिपातनमित्येवमादीनामप्यबाधकत्वेऽसार्वत्रिकत्वे वचनारम्भप्रसङ्गत्।

किं तमिसभालामपि पारिभाषिकमनित्य स सुबद्धं भवतीति आत्सन्ध्यक्षराणामपि गुणादिप्र वचनान्तरमारम्भणीयं स्यात्। पारिभाषिकमनित्यं सकृत्बद्धमेव द्वन्द्विर्बद्धं सिन्ध्यक्षराणामपि गुणादिप्रसंगाशङ्कया तन्निवृत्त्यर्थे

अथेष्ट सिध्यनुरोधेन क्वचिदेवानित्यात्वमाश्रीयते न यत्र तत्र तर्हि प्रकृतेऽपि समं समाधानमन्यत्राभिनिवेशात्। एतेन भाष्यकृतात्वे यत्तूक्क्षिकान् कृता व्यञ्जननिवृत्त्यर्थमग्रे इग्रहणस्यास्यात्येवेत्यभिप्रायेण उणादिषु व्युत्पत्तिपक्षेष्वपि स्वयमावृतत्वादुढ डित्वं च ज्ञापकं नावृतत्वादुढ डित्वं ज्ञापकं नावृतम्। व्युत्पत्तिपक्षे च बहुलग्रहणात्तत्र गुणप्रवृत्तेरपि संभवात् इति यदुक्तं तदपि परास्तम्। एतेन ज्ञापकस्य सार्वत्रिकत्वात् दापयतीत्यत्र पुगन्तगुणोऽपि<sup>50</sup> प्राप्नोति। अत एव भाष्यकृत डवचनं ज्ञापकं खण्डयित्वा पुनर्जापकोत्तरं न समीचीनमिति अपास्तम्।

अस्तु दापयतीत्यात्रापि गुणः पुनः प्रसविज्ञानाद् वृद्धिः भविष्यति। गुण एव चात भविष्यति। सन्निपातपरिभाषया पुक आकारसन्निपातलक्षणत्वेन गुणप्रवर्तकत्वात्। यदपि हेचारूतं निर्देशेन सूत्रप्रत्याख्याने आकारस्य गुणो न भवतीत्यादिवाक्यशेषानुमाने वचनस्यातिभारो भवतीति। किञ्च जपः करणे भवतेरः रायः नाव इत्यादि निर्देशेन एचोऽयवायावः<sup>51</sup> इत्यनर्थकं स्यादिति। तदसत्। अत्रैवात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननिवृत्त्यर्थमुपन्यस्तैर्भाष्यकारीयज्ञापकैः अलत्वाभावार्थेन प्रत्यय इत्यादिनिर्देशैश्च समानयोगक्षेमत्वात्।

किञ्च प्रधानं कार्यं शास्त्रस्य प्रमेयं तदर्थमेव तत्प्रवृत्तेः तस्मिंश्च स्वलक्षणोत्पन्ने प्राप्यव्याप्तिपरिहाराय ज्ञापकाद्युपास्यते न प्रकारोत्पन्नये। इकपरिभाषापि<sup>52</sup> न गुणाद्युत्पादयति किन्तु नियच्छति सचनियमो यद्यन्यतः सिद्धम्। किं तयोरतिदृष्टान्तदाष्टान्तिकयो वैषम्ये। यद् वा प्रत्यक्षविधौ सामान्यलक्षणक्रीडाकृतानेकविशेषपरवाक्यानुमाने प्राप्ते क्वचिदज्ञापकेन स्वविषये। श्रुतार्थापत्या बाधितविषयत्वात्तद्विषयकविशेषविध्यनुमानप्रतिषेध एव क्रियते न पुनः निषेधबाधमनुमीयते अपूर्वविधौ तु वाक्यानुमानमावश्यकमिति महत्वैषम्यम्।

वस्तुतस्तु सर्वत्रापि गुणवृद्धि विधानाडस्ये त्यादिषष्ठीरूप लादलोन्त्यस्येतिवत्स्थानेऽन्तरतम<sup>53</sup> इति अस्यामप्युपस्थानादेकवाक्य तथाड,स्ये त्यस्यान्तरतमे गुणवृद्धी भवति इति वाक्यार्थ पर्यवसानात्स्थानेऽन्तरत<sup>54</sup>माभ्यामैव गुणवृद्धिभ्यां भवितव्यम्। एवञ्च उम्भिता शंकित्वा

अर्हिता अदिता यतिता च पूता अनेनिजुः अभैत्सीदित्यादिषु अलोन्त्यस्येत्यन्त्यस्य विधीयमानाः सार्वधातुक जुसि गुण सिचिवृद्ध्यादयः क्वचित् स्थानभेदात् क्वचित्स्थानसाम्येऽपि प्रयत्नभेदात्।

अनान्तर्याद् व्यञ्जनस्य भविष्यति। न वचनाद् भवितव्यम् । नेता अनैषीदित्यावन्तरतमेव च तस्य<sup>55</sup> चरितार्थत्वात् । न चान्यतरान्तर्यमाश्रित्य कित् प्रसङ्गः। नेतेत्यादौ स्थानप्रयत्नोभयान्तरतमसंभवेऽन्यतरग्रहणे प्रमाणाभावात् । तमग्रहणादनेक विधान्तरसंभवे तस्यैव न्याय्यत्वात् अन्यथा स्वर्णयति इत्यत्र रेफस्य स्थानत आन्तर्यादनुनासिको ण स्यात्। न च नेता अनैषीदित्यादावेव स्थानगुणप्रमाणे स्त्रिभिरव्यान्तर्यसंभवाच्चेत् । अचैषीदित्यादौ प्रमाणानान्तर्यान्न स्यात् इति वाच्यं सन्वस्यचः क्यरवः क्वौश्च कित्करणात् प्रमाणकृतान्तर्यस्य विवक्षणात् कथं तान्तर्यतोऽर्धमात्रस्यानकारस्य । मात्रिकोकारो भविष्यति इत्युच्यते स्थान प्रयत्नानान्तर्याद्वचनस्यान्यत्र चरितार्थत्वात् व्यक्तिपक्षे च नानाविधिकल्पने प्रमाणाभावाच्चेति चेत् । न ह्यत्रपर्यनुयोग विषयः किन्तु येऽन्तरमपरिभाषामाश्रित्य तमग्रहणप्रयोजनं शतशः समुद्धोषयन्तो निर्विचिकित्समेवेषदतित एव प्रवृत्त्य<sup>56</sup> दिव औदि<sup>57</sup>त्यादो त्वनन्तरोऽपि वकारस्यौकारो वचनाद् भवति। षडित्यादौ च जश्त्वेन डत्वं षडित्यादि निर्देशसामर्थ्याद् भवति । एवमन्येष्वप्यूह नीयम् । अथ इशिता इहितेत्यत्र शकार हकारयोस्तालव्यकं व्ययोर्विवृतयोस्तादृशावेकाराकारौ स्याताम् ।

नैष दोषः। तयोभिन्नप्रयत्नत्वात्। तथा हि स्पृष्टं करणं स्पर्शानां ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानां ततो विवृतमूष्मणामिति ईषदिति वर्तते उष्मणामीषद् विवृतं ततः स्वराणां च ईषदिति निवृत्तं स्वराणां विवृत्तमिति हि शिक्षार्थः । एवञ्च हलयोर्भिन्नप्रयत्नत्वादनान्तरतम्यादगुणवृद्धीनां न भविष्यत अवश्यं चैतदेवं व्याख्येयम्। अन्यथा दीर्घहलोऽसावर्ण्यनिषेधस्योक्तत्वाद्द्वकारेणकारस्यापि ग्रहणात् तस्येणत्वाद् भूयालुरित्यत्रादेशप्रत्यययोरिति यत्वं स्यात् । न च भागवीप्सासु इत्यादिनिर्देशात् षत्वाभावः। नेह प्रत्यारम्भे विश इत्यादिनिर्देशादकारहकारयोरिकारशकारयोश्च सावाभावे सिद्धेन हलाविति सावर्ण्यनिषेधवैयापातात् । सौत्रत्वादपि निर्देशोपपत्तेश्च । न चैवम् । हलोभिन्नप्रयत्नत्वे तथापि न व्यर्थमेव स्यादिति वाच्यम्। इष्टापत्तेः तथा च भाष्यं सिद्धमन इत्वादिति। सूत्रप्रत्याख्यानमेतदिति च बहूभिर्व्याख्यातम् । सूत्रप्रत्याख्याने प्रवृत्तस्य सूत्रान्तरानर्थक्यप्रसङ्गो न दोषाय। न च नोक्तत्वावित्वस्यारम्भपक्षे योगविभागव्याख्या नानाश्रयणात्स्थानप्रयत्नान्तर्येणे हितेत्यादौ प्रसङ्ग इति वाच्यम्। अनिष्टकारिणस्तस्यैवानाश्रयितुं नोचितत्वात् योगविभागस्य सूत्रारम्भपक्षेप्यावश्यकत्वात् च सूत्रद्वयानारम्भसिद्धेर्महालाघव बाधकत्वात्। तथा च व्यञ्जनानां भिन्नप्रयत्नत्वादनन्तरतमत्वादन्यस्य विधीयमाने गुणवृद्धी चरितार्थत्वादीहितेत्यादौ व्यञ्जनस्य क्वापि न भविष्यतः । आत्सन्ध्यक्षरयोस्तु निवृत्तिरूक्तैष भाष्ये । यत्तु व्यक्तिनिर्देशपक्षे व्यञ्जनस्य गुणः प्राप्नोति तन्निवृत्त्यर्थं सूत्रमिति न व्यभिधानम् । तदसत् । अनर्थकारिणो गरीयसश्च व्यक्तिपक्षस्यैव नायितुमुचितत्वात् ।

यत्तु स्थानित्वमादेशत्वं परत्वं च व्यक्ताविव मुख्यमिव सर्वत्र व्यक्तिपक्ष एवाश्रीयते। क्वचिदेव लक्ष्यानुरोधादाकृतिपक्ष<sup>58</sup> इत्युक्तं तन्ना विपरीतं जातौ शक्तिरिति पक्षे शब्दार्थत्वेनाकृतेरेव मुख्यत्वाद<sup>59</sup> व्यक्तीनामानन्त्यव्यभिचाराभ्यावाच्यत्वेन लक्ष्यत्वात्

विशिष्टशक्तिपक्षेऽपि प्रथमोपस्थितेऽन्तर काकृत्यवलं विशास्त्रप्रवृत्तौ लघुत्वाद् व्यक्तिपक्षे चाननुगतानेकविधिकल्पने आवृत्तिकल्पने चातिगौरवप्रसादगत्याकृतिरेव तदाश्रयणमिति सर्वशिष्टानुशिष्टत्वात् ।

न चेह तथा काचिदगतिरस्ति । प्रत्युतन्याय्यत्वादाकृतिपक्षे लघुन्याश्रिते इक्परिभाषाप्यनारम्भणीया भवतीष्टमपरं सिध्यति। प्रयोजनानुरोधेन ह्यन्यतरपक्षपरिग्रहः शास्त्रेनानिष्टं गौरवं शास्त्रारम्भं च पादयितुम् । ननु यद्यन्तरतम इति तमग्रहणादत्यन्तसादृश्यमाश्रीयते तर्हि स्थानप्रयत्न वत्प्रमाणस्याप्याश्रयणान्नेता अनैषीदित्यादावेव स्थानगुणप्रमाणैरपि आन्तर्यसम्भवाद्गुणवृद्धिः स्याताम्।

ननु चेता अचैषीदिति प्रमाणत आन्तर्याभावात् । कर्ता कारक इत्यादौ च अकारस्याकाराकारौ स्थानप्रयत्नसामीप्यसादृशाविति न स्याताम् । ततश्च यथा चेतेत्यादौ प्रमाणभेदेऽपि कर्तेत्याकारक इत्यादौ स्थानप्रयत्नभेदेऽपि प्रमाणसादृश्याद् रेफत्वसादृश्याद्रेफत्वसादृश्याच्च गुणवृद्धी भवत एवं व्यञ्जनस्यापि तत्प्रमाणसादृश्यात् कथं न स्यातामिति चेत्। सत्यम्। अविशेषेण चतुर्विधान्तर्योपस्थितावपि स्थानप्रयत्नोभयकृतमेवान्तर्ये गुणवृद्धिविधावाश्रीयते न परिमाणकृतमपि क्तोः कित्करणात्। नार्थकृतमप्यत एव एतदुपादान एव चानुपपन्नं कित्वं तदुभयमेव निवर्तयति । तावता चानुपपत्तिशान्ते सतिवलवद् बाधके स्थानप्रयत्नकृतमप्यान्तर्ये नित्यवत् स्थितमपलपितुं शक्यते। न च क्तोः कित्वादन्त्यतमान्तर्यमेव ज्ञाप्यतामिति वाच्यम् । सामान्यापेक्षा ज्ञापने गौरवादिति प्रसाच्च । ऋवर्णस्याप्यनन्तरे गुणवृद्धी भवत इत्यत्र ज्ञापकं सरजिति कित्वं कर्ताकारके इत्यादिनिर्देशश्च । यद् वा उरविशेषेण प्रसक्ते षणो रपरत्वे कृते आन्तरतम्ये निरूप्यमाणे प्रमाणकृतस्य तस्य प्रागेव निरस्तत्वादसम्भवाच्च रपरत्वस्य परग्रहणेनावयवत्वबोधान्यद्गुणवृद्धिग्रहणेन ग्रहणात् तयोश्च समुदाययोरवयवधर्मरिपा रेफतो मूर्धन्यत्वादकारः तश्च विवृतत्वात्स्थान प्रयत्नोभयान्तर्यमविरूद्धम्।

यत्त्वाकारस्य संवृतत्वात्प्रयत्नसाम्याभाव इति । तदसत्। विवृतत्वप्रतिजानात् । न च तत्सवर्णसंज्ञां प्रत्येवेति नियमहेतुरस्ति ।

अ अ<sup>60</sup> इति शास्त्रान्तेन पक्षितकार्यविशेषात् प्रत्यापत्तिर्लिङ्गात् शास्त्रापेक्षितयावत्कार्य निर्वाहाय विवृतत्वस्यानुमानात् ततश्च यथा खट्टे इ इत्यादावयवाद् द्वयान्तर्यात्समुदायस्याप्येकारो गुणः यथा च सभागता पक्षे एकार एवेकारस्य एवमकारस्यारारौ भविष्यतः । किञ्च सत्यामन्तरतमपरिभाषायां तमग्रहणे च जाग्रति कथं न परिमाणत आन्तर्यमाश्रीयते कथञ्च ऋकारस्यानन्तरे अपि गुणवृद्धी भवत इति त्वयापि विशेषे वाच्यः । स एव मयापि यश्चोभयोर्दोषो न तमेकरचोद्यः । अव्यक्तोः कित्वेन गुणवृद्धिविधावन्तरतमपरिभाषानुपस्थितरेव ज्ञापयिष्यत इति चेता कर्तेत्यादिव व्यञ्जनस्यापि स्यादिति ब्रूषो हन्तैवं सत्यामपीक्परिभाषायामिकारस्याकारोऽपि स्यादिति विशेषत एव ज्ञापकं वाच्यम् । यत्त्वां धाभिधानम्। एङपेक्षाया न्यूनकालत्वान्नकाराकरयोः सादृश्यमवगतम् । मन्दमप्यन्तरसादृश्यान्तराभवान्नापोद्यते यथोत्पन्न व्रीह्यपचादेः व्रीयन्तरामिव प्रक्रान्तस्य पाठस्य गुणानुरोधेन त्यागयोगायोगात् कार्यबलेन प्रतिनिधिः प्राप्नुवत्सदृशनीवारसन्निधौ विसदृशं नोपादत्ते त्वदसन्निधौ तूपादत्त एव । तद्वत् स्थानेऽन्त<sup>61</sup> रतमवचनमपि सादृश्यप्रमाणस्यैव अनुवाद इति। तमवर्थाभावेन न जाडो कर्तव्यमस्ति चातिशयार्थः । समाते वर्णत्वे कालतः प्रत्यासत्तेरिति तदसत्। यरोऽनुनासिकेन तुल्ययोगक्षेमत्वात् । अन्यथा स्वर्नयति इति

रेफस्याणो दुर्वाराः । तत्राकृतिः पदार्थ इति चेत् नेहाप्यसौ दण्डवारितः व्यक्तिरिहेति चेत् । प्रागेव निरस्तमेतत् प्रयोजनाभावादनिष्टकरत्वाच्च ।

किञ्चात्र पक्षे नकारस्याकारो भवतीति वचनव्यक्तेः सामर्थ्यादेव सिद्धेः नान्तरङ्गतमभाषाप्रसंग इति दृष्टान्तासंगतिः । अथात्र स्थानिनि व्यक्तिमादेशे चाकृतिविवक्षित्वान्याय्योऽवतार्यते । तदेतदशुद्धं कृत्वा कु बोधं क्रियते । प्रक्षालनाद् हि पङ्क्त्यस्य दूरादस्पर्शनं वरमितिन्यायात् । दृष्टान्तोऽपि विषमः । काम्ये प्रतिनिधिः । नास्ति नित्यनैमित्तिके हि सः तयोश्चोपक्रमादूर्ध्वत्यागायोगात्स आदृतः । अगत्या न च सेहास्ति विविधाश्चान्यत्र सार्थकः नित्यादेरपि नारम्भे दृष्टः प्रतिनिधिः क्वचित् । नातोऽन्तरतमत्वस्यबाधे न्यायः प्रवर्तते । अतः सिद्धमेतन्न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति । यद्येव मिदेर्गुणेत्याद्यावृत्तः सर्वादेशः प्राप्नोति नैष दोषः । मिद इतीकारनिर्देशादित्यनन्तमेवोक्तत्वात् । किञ्च ज्ञापकाद् व्यञ्जनस्य गुण इति स्थितेः परिशेषादिकारस्यैव भविष्यति । अवयवसमूह रूपत्वान् मिदेः । अथ गुणविधाविक परिभाषाभावे तस्यानिग्लक्षणत्वात् । चितं स्तुतं भिन्न<sup>62</sup> छिन्नमित्यादौ किडति चेति<sup>63</sup> निषेधो न स्यात् । नैष दोषः । क्कुक्कुक्कनो क्तोश्च कित्कारणं ज्ञापकमनिग्लक्षणयोरपि सार्वधातुकादि लघूपधगुणयोर्निषेधो भवतीति । धातुप्रत्ययो कित्वं कृत्वं सजातीयत्वात् धातुप्रत्ययनिमित्ते एव गुणवृद्धिं निवर्तयति ।

सन्दर्भ ग्रन्थाः -

1. 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' (अष्टा - 7.1.86)
2. 'ह्रस्वस्य गुणः' (अष्टा - 7.3.08)
3. 'जसि च' (अष्टा - 7.3.09)
4. 'ओर्गुणः' (अष्टा - 6.4,146)
5. सार्वधातुकार्यधातुकयोः (अष्टा - 7.3.84)
6. 'आतोऽनुपसर्गेकः' (अष्टा - 3.2.3)
7. आतोधातो' (अष्टा - 6.4.140)
8. 'सुपि च' (अष्टा - 7.3.2)
9. मूलपाठे शुभंया इति असाधुः, शुभंया इति साधुः ।
10. मूलपाठे सन्निपातविघात इति असाधुः, सन्निपातविघात इति साधुः ।
11. मूलपाठे गुणतिपेधापत्तेः असाधुः, गुणनिषेधापत्तेः साधुः ।
12. मूलपाठे प्रसक्षेत् असाधुः, प्रसज्येत साधुः ।
13. मूलपाठे प्लै इति असाधुः, ग्लै इति साधुः ।
14. मूलपाठे यांतानां सक्चेत्युक्तौ असाधुः, यमरमनमातां सक्चेत्युक्तौ साधुः ।
15. मूलपाठे अन्यद्या इति असाधुः, अन्यथा इति साधुः।
16. मूलपाठे पदिजहार इति असाधुः, परिजहार इति साधुः।
17. 'आदेचउपदेशेऽशिती' (अष्टा - 6.1.45)
18. 'ओतः श्यनि' (अष्टा - 7.3.51)
19. मूलपाठे ग्रहणेवेति वेत् इति असाधुः, ग्रहणेनेति चेत् साधुः ।
20. 'घुमास्थागापाजहा.' (अष्टा - 6.4.66)
21. 'मीनाति मिनोतिदी.' (अष्टा - 6.1.50)
22. मूलपाठे पनिकल्प्य इति असाधुः, परिकल्प्य इति साधुः ।
23. मूलपाठे हेनुकत्वेन असाधुः, हेतुकत्वेन इति साधुः ।
24. मूलपाठे यधोत्तरं इति असाधुः, यथोत्तरं साधुः ।

25. मूलपाठे ध्याख्येति असाधुः, व्याख्येति साधुः।
26. 'सप्तम्यां जनेर्दः' (अष्टा – 3.2.97)
27. 'प्रावृट्शरत्कालादि. (अष्टा – 6.3.95)
28. मूलपाठे पनरूपेण असाधुः, पररूपेण साधुः।
29. मूलपाठे स्थानेन्तनत इति असाधुः, स्थानेऽन्तरतम इति साधुः ।
30. मूलपाठे याहशः इति असाधुः, यादृशः इति साधुः ।
31. "दिव उत्" (अष्टा - 6.1.31)
32. सप्तम्यां जनेर्दः (अष्टा - 3.2.97)
33. मूलपाठे मवत्येव असाधुः, भवत्येव साधुः।
34. 'अन्येभ्योऽपिदृश्यते' (अष्टा – 3.3.130)
35. 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते' (अष्टा – 3.2.178)
36. मूलपाठे भवेदावार्य इति असाधुः, भवेदाचार्यः इति साधुः ।
37. मूलपाठे तप्तम्यां जनेर्द असाधुः, सप्तम्यां जनेर्द साधुः ।
38. 'सप्तम्यां जनेर्दः- (अष्टा – 3.2.97)
39. मूलपाठे विनुध्येत इति असाधुः, विरुध्येत इति साधुः ।
40. मूलपाठे विचमेन इति असाधुः, विषमेव इति साधुः ।
41. 'अतो गुणे' (अष्टा - 6.1.97)
42. मूलपाठे गोनूपसिद्ध इति असाधुः, गोरूप सिद्धेः इति साधुः ।
43. मूलपाठे कन्ययितुं असाधुः, कल्पयितुं साधुः ।
44. मूलपाठे जाघनात् असाधुः, साधनात् साधुः ।
45. मूलपाठे रक् प्रकरणेन असाधुः, रक्तप्रकरणेन साधुः ।
46. 'सन्यडोः (अष्टा - 6.1.9)
47. 'तनोतेर्विभाषा - (अष्टा - 6.4.17)
48. मूलपाठे जुमि इति असाधुः, जुसि इति साधुः।
49. 'लुट. प्रथमस्यडारौरसः (अष्टा - 2.4.85)

50. 'क्वडति च' (अष्टा - 1.1.5)
51. 'पुगन्तलघूपद्यस्य च' (अष्टा - 7,3.86)
52. 'एचोऽयवायाव' (अष्टा - 6.1.78)
53. मूलपाठे इकपदीभाषापि असाधुः, इकपरिभाषापि इति साधुः ।
54. मूलपाठे स्थानैरन्तरतम इति असाधुः, स्थानेऽन्तरतम इति साधुः ।
55. 'स्थानेऽन्तरतमः' (अष्टा - 1.1.50)
56. मूलपाठे नस्य इति असाधुः, तस्य इति साधुः ।
57. मूलपाठे प्रनृव्य इति असाधुः, प्रवृत्य इति साधुः ।
58. 'दिव औत्' (अष्टा - 7.1.84)
59. मूलपाठे लक्ष्यानुरोधादाकृति वक्ष असाधुः, लक्ष्यानुरोधादाकृतिपक्षः साधुः ।
60. मूलपाठे युख्यतत्वात् इति असाधुः, मुख्यत्वात् इति साधुः ।
61. 'अ अ' (अष्टा - 8.4.68)
62. 'स्थानेऽन्तरतमः' (अष्टा - 1,1.50)
63. मूलपाठे मिर्जा इति असाधुः, भिन्नः इति साधुः ।
64. 'क्वडति च' (अष्टा - 1.1.5)

## राष्ट्रस्य महत्त्वं वैदिकग्रन्थेषु प्रायुख्येन वर्णितम्



डॉ. मुकेश कुमार डागरः  
(धर्माचार्यः) प्राचार्य,  
सिद्धि विनायक कॉलेज,  
(सीकर) राजस्थान, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 212-232

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांशः**— महाराजस्य कर्मवादः तथैव वर्तते सर्वं खलु कर्म ईश्वर प्रीतये विधेयम्। ईश्वरः सर्वं पश्यति। अनेन प्रकारेण कर्तृत्वाभिमानो नो जायते। कर्तृत्वाभिमाने सति बन्धः स्वयमेव भवति।

**मुख्यशब्दः**— राष्ट्रस्य, महत्त्वं, वैदिकग्रन्थेषु, प्रायुख्येन, वर्णितम्, राष्ट्रस्थाः जनाः, वृक्षाः, पादपाः, लताः, वनेचराः, पर्वताः, नद्यः।

पद्मश्री श्रीनारायणदास महाराजानां राष्ट्रिय योगदानम् – राष्ट्रस्य महत्त्वं वैदिकग्रन्थेषु प्रामुख्येन वर्णितम्। यद्यपि व्यवहारे निश्चितस्य भूभागस्य राष्ट्रसंज्ञा विधीयते। एकस्मिन् निश्चिते भूभागे जन उत्पद्यते। एकस्मिन् राष्ट्रे कोटिशो जनाः भवन्ति। राष्ट्रस्य शब्देन राष्ट्रस्थाः जनाः, वृक्षाः, पादपाः, लताः, वनेचराः, पर्वताः, नद्यः कीटपतङ्गाश्चावबोध्यन्ते। अर्थात् राष्ट्र जायमानाः सर्वे पदार्थाः राष्ट्रसंज्ञकाः। राष्ट्रविषये यजुर्वेदे अनेके मन्त्राः प्राप्यन्ते तद्यथा -

वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदाराष्ट्रम्मे देहि स्वाहा वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहिवृषसेनोसिराष्ट्रदाराष्ट्रम्मे देहि स्वाहा वृषसेनोसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि ।<sup>1</sup>

यस्मिन् राष्ट्रे मनुष्यो वसति तस्य राष्ट्रस्य कृते किञ्चित् कर्म भवति। राष्ट्रस्य समृद्धयर्थं प्रयासो अवश्यमेव करणीयः। शुक्लयजुर्वेदे समृद्ध राष्ट्रं कल्पितम्। स च प्रसिद्धो मन्त्रः अधः प्रस्तूयते -

आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शूर इष व्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोदानड्वानाशुः सप्तिः परन्धिर्योषाजिष्णुरथेष्ठाः सभेयो यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न ऽ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ।<sup>2</sup>

राष्ट्रधर्मः सर्वस्मात् धर्मात् प्रथमो गण्येता। राष्ट्राय किञ्चिदवश्यमेवास्माभिः जीवने कर्तव्यम्। विशिष्य संस्कृतज्ञानां, साधूनां पुरोहितानां कर्तव्यं परिगणितम् संहितायां यत्र साक्षात् श्रुतिर्वदति राष्ट्ररक्षायाः प्रमुखं दायित्वं पुरोहितानां भवति यथा -

वयं राष्ट्र जागृत्याम पुरोहिता स्वाहा<sup>3</sup>

यद्यपि ये केचनजनाः कार्यं कुर्वन्ति ते सर्वे राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थमेव यतन्ते किं तु प्रबोधनस्य प्रयोजनं भवति। प्रबोधन कार्यं पुरोहितानां पार्श्वे भवति। राष्ट्रभावनया सोद्देश्यं कार्यं सम्पादनीयम्। राष्ट्ररक्षार्थं समर्थगुरुरामदासः सर्वथा स्मरणीयो विद्यते यः खलु वैराग्यमार्गमनुसरन् राजनीतावपि महत्वपूर्ण योगदानं अदात्। शिवाजी महाराजस्य इतिहासे या गाथा सम्प्रति उपलभ्यते परोक्षवृत्त्या सा गाथा समर्थगुरुरामदासस्यैव वर्तते। प्राचीनानां राज्यशासकानां शासनस्य क्रमो यदावधार्यते सर्वत्र एकः प्रसिद्धः वैराग्यमयः पुरुषो विभाति यः स्वकीय वैराग्यभावेन राजानं प्रबोधयामास। भारतस्येयं भूमिः साधुपुरुषाणां वर्तते। साधुपुरुषस्य जीवने संग्रहस्य महत्त्वं नावलोक्यते किन्तु संकलितेन धनेन राष्ट्रस्य समुन्नत्यै भवनादीनां निर्माणं कुर्वन्ति।

पाटलिपुत्रस्येतिहासे आचार्यश्चाणक्यः सदा वन्द्यः प्रतिभाति यः स्वकीयया प्रतिभया कुटनीत्या च दुष्टं राजानं राज्यशासनात् पृथक् कृत्वा साधारणं बालकं असाधारणगुणदानेन शिक्षणेन च राजानं नियोजयामस। विद्यया प्रतिभया च मनष्यः असाधारणो भवति नास्ति सन्देहः किंतु वैराग्येन भावेन ततोऽधिकतरः जायते। वैराग्यस्य या भावना ईशापनिषदि प्रतिपादिता यथा -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्याञ्जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्यस्विद्धनम्॥<sup>4</sup>

वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये वैराग्यस्य प्रतिमूर्तिः श्री नारायणदास महाराजः जगद्वन्द्यो जातः। महाराजस्य सामान्यं प्रबोधनमपि धानाढ्यानां कोशं राष्ट्रकार्याय समुद्धाटयति। इदानीमनेक उद्योगपतयो दृश्यन्ते ये महाराजस्याज्ञया सर्वमसम्भवं सम्भवं कर्तुं शक्नुवन्ति। महाराजस्य दृढो विश्वासो वर्तते धनस्य शुद्धिः दानेन भवति। शुद्धं धनं यदि गृहे कोशे च भवेत् अवश्यमेव तद्धनं कल्याणाय प्रवर्तते। न जनमुवेलयति न च कुमार्गे प्रेरयति तस्मात् सर्वात्मना सर्वप्रयासेन धनस्य शुद्ध्यर्थं समये समये दानं दातव्यम्। महाराजस्य वैशिष्ट्यमत्र प्रामुख्येन द्रष्टुं शक्यते यत् दानं स्वीकृत्य संकलनं सग्रहणञ्च नैव करोति। अन्ये बहवः महाराजाः सम्प्रति दृश्यन्ते ये दानं स्वीकृत्य कोशेषु स्थापयन्ति तथा मिथ्याश्रयेण दातृनपि वञ्चयन्ति। अत्र स्वभावतः प्रश्नो भवति कोऽत्र मिथ्याश्रयः?

भारतदेशे धनस्य करः देयो भवति करवञ्चनायानेके धनाढ्याः स्वल्पं धनं दत्वा अधिकस्य प्रमाणपत्रं (रसीदं) स्वीकुर्वन्ति मन्ये पञ्चविंशतिलक्षरूप्यकानि ददति तथा कोटिरूपकाणां प्रमाणपत्रं करवञ्चनाय (TAX) गृह्णाति किंतु नारायणदास महाराजस्य पार्श्वे इयं पद्धतिः नैव प्रचलति यतोहि धन संकलने महाराजस्य विश्वासो नास्ति यद्धनमायाति तेनैव धनेन सार्वजनिकं कार्यं सम्पादयति। सार्वजनिकं यत् किमपि कार्यं भवति सर्वं राष्ट्रियमेव मन्ये। राष्ट्रस्य किस्मन्नपि भूभागे विकासकार्यं प्रचलति न केवलं तेन तस्य विशिष्टभूभागस्य

विकासः सम्पद्यते किंतु समग्रस्य राष्ट्रस्य विकास एव तत्राङ्गी क्रियते। महाराजस्यैकैकं कार्यं स्मृत्वा मनसि कदाचित् मोह उत्पद्यते किमिदं कार्यं एकेन महापुरुषेण सम्पादितम् अहो महाराजस्य दृढो वैरागः त्यागभावश्च।

महाराजः कथयति राष्ट्रस्य विकासः ग्रामस्य विकासेन भवति। अस्माकं देशे महानगरेषु विकासः श्रूयते दृश्यते च किंतु यावत् कालं ग्रामस्य विकासः नैव भवेत् तावत् राष्ट्रविकासस्य कल्पना व्यर्था प्रतिभाति। ग्रामस्य विकासाय सर्वं प्रमुखं कार्यं शिक्षायाः प्रचारः। महाराजः सततं ग्राम्याणां विकासाय तत्परो दृश्यते। ग्रामे सर्वाणि वस्तुनि सन्ति किन्तु शिक्षायाः अभावे ग्राम्याः इतस्ततः भ्रमान्ति। अतएव महाराजः शिक्षायाः विकासाय विद्यालयानां, महाविद्यालयानां छात्रावासानां, कन्याछात्रावासानां, चिकित्सालयानाञ्च निर्माणं कृतवान्। प्रदेशे अनेके विद्यालयाः महाराजेन निर्मिताः। यत्र कुत्रापि शिक्षण संस्थाने आसन्दिकानामभावः भवति सद्य एव प्रेषयति। केचन विद्यालयाः महाराजेन निर्मिताः तेषां नामानि लिख्यन्ते -

1. जगद्गुरु रामानन्दाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत एवं वेद विद्यालय त्रिवेणीधाम, जयपुर
2. बाबा श्री भगवानदास महाविद्यालय, चिमनपुरा शाहपुरा, जयपुर
3. बाबा गंगादास महिला महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर
4. बाबा नारायणदास छात्रावास केशव विद्यापीठ जयपुर, राजस्थान
5. श्री नारायणदास उच्च माध्यमिक विद्यालय साईवाड़, शाहपुरा, जयपुर
6. वैष्णवभूषण राजकीय माध्यमिक विद्यालय धौला, जमवारामगढ़, जयपुर
7. श्री अनोफ बाई विद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा
8. संस्कृत विद्यालय, अजीतगढ़ सीकर राजस्थान
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मण्डूस्या सीकर
10. राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जसवन्तपुरा, शाहपुरा, जयपुर

पूर्वस्मिन्ध्याये महाराजस्य समस्ते राष्ट्रे यत् कार्यं वर्तते तेषां परिचयो विस्तरेण दत्तः। श्री नारायणदास महाराजस्य कथनं वर्तते ग्रामेषु प्रतिभावन्तः जनाः भवन्ति किंतु सुविधानामभावे, अवसराणामभावे, च ते भ्रमिताः भवन्ति। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन ग्रामस्य विकासाय कार्यं कर्तव्यम्। ग्रामीणक्षेत्रे उद्योगस्याभावः नास्ति केवलं क्रियान्वयनं कथं भवेत् इति ते न जानन्ति। सर्वकारस्य याः योजनाः भवन्ति तासामुपयोगः सम्यक्तया ग्रामे न दृश्यते।

राष्ट्रविकासस्य मूलं बीजं ग्रामे संनिहितम्। ग्राम्या प्रातः कालात् सायं यावत् स्व स्व क्षेत्रे कृषिकार्यं, पशुपालनं च कुर्वन्ति तथापि ते निर्धना, असहायाश्च दृश्यन्ते। तेषां अशिक्षितानां श्रमः मन्ये व्यर्थमेव गच्छति। श्रमिकाणां श्रमस्य मूल्यांकनं सामाजिकैः अवश्यमेव

विधेयम्। अन्यथा अस्मिन् सञ्चारतन्त्रस्य युगे हतोत्साहाः ते कृषिबलाः नैजं कार्यं त्यक्ष्यन्ति राष्ट्रं अन्नस्याभावः भविता। अन्नोत्पादनं बहुप्रयासेऽपि यन्त्रेषु नैव भवितुमर्हति अतः तेषां श्रमिकाणां संरक्षणमवश्यमेव कर्तव्यम्।

महाराजस्याश्रमे धनाढ्यानां यथा प्रतिष्ठा आदरश्च भवति ततोऽधिकं अशिक्षितानां ग्राम्याणां वर्तते। ग्राम्याणां कार्यं महाराजः प्रथमं सम्पादयति। महाराजस्य यत् कृत्यं अस्माकं समक्षे भवति प्रायेण सर्वं कार्यं ग्रामीणक्षेत्रेषु अङ्गीकृतम्।

महाराजस्य चिकित्सा क्षेत्रे कार्याणामवलोकनं क्रियते - .

1. बाबा श्री नारायणदास हॉस्पिटल अजीतगढ़
2. बाबा भगवानदास चिकित्सालय बलेश्वर, विराटनगर
3. बाबा नारायणदास चिकित्सालय सैंधवा मध्यप्रदेश
4. श्री भूरीबाई चिकित्सालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर
5. श्री नारायणदास चिकित्सालय कांवट, सीकर, राजस्थान

### जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विचारः परिणतिः सहयोगश्च स्थापना

राजस्थान प्रान्ते रामानन्दसंप्रदायस्यानेके आचार्याः उत्पन्नाः अभवुः। अनेके द्वाराचार्याः अभूवन् यद्यपि संख्याक्रमे वृद्धिं हासश्च जायते तथापि षट्त्रिंशत् द्वाराचार्याः आसन् । तेषु त्रयोदशद्वाराचार्याः राजस्थानप्रान्ते उत्पन्नाः सन्ति - यद्यपि यवनानामाक्रमणं समग्रे भारते वर्षे जातं किन्तु एतदाक्रमणं सर्वस्मादधिकं राजस्थानप्रदेशे गण्यते। श्रीरामानन्दस्य शिष्यप्रशिष्य परम्परायां श्री बालानन्दः अभूत् स्वनामधन्यः श्री बालानन्दः वैष्णवसम्प्रदायस्यैकीकरणं कृत्वा अभूत्पूर्वं कार्यं सम्पादयामास। तस्यपरिणामः विशिष्य राजस्थानप्रदेशे दृश्यते यद्यपि समेषां द्वाराचार्याणां कार्यं कालश्च सुदीर्घः प्रतीयते इतिहासकाराणां मते त्रिंशत् वर्षाणां कालः मन्यते। शतत्रयेषु वर्षेषु एते द्वाराचार्याः देशस्य भिन्न भिन्न भूभागे सम्प्रदायस्य गौरवं वर्धयामासुः। सम्प्रति ये द्वाराचार्याः राजस्थान प्रान्ते प्रादुर्भूताः तेषां संक्षिप्तमध्ययनं क्रियते -

1. जगद्गुरु श्री पीपाचार्यः - १४१७-१५१७ ख्रीष्टाब्दी गागरौनगढ, राज०
2. जगद्गुरु श्री नरहर्यानन्दाचार्यः १४९९-१५९९ गढवाला राजस्थान
3. जगद्गुरु श्री कर्मचन्द्राचार्यः १५००-१६०० दौसा राजस्थानम्
4. जगद्गुरु श्री अनुभवानन्दाचार्यः १५०३-१६११ श्री बालानन्दाचार्यमठः, जयपुरम्
5. निवायाचार्यः (श्री टीलाचार्यः) १५१२-१६४२ जगद्गुरु श्री साकेतनिवायाचार्यः । अरणीया राजस्थानम्

6. श्री कीलदेवाचार्यः १५१६-१६१७ गलतातीर्थ जयपुरम्
7. जगदगुरु श्री विजयरामाचार्यः १५१६-१६१६ खाड, राजस्थान
8. जगदगुरु श्री दिवाकराचार्यः १५३५-१६१० दौसा राजस्थानम्
9. जगद्गुरु श्री लाहारामाचार्यः १५४५-१६५० अरणीया, राजस्थानम्
10. जगद्गुरु श्री केवलरामाचार्यः (श्री कूबाचार्यः) १५४५-१७२५ झीथर राजस्थानम्
11. जगद्गुरु श्री अग्रदेवाचार्यः १५५३-१६५८ रेवासा, राजस्थानम्
12. जगद्गुरु श्री नारायणाचार्यः १५८७-१६८७ रेवासा, राजस्थानम्
13. जगद्गुरु श्री राघवेन्द्राचार्यः (श्री खोजी जी) १६३२-१७३२ जोधपुरम्

श्री नारायणदास महाराजः संस्कृतस्य विकासाय अथ च श्री रामानन्दसम्प्रदायस्य विकासाय च तत्परो दृश्यते। श्री नारायणदास महाराजः काठियापरिवाचाचार्यस्य पदेऽभिषिक्तो वर्तते। वैष्णवाचार्याणां सत्प्रयासेन ४.१२.१९९८ दिनांके काठिया परिवाराचार्य पदे श्री नारायणदासमहाराजः अभिषिक्तो बभूव। अस्य परम्परा अधः प्रस्तूयते -

१. श्रीयुत् खोजी जी महाराजः
२. श्री ब्रह्मदासः
३. श्री रामरमणदासः
४. श्री अर्जुनदासः
५. श्री गोविन्ददासः
६. श्री रामदासः
७. श्री जगन्नाथदासः
८. श्री रामकिशोरदासः
९. श्री नारायणदासः

आनन्दभाष्यसिंहासनारूढः श्री रामेश्वरानन्दाचार्य एकस्मिन् संस्मरणे स्मारयामास यत् श्री नारायणदासमहाराजः वैष्णवकुलभूषणः अथ च सम्प्रदायस्य समुद्धारको भूत्वा सम्प्रति राजते।

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यो लिखति दिनांक २५-०१-१९९७ अस्माकं जीवने प्रमुखं दिनं प्रतिभाति। अस्मिन्नेव दिनांके अपराहणे श्री रामानन्दाचार्य संस्कृतविश्वविद्यालयविषये नारायणदासेन साकं चर्चा प्रारब्धा। अस्याः चर्चायाः प्रारम्भः १९९५ ख्रीष्टाब्दे श्री धाम्नि

जनकपुरे धर्मप्रचारस्य कार्यक्रमे प्रवाचनक्रमे च साँवरियाजी राजस्थाने रात्रौ विश्राम प्रसंगे धर्मसभायां संस्कृतविश्वविद्यालय सम्बन्धिनी चर्चा श्रुता। दिनांक ०१-०६-१९९५ धर्मसभायां रामेश्वरानन्दाचार्येण प्रस्तावः दत्तः जगद्गुरु रामानन्दाचार्यस्य नाम्ना अयं संस्कृतविश्वविद्यालयः स्थापितो भवेत्। वार्ता आगता गता च। कालान्तरे इलाहबादविश्वविद्यालयस्य दर्शनविभागाध्यक्षेण साकेतवासिना श्री संगमलालपाण्डेयेन पत्रमाध्यमेनाहं (रामेश्वरानन्दाचार्यः) संसूचितः यत् राजस्थान सर्वकारः झटिति संस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनां विधास्यति। पत्रेण दृढ प्रतिज्ञोऽहं सर्वकारस्य शिक्षा विभागे पत्राचारं प्रारब्धवान्। अहमदावादस्य सम्प्रदायस्य प्रबोधकाः श्री सम्प्रदायनिष्ठाः महामण्डलेश्वर श्री शिवरामदासमहाराजाः, महामण्डलेश्वर श्री रामावतारदास महाराजाः, प्रभृतयः वैष्णवाश्च पत्राचारं चक्रुः। पुनः द्विशतं वैष्णवानां हस्ताक्षरयुतं पत्रं राजस्थान सर्वकाराय प्रेषितवान्। श्री रामानन्दाचार्यस्य व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च पृथक् पृथक् सजीकृत्य प्रेषितवान्। सर्वकारपक्षतः आचार्यस्य विषये अनेके प्रश्नाः जिज्ञासिताः तेषां सर्वेषां वैष्णवाचार्याणां समेकित प्रयासेन समाधानं कृतम्। सर्वकारपक्षतः प्रायेण संतोषप्रदं उत्तरमागतम्। किन्तु कार्यं बृहत् वर्तते एतस्य समाधानं कः करिष्यति? अस्मिन्नेव काले श्री नारायणदासमहाराजः मुम्बई नग-मेकं अष्टोत्तरशतकुण्डीयं यज्ञं प्रारब्धवान्। यज्ञस्य सत्संगलाभाय श्री रामेश्वरानन्दाचार्यः अन्ये च वैष्णवाः आमन्त्रणं स्वीकृत्य जगः। सत्संगक्रमे २५-०१-१९९७ ख्रीष्टाब्दे पराह्वणे श्री नारायणदासमहाराज सर्वमिति वृत्तं विश्वविद्यालयस्य स्थापनाविषयकं श्रावयामास। विषयः गंभीर आसीत् अतः होरापर्यन्तं चर्चा प्रचलिता। रामेश्वरानन्दाचार्यस्य संस्मरणानुसारं तस्मिन् दिने श्री नारायणदासमहाराजेन साकं एकः भगवन्निष्ठः शिष्यः आसीत् स खलु सर्वा वार्ता श्रुत्वा महाराजाय विनीत भावेन निवेदयामास महाराज! भवतः संकल्पमात्रेण सर्वं कार्यं भवति इदानीमेव स्नातकोत्तरमहाविद्यालयस्य निर्माणकार्यं सम्पूर्णं जातम् सर्वकारश्च भवतः प्रस्तावानुसारं महाविद्यालयस्य नाम कृतवान्। तथा प्रणाल्यः यदि विश्वविद्यालयस्य स्थापना भवेत् असम्भवं किञ्चिदपि नास्ति अवश्यमेव जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापनं भवेदेव। गम्भीर मुद्रया उपविष्टः श्री नारायणदासमहाराजः सद्य एव संस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनाय स्वीकृतिमदात्। श्री खोजीजी द्वाराचार्येण नारायणदासेन सह श्री रामेश्वरानन्दाचार्यस्य प्रथमः साक्षात्कार आसीत् २५-०१-१९९७ दिनांके प्रथमे साक्षात्कारे एव रामानन्दस्य कीर्ति पताकां जगति पुनः स्थापयामास।

जयपुर अजमेर राजमार्गसंख्या ०८ भांक्रोटातः सप्तकिलोमीटर दूरे मदाऊ नाम्नि ग्रामे भव्यप्रांगणे जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालयः राराजते। नारायणदासस्य सम्प्रदाये या निष्ठा विद्यते तस्याः परिणतिः विश्वविद्यालयस्य भवनेषु द्रष्टुं शक्यते।

मुख्यद्वारे श्री अनन्तानन्दाचार्यद्वारम्, श्रीपीपाजीचार्य द्वारम्, श्री कबीरद्वारम् श्री रैदासद्वारम् चांकितम्।

भवनेषु

श्री योगानन्दाचार्य भवनम्।

श्री सुखानन्दाचार्य भवनम्।

श्री खोजीजी शोधसंस्थानम्।

श्री नरहर्यान्न्दाचार्य भवनम्।

श्री सुरसुरानन्दाचार्यभवनम्।

श्री अग्रदेवाचार्य भवनम् (ग्रन्थागारः)

विश्वविद्यालय स्थापत्यं दृष्ट्वा अनुमीयते यत् रामानन्दसंप्रदायस्य राजधानी इव अयं विश्वविद्यालयः विलसति।

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुधरा पुण्यवती च तेन।

स्वर्गास्थिता ये पितरोऽपिधन्या येषां कुले वैष्णवनाम धेयः॥

महाराजस्य इच्छाशक्ति दृढा वर्तते। राजस्थानप्रान्तस्य भूतपूर्वः मुख्यमन्त्रीमहोदयः एकस्मिन्नुद्घाटनक्रमे श्री नारायणदासमहाराजं निवेदितवान् यत् विश्वविद्यालयस्य स्थापना भविता तत्र सर्वकारः वाञ्छति भवनं निर्माय कश्चिदद्यात्। महाराजः मनसि बीजारोपणं कृत्वा जगद्गुरुराजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनासमितेः पञ्चीकरणं कारयित्वा १९९८ ख्रीष्टाब्दे आयकरस्याधिनियम ३५A मध्ये धनदातृभ्यः आयकरात् शतप्रतिशतं लाभः स्वीकृतः।

प्रस्तामङ्गकृत्य महाराजः "जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालय " इति प्रस्तावं प्रेषयामास किन्तु सर्वकारस्य शासनेऽपि अनेके धर्मनिरपेक्षवादिनः भवन्ति तेषां मते सम्प्रदायस्य प्रचारः राष्ट्रहिताय नास्ति किन्तु सत्यसंकल्पेन महाराजेन सर्वकारस्य सर्वाः समस्याः खण्डिताः रामानन्दस्य शिष्याः सर्वेषु वर्णेषु भवन्ति अत्र वर्णभेदः, वर्गभेदश्च नैवाङ्गीक्रियते।

सर्वकारपक्षतः ०४-०८-२००५ ख्रीष्टाब्दे भवननिर्माणाय विज्ञप्तिः समागता। महाराजः सर्वं प्रस्ताव स्वीचकार राजस्य सर्वकारस्य (७९.५५ हेक्टर) प्रायेण ३०० बीघा परिमाणमात्रं भूमिं विश्वविद्यालयाय १०.०४.२००३ मध्ये समर्पयामास। महाराजः प्रसन्नचित्तः सोत्साहः शुभे मुहूर्ते दिनांके १७.०४.२००३ ख्रीष्टाब्दे शिलान्यासं कृतवान्। शिलान्यास कार्यक्रमे राजस्थानप्रान्तस्य राज्यपालः श्री अंशुमानसिंहः, श्री अशोकगहलोतः (मुख्यमन्त्री) उपमुख्यमन्त्री श्रीमती कमला च उपस्थिता आसीत्। राजस्थान सर्वकारः राजस्थान संस्कृत अधिनियम १९९८ पास्यकृत्य ०६ ०२-२००१ तः राजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालयस्य शुभारंभं भादृकभवनेषु कृतवान्। अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रथमः कुलपतिः पद्मश्री डॉ० मण्डनमिश्रः पदमलञ्चकार। पदनन्तरं ३०.०५.२००२ तः ३०.०५.२००५ पर्यन्तं प्रो० सत्यदेवमिश्रः कुलपतिपदमलञ्चकार वर्तमाने विश्वविद्यालये -

१. वेदवेदांगसंकायः

२. साहित्य एवं संस्कृति संकायः

३. दर्शन संकायः

४. श्रमणविधा संकायः

५. आधुनिकज्ञानविज्ञान संकायः

६. शिक्षासंकायश्च

विश्वविद्यालये नवपीठानि स्थापितानि वर्तन्ते २५-०१-२००५ दिनांके नियमः सर्वकारेण स्वीकृतः।

1. जगद्गुरुमानन्दाचार्य वेदान्तपीठम्
2. सर्वा जयसिंह ज्योतिर्विज्ञानपीठम्
3. मधुसूदन ओझा वेदविज्ञानपीठम्
4. म०म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेद व्याकरण पीठम्
5. भट्टमथुरानाथशास्त्री साहित्यपीठम् ।
6. पं० नित्यानन्दशास्त्री आधुनिक साहित्यपीठम्
7. पट्टाभिराम शास्त्री मीमांसापीठम्

अनुबंधानुसारं प्रथमचरणस्य निर्माणकार्यं प्रायेण सम्पूर्णम्। निर्माणकार्यस्य यमचरण दिग्दर्शनं समासेन करिष्यते।

प्रशासनिकं भव्यं भवनं प्रवेशद्वारस्य समीपे वरीवर्ती। यस्मिन् विशाल भवने प्रशासनिकं सर्वं कार्यजालं प्रसृतं वर्तते। प्रशासनिक भवनं वास्तुशास्त्रदृष्ट्या निर्मितं यस्मिन् चत्वारि द्वाराणि चतुर्षुभागेषु संरचितानि सन्ति। रामानन्दसम्प्रदायस्य तिलकं कीर्तिपताकां च प्रकटयति। भगवतः श्री रामानन्दस्य प्रतिमा प्रशासनिकभवनस्य शोभा भृशं वर्धयति।

षण्णा विभागानां भवनं परिसरेऽस्मिन् भगवतो वेदस्य षड्भागानां साक्षात्कारं कारयति। विभागानां भवनं एकसमं कलेवरं बिभर्ति। अत्रापि भवनेषु रामानन्दसम्प्रदायस्याचार्याणां नामानि अङ्कितानि विद्यन्ते।

आवासस्यापि परिकल्पना परिसरे द्रष्टुं शक्यते तद्यथा कुलपतिः आवासः, कुलसचिवावासः, पुस्तकालयः, शोधसंस्थानम्, छात्रावासः, छात्रावासीय अधीक्षकाणामावासः, अतिथिगृहम्, कर्मचारिणामावासः, अधिकारिणामावासः, प्राध्यापकानामावासः, क्रय-विक्रयकेन्द्रम्, औषधिविक्रयकेन्द्रम्, जलापूर्तये च विस्तृतं एकलक्षलीटर परिमाणकं जलकोशं, बैंकभवनम्, पत्राचारभवनं च सज्जीकृतं वर्तते।

निर्माणकार्यं जयपुरस्य वास्तुकलायाः स्थापत्यस्य च दर्शनं सर्वत्र भवति प्रायेण पाषाणमयं भवनं राजमार्गात् जनानां मनः मोहयति। एकदा समग्रं निर्माणकार्यं दृष्ट्वा मनसि महान् तोषः जायते। निर्माणकार्ये सौन्दर्यस्य वास्तुकलायाः यथा सम्मिश्रणं विभाति तथैव दाढ्यं च वर्तते।

निर्मितं क्षेत्रफलं (दो लाख पैसठ हजार वर्गफुट) पञ्चषष्टिसहस्राधिकद्विलक्षपरिमितं वर्गफुट मात्रं वर्तते।

महाराजस्य श्री नारायणदासस्योत्साहं कार्यकलापं च समाकलय्यानुबन्धानुसारं राजस्थानस्य मुख्यमन्त्रिमहोदयाभिः २७-०६-२००५ ख्रीष्टाब्दे एकमादेशं पासीकृत्य विश्वविद्यालयस्य नामपरिवर्तनं कृत्वा जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालयः इति कृतः।

संस्कृतस्याक्षुण्ण परम्परायाः विकासाय प्रचाराय च भारत सर्वकारः पञ्चकोटि रूप्यकाणामनुदानं दत्तवान्। एभिः द्रव्यैः वेधशालयाः निर्माणकार्यमथ च श्रौत यज्ञशालायाः निर्माणं भविता। महाराजस्य भावना वर्तते विश्वविद्यालये शास्त्रचिन्तकाः आचारनिष्ठाः संस्कृतानुरागिणः प्राध्यापकाः नियोजिताः भवेयुः। प्रायेण तथाविधाः आचार्याः प्रथमचरणे चिताः सन्ति ।

विश्वविद्यालयस्य परिसरे छात्रा अध्यापकाश्च गुरुकुलस्य भावनां सार्थीकुर्वन्तः वसन्ति। प्रातः कालात् सायन्नं यावत् छात्राः अध्यवसायेरताः दश्यन्ते। किं बहना विदेशस्थाः केचन छात्राः पठनाय समागताः। विश्वविद्यालयस्य सर्वस्मिन् कार्ये श्री नारायणदासमहाराजानां यशोगानं श्रद्धया स्मर्यते।

काले काले शुभेऽवसरे यदा श्रीमहाराजानां पदार्पणं भवति सहस्रशोजनाः भक्तिभावेन आकृष्टाः भवन्ति। महाराजस्यागमनं मन्ये पुण्याय कल्पते। महाराजानां दृष्टिपातमात्रेण दुःखिताः जनाः दुःखात् मुच्यन्ते। सहस्रवर्षावधौ कश्चन एतादृशः नारायण एव नररूपं धृत्वा पृथिव्यामवतरति।

अद्य विश्वविद्यालयस्य सर्वेषु विभागेषु छात्राः मनोभावेन अध्ययनं कुर्वन्ति। परिसरे च हनुमतः मन्दिरं वर्तते यत्र पूजकः समयानुरोधेन नीराजनं, पूजनञ्च करोति। मन्दिरे च उत्सवः आयोज्यते। सर्वे छात्राः अध्यापकाश्च कार्यक्रमे भागं गृह्णन्ति।

### संस्कृतस्य संस्कृते च संरक्षकाः

संस्कृतं महाराजस्य सदा हृदि वसति। महाराजस्य दृढो विश्वासो वर्तते यत् संस्कृतं विना राष्ट्रस्य विकासः नैव सम्भवति कदाचित् विकासः भवेदपि किन्तु तस्मिन् विकासे भारतस्य गन्धः, मूल्यं च नावलोक्यते। समग्रे राष्ट्रे यस्मिन् भूभागे व तन नक्सल संस्कृतस्य हासो जातः तत्र तत्र आतंकवादः, नक्सलवादः, व्यभिचारः, कुतर्कश्चाति वेगेन प्रसृतः। धर्मान्तरणं तत्रैव द्रष्टुं शक्यते। संस्कृतस्य संरक्षणं भारतदेशे अनादिकालात् महान्तः, साधवः च कुर्वन्ति यतोहि मठश्छात्राणां निलयः इति वाक्यं प्राचीनमेव वर्तते। भारते उपासनायाः नैकाः पद्धतयः प्रचलिताः सर्वासां पद्धतीनां संरक्षणं स्वस्मिन् मठे मन्दिरे च भवति। साधवः विद्वांसमाचार्यमाहूय मठेषु स्थापयन्ति वेतनादिदानेन तानाचार्यान् पुष्पन्ति ते आचार्याः सम्प्रदायस्य रक्षार्थं वेदान्तादिशास्त्राणामध्यापनं कारयन्ति। छात्राणां कृते मठेषु मन्दिरेषु च आवासः, भोजनं च निःशुल्कं दीयते स्म। संस्कृतस्येयं परम्परा सम्पूर्णे भारते प्राचीनकालादेव प्रवर्तते। इदानीमपि मन्दिरेषु मठेषु च छात्राणां कृते व्यवस्था दृश्यते किं बहुना मम शोधकार्यस्य मार्गनिर्देशकाः यजुर्वेद - ऋग्वेद - साहित्य-धर्मशास्त्राचार्याः स्वनामधन्याः डॉ० शम्भु कुमार झा महोदयाः अपि जगदीशनारायण ब्रह्मचर्याश्रम आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयस्य गुरुकुल पद्धतौ तत्रैव छात्रावासे उषित्वाध्ययनं कृतवान्। उत्तरे भारते दक्षिणे च शास्त्राध्ययनस्य विशुद्धा परम्परा महात्मभिः साधुभिश्च संरक्षिता मन्ये। काश्यां

(वाराणस्यां) मन्दिरे मन्दिरे विद्यालयः प्रसिद्ध आसीत् कुत्रचिदस्ति च। तेषु मन्दिरेषु उद्भवाः विद्वांसः विद्याध्ययनं चक्रुः। इमां परम्परामवागाहयन् श्री नारायणदासमहाराजः संस्कृतस्य विकासाय संप्रदायस्य च गौरवाय अद्भुतं कार्यं कृतवान्। यद्यपि महाराजस्य शिक्षाक्षेत्रे विशिष्टं योगदानमङ्गीक्रियते विशिष्य संस्कृत विद्यायाः कते। चिमनपुराग्रामे आधुनिकः महाविद्यालयः तेन महाराजेन निर्मितः किन्तु तत्रापि संस्कृते द्रष्टुं शक्यते। स्नातकोत्तरमहाविद्यालयः विद्यते यस्मिन् आधुनिककालस्य प्रायेण उद्योगसाधकाः सर्वे विषयाः अङ्गीकृताः। महाविद्यालयस्य परिसरे संस्कृतस्य संस्कृतेश्च साक्षात् दर्शनं भवति। बहूनि सुभाषितानि आधुनिक सन्दर्भे संस्कृत भाषायां लिखितानि वर्तन्ते। अस्मिन् महाविद्यालये सहशिक्षायाः समर्थनं वर्तते। संस्कृतं विना मन्दिरस्य, मठस्य च सामान्यमपि कार्यं नैव भवति। पूजायां संस्कृतस्यैव श्रीकाः, स्तोत्राणि च गीयन्ते।

नीराजने च संस्कृतस्य स्तोत्रं पठ्यते। संस्कृतिः मन्दिरेषु प्रतिपलं द्रष्टुं शक्यते। भारतस्य या प्राचीना संस्कृतिः वर्तते। तस्याः अनेके अंशाः साधूनां जीवने सम्मिलिताः सन्ति। ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय प्रातः स्मरणं, स्नानं, सन्ध्यादिकं च संस्कृतेः प्रारूपं वर्तते।

अत्रेदं ध्येयं समाजे यत्किमपि भवति आचरणं सर्वं संस्कृतिनैव भावितमर्हति। यथा कश्चित् पिता कन्यां विक्रीणीते तस्य वंशे सदा विक्रयणं कर्म भवति तथापि धर्मे तस्य कार्यस्य प्रतिष्ठा नास्ति।

संस्कृति सदा शास्त्रमूला भवति। शास्त्रे यस्य व्यवहारस्य गंभीरं चिन्तनं कृत्वा स्थानमिष्टं तदेव संस्कृतिः। शास्त्रनिर्मूलस्य व्यवहारस्य क्रियाकलापस्य च संस्कृतिमूले स्थानं न स्वीकरणीयम्। संस्कृतेः स्रोतः वेदादिकं शास्त्रं वर्तते। यस्मात् समागता संस्कृतिः सहस्रवर्षेभ्यः सामाजिकानां सकलं सांसारिकं मनोरथं पूरयन्ती पारलौकिकञ्च सुखमैश्वर्यं प्रयच्छति।

श्री नारायणदासमहाराजः धर्मप्रचारकः, संरक्षकश्च विद्यते। धर्मस्य साक्षात् संबन्धः संस्कृत्या साकं मन्यते। संस्कृतौ प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च धर्मोभवत्येव। महाराजः स्वकीयाचरणेन, व्यवहारेण, क्रियाकलापेन च संस्कृतस्य संस्कृतेश्च मार्गं प्रदर्शयति।

संस्कृतिः प्रामुख्येन वेदमूलिका अस्माभिः अङ्गीक्रियते। वेदस्य चरमोद्घोषः वर्तते। सह - सह अस्तित्वस्य भावना। यजुर्वेदे षट्त्रिंशत्तमेऽध्याये प्रायेण संस्कृतेः सारांशो निगदितः। यद्यपि संस्कृतिः वैदिकी वर्तते नास्ति सन्देहः। यजुर्वेदे साक्षात् मन्त्रांशो वर्तते -

"सा नो संस्कृतिप्रथमा विश्ववारा"<sup>5</sup>

अस्माकं पुरातना संस्कृतिः विश्वस्य प्रथमा अर्थात् आद्या वर्तते। यस्यां संस्कृतौ विश्वबन्धुत्वस्य भावना सर्वोपरि राजते।

दृतेदं ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे॥

दृते दृहं मा ज्योक्ते सन्दृशिजीव्यासम् ज्योक्ते सन्दृशिजीव्यासम्॥<sup>6</sup>

मन्त्रेऽस्मिन् ऋषिर्वदति हे परमेश्वर! माम् सर्वे जन्तवः देहधारिणः मित्रस्य सख्युः नेत्रेण पश्यन्तु। सर्वे मम सखायः सन्तु। यथा एकः सखा अपरं सखायं दृष्ट्वा हृष्टो जायते तथैव सर्वे प्राणिनः माम् प्रार्थकं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्तु। तथाहमपि सर्वान् चराचरान् मित्रं दृष्ट्वा द्रक्ष्यामि।

अथवा मित्रो देवः दिनस्य देवता कदाचित् सूर्यपर्यायः यथा सः मित्रोदेवः पक्षपात राहित्येन जगत् पश्यति तथैव सर्वे माम् पश्यन्तु।

अनेन प्रकारेण समाजे कलहस्यावसरः नोदेति।

न हिंस्यात् सर्वभूतानि संसारे सर्वे मे मित्राणि सन्ति इयं बुद्धिः यदि सर्वदा तिष्ठेत् कथं कलहः स्यात्। महाराजः श्री नारायणदासः सर्वान् जनान् मित्र भावेन पश्यति तथा शिष्यसमुदायानपि उपदिशति।

पुनः तस्मिन्नेवाध्याये भगवान् वेदः सर्वान् मनुष्यान् आदिशति संसारे केवलं मनुष्याः एव सुखिनो न भवन्तु अपितु कृमिकीटपतंगानामपि कल्याणमस्तु। इयं भावना वेदे प्राप्यते तद्यथा -

यतो यतः समीहसे ततोऽनो अभयंकुरु।

शन्नः कुरुप्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः॥

पुनस्तस्मिन्नेवाध्याये -

शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे॥

मन्त्रस्य प्रभावः महाराजस्य जीवने प्रत्यक्षतो द्रष्टुं शक्यते। पशु पक्षीणां रक्षणार्थं महाराजः दृढः प्रतिज्ञः भवति ग्रीष्म? विशेषेण कपोतादीनां कृते जलस्थापनं दृश्यते। शिष्याश्च महाराजस्याचरणं दृष्ट्वा उपदेशं श्रुत्वा, आदेशं मत्वा च भवनोपरि पात्रेषु जलानि स्थाप्यन्ते तत्रैव खलु अन्नानि च विकीर्यन्ते।

महाराजः उपदेशादधिकं आचरणं पालनेन सामाजिकान् शिक्षयति। कथनस्याभिप्रायो वर्तते आचरणं प्रमुखं भवति।

महाराजस्य स्थाने समये समये ब्राह्मणवटुकानां कृते यज्ञोपवीतस्यार्थात् उपनयनस्यायोजनमपि भवति। महाराजस्य मनसि प्रबला चिन्ता वर्तते समाजे उपनयन संस्कारः प्रायेण लुप्तप्राय एव कदाचित् विवाहात् प्राग्दिवसे उपनयनं श्रूयते। शनैः शनैः इयं विरूपा संस्कृतिः समाजस्य अंगभूता भवेत् तदर्थं संस्कारस्य आयोजनं भवति। उपनयनं विवाहस्य प्रमाणपत्रं नास्ति अपितु वेदाध्ययनस्य विप्रत्वसिद्धये चायं संस्कारः।

महाराजस्य प्रयासेन जनजागरणमभूत् तथा अनेकत्र कालेन उपनयनं सम्पद्यते।

कतिचिद्दिनानि यावत् त्रिवेणीमध्ये उषित्वा संस्कृतेः ज्ञानं भवितुमर्हति । अनेके पण्डिताः तत्र आश्रमे वसन्ति ये शास्त्रमर्मज्ञाः सन्त्येव तेन सह संस्कृतेश्च सम्यक् ज्ञातारो भवन्ति। अनेके वृद्धाः महात्मानः व्यवहारे सन्दिह्यमाने स्वकीयानुभवबलेन च ग्राम्याणां सन्देहं निवारयन्ति। सतां संगतिः धर्मपालनाय संस्कृतेः संरक्षणाय च मन्यते।

पर्यावरणस्य योगदानम् -

प्रकृतेः समर्चकाः प्राचीनकालादेव मनुष्याः सन्ति। किन्तु विकासवादस्य साम्प्रतिके धावमाने युगे मनुष्याः प्रकृतेः विमुखाः जाताः। सर्वत्र धाव ताता यशोविजयमभिलषन्तः मनुष्यः प्रकृतिमपि जेतुमभिलषन्ति ते न जानन्ति वयमपि प्रकृतेः पुत्राः एवा संसारे यानि

वस्तूनि दृश्यन्ते प्रकृतिना मनुष्याणां कल्याणाय दत्तानि। मनुष्याणां लोभात्मिकाः प्रवृत्तयः प्रकृतिं छेतुमुद्यताः दृश्यन्ते। सर्वत्र अर्थविज्ञानस्य प्रचारः प्रसारश्च श्रूयते। अर्थलाभाय पर्यावरणस्य समस्यापतिता। पर्यावरणं कः रक्षयिष्यति?

परितः आवरणं पर्यावरणम्। जीवस्य परितः चतुर्दिक्षु यदावरणं वर्तते भौतिकं आवरणं तस्य संरक्षणमावश्यकम्। यद्यपि आधुनिके पर्यावरणग्रन्थे अनेके विषयाः समाविष्टाः सन्ति तथापि महाराजस्य योगदानं यस्मिन् क्षेत्रे वर्तते तेषां समासेन चर्चा कुर्मः।

पर्यावरणस्य हानिः, दोहनं च अज्ञानेन, मोहेन च मन्यते। मोहग्रस्तो मनुष्यः स्वार्थलाभाय वनानि छिन्दति अज्ञानेन च द्रव्यलोलुपो भूत्वा व्याघ्रादीन् वनेचरान् हन्ति अत एव अज्ञानध्वान्तये महाराजः शिक्षायाः कार्यक्रमं चालयति। विद्यालयस्य निर्माणे महाराजः वदति शिक्षा सर्वासां समस्यानां निदानम् वर्तते। महाराजस्य सत्प्रयासेन शिक्षायाः नादघोषेण च वनानां, वनेचराणां च संरक्षणं सुनिश्चितम्। यस्मिन् क्षेत्रे एकोऽपि वृक्षः सौभाग्यबलात् दृष्टिं गोचरो न भवति स्म तत्रैव छात्राणां स्वल्पेन श्रमेण वनानि दृश्यन्ते। विद्यालयेषु वृष्टिकाले वृक्षारोपणस्य कार्यक्रमः सर्वकारपक्षात् प्रचलति तस्मिन् शुभे काले सहस्रशः वृक्षाः छात्रैः रोप्यन्ते। वनमहोत्सवस्य कार्यक्रमे च छात्राः सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। पादपानां पातवर्द्धनेन तस्मिन् क्षेत्रे कूपादिषु वर्षपर्यन्तं जलमुपलभ्यते। तडागेषु च जलानां संग्रहः दृश्यते।

महाराजः जनानमुत्साहवर्द्धनाय सर्वत्र स्वकीयेन हस्तेन वृक्षारोपणं करोति तदनु शिष्याः स्वयमेव प्रवृत्ताः भवन्ति स्वकीये प्रवचने महाराजः वृक्षस्य महत्त्वं शास्त्रोद्धरणपूर्वकं प्रकाशयति वृक्षः जडरूपः साक्षात् ईश्वर एव अस्माकं पालनाय देव देहधराः एते वृक्षाः सन्ति तस्मात् जलदानेन पूजनेन च वृक्षाः संरक्षणीयाः। राजस्थानप्रान्ते शमीवृक्षस्य उपलब्धिं प्रायेण भवति। शमी वृक्षः लोके खेजड़ी इत्यभिधानेन प्रसिद्धः। अस्य वृक्षस्य कल्पतरुरूपेण राजस्थाने प्रसिद्धिः श्रूयते। महाराजः इतिहासपक्षस्यापि समाजे उदाहरणं प्रस्तौति यथा वृक्षसंरक्षणार्थं विश्वेऽपि परिवारस्य काश्चनस्त्रियः प्राणानामाहुतिं दत्तवत्यः। अतः अस्माभिः वृक्षाः सर्वदा संरक्षणीयाः।

वृक्षसंरक्षणेन जलसंवर्द्धनं स्वतः भवति पुनश्च वनेचराणां स्वातन्त्र्यं जायते। महाराजः साक्षात् स्वयमेव उपदेशकः अस्ति। महाराजस्यादेशं सर्वे सामाजिकाः

श्रद्धया पालयन्ति तथापि सम्यक् शिक्षणाय, उपदेशाय च महाराजः जगद्गुरुरामानन्दाचार्यस्य जीवनवृत्तं कौटिल्यैः निर्माय दूरदर्शनमाध्यमेन प्रसारितम्। तस्मिन् जीवनवृत्ते महाराजः श्री रामानन्दः बहुविधमुपदेशं प्रायच्छत्।

अद्य संस्कृतिविद्यालयस्य परिसरे वृक्षाणां विकासः महाराजस्य सत्प्रयासेनैव द्रष्टुं शक्यते।

१. पादपसंरक्षणम्
२. जलसंरक्षणम्
३. वनेचराणां संरक्षणम्
४. कपोतादीनां संरक्षणम्

महाराजः सदा उपदेश माध्यमेन पर्यावरणस्य रक्षणार्थं पर्वतादीनामपि संरक्षणं प्रतिपादयति। महाराजस्य विश्वासो वर्तते

जलाशय, गोपालनं निवारणश्च अस्प्रश्यता निरूपणम्

शास्त्रप्रमाणकाः वयम्। शास्त्रेषु गोपालनस्य महत्त्वं सर्वत्र पठितुं शक्यते।

शास्त्रं वदति -

गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः।

गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

तथा चान्यत्र -

गावो विश्वस्य मातरः।

अस्य विश्वस्य प्रतिष्ठायै गोपालनं सर्वैरेव विधेयम्। व्यवहारतः माता जनयति सुतम् किन्तु अत्र गोमाता वत्सतरी च गोः सकाशाज्जायते किन्तु शास्त्रानुशासनेन प्रत्ययः दृढो भवति यत् दृश्यमानस्य विश्वस्य समुत्पत्तिः गोः सकाशाद् भवति। वेदप्रमाणात् न केवलं दृश्यमानस्य विश्वस्य समुत्पत्तिः तस्याः सकाशात् कल्प्यते अपितु देवादीनामपि समुत्पत्तिः गोभ्य एव जायते। शुक्लयजुर्वेदस्य प्रथमेऽध्याये प्रथमे मन्त्रे च गवां महत्त्वं स्वीकृतम्। दर्शयागस्य द्रव्यं -

ऐन्द्रं दधि अमावास्यायाम्।

एन्द्रं पयः अमावास्यायाम्।

दधि - पयसोः लाभः गोभ्यः एव भवति। गोदोहनस्य प्रकारश्च तत्रैव दत्तः। यदा यजमानः गोदोहनं कृतवान् पृच्छति याज्ञिकः - कामधुक्षः?

कामधुक्ष इति पदेन प्रश्नः कृतः कां गाम् दुग्धवानसि। अस्योत्तरं अग्रिमे मन्त्रे प्रदत्तम् -

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः।

इन्द्रस्त्वा भागं सोमेनातनन्मि विष्णो हव्यं रक्ष॥<sup>7</sup>

सा गौः विश्वस्यायुः जीवनं वर्तते। विश्वशब्दः सर्वं पर्यायः सर्वादिगणे च पठितः। विश्व इत्युक्ते क्षुद्रादारभ्य ब्रह्मपर्यन्तस्य परिकल्पना क्रियते। संसारे देहधारिणां कृते भोजनस्यावश्यकता भवति तच्च भोजनं संसारायालं मन्यते अत एव भगवान् मनुः प्राह -

अग्नौ प्रस्ताहूतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।

आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥<sup>8</sup>

अयं भावः गोघृतेन यज्ञः सम्पाद्यते आहुतिर्दीयते तथा आहुत्या अन्नमुत्पद्यते संसारस्य चावस्थितिः भवति। अत एव प्रोक्तम् -

गावो विश्वस्य मातरः।

गवां मध्ये सर्वासां देवतानां वास भवति गोदर्शनात् तीर्थाटनस्य फलं लभते । शास्त्रे गोविकारः गव्यम् इति भणितम्।

गोपयसोर्यत् गो शब्दात् पयस् शब्दात् च यत् प्रत्ययः। गव्यपानस्य कर्मकाण्डे प्राथम्यं भजते। अधिकार प्राप्त्यर्थं पञ्च गव्यप्राशनं भवति। पागले गोटा गोतं, गोदधि, गोमूत्रम्, गोमयञ्च। एतेषां पञ्चद्रव्याणां शास्त्रोक्त विधानेन सम्मिश्रणं कृत्वा पानं भवति।

शरीरस्थं निखिलं पापं पञ्चगव्यपानेन दहति तथा च स जनः यज्ञेषु अधिकृतो जायते। सपापो जनः यज्ञेषु अधिकारं न प्राप्नोति। श्रीमद्भागवते अखिलब्रह्माण्डनायकः भगवान् श्री कृष्णः बाल्यकालादेव गोपालनं चकार भारतीय धर्मव्यवस्थायां गोपालनात् संरक्षणाच्च विशिष्टः कश्चन धर्मः नास्ति। श्राद्धप्रकरणे मृत्योः प्राक् वैतरणीदानस्य माहात्म्यं श्रूयते गोदानात् अत्युत्कटात् पापादपि मुक्तो भवति तस्मात् तीर्थेषु यज्ञेषु च गोदानं प्रशस्तम्। किं बहुना द्रव्यमूल्यकां गामपि दानं भवति। गोदर्शनात् स्पर्शनात् पूजनात् गोप्रासदानात् च सर्वं मंगलमुपजायते।

महाराजस्य गोशालायां सहस्रशो गावः वर्तन्ते प्रायेण प्रति संवत्सरं प्रसूयन्ते। गोसेवार्थं अनेके सेवकाः नियुक्ताः सन्ति। ते सर्वे यथाकालः गाः पालयन्ति। गोदोहनस्य च सम्यक् व्यवस्था वर्तते। वत्सानां पानार्थं दुग्धं परित्यज्य दोहनं तत्र भवति। महाराजस्य गोशालायां सर्वेषां ग्राम्याणां सहयोगः वर्तते। ग्रामीणाः गोप्रासं प्रेषयन्ति।

श्रूयते एकदा एकः धनाढ्यः सम्पन्नः त्रिवेणीधामगत्य गोशालायाः सरस्य क्रियमाणं व्ययं भारं ज्ञातवान्। स धनाढ्यः गोशालायाः एकवर्षस्य पर्णं भारे वो, स्वीकृतिं अदात्। महाराज श्री नारायणदासः धनाढ्यस्य प्रस्ताव प्रत्वा खिन्नोऽभवत्। भक्तानां समक्षं प्रवचनं कृतवान् -

गोशालायां सर्वेषां येन केन प्रकारेण सहाय्यं प्रयच्छति। सर्वं गोप्रासं सन्ति अनेन प्रकारेण सामाजिकानां साक्षात् संबन्धः स्थापिता भवति। जनसहयोगस्य उत्कृष्टमदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। अनेन माध्यमेन जनजागरणं स्वभावतः उत्पद्यते। धर्मकर्मणि अधिकाधिकानां जनानां उत्साहवर्द्धनं कर्तव्यम्। एकस्मात् धनाढ्यात् धनग्रणेन साधारणाः जनाः धर्मस्थानात्, धर्माच्चोन्मुखाः भवन्ति। तेषां मनसि असंतोष उत्पद्यते। एतस्मात् कारणाय गोशालायाः व्यवस्था जनसहयोगेनैव भविता। धर्मः धनाढ्यानां निधिर्नास्ति। धर्मे समेषां अधिकारः परमात्मना प्रदत्तः। महाराजस्य गोपालनं आदर्शभूतो विभाति स्वयमेव स्वहस्तेन प्रत्यह्नि प्रातः गोप्रासं प्रयच्छति महाराजः।

त्रिवेणधाम्नि गोशालायाः दर्शनं तीर्थादधिकं पुण्यप्रदं वर्तते। गोशालायामेव वर्षभाः सन्ति। वत्सानां वत्सतरीणाञ्च कृते पृथक् स्थानं वर्तते तत्रैव याः गावः दुग्धदाने असमर्थाः वृद्धाश्च, रोगग्रस्ताः सन्ति तासां चिकित्सायाः प्रबन्धः स्ताः सायाः महाराजेन कतः। पशुचिकित्सकः समयेन चिकित्सां विदधाति।

जलाशयानां संरक्षणेऽपि महाराजस्य योगदानं श्रूयते। समग्रे राजस्थानप्रान्ते जनानां दृढो विश्वासः वर्तते यत् महाराजस्य काचित् सिद्धिः विद्यते विशिष्य जलविषये। महाराजः अस्मिन् मरुप्रदेशे च जलाशयानां निर्माणे अग्रगण्यः प्रतिभाति।

जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरे एकः कपः महाराजस्य कृपया जलपूर्णे वर्तते। अद्यानेके गृहस्थाः महाराजस्य समाप आगत्य कूपखननाय महाराजस्यानुमतिं आशीर्वचनं च गहीत्वैव कार्यं कर्तन्ति। महाराजः स्थानं निर्दिशति तस्मिन् निर्दिष्टे स्थले अवश्यमेव जलं प्राप्यते। महाराजस्य आशीर्वचनेन कृषकानां जलसमस्यानां समाधानं जायते। महाराजः स्वकीयप्रवचने जलसंरक्षणाय वृक्षाणां विकासाय विशेषेणोपदेशं प्रयच्छति। पादपानां वर्धापनेन वरुणो देवः प्रीणाति इन्द्रः प्रसन्नो भवति पर्जन्यश्च वर्षति ।

**अस्पृश्यता निवारणम्** - श्री रामानन्दः स्वकीयजीवने काले एव अस्पृश्यतायाः निवारणं चकार। रामानन्दसंप्रदायस्य विकासस्य मूलं बीजं वर्तते -

सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः<sup>9</sup>

अयं भावः भक्तिमार्गे न कोऽपि नीचः भवति न च कश्चिदुत्तमः। रामानन्ददिग्वजय यात्रा प्रसंगे श्रूयते एकदा स्वामीरामानन्दः द्वादशभिः शिष्यैः साकं रंगनाथधाम प्रवव्राजा। रामानन्दस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। श्रीरंगनाथधाम्नि महाराजस्यागमनं पूर्वत एव संसूचितमभवत् तत्र जातिवादस्य, राजस्थ ब्राह्मणवादस्य च प्रचार आसीत्। रामानन्दस्य शिष्याः केचन ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राः अन्त्यजाश्चासन्। अतएव विरोधस्य स्वरः प्रस्फुटितः। स्वामिजीवस्य शिष्यः श्री रैदासः, कबीरश्च प्रसिद्धौ आस्ताम्। तयोः जाति विषये च सन्देहः नासीत् रैदासः चर्मकारः कबीरश्च तन्तुवायः अतएव दृढः विरोधो जातः। श्री रामानन्दः विरोधं दृष्ट्वा प्रोवाच एते द्वादशभगवताः सिद्धाः मुक्ताश्च विद्यन्ते। एतेषां भक्तानां दर्शनं यूष्माभिः अभिमानराहित्येन कर्तव्यम्। समेषां शिष्याणां प्रच्छन्नः अवताररूपः प्रकटितो बभूव। विरोधिनः सर्वे श्री रामानन्दस्य चमत्कारं दृष्ट्वा चरणकमलयोः पातयामासुः। परमेश्वरः समेषां कृते समानभावेन दृष्टिगोचरो जायते तस्मात् उक्तं -

सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः

शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्प्रभोः।

नोपेक्षते तव कुलं बलं च नो

न चापि कालो नहि शुद्धतापि वै॥<sup>10</sup>

श्री रामानन्द सम्प्रदाये भेदभावो न स्वीक्रियते। राष्ट्र सर्वत्र जातिप्रथायाः अस्पृश्यतायाश्च भावः चरमोत्कर्षे आसीत् तस्मिन् संक्रमणकाले भगवान् श्री रामानन्दः भक्तिमार्गेण सामाजिकानां सप्रमाणं निराकरणं कृतवान्। श्रीरामानन्दस्योद्घोषो वर्तते -

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रास्तथेतराः।

मन्त्राधिकारिणः सर्वे ह्यनन्यशरणा यदि॥<sup>11</sup>

आचार्यस्य प्रयासेन समाजे अस्पृश्यतायाः निवारणमभूत्। मन्दिरेषु सर्वेषां प्रवेशः सुनिश्चितः। किं बहुना तडागेषु कूपेषु च सर्वे गन्तुं शक्यन्ते। श्री नारायणदासस्याश्रमे पञ्चशताधिक महात्मनः प्रायेण भोजनादिकं गृह्णन्ति किन्तु साधूनां मध्ये जातिव्यवस्थायाः गणना नैव दृश्यते। भक्ति श्रेष्ठा भवति भक्त्या उत्तमः भवति मनुष्यः भक्ति त्यागेन च अधमकोटौ परिगण्यते। श्रीरामचरितमानसे श्रूयते -

भगतिवंत अति नीचहु प्राणी।

मोहि प्राणप्रिय असि मम वानी॥

भगतिहीन विरंचि किम होई॥

सब जीवह सम प्रिय मम सोई॥

श्री रामानन्द संप्रदाये जातिवादस्य रूढपरम्परा न विद्यते। महाराजस्य शिष्या अपि सर्वस्यां जातौ विद्यते भोजनादिप्रसंगे च भेदः नैव कर्तुं शक्यते। अत्रापि इदं विशेषेण ध्येयं यत् भेदः नास्ति इत्यस्य तात्पर्यं नेदं वर्तते यत् एकस्मिन् स्थालीपात्रे बहवः जनाः खादन्ति भोजनाय पात्रभेद अवश्यमेव दृश्यते भोजनस्य स्थालीपात्रं पृथक् पृथक् भवति। उच्छिष्ट भोजनस्य परम्परा नास्ति। उच्छिष्टान्नस्य बहिः प्रक्षेपः। यवनानां संस्कृतौ एकस्मिन् पात्रे अनेके जनाः खादन्ति किन्तु उदारतायाः काचिदपि अयमर्थः नास्ति कस्यापि उच्छिष्टभागस्य ग्रहणं भवेत्। एकस्यां पंक्तौ भोजनं भवत्येव।

### महापुरुषैः सह समागमः

सेवाद्वयः श्रेष्ठो धर्मः शास्त्रकारेण विज्ञापितः। त्रिवेणीधाम्नः प्रतिष्ठा साधसमाजे सर्वत्र प्रसृता अस्ति। देशस्य प्रसिद्धाः सन्तः महात्मनः विभूतयश्च समये समये आगच्छन्ति। महात्मनामागमनं विशिष्ट कार्यक्रमे भवति। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सतां सज्जनानां संगः सत्संगः। महाराजः श्री नारायणदासः प्रायेण सर्वेषु प्रसिद्धतीर्थेषु भागवतकथायाः आयोजन कारयामास। कथावाचकाः भारतस्य प्रसिद्धाः दिग्दिगन्त विश्रुताः आचार्याः भवन्ति स्म। महाराजस्य सम्प्रदाय प्रेम जगति सर्वे जानन्त्येव किन्तु यदा सत्संगस्य विषयः भवति तत्र संप्रदायात् पृथक् कश्चित् ज्ञानोपासकः यदि सौभाग्यात् लभ्यते अवश्यमेव तं महापुरुष सादरं आह्वयति। कामं स शैवाचार्यो भवेत्। शाक्तः वा अन्यो वा। ज्ञानस्य परिधिर्नास्ति। तस्मात् सुप्रसिद्धाः स्वनामधन्याः शैवाचार्याः सन्यासिनः श्री हरिहरानन्दस्वामिनः (श्री करपात्र स्वामी महाराजः) एकदा त्रिवेणीधाम आजगमुः। तस्मिन् समये पूर्वाचार्याः, श्री भगवानदासमहाराजाः आसन्। करपात्रस्वामिनः सेवायां श्रीनारायणदासमहाराजं नियोजयामास। कतिचिद्दिनानि यावत् महापुरुषाणां सेवां कृतवान्। सेवा मध्ये बहुकालं यावत् शास्त्राचार विषये गंभीरं चर्चा कृतवान्। श्री रामसुखदासस्य नाम को न जानाति गीतायाः साधकसंजीवनी भाष्यं विरचय्य संसारे अमरगाथां प्रसारयामास। श्री रामसुखामहाराजेन सह काले काले सत्संग लाभः प्राप्तः। गीतायाः कठिनस्थलस्य च नैकधा चर्चा विहिता।

भारतराष्ट्र प्रसिद्धाः भागवताचार्याः श्रीरामकृष्ण डोगरे महाराजाः। श्री डोगरेजी महाराजेन सह सत्संगस्य महानवसरः लब्धः। महात्मनां नामभिः चर्चा कर्तुं नैव शक्यते। श्री अयोध्यायां अस्मिन् शताब्दे ये महात्मानः सुचरिताः अभूवन् तेषां प्रायेण सर्वेषां दर्शनलाभं महाराजः कृतवान्। रामानन्दसंप्रदायस्य ये मण्डलेश्वराः महान्तः विद्वांसश्च सन्ति ते काले काले अवश्यमेव आदृताः भवन्ति। महाराजस्य कथनं वर्तते सम्प्रदाये अवश्यमेव निष्ठा स्थापनीया किन्तु अन्यस्मिन् संप्रदाये च ये धर्मज्ञाः आचारज्ञाः शास्त्रज्ञाः सन्ति तेषां वचनमवश्यमेव ग्राह्यम् मिथिलायाः रामानन्दसंप्रदायस्य प्रसिद्धः साधुः ब्रह्मालीन श्री शुकदेव दास महाराजः। श्री शुकदेव दासेन सह महाराजस्य मैत्रीभाव आसीत्। बहुकालं यावत् रामचरितमानसस्य चर्चा भवति स्म। दाक्षिणात्याः केचन रामानुजसंप्रदायवादिनाः माधवसंप्रदायाचार्याश्च श्री नारायणदासस्य यशोगाथां गायन्ति। सर्वेषां मते श्री नारायणदासः अतीव सरलस्वभावः विनीतः शान्तः निर्धूतकल्मषश्च वर्तते।

त्रिवेणीधाम्नि प्रायेण सर्वे संप्रदायवादिनः आगच्छन्ति शैवाचार्याः, वैष्णवाचार्याः, जैनसाधवः बौद्धाश्च। महाराजः श्री नारायणदासः जैनसाधभिः दिगम्बरैः, श्वेताम्बरैश्च साकं सत्संगं करोति। महाप्रज्ञेन सह प्रायेण चर्चा भवति स्म। महाराजो वदति सत्पुरुषाणां संसर्गेण जनस्य भाग्यमुदेति। श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्यवर्णने श्री देवर्षि नारदस्य जीवनवृत्तं वर्णितमस्ति। नारदः स्वयमेव वृत्तान्तमुद्धाटयामास अहं दासी पुत्रः आसम्। चातुर्मास्य संपादनार्थं एको महात्मा समागतः। महात्मनः सेवायां नारदं नियोजयामास ग्रामीणः। नारदः श्रद्धानुसारं सेवां कृतवान्। तत्रैव महात्मनः उच्छिष्टशेषान्नं भक्षणान् नारदस्य समस्तं जन्मजन्मान्तरीयं पापं विनष्टम्। सद्य एव मोहः विनष्टः। सत्पुरुषाणामागमनं अवश्यमेव हिताय भवति। सर्वप्रथमं ज्ञातव्यं वर्तते सतां संसर्गः पुण्यलाभाय भवति। सत्पुरुषाणां सेवा बहुभिः प्रकारैः सम्पाद्यते। उपदेशश्रवणं प्रथममवगम्यते। विद्यया संतृप्तः पुरुषः अन्यानपि उपदेशमाध्यमेनात्मसाक्षात्कारं कारयति। नारदस्य कथाश्रवणेन मनसि श्रेष्ठभाव उत्पद्यते। सत्पुरुषाणां यत् दैनन्दिनं पूजा होमादिकृत्यं भवति तेषु यथायोग्यं साहाय्यं विधेयम्।

महापुरुषस्योपदेशस्य क्रमः सहजेन स्वभावेन भक्तस्य उपकारं च विदधाति। तद्यथा एकदा समर्थगुरुरामदासः शिवजीमहाराजस्य नगरमाजगाम। शिवाजीमहाराजः मद्गर्वितो भूत्वाऽवोचत् - अहम् राज्ये बहुविधान् जनान् सैनिकान् प्रजाः साधून् च भोजनादिदानेन संतर्पयामि। मम वैभवं ऐश्वर्यञ्च च समग्रे भूमण्डले प्रशस्यतमं विभाति।

दयालुः गुरु समर्थगुरुरामदासः झटितरेव शिवजीमहोदयस्य कल्याणमभिलषन् एकं उत्कृष्टमुदाहरणं प्रदर्शयामास। तत्रैव भवनस्य प्राङ्गणे गोलाकारं पाषाणखण्डमासीत्। ततः पाषाणखण्डं हस्तौ आदाय एकं पाषाणं द्वैधीभावं कारयामास। पाषाणमध्ये एकः मण्डूकः प्रसन्नेन चितः वसति स्म। महाराजः श्रीरामदासः प्रावोचत् अस्य मण्डूकस्य जीवनप्रदः, भोजनप्रदः, अन्नदश्च कोऽस्ति? किं त्वं अत्र भोजनादिकं प्रयच्छसि। महाराजस्य आशयं श्रुत्वा ज्ञात्वा च शिवाजीमहोदयस्य मोहः अहं भावश्च व्यपगतः। अयं भावः संसारे एकैव परमेश्वरः सर्वेषां जीवनप्रदः मंगलकारकश्च।

हिन्दूधर्मस्य धर्मशास्त्रमूलको निर्णयः प्रतिपादनम्

वैष्णवसमाजे भागवतधर्मस्यानुशीलनं सर्वत्र भवति। भागवतधर्मः साक्षात् परमेश्वरस्य धर्मः अस्ति यत्र भगवान् नारायणः केन्द्रे मन्यते।

विष्णुसहस्रनामावल्यां धर्मविषये काचित् जिज्ञासा कृता -

कोधर्मः सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः।

किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्॥<sup>12</sup>

भीष्म उवाच -

जगत्प्रभु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तम्।  
स्तुवन्नामसहस्रेण पठस्वेमं स्तुवं शुभम्॥  
तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्।  
ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥  
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्।  
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥  
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्।  
लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्॥  
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः॥  
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन्नरः सदा॥

महाराभातस्येमे श्लोकाः प्रमाणभूताः वर्तन्ते यत् भगवतः नाम्नां स्मरणं जीवैरवश्यमेव कर्तव्यम्।

कलियुगे सर्वश्रेष्ठ धर्मः हरिस्मरणं प्रोक्तम्। विष्णोः अनेके अवताराः वन समग्रे विश्वे अवताराणां चर्चा प्रथिता। तथा च प्रकारान्तरेण स्तवनमाप जयते। श्रीमदभागवते भगवन्नामस्मरणविषये आग्रहः श्रूयते। यस्येश्वरस्य महिमा सर्वत्र प्रसृतः यदा तस्यानन्तानन्तपरमेश्वरस्य कीर्तनं क्रियते सद्य एव स भगवान् कीर्तनपरायणानां हृदि संप्रविश्य सकलं संकटं निराकरोति यथा सूर्योदेवः तमः वायुश्च मेघजालं विनाशयति। अयं भावः जापपरायणानां विपद् स्वयमेव इष्टो देवः गृह्णाति। भक्तस्य दुःखं स न सहते उक्तञ्च -

संकीर्त्यमानो भगवानन्तः

श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्।

प्रविश्यचित्तं विधुनोत्यशेषं

यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवाति वातः॥<sup>13</sup>

रामानन्दसम्प्रदाये विशेषेण भक्तिवादस्य समर्थनं दृश्यते। श्येन केनापि प्रकारेण भक्तिः कार्या। रामानन्दसंप्रदाये साधूनां बाहुल्यं वर्तते तत्रापि शास्त्ररीत्या कृतश्रमाः स्वल्पतरा एव भवन्ति। किन्तु भक्तिवादस्य समर्थकाः रामानन्दीयाः पूर्वाचार्याणां आचारव्यवहारा साकल्येन परिलपायन्ति। आचारव्यवहारे च निष्णाताः साधवः यथाज्ञानं संप्रदायोचितं धर्मज्ञानं च पठति।

धर्मविषये शास्त्रेषु अनेके पन्थानः श्रूयन्ते तद्यथा -

चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः<sup>14</sup>

वेदबोधितेष्टसाधनताकोधर्मः<sup>15</sup>

पुनः मानव धर्मशास्त्रे -

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागभिः।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥<sup>16</sup>

अयमर्थः अद्वेषरागभिः महात्मभिः पुरुषै यः धर्मः सेवितः पोषितः स विधेयः। अन्यच्च -

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

सम्पूर्णा ऋगादिवेदः धर्ममूलं वर्तते। वेदात् धर्मः प्रसिध्यति। मन्वादयः स्मृतयश्च वेदे प्रमाणभूताः। स्मृतयः सन्ति अनेकाः तथापि वेदमूलकाः स्मृतय एव धर्मे प्रमाणभूताः इत्थं विस्तृतेन मीमांसा शास्त्रे स्मृत्याधिकरणे प्रतिपादितम्। अस्मिन् लोके आचारश्चैव साधूनाम् इति वाक्यं सर्वाधिक महत्त्वावहं विद्यते। पण्डिताना आचारः कदाचित् प्रमाणभूतं न मन्यते। पण्डितः शास्त्रज्ञाने कृतश्रमो भवति किन्तु शास्त्रस्याहं भावोऽपि तथैव भवति ।

अस्य शोधप्रबन्धस्य मुख्यः प्रतिपाद्यो विषयः साधूनामाचार एव वर्तते। श्रीनारायणदास महोदयस्याचारः साधूनामाचारकोटावगच्छति अयमर्थः साधूनामाचारः धर्मे प्रमाणभूत इव अङ्गीकृतः। आचार इत्युक्ते व्यवहारो ज्ञेयः। यस्मिन्नाचारे शास्त्रस्य मर्यादावर्धते। संस्कृते प्रखरः उद्घोषः श्रूयते। स चाचारः अस्माकं धर्मे प्रमाणभूतः। शब्दान्तरेण कथितुं शक्यते साधूनामाचारः साक्षात् धर्मः भवति। विष्णुसहस्रनामावल्यामपि प्रोक्तं -

आचार प्रभवो धर्मः

धर्मस्य प्रभुश्च्युतः॥<sup>17</sup>

अयं भावः धर्मस्य प्रादुर्भावः आचारात् ज्ञायते। अर्थात् धर्मः आचारात् प्रभवति। अत्रापि एका शंका उदेति कस्याचारः?

अत्रैवाह भगवान् मनुः -

तस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्यक्रमागतः।

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥<sup>18</sup>

अस्यार्यावर्तस्य निवासिनः यद् यदा चरन्ति परम्परया व्यवहरन्ति तत् सर्वं अस्माकं धर्मं प्रमाणभूतं भवति। भारत भूमौ च देशविशेषस्याचार एव धर्मं प्रमाणभूतः। प्रकृतमनुसरामः महाराजस्य समस्तोऽपि व्यवहारः सर्वोत्कृष्टस्य धर्मस्य परिचायकः। महाराजः कर्मवादस्य समर्थको विभाति। सर्वत्र धर्मसंसदि वदति सत्कर्मणा सर्वं सिद्ध्यति कर्ममार्गः प्रामुख्येन पालनीयः। हरिः स्मरणं, नामजपः, ध्यानं, कीर्तनादिकं यत् किमपि वर्तते तत् सर्वं कर्मवादस्य प्रकारान्तरेण समर्थनं करोति।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।<sup>19</sup>

यदि मनुष्यस्य कर्म पूर्वाग्रहराहित्यं प्रवर्तते तत् कर्म भक्तियोगाद्विशिष्यते। कथनस्याभिप्रायो वर्तते कर्ममूले संकल्पः भवेत् अस्माकं प्रवर्तमानं कर्म सामाजिकानां हिताय, राष्ट्रकल्याणाय, जगद्धिताय च वर्तते। अयं सत्य संकल्पः कर्मकर्तृन् जनान् बन्धनात् मोचयति तस्मात् उक्तं च शिवमहिम्न स्तोत्रे -

यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्<sup>20</sup>

कर्मवादस्यायं सिद्धान्तः उत्कृष्टः प्रतिभाति यत्र स्वयमेव कर्म ईश्वरस्य आराधना भवति । ईश्वराराधनाय पृथक् पूजायाः प्रयोजनमेव न दृश्यते। महाराजस्य कर्मवादः राष्ट्रस्य श्रीवृद्धये श्रेष्ठं प्रतिभाति।

प्रभुप्रीत्यर्थं सर्वं कर्म विधेयम्। प्रभुप्रीत्यर्थं कर्म कथं स्यात् इति अस्य सम्यक् उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते -

एकः सामान्यः जनः पाकं पचति पाक क्रियायां सन्नद्धोऽसौ यथावित्तं यथासामर्थ्यं च बहुविधं पचति । कश्चित् प्रतिवेशी आगत्य पप्रच्छ किं करोषि? स साक्षात् उत्तरं ददाति पाकं करोमि स्वपुत्राय, पौत्राय, अथवा आत्मने।

अस्मिन् उत्तरे स्वार्थस्यः अज्ञानस्य, तुच्छविचारस्य चावलोकनं कर्तुं शक्यते तत्रैव वैष्णवस्य गृहे कश्चित् पाकं कर्मणि नियुक्तोऽस्ति कश्चित् अन्यद् आगत्य पृच्छति किं करोषि ? तस्य पाचकस्योत्तरं भवति - भगवते रामाय कृष्णाय, स्वेष्टदेवाय च पाकं करोमि। उभयत्र कर्म प्रवर्तते सममेव कर्म तथापि

उत्तरं द्विधा विभक्तम्। अत्रापि यः पाकः भवति परोक्षवृत्त्या पुत्राय, पौत्राय, स्वात्मने च तथापि पाचकः स्वसंस्कारं प्रदर्शयन्नाह भगवते पचामि।

महाराजस्य कर्मवादः तथैव वर्तते सर्वं खलु कर्म ईश्वरं प्रीतये विधेयम्। ईश्वरः सर्वं पश्यति। अनेन प्रकारेण कर्तृत्वाभिमानो नो जायते। कर्तृत्वाभिमाने सति बन्धः स्वयमेव भवति। महाराजस्य धर्मसंकटे एकमेवादेशः वर्तते -

परोपकाराय पुण्याया

परोपकाराय सतां विभूतयः।

परहित सरिस धरम नहिं भाई।

सन्दर्भग्रन्थाः –

1. शुक्लयजुर्वेद संहिता १०-२
2. शुक्लयजुर्वेद संहिता २२.२२
3. 'शुक्लयजुर्वेद संहिता ९.३३
4. 'ईशोपनिषद् १ मन्त्रः
5. 'शुक्लयजुर्वेद संहिता
6. शुक्लयजुर्वेदसंहिता ३६ अध्यायः
7. 'शुक्लयजुर्वेदसंहिता - १.४
8. मनुस्मृतिः
9. वैष्णवमताब्जभास्करः
10. 'वैष्णवमताब्जभास्करः ४-५१
11. 'हारीत स्मृतिः।
12. 'विष्णुसहस्रनामावली
13. श्रीमद्भागवतपुराणम्
14. मीमांसासूत्रम्
15. अर्थसंग्रहः
16. मनुस्मृतिः
17. विष्णुसहस्रनाम - फलश्रुतिः।
18. 'मनुस्मृतिः।
19. श्रीमद्भागवद्गीता
20. शिवमहिम्नस्तोत्रम्

# ब्राह्मणग्रन्थेषु गो महिमा



डॉ. नानूराम जाटः

रा. उ. प्रा. सं. विद्यालय माताजी भोपावास चौमूँ, भारता

## Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 233-260

## Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 10 Sep 2020  
Published : 20 Sep 2020

**सारांश** – शतपथब्राह्मणे प्रथमकाण्डे महीनां पयोऽसि अस्य मन्त्रांशस्य रहस्योद्घाटनं "

- कुर्वन्नाहइदानीं वर्णनक्रमे ब्राह्मणग्रन्थेषु गवां महत्वं निश्चयेन भणितम्। सर्वप्रथमं

ब्राह्मणविषये समासेन चिन्तनं करिष्यते। प्रथमं तावत् ब्राह्मण शब्द - विचार्यते :

ब्रह्मणो वेदस्य मन्त्राशीदं नाम यज्ञक्रिया वस्तुतत्वादि निरूपं प्रवचनं ब्राह्मणम्।

ब्रह्मशब्दस्य मन्त्ररूपोऽर्थस्तु वेदैरेव विहिततद्यथा :- ब्रह्म वै मन्त्रः<sup>1</sup> तथा पवित्रे करोति

इत्यत्र पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ इति मन्त्रमादाय यज्ञो वै विष्णुः यज्ञिये स्थ इत्येवैतदाहा

**मुख्यशब्दः** - ब्राह्मणग्रन्थेषु, गो, महिमा, शब्दः।

इदानीं वर्णनक्रमे ब्राह्मणग्रन्थेषु गवां महत्वं निश्चयेन भणितम्। सर्वप्रथमं ब्राह्मणविषये समासेन चिन्तनं करिष्यते।

प्रथमं तावत् ब्राह्मण शब्द - विचार्यते : ब्रह्मणो वेदस्य मन्त्राशीदं नाम यज्ञक्रिया वस्तुतत्वादि निरूपं प्रवचनं ब्राह्मणम्।

ब्रह्मशब्दस्य मन्त्ररूपोऽर्थस्तु वेदैरेव विहिततद्यथा :- ब्रह्म वै मन्त्रः<sup>1</sup> तथा पवित्रे करोति इत्यत्र पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ इति

मन्त्रमादाय यज्ञो वै विष्णुः यज्ञिये स्थ इत्येवैतदाहा इति च तस्य प्रवचनलक्षणम् ब्राह्मणम्। अन्यैश्च भाष्यकारैः स्वस्व -

" : ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणाञ्च व्याख्यानग्रन्थ" - तद्यथा : स्वीकृत : भाष्ये तथैव प्रस्ताव<sup>2</sup>

सायणाचार्यस्य मते -

नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगप्रयोजनम् :

प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते।<sup>3</sup>

पूर्वमीमांसायां च -तच्चोदकेषु मन्त्राख्याः शेषे ब्राह्मणशब्द -<sup>4</sup>

यथा वेदशब्दनपुंसकलिङ्गत्वेन रूढः॥ जातिवाचकः ग्रन्थवचनस्तथैव ब्राह्मण शब्दोऽपि भवति। स च ब्राह्मणशब्दः  
संहन्यन्ते स्पष्टी क्रियन्ते। ब्राह्मणसंघाते वेदभागे नपुंसकम्। ब्रह्मणि नाम मन्त्रा - ब्राह्मण शब्दस्तु पुल्लिङ्गे भवति यथा  
व्याख्यान्ते वा यस्मिस्तादृशे वेदभागे ब्राह्मणशब्द इत्यर्थः। अपवादोऽपि क्वचित् प्राप्यते। महाभारते उद्योग पर्वणि -

य इमे ब्राह्मणामन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्। प्रोक्ताः

एते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासवा।<sup>5</sup>

इत्यत्र ब्राह्मणशब्द। अपवादप्रयोगमेव मन्ये। सर्वतः व्यासेन पुल्लिङ्गे अङ्गीकृतः। र ग्रन्थवाचकनपुंसकलिङ्गे ब्राह्मणशब्दः  
एव प्रयुज्यते।

शतपथब्राह्मणे प्रथमकाण्डे महीनां पयोऽसि - अस्य मन्त्रांशस्य रहस्योद्घाटनं कुर्वन्नाह"

अथैक आज्यं निर्वपति। यद्वा आदिष्टं देवतायै हविर्गृह्यते यावद्देवतं तद्भवति तदितरेण यजुषा गृह्णाति न वा एतत् "।  
कस्यैचन देवतायै हविर्गृह्यन्नादिशति यदाज्यं तस्मादनिरुक्तेन यजुषा गृह्णाति महीनां पयोऽसीति मह्य इति ह वा एतासामेकं  
नाम यद्गवां तासां वा एतत्पयो भवति तस्मादाह महीनां पयोऽसीत्येवमु हास्यैतत् खलु यजुषैव गृहीतं भवति तस्मादेवाह  
महीनां पयोऽसि इति"<sup>6</sup>

अस्य ब्राह्मणस्यास्मिन्नेव काण्डे वत्सापाकरणस्य विधिः अथ मातृणामेकां शाख्योपस्पृशति। वत्सेन " तद्यथा प्रोक्तः  
सविताः सविता पार्थयत्विति सविता वै देवानां प्रसविता सवितृप्रसूता यज्ञं सम्भरानिति तस्मादाह देवो वः व्याकृत्य देवो व  
प्रार्थयत्विति। श्रेष्ठतमाय कर्मण इति। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म यज्ञाय हि तस्मादाह श्रेष्ठतमाय कर्मण इति"<sup>7</sup>

मनुष्याणां कृते परमेश्वरस्य यदा कृपा भवति तदा प्रजानां पशूनाञ्चाभिवृद्धिजायते। वैदिककाले पशवः धनानि आसन्ः  
इदानीमपि पशुपालकाकथिता। अन्यथा रुः भवन्ति। ईश्वरस्य कृपयैव गोष्ठे गवां वृद्धिः सुखिनोः द्रस्य कोपात् एकस्मिन्  
दिवसे रोगात् पशवो म्रियन्ते। तस्मात् पशु - श्रीरेव भवति इतिः एषा वा आशी। जीवेयं प्रजा मे स्याच्चियं गच्छेयमितिः  
तद्यत् पशूनाशास्ते तच्छ्रियमाशास्ते श्रीर्हि पशवस्तदेताभ्यामेवैतदाशील् सर्चमासं तस्माद्वा एते अत्र द्वे आशिषौ क्रियेते।<sup>8</sup>

शतपथब्राह्मणे अभिवोत्रब्राह्मणं नामकमेकं काण्डं संक्षेपेण निरूपितम्। तत्रैव अनेकेषां द्रव्याणां चित्रणं कृतम्। हिंकारः श्रौतमध्ये उच्चार्यते अस्य हिंकारस्य एकं फलं कथं च हिंकारस्य उच्चारणं विधीयते। एतत् सर्वं अस्यां कण्ठिकामं - भणितम्

ते स्तुत्वा प्राञ्च उच्चक्रमुः। पुनरेम इति देवा यद्गं सम्भूतां सा हैनानुदीक्ष्य हिञ्चकार ते देवा विदाञ्चक्रुरेष साम्नो हिंकार इत्यपहिंकारं हैव पुरा ततसामास स एष गवि साम्नो हिंकारस्तस्मादेषोपजीवनीयोपजीवनीयो ह वै भवति य एवमेतं गवि : "साम्नो हिंकारं वेद" अयमर्थयज्ञस्य माहात्म्यं वर्धयति। अस्य हिंकारस्य वैशिष्ट्यं गवा सह तुल्यते। सामवेदोक्तो हिंकारः माहात्म्यं सर्वैरेव स्वीकृतम्। कारणं तु स्पष्टमेव यत् गीत्यात्मकस्य साम्नपुनश्च गौवैशिष्ट्यं यज्ञमाध्यमेन व्यञ्जितम्। - कार्यं सर्वत्र प्रसरति : यज्ञविद्याया ते होनुः भद्रं वा इदमजीजनामहिये गामजीजनामहि यज्ञोहो बेयं न यते गोर्यस्तायतेऽन्ने होवेयं यदि किञ्चान्न गोरेव तदिति"<sup>10</sup>

अस्या कण्डिकायाभाष्ये : कण्डिकाया : कदाचिदपि वा न सम्भवति। अस्याः अयमर्थः वर्तते यत् गां विना यज्ञस्य विस्तारः - प्राह : सायणाचार्य

अथ होमद्रव्यस्य पयस उत्पत्तिं वक्तुं प्रथमतो गोरुत्पत्तिमाह त उ हेवि। यथाऽऽस्मदीयअस्मान् सृष्टवान् वयं : पिता प्रजापति : भवामः। यत् यत्र अस्मान् अनु अनन्तरम् अराद् भवेत् जायेत तद् वयं सृजामहे। एवं प्रतिज्ञाय गां संसृजवन्तः तम् अनु स्म हिंकारवर्जितेन गायत्रसाम्ना बहिष्पवमानेन तुष्टुविरे स्तुतवन्तः। तस्य स्तोत्रदेशस्य यत् परिश्रयणं स समुद्रः अभवत् यश्च : सा पृथिवी जातेत्यर्थः। : स्तोत्रदेशः स्ताव तासां गवां यज्ञस्य च साधारणमेकं नामोपदिश्य प्रशंसति। गां यज्ञं च एतदुभयमुत्कृष्टं पुण्यरूपम् इति अनेनाभिप्रायेण परिहरेत् रक्षेत्। तस्य परिहरणस्य फलमाह : उपनमनशीलः उपनामुकः - यज्ञ एनमुपगतो भवति। पयस - : उत्पत्तिविषये श्रुतिः

प्रासिञ्चत्तपयो भवत्तस्मदेतमायां गवि सत्यां : तामु हाग्निरभिदध्यौ मिथुन्यनया स्यामिति तां सम्बभूव तस्यां रेत" शृतमग्नेर्हि रेतस्यस्माद्यदि कृष्णायां यदिरोहिण्यां शुक्लमेव भवत्यग्निसंकाशमग्नेर्हि रेतस्तस्मात् प्रथमदुग्धमुष्णं भवत्यग्नेर्हि रेत"<sup>11</sup> एवं पयोरूपस्य हविषउत्पत्तिं विचार्य अग्निसूर्यवायूनां मध्ये कस्मै प्रथम देयम् तथा कस्मै च तदनन्तरम् इति सर्वं : अनया अधस्तनया कण्डिकया विचार्यते। ते होयुः। हन्तेदं जुहवामहा इति कस्मै न इदं प्रथमाय होष्यन्तीति मह्यमिति हैवाग्निरुवाच योऽयं पर्वते मह्यमिति सूर्यस्ते न सम्पादयां च क्रुस्ते हासम्पाद्योचुप्रजापतिमेव पितरं प्रत्ययाम स यस्मै न :

इदं प्रथमाय होतव्यं वक्ष्यति तस्मै न इदं प्रथमाय होपयन्तीति ते प्रजापतिं पितरं प्रतीत्योचुः कस्मै न इदं प्रथमाय होपयन्तीति॥ स होवाच। अग्नयेऽग्निरनुष्टुया स्वं रेतप्रजनयिष्यते तथा प्रजनिष्यतध्व इत्यथ तुभ्यमिति सूर्यमथ यदेव : ह्यमानस्य व्यश्रुते तदेवैतस्य योऽयं पवत इति तदेभ्य इदमप्येतर्हि तथैव जुहवत्यग्नय एव सायं सूर्याय प्रातरथ यदेव हूनमानस्य व्यश्रुते तदेवैतस्य योऽयं पवते॥<sup>12</sup> द्वाभ्यां कण्डिकाभ्यां हविषप्रक्षेपं केन क्रमेण अग्नौ भवति इति विचारितम्। : काले सूर्यायस्वाहा :अग्नये स्वाहा। वायवे स्वाहा प्रातः काले सूर्यश्च। सायंकाले प्रथमः प्रातः देवः प्रमुखः सायंकाले अग्नि वायवे स्वाहा च मन्त्रन कल्पिता। :उत्पत्तिः भवत्येवा यावत्कालं त्यागो न विधीयते तावत् प्रजायाः त्यागः भवति। हविषः संपाद्यते परन्तु सूक्ष्मरीत्या सर्वत्र अस्य यज्ञस्य प्रकृतौ : यज्ञस्य एका विशिष्टा प्रक्रिया स्थूलभावेन अस्माभिः अयमर्थः भवति। यज्ञस्य प्रक्रिया : विस्तारः अस्मानुपदिशति यत् जीवने यागस्य महत्त्वं भवेत्। यागमाध्यमेन सृष्टिप्रपञ्चस्य विकासः । सर्वतोभावेन अस्यां प्रक्रियायां साधित योगदानं देयम्। एष भावः - : अनया कण्डिकया प्रकटितः

ते हुत्वा देवाः। इमां प्रजातिं प्राजायन्त। यैषामियं प्रजातिरिमां विजितिं व्यजयन्त विजितिरिममेव लोकमग्निरजयदन्तरिक्षं वायुर्दिवमेव सूर्यस्य यो हैवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोत्येतां हैव प्रजातिं प्रजायते यामेत एतत्प्राजायन्तैतां विजितिं विजयते यामेत : एतद्व्यजयन्तैतैरु हैव सलोको भवति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्माद्वा अग्निहोत्रं होतव्यम्॥<sup>13</sup> तथा च कात्यायनः - : प्रदीप्तमभिजुहोत्यग्नियोतिरिति सजूरिति वा। अग्निर्वच इति ब्रह्मवर्चसकामस्या।"

अग्निशब्दे सूर्य"इति : सूर्य इति वा प्रातः रात्र्युषसाह्वेति वा ज्योतिः<sup>14</sup>

सोमयागस्य माहात्म्यं वेदेषु सर्वत्र परिगीतम्। एष यागयागानां विशिष्य सोमसंस्थानाः कृते प्रयुक्तो वर्तते। सोमयागस्य विज्ञानं सम्पादनं च मनुष्याणां कल्याणाय सम्पद्यते। अस्मिन् यागे प्रामुख्येन धनस्योपयोगो भवति। निर्धनस्य कृते नास्त्यत्राधिकारः। वस्त्र परिधापनस्य वैशिष्ट्यं ब्राह्मणग्रन्थे निगदितम्। वस्त्र परिधापनात् सिद्ध्यति यदयं मनुष्यधनाढ्यो : पुरुषस्य गात्रं सदा वाससां आच्छादितं भवति। इदमपि अत्रावधेयं यत् वस्त्र परिधापनं विना बहिर्न : अस्ति। समृद्धिमत् - पार्श्वे कदापि नग्नो न गच्छेत् उक्तञ्च शतपथब्राह्मणे : गन्तव्यम्। तथा च गो अथ वासपरिधत्ते। सर्वत्वायैव : स्वामेवास्मिन्नेतत्त्वचं दधाति या ह वा इयं गोस्त्वक्पुरुषे हैषाऽग्र आसा। ते देवा अब्रुवन्। गौ र्वा इदं सर्वं बिभर्ति हन्त येयं पुरुषे त्वग्गव्येतां दधाम तयैषा वर्षन्तं तथा हिमं तथा घृणिं तितिक्षिष्यत इति। तेऽवच्छाय पुरुषम्। गव्येतां त्वचमदधुस्तयैषां वर्षन्तं तथा हिमं तथा घृणिं तितिक्षते। अवच्छितो हि वै पुरुषा तस्मादस्य यत्रैव क्व च कुशो वा यद्वा विकृन्तीति तत एव :

पुरुषाद्वासो बिभर्येतां ह्यस्मास्त्वचमदधुस्तस्माद् सुवासा एव :लोहितमुत्पतति तस्मिन्नेतां त्वचमदधुर्वास एव तस्मान्नान्य  
बुभूषे स्वया त्वचा समृध्या इति तस्मादप्यश्लीलं सुवाससं दिदृक्षन्ते स्वया हि त्वचा समृद्धो भवति। नो हान्ते गोर्नमनः  
सुवाससमुपयैव :स्यात्। वेद ह गौरहमस्य त्वचं बिभर्मीति सा बिभ्यती त्रसति त्वचं मऽआदास्यतऽइति तस्माद् गाव  
निश्रयन्ते॥<sup>15</sup>सोमक्रमण प्रसंगे अनेकेषु द्रव्येषु गौकीदृशी भवेत :एकं द्रव्यं भवति। सा गौ : तस्यावर्णविषये शतपथब्राह्मणे :  
- प्रस्तूयते :संक्षिप्ता चर्चा कृता। आशीर्वादात्मिकेयं कण्डिका अद्य

प्रमोषीर्मोऽ अहं तव वीरं विदेय तव देवि :स संख्यापयति। समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा। मा मऽआय"  
पुत्रं :संदृशीत्याशिषमेवैतदाशास्ते पुत्रो वै वीरविदेयं तव संदृशीत्यैवैतदाह"<sup>16</sup> अस्या - कण्डिकायां भाष्यम् :

स संख्यापयतीति। संख्यापनमन्त्रं पठति -

समख्ये देव्येत्यादिना। अत्र कात्यायन"एनां वाचयति सोमक्रयण्या च समीक्ष्यमाणां समख्य इति" :<sup>17</sup> अस्य  
मन्त्रस्यायमर्थः। अहं धिया देव्या धीर्देवी हि सोमक्रयणी प्रागुक्ता। अतो वाग्रूपया सोमक्रयण्या समख्ये दृष्टा भवामीत्यर्थः।  
दक्षिणापि सोमक्रयणी। अताःमा प्रमोषी :। हे सोमक्रयणि मे आयुःउरुचक्षसा प्रभूतदर्शनया तथा समख्ये। अथ प्रत्यक्षवाद :  
मा प्रमोषिषम्। हे देवि तव संदृशि सन्दर्शने सति वीरं पुत्रं :मा ऊ अहम् अहमपि तव आयुरं विदेय लभेया। अयं मन्त्र :  
इति। :पुत्रो वै वीर - पर इत्याह आशिषमेवैतदिति वीर शब्दार्थमाह :आशीअनन्तरं सोमक्रयणी या गौकिं :भवति तस्या :  
- किं स्यात् एतत् सर्वं ब्राह्मणग्रन्थे विचारितम् तद्यथा :वयःलक्षणं भवेत् तस्य

सा या बभ्रुः पिङ्गाक्षी। सा सोमक्रयणी " यत्र वा इन्द्राविष्णू त्रेधा सहस्रं व्यैरयेतां तदेकाऽत्यरिच्यत तां त्रेधा प्राजनयतां  
तस्माद्योऽप्येतर्हि त्रेधा सहस्रं व्याकुर्यादेकैवातिरिच्येत"<sup>18</sup> अयं भावसा या बभ्रुः - सोमक्रयण्या लक्षणमिभद्यातुमाह :

पिङ्गाक्षीत्यादिना। बभ्रुः पिङ्गाक्षी सोमक्रयणी श्रेष्ठेत्यभिधातुमाख्यायिकामाह यत्र वेति।

गोसहस्राक्षिणाविभाग समये सहस्र। त्रेधा व्यैरयेताम् विभज्य प्रेरितवन्तौ। ताम् अतिरिक्तां त्रेधा वभ्रवरुण रोहिणीरूपेण  
त्रिविधां प्राजनयताम् उदपादयताम्। उत्पादनप्रकारस्तैत्तिरीयकेऽपि स्पष्टमाग्नात - :तामप्सु प्रावेशयन्त्सोमायोदेहीति सा  
रोहिणी पिङ्गलैकयनी रूपं कृत्वा त्रयस्त्रिंशता च त्रिभिश्च शतैः सहोदैत्। अत्र गवां त्रिविधत्वमुक्तम्। त्रिषु वर्णेषु  
प्रसंगानुरोधेन का श्रेष्ठा भवति इति श्रुति मुखेन विचारः।कृतः"सा या बभ्रुः पिङ्गाक्षी। सा सोमक्रयण्याश्च या रोहिणी सा  
वाघ्नीं यामिदं राजा संग्राम जित्वोदाकुरुतऽथ या रोहिणी श्येताक्षी सा पितृदेवत्या यामिदं पितृभ्यो घ्नन्ति"<sup>19</sup> अयमर्थः :

सा या इति। बभ्रुः चतुर्वर्णा। पिङ्गो - मुख्यानुकल्पभेदेन सोमक्रयणीत्वं प्रदर्शयितुं तद्विभागमाह :त्रिविधायास्तस्या गो सा :पिङ्गले अक्षिणी यस्या रोहितवर्णा सा वाघ्नी वृत्रहा इन्द्रराजा संग्राम जित्वा परकीयाद् :तद्देवत्या। इदानीं तनो : राष्ट्र्यात् यां रोहिणीम् उदाकुरुते स्वीकरोति सा वाघ्नी इत्यर्थः। श्येताक्षी कृष्णलोचना। सा पितृदेवत्या इदं इदानीं इदं अर्थाय घ्नन्ति। :इदानीम् पितृभ्य इदानीं तिसृषु गोषु कस्याकथं केन प्रकारेण सोमक्रयणकर्मणि भवेत् इति :विनियोग : अघस्तनया कण्डिकया विचारितम्।

तद्यथा -सा या बभ्रुः पिङ्गाक्षी। सा सोमक्रयणी स्यात् यदि बभ्रु पिङ्गाक्षी विन्देदरुणा स्यात् यद्यरुणां न विन्देद्रोहिणी वाघ्नी स्यादिहिण्यै ह त्वेव श्येताक्ष्या आशां नेयात्"<sup>20</sup>

इत्थं विधानस्वरूपमभिधाय विनियोगप्रकारमाह सा चेति। बभ्रुः पिङ्गाक्षी सोमक्रमे मुख्या। तद्भावे अरुणा अव्यक्तरागा। तदभावे रोहिणी। सा यदि श्येताक्षी स्यात् तादृश्यासोमक्रयणी " - :आशां अपि नेयात् न कुर्यात् तत्र कात्यायन : तिष्ठत्यलक्षिताव्यङ्गा पर्वीतारज्जुबद्धाबभ्रु"पिङ्गला पिङ्गलाभावे अरुणा अरुणाभावे रोहिण्यश्येताक्षी :<sup>21</sup>

सोम क्रयणी गौदिव्यभावमापन्ना :वैशिष्ट्यं सर्वत्र श्रुतावनुमोदितम्। एतादृशी गौ :प्रागेव उत्तमा भवति। अस्या :जन्मत : जन्म व्यवहार सिद्धयर्थमेव। सा प्रथमा च भवति। :मन्यते। अस्यासोमतत्वस्य सृष्टौ महत्वं भवति तथा सोमात् जगत : :मूलकारणभूतस्य सोमस्य क्रयणाय सा गौ :सिद्धिः क्रियते। इदं जगत् सोमेन परिपुष्टं निर्मितं च भवति। तादृशस्य जगत - माहात्म्यं कथ्यते :प्रयुज्यते। अनया कण्डिकया तस्या

सा स्यादप्रवीता। वाग्वा एषा निदानेन"यत्सोमक्रयण्ययातयाम्नी वा इयं वागयातयाम्न्यप्रवीता तस्मादप्रवीता स्यात् सा स्यादवण्डाऽकूटाऽकाणाऽकर्णाऽलक्षिताऽसप्तशफा सा हि एकरूपैकरूपा हीयं वाक्।<sup>22</sup>

अयमर्थं सोमक्रयण्या गर्भात् प्राक् अवस्थानं सार्थवादं विद्यते। सा स्यादप्रवीता। :वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु' अत्र प्रजननमर्थः। अप्रवीता अगृहीतगर्भा इति। अयातयाम्नी अगतरसा। बहुभिरसकृदुच्यमानाया अपि वाचोऽगतरसत्वं - सोमक्रयण्या वाग्रूपत्वादयातयाम्न्या भवितव्यम्। अत एकहायनीपरिग्रहे गर्भरूपरसनिर्गमाभावाद्वागनुगुण्यं :प्रसिद्धम्। अत भवति। तस्मादप्रवीता भवेत्। इत्थं वर्णवयोविशेषमभिधाय अङ्गवैकल्याभावमाह :अवण्डाकूटेति। वण्डा वधिष्णु - छिन्नकर्णा - अवण्डा तद्विपरीता भवेत्। कूटा एक शृंगी। काणा एकाक्षी। कर्णा, लक्षिता तप्तायशलाकया चिह्निता ;,

सप्तशफा एकस्मिन् पादे एकेन शफेन हीना उक्तदोषवर्जिताउक्तदोषवर "एकरूपा :ञ्जितत्वमेवैकरूप्यम्, सम्पूर्णावयवेत्यर्थः।

सोमप्रकरणे बह्विभिः परम्परया आचार्यैः अर्थः गवां चर्चा सम्पादिता। आसां कण्डिकानां तावत् साक्षात् यः कण्डिकाभिः सम्भाव्यन्ते तस्मात् न वक्तुं शक्यते इदमित्थं :। वेदार्थस्य दुरूहत्वात् अनेकेऽर्थाः स च गृहीतः संसाधित अयमेवार्थः भवन्ति तेषाञ्च चर्चा यथाज्ञानं सम्पादितम् :। के च दोषाः सर्वोत्तम

अत्रैव प्रसंगेऽस्मिन् अनया कण्डिकया गवां महत्वं प्रकटितम् -

गौर्वे प्रतिधुक्। तस्यै शृश तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्याऽ आतञ्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं" तस्या आमिक्षा तस्यै वाजिनम्।<sup>23</sup> अनन्तरं बहुभि माहात्म्यं प्रकटितम् : तस्याः कण्डिकाभिः

सोमो राजाहतीत्याह सोमविक्रयीः शफेन ते क्रीणानीति। भूयो वा अत"

भूय एवातसोमो राजार्हति महाँस्त्वेव गोहिमेत्यध्वयुरितान्येव दशवीर्याण्युदाख्यायाह पदा तेऽर्धेन ते गवा ते क्रीणामीति : क्रीतसोमो राजेत्याह सोमविक्रयी वयांसि प्रब्रूहीति। स आहा चन्द्रं ते वस्त्रं ते छागा ते धेनुस्ते मिथुनौ ते गावौ : सम्पादयन्त्यथ यदध्वयुरेव : सम्पादयन्ति तस्मादिदं सकृत्सर्वं पण्यमर्वाक्पणन्ते पर : तिस्रस्तेऽन्या इति सयदाक्पणन्ते पर गोवीर्याण्युदाचष्टे न सोमस्य सोमविक्रयी महितो वै सोमो देवो हि सोमोऽथैतदध्वयुँ महयति तस्यै पश्यन्वीर्याणि क्रीणादिति तस्मादध्वयुरेव गोवीर्याण्युदाचष्टे न सोमस्य सोमविक्रयी।<sup>24</sup> अनेन पर्यालोचनेन ज्ञायते गौसोमयागस्य : सर्वाणि अङ्गानि अतुल्यानि विद्यन्ते : गो : विशिष्टो भागो भवति। अस्या। गां विना संसारस्य सुखं कदाचिदपि नैव कल्पयितुं शक्यते। अस्यरक्षिता भवति। : मूलं बीजं यज्ञ एव। यज्ञस्य सदा संरक्षणं कर्तव्यम्। यज्ञरक्षणात् गौ : जगत : कल्पितः। यद्यपि सम्बन्धोऽयः प्रसिद्धः। अस्य ग्रह्यागस्य वत्सेन सह कश्चित् संबन्धः : सोमयागान्तर्गते ग्रहयागं अर्थवादात्मक तथापि अर्थवादस्य मीमांसायां प्रमाणमङ्गीकृतमेव। : वत्सगोपुत्रो भवति। अस्य वत्सस्य शास्त्रान्तरेषु : वयसाक्रमेण वृषो भवति तथा च सेचनः : वत्सं विना कथं भवेत्। वत्सः विशिष्टं महत्वं कल्पितम्। गोसमुदायस्य विकास समर्थो जायते। तस्मात् अस्य संरक्षणं च कर्तव्यम्। प्रकारान्तरेण ग्रहयागस्य चर्चा कुर्वन् आह -

वत्सो वाऽएषः। एतस्यै गायत्र्यै यज्ञो वै गायत्री द्वादशस्तोत्राणि द्वादश"

शास्त्राणि तच्चुर्विशतिश्चतुर्विंशत्यक्षरा वै गायत्री तस्या एष वत्सस्तं यद्गोपायन्ति गोपायन्ति वा इमान्वत्सान्दोहाय यदिदं पयो दुह एवमियं गायत्री यजमानाय सर्वान् कामान् दोहाता ऽ इति तस्माद्गौ गोपायन्ति<sup>25</sup> अस्मिन् काण्डे दक्षिणाद्रव्यस्य महत्वञ्च प्रकटितम्। तत्र चतस्र - । आसु एकं द्रव्यं गौरपि वर्तते तद्यथाःप्रशंसिता :दक्षिणा :

चतस्रो वै दक्षिणा। हिरण्यं गौरवासोऽश्वो न वै तदव"कपते यदश्वस्य पादमवदध्याद्यद्वा गोपादमवदध्यात्तस्माद्दशाहोमीये : वाससि हिरण्यं प्रबध्यावधाय जुहोति<sup>26</sup>

तथा च तत्रैव -अथ गौ"प्राणमेवैतयाऽऽत्मनस्त्रायते प्राणो हि गौरन्न हि गौरन्नं हि प्राणस्तां रुद्राय होत्रेऽददात्<sup>27</sup>

गो देवता रुद्रोऽस्ति। सामान्येन पशूनां रुद्र एव देवतां तथापि शतपथब्राह्मणे किञ्चित् निगदितम्। :

अथ गां प्रत्येति। रुद्राय त्वा मह्यं वरुणो ददात्विति रुद्राय ह्येतां वरुणोऽददात् सोऽमृतत्वमशीय प्राणोदात्रऽ एधि मह्यं " "प्रतिग्रहीत्र इति<sup>28</sup>

शतपथब्राह्मणे श्रूयते एकपञ्चमेकाण्डे तृतीयाध्याये प्राप्यते। अस्मिन् यागे शितिपृष्ठ :रत्नयागः। अस्य रत्नयागस्य पाठ : स्यात् सा अत्र ग्राह्या। प्रमाणाय :पृष्ठभगे श्वेत :गो :दक्षिणालेन दीयते। शितिपृष्ठ इत्युक्ते श्वेतपृष्ठः। यस्या :गौ

मूलमेव उपन्यस्ते -

अ"थ श्वोभूते। पुरोहितस्य गृहान् परेत्य बार्हस्पत्यं चर्हे निर्वपति बृहस्पतिर्व देवानां पुरोहित एष वा एतस्य पुरोहितो भवति तस्माद् बार्हस्पत्यो भवत्येतद्वा अस्थैकं रत्नं यत्पुरोहितस्तस्मा एवैतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं कुरुते तस्य शितिपृष्ठो गौर्दक्षिणौषा वा ऊर्ध्वा बृहस्पतेर्दिक्तदेष उपरिष्ठात् अर्यम्णपन्थास्तस्माच्छितिपृष्ठो बार्हस्पत्यस्य दक्षिणा।।<sup>29</sup> अत्र प्रकरणे ध्यातव्यं वर्तते दक्षिणायाप्रयोजनं यज्ञे भवति नास्त्यत्र संदेहः। तत्रापि रत्नयागेऽस्मिन् दक्षिणायां वर्णभेदेन :, वयोभेदेन, लिङ्भेदेन च गवां महत्वं कथितम्। श्रौत यागस्य एकैकमपि अङ्गं कथितम्। श्रौतयागस्य एकैकमपि अङ्गं महत्वपूर्णं भवति। एकस्यापि त्यागे अङ्गवैकल्य दोष - उदाह्रियन्ते :सम्भवति। तस्मात् काश्चित् कण्डिका : अथ श्वोभूते। मिहष्यै गृहान्परेत्य। आहित्यं चरं निर्वपतीयं वै पृथिव्यदितिसेयं देवान :ां पत्न्येषा वा एतस्य पत्नी भवति तस्मादाहित्यो भवत्येतद्वा अस्यैकं रत्नं यन्महिषी तस्याऽएवैतेन सूयते तां स्वामनपक्रमिणी कुरुते तस्यै धेनुर्दक्षिणा धेनुरिव वा इयं मनुष्येभ्य सर्वाङ्कामान् दुहेमाता धेनुर्मातेव वा इयं मनुष्यान् विभर्ति तस्माद्धेनुर्दक्षिणा। : अथ श्वोभूते। ग्रामण्यो गृहान्परेत्य मारुतं सप्तकपालं पुरोडाशं निर्वपति विशो वै मारुतो वैश्यो वै ग्रामणीस्तस्मान्मारुतो भवत्येतद्वा अस्यैकं रत्नं

यद्दामणीस्तस्मा एवैतेन सूयते तं अस्यैकं रत्नं यद्दामणीस्तस्मा एवैतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं कुरुते तस्य पूषन्गौदक्षिणा भूमा वा एतद्रूपाणां यत् पृषतो गोविंशो वै मारुतो भूमो वै विट् तस्मात् पूषन्गौदक्षिणा। अथ श्वोभूतो क्षत्तुर्गृहान् परेत्य सावित्रं द्वादशकपालं वाऽष्टाकपालं वा पुरोडाशं निर्वपति सविता वै देवानां प्रसविता प्रसविता वै क्षत्ता तस्मात् सावित्रो भवत्येद्वा अस्यैकं रत्नं यत्क्षत्ता तस्मा एवैतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं कुरुते तस्य श्येतोऽनड्वान् दक्षिणैष वै सविता य एष तपत्येति वा एष एत्यनड्वान् युक्तस्तद्यच्छयेतो भवति श्येत् इव ह्येष उद्यंश्चास्तं च यन्भवति तस्माच्छयेतो नड्वान् दक्षिणा। अथ श्वोभूते। सङ्ग्रहीतुर्गृहान् परेत्याश्विनं द्विकपालं पुरोडाशं निर्वपति सयोनी वा अश्विनौ सयोनी सव्यष्टुसारथी समानं हि रथं अधितिष्ठतस्मादश्विनौ भवत्येद्वा अस्यैकं रत्नं यत्संग्रहीता तस्मा एवैतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं कुरुते तस्य यमौ गावौ दक्षिणा तौ हि सयोनी यद्यमौ यदि यमौ न विन्देदप्यनूचीनगर्भावेव गावौ दक्षिणा स्यातां त उ ह्यपि समानयोनी। अथ श्वोभूते। भागदुघस्य गृहान् परेत्य पौष्णं चरुं निर्वपति। पूषा वै देवानां भागदुघः। एष वा एतस्य भागदुघो भवति। तस्मात् पौष्णो भवति एतद्वा अस्यैकं रत्नं यद्भागदुघः। तस्मात् एवैतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं कुरुते। तस्य श्यामो गौर्दक्षिणा। तस्यासावेव वन्धुयोऽसौ त्रिषं युक्तेषु।<sup>30</sup>

अनन्तरं दक्षिणाया - विशिष्टा प्रतिभाति तद्यथा :क्रमे एका गौ :

तस्य द्विरूपो गौर्दक्षिणा शितिबाहवो शितिबालो", वाऽसिर्नखरोबालदाम्ना उक्षावपनं प्रबद्धमेतद् उ हि तयोर्भवति"<sup>31</sup>

अस्यार्थं प्रकाशयन् सायणाचार्यतस्य रौद्रहविषो दक्षिणां विद्यते तस्य द्विरूप इति। शितिबाहुः श्वेतबाहुः वा भवेत् - ब्रूते : शितिबाल, श्वेतबालो वा बाहौ वाले वा श्वेतत्वम्। सर्वाङ्गो कृष्णवर्णइति द्विरूपत्वम्। दक्षिणान्तरं विद्यते असिरिति। :। बालदाम्नी रोमस्रजा प्रबद्धम् अक्षावपनं पात्रम् अक्षा उप्यन्ते अस्मिन्निति अक्षावपनम्। :असि कृपाण :कोषःनखरो नि अक्षावपनमिति त्रीण्यपि समुच्चित्य दक्षिणा। :अक्षस्थानावपनं पात्रम्। एवं गौ असि

अथ श्वोभूते। परिवृत्यै गृहान् परेत्य नैर्ऋतं चरुं निर्वपति या वा अपुत्रा पुत्री सा परिवृत्ती स कृष्णानां व्रीहीणां नखैर्निभिद्य तण्डुलान्नैर्ऋतं चरुं श्रपयति स जुहोत्येष ते निऋते भागस्तं जुषस्व स्वाहेति या वा अपुत्रा पत्नी सा निऋति गृहीता तद्यदेवास्याऽ अत्र नैर्ऋतं रूपं तदेवैतच्छमयति तथो हैनं सूयमानं निऋतं रूपं गृह्णाति तस्य दक्षिणा कृष्णा गौपरिमूर्णी : पर्यारिणी सा ह्यपि निऋति गृहीता तामाह मा मेऽद्येशायां वात्सीदिति तत् पाप्मानमपादते।

शतपथब्राह्मणे पञ्चमेकाण्डे तृतीयाध्याये जलानां अपाम् चर्चा विद्यते। बहुविधानि जलानि श्रुतिमुखेन स्तुतानि सन्ति। एक विशिष्टं जलं तत्र चर्चितम् यत् गोसरति तज्जलम् च ग्राह्यम्। अस्य जलस्य अभिषेक कर्मणि :प्रसवे यज्जलं नि :।:साधित :क्वचिदुपयोग

श्रुतेतथापि मूलां श्रुतिं प्रबन्धस्य गौरवाय :रहस्यं न कोऽपि जानाति। ऋषीणां किमत्र विज्ञानं सर्वथा गवेषणस्य विषय : - उदाहरिष्ये

अथ गोर्विजायमानाया उल्ब्या ग"ृह्णाति शक्वरीस्थ राष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शक्वरीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तेति ताभिरभिञ्चति"<sup>32</sup>

पञ्चमकाण्डस्यान्तिमे भागे अतिरात्रमध्ये दक्षिणायादक्षिणायां :प्रकरणं पठितम्। तत्र दक्षिणायां एका विशिष्टा गौ : - कथिता

'तस्य नपुंसको गौर्दक्षिणान वा एष स्त्री पुमान् यन्नपुंसको गौर्यदह पुमांस्तेन न स्त्री यदु स्त्री तेनो न पुमांस्तस्मान्नपुंसको " "गौर्दक्षिणा"<sup>33</sup> राजसूययागान्तर्गते कानिचित् अङ्गानि भवन्ति तत्र होने दक्षिणायां धेनो - विधानं वर्तते : तिस्रो धेनूद्भैत्रे भूमा वै तिस्रो धेनवो भूमा होता तस्मात्तिस्रो धेनूत्रे"<sup>34</sup>

चितियागस्य वर्णनप्रसंगे कस्यांदिशि गावप्राचुर्येण प्राप्यन्ते इति चर्चितम्। श्रुति प्रमाणेन ज्ञायते अश्वमेषौ उत्तरस्यां दिशि : - तथा च प्रमाणम् :अजे प्रभूतं भवत-तथा दक्षिणस्यां गो :विशेषेण भवत

अश्वं चाविं चोत्तरतः। एतस्यां त"द्विश्येतौ पशू दधाति तस्मादेतस्यां दिश्येतौ पशूभूयिष्ठौ। गां चाजं च दक्षिणतः। एतस्यां तद्विश्येतौ पशू दधाति तस्मादेतस्यां दिश्येतौ पशू भूयिष्ठौ।"<sup>35</sup>दक्षिणदेशे गोरुपधानमनूद्य स्तुतिवन्मन्त्रं विद्यते -

यतसोमो हि सर्वदा पयोलक्षणस्यामृतस्य स :अजस्र :एष :स :यन्दनात्। इन्दोस्तु कदाचिदुपक्षयो विद्यत इति तदभिप्रायेण अजस्रम् इत्युक्तम्। भुरण्युरिति। दोहनाभिर्भर्तारमित्येतदुक्तं भवति, गोजातीयस्य घृतत्वात् अथ वा गौ : सर्वदाह्लादकत्वात् कृषिसाधनत्वेन भर्तृत्वात् भुरण्युम् इति। अग्निमीड इति। यतो ग :सोम :अजस्र :पुङ्गवौ :आग्नेय : अग्निम् प्राञ्चम् उद्धरन्ति :अतोऽसावग्निः। यत, प्राञ्चमेव होमादिना उपचरन्ति। अतोऽग्निपूर्वस्मिन् :पूर्वचिति : तेन तेन :ऋतुश :इष्टकाचितिलक्षणै :पर्वभि :चीयते इति यत् तेन एष :अग्नि :। एषःप्रदेशेरनुष्ठेयस्य प्रतीतिर्यस्य स तथोक्त ऋतुवा कल्पते। चितिलक्षणानां पर्वणामृतरूपत्वादित्यर्थः। विराट् वा। अन्न साधनत्वात् विराजोऽन्नत्वम् गोरपि

तथैवान्त्वमिति विराड् गौरैवेत्यर्थः। सर्वदाह्लादकत्वेन अजस्रम् इन्दुम् अरुषम् आरोचमानम् कृष्यादिसाधनत्वेन भर्तारम् पूर्वचित्तिम् पूर्वत्रानुष्ठेय प्रतीतिविशिष्टम्। अग्निम् तदीयत्वेन तदात्मकम् गाम् अत्रोपधानाय नमोभिनमस्कारैर्युक्तोऽहम् : तथाविधस्त्वम् अदितिम् अखण्डनीयं विराजम् अन्नसाधनं गाम् मा :कल्पमानः ऋतुशः चितिलक्षणैः ईडे। हे अग्ने। पर्वभिः । अनेनेदं सिद्ध्यति यत् गवि सर्वेषां छन्दसां प्रादुर्भावो भवति। सर्वेषां:हिंसीदेवानां यागवि राराजन्ते। :सर्वा :ता :शक्तयः : कर्तुं शक्यते। अन्नादीनां :गोभिः :मनुष्याणां सामाजिकानां कल्याणाय च गवां संरक्षणमावश्यकम्। कृषिकर्मणो विकास सकाशादेवानुमीयते। सर्वतो पायेन अस्याः :तस्याः :वस्त्रादीनां च संप्राप्ति संरक्षण विधेयं नो चेत् संसारस्य विनाशः ।:अनया कण्डिकाया प्रकटीकृतः संभवति। अयमेव भाव

'अथ दक्षिणतो गाम्। अजस्रमिन्दुमरुषमिति सोमो वा इन्दुः स हैष सोमोऽजस्रो यद्गौरण्युभिति भर्तारमित्येतदग्निमीडे ) पूर्वचित्तिमिति प्राञ्चं :पूर्वचितिं नमोभिरित्याग्नेयो वै गौह्यमग्निमुदरंति प्राञ्चमुपचरन्ति स पर्वभिर्ऋतुशकल्पमान इति : " :कल्पते गां मा हिंसीरदितिं विराजमिति विराड् वै गौरन्नं वैविराडन्नमु गौ :यद्वा एष चीयते तदेष पर्वभिर्ऋतुश<sup>36</sup> अस्यां कण्डिकायां स्पष्टमिदं प्रतिपादितं यत् गौअन्नरनामस्य कारणः अन्नम् भवति। अयं भावः भूतेयं गौः। आपत्सु विपत्सु चेयं गौ विधेयम्। :विधीयन्ते तथैव गोसंरक्षणं विविधोपायैः पारयित्री भवति। यथा अन्नसंरक्षणाय अनेके प्रयासाः : गोवधः - पालनीया भवति तद्यथा :कदापि न कर्तव्यः। अस्यां कण्डिकायां स्पष्टमेव लिखितं गौ

"अथ गौ। इमं साहस्रं शतधारमुत्समिति सः ाहस्रो वा एष शतधारऽ उत्सो यद्गौळ्ळ्यमानं सरिरस्य मध्य इतीमे वै लोका सरिरमुपजीव्यमानम् एषु लोकेष्वित्येतद्भूतं दुहानामदितिं जनायेति घृतं वा एषाऽदितिर्जनाय दुहेऽग्ने मा हिंसीपरमे : व्यमोन्नितीमे वै लोका परमं व्योमैषु लोकेष्वेनं मा हिंसीरित्येतद्व्यमारण्यमनु तः दिशामीति तदस्मै गवयमारण्यमनुदिशति तेन चिन्वानस्तन्वो निषीदेति तेन चिन्वान आत्मानं संस्क्रुष्वेत्येतद्व्यं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शृगृच्छत्विति तद्व्ये च शुचं दधातियं च द्वेष्टि तस्मिंश्च।<sup>37</sup> चितियागे इष्टकायाप्रयोगो भवति। मृन्निर्मिता इष्टका अतः र् चिनोति। इष्टका धेनुः वस्त्रादिकं प्रयच्छति इष्टका च यजमानस्य -मनुष्याय सर्वं सौख्यं अन्नः समा भवति अर्थात् धेनुतुल्या प्रतीयते। लोके धेनु सौख्यं साधयति। ऋषीणां अभिप्रायो वर्तते चिति निर्माणे एकैकं द्रव्यं शुद्धं भवेत् एकैका इष्टका शुद्धा दृढा च स्यात् अन्यथा सुखस्य अभीष्टस्य च हानिर्भवति। सामान्यस्यपि अवहेलनं न कुर्यात्। सावधानेन वस्तूनां परीक्षणं कृत्वैव यज्ञे योजयेत्। तस्मादुक्तमृषिणा -

"प्रत्येत्येष्टका धेनूशतरुद्रियेण चाद्भिश्च शमयित्वा शुचमस्य पाप्मानमपहत्य प्रत्येत्येष्टकः कुरुते। एतद्वाऽ एनं देवाः धेनूकुर्वत तथैवैनमयमेतच्छतरुद्रियेण चाद्भिश्च शमयित्वा शुचमस्य पाप्मानमपहत्य प्रत्येत्येष्टका धेनू" कुरुते :<sup>38</sup>

कुर्वीतेत्यु हैक आहुः। आसीनो वै धेनुं दोग्धीति तिष्ठस्त्वेव कुर्वीतेमे वै लोका एषोऽग्निस्तिष्ठन्तीव वा इमे लोकाः आसीन" अथो तिष्ठन् वै वीर्यवत्तर":<sup>39</sup> विहितं धेनुकरणम्। आसीनेन संपाद्यमिति केषांचिच्छाखिनां सोपपत्तिकं मतं पूर्वपक्षयितुं दर्शयति आसीन इति। स्वमतमाह तिष्ठस्त्वेवेति। तिष्ठन् एव कुर्वीत न पुनरासीन इत्येवकारेण पूर्वगुपन्यस्तस्य मतस्य निरागः। स्वमत उपपत्तिमाहा इमे वा इति एषइमे पृथिव्यादयो लोकाः। कुतः प्रजापतिस्तावत् :अग्निः संचितः स प्रजापतिर्व्यसंसतायमेव स योऽयमग्निश्चीयते :पृथिव्यादिलोकहेतुत्वेन तदात्मकः। एषोऽग्निः प्रजापत्यात्मकः। स य लोकाश्चेते। तिष्ठन्तीव ऊया अबतिष्ठन्त इवा अतश्च :इत्युक्तत्वात् एवं प्रजापत्यात्मना अग्निरिमे लोका पृथिव्यादिलोकत्रयात्मकस्याग्नेरवयवीभूतानामिष्टकानां धेनुकरण स्थित्वा संपाद्यम्। अपि च अग्निवल्लोके तिष्ठन् पुरुषो वीर्यवत्तरो भवति न त्वासीनः। ततश्च वीर्यवानिव भूत्वाऽनुकरोति। यथा धेनवोऽभिमतं पयो दुहन्ति तद्वदेवैता अपीष्टकाः स्वाभिलषितं दुहन्ति इति बुद्ध्याधेनुरूपेणानुसंधानं क्रियते। धेनवश्च वीर्यवत्तरेण जनेन दुह्यमानाभूयः पयो दुहन्ति नः पुनर्दुर्बलेन। अतोऽत्रापि स्वभिलषितदोहनार्थं धेनुकरणं वीर्यवता सम्पाद्यम्। तच्च वीर्यवत्वं तिष्ठत एव सम्भवतीति कुर्यादिति भावः। तिष्ठन्नेव धेनू तिष्ठन्नपि कथं तिष्ठन् कुर्यादिति 'उदप्राड्' इति ऐशानी दिगुच्यते तदभिमुखस्तिष्ठन्नित्यर्थः। लोके हि यजमानस्य पूर्वभागे धेनोदक्षिणतो दोहनात् स्वाभिलषितः प्रत्यङ्मुखतयावस्थानात् दोग्धृणां च प्रत्यङ्मुखाया धेनोः दोहनार्थे इष्टकानां धेनुकरणे तथा करणमुचितमित्याह पुरस्ताद्वा।

धेनुकरणं स्थानविशेष अनयाकण्डिकया स्मर्यते स यत्राभ्याप्नोति। तदभिमृश्यैतद्यजुर्जपतीमा मे अग्न इष्टका धेनवः " सन्त्वित्यग्निर्हेतासां धेनुकरणस्येष्टे तस्मादेतावतीनां देवतानामग्निमेवामन्त्रयत एका च दश चान्तश्च परार्धश्चेत्येष हावरो भूमा यदेका च दश चाथ हैष परार्धयो भूमा। यदन्तश्च परार्धश्चावरार्धतश्चैवैना एतत्परार्धतश्च परिगृह्य देवा धेनूरकुवंत तथैवेना अयमेतदवरार्धतश्चैव परार्धतश्च परिगृह्य धेनूः कर्तुममुत्र वाऽएष एता ब्रह्मणा यजुषाबह्वीः कुरुते तस्मादपि नाद्रियेत् बह्वीः कुरुतेऽथ यत्संतनोति कामानेव तत्सन्तनोति।<sup>40</sup> अयमर्थअग्नेरात्मभागस्योपरि यत्र स्पृष्टुमाप्नोति तत् स्थानम् अभिमृश्यः इति अग्न्यात्मभागस्य इत्यर्थः। अग्नि व्यतिरिक्तासु बह्वीदेवतासु सतीष्वपि :इमा मे अग्ना इति मन्त्र जपेत्। अत्र आत्मन सामोपलम्भादिष्टकामगः तत्राग्निमेव प्राधान्येन किम् अवयवव्यापारेऽवयविन्य वयवत्वेनाग्निस्तासां धेनुकरणे समर्थः,

इति भावः। मन्त्रे आदौ एका च दश चेति अवसाने अन्तश्च परार्द्धश्चेति संख्याविशेष प्रयोगस्याभिप्रायमाह एका च दश चेति। य एषअवरायो भूमा अवकृष्टं बहुत्वम् अवरसंख्यापरमसीमा शताद्यपेक्षया दशत्वसंख्या अवरा ततोऽप्यवरा : एकत्वसंख्या। ततश्चार्वाचीनायापराद्ध्यो भूमा उत्कृष्टं बहुत्वम् :अभावादिति। यदन्तश्चेति। य एव पुनः :संख्याया : अधिकसंख्या। एकदशशतसहस्रादिसंख्यापेक्षयाऽन्तस्याधिकत्वम्। ततोऽपि परार्द्धस्याधिकत्वम्, तत् उत्तरस्या अधिकसंख्याया अभावात् इत्यर्थः। एवं च देवाः शतादिसंख्याका एनाः न्यूनसंख्याभूमना अधिकसंख्या भूमना च मह्यतः कुरुते। :परितो गृह्य धेनूः इष्टका

नन्वेवं सति मन्त्रे यत्संख्यानामिष्टकानां धेनुरूपता सम्पाद्यते तत् संख्याका इष्टकाधेनवः क्रियन्ते। : तथाप्युक्तसंख्यातिक्रमेण तत्संख्यानुसाराद्

बह्वीः बह्वीः कर्तुं नाद्रियेता। कथं तथेष्टमेतत्। इह लोकेऽपि ब्रह्मणा वृहता वीर्यवता इत्यर्थः। तेन यजुर्मन्त्रेण एता इष्टका : कुरुते मन्त्रसामर्थ्यादल्पस्य बहुभवनं श्रूयते। तथा च तैत्तिरिः एकादिपरार्द्धान्तसंख्याकाः िया श्रुति - : 'धान्यमसि धिनुहि देवान् इत्याह। एतस्य यजुषो वीर्येण। यावदेका देवता कामयते यावदेका। तावदाहुतिप्रथते। न हि तदस्ति। यत्तावदेव : अथ यत्संतनोति - स्यात्। यावज्जुहोति इति। मन्त्रे एका च दश च इत्यादिना उत्तरोत्तराधिकसंख्या सन्तानस्य फलमाह कामानेव तत्संतनोति। अयंभावददाति यजमानः। परन्तु : स्रवेण स्वल्पमेवाज्यं तत्तदाहुतौ देवेभ्यः यज्ञादौ वयं पश्यामः संकोचश्च कल्प्यते। प्रभूतो जायते। मन्त्रशक्त्या वस्तुषु विकासः मन्त्रस्य तादृशी शक्तिरस्ति यया शक्त्या स्वल्पोऽपि पदार्थ अद्यतनीये युगे मन्त्रविज्ञानसय रहस्य स्फोटकनः कश्चन विद्वान् भवति। प्रायेण अस्मिन् कस्मिन्काले मन्त्रस्य तात्पर्यं जनाः सावधानेन भावने मन्त्रस्य :। अतः जानन्ति उच्चारणमात्रेण कार्यसिद्धिर्मन्यते। तत्रापि उच्चारणे भवन्ति केचन दोषा परम्परया अध्ययनं कृत्वा रहस्यं चोद्घाटयेत्। अस्मिन् देशे अनेके मनीषिणः। आसन् प्रयोगनिपुणाः

स यदाहैका च दश चान्तश्च परार्द्धश्चेति वाग्वा एका वाग्दश वागन्तोः कुरुते। वाग्वा अयमग्निर्वाचा हि चितः यद्वेष्टका धेनू" वाक्परा। वाचमेव तद्देवा धेनुमुकुर्वत तथैवैतद्यजमानो वाचमेव धेनुं कुरुतेऽथ यत्सन्तनोति वाचमेव तत्संतनोत्येतामेऽ अग्नः इष्टका धेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मं िल्लोके इत्येतद्वा एना सिल्लोके धेनूकुरुते तथोः कुरुतेऽथैना एतदमुष्मिल्लोके धेनूः हैनर्मता

उभयोलोकयो अन्त्यस्मँश्चामुष्मिंश्च॥<sup>141</sup> अयं भावमन्त्ररूपया वाचा चितत्वादग्निर्वागात्मकः। एकत्वादिका च संख्या : वाचा प्काशयमानत्वात् वागात्मिका। एवं च सतिः अग्न्यवयीभूतानाष्टिकानाम् 'एका च दश च' इत्यादिसंख्या प्रकाशकेन मन्त्रेण देवा वाचम् एव धेनुम् अकुर्वन्। अत इदानीन्तनोऽपि यजमानतद्वदेव करोति। एकत्वादिसंख्याना : वागात्मकत्वादुत्तरोत्तराधिक संख्या संतानेन वाचमेव भूयसीमवच्छिन्नां सम्पादितवान् भवतीत्याह अथेति। ननु च इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्तु इत्यनेन धेनुरूपत्वसंपादनात् पुनरपि तदेव इत्यादिना सम्पाद्यत इति पौन "एता मे अग्ने" :अस्मिँल्लोके इह लोके धेनूः रुक्त्याशंकां निवारयति एतद्वा इति। इमा मे अग्ने इत्येतेनैता इष्टकाकरोति। अथ 'एता मे अग्ने' इत्यनेन अमुष्मिँल्लोके स्वर्गे धेनू इष्टकानां लोकद्वयेऽपि :करोति। अतश्च पृथगर्थत्वान्न पुनरुक्तिरिति भाव : अपि :अस्मिँश्चामुष्मिश्च इति उभयोलोकयो :इष्टकारूपा धेनवः धेनुरूपतासम्पादनस्य फलमाह तथो हेति। तथा सति एता एवम् यजमानं भुञ्जन्ति पालयन्तीत्यर्थः। हे अग्ने इमा इष्टका इहलोके एकत्वादिपरार्द्धान्तसंख्याविशिष्टा धेनवः न केवलं हि इह लोक एव किन्तु हे अग्ने अमुत्रेत्येतत्पदं मन्त्रं एव विवृणोति अमुष्मिल्लोक इति। तत्रापि एता इष्टका मे धेनवः सन्तु इति मन्त्रार्थः।

शतपथब्राह्मणस्य एकादशे काण्डे जनकयाज्ञवल्क्ययो अग्निहोत्रसंबन्धेऽस्ति :संवाद :जनको इ वैदेहः। बहुदक्षिणेन यज्ञेजे स ह गवां सहस्रंमवरुन्धन्नुवाचैता वो ब्राह्मणा यो ब्रह्मिष्ठः स उदजतामिति॥ स होवाच याज्ञवल्क्योऽर्वाचीरेताऽ " इति ते हाचुस्त्वं खिन्नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसि उ इति स होवाच नमोस्तु ब्रह्मिष्ठाय गोकामा एव वयं स्म ऽ इति।<sup>42</sup>

अयमत्र विशेषप्राणशब्दाभिधेय परमात्मरूपतां विजिगीषु कथामुखेन :अग्निहोत्रदर्श पूर्णमासादियागदेवतानां तत्त्वत : आख्यायिकां प्रस्तौति। विदेहदेशानां राजा वैदेहः। बहुदक्षिणेनेति। सहस्रसर्वव :विवक्षुर्दसदक्षिणेनेत्यर्थः। यज्ञेन ईजे इष्टवान्। स ह गवामित्यादि। सयुष्माकं :व :गवां सहस्रं यज्ञसंभाराय अवरुन्धन् स्थापयन्नुवाच। हे ब्राह्मणा :खलु जनक : उदजतां उत्क्षिपतु स्वगृहं गमयत्वित् :सहस्रसंख्याकागा :ब्रह्मनिष्ठो विद्यातिशयवान्। स एता :मध्ये यो ब्रह्मिष्ठयर्थः। स एवं राज्ञो वाक्यमाकर्ण्य याज्ञवल्क्यो मदीयं गृहं प्रति एता गावः :गा :एता :अस्मदभुखा :प्रस्थापनीया इत्युक्तवानिति। अर्वाची : :उदजतामित्यनुषंगः। एतत् याज्ञवल्क्य श्रुत्वा क्रुद्धानां अन्येषां ब्राह्मणानां वचनं दर्शयति त्वं स्वदिति हे याज्ञवल्क्य न अस्माकं मध्ये त्वं स्वित् स्वित् इति वितर्के। त्वं किम्। ब्रह्मिष्ठोसि ब्रह्मवित्तमोऽसि इति निन्दायां प्लुतिः। एवमधिक्षिप्ते सति याज्ञवल्क्येन यदुक्तं तदर्शयति युष्माकं मध्ये ब्रह्मिष्ठाय नमोऽस्तु। गो कामा एव वयं केवलं स्म भवाम इति :

अनेन प्रकारेण गवां महत्वमत्रापि प्रकटितम्। अग्निहोत्रमध्ये गौप्रमुखा भवति। गां विना अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानं कथं : क्रोधात् उद्विग्नो नानाविधिं प्रश्न चकार। :स्यात्। ब्रह्मिष्ठस्य याज्ञवल्क्यस्य शाकल्येन सह संवादोऽत्र भवति। शाकल्य : आसीत् यदयं याज्ञवल्क्य : शाकल्यस्य मनसि क्लेशअस्मासु श्रेष्ठः कथं भवति। अस्माकं मध्ये आत्मानं कथमयं ब्रह्मिष्ठेन साधितवान्। वयमपि अधीत विद्या। तस्मात् द्वेषपूर्वकं याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थं चकार। देवताविषये अनेकेः प्रश्नातेन : तेषां सर्वेषां शास्त्रसम्मतं उत्तरमसौ ददौ। किन्तु : शाकल्येन उत्थापिताक्रुद्धदेवतातिरिक्तान् प्रश्नान् प्रपच्छ। इति : शाकल्य : शापं तस्मै प्रायच्छत् यद् देवतानां तिरस्कारात् क्रोधाच्च झटिति तव मृत्युभविता तथा अस्थीन्यपि तव : श्रुत्वा याज्ञवल्क्य अस्थीनः पुत्रादयो न प्राप्स्यन्ति। सद्य एव तस्य शाकल्यस्य मृत्युरभवत्। तस्य शिष्याः एकीकृत्य वस्त्रमध्ये ररक्षुपरन्तु : चौरास्तावत् स्वर्णबुद्ध्या अस्थीनि नीत्वा जग्मुः। अस्य प्रसंगस्य मूले इदमस्ति यद् ब्रह्मिष्ठस्य तिरस्कारो न विधेयः। सेवा स्वगृहं आनीतवान्। :सहस्रं गाः सदा कर्तव्या। ब्रह्मिष्ठः याज्ञवल्क्य ज्ञानिनां सम्माननं मधुपर्कैः गोदानैश्च पुराकाले भवति स्म। इदानीमपि गौः अस्माभि पूज्यते। :

द्वादशे काण्डे अग्निहोत्रमध्ये गोसंबन्धीप्रायश्चित्तं वर्णितम् तद्यथा –

यस्याग्निहोत्रं दोह्यमानं स्कन्देत्। किं तत्र कर्म। का प्रायश्चित्तीरिति अद्विरुपनिनीय परिशिष्टेन स्कन्नप्रायश्चित्तेनाभिमश्या जुहुयात्। यद्युनीचीस्थाली स्यात्। यदि वा भिद्येता। स्कन्नप्रायश्चित्तैर्वाभिमृश्य अद्विरुपनिनीया। यदन्यद्विदेत् तेन जुहुयात्।

यस्याग्निहोत्री दोह्यमानोपविशेत् किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।

यस्याग्निहोत्री दोह्यमाना वाश्येत किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।

यस्याग्निहोत्री लोहितं दुहीत किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।

यस्याग्निहोत्रन्दोह्यमानममेध्यमापद्येत किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।

यस्याग्निहोत्रन्दोहितममेध्यमापद्येत किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।

यस्याग्निहोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्येत किं तत्र कर्म का प्रायश्चित्तिरिति।<sup>43</sup>

शतपथब्राह्मणे त्रयोदशे काण्डे राष्ट्रस्य समृद्ध्यै किञ्चिदविज्ञानं प्रोक्तम्।

यजुर्वेदस्य सुप्रसिद्धमन्त्रः - राष्ट्रोपासनायां पठितः। प्रायेण कर्मकाण्डे आशीर्वाद प्रदाने मन्त्रस्यास्य पाठः श्रूयते :

आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् –

अस्मिन् मन्त्रे राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थं एका विशिष्टा धेनु भवति। :पाठिता। सा च दोग्ध्री धेनु :

अस्य ब्राह्मणम् अत्र –

"दोग्ध्री धेनुरिति। धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात् पुरा धेनुदोग्ध्री जज्ञे"<sup>44</sup>

शतपथब्राह्मणे चतुर्दशकाण्डे प्रवर्यप्रकरणे गवां स्तवनं संक्षेपेण कृतम्।

तद्यथा

सरस्वती हि :अथ गामाह्वयति। जघनेन गार्हपत्यं यन्निड पादित एहि सरस्वत्येहीतीडा हि गौरदितिर्हि गौ"

गौरथोच्चैराह्वयति

नाम्नाऽसावेह्यसावेहीति त्रिः"<sup>45</sup>

अस्य ब्राह्मणस्य भाष्यमपि अत्र अपेक्षते। अथ दैवीभि - धर्मदुही गौराह्वानं विद्यते :संज्ञाभि :

अथ गामाह्वयति। अथ रज्ज्वादानानन्तरं जघनेन गार्हपत्यं यत् गार्हपत्यस्यादूरेण पश्चिमदेशेन गच्छन् अध्वर्युड् एहि :

इत्यादिभि। तथा च तैत्तिरीयके गर्गत्रिरात्रे :संज्ञा :त्रिभिर्वाक्यैरुपांशु गामाह्वयति। इडादिति सरस्वती शब्दा गौवैदिका :

"इडे रंतेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विश्रुति एतानि अप्निये नामानि - सहस्रतमी गां प्रस्तुत्य एवमाम्ना यते"<sup>46</sup>

इमां प्रसिद्धिं हि शब्देन द्योतयन् इडादिशब्दागोर्नामानि इति व्याचष्टे। इडा हि गौरिति। अथ लौकिकेन नाम्ना तस्या :

आह्वानं विद्यते अथोच्चैराह्वयति।

अथ देवनामभिराह्वानान्तरं असावेहि इति लौकिकेन नाम्ना त्रिरुच्चैराह्वयति। असौ इति अदस् शब्द :

। त्रिराह्वानस्यःसंबुद्ध्यन्तनामसामान्य निर्देशाभिनयार्थमसाविहीति त्रिराह्वानस्याभिनयार्थमसाविहीति त्रिर्वचनम्।

अयमर्थः यत् गौनाम व्यावहारिकं गंगादिकं नाम तत् संबुद्ध्यन्तमुक्त्वा तेन एहीति पदं संयोज्य गंगे एहि इत्येवं प्रकारेण :

त्रिराह्वानं

कार्यमिति। एवं द्विविधैर्नामभिर्धर्मदुहोगौराह्वानं तित्तिरिणा स्पष्टमाम्नातम् इड एह्यदिति एहि सरस्वत्येहीत्याह। एतानि वा -

अस्यै देवनामानि देवनामैरैवैनमाह्वयति। असावेडसावेह्यसावेहीत्याह। एतानि वा अस्यै मनुष्यानामनि।

मनुष्यनामैरैवैनमाह्वयति।

एवं उभयविधैर्नामभिराहूताया आगतायास्तस्याबन्धनं विधत्ते। तां धर्मदुघां धेनः ुं आगतां देवयजनदेशं प्राप्तां आदित्यैरास्नासि इति मन्त्रेण पूर्वमुपात्तया रज्ज्वा अभिदधाति बध्नाति। इन्द्राण्या उष्णीषइति मन्त्रभागस्य तात्पर्यमाह : शिरो वेष्टनं विश्वरूपतः उष्णीषः इन्द्राणी ह वा तत्करोति। इन्द्राणी नाम इन्द्रस्य प्रियतमा पत्नी जाया। तस्यामः अतिशयेन : उक्तलक्षणः शुक्लकृष्णपीतादिनानावर्णयुक्तत्वेन चित्रभूत इत्यर्थः। तत्तेन मन्त्रभागेन हे रज्जो सः सर्वरूपयुक्तः सर्वरूपतममेव उष्णीषं करोति मन्त्रपाठेन : धेनोः असिभवसि इत्याह प्रतिपादयति। अध्वर्युश्च एतत् एतेन मन्त्रेण अस्याः उष्णीषं निवर्तयति।

अथ दोहनाय वत्सविसर्जने विद्यते। अथ रज्ज्वा बन्धनान्तरं वत्सं उपार्जति उपसृजति पूषासि इत्यनेन मन्त्रेण एतन्मन्त्रप्रयोगमुपपाद्य उपसंहरति अयं वै पूषाऽसीतीति। यअयमन्तरिक्षे वायुः पवते अयं खलु पुषा। कुत एतदिति : इदं सर्वं जगत् पुष्यति : खलु वायुः चेदुच्यते। एष पोषयति। यदिदं किं च जगद्वर्षति मेघैश्च आत्मना प्रेरितैर्वृष्टिं उत्पाद्य : एतासां गवां पोषयिता बद्धयिता। तथा च तैत्तिरीयके : सिञ्चति। तस्मात् पोषकत्वात् पूषा इत्युच्यते। अपि च एष एव वायुवत्सापाकरण मन्त्रव्याख्यानरूपे ब्राह्मणे पशूनां वाय्वधीनत्वं स्पष्टमवगम्यते। वायवस्थेत्याह वायुर्वान्तरिक्षेस्याध्यक्षा : वायव एवैनान् परिददाति इति। यस्मादेवं तस्माद् वत्समुपसृजन् अध्वर्युः पूषासि इति मन्त्रं : खलु वै पशवः अन्तरिक्षदेवत्या ब्रूयात्।

इदमन्त्रावधेयं भवति यत् गोदोहनात् प्राक् वत्सस्य कृते दुग्धपानं विहितम्। वत्सतं वत्सं : आदौ धयति अनन्तरं च दोहकः - : पृथक् संस्थाप्य दोहनं संपादयेत्। यथा चाह श्रुति

इदमन्त्रावधेयं भवति यत् गोदोहनात् प्राक् वत्सस्य कृते दुग्धपानं विहितम्। वत्सतं वत्सं : आदौ धयति अनन्तरं च दोहकः - : पृथक् संस्थाप्य दोहनं संपादयेत्। यथा चाह श्रुति

अथोन्नयति। घर्माय दीष्वेत्येष वा अत्र घर्मो रसो भवति यमेषा पिन्वते तस्मै दयस्वेत्येवैतदाह<sup>47</sup>

अयमर्थं वत्सस्य पुनर्बन्धनं विद्यते। :

अथोन्नयति घायदीष्वेति। वत्समुपसृज्य प्रस्तुतायां गवि अथ अनन्तरं घर्माय दीष्व इति मन्त्रेण वत्सं उन्नयति उत्कृष्य ऊधअथ एतत् व्याचष्टे। एष वा अत्र घर्मो रसो भवति यं पय आत्मकं रसं एषाः प्रदेशात् अन्यत्र नयति पुरतो बध्नातीत्यर्थः :

पिन्वते सिंचति दुग्धे एषः गौएव रसोऽत्र अस्मिन्मन्त्रे धर्मभवति तस्मै रसाय तादर्थ्यं चतुर्थी। रसात्मकं :धर्मशब्दाभिधेयः  
दधस्व देहीति इयमेवार्थं एतन्मन्त्रवाक्यमाह। :धर्मोयुक्तं पय

वत्स गोदुःबन्धनं कृत्वा सावधानेन गो दोहनं विधेयं। यदि परोक्षे वत्सस्य बन्धनं क्रियते चेत् सा गौःपुरतः ग्धदाने  
असमर्था भवति। :स्यात्। तथा क्षीरस्य च हानिः

गौदोहन विषये -

प्रत्यघत्तान्तावेवैतद्य प्रीणाति :अथ पिन्वने पिन्वयति अश्विभ्याम्पिन्वस्वेत्यश्विनावेवैतदाहाश्विनौ वा एतद्यज्ञस्य शिरः  
तस्मादाहाश्विभ्यां पिन्वस्वेति॥

सरस्वत्यै पिन्वस्वेति। वाग्वै सरस्वती वाचा वा एतदश्विनौ यज्ञस्य शिरप्रत्यघत्तान्तावेवैतत् प्रीणातितस्मादाह सरस्वत्यै :  
पिन्वस्वेति।

इन्द्राय पिन्वस्वेति। इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता सा यैव यज्ञस्य देवता तयैवैतदश्विनौ यज्ञस्य शिरप्रत्यघत्तान्तावेवैतत् प्रीणः  
तस्मादाहेन्द्राय पिन्वस्वेति।<sup>48</sup>

अयं भावअनन्तरं दोहनं विधत्ते। अथ वत्सापानन्तरं पिन्वने दोहनपात्रे पिन्वयति सेचयति गां दोग्धि। अश्विभ्यां इति :  
मन्त्रेण। अस्य मन्त्रप्रथमभागस्य तात्पर्यमाह। यज्ञस्य एतत् छिन्नं शिरः। अश्विनौ खलु देवौ पुरा प्रत्यघत्तां संधानं  
कृतवन्तौ एतत् एतेन मन्त्रेण तावेव प्रीणाति तर्पयतीत्यर्थः। यस्मादेवं तस्मात् कारणात् अश्विभ्यां इति वाक्यं ब्रूयात्।

अथ द्वितीयं भागमनूद्य व्याचष्टे। सरस्वत्यै पिन्वस्वेति। अत्र सरस्वत्यै इति सरस्वतीशब्देन वागेव उच्यते। अश्विनौ हि वाचा  
मन्त्ररूपया खलु पुरा यज्ञस्य एतच्छिरसंधानभूतां तामेव वाचं एतेन सरस्वत्यै पिन्वस्व इति :यज्ञशिरः प्रत्यघत्ताम्। अतः  
मन्त्रभागेन प्रीणाति तर्पयति।

अथ तृतीयभागमनूद्य व्याचष्टे -

इन्द्राय पिन्वस्वेति। इन्द्रः एव खलु यज्ञस्य सोमयागस्य प्रधानभूता देवता। कात्स्न्ये न माध्यं दिनसनभावत्वात्। तद्धि यज्ञस्य  
शरीरम्। गृहस्य पृष्ठवंशस्थानीयैः पृष्ठस्तोत्रैरुपेतत्वात्। तस्मात् सा तादृशी या एव यज्ञस्य देवता तयैव देवतया :  
प्रत्यघत्ताम्। अतस्तामेव देवतां एतदेतेन मन्त्रभागेन प्रीणाति तर्पयति। यस्मादेव तस्मात् साधनभूतया अश्विनौ यज्ञस्य शिरः  
देवता प्रतिपादकं इन्द्राय पिन्वस्व इति मन्त्रवाक्यं ब्रूयात्।

अथ दोहनसमये सर्वतदोहनसमयोत्पन्नान् :प्रसृतानां विपुषामभिमन्त्रणं विधत्ते। स्वाहेन्द्रवत् इति मन्त्रं त्रिबुवन् विप्रुषः  
बिंदून् अभिमन्त्रयते। तत्र इन्द्रशब्दस्य तात्पर्यमाह इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता सोमेवैतत् प्रीणाति इति।

गोदनं कर्म यज्ञे विधिपूर्वकं क्रियते। मन्त्रेण स्तनमालभते। दुग्धं तावत् स्तनमध्ये निहितं भवति प्रार्थनया स्तुत्या च तदुग्धं  
बहिः नि - सरति। विधिहीनं कर्म यज्ञस्य माहात्म्यं फलं च नाशयति गीतायां च एष भावा प्रकटिताः

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।<sup>49</sup>

तस्मात् श्रौतसूत्रस्य भावं स्वीकृत्य कार्यं सम्पादनीयम्। उक्तं च कात्यायनेन -

"यस्ते स्तन इति स्तनमालभते"<sup>50</sup>

तथा च शातपथीश्रुतिः

अथास्यै स्तनमभिपद्यते। यस्ते स्तनशशयो यो मयोभूरिः ति यस्ते स्तनो निहितो गुहायामित्येवैतदाह यो रत्नधा वसुविधः  
सुदत्र इति यो घनानान्दाता वसुवित् पणाय्यऽ इत्येवैतदाह येन विश्वा पुष्यसि वार्याणीति येन सर्वान्देवान् सर्वाणि भूतानि  
बिभर्षीत्येवैतदाह सरस्वति तमिह धातवेऽकरिति वाग्वै सरस्वती सैषा धर्मदुधा यज्ञो वै वाग्यज्ञमस्मभ्यम् प्रयच्छ येन देवान्  
प्रीणामेत्येवैतदाहाथ गार्हपत्यस्यर्द्धमैत्युवन्तरिक्षमन्वेमीत्यसावेव बन्धुः।<sup>51</sup>

अयं भावइति मन्त्रेण अभिमृशेदित्यर्थः। :स्तनं अभिपद्यते आलभेत्। यस्ते स्तनः धेनोः विपुड् अभिमन्त्रणानन्तरं अस्याः

अथ अस्य उपात्तस्य मन्त्रे प्रथमभागस्य तात्पर्यं व्याचष्टे। हे धर्मरूप धेनो ते तव स्तनगुहायां अस्माभिरदृश्ये :

:स्तनः एतन्मन्त्रवाक्यमाह। अथ द्वितीयभागमनूद्य व्याचष्टे। य (इममेवाः निक्षिप्तो बभूव। योऽयमर्थः दिव्येऽवस्थाने निहित

रत्नधा रत्नानां रमणीयानां धनानां धाता दाता। वसुवित् वसूनां कनकरजतादीनां वेदिता लंभयिता। यशोभनदाताः सुदत्रः

एवं गुणविशिष्टो हि पुरुषो लोके स्तूयते इति एवरूपमेवार्थमेतन्मन्त्रवाक्यमाह। अथ :स्तुत्यः अत एव पणाय्य

चतुर्थपादमनूद्य व्याचष्टे। अथ प्रतिपाद्यमाना सरस्वती वाग्वै वागात्मिकैव न तु नदीरूपा। सैव सरस्वती एषा धर्मदुधा

धर्मस्य धर्मार्थस्य पयसदोग्ध्री धेनुः। सरस्वत्येहि इ :

:त्याह्वानमन्त्रे तस्यास्तादात्म्यप्रतिपादनात् सात्र वाक् यज्ञो वै यज्ञ एव। स्तुतशस्त्रादिरूपया तयैव तस्य निष्पाद्यत्वात्। अत

प्रः यज्ञं अस्मभ्यं प्रयच्छ। येन खलु यज्ञेन वयं देवान् हविर्भुज्ीणाम तपयामि इति अमुमेवार्थमेतन्मन्त्रवाक्यं

सरस्वतिशब्देन प्रतिपादयति। यद्यपि इह हे सरस्वति। तथाविधम् उक्तलक्षणं त्वदीयं स्तनं इहास्मिल्लोके धातवे धातुं पातुं अकब्राह्मणे व्याख्यायते। एवं दुग्धः अर्थः प्रतीयते। तथापि सरस्वतिशब्दसूचितः कुरु इति मन्त्रार्थः उवा उत्थाय होत्रा इत्युच्यमाने गार्हपत्यं समीपं गच्छेत् इत्याह। अथ दोहनान्तरं गार्हपत्यं उर्वन्तरिक्षं इति मन्त्रेण गच्छेत्। "उपद्रव पयसा" - । तथा च कात्यायनेनोक्तम्: बंधुबंधकः असावेव खलु अग्नि

"उपद्रव पयसेत्युच्यमाने गच्छत्युर्वन्तरिक्षमिति"<sup>52</sup>

एवं प्रकारेण गवां महत्वं ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतिपादितम्। एतेरेयब्राह्मणे छन्दसां महत्वं प्रकटयन् समासेन गवां महत्वमुपदिष्टम्। गोपथ ब्राह्मणे प्रायेण शतपथ ब्राह्मणस्यैव पक्षा। सामवेदस्य सन्ति अनेकानि ब्राह्मणानि तेषु: प्रकारान्तरेण समुपदिष्टः। क्वचित् सृष्टिप्रक्रियायां गवां वैशिष्ट्यम् भणितम्। गानप्रक्रियायां च गौसाम श्रूयते। पर्यालोचनेन गवां वैशिष्ट्यं सर्वत्र ग्रन्थेषु भणितमस्ति।

आरण्यकग्रन्थेषु गोतत्त्वविमर्शः

आरण्यकग्रन्था। किमिदमाः अपेक्षितः। अस्य आरण्यकस्य सामान्येन प्रथमं परिचयः ब्राह्मणग्रन्थान्तर्गते पठितः। आरण्यकम् - सम्प्रति ब्राह्मणशेषवत् ग्रन्थान्ते पठितोऽस्ति। आरण्यकग्रन्थ

एकत्र ब्राह्मणग्रन्थे बहुविधानः। तत्रैव आरण्यके अध्यात्मयज्ञस्य महत्वं भवति। अनेन द्रव्ययज्ञस्य अनादरः। द्रव्ययज्ञाः शुः किन्तु द्रव्ययज्ञादेव पाञ्चभौतिकशरीरस्य बाह्याभ्यन्तरतः प्रकटितद्विरिष्यते। कामानां सिद्धिप्रथमं भोगानां प्राप्तिः अध्यात्मयज्ञं प्रविशति। वाक्यान्तरेण वक्तुं शक्ये स्थूलात् सूक्ष्मस्यावाप्तिः। जनः द्रव्ययज्ञेन सिद्ध्यति। द्रव्ययज्ञात् श्रान्तं तत्राः प्रतिभाति। अभुक्तकामः निरर्थकः। अतृप्तकामस्य अध्यात्म यज्ञे प्रवेशपि तं जनं हठात् भोक्तुमुद्वेलयति प्रेरयति च।

अतसर्वप्रथमं वर्तते मनुष्यः विपरीतः कालः। अद्यतनीयः निश्चेतव्यः द्रव्ययज्ञस्य सम्यगनुष्ठानं कृत्वा अध्यात्मयज्ञे प्रवेशः आत्मवादस्यैव चिन्तने रतो विभाति। सर्वत्र कथा प्रसंगे आत्मतत्त्वचिन्तनस्य वार्ता प्रामुख्येन प्रसारयति जीवनस्य प्राथमिकं महत्वमपि न वेत्यसौ कथं ब्रह्मज्ञानी भूत्वा स्वयं भ्रष्टसांसारिकान् वञ्चयितुं आत्मानं प्रदर्शयति। तस्मादत्र वदामि वानप्रस्थानां संन्यासिनां च कृते आरण्यकं उत्पन्नम्।

आरण्यकमित्यत्र अरण्य शब्दात् भवार्थे वुञ् प्रत्ययभवति तः। एन आरण्यकमिति निष्पन्नम् अर्थात् अरण्ये भवम् आरण्यकम्। सदाशिव वामन आप्टे स्वकीये संस्कृत अंग्रेजी कोश ग्रन्थे आरण्यक शब्दस्य अर्थं प्रतिपादितवान् तस्य

भावविद्यते। अस्य ब्राह्मः ग्रन्थः कश्चित् प्रौढः धार्मिकदार्शनिक निबन्धाभ्यां संपृक्त - आरण्यकम् - वर्तते : मणसाहित्येन सह संबद्धः अस्ति। अरण्येऽनूच्यमानत्वात् आरण्यकम्।

अरण्येऽध्ययनादेव आरण्यकमुदाहृतम्॥

अत्र विचारणीयोऽयं अरण्य शब्दः लक्षणया अरण्य शब्दः कोशग्रन्थे वनस्य पर्यायत्वेन पठितः। अभिधया अरण्यशब्दः गृहेऽपि भवितुमर्हति। अस्माकं :। एकान्तःविषयोऽत्र विवेचितः चिन्तनं अभ्यासश्च एकान्ते संभवति। अतिगभीरं गृहे स्थित्वा एव ग्रन्थः आचार्याः सायणाचार्यं प्रभृतयग्रन्थिभेदकाः एतादृशः न श्रूयते। अतः अभवन् तेषामरण्ये वासः

- आरण्यकम् : ग्रन्थविशेष

अरण्याध्ययनादेतत् आरण्यमितीर्यते।

अरण्ये तदधीयतेत्येवं वाक्यं प्रवक्ष्यते॥

महाभारते शान्तिपर्वणि व्याख्यातं यथा दहननवनीतमुत्पद्यते मलयाचलात् चन्दनम् औषधीभिश्चामृतम् तः शैव वेदेभ्य आरण्यकम् इति ज्ञेयम्।

नवनीतं यथा दहन मलयाच्चन्दनं यथा। :

आरण्यकं च वेदेभ्य औषधिभ्योऽमृतं यथा॥ :

आरण्यकेषु सकामकर्मणां प्रायेण अभावदृश्यते। अध्यात्मचिन्तने सर्वत्रास्य गतिर्भवति। बोधायनधर्मसूत्रे आरण्यकस्य :

- ब्राह्मणसंज्ञा कृता

विज्ञायते क"र्मादिष्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् समश्नुते इति हि ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्।

आरण्यकस्य रहस्यमपि संज्ञा कृता -

एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिता"सान्वाख्याता : ऐतिहासा : सोपनिषत्का : सब्राह्मण : सरहस्या : सकल्पा :<sup>154</sup>अस्य

ग्रन्थस्याध्ययनाधिकारी ब्रह्मचर्यव्रतधरः कश्चिद्भवति। एतदारण्यकं सर्वं नाब्रवी श्रोतुमर्हति।

अस्याध्ययनं ग्रामे उतवारण्ये भवति स्म। यो निश्चितनोतीत्यध्याहारः। स पुमानात्मानमतिशयोऽऽविर्भूतमुपास्ते। कथं

स्थावरजङ्गमजीवयोराविर्भा वातिशय इति चेदुच्यते। ओषधिवनस्पतिषु स्थावरजीवशरीरेषु रस आर्द्रत्वं तदेतज्जीवात्मनो

लिङ्गम्। न हि काष्ठपाषाणादिषु रसोऽस्ति। यदपि प्राणभृत्सु जङ्गमजीवशरीरेषु चित्तमन्तकरणं तदपि जीवात्मनो :  
सिद्धः लिङ्गम्। तच्च मृत्पाषाणादिषु न दृश्यते। अतो रस चित्तजीवलिंगयो दर्शनादोषवतिशयेनाऽऽविर्भावः।

- गवादिपशुषु उक्त वैपरीत्यं दर्शयति"

अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुः श्वस्तनं न लोका लोकौ त  
एतावन्तो भवन्ति यथाप्रशं हि संभवा"इति :<sup>53</sup>

अयमर्थः । तदेव वैलक्षण्यं:मनुष्यवैलक्षण्यद्योतनार्थोऽथ शब्दः प्रपच्यते अशनाशब्देनाशितुमिच्छोच्यते। अशनायेति पदे  
यकारस्य लुप्तत्वात्। येयं बुभुक्षया च पिपासा ते एवोमे अभिलक्ष्य पशूनां विज्ञानमस्ति न तु मनुष्यवत्  
पूर्वविज्ञानकथनादिकम्। ते गवादिपशवएतावन्त एतावन्मात्रविज्ञाना स्तात्कालिक क्षुधादिज्ञान मात्रोपेता भवन्तः। तत्र  
हेतुरुच्यते यथा प्रशं पूर्वस्मिज्ञानकर्मानुष्ठानाधिकारयुक्ते जन्मनि यादृशी प्रज्ञा शास्त्रीया लौकिकी वाऽभ्यस्ता।  
कर्मणोऽप्येतदुपलक्षणम्। कर्मापि विहितं प्रतिषिद्धं वा यादृशमनुष्ठितं तादृशीं प्रज्ञां तादृशं कर्मचानतिक्रम्य यस्मात् संभवा :  
प्राणिनां जन्मानि भवन्ति। तस्मात् ज्ञानकर्मानुसारेण पशूनां बुद्धिमानं युक्तम्। एतदेवाभिप्रेत्य परलोकगामिनं जीवं प्रति  
वाजसनेयिन आमनन्ति -'तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च इति पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापपापेन इति च। :  
तदेवं मनुष्यदेहस्योत्तमोपाधित्वात् ुतमोपाधयस्तथापि मनुष्यस्यैव प्रायेण शास्त्राधिकारित्वात् -

पुरुष एवोक्तमयमेव महान् प्रजापतिः।

आरण्यके गूढं रहस्यमेव चर्चितम्। अनेन प्रकारेण आरण्यकं गवां भौतिकं कलेवरं नैव मीमांसितम्। क्वचित् संक्षेपेण  
अध्यात्मरीत्या प्रतिपादनं दृश्यते। अस्माकं शोधप्रबन्धे तादृशस्य चिन्तनस्य प्रायेण प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् यत् किञ्चित्  
प्राप्तं विज्ञानं तत्र तत् सर्वं यथाज्ञानमुपन्यस्तम्।

आरण्यकन दृश्यते। आरण्यकानां संख्याऽपि न्यूना एव। रहस्यात्मको विषय उभयत्र ग्रन्थेषु :उपनिषदोर्मध्ये विषयगतो भेद-  
ग्रथितः। तस्मात् वृहदारण्यकम् एकं आरण्यकमपि भवति उपनिषच्च। स्वातन्त्र्येण क्वचित् भेद श्रूयते। :

उपनिषद् ग्रन्थेषु गोतत्त्व विमर्शः :

उपनिषद् शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थ - विचार्यते। शैवभाष्यभूमिकायां परिभाषा काचनकृता तामेवात्र उपस्थाप्यते :

उपनिष्यां सदेर्धातोक्विपि चोपनिषन् :मता।

अन्तर्भावितण्यन्तस्य सदेर्विशरणादिषु।।

केचिन्नर्थेषु मन्यन्ते इदं रूपं तु संभवात्।

अनया ब्रह्मसामीप्यमुपवेष्टुं हि साधकाः।।

अर्हा भवन्ति क्षिप्रं यत् ते नैवोपनिषन्मता।

यद्वा सामीप्यमायातां सर्वभावेन वै नृणाम्।।

शिथिलयति दुःखानां समूहं प्रथमं यतः।

अविद्याहेतुकान् क्लेशान् निषादयति तत्क्षणात्।।<sup>54</sup>

ततो गमयति ब्रह्म तेन सोपनिषन्मता।।१ उपनिषदि शब्दे उप नि उपसर्गो षद् लु विशरणगत्यवसादनेषु इत्यर्थेषु षद् धातुश्च। सत्युपसर्गे धात्वर्थाउपनिषद्यते प्राप्यते - प्रद्योतन्ते प्रकाशन्ते वा। शब्दस्तोममहानिधौ उपनिषद् शब्दस्य व्याख्याने प्रोक्तं :

ब्रह्मविद्या अनया

इति<sup>55</sup>

तथा च शांकरभाष्ये मुण्डकोपनिषदि सन्तस्तेषां :सरा :य इमां ब्रह्मविद्यां उपनयन्त्यात्मभावेन श्रद्धभक्तिपुर - गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूगं

निशात्यति परं ब्रह्म वा गमयति अविद्यादि संसारकारणश्चात्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषद्।

उपनिषत्सु गवां महत्त्वं रहस्यात्मकेन रूपेण परिबृंहितम्। यथा छान्दोग्योपनिषदि -

"पुरुषो निधनम् :प्रतिहार :प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा :पशुषु पञ्चविधं सामोपासीताजा हिंकारोऽवय"।<sup>56</sup>

अयमर्थसामगानमध्ये क्रियते अस्य वर्गीकरणम् अधस् :भवति। हिंकार :सामगानस्य गानभेदेन कश्चित् विशिष्ट क्रम :तनेन रेखाङ्कनेन भवति -

1. हिंकार अजा - :

2. प्रस्ताव :अवि - :

3. उद्गीथ :गाव - :

4. प्रतिहार :अश्वा - :

5. निधनम् :पुरुष -

हिंकारादयपञ्च सामवेदस्योच्चारण प्रक्रियायां वैशिष्ट्यं विदधति :

तत्रापि उद्गीथस्य सम्बन्ध गवा साकं वर्तते :

चतुर्थेऽध्याये जानश्रुतिपौत्रायणस्य एक - प्राप्यते। यस्मिन् पट्शतानि गवां विषये चर्चा प्रचलति :संवाद :

तदुह जानश्रुतिषट्शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं प्रतिचक्रमे तं हाभ्युवादा रैक्वेमानि षट् शतानि गवामयं :पौत्रायण :

निष्कोऽयमश्वतरीरथो नु म एतां भगवो देवातां श्वाधि यां देवतामुपास्य इति॥

तमु ह परसहस्रं गवां निष्कमश्वतरी :पौत्रायण :प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्त्विति तदुह पुनरेव जानश्रुति :

रथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे।

अस्मिन्नेवाध्याये सत्यकाम जाबालस्य कथा भवति। सत्यकाम जाबालगौतमस्याश्रमे गत :ऽवा विद्याप्राप्त्यर्थं

प्रार्थनाञ्चकार गौतम – सत्यकामस्य प्रार्थनाम गीकृत्य परिचयं पप्रच्छ :

तं होवाच किं गोत्रो नु सौम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातरं सा मा प्रत्यब्रवीद्वध्वहं चरन्ती

परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबालां तु नामास्मिसत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहं

सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति।

तं होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इतितमुपनीय कुशानामबलानां चतुशतां :

सोम्यानुसंभ्रजेति ता अभिप्रस्था :गता निराकृत्योवाचेमापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रं

संपेदुः॥<sup>57</sup>

अयं भावगौतमाय सर्वं सत्यभाषणं मात्रा यदुक्तं निवेद्य गौतमात् आदेशं प्राप्य कार्यं संपादितवान्। :स सत्यकामो जाबाल :

सत्यकामस्य विशुद्धं सत्यं श्रुत्वा ब्राह्मणकुलोत्पन्नोऽयं इति :गौतम विनिश्चित्य उपनयनं च कारयित्वा गाश्चारणाय

पालनाय तमुपदिदेश। गोसहस्रेषु कृशानां गवां चतुशत संख्याकानां पृथक् कृत्य तस्मै प्रियच्छात्राय शिष्याय :

कर्तव्यः। तथा :तावत् वनमध्ये वास :न भवेयु :आसीत् यावत् इमा सहस्रसंख्याका :सोपदेशपूर्वकं ददौ। तत्र उपदेश

सावधानेन गवां सेवा विधेया। इमागौतमस्य वाचं :कृशाश्च आसन्। परन्तु सत्यकाम :रोगग्रस्ता :गवा :सर्वा :

वर्षैः सहस्रं संपेदुः। अस्यामाख्यायिकायां :परिपालयन् बहुवर्षं यावत् वनमध्ये गोसेवां कुर्वन् जीवनं यापयामास। बहुभि  
वर्धते। :स्वयमेव जायते। मुखमण्डलस्य कान्ति :भवति। विद्या प्राप्ति :विकास :वैशिष्ट्यं इदं भवति यत् गो सेवायां विद्याया  
:आचारस्य च तेनैव व्याजेन परिपालनं भवति। भारतस्य प्राचीने गुरुकुले गोपालनं कर्म आवश्यकमासीत्। अन्तेवासिन  
दृढव्रतोभूत्वा वनमध्ये गोपालनं च :सर्वे नियमेन गोपालनं कुर्वन्ति स्म। सत्यकामो जाबालकार। कदा सहस्रं भविष्यति इति  
चिन्तां कदाचिदपि न कृतवान्। सद्य एव देवयोगात् एको महान् ऋषभ :गाव :सत्यकाम प्रोवाच सहस्र संख्याका :  
जाबालो यत्र सायं भवति :। आचार्यकुलं त्वया गोभिः साकं गन्तव्यम्। तत्रैव दिव्यं ज्ञानं तस्मै दत्तवान्। सत्यकामःसम्पन्ना  
- स्म तत्रैव

अग्निष्टे वक्तेति सह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि सायं बभुवुः तत्र अग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य "   
"प्राङ्मुखोपविवेश :समिधमाधाय पश्चादग्ने<sup>58</sup> .....

मार्गमध्ये कतिपयैः दिवसविधेया। आचा :दिव्यज्ञानं प्राप्तवान्। जीवने गासवा सर्वैः मनुष्य :दिविदेवै :र्य कुलं प्राप्य  
आचार्यमुखात् सत्यकामस्य प्रशंसा इत्थं वर्तते -

इति भगव इति ह प्रतिशुश्रावा ब्रह्मविदिव वै सौम्य भासि को नु :प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम"   
त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाँस्त्वेव मे कामं ब्रूयात्। श्रुतं ह्येव मे भगवद्दशेभ्य आचार्योद्येव विद्या  
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति तस्मै हैवदेवोवाचात्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति"<sup>59</sup> एवं प्रकारेण उपनिषत्सु गवां महत्वं  
प्रकटितम्।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. तत्रैव।
2. शुक्ल यजुर्वेद -17.93
3. शुक्ल यजुर्वेद -17.94
4. शतपथब्राह्मण :

5. शुक्ल यजुर्वेद -18.26
6. शतपथ ब्राह्मण -9.3.3.7
7. शुक्ल यजुर्वेद -18.27
8. शुक्ल यजुर्वेद -28 अध्याये
9. शुक्ल यजुर्वेद - :31.8
10. शुक्ल यजुर्वेद - :34.21
11. शुक्ल यजुर्वेद 34.22
12. शतपथ ब्राह्मण -7.1.1.5
13. भटभास्कर तैत्तिरीय संहितायाम् :
14. सायणाचार्य :
15. पू - सूत्रम् .मी.2.1.7 .22-23
16. महाभारतम् उद्योगपर्व -16
17. शतपथ ब्राह्मण -1.1.5.22
18. शतपथ ब्राह्मण 1.6.3.8.1. 36
19. शतपथ ब्राह्मण -1.6.3.8.1.36
20. शतपथ ब्राह्मण -2.2.2.2.4.12
21. शतपथ ब्राह्मण तत्रैव -
22. शतपथ ब्राह्मण -2.2.2.2.4.15
23. शतपथ ब्राह्मण -2.2.2.2.4 .16-17
24. शतपथब्राह्मण -2.2.2.2.4.18
25. कात्यायनधीत सूत्रम् -4.15.8-9-10
26. 'शतपथब्राह्मण -3.1.2.1.2 .13-17

27. शतपथब्राह्मण -3.2.4.3.1.12
28. कात्यायन श्रौतसूत्रम् -7.177.178
29. शतपथ ब्राह्मण -3.2.4.3.1.13
30. शतपथब्राह्मण 3 -.2.4.3. 14
31. शतपथब्राह्मण तत्रैव -
32. कात्यायन श्रौतसूत्र -7.166
33. शतपथब्राह्मण तत्रैव
34. शतपथ ब्राह्मण -3.2.6.3.4.2
35. शतपथ ब्राह्मण तत्रैव -
36. शतपथ ब्राह्मण-4.2.3.2.4.21
37. शतपथ ब्राह्मण -4.3.1.3.4.7
38. शतपथ ब्राह्मण तत्रैव -
39. शतपथ ब्राह्मण तत्रैव -
40. शतपथनाहाण -5.3.1.2
41. शतपथब्राह्मण तत्रैव -
42. शतपथ ब्राह्मण -5.2.5.10
43. शतपथब्राह्मण -5.3.1.3.4.18
44. शतपथब्राह्मण-5.4.6.5.5.35
45. शतपथब्राह्मण -5.4.7.5.5.17
46. शतपथ ब्राह्मण -7.4.2.5.2 15-17
47. शतपथ ब्राह्मण-7.4.2.5.2.19
48. शतपथब्राह्मण -7.4.3.5.2.34

49. शतपथ ब्राह्मण-9.1.2.1.2.13
50. तत्रैव
51. 1 शतपथब्राह्मण तत्रैव -
52. 1 शतपथब्राह्मण ' तत्रैव
53. 1 शतपथ ब्राह्मण -11.4.6.6.3.1-2
54. 1 शतपथ ब्राह्मण -12.2.4.4.2
55. 2 शतपथ ब्राह्मण -13.1.9.3
56. 1 शतपथ ब्राह्मण -14.1.5.2.1.7
57. 2 तै-संहिता .7.1.6
58. 1 शतपथ ब्राह्मण 14 -.1.5.2.1. 10
59. 1 शतपथब्राह्मण – तत्रैव

## राज्य के सप्तांगों में कोष की महत्ता



डॉ. आरती यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत – विभाग,

चौ. चरण सिंह पी. जी. कॉलेज हेंवरा सैफई, इटावा, उत्तर

प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 261-273

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांश-** राज्य प्रशासन में कोष की भूमिका अत्यन्त महनीय है। उसके बिना न तो सेना का सुचारू रूप से संचालन हो सकता है और न ही न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है इसलिए राजा को कोष वृद्धि का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पायेगी।

**मुख्यशब्द –** राज्य, सप्तांग, कोष, राज्य, प्रशासन, न्याय, व्यवस्था,

व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए अर्थ अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय मनीषियों द्वारा गहन चिन्तन, मनन के पश्चात् व्यक्ति और समाज के लिए सुस्थापित पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ की महत्ता किसी भी देश, काल अथवा परिस्थिति में अनिवार्य है। अर्थ के बिना लोकयात्रा कथमपि सम्पन्न नहीं हो सकती। आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा आदि अर्थ के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। धर्म और काम की सिद्धि भी बिना अर्थ के नहीं होती। परोपकार और यज्ञ के लिए भी अर्थ आवश्यक है जो लोग यह समझते हैं कि अर्थ अनर्थ का मूल है, यह तो केवल मात्र माया है, असत्य है- इसकी उपेक्षा करनी चाहिये या इसकी ओर से सर्वथा त्यागवृत्ति ही कल्याण का मार्ग है – यह पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता है। वेदों में स्थान- स्थान पर इस आशय के मन्त्र उपलब्ध होते हैं। जिनमें प्रार्थना की गई है कि हम गौ, अश्व, हिरण्यादि अपार सम्पत्ति के स्वामी बनें -

वयं स्याम, पतयो रयीणाम् -

ऋ.१०/१२/१०.

वेद मन्त्रों में परमात्मा से धन प्राप्ति की प्रार्थनाये अनेक मन्त्रों में की गई हैं-

उभा हि हस्ता वसुना प्रणुस्वा। - अर्थात् हे प्रभो। हमारे दोनों हाथों को धनों से अच्छी प्रकार भर दो-  
यजु५/१९.

वयं भगवन्त स्याम -हे प्रभो। हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होंगे। -यजु. ३४/३८.

वैदिक साहित्य के बाद रामायण, महाभारत आदि में भी अर्थ का गौरवगान किया गया है। मनुस्मृति में राजा के लिए अर्थ – संग्रह की बड़ी सुन्दर व्यवस्था प्रतिपादित हैं। राजा अर्थ अति लोभ से दूसरों के सुख के मूल को नष्ट न करे अर्थात् लोभ से कर न ले –

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।

उच्छिन्दन्त्यात्मनो मूलमात्मान तांश्च पीडयेत्॥

मनु.७/१३९

अर्थ की सुदृढता के लिए मनु ने चार उपाय बताये हैं –

१. अप्राप्त के प्राप्ति की इच्छा
२. नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा
३. रक्षित की वृद्धि
४. बढे हुए धन का व्यय

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ -

मनु.७/९९.

अर्थ की महत्ता पर मनु लिखते हैं कि सब पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता अति श्रेष्ठ है –

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परमं स्मृतम् ॥ -

मनु.३/१६.

महाभारत में धर्म के समान अर्थ की महत्ता व्यापक रूप से कही गई है। दरिद्र मनुष्य पास में खड़ा हो तो लोग उसको इस प्रकार देखते हैं मानों वह कोई पापी या कलंकित हो। अतः दरिद्रता इस जगत में एक पाप है। पतित और निर्धन में कोई अन्तर नहीं है। जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां बहती रहती हैं उसी प्रकार बढे हुए संचित धन से सब प्रकार के शुभ कर्मों के अनुष्ठान होता रहते हैं। धन से ही काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है। लोगों का जीवन निर्वाह भी धन के बिना नहीं हो सकता।<sup>1</sup>

महान नीति निष्णात विदुर जी ने अर्थ की महत्ता इस प्रकार प्रतिपादित की है – अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है, अर्थ के बिन धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेन्द्रिय पुरुषों के लिये दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। जिस प्रकार सभी प्राणी सदैव ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान् पुरुष की कामना करते रहते हैं<sup>2</sup>।

1 शान्तिपर्व ८/१४-१७

2 शान्तिपर्व १६७/१२-१५

अर्थ की महत्ता इस बात से भी सिद्ध हो जाती है कि चाणक्य सदृश महान आचार्य ने 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' जैसे विशाल ग्रन्थों का प्रणयन किया। काव्य का प्रयोजन निरूपित करते हुए आचार्य मम्मट यश के पश्चात दूसरा स्थान अर्थ को प्रदान करते हैं। -काव्यं यशसे अर्थकृते।

राज्य प्रशासन में कोष की भूमिका –

केवल जनसमूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है प्रत्युत राज्य के लिए जनसमूह का भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहना आवश्यक है, जनसमूह को स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था होगी (कोश) रक्षा के लिए बल होगा (सेना), सलाह के लिए मंत्री होंगे। इस प्रकार मनीषियों ने राजा के लिए सप्तांगों की कल्पना की है

शुक्रनीतिसार ने राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है- राजा ,मन्त्री, मित्र, कोश, देश, दुर्ग, किला, सेना ये राज्य के सात अंग कहे गये हैं –

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोश राष्ट्रदुर्ग बलानि च ।

सप्तांगमुच्यतेराज्यंत्रमूर्धानृपः स्मृतः ॥

दृगमात्यासुहृत्त्रोत्रंमुखंकोशाबलं मनः।

हस्तौपादौदुर्गराष्ट्रौराज्यांगानिस्मृतानिहि॥ - शुक्र-१/६१-६२.

मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में इन्हें राज्य की प्रकृतियां बताया गया है-

अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ तथा दण्ड नाम की प्रकृतियां हैं। यह पांचों प्रत्येक बारह की होती हैं। इस प्रकार कुल ७२ प्रकृतियां हैं-

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः।

प्रत्येकं कथिता होता संक्षेपेण द्विसप्ततिः॥ - मनु. ७/१५७

स्वाम्यमात्य जनपददुर्गकोश दण्डमित्राणि प्रकृतयः। - अर्थ. ६/९६/१

कोश-

राज्य के संचालन के लिए राजा के पास भरपूर कोश की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के व्यय राजा तभी कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त धन हो।

एकार्थसमुदायो यः स्यात्पृथक्पृथक्॥

-शुक्र.४/१६

अर्थात् जो एक प्रकार के धन का समुदाय हो उसे पृथक-पृथक कोश कहते हैं।

कोश का महत्व-

कोश के महत्व के विषय में कौटिल्य का कहना है कि जिस राजा का कोश रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों को चूसने लगता है। कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि राज्य के सारे व्यापार कोश पर निर्भर रहते हैं। अतः राजा को सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए-

कोशपूर्वाः सर्वास्मिन्ना। तस्मात् पूर्व कोशमवेक्षते।

-अर्थ. २४/८

बिना वित्त के न तो सैन्य व्यवस्था हो सकती है, न न्याय और चिकित्सा, शिक्षा, यातायात आदि सभी कार्यों के लिए अर्थ आवश्यक है। जिस राजा का कोश जितना समृद्ध होगा वह अपने राज्य को उतना ही सुदृढ़ और जनहितकारी बना सकेगा। राजकोश के क्षीण हो जाने पर सम्पूर्ण राजव्यवस्था चरमरा जायेगी।

वैदिक साहित्य में और स्मृति ग्रन्थों में ही नहीं अपितु रामायण महाभारत आदि में भी राजा के लिए कोश की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया है। राजा के लिए इन्द्र शब्द का प्रयोग यह बताता है कि वह इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्य वाला होना चाहिए। कोश से दुर्बल राजा को छोड़कर राजसेवक दूसरे राजाओं के पास चले जाते हैं। उसकी कोई नीति सफल नहीं होती। महान अर्थशास्त्री और राजनीति के आचार्य महामति चाणक्य ने भी अर्थ के महत्व को उद्घोषित किया है। वेद में नाना प्रकार के व्यापार, उद्योग, शिल्प, आदि का वर्णन प्राप्त होता है ये सब सुव्यवस्थित रूप से चले इस दृष्टि से धन की महती आवश्यकता है। व्यापार आदि की वृद्धि पर समाज के व्यक्तियों के पास अपनी आवश्यकता पूर्ति के पश्चात् जो द्रव्य बचता है उसका संग्रह होने लगता है और उस एकत्रित धन से अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए देने तथा व्यय करने की शक्ति प्राप्त होती है। राजा को विभिन्न माध्यमों से जो कर प्राप्त होता है वह भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों के पास संग्रहीत होने वाले धन से कोशों की स्थापना की जानी चाहिए।

व्यक्तिगत राशियों का सामूहिक रूप में रक्षण और उससे व्यापार संचालन आजकल की बैंकिंग प्रणाली का आधार है। इसका प्रारंभ भले ही आधुनिक काल में अर्थात् १९वीं या २०वीं सदी में हुआ होगा, किन्तु वेद के अध्ययन से इसका संकेत मिल जाता है। वेदमन्त्र में प्रार्थना की गई है –

**निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे।**

**-यजु, २३.१९**

अर्थात् निधियों के निधिपति के रूप में हम तुमको स्वीकार करते हैं। निधिपति शब्द स्पष्ट रूप से कोश का निर्देश दे रहा है। निधिपति- कोषाध्यक्ष बनने के लिए गणन कला में निपुण होना चाहिए। इसलिए वेद इसी मन्त्र में कहता है-

**गणानां त्वा गणपतिं हवामहे।**

**- यजु-२३.१९**

राजा और प्रजा के कोष भिन्न-भिन्न होते हुए भी सब पर नियन्त्रण राजा का होना चाहिए। ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

महाभारत में कोष को राज्य का मूल माना गया है। भीष्मपितामह युधिष्ठिर से कहते हैं राजा अपने तथा शत्रु के राज्य से धन लेकर अपने खजाने को भरता रहे, क्योंकि कोश से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़ें मजबूत होती हैं। इसलिए राजा कोष का संग्रह करे, संग्रह करके आदरपूर्वक उसकी रक्षा करे और रक्षा करके निरन्तर उसको बढ़ाता रहे यही राजा का सदा से चला आने वाला धर्म है-

**स्वाराष्ट्रात् परराष्ट्राच्च कोषं संजनयेन् नृपः ।**

**कोषाद्धि धर्मः कौन्तेय राज्यमूलं च वर्धते ॥**

**तस्मात् संजनयेत कोशं सत्कृत्य परिपालयेत्।**

**परिपाल्यानुतनुयादेष धर्म सनातनः।**

**- शान्तिपर्व. १३३/१२**

यहां पर कोश संग्रह के विषय में यह भी कहा गया है कि विशुद्ध आचार- विचार में रहने वाला कभी कोश का संग्रह नहीं कर सकता और जो बहुत ही क्रूर है, वह भी सफल नहीं हो सकता। अतः मध्यम मार्ग का आश्रय लेकर कोश संग्रह करना चाहिए। यदि राजा निर्बल हो तो भी उसके पास कोश नहीं रह सकता। जो कोशहीन है

उसके पास सेना नहीं ठहर सकती, जिसके पास सेना नहीं है, उसका राज्य कैसे टिक सकता है और जो राज्य से हीन हो गया उसके पास लक्ष्मी नहीं रह सकती -

न कोशः शुद्धशौचेन न नृशंसेन जातुचित् ।

मध्यं पदमास्थाय कोशसंग्रणं चरेत् ।

अबलस्य कुतः कोशो ह्यकोशस्य कुतोबलम् ।

अबलस्य कुतो राज्यभराज्ञः श्रीर्भवेत् कुतः ।

- शान्तिपर्व. १३३/३-४

राजा का यह भी कर्तव्य बताया गया है कि वह प्रतिदिन अपने गणक- लेखकों द्वारा प्रस्तुत आय व्यय के लेखे का निरीक्षण करे।

जिस राजा के पास धन का भण्डार नहीं है उसकी साधारण मनुष्य भी अवहेलना करते हैं। उससे थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और न ही उसका कार्य करने में उत्साह दिखाते हैं -

हीनकोशं हि राजानमवजानन्ति मानवा ।

न चास्याल्येन तुष्यन्ति कार्यमत्युत्सहन्ति च ॥

-शान्तिपर्व. १३३/६

गौतम का कहना है कि कोश राज्य के अन्य छः अंगों के आधार है। शांति पर्व ने भी कोश की महत्ता गाई है-

कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्नगारथाय राजाभिः।

कोशमूला हि राजान कोशमूलकारो भवः॥

-शान्तिपर्व. ११९/१६

कामन्दक ने तो यहां तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोश पर आधारित है। मनु ने कहा है कि राज्य का कोश एंव शासन राजा पर निर्भर रहता है अर्थात् राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए -

अमात्ये दण्ड आयन्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो॥

-मनु. ७/६५

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि कोश की उन्नति खान पर निर्भर है, कोश की समृद्धि से शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है। इस कोशगर्भा पृथिवी को कोश और सेना से ही प्राप्त किया जा सकता है -

आकरप्रभवः कोश कोषादण्डः प्रजायते।

पृथिवी कोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूषणा॥

-अर्थ. २८/१२.

शुक्रनीति में बल का मूल कोश बताया गया है -

तथाकोशस्तुसंधार्यः स्वप्रजा रक्षणक्षमः।

बलमूलोभवेत्कोशः कोशमूलंबलंस्मृतम्॥

-शुक्र. ४/२९.

इसी में यह भी कहा गया है कि कोश का संग्रह परलोक और इस लोक में सुखदाई होता है -

बलप्रजारक्षणार्थयज्ञार्थ कोश संग्रहः ।

पत्त्रेहचसुखदोनृपस्यान्यश्चदुःखदः॥

-शुक्र. ४/१८.

अर्थात् सेना, प्रजा की रक्षा, यज्ञ लिए कोश का संग्रह परलोक और इस लोक में सुखदाई होता है और अन्य कोश दुख का दाता कहा है। और जो कोश स्त्री और पुत्र के लिए ही किया हो वह केवल उपभोग के लिए होता है और परलोक में नरकार्थ है सुखदाई भी नहीं-

स्त्रीपुत्रार्थकृतोयश्चसोपभोगाय केवलः।

नरकायैवसज्ञेयोनपरत्र सुख प्रदः॥

- शुक्र. ४/१९.

इसी अध्याय में कहा गया है कि जिस राजा ने नीति और बल को त्यागकर अपनी प्रजा की पीड़ा से धन का संचय किया हो उस राजा का राज्य शत्रुओं के अधीन हो जाता है -

व्यक्त्वानीतिबलस्वीयप्रजापीडतोधनम् ।

संचितं येन तन्तस्यस्वराज्यंशत्रुसाद्भवेत्॥

- शुक्र. ४/२३.

शान्ति पर्व में कहा गया है कि -कोश खाली होते ही राजा शत्रुओं के अधीन हो जाता है -

असंशयं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्।

त्रिविष्टपे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति पार्थिवः।

कोशक्षये त्वमित्राणां वशं कौसल्य गच्छति॥

शान्ति. १०६/१८.

अर्थात् पुण्यशील राजा निश्चय ही परमगति को प्राप्त होता है, कोष खाली होते ही राजा शत्रुओं के अधीन हो जाता है। शान्तिपर्व में ही कहा है कि राजा का कोश नष्ट होने से ही उसके बल का नाश हुआ करता है

राज्ञः कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः।

कोश की तुलना यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रयुक्त सामग्रियों से की गई है-

यज्ञार्थमन्यदभवति यज्ञे नार्थस्तथापरः।

यज्ञास्यार्थार्थमेवान्यन्तत्सर्वं यज्ञसाधनम्॥

अर्थात् जैसे यज्ञ की सिद्धि के लिए अन्य सामग्रियां होती हैं, उत्तम यज्ञ चित्त संस्कार का कारण हुआ करता है और यज्ञ सम्बन्धी अन्य बातें भी किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए होती हैं तथा यह सब यज्ञ का साधन ही है, वैसे ही कोश का कारण दण्ड, बल का कारण कोश और शत्रु पराभव का कारण कोश, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पुष्टि के निमित्त हुआ करते हैं।

इसी पर्व में कहा गया है कि धन से मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों पर ही विजय प्राप्त कर लेता है, निर्धन को इसमें सफलता नहीं मिलती। वह नहीं के बराबर होता है। पण्डित लोग धनहीन पुरुष को ही दुर्बल कहते हैं, धन से ही मनुष्य बलवान् होता है, धनवान् मनुष्य को सब कुछ सुलभ है। कोश तथा कोशवाला मनुष्य सब विपदाओं से पार हो जाता है, कोष के जरिए धर्म, अर्थ, काम तथा इस लोक और परलोक में सुख लाभ होता है-

धनेन जयते लोकावुभौ परमिमं तथा।

सत्यं च धर्मवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा॥

अनधं दुर्बलं प्राहुर्धनेन बलतान्भवेत्।

सर्वं धनवत प्राप्यं सर्वं तरति कोशवान्।

कोशाद्धर्षं कामश्य परो लोकस्तथाप्ययम्॥

- शान्ति. १२८/४३, ४९

कोष गृह निर्माण की विधि-

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कोष निर्माण की विधि इस प्रकार बताई है। इसका निर्माण सन्निधाता को करना चाहिए -

सन्निधाता कोशगृहं यष्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृहगायुधागारं बन्धनागारं च कारयेत्।

-अर्थ. २१/५.

कैसे निर्माण करना चाहिए इसका उल्लेख इस प्रकार करते हैं – शिलारहित स्थान में बावड़ी के समान एक चौरस गड्ढा खुदवाकर चारों ओर से उसकी दीवारों और उसके फर्श को मोटी मजबूत शिलाओं से चुनवाना चाहिए। उसके बीच में मजबूत लकड़ियों से बने हुए पिंजरे के समान अनेक कोठरियां हों, उसमें तीन मंजिल हो, तीनों मंजिलों में बढियां दरवाजे तथा सुन्दर फर्श हो, ऊपर नीचे चढने उतरने के लिए उसमें सोपान लगा हो। उसके दरवाजों पर देवताओं की मूर्तियां अंकित हो, इस प्रकार का एक भूमि गृह बनवाना चाहिए उस भूमिगृह के ऊपर एक कोशगृह बनवाना चाहिए, उस पर बाहर भीतर से बन्द की जाने वाली अर्गलाएं हों, एक बरामदा हो, पक्की ईंटों से उसको बनया गया हो, एवं वह चारों ओर अनेक पदार्थों से भरे हुए मकानों से घिरा हो। जनपद के मध्य भाग में प्राणदण्ड पाये पुरुषों के द्वारा आपत्ति में काम आने वाला एक ध्रुव निधि (गुप्त खजाना) बनवाना चाहिए –

चतुरश्रां वापीमनुदकोपस्त्रेहां खानयित्वा पृथुशिलाभिरुभयतः पार्श्वं मूलं च प्रचित्य सारदारुपूचं भूमिसमत्रितलमनेकविधानं कुट्टिममदेशस्थानतलमेकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्। तस्योपर्युभयतोनिषधं सप्रग्रीवभैष्टकं भाण्ड्वाहिनीपरिक्षप्तं कोशगृहं कारयेत्, प्रसादं वा। जनपदान्ते ध्रुवनिधिमापर्थमभित्यक्तैः पुरुषैः कारयेत्।

कोष के गुण-

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कोश का गुण इस प्रकार दिया है – राजकोश ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा अपनी धर्म की कमाई संचित हो, इस प्रकार धान्य, सुवर्ण, चांदी, नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा हिरण्य से भरा- पूरा हो, जो धुर्भिक्ष एवं आपत्ति के समय सारी प्रजा की रक्षा कर सके। इन गुणों से युक्त खजाना कोष संपन्न कहलाता है –

धर्माधिगतः पूर्वेः स्वयं वा हेमरूप्य प्रायाश्चितस्थूलरत्नाहिष्यो दीर्घामत्यापदमनायतिं सहेतेति कोशसम्पत्।

-अर्थ. १६/१.

राजनीतिरत्नाकर में भी कहा गया है कि कोश के ज्ञाता लोग ऐसे को पसंद करते हैं जिसमें दिया जाय बहुत, पर निकाला जाय बहुत कम। वह प्रसिद्ध हो वहां देवताओं की पूजा की गई हो, अभिलिखित द्रव्यों से भरा हुआ हो, सुन्दर हो, विश्वस्त जनों की देखरेख में हो, मोती, सोना और रत्नों से परिपूर्ण हो, पिता पितामह के अनुरूप हो, धर्म से उपार्जित किया गया हो और व्यय का भार सहन करने वाला हो -

बह्यदानोअल्पनिःस्रावः रूयातः पूजितदैवतः।

ईप्सितद्रव्यसम्पूर्णो हृद् स्वतैरधिष्ठितः।

मुक्ताकनकरत्नाढ्यः पितृपैतामहोचितः।

धर्माजितो व्ययसहः कोषः कोषज्ञसम्मतः।

-राजनीतिरत्नाकर- अष्टमतरंडः

राजनीतिरत्नाकर में ही कहा गया है कि कोष के जानकार विश्वस्त जनों द्वारा रक्षित कोष को सदा बढ़ाना चाहिए और समय पर धर्म, अर्थ तथा काम की वृद्धि के लिए उसका व्यय भी करना चाहिए –

संवर्धयेत् सदा कोषमासैः स्तज्जैरधिष्ठितम्।

काले चास्य व्ययं कुर्यात् त्रिवर्गपरिवृद्धे॥

- राजनीतिरत्नाकर-अष्टमतरंडः

कोश वृद्धि के साधन –

कोश भरने का प्रमुख साधन कर है अतः धर्मशास्त्रों द्वारा उपस्थापित करग्रहण के सिद्धांतों की व्याख्या कर लेना उचित है -

(१) प्रथम सिद्धांत यह था कि स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के अतिरिक्त राजा अन्य कर नहीं लगा सकता था, अर्थात् राजा अपनी ओर से मनमानी नहीं कर सकता था। कर की मात्रा वस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर थी क्योंकि आक्रमण, दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां भी आ सकती थीं। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है -

**राज्ञो बलिदानं कर्षकैर्दशममष्टमं षष्ठं वा ॥**

**-गौ.ध.सू. २/१/२४.**

अर्थात् कृषक खेत में जो उत्पन्न होता है उसका दसवां, आठवां अथवा छठां भाग कर के रूप में दे। यह व्यवस्था भूमि के अति भोग, मध्यम भोग और अल्पभोग के विषय में है। अति भोग भूमि का दसवां अंश, मध्यम भोग का आठवां अंश और अल्प भोग का छठां अंश कर के रूप में देना चाहिए। इसी प्रकार मनु ने भी कहा है -

**पञ्चाशदभाग आदेयो राजा पशुहिरण्ययोः।**

**धान्यानामष्टमो भागःषष्ठो द्वादश एववा।।**

**-मनु. ७/१३०.**

अर्थात् राजा के द्वारा पशु तथा सोने का पचासवां भाग तथा धान्य का आठवां, छठां या बारहवां भाग ही कर के रूप में लिया जाना चाहिए।

यह कर तो कृषि उपज के विषय में है धर्मशास्त्रों में कर के विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है कि राजा किससे कितना द्रव्य कर के रूप में ले जैसे गौतम धर्मसूत्र में ही प्रत्येक व्यापार आदि के लिए अलग-अलग करों की व्यवस्था की गई है -

**पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाशदभागः।**

**-गौ.धर्म.सू. २/१/२५**

अर्थात् कुछ आचार्यों का मत है कि पशुपालन से जीविका चलाने वाले और धन देकर ब्याज कमाने वाले प्रतिवर्ष क्रमशः पशुओं तथा मूलधन का पचासवां भाग राजा को कर के रूप में प्रदान करें।

अर्थशास्त्र में भी करों का विस्तार से वर्णन किया गया है। धान्यों का चौथा हिस्सा और वन में होने वाले अन्न का तथा रूई, लाख, जूट, छाल, कपास, ऊन, रेशम, औषधि, गन्ध, पुष्प, फल, शाक, बांस, सूखा मांस आदि का छठां हिस्सा राजा के द्वारा कर के रूप में लिया जाय। हाथी दांत और गाय आदि के चमड़े का आधा हिस्सा राजा कर में लिया जाए। जो व्यक्ति इन वस्तुओं को छिपाकर बेचे उन्हें प्रथम साहस का दण्ड दिया जाय

**चतुर्थमंशं धान्यानां षष्ठं वन्यानां तूललाक्षाक्षौम वल्ककार्पास रौमकौशेयकौषगन्धपुष्पफलशाकपण्यानां**

**काष्ठवेणुमांसवल्लूराणां च गृहीयुः।दन्ताजिनस्यार्धम्। अनिसृष्टं विक्रीणानस्य पूर्वःसाहसदण्डः।**

**-अर्थ. ९०/२**

यह भी कहा गया है कि कर प्रजा की अनुमति से वसूल किया जाय-

**जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वादेवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत्। यथासारं मध्यमवरं वा।**

**- अर्थ. ९०/२**

अर्थात् बड़े या छोटे ऐसे जनपदों से अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा राजकर प्रजा की अनुमति से वसूल किया जाए, जहां का जीवन वृष्टि पर निर्भर हो और जहां काफी अनाज पैदा होता हो। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के या छोटे जनपदों से भी अन्न संग्रह किया जाय।

सोना, चांदी, इत्यादि वस्तुओं पर कर इस प्रकार अर्थशास्त्र में वर्णित है -

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़े और हांथी आदि व्यापारिक वस्तुओं पर उनकी लागत का पचासवां हिस्सा कर लिया जाये। इसी प्रकार सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, गन्ध, जड़ी-बूटी और शराब पर चालीसवां हिस्सा, गेहूं धान आदि अन्न, तेल, घी, लोहा और बैलगाड़ियों पर तीसवां हिस्सा, कांच के व्यापारी तथा बड़े-बड़े कारीगरों पर बीसवां हिस्सा छोटे-छोटे कारीगरों तथा कुलटा स्त्रियों को घर में रखने वालों से दसवां हिस्सा और लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, पकवान तथा हरे शाक आदि का पांचवां हिस्सा सरकारी टैक्स लिया जाए -

**सुवर्णरजत वजुमणि मुक्ता प्रवालाश्वहसि पञ्चाशत्काराः। सूत्रवस्त्रताम्र.....काष्ठवेणुपाषाणमृदभाण्डपक्वान्न  
हरितपत्याः पञ्चकराः। - अर्थ. १०/२**

अर्थशास्त्र में ही कहा गया है कि राजा किसानों को सहायता भी दे -

**धान्य पशुहिरण्यादिनिविशमानायदद्यात्। चतुर्थमंशं धान्यानां बीजभवतशुद्धं च हिरण्येन क्रीणीयात्।**

अर्थात् नये बसने वाले किसानों को अन्न, बैल, पशु और धन सरकार की ओर से सहायतार्थ दिया जाए। इस तरह के किसानों से राजा उनकी उपज का चौथा हिस्सा खरीद ले और फिर बीज तथा उनके गुजारे लायक छोड़कर बाकी भी खरीद ले।

श्रोत्रिय से कर लेने का विधान नहीं है- अकरांश्व" -गौ.धर्म.सू.२/१/११  
उपकुर्वाणांश्च। -" २/१/१२

**अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरेत्। तदप्यनुग्रहणे क्रीणीयात्। -अर्थ.१०/१२**

अर्थात् जंगल में पैदा हुए तथा श्रोत्रिय द्वारा पैदा किये अन्न में राजा हिस्सा न ले। बीज और खाने योग्य अन्न को छोड़कर उसमें से भी राजा खरीद सकता है। यदि श्रोत्रिय खेती न करे तो समाहर्ता आदि अधिकारियों को चाहिए कि उस जमीन को वे गरमी की जुताई - बुवाई के लिए दूसरे किसानों को दे दें। यदि किसान की लापरवाही से बीज नष्ट हो जाए तो समाहर्ता उस पर दुगुना जुर्माना करे और दूसरी फसल पर उस सारी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कर दे। फसल की तैयारी होने पर किसानों को कच्चा पक्का अन्न लाने के लिए रोक दिया जाय। किन्तु वे देवपूजा या गाय के लिए मुट्टी भर अनाज या मुट्टी भर पुआल ला सकते हैं। किसानों को चाहिए कि वे भिखारी तथा गांव के नाई, धोबी, कुम्हार आदि के लिए खलिहान में अन्न राशि के नीचे का हिस्सा छोड़ दे।

इसी प्रकार सरकार को पैदावार की कमी दिखाने के लिए किसान अपने ही खेत में चोरी करे तो उससे चोरी किए हुए अन्न का आठगुना दण्ड वसूल किया जाय। यदि कोई व्यक्ति अपने ही गांव में खड़ी फसल की चोरी करे तो चोरी के माल का पचास गुना दण्ड दिया जाय। यदि वह दूसरे गांव का हो तो प्राण दण्ड की सजा दी जाय।

पशुओं के विषय में इस प्रकार कहा गया है -

**कुक्कुट सूकरमर्धं दद्यात्। क्षुद्रपशवः षड्भागम् गोमहिषाश्च तरखरोष्ट्राश्च दशभागम्। बन्धकीपोषका राजप्रेष्याभिः परमरूप यौवनाभिः कोशं संहरेयुः।**

अर्थात् मुर्गे और सुअर पालने वाले उनकी आय का आधा हिस्सा कर दें। इसी प्रकार भेंड़ बकरी पालने वाले छठां हिस्सा, गाय, भैंसे, खच्चर, गधा तथा उंट पालने वाले दशवां हिस्सा राजकर दें। वेश्याओं के जमींदारों को चाहिए कि वे राज अनुमत रूपवती वेश्याओं द्वारा राजकोष के लिए धन जमा करें।

पशुहिरण्योरप्येके पञ्चाशद्भागः। - गौ. धर्म सू. २/१/९५.

शांतिपर्व और शुक्रनीतिसार में छूट दे दी है कि आपत्तियों के समय राजा को भारी कर लगाने के लिए प्रजा से स्नेह पूर्ण याचना करनी चाहिए। कहा गया है कि अधिक कर लगाने के पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रजाजनों के समक्ष भाषण करे यथा-शत्रु आक्रमण करता है तो तुम्हारा सब कुछ यहां तक कि तुम्हारी पत्नियों तक को उठा ले जायेगा -

प्रागेव तु करादानमनुभाष्य पुनः पुनः।  
 संनिपेत्य स्वविषये भयंराष्ट्रेप्रदर्शयित्वा॥ २४  
 इयमापत्समुत्पन्ना परचक्रभयं महत्।  
 अपि नान्ताय कल्पेत वेणोरिव्फलागमः॥२५  
 अरण्यो में समुत्भाय बहुभिर्दस्युभिः सह।  
 इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्॥ २६  
 अस्यामापदि धोरायां संप्राप्ते दारूणे भये।  
 परित्राणाय भवतां प्रार्थयिष्ये धनानि वः॥२७  
 कलवमादित कृत्वा नश्येत्स्वं स्वयमेव हि।  
 अपि चेत्पुत्रदारार्थमर्थसंचय इष्यते॥-शान्तिपर्व अध्याय ८८

कोश वृद्धि का द्वितीय साधन-

कोश वृद्धि का द्वितीय सिद्धांत बड़े कवित्वपूर्ण एवं आलंकारिक ढंग से कहा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि कर दाता को हलका लगे जिसे वह बिना किसी कठिनाई के दे सके। उद्योग पर्व (३४/१७-१८) में कहा गया है "जिस प्रकार मधुमक्खी मधु तो निकाल लेती है किन्तु फूलों को बिना पीड़ा दिये छोड़ देती है, उसी प्रकार राजा को मनुष्यों से बिना कष्ट दिये धन लेना चाहिए। मधुमक्खी मधु के लिए प्रत्येक फूल के पास जा सकती है किन्तु उसे फूल की जड़ नहीं काट लेनी चाहिए माली के समान उसे व्यवहार करना चाहिए न कि अंगारकारक के समान -

यथा मधु समादन्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः।  
 तद्वदर्थान्मनुष्येभ्ये आदद्यादविहिसया॥  
 पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्।  
 मालाकार इवारामे ने यथाङ्गार कारकः॥ -उद्योगपर्व ३४/१७-१८  
 मनु ने भी कहा है- यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यांवार्योकोत्सषट्पदाः।  
 तथाल्पाल्पो ग्रहीतत्यो राष्ट्रद्राज्ञाब्दिकःकरः॥ -मनु-७/१२

अर्थात् जिस प्रकार जोंक, बछड़ा तथा भंवरा थोड़े-थोड़े भोजन को खाते हैं उसी प्रकार राजा के द्वारा राष्ट्र से थोड़ा- थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए।

शांतिपर्व में भी कहा गया है-

वत्सौपम्येन दोग्धतव्यं राष्ट्रमक्षीणबुद्धिना।  
 भृतो वत्सो जातबलःपीडांसहति भारत॥ १८॥

न कर्म कुरुते वत्सो भृशं दुग्धो युधिष्ठिर।

राष्ट्रमत्यार्तदुग्धं हि न कर्म कुरुते महत्॥ १९॥ —शान्तिपर्व अध्याय ८८

अर्थात् जैसे लोग बछड़े को भूखा न करके गाय को दुहते हैं, वैसे ही बुद्धिमान राजा राज्य को दुहे, क्योंकि गाय का बछड़ा दूध पीकर बलवान होने पर अधिक कष्ट सह सकता है। हे युधिष्ठिर। जैसे गाय का दूध अधिक दुहने पर उसका बछड़ा कर्म करने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही अत्यन्त दोहन करने से राष्ट्र भी दरिद्र होने से महान कर्म नहीं कर सकता।

कोशवृद्धि का तृतीय सिद्धान्त-

तीसरे सिद्धान्त के अनुसार कर वृद्धि क्रमशः और वह भी एक समय कम ही होनी चाहिए। जैसा कि अर्थशास्त्र में कहा गया है -

सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमयदिश्य पौरजानपदान् भक्षेत्। योगपुरुषाश्चात्र पूर्वमतिमात्रं दधुः। एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिक्षेत्। कायटिकाश्चैनानल्पं प्रयच्छत कुत्सयेयुः। सारतो वा हिरण्यमाढ्यान् याचेत्।

इसी प्रकार शांतिपर्व में भी कहा गया है-

उत्पत्तिं दानवृत्तिं च शिल्पं संप्रेक्ष्य चासकृत्।

शिल्पप्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रति कारयेत्॥

उच्चावचकरा न्याय्याः पूर्वराज्ञांयुधिष्ठिर।

यथा यथा न हीयस्तथा कुर्यान्महीपतिः॥ - शान्तिपर्व ८८/१२-१३

शुक्रनीतिसार में कहा है- तद्वृद्धिनीतिनैपुष्यात्क्षमाशीलनृपस्यच।

जायतेतोयतेतैवया वद्वुद्धि बलोदयम्॥ - शुक्रनीति ४/३२

अर्थात् क्षमाशील राजा की नीतिनिपुणता से उनकी वृद्धि होती है इससे जितनी वृद्धि और बल का उदय हो उतने कोश वृद्धि का यत्न करे।

राजतरंगिणी का कहना है कि “कश्मीर का राजा कलश (१०६३-१०८९) वणिक की भांति आय व्यय की व्यौरा रखता था और बड़ी सावधानी बरतता था उसके पार्श्व में सदा एक लिपिक रहता था, जिसके हाथ में लिखने के लिए खड़िया एवं भूर्ज रहा करते थे।” राजतरंगिणी ७/५०७.५०८

कामन्दक ने विभागाध्यक्षों के कार्यों द्वारा कोश के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया है- यथा - कृषि, जल -स्थल के मार्ग, राजधानी, जलों के बांध, हाथियों का पकड़ना, खानों में काम करना, धनिकों से धन उगाहना, निर्जन स्थानों में नगरों एवं ग्रामों को बसाना।

मानसोल्लास में कहा गया है कि राजा को वार्षिक कर का तीन चौथाई भाग साधारणतः व्यय कर देना चाहिए और एक चौथाई बचाकर रखना चाहिए।

राजा को कर देने के विषय में बहुत से कारण बताये गए हैं जैसे- राजा रक्षा करता है अतः उसके लिए कर लेना चाहिए -तदक्षणधर्मित्वात् -गौ.ध.सू. २/१/२८

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कोश वृद्धि के उपाय इस प्रकार बताये हैं-

“राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, राजकीय अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, सभी प्रकार के अन्नोत्पादन को प्रोत्साहित करना, जल स्थल में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक व्यापार योग्य वस्तुओं

को बढ़ाना, अग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना, ठीक समय पर यथोचित कर वसूल करना और हिरण्य आदि की भेंट लेना, ये सब कोष वृद्धि के उपाय हैं।”

अर्थशास्त्रम् २/२४/८

कोष क्षय के कारण –

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कोषक्षय के आठ कारण बताये हैं-

१.प्रतिबन्ध- राज कर को वसूल करना, वसूल करके उसे अपने अधिकार में न रखना और अधिकार में करके भी उसे खजाने में जमा न करना, यह तीन प्रकार का प्रतिबन्ध है। जो अध्यक्ष इन माध्यमों से कोष का क्षय करे उस पर क्षत राशि से दस गुना जुर्माना करना चाहिए –

सिद्धिनामसाधनमनवतारणमप्रवेशनं वा प्रतिबन्धः। तव दश बन्धो दण्डः। -अर्थशास्त्र २/२४/८

२.प्रयोग- कोष धन का स्वयं ही लेन देन करके वृद्धि का यत्न करना प्रयोग कहलाता है। ऐसे अधिकारी पर दुगुना जुर्माना करना चाहिए –

कोषद्रव्याणां वृद्धिप्रयोगः प्रयोगः।

३.व्यहार- कोष के द्रव्य से स्वयं ही व्यपार करना व्यवहार कहलाता है। ऐसा करने पर भी दुगुना दण्ड देना चाहिए।

पण्यव्यवहारो व्यवहारः। तत्रफलद्विगुणोदण्डः।

४.अवस्तार- राजकर वसूल करने वाला अधिकारी नियत समय से वसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा, समय बीत जाने का भय देकर प्रजा को तंग करके जो धन एकत्र करता है उसे अवस्तार कहते हैं। ऐसा करने पर उसे नुकसान की राशि से पांच गुना दण्ड देना चाहिए –

क्लृप्तमायं परिहाययति व्ययं वा विवर्धयति परिहायणम्। तत्रहीन चतुर्गुणो दण्डः।

५.परिहायण- जो अध्यक्ष अपने कुप्रबन्ध के कारण ही आय को कम कर देता और व्यय की राशि बढ़ा देता है, उस क्षय को परिहायण कहते हैं। ऐसा करने पर अध्यक्ष को क्षय से चौगुना दण्ड दिया जाय-

६.उपभोग- राजकोष के द्रव्य को स्वयं भोग करना तथा दूसरों को भोग कराना 'उपभोग' क्षय है। इसके अपराध में अध्यक्ष को, यदि वह रत्नों का उपभोग करता है तो प्राण दण्ड, सारद्रव्यों का उपभोग करता है तो मध्यम साहस दण्ड, और फल्गु एवं कुप्य आदि पदार्थों का उपभोग करता है तो, उससे द्रव्य वापस लेकर उसकी लागत का दण्ड दिया जाना चाहिए-

स्वयमन्यैर्वा राज्यद्रव्याणामुपभोजनमुपभोगः। तत्र रत्नोपभोगे धातः सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः,

फल्गुकुप्योपभोगेतच्चतावच्च दण्डः।

७.परिवर्तन- राजकोष के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल लेना परिवर्तन कहलाता है। इस कार्य को करने वाले अध्यक्ष के लिए भी उपयोग - क्षय के समान ही दण्ड दिया जाय।

राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवर्तनं, तद् उपभोगेन व्याख्यातम्।

८.अपहार- प्राप्त आय को रजिस्टर में न चढाना, नियमित व्यय को रजिस्टर में चढाकर भी खर्च न करना और प्राप्त नीवी के सम्बन्ध में मुकर जाना, यह तीन प्रकार का अपहार है। अपहार के द्वारा कोषक्षय करने वाले अध्यक्ष को हानि से बारह गुना दण्डित करना चाहिए-

सिद्धमायं न प्रवेशयति निबद्धं व्ययं न प्रयच्छति, प्राप्तां नीवीं विप्रतिजानीत इत्यपहारः। तव  
द्वादशगुणोदण्डः। -अर्थशास्त्र २/२४/८

निष्कर्ष-इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन में कोश की भूमिका अत्यन्त महनीय है। उसके बिना न तो सेना का सुचारु रूप से संचालन हो सकता है और न ही न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकती है इसलिए राजा को कोश वृद्धि का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा राज्य व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी।

सन्दर्भ- ग्रन्थ सूची-:

१. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, कौटिल्य, (व्याख्याकार)- वाचस्पति गैरोला, चतुर्थ संस्करण २००३
२. मनुस्मृति, (सं-) श्रीमती उर्मिला रूस्तगी १-१२ अध्याय, जे. पी. पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, संस्करण २००७
३. महाभारत, शान्तिपर्व, (प्र.सं.) डा. पं श्रीपाददामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल पारडी (जि. बलसाड) प्रथम संस्करण १९७९
४. राजनीतिरत्नाकरः, श्री चण्डेश्वर( व्याख्याकार) श्री वाचस्पति गैरोला एवं पं तारिणीस झा, चौ.संस्कृत, सीरीज आफिस, वाराणसी -१ प्रथम संस्करण १९७०
५. शुक्रनीति श्रीमच्छुकाचार्य,( नि.) खेमराज श्री कृष्णदास,
६. वैदिक व्यवस्था, डा. महावीर, समानान्तर प्रकाशन, प्रथम संस्करण २००१.

## शिवराजविजय में प्रतिपादित भौगोलिक परिदृश्य



डॉ० सुजीत कुमार  
असि० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,  
कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 274-278

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020

Published : 20 Sep 2020

**सारांशः—** व्यास ने भौगोलिक वर्णन के प्रसंग में विभिन्न राज्यों, नगरों, ग्रामों के साथ-साथ पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों, समुद्रों, नदियों आदि का वर्णन किया है, जो सभी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं।

**मुख्यशब्द** — भौगोलिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रियता, शिवराजविजय, महाराष्ट्र, व्यास, संस्कृत।

भारतीय राष्ट्रियता का प्रधान तत्त्व सांस्कृतिक एकता है। सांस्कृतिक एकता के बल पर भारत की राष्ट्रियता का स्वरूप प्रबल और ओजपूर्ण बना हुआ है। विविधता में एकता का आदर्श भारतीय सांस्कृतिक चेतना का सार है। सांस्कृतिक चेतना के अन्तर्गत भौगोलिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें राज्य, नगर एवं ग्राम, दुर्ग, पर्वत और समुद्र तथा नदियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

भूगोल शब्द से ठक् प्रत्यय लगकर भौगोलिक बना है, जिसका तात्पर्य पृथ्वी के प्राकृतिक तत्त्वों से है, जिसमें पहाड़, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वनादि समाहित हैं। पं. अम्बिकादत्त व्यास कृत शिवराजविजय में इन्हीं प्राकृतिक तत्त्वों का विस्तृत स्वरूप प्राप्त होता है, जिसके आधार पर इस उपन्यास की भौगोलिक समीक्षा इस प्रकार है—

**राज्य—**शिवराजविजय की कथा महाराष्ट्र से सम्बन्धित है। व्यास ने शिवाजी को न केवल महाराष्ट्र की अपितु भारतवर्ष की आशा प्रकट करते हुए<sup>1</sup> अनेक राज्यों का उल्लेख किया है। शिवाजी के समय केवल दक्षिण देश को छोड़कर<sup>2</sup> सभी स्थानों पर मुसलमानों का अधिकार था। दिल्ली में औरंगजेब का शासन था,<sup>3</sup> उसी की विजय पताकाएँ— बङ्ग, कलिङ्ग, मगध, अङ्ग, मत्स्य, मिथिला, काशी, कोसल, कान्यकुब्ज, चोल, पाञ्चाल, काञ्ची, शूरसेन, सिन्धु और सौराष्ट्र में फहर रही थीं।<sup>4</sup> शिवाजी के समय समस्त राजपूताने पर मुगलों का अधिकार था, न चाहते हुए भी राजपूत उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे।<sup>5</sup> दक्षिण में बीजापुर

और गोलकुण्डा दो स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य थे,<sup>6</sup> जिस पर शिवाजी निपुणता पूर्वक अधिकार कर लेते हैं। आमेर और मरुदेश के राजा औरंगजेब के सेनापति के रूप में कार्यरत थे। महाराष्ट्र राज्य के कोंकण, खानदेश और कल्याण तीन प्रमुख भाग थे, जिस पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है।<sup>7</sup>

इस उपन्यास में व्यास ने भारत के बाहर के देशों का यथातथ्य उल्लेख किया है। गजिनी<sup>8</sup> स्थान निवासी महमूद नामक यवन और गोरदेश<sup>9</sup> से आकर शहाबुद्दीन ने भारत पर आक्रमण किया। कम्बोज देश के लुटेरे गौरसिंह, श्यामसिंह सहित राजपूताने के अन्य लोगों का अपहरण करते थे।<sup>10</sup> शिवाजी के पराक्रम की गाथा हीरात, कम्बोज, गान्धार और समरकन्द तक फैली थी। उनके भेरीनाद पारसीक, चीन, वर्मा, सिंहल तक गूँजते थे।<sup>11</sup>

**नगर एवं ग्राम**— शिवराजविजय में अनेक नगरों एवं ग्रामों का वर्णन मिलता है। यमुना के किनारे बसी हुई विचित्र वैभवशाली दिल्ली भारत की राजधानी थी।<sup>12</sup> काशी के विश्वनाथ तथा बिन्दुमाधव मन्दिरों को म्लेच्छों ने धूल में मिला दिया था।<sup>13</sup> शिवाजी के निवास स्थान पूना नगर पर शाइस्ता ख़ाँ के अधिकार कर लेने से दिल्लीश्वर और शिवाजी के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो जाता है।<sup>14</sup> भोजपुर, पटना नगर सीताकुण्ड, विक्रमचण्डिका, मुद्गलपुर और वर्धमान नगर पूर्वी भारत के प्रमुख स्थान थे।<sup>15</sup> राजताना देश में उदयपुर नाम की एक राजधानी थी, जहाँ के क्षत्रियकुल श्रेष्ठ राजाओं ने यवनों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया।<sup>16</sup> अम्बर देश के राजा महाराज 'जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी।<sup>17</sup> सूरत नगर में भगवान् रामचन्द्र का मन्दिर था।<sup>18</sup> इसी नगर पर शिवाजी के सेनापति स्वर्णदेव ने आक्रमण किया था। द्वारका से तीर्थयात्री जहाज द्वारा मुम्बापुरी होकर रामेश्वर की यात्रा के लिये जाते थे। अयोध्या प्रान्त के क्षत्रिय पूर्णतया पराजित हो चुके थे।<sup>19</sup> महाराष्ट्र से देहली के मार्ग में अहमद नगर, विदर्भदेश, इन्दौर, उज्जयिनी, वृन्दावन एवं मथुरा नगर पड़ता था।<sup>20</sup> शिवाजी ने राज्य स्थापना के अनन्तर सतारा नगरी को अपना निवास स्थान बनाया था।<sup>21</sup> इस प्रकार व्यास ने शिवराजविजय में राज्य के साथ-साथ नगर एवं ग्राम के स्वरूप को चित्रित किया है।

**दुर्ग**— शिवाजी के समय राज्यों की ढ़ता दुर्गों पर आधारित थी। व्यास ने इस उपन्यास में अनेक दुर्गों का वर्णन किया है। व्यास द्वारा दिया गया दुर्गों का विवरण ऐतिहासिक तथ्यों से कुछ भिन्न है। शिवाजी के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित तीन मुख्य दुर्ग हैं—

**प्रतापदुर्ग**— यह दुर्ग भीमा नदी के किनारे बना है<sup>22</sup>, जिसकी शिखरें चन्द्रमा को चूमती हुई दिखायी गयी हैं।<sup>23</sup> इसी किले से शिवाजी ने अफजल ख़ाँ को पराजित किया था।<sup>24</sup> शाइस्ता ख़ाँ द्वारा प्रेषित दूत रूप में उपस्थित गोपीनाथ पं. ने इसी दुर्ग में शिवाजी-अफजल ख़ाँ से मिलने सम्बन्धी मन्त्रणा किया था।<sup>25</sup> गौरसिंह संन्यासी वेष में इसी दुर्ग के द्वारपाल की परीक्षा लेता है।<sup>26</sup> शिवाजी दिल्ली से वापस आने पर सर्वप्रथम प्रताप

दुर्ग में प्रवेश किये थे। ब्रह्मचारीगुरु अपने सेवकों के साथ इसी दुर्ग के समीप निवास करते थे।<sup>27</sup>

**तोरणदुर्ग**—तोरणदुर्ग की घाटी के उद्यान में घूमकर रघुवीरसिंह अपना मन

बहलाता है।<sup>28</sup> इसी दुर्ग के समीप हनुमान् जी का सुढ तथा सुन्दर मन्दिर था।<sup>29</sup> तोरण दुर्ग में शिवाजी का दुर्गाध्यक्ष रहता है। इसी दुर्ग में रोशनआरा को दुर्गाध्यक्ष की निगरानी में आदर पूर्वक रखा गया है।<sup>30</sup> देवशर्मा, सौवर्णी सहित तोरणदुर्ग के समीप हनुमान् जी के मन्दिर में रहना स्वीकार करते हैं।<sup>31</sup> रघुवीरसिंह और सौवर्णी मिलन इसी दुर्ग की वाटिका में होता है। शिवाजी का पत्र सिंहदुर्ग से तोरणदुर्ग रघुवीर सिंह ही पहुँचाता है।<sup>32</sup>

**सिंहदुर्ग**—यह दुर्ग नीरा नदी के समीप पर्वत की चोटी पर बना था।<sup>33</sup> इस दुर्ग से शिवाजी रघुवीरसिंह को पत्र लेकर तोरणदुर्ग के दुर्गाध्यक्ष के पास भेजते हैं। औरंगजेब शाइस्ता ख़ाँ को भेजकर शिवाजी से पूना नगर छीन लेता है और उनके निवास स्थान पर सपरिवार शाइस्ता ख़ाँ निवास करता है।<sup>34</sup> पूना नगर के समीप स्थित सिंहगढ़ में अपनी सेना सहित शिवाजी रह रहे हैं। सिंहगढ़ से थोड़ी दूर भूषणकवि और शिवाजी का परस्पर वार्तालाप होता है।<sup>35</sup> शिवाजी शाइस्ता ख़ाँ पर आक्रमण करने के लिये सिंहदुर्ग का प्रयोग करते हैं और पुनः वापस सिंहदुर्ग में आते हैं।<sup>36</sup> मराठा सैनिक शाइस्ता ख़ाँ सहित यवन सेना को परास्त करके सिंहदुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं।<sup>37</sup>

इन दुर्गों के अतिरिक्त कल्याणदुर्ग,<sup>38</sup> राजदुर्ग,<sup>39</sup> चित्तौड़दुर्ग,<sup>40</sup> रायगढ़,<sup>41</sup> चाकण,<sup>42</sup> पन्हाला,<sup>43</sup> यवनादि अनेक दुर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है। रुद्रमण्डलदुर्ग<sup>44</sup> का भी उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः एक काल्पनिक नाम है। जयसिंह से सन्धि करने के उपरान्त शिवजी ने बीजापुर के फाल्टन और टट्टोर नामक किलों को जीता था। सम्भवतः व्यास ने इनके लिये ही रुद्रमण्डल—दुर्ग का नाम लिया होगा।<sup>45</sup>

**पर्वत और समुद्र**—कथास्थान महाराष्ट्र के पर्वत बहुल होने पर भी व्यास ने किसी पर्वत का नामोल्लेख नहीं किया है। शिवाजी के राज्य विस्तार में विन्ध्य पर्वत का नाम आता है। पूना नगर के दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का वर्णन मात्र मिलता है।<sup>46</sup> इसी प्रसंग में पूर्व और पश्चिम समुद्र का वर्णन मिलता है।<sup>47</sup>

**नदियाँ**—व्यास ने अपने उपन्यास में भारत की अनेक नदियों का उल्लेख किया है। गङ्गा नदी के किनारे वाराणसी नगर स्थित है।<sup>48</sup> यमुना के किनारे दिल्ली नगरी बसी है।<sup>49</sup> सिन्धु नदी भारत की सीमा को पृथक् करती है, जिसे लॉघकर महमूद ने भारत पर बारह बार आक्रमण किया था।<sup>50</sup> शिप्रा नदी के किनारे जसवन्तसिंह ने औरंगजेब को युद्ध में निर्निमेष, आत्मविस्मृत कर दिया था।<sup>51</sup> गङ्गा और गण्डक नदियों के तट पर विराजमान हरिहरनाथ का मन्दिर है।<sup>52</sup> पद्मा और ब्रह्मपुत्र पूर्व बङ्गाल में बहती है। ब्रह्मपुत्र नद ब्रह्मदेश को भारतवर्ष से पृथक् करता हुआ भूमिभाग को सींचता है।<sup>53</sup> भीमा नदी पश्चिम समुद्र की ओर से

निकलकर पूर्व समुद्र की ओर बहती है। सिंहदुर्ग से पूर्व दिशा में नीरा नदी बहती है। यहाँ एक अन्य प्रसंग में अमृतोद नामक तालाब का वर्णन भी मिलता है, जिसमें गौरसिंह, शयमसिंह के स्नान करने का उल्लेख है।

इस प्रकार व्यास ने भौगोलिक वर्णन के प्रसंग में विभिन्न राज्यों, नगरों, ग्रामों के साथ-साथ पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों, समुद्रों, नदियों आदि का वर्णन किया है, जो सभी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं।

सन्दर्भ—

- 1 शि.वि., नि.प्र., पृ.— 78
- 2 वहीं, नि.प्र., पृ.—74
- 3.वहीं, नि.प्र., पृ.—74
- 4 शि.वि., नि.ष., पृ.—81
- 5 वहीं, नि.ष., पृ.—98
- 6 वहीं, नि.अ., पृ.—224—27
- 7 वहीं, नि.प्र., पृ.59—62
- 8 वहीं, नि.प्र., पृ.—68
- 9 वहीं, नि.तृ., पृ.—277—79
- 10 डॉ. कृष्ण कुमार— पं. अम्बिकादत्त व्यास— एक अध्ययन, पृ.—153
- 11 शि.वि., नि.द., पृ.— 162—169
- 12 वहीं, नि.ष., पृ.—63
- 13 वहीं, नि.च., पृ.—402
- 14 वहीं, नि.द्वि., पृ.—187
- 15 वहीं, नि.तृ., पृ.—270
- 16 वहीं, नि.न., पृ.—26
- 17 वहीं, नि.अ, पृ.—248
- 18 वहीं, नि.ष., पृ.—57
- 19 वहीं, नि.द., पृ.—145
- 20 वहीं, नि.द्वा., पृ.—350
- 21 शि.वि., नि.द्वि., पृ.—109
- 22 वहीं, नि.द्वि., पृ.—205
- 23 वहीं, नि.द्वि., पृ.—109
- 24 वहीं, नि.द्वि., पृ.—212

- 25 वहीं, नि.द्वि., पृ.-123
- 26 वहीं, नि.अ., पृ.-250
- 27 वहीं, नि.स., पृ.-118
- 28 शि.वि., नि.स., पृ.-119
- 29 वहीं, नि.स., पृ.-165
- 30 वहीं, नि.तृ., पृ.-338
- 31 वहीं, नि.च., पृ.-343
- 32 वहीं, नि.स., पृ.-167
- 33 वहीं, नि.प., पृ.-2-3
- 34 वहीं, नि.प., पृ.-3
- 35 वहीं, नि.स., पृ.-191
- 36 वहीं, नि.स., पृ.-192
- 37 शि.वि., नि.द्वि., पृ. 204
- 38 वहीं, नि. अ., पृ.-269-272
- 39 वहीं, नि.तृ., पृ.-270
- 40 वहीं, नि.द्वि., पृ.-204
- 41 वहीं, नि.ष., पृ.-86
- 42 वहीं, नि.स., पृ.-169
- 43 वहीं, नि.न., पृ.-85
- 44 डॉ. कृष्ण कुमार-पं. अम्बिकादत्त व्यास-एक अध्ययन, पृ.-154
- 45 शि.वि., नि.स., पृ.-167
- 46 वहीं, नि.द्वि., पृ.-108
- 47 वहीं, नि.प्र., पृ.-71
- 48 वहीं, नि.द., पृ.-146
- 49 शि.वि., नि.प्र., पृ.-62-66
- 50 वहीं, नि.ष., पृ.-92
- 51 वहीं, नि.द्वि., पृ.-187
- 52 वहीं, नि.द्वि., पृ.-190
- 53 वहीं, नि.स., पृ.-167

## शक्तिनिरूपणम्



डॉ. सुभाषचन्द्र मीणा  
सहायकाचार्यः (व्याकरण विभागे),  
केन्द्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय,  
क. जे. सोमैया परिसर,  
विद्याविहार, मुम्बई, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 279-286

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 10 Sep 2020  
Published : 20 Sep 2020

**सारांशः**—शक्तिर्नाम शब्दशक्तिः भाट्टचिन्तामणावपिअव्यवधानेन शब्दजन्य प्रतीत्य— नुकूला वृत्तिः शक्तिः इति अभिधीयते । तत्र ईश्वरसङ्केत शक्तिः, आधुनिकसङ्केतः परिभाषा शाक्यार्थबोधकं पदं वाचकम् इति उच्यते । शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । प्राचीननैयायिकानां मतेईश्वरेच्छा शक्तिः । सा च इच्छा द्विविधाः; पदप्रकारिका अर्थविशेषिका, अर्थप्रकारिका पदविशेषिका च । अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधत्यः । नैयायिकानां नये वाक्ये प्रयमान्तपदस्य मुख्यत्वात् प्रथमेच्छा भवति अर्थविशेषिका पदप्रकारिका । एवं द्वितीयेच्छा भवति पदविशेषिका अर्थ प्रकारिका ।

**मुख्यशब्दः**— शब्दशक्तिः, वृत्तिः सम्बन्धः, परिभाषा, लक्षणा, व्यञ्जना, अभिधा, काव्यशास्त्र ।

‘शक्ति’ शब्दो बलम्—सामर्थ्यम्—ऊर्जा—पराक्रमप्रभृतीनर्थान् प्रकाशयति । स्वादिगणस्य ‘शक्लु शक्तो’ इत्यस्माद्धातोः ‘स्त्रियां क्तिन्’ इति सूत्रेण क्तिन् प्रत्ययान्तः, शक्यते इति व्युत्पत्त्या शक्ति शब्दो निष्पद्यते । शक्तिविषये विद्वत्सु पर्याप्तम् मतवैपरीत्यं वर्तते । साहित्यिकाः वाचक—लक्षक—व्यञ्जकेति । त्रिविधशब्दानर्थप्रतीतये अभिधा—लक्षणा— व्यञ्जनेति शक्तित्रयं मन्यन्ते । नैयायिकाः शक्तिर्लक्षणेति वृत्तिद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति, न व्यञ्जनाम् । नेमायिकाः “अस्मद्शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकाकमीश्वरेच्छामेव शक्ति” मन्यन्ते । तेषां मते “शक्यसम्बन्धो लक्षणा” इति ।

व्याकरणे वृत्तेभूयिष्ठं वैशिष्ट्यं वर्तते । क्वचिदपि वृत्तिं विना शाब्दबोधो न जायते । अत एव वृत्तिज्ञान विहीतानां शाब्दबोधवारणाय नागेशेन “तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्ति विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वं” स्वीकृतम् । अथ ईश्वरेच्छा शक्तित्वस्वीकारे इच्छीयविषयताप्रयत्नं वाचकत्वम् इति शक्तर्विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः पदे अर्थे बोधे च समान एव । अतो घटपदं पटपदवाचकं कथं नेति शङ्कायां तार्किकैरुक्तं “बोधनिष्ठजन्यतानिरूपितशक्तर्जनम एव वाचकः” इति वक्तुं शक्यते । पटत्वप्रकारकपटबोधनिष्ठजन्यतानिरूपित शक्तिः पटे एव भवितुमर्हति, न घटे । अतस्तत्र नातिव्याप्तिः । किन्तु वैयाकरणैः नैयायिकानामीश्वरेच्छा शक्तिरिति मतं न स्वीक्रियते; इच्छायाः सम्बन्धिनोराश्रयतानियामकत्वाभावेन सम्बन्धत्वासम्भवात् । यथा ‘घटवद् भूतलम्’ इत्यत्र घटभूतलयोः संयोगरूपः सम्बन्ध सम्बन्धिभ्यां भिन्नो द्विष्टो घट निरूपितसंयोगाश्रयो भूतलमिति विशिष्टबुद्धिनियामकश्च वर्तते । पदपदार्थयोः सम्बन्धः अपि वाच्यवाचकभावापरपर्याया एव शक्तिः नूनं स्वीकर्तव्या । तद्ग्राहकञ्च इतरेतरध्यासमूलकं तादात्म्यम्, तदेव सम्बन्धः उभयनिरूपिततादात्म्यवानुभय इत्यर्थपदयाव्यवहारात् । शक्तिः कार्यजनकत्वे सति तादात्म्यसम्बन्धस्य नियामिकेत्युक्तं भर्तृहरिणा—

**उपकारः स यत्रस्ति धर्मस्तत्रनुगम्यते ।**

**शक्तिनामप्यसौ शक्तिर्गणानामप्यसौ गुणः ॥**

उपकारः उपकार्योपकारकयोर्बोधरुक्तयोरुपकारकस्वभावः सम्बन्धो यत्रस्ति तत्र धर्मः शक्तिरूपः कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते । यसौ सम्बन्धः शक्तिनामपि कार्यजनने उपकारः गुणानामपि द्रव्याश्रितत्वनियामकः । यथा गन्ध पृथिव्यामेवेति भावः ।

व्याकरणदार्शनिकाः भर्तृहरिप्रमुखाः शक्तः शक्तिमतो वा कारकत्वमभ्युपगच्छन्ति । तत्र वाक्यपदीये साधनसमुद्देशे सर्वात्मनाशक्तः साधनत्वं (कारकत्व) भर्तृहरिणा उक्तम् । तथा हि—

**स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेवाश्रयान्तरे ।**

**क्रियाणाभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनमित्युच्यते ॥**

अर्थात् क्रियाभिर्निर्वृतिः प्रति द्रव्यगता शक्तिः साधनमित्युच्यते । साध्यते अनया क्रिया इति भाष्यकारप्रभृतीनां सम्मतेः । क्रियाजनकत्वरूपं कारकत्वलक्षणं तत्तटस्थलक्षणमिति; कारकं हि स्वावान्ताक्रियया प्रधानक्रियां निर्वर्तयति तदा क्रियाजनकत्वेन तस्य कारकत्वमुपपद्यते । न हि सर्वदा कारकाणि क्रियां निर्वर्तयति अतः क्रियोत्पत्तिकाले एव तत्सत्त्वात् तदतिरिक्तकाले शक्तिरूपेणावस्थानाद्

क्रियाजनकत्वं कारकस्य तटस्थलक्षणमित्युच्यते । कारकाणि हि नामार्थ-धात्वर्थयोरन्वयानुभावानि भवन्ति । एवं च क्रियान्वयित्वं कारकाणां विभक्त्याद्यर्थं द्वारैव सम्भवति । भर्तृहरिरपि-

स्वशब्देरभिधाने तु स धर्मो नाभिधीयते ।

विभक्त्यादिभिरे वायावुपकारः प्रतियते ॥

इति कारिकया क्रियोपकारलक्षणो धर्मो विभक्त्यादिभिः प्रकाश्यते ।

तथा हि भाष्यम्-

किं पुनः साधनं न्यायम् । गुण इत्याह । कथं ज्ञायते? एवंहि कञ्चित् किञ्चित् पृच्छति । क्व दववत्त इति । स तस्मा आचष्टे । असौ वृक्ष इति । कतरस्मिन् । यस्तीष्ठतीति । स वृक्षाधिकरणं भूत्वान्येन शब्देनाभिसम्बध्यमानः कर्ता सम्पद्यते ।

अनेन संवादेन ज्ञायते यत्साधनशब्देन व्यपदिश्यमानो गुणः कारकमिति आधारपारतन्त्र्याद् द्रव्यगता शक्तिरैवात्र गुणशब्देन व्यपदिश्यते ।

यद्यपि भाष्यकारस्तत्रः प्रसंगतः “द्रव्यं साधनम्” इति ब्रूते तथापि द्रव्यगता क्रियाजनिका शक्तिरेव साधनमिति तत्र भाष्यकारस्य यतमिति स्वीकार्यम् । शक्तिर्हि स्वाश्रयमत्तरेण आत्मानं न लभते । न हि निराधारा शक्तिः सम्भवति । शक्तिशक्तिमतोश्चाभेदो सम्बन्धः अत एव यत्र द्रव्यं कारक साधनं वेति व्यपदिश्यते तत्र सर्वत्र शक्त्याविशिष्टस्यैव द्रव्यस्य साधनत्वेन व्यवहार उचितः ।

यद्यपि यावद्द्रव्यभाविन्यः शक्तयो भवन्ति तथापि कार्योपादानकत्वेन स्वकार्योद्योक्ताभिव्यक्तिमापन्नाः शक्तयः कार्यकाले एव कारकमिति व्यपदिश्यन्ते । तदुक्तम्-

कुड्यसावरणे शक्तिरस्यादीनां विदारणे ।

सर्वदा स तु सन् धर्मः क्रियाकाले निरुप्यते ॥

स्वांगसंयोगिनः पाशा दैत्यानां वारुणा यथा ।

व्यजन्ते विजीगिषूणां द्रव्याणां शक्तयस्तथा ॥

एतावता-

द्रव्यं नाम शक्तिमात्रसक् हरुपम् ।

द्रव्यगता सहजा शक्तिः कारकपदेन व्यपदिश्यते ।

शक्तिश्च यावद् द्रव्यभाविनि कार्यकाले अभिव्यक्ता भवति ।

सैषा शक्तिः संयोगादिमिर्नार्थेषु नियम्यते ।

तदुक्तं हरिणा—

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्थान्यस्य सन्निधिः ॥

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतयः ॥

कारिके संयोगविप्रयोगयोरुदाहरणे सवत्सा धेनुरवत्सा धेनुरिति साहचर्यस्य रामलक्षणाविति । साहचर्यं सादृश्यं सदृश्योरेव सहप्रयोग इति नियमात् ।

यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा ।

यश्चैनं गन्धमात्याधैः सर्वस्य कटुरेव सः ॥

अत्रपद्ये परशुना इति अस्य छेदनार्थत्वम्, मधुसर्पिषा इत्यस्य सेचनार्थत्वम्, गन्धमाल्याधैरित्यस्य पूजनार्थत्वम् । इति शक्ति निरूपक । इश्वरेच्छाया ईश्वरज्ञानस्य वा शक्तित्वमित्यत्र विनिगमनाहेविरहेणेच्छा बोधयोरभयोः शक्तिकल्पनेगौरवम् । एवम् इदम् अस्माद् भवति इति इच्छाविषयत्वमेव जनकत्वं स्यात् । तेन सकलशास्त्रव्यवहारोच्छेदः स्यात् । तस्मादीश्वरेच्छा कारणत्वस्य नियामिका । संयोगादिसम्बन्धेन घटादिसम्बद्धानामेव चक्षुरादीनां घटादिबोधकत्वदर्शनादिहापि प्रमाणप्रमेययोः सम्बन्धान्तरमेवोचितम्, जनकत्वस्य जनकत्व— घटितस्य वा सम्बन्धत्वं नोचितमित्यर्थः । अन्यथा धूमादवद्विज्ञानं जाएताम् इति इच्छाविषयत्वमेव तद्बोधजनकत्वमेव वा हेतुसाध्ययोः सम्बन्धः स्यादिति व्याप्ति उच्छेदः ।

इच्छाया जनकत्वस्य वोमयवृत्तित्वाऽभावः । अत्रायमाशयः—सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न इति, द्विष्ट सम्बन्धः इति, विशिष्टबुद्धिनियामक इति च अभियुक्तव्यवहारात् पदापदार्थयोः सम्बन्धो नेच्छारूपः, पदपदार्थरूपसम्बन्धिनो इच्छाऽऽत्रयत्वाऽसम्भवात् । समवायसम्बन्धेन इच्छाश्रय आत्मा । पदपदार्थो तु इच्छाविषयौ । एवं विषयतासम्बन्धेन तौ इच्छासम्बन्धिनौ इति वक्तुं शक्येत्, न त्वाश्रयत्वेन अतः विषयः (घटादि) इच्छावान् इत्यादिव्यवहारो न भवति । तथाहि वृत्तितानियामकसमवायसम्बन्धेन इच्छायाः पदपदार्थोभयवृत्तित्वाभावात् न तस्याः शक्तिसम्बन्धत्वम् । ननु शब्दवदर्थस्यापि शाब्दबोधे निमित्तत्वादस्त्युभयत्र बोधजनकताख्यः सम्बन्ध इति । तथापि बोधजनकता रूपशक्तिसम्बन्धस्य पदपदार्थे

स्वरूप सम्बन्धेन स्थितावापि न तस्य सम्बन्धत्वम्; परस्परविशिष्टबुद्धिनियामकत्वाऽभावात् । ज्ञाने तादात्म्य— सम्बन्धेन विषयस्य, समवायसम्बन्धेन कर्तृश्च कारणत्वेऽपि तयोः परस्परं ज्ञानकारणतासम्बन्धेन कर्ता विषयवान् अथवा विषयः कर्तृभान् इति विशिष्टबुद्धयदर्शनमिव पदपदार्थोभये बोधजनकतासम्बन्धेन परस्परविशिष्टबुद्ध्यभावान्न तस्य तत्त्वम् ।

तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया । एव भावोऽखण्डोपाधिरुपधर्मोऽथवा निरुप्यनिरुपकभावापन्नो भवति । अर्थात् स्वनिष्ठ (पदार्थनिष्ठ) वाच्यतानिरुपितवाचकता अथवा पदनिष्ठ वाचकतानिरुपितवाच्यता ज्ञेया । तथा हि वाच्योऽर्थः वाचकश्च शब्दः, तयोर्भावः (सम्बन्धः) इति व्युत्पत्तिः । अनेन सम्बन्धेन पदविशिष्टपदार्थः पदार्थविशिष्टश्च पदं सिद्धयति । तद् ग्राहक च इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम् । अन्यस्मिन्नन्यधर्मावभासोऽध्यासः तन्मूलकं तादात्म्यं; न तु वास्तवमित्यर्थः । तत्तादात्म्यश्च सङ्केतः । तस्यापि च पदनिष्ठशक्त्युपकारकत्वाच्छक्तिरिति व्यवहारः । ननु तादात्म्यमेव शक्तिरस्तु; किं भेदस्वीकारेणेति न वाच्यम्, तस्य सम्बन्धात्वाऽभावात् । भेदाऽभेदरूपस्य तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वाऽसम्भवात् । तादात्म्यघटकभेदस्याभेदस्य वा तत्त्वाददर्शनात् । अत्र इदं तत्त्वम् सम्बन्धिद्वयभिन्नत्वरूपोऽशोऽभेदे न तिष्ठति, तस्मादभेदो न सम्बन्धः । अपि च भेदोऽभेदश्च परस्परविरोधिनौ तयोरेकत्रावस्थानाऽसम्भवान्न तस्य सम्बन्धत्वम् । यत्तु कौस्तुभोक्तम्—पदपदार्थयोर्बौध्यबोधकभावनियामिका शक्तिरेव सम्बन्ध इति तन्न । शक्तेः कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात् । दीपादिगतप्रकाशकत्वशक्तावपि आलोकविषय—सम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथेति दृष्टत्वात् । सः सम्बन्धः पदे वाक्ये च । समय (सङ्केत) ज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणं वाक्यलक्षणया वाचोऽर्थलक्षणम् इति न्यायभाष्यकारवचनात् । तस्मादितरेतराध्यासः सङ्केतस्तन्मूलकं तादात्म्यश्च सम्बन्ध इति सङ्घातार्थः । तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये सङ्केतस्तु पदार्थयोरितदेतराध्यायरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थः स शब्दः इति । स्मृत्यात्मक इत्यनेन ज्ञातस्यैव सङ्केतस्य शक्तिबोधकत्वं दर्शितम् । ईश्वरसङ्केत एव शक्तिरिति वैयाधिकमतं न युक्तम्, अयमेतच्छक्यः अत्रास्य शक्तिरित्येतस्य सङ्केतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात् । तस्य वाचकः प्रणवः इति सूत्रे न्यायभाष्येऽपि स्थितोऽस्य वाच्यस्य पाचकेन सम्बन्धः । सङ्केतस्तु स्थितमर्थम् अभिनयति, यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सङ्केतेनावद्योत्पते इति सङ्केतस्य शक्तिग्राहकत्वं स्पष्टमेवाभिहितम् ।

तस्य च तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन विवक्षितोऽर्थः शक्यः; आश्रयत्वेन च विवक्षितः शब्दः शक्तः उत्पुच्यते । शब्दार्थयोः तादात्म्यादेव 'श्लोकमशृणोदथार्थं शृणोति' अर्थं वहती त्यादिव्यवहारः, 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' रामेति द्यक्षरं नाम मानभङ्ग पिनाकिनः 'वृद्धिरादेव' इति शक्तिग्राहकश्रुतिस्मृतिविषये सामानाधिकरण्येन प्रयोगश्च । तादात्म्यश्च तद् भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति भेदाभेदसमनियतम् । अभेदस्य आरोपितत्वाच्च न तयोर्विरोधः । तत्र भेदस्योद्भूतत्वविवक्षया अस्यार्थं स्यायं वाचकः, उजः प्रगृह्यम्; तस्य वाचकः प्रणवः इत्यादौ षष्ठी । अभेदस्योद्भूतत्वविवक्षया च समानविभक्तिकत्वं यथोक्तेषु । एवं 'हि सन् घटः सन् घटः सन् पटः' इत्यादि प्रतीत्या सतो ब्रह्मणो घटादिनाऽभेदभानेऽपि तस्याऽविद्याकल्पित तत्त्वेनाध्ययस्तत्वान्न वास्तविकाभेदनिषन्धनो मुखदाहादिदोषोऽग्न्यादि— शब्दोच्चारणे । शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिति सिद्धान्तेऽपि शब्दः स्फोटात्मक एव; तस्य तूच्चारणमेव नास्तीति वहन्यादिशब्दोच्चारणे मुखदाहापत्तिरिति नैयायिकदोषो भावनमसङ्गतमेव । अत एव येनोच्चारितेनेत्यादिभाष्योक्ते स्फोटशब्दलक्षणे तदुच्चारणाऽसम्भवाद् उच्चारितेनेति प्रकशितेने— त्यर्थपरतया कैयटो व्याचष्ट । तत्राथोऽपि बौद्ध एव । बौद्धे वहन्यादावर्थं दाहादिशक्ति— मत्त्वाऽभाव एवेति । न च प्राथमकल्पिकै डिथ्यादौ आरोपाऽसम्भवाद् वृत्तिः कथम् — इति चेत्समादधाति नागेशः — अनादित्वात् संसारस्य ततोऽपि पूर्वतनडित्थादिगुणाद्याक्षित्य प्रयोगादीति कश्चित् । तत्र तत्सङ्केत ज्ञानादेव बोधः । शक्त्याद्यभावेऽपीति तु न युक्तम् वृत्त्यन्तरत्वापत्ते वृत्तिजन्योपस्थिति विना शाब्दबोधविषयत्वाऽसम्भवाच्चेति ।

वाक्यपदीये—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

इति वाक्यपदीयपचनानुसारं वचसः शुद्धत्वं साधुशब्दानां प्रयोगविज्ञानं वा व्याकरणाधीनमिति साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः इति यस्य सम्यग् ज्ञानं विना शास्त्रान्तरे प्रवेशनं यथा चिन्तनं प्रकाशनं नैव सम्भवति । तत्र शक्तिज्ञानं शाब्दबोधे आत्यन्तिकमर्हतां भजते यस्मिन् विवक्षया वस्तुगत्या प्रकटनाशयं निश्चीयते । शब्दशक्तिग्रहवता केनचिद् उत्तमबुद्धेन मध्यमबुद्धमुद्दिश्य 'घटमानय' इत्युक्तौ घटानयते प्रवृत्तं तं बुद्ध्वा अगृहीतशक्तिकस्ततस्थः कश्चिदस्य वाक्यस्य कम्बुग्रीवादिवत् वस्तानयनरूपेऽर्थे तात्पर्यमिति प्राक्प्रतिपद्यते । पश्चात् 'घटं नय' 'पटमानय' इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां घट

शब्दस्य कम्बुग्रीवादिमानर्थोऽमयन— शब्दस्याहरणञ्चार्थ इति एव बोधः भवति । तत्र पदविशेषोपस्थितेन पदार्थेन सह पदान्तरोपास्थितस्य पदार्थस्य यः सम्बन्धस्तस्य ज्ञानं शाब्दबोधोऽन्वयबोधोः वाक्यार्थबोधो वेति प्रतिपद्यते ।<sup>1</sup> तत्र शाब्दबोधे पदज्ञानं, पदजन्यपदार्थोपस्थितिः वृत्तिज्ञानम्; आकांक्षा योग्यता आसत्ति तात्पर्यम् इति एतानि अष्टौ कारणानि भवन्ति । एतेषु आकलितेषु अष्टासु शाब्दबोधेषु पदज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्; पदज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्; पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः शाब्दबोधस्तु फलमिति विचार्यते ।

उक्तञ्च—

**पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः ।**

**शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधी सहकारिणी ॥**

इदन्तावत् निश्चयं यत् स्वज्ञानरहिताया भाषायाः पदानां स्थितेऽपि श्रावणानुभवेन शाब्दबोधो न भवति । तत्र पदज्ञानस्य विद्यमानत्वेऽपि तत्पदविषयकशक्तिज्ञानस्य विरहात् शाब्दबोधात्मकं फलं नैव उत्पद्यते पदार्थस्मरणरूप व्यापाराभावात् । अतः शक्ति ज्ञानंविना शाब्दबोधो नैव सम्भवति । नागृहीतवृत्तिकस्य सर्वथा शाब्दबोधो जायते ।<sup>3</sup> तद्धर्मावच्छिन्नविषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुरिति लघुमञ्जूषायां स्पष्टमिति । वृत्तिस्तु शाब्दबोधानुकूलः पदार्थज्ञानजनकज्ञानविषयः पदपदार्थयोः सम्बन्धो विशेष एव वृत्तिः । वृत्तिस्तु शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना च । तत्र शक्तिशब्दस्य विभिन्नार्थपुरःसरं शास्त्रान्तरेषु प्रयोगो दृश्यते । तद्यथा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । अत्र शक्तिपदेन कार्यजननरूपं सामर्थ्यं हि बोध्यते । पुनश्च रामायणे

**“रामवचनं सुनन् हनुमन्ता, पूर्णं शक्तिं से कारजं कीन्हा”**

एतत् प्रकारेण शक्तिं अनेका बोधाः । यथा—रक्ता रजसि वैष्णवी परिकीर्तिता ।

**कृष्णा तमसो रौद्री देवी प्रकीर्तिता**

**परमात्मा यथा देवी एक एव त्रिधास्थितः**

अन्य अपि उच्यते—

**माहेश्वरी महामाया भैरवी भीमरूपिणी**

**इन्द्राणी वैष्णवी शान्ता ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी**

**कौमारी नारसिंह च वाराही विक्रताकृतिः**

## अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्याः प्रययुर्मुदा ।

अपि च शक्तिर्नाम शब्दशक्तिः भाट्टचिन्तामणावपि अव्यवधानेन शब्दजन्य प्रतीत्य- नुकूला वृत्तिः शक्तिः इति अभिधीयते । तत्र ईश्वरसङ्केत शक्तिः, आधुनिकसङ्केतः परिभाषा शाक्यार्थबोधकं पदं वाचकम् इति उच्यते । शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । प्राचीननैयायिकानां मते ईश्वरेच्छा शक्तिः । सा च इच्छा द्विविधाः; पदप्रकारिका अर्थविशेषिका, अर्थप्रकारिका पदविशेषिका च । अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधत्यः । नैयायिकानां नये वाक्ये प्रयमान्तपदस्य मुख्यत्वात् प्रथमेच्छा भवति अर्थविशेषिका पदप्रकारिका । एवं द्वितीयेच्छा भवति पदविशेषिका अर्थ प्रकारिका ।

### संदर्भग्रन्थसूची

1. वाक्यपदीयम् ।
2. वैयाकरणसिद्धान्त लघुमञ्जूषा ।
3. परमलघुमञ्जूषा (प्रो. बोधकुमार झा) ।
4. न्यायदर्शनविमर्शः ।
5. भाट्टचित्तामणिः ।
6. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ।
7. शब्दकल्पद्रुम ।
8. वैयाकरणभूषणसारः ।
9. वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी ।
10. वाक्यपदीये-ब्रह्मकाण्डम् ।
11. वैदिकसुक्तमुक्तावली ।
12. काव्यादर्शः ।

# उपसर्ग-निपातार्थ विवेचनम्



डॉ. सांवरिया लाल शर्मा  
व्याकरणाचार्यः, अध्यापक,  
राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय,  
सदारा केकड़ी, अजमेर,  
राजस्थान, भारत

## Article Info

Volume 3, Issue 5  
Page Number: 287-290

## Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 10 Sep 2020  
Published : 20 Sep 2020

**सारांशः** – शब्दशक्तिप्रकाशिकाकारः अपि निपातानामर्थविषये एवं प्रत्यपादयत् यत् चादीनां निपातानामपि केवलेन अर्थबोधने सामर्थ्यं न भवति किन्तु प्रातिपदिकार्थेन सह अन्वयेनैव। इमे च निपाताः अनेकविधः स्वरादिचादिभेदेन। यद्यपि अन्यनैयायिकाः प्रादीनां धातोः प्राक् प्रयुक्तानामुपसर्गाणां द्योतकत्वं स्वीकुर्वन्ति, चादीनाञ्च वाचकत्वं “साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः”<sup>10</sup> इति अमरकोशबलात्। परञ्च वैयाकरणानामत्र आपत्तिः।

**मुख्यशब्दः** – उपसर्गः, निपातः, शब्दशक्तिः, सूत्रम्, पाणिनि, व्याकरणम्।

उपसर्गार्थविचारम् - उपसर्गाः क्रियायोगे (१-४-५८) इति पाणिनिसूत्रेण प्रादीनां क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा विधीयते। प्रादय इमे सन्ति- “प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप” इति। सूत्रे क्रियायोगे इत्यस्य क्रियाऽन्वये सतीत्यर्थः। प्रसङ्गादुपसर्गार्थं इहैव विविच्यते

(1) प्र -

प्रआदिकर्मदीर्घशेषभृशसम्भवतृप्तिषु।

वियोगशुद्धिशक्तीच्छाशान्ति पूजाग्रदर्शने॥ इति ।

अयमर्थः-आदिकर्मणि क्तः-प्रयातः दीर्घ – प्रवला मूषकाः, ईशे-प्रभुर्देशस्य, भृशार्थे प्रवदन्ति दायादः। सम्भवे-हिमवतो गङ्गा प्रभवति, तृप्तौ-प्रभुक्तमन्नम् । वियोगे प्रोषिताः, शुद्धौ प्रसन्नमुदकम्। शक्तौ प्रशक्तो विप्राया इच्छायां प्रार्थये कन्याम्। शान्तौ प्रशान्तोऽग्निः। पूजायां प्राञ्जलिस्थितः। अग्रे प्रबलम्। दर्शने प्रलोकयति।

(2) परा -

वधे गतौ दर्शने च विक्रमाभिमुखे भृशौ।

अधीनमोक्षणप्राप्ति लोम्येषु परागतः॥ इति।

वधे – पराहतः, गतौ – परागतः, दर्शने – परादृष्टः, विक्रमे – पराक्रान्तः, अभिमुखे – परावृतः, भूशे – पराजितः, अधीने – पराधीनः, मोक्षणे – पराकृतः, प्रतिलोभ्ये पराङ्मुखः।

(3) अप -

अपो वियोगे विकृतौ विपरीते निदर्शने।

आनन्दे वर्जने चौर्ये वारणे सम्यगीरितः॥ इति ।

वियोगे-अपयाति, विकृतौ-अपकृतवान्, विपरीते-अपशब्दः, निदर्शने अपदिशति, आनन्दे-अपहसति वर्जने-अपत्रिगर्ताद् वृष्टो देवः। चौर्ये-अपहरति। वारणे-अपसहति।

(4) सम् -

संयोगे ऐक्यप्रसवसत्यप्रत्यक्षसिद्धिषु।

भूषाश्लेषस्वीकरणक्रोधाभिमुखवाचिनम्॥ इति।

संयोगे-संगतः पुत्रेण, ऐक्ये-संवदन्ति संख्ये, प्रभवे-संभवत्यग्निः, सत्ये कोष्ठे गां संजानामि, प्रत्यक्षे-संपश्यते, सिद्धौ-संसिद्धिः भूषणे संस्कृता कन्या, आश्लेषे संधत्ते, स्वीकरणे संगृह्णाति, क्रोधे-संक्रुद्धः अभिमुखे-संयाति। ईषदर्थे-अवलम्बते, व्यापतौ-अवकीर्णम् पराभवे-अवघ्नन्ति, वियोगे-अवयातः ।

(5) अनु -

वेदाधिष्ठानसामीप्यपश्चाद्भावानुबन्धने ।

साम्याभिमुखहीनेषु विसर्गे लक्षणे त्वनु॥ इति ।

वेदे-अनुवाकमधीते, अधिष्ठाने-अनुष्ठानं देशे, सामीप्ये अनुमेघं वर्षति, पश्चाद्-अनुरथम्, भावानुबन्धने-अनुशयः साम्ये अनुकृतिः अभिमुखे-अनुवत्सो मातरं धावति, हीने-अन्वर्जुनं योद्धारः, विसर्गे-अनुज्ञातः, लक्षणे-अनुधनमसतां गतिः ।

(6) अव -

ज्ञानावलम्बशुद्धीषदर्थे व्याप्तिपराभवे ।

अवो ज्ञेयो वियोगे च लोकयोगानुसारतः॥ इति ।

ज्ञाने-अवगतोऽर्थः। अवलम्ब्ये-यष्टिमवधारयति गच्छति, शुद्धौ-अवदातम्, ईषदर्थे –अवलम्बते, व्यापतो-अवकीर्णम्, पराभवे-अविघ्नन्ति, वियोगे-अवयातः ।

(7/8) निस्/निर् -

निर्वियोगात्ययादेशातिक्रमे लाभनिश्चिते॥ इति ।

वियोगे-निःसङ्गो ब्रवीति अत्यये-निमेघम्, आदेशे-निर्दिष्टम्, अतिक्रमे-निष्क्रान्तः, लाभे-निर्वेशः, निश्चिते, निश्चितम्।

(9/10) दुस्/दुर् -

दुरीषदर्थेकृच्छ्रेर्थे कृशासम्पत्तिसङ्कटे॥ इति ।

ईषदर्थे-दुर्गतः, कृच्छ्रेर्थे-दुर्जीविनः कृशे-दुर्बलः, असम्पत्तौ-दुर्गतः, सङ्कटे -दुर्दिनम्।

(11) वि -

नानावियोगातिशयभृशामोदेशे वाङ्मये

पैशून्यास्मरणेभूषणेषदर्थनाभिमुख्यके॥

अनवस्थामुख्यशौर्यदर्शने विरूदाहतः॥ इति ।

नाना - विचित्रा सूत्रस्य कृतिः वियोगे - वियुक्तः, अतिशये - विकीर्णः, भृशे-वितता नद्यः, उद्देशे-विमनस्कः, वाचि - विभुः, मृधे - विवदन्ति, पैशून्ये विगायति, अस्मरणे - विस्मृतः, भूषणे - विभूषितः, ईषदर्थे - विलेपितः, अभिमुख्यके - विमुखः, अनवस्थायाम् - विभ्रान्तः, मुख्ये - विशिष्टः, शौर्ये विक्रान्तः, दर्शने-विलोकयति।

(12) आङ् -

आङिच्छाभयवाक्येषदाश्लेषादिकर्मणि।  
बन्धनेऽभिविधौ शाठ्यकृच्छ्रसामीप्यसंश्रये॥  
अभिमन्ननिवृत्त्याशादानानुभवविस्मये।  
प्रतिष्ठादेशमर्यादास्पर्धामुख्योर्ध्वकर्मणि। इति।

इच्छायाम्-आकाङ्क्षते भये-आविग्नः, वाक्ये आजानाति, ईषदर्थे आताम्रनखा, आश्लेषे-आलिङ्गति, आदिकर्मणि-आरभते, बन्धने-कवचमाव धनन्ति। अभिविधौ आकुमारं यशः पाणिनेः, शाठ्ये-आचरति कपटेन, कृच्छ्रे आकृतः, सामीप्ये-आसन्ना वयम्। संश्रये-आवस्थः, अभिमन्नो-आमन्त्रणे, निवृत्तौ-आधावति, आशायाम्-आशास्ते, दाने-आदत्ते, अनुभवे-आशीतम्, विस्मये-आ एवं किल तत् प्रतिष्ठायाम्-आस्पदम्, आदेशे-आदिष्टः, मर्यादायाम्-आमुक्तेर्दुःखम्, स्पर्धायाम् आह्वयन्ते रथिनः, मुख्ये-आगच्छति, उर्ध्वकर्मणि-आरोहति पर्वते।

(13) नि -

राश्यघस्त्वभृशादेशनित्यकौशलबन्धने।  
अन्तर्भावे समीपे निदर्शने परमाश्रये॥ इति।

राशौ-निकरो मणीनाम्। अघः-निपतितम्, अमृषे-निगृहीतः, आदेशे निदेशितम्, नित्ये-निविशते, कौशले-निपुणः बन्धने-निबद्धः, अन्तः-निपीतमुदकं सिकताभिः भावे-निकृष्टः समीपे-निदर्शनम्, परमे-निवृत्तः, पापात् आश्रये-निलयः।

(14) अधि -

अधिरध्ययनैश्वर्यवशितस्मरणाधिके।

अध्ययने - उपाध्यायादधीते ऐश्वर्य - अधिपतिः-वशित्वे - अधीनः, स्मरणे मातुरध्येति, अधिके -- अधिकृतम्।

(15) अपि -

अपि सम्भवगर्हाशीर्मृतिभूषा समुच्चये।

सम्भवे - अपयोजनमस्ति गर्हायाम् - अपिपापिन् आशीषि - भद्रमपि, मृतौ- मरणमपि, भूषणे - अपिनाति हारम्।

(16) अति -

विक्रमातिक्रमे बुद्धौ भृशातिशये त्वतिः ।

विक्रमे - अतिस्थः, अतिक्रमे - अतिक्रामति बुद्धौ - अतिगहनम् भृशे अतितप्तम्, अतिशये-अतिमनुते ज्ञानम् ।

(17) सु -

प्रशंसानुमते पूजाभृशाकृच्छ्रशुभेषु सुः ।

प्रशंसायाम् सुरूपः, अनुमते-सुकृतम्, पूजायां सुसाधुः, भृशे-सुतप्तः, कृच्छ्रे सुदुष्करम् शुभे-सुगन्धः।

(18) उत् -

उत् प्राबल्यवियोगोर्ध्वकर्मलाभप्रकाशने।

आश्चर्यमोक्षणे भावे बलप्राधान्यशक्तिषु॥ इति।

प्राबल्ये - उबलः, वियोगे - उद्गच्छति, उर्ध्वे - उत्तिष्ठति, शयनात्, लाभे-उत्पन्नम् प्रकाशने-उच्चरति, आश्चर्ये-उत्सुकः, मोक्षणे उद्गतोऽश्वः बले-उत्कः, प्राधान्ये-उदिष्टाः शक्तौ-उत्साहः ।

(19) अभि

अभिपूजाभृशार्थेच्छाव्याधिसाभ्याभिमुख्यके।

सौरूपावचनाहारस्वाध्यायेषु निरूपितः॥ इति ।

पूजायाम्-अभिवदति गुरुम्, भृशार्थः-अभियुक्तः, इच्छायाम्- अभिलिप्सते, व्याधौ-अभिस्यन्दो व्याधिः, साम्ये-अभिजातः, अभिमुख्ये-अभिमुखम्, सौरूपे -अभिख्यः, वचने-अभिघनम्, आहारे-अभ्यवहरति, स्वाध्याये-अभ्यस्यति।

(20) प्रति -

सादृश्यादानहिंसांगीकृतौ प्रतिनिधौ क्वचित्।

व्याध्यभिमुख्ययोर्व्याप्तौ वारणे प्रतिरूच्यते॥ इति ।

सादृश्ये-प्रतिदेवदन्तस्य, आदाने-प्रतिगृह्णाति, हिंसायाम्-प्रतिहन्ति, अङ्गीकृतौ-प्रतिज्ञानम्, प्रतिनिधौ-अभिमन्युरर्जुनमतः प्रति। व्याधौ-प्रतिश्यायम्, अभिमुख्ये-प्रतिसूर्यं गच्छति, व्यापतो-प्रतिकीर्णं पांशुभिः वारणे प्रतिषिद्धः ।

(21) परि -

परिसमन्ततोभावव्याप्तिदोष कथासु चा

भूषाश्लेषे पूजने च वर्णने वसने शुभे॥ इति।

क्रमश उदाहरणानि-परिभ्रमति, परिगतोऽग्निमम् परिवादः, परिकरोति कन्याम्, परिष्वजते, परिचरति गुरुम्, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, परिघत्ते वासः परिदेवनम्।

(22) उप -

उपः सामीप्यसामार्थ्यव्यादयाचार्यकृतौ मृतौ।

दोषादानक्रियावीप्सारम्भाध्ययनपूजने॥ इति।

उदाहरणानि-उपकुम्भं तिष्ठति, उपकरोति मित्रेभ्य, उपकीर्णः पांशुभिः, उपदिशत्येभ्यः उपरतः उपघातः उपहरत्यर्थं देवदत्ताय, उपचारः, देव देवमुपचरति, उपक्रमते भोक्तुम्, उपाध्यायादधीते उपचितः पिता पुत्रेण।

निपातार्थं विचारम्

पाणिनिव्याकरणे “प्राग्रीश्वरान्निपाताः (अष्टा. १-४-५६) इति निपाताधिकार सूत्रमस्ति। अस्यायमर्थ “अधिरिश्वरे” (अष्टा. सू.(१-४-८७) इत्यतः प्राक् निपाता इत्यधिक्रियन्ते, तन्त्राद्याश्रयणात्। तेन पूर्वं निपात संज्ञाः सन्तः पश्चात् गत्यादिसंज्ञा इत्यर्थात् संज्ञासमावेशः सिध्यति। अन्यथा गत्युपसर्गकर्म प्रवचनीयसंज्ञानां निपातसंज्ञायाश्च पर्यायः स्यात्। तत्रादौ प्रमाणं तु प्राग्रहणसामर्थ्यमेव। अन्यथा ईश्वरादिति पञ्चम्येव दिशब्दाक्षेपात् किं तेन? न च परशब्दाक्षेपप्रसङ्गः। 'चादयोऽसत्त्वे प्रादय' इत्येतयोर्विधेययोलाभेनानन्व यापत्तेः। चादयोऽसत्त्वे' (अष्टा. १-४-५७) इतिसूत्रेण अद्रव्यार्थादीनां निपातसंज्ञा भवति। निपातत्वादव्ययत्वम्। तदुक्तं शब्दकौस्तुभे -

वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते।

द्रव्यमिच्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः॥<sup>1</sup> इति ।

लिङ्गसंख्यान्वयि द्रव्यमिति वा। असत्वे किम्? पशुना त्यजेत्, पशुशब्दश्चादिः। च समुच्चये इत्यपि प्रत्युदाहरणम्।  
चादयस्तु-च/वा/ह/अह/एव/ एवं/ नूनं/शश्वत् / युगपत् /भूयस् / कूपत् / कुवित् / नत्चेत् /चण्/कच्चित् / किञ्चित् /  
यत्र/नह/हन्त/माकिः/माकिम् / नकिः/आकिम् /नाकिम् /माङ्/नज् / यावत्/तावत् / त्वै//न्वै/रै/ श्रौष्ट्/ वौषट्/स्वाहा/स्वधा/वषट्  
/तुम/तथाहि/खलु/किल/अथो/अथ/सुष्टु/ स्म/आदह/  
विभक्तिस्वप्रतिरूपकाश्च -

अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकर्मणि।

सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते ॥इति॥

अहं युः/अस्तिक्षीरा/अ/आ/इ/ई/उ/ऊ/ए/ऐ/ओ/औ/पशु/शुकम् / पाट/ प्याट्/अङ्ग/है/हे / भेः/अये/द्य/विषु/एकपदे/युत्/आत् चादिर  
प्यादिगणः।

जगदीशतर्कालङ्कारस्तु निपातलक्षणमाह -

स्वार्थे शब्दान्तरार्थस्य तादात्म्येनान्वयाक्षमः ।

सुबाद्यन्यो निपातोऽसौ विविधश्चादिभेदतः" इति।

यादृशार्थे शब्दान्तरार्थस्याभेदेनान्वयबोध जननायोग्यः सुबादिभिन्नो निपातश्चादिभेदेनानेकविध इतिकारिकार्थः। यः शब्दः केवले  
यादृशस्वार्थे शब्दान्तरार्थस्य तादात्म्येनान्वयबोधं प्रत्यसमर्थः सुबादिप्रत्ययेभ्यः प्रत्येकं भिन्नः स तादृशार्थे निपातः । चादयो निपाताः  
स्वार्थे समुच्चयादौ नामाद्यर्थस्याभेदेनान्वयबोधं प्रत्ययोग्याः, न हि स्मृतमनुभूतश्चेत्यादितः कस्यापि स्मृतः समुच्चय इत्यादिरनुभवः, किन्तु  
स्मृतानुभूतयोः समुच्चय इत्यादिरेवा स्तोत्रं पचतीत्यादौ धातुरपि स्वार्थे नामार्थस्य तादात्म्यं बोधयंस्तत्समर्थ एवा प्रत्ययस्तु सुबादिरेवा चः  
शब्द इत्यादौ नामार्थस्याभेदसाकाङ्क्षश्चकारादिः स्वपरतायां न निपातः किन्तु नामैव (तथा सुबादिरपीति)। पुरन्दरप्रभृतौ तु नाम्नि  
निपातव्यपदेशः सूत्रानिष्पाद्यत्वप्रयुक्तो भाक्तः। “कार्तिक्यादौ यन्न दानं तदत्यन्तविनिन्दित” मित्यादौ न केवले नार्थे यदर्थस्य  
तादात्म्येनाऽन्वयः किन्तु दानाद्यवच्छिन्ने। स्वर्दिवा नक्तमाद्यव्ययमपि नामैव न तु निपातः, शोभनं स्वरित्यादौ तदर्थे नामार्थस्य  
तादात्म्येनान्वयात् । प्रादयस्तूपसर्गा न सार्थकाः, सार्थकाश्चेन्निपाता अपि जातौ सत्ता नास्तीत्यत्र सत्तायां जातिवृत्तित्वस्य  
समवेतत्वनिरूपितस्वरूप सम्बन्धेनात्यन्ताभावो नत्रा प्रत्याय्यते, न तु सत्त्वस्याभावः प्रथमान्तपदानुपस्थाप्यत्वेन नञर्थे  
तत्रास्तित्वादिक्रियान्वयस्यायोगात् जातौ जाती न स्त इत्यत्र जातिद्वयत्वावच्छिन्नाभावस्यैकत्वेन तत्र तिङ्-डर्थद्वित्वस्य पर्याप्तिबाधेनान्वया  
सम्भवाच्चा सत्ता समवायेन जातौ नास्तीत्यादौ तु समवेतत्वीयस्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वे समवाय शब्दस्य लक्षणं  
परेषामपि सत्ताभावस्य समवायावच्छिन्नत्वासम्भवेन समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वे तल्लक्षणाया आवश्यकत्वात्। प्रथमार्थं प्रति  
योगित्वे समवायावच्छिन्नत्वस्य तत्रान्वय इति तु साहसम् प्रथमायाः प्रतियोगितार्थं कत्वस्य क्वचिदप्यकल्पनात्। विशिष्टसत्ता गुणे  
नास्तीत्यादिकस्तु प्रयोगो यदि प्रमाणं, तदाधेयत्वस्याव्याप्यवृत्तित्वेन द्रव्यवृत्तित्वावच्छेदेन तस्यां गुणवृत्तित्वाभावसत्त्वाद्  
विशिष्टस्यातिरिक्तत्वादित्यपि कश्चित्।

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुमा मतिः ।

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमो॥ इति ।

इत्यादावनेकनजामानर्थक्यप्रसङ्गस्तु -

न तं विरिञ्चन भवो न श्री पि धनाधिपः।

दातुमर्हन्ति विभवं विष्णोराराधनेन यः॥ इति।

इत्यादाविव प्रकारान्तरवादिनामपि समानः समानसमाधानश्च । पदात् परस्य युष्मदादेस्तेप्रभृत्यादेशविधौ च पदशब्दः साकाङ्क्षनिपातस्याप्युपलक्षकस्तेन “न ते धनं धर्म्यं” मित्यादौ न तस्यानुपपत्तिः। सदृशाद्यर्थे निभादेर्निपातत्वव्युदासस्तु प्रागुक्तदिशाशावसेयः।

स चायं निपातश्चतुनपुनरिवैवमहस्मादिभेदाद्बहुविधः॥

ननु यदि प्रकृतिः प्रत्ययो निपातो वा स्वार्थोपस्थितिद्वाराऽन्वयबोधं कुर्यात्, प्रत्यकेमात्रं निराकाङ्क्षशब्दसहकृतं वा किन्न कुर्यात्, मिलितानामेव तेषां तथात्वन्तु सर्वत्राऽसम्भवीत्यत आह -

वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबोधतः ।

सम्पद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः॥ इति।

सार्थकस्य प्रकृत्यादेर्वाक्यतामापन्नस्यैव स्वार्थोपस्थितिद्वाराऽन्वयबोधकत्वं, न तु प्रत्येकस्य निराकाङ्क्षसहितस्य वा बोधकत्वम् ।

उपसर्गाणां - निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं वा इति विचारम् - प्रादयोऽर्थस्य द्योतकाश्चादयश्चार्थस्य वाचकाः इति नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति। “साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः” इति कोशात्। 'नमः' पदेन देवाय नमः' इत्यादौ नमस्कारार्थस्य दानावसरे गवे नमः इत्यपूजार्थस्य प्रसिद्धत्वाच्च । द्योतकत्वञ्च -स्वसमभिव्याहृतपदगतवृत्युद्धोधकत्वं प्रायेण। समन्वयश्चेत्त्वं स्वं-द्योतकत्वेनाभिमतमुपसर्गादिपदं तत्सभिव्याहृतपदं धातुपदं तन्निष्ठा वृत्तिः अनुभवाद्यादिनिरूपिता तस्या उद्धोधकत्वात् भवति उपसर्गाणां लक्षणसमन्वय । प्रादेशं विलिखतीत्यादौ वर्तमानक्रियाक्षेपकः। “प्रादेशं विमाय लिखति” इत्यर्थावगमात्। अत्र कारकविभक्तेः लिखतीति क्रियायोगाभावाद् विमानक्रिया आक्षिप्ये। विमाय परिच्छिद्य लिखधातोर्जीवत्यादिवदकर्मकत्वात् अक्षररूपकर्मणो धात्वर्थोपसंग्रहात्। अत एव 'अथ शब्दानुशासनम्' इत्यत्र अथ शब्दस्य प्रारम्भक्रियाक्षेपकत्वं कैयटाद्युक्तं संगच्छते क्वचित्तु सम्बन्धपरिच्छेदकत्वं द्योतकत्वम्।

अनुभूयते सुखमित्यत्र तस्य तद्वाचकत्वे धातोरकर्मकत्वात् कर्मणि लाघनापत्तिः। स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकस्यैव सकर्मकत्वात्। अन्यथा यत्किञ्चित्फलवैयधिकरणस्य सर्वत्र सत्वानतिप्रसङ्गात्। तस्मादुपसर्गाणां द्योतकत्वम्, चादयस्तु वाचका एव। साक्षात्क्रियते इत्यादौ विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षादिरूपतत्फलवाचकत्वस्य साक्षात्पदादेः सम्भवात् तदुत्पन्नानुकूलो व्यापारो धात्वर्थः तथा च “साक्षात् क्रियते गुरुः” इत्यादौ गुर्वभिन्नाश्रयनिष्ठोविषयतासम्बन्धेन यः साक्षात्कारस्तदुत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इत्यादिर्बोध इति प्राहुः तन्न युक्तं वैषम्ये बीजाभावात् अनुभूयते सुखम् साक्षात्क्रियते इत्यस्य समत्वात् नामार्थधात्वर्थयोर्भेदेन साक्षादन्वयभावात् निपातार्थधात्वर्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तिस्तु निपातार्थफलाश्रयत्वेऽपि धात्वर्थान्वयं कर्मत्वानुपपत्तेश्च । अत उक्तं कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारे -

द्योतका प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा।

उपास्येते हरिहरौ लकारो दृश्यते यथा॥<sup>3</sup> इति।

अन्यत्र साक्षात् क्रियतेऽलं क्रियते उरीक्रियते शिव इत्यादौ। अपि धातोस्तदर्थत्वे कर्मणि लकारसिद्धार्थः। तथा चोपसर्गवच्चादिनिपातानामपि द्योतकत्वं युक्तम्। यदि तु निपातसमभिव्याहारे प्रतीयमानेऽर्थे धातोः शक्तिः धातूनामनेकार्थत्वात्, निपातस्तु स्वसमभिव्याहृतपदगतशक्त्युन्नायकः शक्त्युन्नायकत्वं तु शक्त्युद्धोधकत्वं शक्त्युद्धोधकत्वमेव च द्योतकत्वमित्याश्रीयते तर्हि "तत्तदर्थवाचकत्वं" इति यथाश्रुतमेव साधु। यद्यपि कृधातोः सकर्मकत्वमस्त्येव तथाप्येतेष्वर्थेषु सकर्मकता न स्यात्। अन्यथा वायुर्विकुरुते सैन्धवो विकुर्वत इत्यत्रापि स्यात्।

किञ्च प्रादीनां वाचकत्वे भूयान् प्रकर्षः कीदृशो निश्चय इतिवद् भूयान्प्रकीदृशो निरित्यपि स्यात्, घटस्य समुच्चय इतिवत् घटस्य च इत्यापत्तिश्च स्यात् । अस्यायमाशयः-प्राद्युपससमभिव्याहारे प्रतीयमानो योऽर्थस्तत्रार्थे धातोर्लक्षणा प्राद्युपसर्गास्तु द्योतकाः तथा

चादिनिपातसमभिव्याहारे प्रतीयमानेऽर्थे धातोर्लक्षणा, चादिनिपातास्तु द्योतका इत्यभ्युपगमनेन चादिनिपातानामनर्थकत्वन्न तत्र शोभनादि विशेषणान्वय एव नेति कुतो विशेषणतानिरूपितविशेष्यतेति भावः। ततश्च भूयान् प्र. शोभनश्च इत्यादि प्रयोगापत्तिर्नेति तात्पर्यम्। नन्वभेदसम्बन्धेन नामार्थप्रकारकबोधे जननीये निपातातिरिक्तशब्दजन्योपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यते। अत्र नामार्थप्रकारकबोधः कार्यम्। तत्कारणं च निपातातिरिक्तशब्दजन्योपस्थितिः। भूयान् प्रकर्षः शोभनः समुच्चयः इत्यत्र निपातभिन्नशब्द जन्योपस्थितेः सत्वात् भूयस्त्वभूविशिष्टाभिन्नः प्रकर्षः शोभनान्नाभिन्नः समुच्चयः इत्यर्थप्रतीतेरभेदेन शोभनादि नामार्थप्रकारकः शब्दबोधो जायते इति उक्तम्। भूयान् प्र शोभनश्चेत्यत्र तु निपातजन्याया एवोपस्थितेः सत्वेन कारणाभावान्नाभेदेन नामार्थप्रकारकः शाब्दबोधः कार्यं जायते इति निपातानां वाचकत्वेऽपि न काचित्क्षतिः। अपि च निपातानां वाचकत्वे प्रातिपदिकार्थयोर्विना षष्ठ्यादिकं भेदेनान्वासंभवः। अन्यथा “राजपुरुषः इत्यस्य राजसम्बन्धी पुरुष इत्यर्थस्यापत्तेः।

वैयाकरणमते निपातानां द्योतकत्वेन निपातसमभिव्याहारे तत्प्रातिपादिकस्यैव निपातार्थविशिष्टस्वार्थबोधकतया एकपदोपस्थाप्यत्वेनान्वयाभावादेव न घटश्च इत्यादौ भेदेनान्वयरूपो दोषः।

घटश्चेत्यादौ घटपदमेव घटसमुच्चयरूपार्थबोधकम् विना षष्ठ्यादिकं इत्युक्तिस्तु षष्ठ्यादिसत्वे तदर्थद्वारा नामार्थयोरपि भेदेनान्वयो भवत्येवेति बोधनाय | अत एव ‘राज्ञः पुरुषः’ इत्यत्र राजनिष्ठस्वामितानिरूपितस्वतावान् पुरुष इति स्वस्वामिभावभेदेनान्वयप्रतीतिः संगच्छते। निपातानां वाचकत्वे नामार्थयोर्विभिन्न विभक्तिकयोर्भेदेनान्वयं धवखदिरयोः समुच्चय इतिवत् धवस्य च खदिरस्य च इत्येव स्यात् अन्यथान्वयोगात्। न तु धवश्च खदिरश्चेत्यर्थः। घटः पटश्चास्तीत्यत्र घटस्यास्तीति क्रियायामन्वयः। अत एव तिङ्समानाधिकरण्यात्तत्र प्रथमा। घटः समुच्चयवान् पटोऽस्तीति बोधः। समुच्चस्य प्रतियोग्याकाङ्क्षायां सन्निहितत्वाद् घटस्य प्रतियोगित्वं, पटे तु चार्थं समुच्चयस्य इति निपातानां वाचकत्वेऽपि कथं धवस्य च खदिरस्य चेति षष्ठ्यापादनम्। नामार्थयोरिति व्युत्पत्तिस्तु निपातातिरिक्तविषया।

अत एव ‘धातुः पूर्व साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेणेति’ सिद्धान्तितम्। साधनं कारकं तत्प्रयुक्तकार्येण उपसर्गेण उपसर्गसंज्ञकशब्देन। तत्र हि भाष्ये “पूर्व धातुरुपसर्गेण युज्यते, पश्चात् साधनेनेति नैतत्सारं, पूर्व धातुस्साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण साधनं हि क्रियां निवर्तयति तमुपसर्गो विशिनष्टीति सत्यमेवेतत्। उपसर्गात्पूर्वं साधनयोग इति सत्यम् परन्तु धातूपसर्गसम्बन्धकृतोयोऽर्थस्तमभ्यन्तरं कृत्वा स्वबोध्यं कृत्वा साधनयोगे क्रियात्वावगतौ उपसर्गयोगः।

यस्त्वसौ धातूपसर्गयोरभिसम्बन्धमभ्यन्तरं कृत्वा धातुः साधनेन युज्यते अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयं यो ह्येवं मन्यते पूर्व धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेणेति तस्य आस्यते गुरुणा इत्यकर्मक उपास्येते गुरुरिति केन सकर्मकः स्यादिति। अयं भावः वक्ता धातोरेव विशिष्टमर्थं बुद्धौ कृत्वा साधनसम्बन्धकार्यप्रत्यययोगेन तत्र साध्यत्वावगतौ श्रोतृबोधाय क्रियायोगे निमित्तोपसर्गसंज्ञकशब्दयोगं करोति। अन्यथा केवलधातुतः सर्वत्राप्रतीयमानतया श्रोतुस्तद्वोधो न स्यात्। तदुक्तं भूवादयो धातुः इति सूत्रे कैयटेन अनेकार्थत्वाद्धातूनां विशिष्टोऽर्थो धातोरेव, उपसर्गस्तु बोद्धारं प्रति तदर्थद्योतक इति एवञ्चोपसर्गेण योगो नाम तदर्थसम्बन्धः, तत उपसर्गयोगात् पूर्व साधनकार्ययोगः। तत उपसर्ग शब्दयोग इति। अनेन कैयटेन द्वयोरपि एकार्थप्रतिपादकत्वं समायाति। हरिणाप्युक्तम्

धातोः साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा।

धातुत्वं कर्मभावश्च तथाऽन्यदपि दृश्यताम्॥<sup>4</sup>

बुद्धिस्थादभिसम्बन्धात्तथा धातूपसर्गयोः।

अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते ॥<sup>5</sup> इति।

अस्यार्थः- यथा भाविसाधनसम्बन्धाश्रयणेन क्रियावाचित्वमाश्रित्य धातुसंज्ञोच्यते, यथा च सन्प्रत्यये चिकीर्षिते भावीषिकर्मत्वमाश्रित्योपक्रमे एवेषिकर्मत्वमुक्तम् तथा भाव्युपसर्ग सम्बन्धादुपक्रमे एवविशिष्टक्रियावाचकत्वं दृश्यताम् धातूपसर्गयोः

सम्बन्धं बुद्धिविषयीकृत्योपसर्गार्थकृतो विशेषो धातुनैवाभ्यन्तरीकृतः पदप्रयोगकाले उपसर्गसम्बन्धे सति प्रकाशते। उपसर्गप्रयोगात् प्रागेव धातुनैवोपसर्गार्थविशिष्टः स्वार्थः उच्यते इति तात्पर्यम्। पूर्वं धातुरूपसर्गेणेति तु तदर्थस्य धात्वर्थान्तरभावाद् व्यवहारः निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वेति विचारः। चन्द्र इव मुखमित्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसदृशऽप्रसिद्धाशक्तिरेव लक्षणा 'नञिव्युक्तमन्यसदृशाधिकरणे इति न्यायात्। इव पदं तात्पर्यग्राहकम्। तात्पर्यग्राहकत्वञ्च स्वसमभिव्याहृतपद स्यार्थान्तरशक्तिद्योतकत्वम् इत्यागतम् इव निपातस्य द्योतकत्वम्। बोधकत्वेनैवार्थवत्त्वात् प्रातिपदिकत्वं सिद्धम्। अत एव 'निपातस्यानर्थकस्य' इति वार्तिकाद् वा प्रातिपदिकत्वम्। 'कृतद्धितसमासाश्चेत्यनुक्तं समुच्चयार्थकचकारेण निपातानां संग्रह इति बोध्यम्। तस्माद्युक्तं निपातानां द्योतकत्वम्। उक्तं चाऽऽकृत्यधिकरणवार्तिके -

चतुर्विधे पदे चात्र द्विविधस्यार्थनिर्णयः ।  
क्रियते संशयोत्पत्तेर्नोपसर्गनिपातयोः ॥  
तयोरर्थाभिधाने हि व्यापारो नैव विद्यते।  
यदर्थद्योतकौ तौ तु वाचकः स विचार्यते॥ इति।  
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।  
प्रहारहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥

इत्युक्तेः उपसर्गपदं निपातोपलक्षणम्। धातुपदं पदान्तरस्येति बोध्यम् । नञिव्युक्तमन्यसादृश्याधिकरणे तथा ह्यर्थगतिरिति न्यायस्वरूपम्। नञ् युक्तम् इव युक्तं च पदं स्वबोध्यार्थभिन्नस्यस्वबोध्यार्थसदृशस्य च बोधकमिति तदर्थः। नञ् पदम् इवपदञ्च तात्पर्यग्राहकम्। तथा ह्यर्थगतिः सादृश्यप्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूतधर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम्। प्रकृते च चालादकत्वं तथाविधोर्धर्मः। न च चन्द्र इव चन्द्र इत्यापत्तिः चन्द्रत्वस्य चन्द्रत्वव्यापकत्वात्, स्वस्यापि स्वव्यापकत्वनियमादिति वाच्यम्, सादृश्यप्रतियोगितावच्छेदकव्यापकीभूतधर्माश्रय वृत्तसाधारणधर्मभिन्नत्वस्य व्यापकीभूतधर्मेण विशेषणत्वेनादोषात्।

वस्तुतस्तु सादृश्यप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टधर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम् वै. स्वव्यापकत्वं, स्वभिन्नत्वंस्वव्यापकाव्यापकत्वमेतत् त्रितयसम्बन्धेन प्रमेयत्वस्य सादृश्यप्रयोजकत्व वारणाय तृतीयः सम्बन्धः।

इवार्थसादृश्ये प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धेन चन्द्रपदार्थान्वयः, तस्य चाश्रयतया मुखे। एवञ्च चन्द्रनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकसादृश्यवान् मुखमिति बोधः। निपातानां वाचकत्वे लक्षणां विनैव बोधसम्भवे लाघवाद् वाचकत्वमेव युक्तमिति तार्किकतमुपस्थाप्य तन्निराकरोति।

यत्तु इवार्थस्या सा स्वीक्रियमाणे दृश्यं प्रतियोग्यनुयोगिभावेनैव चन्द्रमुखयोरन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया तथा च चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्याश्रयो मुखमिति बोध परं “चन्द्र इव मुखं दृश्यते; चन्द्रमिवमुखं पश्यामि” इत्यादौ चन्द्रपदस्य मुखरूपकर्मसमानाधिकरण्याभावाद्क्तानुक्तत्वविभक्त्यनापत्तिः षष्ठ्यापत्तिश्च स्याताम्। चन्द्रस्येवार्थे सादृश्ये विशेषणत्वेन एकत्रविशेषणं नापरत्रेति सिद्धान्तात् मुखेन समानाधिकरण्यासम्भवात् कर्तृकर्मणोलकार न तदनुरोधिनी विभक्तिः प्रत्युत् भेदे षष्ठ्येव स्यात्। द्योतकत्वमते तु चन्द्रपदस्य चन्द्रसादृश्यवति लक्षणया तस्य चाभेदेन मुखेऽन्वयात् विशेष्यानुरोधिनीविशेषणे विभक्तिरिति सर्वमनवद्यम्।

नागेशस्तु इव शब्दस्योपमानताद्योतकत्वम्। उपमानत्वञ्च-उपमानोप मेयोभयनिष्ठसाधारणधर्मवत्त्वेनेषदितरपरिच्छेदकत्वम्। तद्धर्मवत्तया परिच्छेद्यत्वोपमेयत्वम् साधारणधर्मसम्बन्धश्च क्वचिद्विशेष्यतयाऽन्वेति क्वचिद् विशेषणतया एवञ्चन्द्र इवालादकं मुखमित्यादौ आलोदकोपमानभूतचन्द्र भिन्नामाह्लादकं मुखमिति बोधः। 'चन्द्र इव मुखमाह्लादयति' इत्यादौ उपमानभूतचन्द्र कर्तृकालादाभिन्नो मुखकर्तृकालादाभिन्नो मुखकर्तृकाह्लाद इति बोधः। इदम् “उपमानानि सामान्यवचनैः” इत्यत्र भाष्ये स्पष्टमित्याहुः। अपि च निपातानां वाचकत्वे काव्यादौ अन्वयो न स्यादिति साधकान्तरमाह -

'शरैरुपैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिवा'

इत्यादावन्वयो न स्यात् सुपाञ्च श्रवणं ततः॥<sup>6</sup> इति।

अत्रोस्रसदृशैः शरैः रससदृशानुदीच्यानुद्धरिष्यन्नित्यर्थः। अयञ्चोस्रादि- शब्दानां तत्सदृशपरत्वे इवशब्दस्य द्योतकत्वे सत्येव सङ्गच्छते। अन्यथा प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिविरोधः । तेनोपैरित्यत्र तृतीयाप्रत्ययस्य स्वप्- कृतिभूतोस्रपदार्थान्वितकरणबोधकत्वं प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थेत्यादिनियमान्न घटते।

तथा हि उरिति करणे तृतीया। न चास्रोऽत्र करणम्। इवार्थसदृशस्य करणत्वेऽपि तस्य करणत्वं नानेन बोधयितुं शक्यम्। अप्रकृत्यर्थत्वात्। इव शब्दस्य चाऽसत्त्वार्थकतया तदुत्तरं तृतीयाया असम्भवात्। सम्भवे वा श्रवणप्रसङ्गात्। उम्रपदोत्तरतृतीयानन्वयप्रसङ्गाच्चेत्याह सुपां चेति। सुपां श्रवणञ्चेत्यर्थः। चकारादुम्रपदोत्तरतृतीयानन्वयः समुच्चीयते इति कारिकार्थः। “वागर्थविवसम्पृक्तौ "पार्वतीपरमेश्वरौ वन्दे” इत्यत्र वागर्थयोर्वन्दिकर्मत्वाभावात्तदुत्तरद्वितीयाया अनन्वयः। इवार्थस्य कर्मत्वान्वयबोधकासम्भवश्च संगृह्यते।

अत्रायमाशयः - वागर्थयोरिवार्थेन सहान्वयात्संपृक्तावित्यत्रान्वयाभावेन तयोर्वन्दनक्रियानिरूपितकर्मत्वाभावात् तत्र तदुत्तरकर्मद्वितीयाया अन्वयो न स्यात्। वन्दिक्रियानिरूपितकर्मणा सह वागर्थयोरभेदेनान्वयाभावेनापि कर्मत्वस्य बाधितत्वात्। इवार्थ सदृशस्य पार्वतीपरमेश्वररूपकर्मणा सहाभेदान्वयेन कर्मत्वेऽपि वागर्थपदोत्तरवर्तिद्वितीयायाः इवार्थे यः कर्मत्वान्वयस्तद्वोधकत्वस्यासंभव एव, इवार्थस्य द्वितीयाप्रकृतिभूतवागर्थपदार्थत्वाभावात्। इवार्थस्य द्वितीयाप्रकृत्यर्थत्वा भावात्प्रत्ययानां प्रकृत्यान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमात्। वागर्थपदार्थेन सह तदुत्तरद्वितीयाया अनन्वयः, तादृशद्वितीयायाश्चेवार्थगतकर्मत्वबोधकत्वासंभवश्च संगृह्यते। अस्माकंमते तु वागर्थपदस्यैव वागर्थसदृशपरतया इव शब्दस्य तद्द्योतकत्वेन च वागर्थसदृशयोरभेदेन पार्वतीपरमेश्वरविशेषणतया वन्दिक्रिया निरूपितं कर्मत्वं सुसंगतम्। तथा उरित्यत्रास्रपदस्यैवोस्रसदृशार्थ कत्वादुस्रसदृशस्याभेदेन शरविशेषणतयोद्धरणक्रियानिरूपितकरणत्वान्न तृतीयानुप यत्तिः निपातानां वाचकत्वे सदृश इव शब्दार्थः। उस्मा उपमानं, शरा उपमेयम् उपमानस्य विशेषणतया उपमेयस्य च विशेष्यतया प्रतीतिरिति स्थितिः। तत्रोपमेय शराणामुद्धरणक्रियायां करणत्वात्तत्र करणकारकवाचिनी तृतीया। उपमानपदात्तु “विभक्तिः पुनरेकैव उपमानोपमेययोः” इति नियमादुपमेयोत्तरविभक्ति सजातीय विभक्तेरेवोचितत्वात्तृतीयैव, सा चाभेदार्थिकेत्याशयेनाऽऽह-नीलं कमलं पश्येत्यादौ नीलाभिन्नकमलकर्मकं दर्शनमिति बोधान्नीलकमलयोरभेदान्वयाद्विशेषणविभक्तेरभे दोऽर्थः, न तु कर्मत्वमित्यर्थः। तथा च वागर्थवित्यत्रत्या द्वितीया, उरित्यत्रत्या तृतीया चाभेदार्थिका, न तु कर्मत्ववाचिनी करणत्ववाचिनी वा। ततश्च विशेषण विभक्तेर्द्वितीयायास्तृतीयायाश्चानन्वयो नेति भावः। 'अपदं न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् पदसाधुत्वमात्रसम्पादिका विशेषणविभक्तिरित्यर्थः। सा च विशेष्यवाचकपदोत्तरवि भक्तिसजातीयैव कर्तुमुचिता, विभक्तिः पुनरेकैवेति नियमात्। विशेष्यस्थवभक्ति विरुद्धविभक्तौ क्रियमाणायाम् तूपमानोपमेययोरभेदान्वयो न स्यात्। अभेदान्वयबोधे विरुद्धविभक्तिराहित्यस्य प्रयोजकत्वात्। उस्त्रसदृशानां शराणां समानाधिकरण पदोपस्थाप्ययोः भेदान्वयायोगात्। बोधादभेदेनापि नसः। नहि उस्त्राभिन्न सदृशा भिन्नः शरः इति यथा। हि उम्रपदार्थस्य सदृश इवार्थेऽभेदान्वये उस्त्राभि नसदृशस्य शरपदार्थेऽभेदस्य बाधः। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं तत्-मृत्तिका तदभिन्नं (मृदभिन्न) कपालद्वयं, तदभिन्नः (कपाल द्वयभिन्नः)-घटः, तस्य घटस्य तदभिन्नत्वं मुदभिन्नत्वमितिवदत्र तत् उम्रः तदभिन्नः सदृशः तदभिन्नः-शरः, तादृशशरस्य तदभिन्नत्वं (उस्त्राभिन्नत्व) घटस्य मृदभिन्नत्वमिव वक्तव्यं, तन्न संभवति। घटे मृदन्वयस्य प्रत्यक्षतोऽनुभूयमानत्वेन मृदभिन्नो घट इति यथा वक्तुं शक्यते, न तथा उस्त्राभिन्नः शर इति वक्तुं शक्यते, शरे उम्रत्वान्वय स्यान्ननुभवात्। यः सदृश उनाभिन्नोऽस्ति तादृशसदृशस्य शरे कथमभेदः संभवेत, न कथमपि एवं चोस्त्राभिन्नसदृशस्य शरेऽभेदान्वयो बाधितः। यदि तु सदृशस्य पूर्व शरेण सहाभेदेनान्वयं कृत्वा सदृशाभिन्नशरे, उम्रस्याभेदेनान्वयः क्रियते तद्यपि उम्रत्वान्वयादर्शनाच्छरे उस्त्राभेदो बाधित एव। तथा चाभेदेनाप्यन्वयो न संभवतीति भावः। वस्तुतस्तु इवशब्दसमभिव्याहारे उम्रपदस्यैवोस्रसदृशार्थकतया एकपदो पस्थाप्यत्वेनोस्रसदृशयोः परस्परमन्वय एव नास्तीति तदेकदेशस्य सदृशस्य विशेष्य भूतस्य शरैः सहाभेदान्वये बाधकाभावः। राजपुरुषमानयेत्यत्र राजपुरुषपदा

शैकदेशस्य प्रधानस्य पुरुषस्थानयनक्रियायामन्वयवत् तत्रान्वय आग्रहश्चेत् उग्रनिरूपितसादृश विशिष्ट इत्येवमुग्र सदृशयोर्भेदेनान्वय इति उग्रशरपदयोः समानविभक्तिकयोरभेदान्वये न किञ्चिद् बाधकम्। वागर्थाविव इत्यत्रापि वागर्थपदस्यैव वागर्थसदृशार्थकत्वात्तस्य च पार्वतीपरमेश्वररूपकर्तृणा सहाभेदान्वयः । सादृश्यं चोपस्थितत्वात्संपृक्तत्वेन बोध्यम्। संपृक्तत्वं च नित्यसंबद्धत्वम्। यथा वागर्थो नित्यसंबद्धौ तथा नित्यसंबद्धौ पार्वतीपरमेश्वरावित्यर्थः। एवं च नित्यसंबद्धवागर्थसदृशाभिन्नपार्वतीपरमेश्वरकर्मकं वन्दनमिति बोधः।

शरैरुपैरित्यत्रापि उद्भरण क्रिया साधनत्वेन सादृश्यम्। यथोक्ता रसोद्भरण क्रियासाधनं, तथा शरा अपि नृपोद्भरणक्रियासाधनम्। तथा चोद्भरणसाधनभू तोस्रसदृशाभिन्नशरकरणकं नृपोद्भरणमिति बोधो ज्ञेयः।

नागेशमते केषाञ्चिन्निपातानां द्योतकत्वम्। अत एव नेत्यनेनाभावबोधः, कस्याभाव इत्याकाङ्क्षा च सङ्गच्छते। अत एव 'आनो दिवः पर्वता' इत्यादौ 'आ' इत्यस्यार्वागित्यर्थेन 'दिग्लक्षणापञ्चमी' इति निरुक्ते उक्तम्। किञ्च द्योत्यस्य विशेषणत्वमेव । अत एव 'स्त्रयामिति' सूत्रे वाचकतापक्षे स्त्रीत्वस्य प्राधान्यमाशङ्क्य द्योत्यत्वेन समाहितं भाष्ये। 'हेतुमति च' इत्यत्रापि भाष्ये प्रकृत्यर्थविशेषणाय णिचो द्योतकत्वमुक्तम्।

हरिणाप्यक्तं वाक्यपदीयस्य द्वितीयकाण्डे –

निपाताः द्योतकाः केचित् पृथगर्थभिधायिनः।

आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूयार्थस्य वाचकाः॥<sup>7</sup> इति।

अत एव चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः नामाख्यातोपसर्गनिपाताः इति भाष्ये उक्तम् । एवञ्च द्योत्यार्थस्य विशेषणत्वनियमेन 'उग्रसदृशैः शरैरिति' इति बोधोऽपि न युक्तः। किञ्च सदृशपरत्वे उपमानवाचकत्वाभावात् उपमानानि सामान्यवचनैः" इति समासानुपपत्तिः।

विग्रहे तु सदृशपरत्वेन भूतपूर्वगत्यापि न निर्वाहः । 'धनेन तुल्यम्' इति तु न विग्रहः 'मृगीव चपला' इत्यर्थे 'मृगचपला' इत्यादौ पुंस्त्वानापत्तेः। केवलघनादिशब्दप्रयोगे 'घनः' इत्यादावुपमानवाचकत्वस्य दुवर्चतयाऽपि भूतपूर्वगतिरयुक्तैवा। किञ्च 'घनश्यामि' त्यादौ श्यामस्यौपमेयेऽन्वयादेवोपमेयमात्रवाचकतयोपमानोपमेययोः साधारण धर्मवाचकत्वानुपपत्तिः। अत एव भाष्ये उक्तम्-यदि शास्त्रीव श्यामा देवदत्ता इति विग्रहस्तदा श्यामेत्येतदपेक्ष्यं स्यात्। अयं भावः-श्यामापदार्थस्य देवदत्तायामन्वयेन स्त्रियां श्यामत्वं न प्रतीयेत इति तत्र 'श्यामा' इत्यध्याहारणे योजनीयं स्यादिति। यदि यथा शास्त्री श्यामा तद्वदेवदेवदत्तेति विग्रहस्तदा देवदत्तायां श्यामेत्येतदपेक्ष्यं स्यादिति। एवं तस्यामेवोभयं वर्तते इति भाष्ये<sup>8</sup> सिद्धान्तितम्।

मीमांसकास्तु-वाचका एवैते निपाताः न द्योतका इति वदन्ति इत्थं हि तैरुक्तं समुच्चयाधिकरणे-केवलवृक्षशब्दात् समुच्चयाप्रतीतिश्चकारश्रवणे तद्वोधाच्चकार एव तद्वाचको, न द्योतकः । किञ्च द्योतकत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्या, चकारस्य च द्योतकताशक्तिः सङ्गच्छते।

निपातानां वाचकत्वे नञः शक्यार्थसद्भावच्छक्यार्थसम्बन्धरूपलक्षणायाः संभवात् पूर्वोक्तमीमांसा द्वयोक्तिः संगता भवति। द्योतकत्वे तु निपातानां शक्यार्थाभावाच्छक्य सम्बन्धघटितलक्षणाया असंभवान्न सोक्तिः संगता भवेदित्यर्थः । तस्मादिदं मीमांसकमतमयुक्तम्। अनन्यलाभ एव हि शक्यार्थ इति न्यायेन पदान्तराल्लक्षणयैव समुच्चयाद्यर्थप्रतीतेः पुनस्तत्र शक्तिकल्पनायोगात्। अत एव लक्षणयैव तीरोपस्थितौ सत्यां न पुनस्तत्र गङ्गापदस्य शक्तिः कल्प्यते। अन्यथा गङ्गादिपदानामपि तीरादौ शक्तिः कल्प्या स्यात् चादिनिपातसमभिव्याहारे वृक्षादिपदाद्विशिष्टार्थ प्रतीतिः, तदसमभिव्याहारे पदान्तराद्विशिष्टार्थप्रतीत्यभाव वाचकत्व साधकौ भवतः। न च वाचकत्वे पदान्तराणां निपातद्योत्यार्थे शक्तिः चकारस्य द्योतकताशक्तिश्चेति शक्तिद्वयकल्पनेति वाच्यम् अत आह -

वैयाकरणभूषणसारस्य निपातार्थनिर्णये -

निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयोः।

युक्तं वा न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः॥<sup>9</sup> इति।

अर्थात् मीमांसकानां यन्मतं वाचकत्वमात्ररूपं तदेवास्माकं मतमिति न युक्तम्। किन्तु केचिद्वाचकाः केचियोतकाः। तदुक्तं वाक्यपदीये -  
स वाचको विशेषाणां संभवाद्योतकोऽपि वा॥ इति।

एवं च धात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधो न व्युत्पन्न इति निपाताति रिक्तविषयं समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थरभेदान्वय इत्यपि तथेत्यगत्या कल्पनीयम्। अत एव 'ओदनः पचति' इत्यत्र निपातातिरिक्तप्रातिपदिकार्थस्योदनस्य कर्मता सम्बन्धेन धात्वर्थे पाकेऽन्वयो न भवतीति ओदन कर्मकः पाक इत्येवं न ततो बोधो जायते। निपातातिरिक्तनिवेशान्निपातार्थधात्वर्थयोर्भेदेनान्वयो नाव्युत्पन्न इति प्रजयतीत्यत्र निपातरूपप्रातिपदिकार्थस्य प्रकर्षाश्रयतासम्बन्धेन जिधात्वर्थे जयेऽन्वयो भवतीति ततः प्रजयतीतिरूपपद्यते। इत्थं निपातानां वाचकत्वे यथायथं दोषाभावेऽपि क्वचिद्योतकत्वमपि स्वीकार्यम्। अन्यथा प्रतिष्ठते' इत्यत्र गमनत्वरूपेणानुभवसिद्धो बोधो न स्यात्। नामार्थधात्वर्थयोर्भेदेनान्वयो न व्युत्पन्न इति व्युत्पत्तेर्निपातेतरत्वेन संकोचेऽपि प्रोपसर्गस्याभावे शक्तौ स्वीकृतायामपि धातोर्गतिनिवृत्त्यर्थकत्वेन गतिनिवृत्तिरूप धात्वर्थस्य प्रतियोगित्वसम्बन्धेन प्रोपसर्गवाच्येऽभावेऽन्वयेन गति निवृत्ति प्रतियोगिकाभाव इति बोधात् गमननिवृत्त्यभावत्वरूपेणैव बोधः स्यात्। द्योतकत्वे तु तिष्ठतेर्धातोरेव लक्षणया गतिप्रतिपादकत्वाद् गमनत्वरूपेण बोधोऽनायासेन सिध्यति।

उपसर्गाणां द्योतकत्ववाचकत्व विचार सारः - अस्मिन् प्रकरणे उपसर्गनिपातानामुल्लेखः, तेषामर्थविचारः एवं च तेषां च द्योतकत्वं वाचकत्वं वेति विचारो विवेचितो वर्तते। शब्दशक्तिप्रकाशिकाकारः अपि निपातानामर्थविषये एवं प्रत्यपादयत् यत् चादीनां निपातानामपि केवलेन अर्थबोधने सामर्थ्यं न भवति किन्तु प्रातिपदिकार्थेन सह अन्वयेनैव। इमे च निपाताः अनेकविधः स्वरादिचादिभेदेन। यद्यपि अन्यनैयायिकाः प्रादीनां धातोः प्राक् प्रयुक्तानामुपसर्गाणां द्योतकत्वं स्वीकुर्वन्ति, चादीनाञ्च वाचकत्वं "साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः"<sup>10</sup> इति अमरकोशबलात्। परञ्च वैयाकरणानामत्र आपत्तिः। तेषामयमाशयः यत् यथा प्रादीनां द्योतकत्वं चादीनामपि तथैव अथवा चादीनां यथा वाचकत्वं प्रादीनामपि तथैव तयोर्वैषम्ये बीजाभावः। तदुक्तं वैयाकरणभूषणसारे -

द्योतकाः प्रादयोः येन निपाताश्चादयस्तथा।

उपास्येते हरिहरौ लकारो दृश्यते यथा॥<sup>11</sup> इति॥

'अनुभवति' इत्यत्र अनुभवरूपः अर्थः न केवलस्य अनुमात्रस्य उपसर्गस्य। यतोहि तथा स्वीकारात् अनुकरोत्यादावपि अनोर्विद्यमानत्वात् तत्रापि अनुभवार्थः आपद्येत। न केवलस्य धातोरेव अनुभवोऽर्थः। 'अनुभवति' इत्यादौ यदि भूधातोरेव अनुभवः अर्थः स्वीक्रियेत तदा 'प्रभवति उद्भवति' इत्यादावपि भवतेर्विद्यमानत्वात् तत्रापि अनुभवार्थः आपद्येत। भर्तृहरिरपि अस्मिन् विषये द्योतिका, वाचिका वा स्युः इत्युक्त्वा उभयत्रापि उभयं स्वीकरोति। तदुक्तं वाक्यपदीये -

निपाता द्योतकाः केचित् पृथगाभिधायिनः।

आगमा इव केऽपि स्युः सम्मूयार्थस्य वाचकाः॥<sup>12</sup> इति॥

वस्तुतस्तु वैयाकरणाः उभयत्रापि द्योतकत्वमेवाङ्गीकुर्वन्ति। यतोहि चादीनां प्रातिपदिकेन अन्वयं विना नार्थबोधनक्षमत्वम्। अत एव -

शरैरुपैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिवा।

इत्यादावन्वयो न स्यात् सुपाञ्च श्रवणं ततः।<sup>13</sup> इति॥

अयञ्चोस्मादिशब्दानां तत्सदृशपरत्वे इव शब्दस्य द्योतकत्वे सत्येव सङ्गच्छते। प्रादीनां च धातुं विना नार्थबोधनक्षमत्वम्। अत एव उक्तं शब्दकौस्तुभे भट्टोजिदीक्षितेन -

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।

प्रहारहारसंहारविहारपरिहारवत्॥

वैयाकरणभूषणसारे चादीनां निपातानाम् अर्थवोधनप्रकारः विस्तरेण प्रोक्तः।

सन्दर्भ ग्रन्था

1. शब्दकौस्तुभे कारिका
2. शब्दशक्तिप्रकाशिका कारिका - ११
3. वैयाकरणभूषणसारः निपातार्थनिर्णयः कारिका - ४२
4. वाक्यपदीयं द्वितीयकाण्डम् कारिका - १८४
5. वाक्यपदीयं द्वितीयकाण्डम् कारिका - १८६
6. वैयाकरणभूषणसारः निपातार्थनिर्णयः कारिका - ४५
7. वाक्यपदीये द्वितीयकाण्डम् कारिका - १६२
8. 'उपमानानि सामान्यवचनैः' इति सूत्रे महाभाष्ये
9. वैयाकरणभूषणसारः निपातार्थनिर्णयः कारिका - ४७
10. वाक्यपदीयम् क्रियासमुदेशः कारिका-04
11. वैयाकरणभूषणसार निपातार्थनिर्णयकारिका-42
12. वाक्यपदीय द्वितीयकाण्डकारिका-182
13. वैयाकरणभूषणसारनिपातार्थनिर्णयकारिका-45

## भारत द्वारा सुरक्षा की खोज

मदन कुमार वर्मा

एसो0 प्रोफेसर, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number: 291-294

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

**सारांश** – चीन द्वारा भारत की रणनीतिज्ञ घेराबन्दी के विरुद्ध भारत द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया कदम।

**मुख्यशब्द**—भारत, खोज, सुरक्षा, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय।

भारत अपने सुरक्षा की खोज में सतत् प्रयासरत् है क्योंकि सन् 1991 में सोवियत संघ का विखण्डन होने भारत अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगा दूसरे ओर चीन-पाकिस्तान की रणनीतिक गठजोड़ निरंतर भारत की चिंता को बढ़ाया है। भारत की कमोवेश स्थिति वैसी बन गयी जैसे कि फ्रांस की स्थिति दोनों विश्वयुद्ध के मध्य में थी। फ्रांस अपनी सुरक्षा की खोज में यूरोप में नये शक्ति समीकरण निरंतर बना रहा था, तो दूसरी ओर बिट्रेन तुष्टीकरण की नीति जर्मन के प्रति अपनाया था, जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध हो गया। भारत इन वैश्विक घटनाओं से शिक्षा लेते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया है। ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसको दो भागों में बाँटकर हम अध्ययन कर सकते हैं।

1. भारत के विरुद्ध चीन द्वारा उठाये गये कदम
2. प्रतियुत्तर में भारत द्वारा उठाये गये कदम।

चीन की विदेश नीति हीगल की विचारधारा का अनुसरण करती है जैसा हीगल ने कहा था, जिस प्रकार तालाब में बंधा पानी गंदा हो जाता है उसी प्रकार यदि निरंतर सेना को गतिमान न बनाये रखा जाय तो सैनिक में आलस्य व अन्य निम्न विचार घर बना लेते हैं। चीन अपनी इसी नीति पर चलते हुए अपने पड़ोसियों के विरुद्ध अपनी सेना को निरंतर उकसाता रहता है चाहे वे जापान, वियत नाम व भारत क्यों न

हो भारतचीन की इस रणनीति का सबसे बड़ा शिकार है। 05 मई 2020 को चीन-भारत के मध्य सीमा पर सैन्य संघर्ष हुआ यह घटना L.A.C. पर गलवान घाटी के पूर्वी लद्दाख में हुआ और भारत ने अपने 20 सैनिकों को 15 जून 2020 तक खो दिया। कई दौर के वार्ता के बाद चीन अपने सेना को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। चीन की विस्तारवादी व आक्रामक रणनीति केवल यही नहीं रूकी जबकि अमेरिका व कई पाश्चात्य देशों ने चीन की निंदा की, और सलाह दिया कि चीन L.A.C. पर अपनी आक्रामक रणनीति रोके। इससे पूर्व भारत व चीन में सैन्य झड़प डोकलाम को लेकर 2017 में हो चुका हैं। डोकलाम दरअसल भूटान का हिस्सा है जिस पर चीन अपना अधिपत्य चाहता है इसमें भारत-चीन में सैन्य झड़प हो गयी। भारत पर भूटान की प्रतिरक्षा का भार है।

वास्तव में शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारत चीन एक दूसरे को रणनीतिक प्रतिद्वन्दी मानने लगे हैं जिससे दक्षिण एशिया में हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ बढ़ी है जो भारत के लिए चिंता का विषय है, चीन धीरे-धीरे एक के बाद एक भारतीय पड़ोसियों से अपने सम्पर्क बढ़ाता जा रहा हैं—जैसे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी से प्रगाढ़ सम्बन्ध है। जब भारत-चीन के साथ L.A.C. पर मई 2020 में सीमा पर संघर्षरत् था, तो नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद को उठाया और नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लीमपिया धुरा को नेपाल नक्शे में दिखाया जिसमें भारत व नेपाल से बीच तनाव बढ़ा। इसी प्रकार जब श्रीलंका ने चीन द्वारा लिये गये विशाल कर्ज को देने में असमर्थ हो गया तो श्रीलंका ने अपने हमबन टोटा पोर्ट को चीन को 2017 में 100 वर्ष के पट्टे पर दे दिया, जिससे भारत की चिंताए बढ़ गयी। 17-18 जनवरी 2020 को चीनी राष्ट्रपति ने म्यांमार की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान सबसे उल्लेखनीय समझौता क्याउकर्पायू इकोनामिक जोन में चीन 1.3 विलियन का निवेश करेगा। क्याउरुर्पायू गहरे समुद्र का बन्दरगाह म्यांमार में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसने चीन की रणनीतिक उपलब्धि को बंगाल की खाड़ी में आसान बना दिया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जिसे चीन विकसित कर रहा है, इसके द्वारा भी चीन की हिन्द महासागर में उपस्थिति दर्ज की इस पोर्ट का वास्तव में रणनीतिक महत्व है यह मल्लका जलसंधि के निकट है। इसके अतिरिक्त चीन सिटवी समुद्री पोत की विकसित और प्रसार कर रहा है जो कोको द्वीप के निकट है जो हमारे अण्डमान-निकोबार को द्वीप-समूह के निकट है जिस म्यांमार ने चीन को दे दिया।

मालदीव जो दक्षिण-पश्चिम में श्रीलंका व भारत के पास अरेबियन समुद्र में स्थित है मालदीव चीन के सैन्य बेस दजीबूटी (Djibouti) और ग्वादर बंदरगाह के निकट है। मालदीव में चीन ने व्यापक निवेश किया है, बदले में मालदीव ने चीन के सिल्करूट का समर्थन किया है जो हिन्द महासागर से गुजरेगा। बांग्लादेश में चीन ने चित्तगांग बंदरगाह को व्यापारिक व नौ सैनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहा है।

इस प्रकार चीन के पिछले दो दशकों में हिन्द महासागर के सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक बिन्दुओं पर अपना प्रभाव जमा लिया है, भारत को चीन के प्रतियुत्तर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर चीन के विरुद्ध रणनीति बनानी होगी।

चीनी के प्रतियुत्तर में भारत ने अनेक कदम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उठाये हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्तर अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। तथा अपना परमाणु हथियार चीन व पाकिस्तान के प्रतियुत्तर में बढ़ा रहा है तथा लम्बी दूरी एवं अर्न्तमहाद्वीपीय मिसाइलों का विकास कर रहा है जैसा कि जार्ज फर्नांडीज ने भारत द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान नहीं अपितु चीन हमारा दुश्मन नं०-1 है। दूसरी ओर भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर वियत नाम, जापान व ताइवान से अपने सैनिक रणनीतिक सम्बंध बनाये हैं यही कारण कि वियतनाम के समर्थन से भारत ने चीन सागर में अपने युद्ध-पोत उतारे हैं। ताइवान से रणनीति के सम्बन्ध बढ़ाने पर चीन तिलमिला उठा था। पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मात्र स्थित वियतनाम, जापान व ताइवान के सम्बन्धों से चीन को संतुलित नहीं कर रहा है। अतः भारत अपने सुरक्षा के लिए अमेरिका से भी सम्बन्ध बढ़ाया है भारत ने अमेरिका के साथ **Civil Nuclear Isolation Co-operation Agreement** पर 2008 में समझौता किया। इस प्रकार भारत 34 वर्ष बाद वैश्विक नाभकीय अलगाव से मुक्त हुआ। साथ ही भारत वैश्विक स्तर चीन के साथ अपने सम्बन्धों को संतुलित करने के लिए क्वाड नाम संगठन में शामिल हुआ। चीन इस क्वाड को लेकर काफी चिंतित है, चीन ने इसे नाटो का एशियाई संस्करण कहाँ है क्वाड का पूरा नाम **quadrilateral security dialogue** है। जिसके सदस्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत है। चारों देश इण्डो-पैसेफिक क्षेत्र में आपसी सलाह और सहयोग से अपनी सुरक्षा को निश्चित करना चाहते हैं। क्वाड 2007 जापानी P.M. शिजो अम्बे के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इसी वर्ष जापान ने भारत-U.S.A मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया।

इस प्रकार भारत पूर्व सोवियत संघ के सन् 1991में विघटित होने के पश्चात् भारत ने जो सुरक्षा खोज शुरू की, उसकी गति क्वाड तक आकर रूक गयी है, पर इसमें चीन की हरकतों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।

जब से सन् 2007 से क्वाड का गठन हुए तब से भारतीय सेना व चीनी सेना के मध्य दो बार सैन्य झड़प हो चुकी है, चीन वास्तव में बड़ा युद्ध न लड़कर स्वयं पहलकर अपने पड़ोसी के क्षेत्र में घुस जाता है और जब पड़ोसी की सेना आती है तो कुछ दूर पीछे हटकर पड़ोसी के क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर देता है यह चीन की पुरानी रणनीति है। दूसरे इससे चीन की सेना गतिशील बनी रहती है। इसका निदान यह है कि चीन के सारे पड़ोसियों को एक व्यापक रणनीतिक सम्बन्ध के तहत जोड़ा जाये। तभी चीनी शक्ति को इस क्षेत्र में संतुलित किया जा सकता है।

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक डॉ० तिवारी G.D.
2. दो विश्व युद्धों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध—E.H. Car
3. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर, दिसम्बर—2020
4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध— पंत पुष्पे
5. दैनिक जागरण अमर उजाला
6. हिन्दुस्तान टाइम्स

## काव्यप्रकाश के आलोक में कालिदास समीक्षा

डॉ. नंदिता मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी.जी. कॉलेज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 295-303

Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

**सारांश** – महाकवि के प्रति इस प्रकार की दोष दृष्टि का भी निवारण हो जाता है। जहाँ तक काव्यप्रकाशकार के बारे में कहा जा सकता है तो वे एक लक्षणग्रन्थकार हैं उसी दृष्टि से शास्त्र का निरूपण करते हैं और उदाहरण में अनेकानेक कवियों का उल्लेख करते हैं। उनकी स्वयं की दृष्टि में महाकवि कालिदास एक अद्वितीय कवि हैं जिनके लिए स्वयं उन्हें लिखना पड़ता है कालिदासादीनामिव यशः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट की दृष्टि में भी महाकवि कालिदास असंदिग्ध रूप से महाकवि है।

**मुख्यशब्द** – काव्यप्रकाश, कालिदास, दोष, शास्त्र, लक्षणग्रन्थ, मम्मट।

आचार्य मम्मट की दृष्टि से महाकवि कालिदास की समीक्षा महाकवि की प्रशस्ति के ही सदृश है। काव्यशास्त्र की परम्परा में प्रायः आचार्यों ने कालिदासीय पद्यों का उदाहरण लक्षण ग्रन्थों में प्रस्तुत किया है। यह महाकवि के काव्यों का महत्त्व ही है कि इनके काव्यों में दोष से लेकर रस का निरूपण करने के लिए आचार्य इनका उल्लेख करते हैं। मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी जैसे आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त प्रभृति<sup>1</sup> आचार्यों ने अत्यन्त विश्वासपूर्वक कालिदास का उल्लेख किया है। प्रायः काव्यों के विभिन्न सम्प्रदायों के अन्य आचार्यों के द्वारा भी कालिदास के उद्धरण निदर्शन के रूप में दिए गए हैं। जिनमें कतिपय पद्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और विभिन्न सिद्धान्तों के प्रतिपादन में उन्हें देखा जाता है<sup>2</sup> जैसे कि काव्यशास्त्र की परम्परा में काव्य घटक तत्त्वों अलंकारादि के तथा त्याज्य दोष आदि के निर्वचन में भी आचार्यों की प्रतिपादन शैली भिन्न-भिन्न है। काव्य प्रकाशकार ने प्रायः सम्पूर्ण काव्यप्रकाश में कालिदास के पद्यों का उदाहरण दिया है, जिनकी संख्या लगभग 30-32 है। इनमें से भी दोष के उदाहरण के रूप में अधिक पद्य हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार समझा जाना चाहिए

प्रसंग	उदाहरण	पृ० सं० काव्यप्रकाश <sup>3</sup>
1. विप्रलभ (शाप)	त्वामालिख्य मेघदूत मेघदूत, उ० मे० / 47	142
2. भयानक रस	ग्रीवाभंगाभिरामं शाकुन्तल, 1/7	148
3. भावशबलता	क्वकार्यं शशलक्ष्मणः विक्रमोर्वशीयम्, प्रक्षिप्त	165
4. सन्दिग्धप्राधान्य	हरस्तुकिञ्चित् कुमारसम्भव, 3/67	247
5. अवाचक दोष	हा धिक् सा कि विक्रमोर्वशीयम्, प्रक्षिप्त मृदुपवनविभिन्नो	320
6. अमंगल अश्लील	मृदुपवनविभिन्नो विक्रमोर्वशीयम्, 4/22	320
7. अविमृष्टविधेयांश	स्रस्तां नितम्बादवरोपयन्ती कुमारसम्भव, 3/55	327
8. अविमृष्टविधेयांश	वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता कुमारसम्भव, 5/72	328

9. प्रसज्यप्रतिषेध नञ् (उचित प्रयोग)	विक्रमोर्वशीयम्, 4/7 जुगोपात्मानमत्रस्त्रो	330
10. पर्युदास नञ् (उचित प्रयोग)	रघुवंश, 1/21 कातर्य केवला नीति	343
11. प्रक्रान्त (तत् का यत् की अपेक्षा न रखना)	कातर्य केवला नीति रघुवंश, 17/47	344
12. प्रसिद्ध (तत् का यत् की अपेक्षा न रखना)	द्वयं गतं सम्प्रति कुमारसंभव, 5/71	354
13. श्रुतिकटुपदैकदेश	तद्गच्छ सिद्धयै कुमारसंभ, 3/18	354
14. पदैकदेश निहितार्थ	यश्चाप्सरोविभ्रमण्डनानां कुमारसंभव, 1/4	355
15. अनभिहित वाच्य	त्वयि निबद्धरतेः विक्रमोर्वशीयम् 4/55	381
16. सर्वनामप्रक्रमभंगदोष	ते हिमालयामन्त्र्य कुमारसंभव, 6/49	389
17. पर्यायप्रक्रमभंगदोष	महीभृतः पुत्रवतोऽपि कुमारसंभव, 1/27	390
18. कारकप्रक्रमभंगदोष	गाहन्तां महिषा शाकुन्तल, 2/6	392
19. अमतप्रक्रम विरुद्ध	राममन्मथशरेण रघुवंश, 11/20	396
20. दोष का अपवाद	ज्याबन्धनिष्पन्द भुजेन रघुवंश, 6/40	425
21. ख्यात अर्थ में निर्हेतु की अदुष्टता	चन्द्रं गता पद्मगुणान् कुमारसम्भव, 1/43	428
22. कष्टत्व का गुणत्व	रक्ताशोक कृशोदरी विक्रमोर्वशीयम्, 4/62	432
23. न गुण न ही दोष	तिष्ठेत कोपवशाद् विक्रमोर्वशीयम्, 4/9	441
24. अंगभूत रस दोष	दीप्ति पुनः पुनः कुमारसम्भव, प्रक्षिप्त	454
25. प्रकृतिविपर्यय	क्रोधं प्रभो कुमारसम्भव, 3/72 दशम उल्लास	457
26. ससंदेह	अस्याः सर्गविधौ विक्रमोर्वशीयम्, 1/100	472
27. वाक्यार्थ निदर्शना	क्व सूर्य प्रभवो रघुवंश, 1/2	588
28. समुच्चय	अयमेकपदे तथा विक्रमोर्वशीयम्, 4/10	644
29. विशेष	गृहिणी सचिवः रघुवंश, 8/67	685
30. कालादि भेद से भग्न प्रक्रमता दोष	अतिथिं नाम रघुवंश, 17/1	713
31. अनुचितार्थत्व दोष	दिवाकराद्रक्षति कुमारसम्भव, 1/12	718

इस प्रकार मम्मट के काव्यप्रकाश में दोषों के उदाहरण के रूप में ही अधिक पद्यों को उदाहृत किया गया है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता कि आचार्य मम्मट की दृष्टि में कालिदास की कविता दोषपूर्व है अपितु मम्मट द्वारा प्रथमोल्लास में कालिदासादीनामिव यशः को ही प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि कालिदास ही मम्मट की दृष्टि में यशस्त्री कवि है। अर्थात् एक कवि के रूप में जितना यश कालिदास का है उतना किसी अन्य का नहीं। काव्यकारण को स्पष्ट करने के क्रम में महाकविसम्बन्धिनां के स्पष्टीकरण में साहित्यचूडामणि में कुमारसम्भव<sup>4</sup> तथा सुधासागर में रघुवंश<sup>5</sup> को उदाहृत किया गया है। वस्तुतः कालिदास के प्रति आलंकारिक आचार्यों में ऐसा ही मानने की परम्परा है। मम्मट ने जितनी मान्यता ध्वनिकार को दी है उसके अनुसार आनन्दवर्धन भी कालिदास को ही

महाकवि मानते हैं। आनन्दवर्धन की दृष्टि में भी कालिदास ही यशस्वी कवि है।<sup>6</sup> अतः महाकवि कालिदास के प्रति मम्मट भी उतने ही श्रद्धावान और विश्वस्त हैं, ऐसा कहा जाना उचित होगा। काव्यप्रकाश के अनुसार कालिदास की समीक्षा करने से पहले कुछ कह सकते हैं कि दोषों का अभाव ही गुण हो जाता है। इस दृष्टि से भोज आदि की दृष्टि में दोष अनित्य हुआ करते हैं। पुनश्च कहीं ये ही दोष गुण के भी प्रकार में दिखाई देते हैं। इस प्रकार मम्मट के द्वारा दोषों के उदाहरणों के रूप में दिये गए कालिदासीय पद्यों पर अत्यन्त सावधान होकर विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि हम इसकी चर्चा आगे करेंगे तथापि अनेक आचार्यों और विद्वानों ने कालिदास के साहित्य में स्खलद्गतित्व पर विमर्श किया है और कुछ ने उनका निराकरण भी दिखाया है। अतः कालिदास के दोषों की चर्चा विद्वत् समाज में अत्यन्त महत्त्व की वस्तु बन गई। यथाक्रम हम उनका निरूपण करेंगे किन्तु काव्यप्रकाश के उल्लासक्रम से कालिदास के पद्यों पर यहाँ विचार किया जाना उचित होगा। सर्वप्रथम चतुर्थ उल्लास में तीन उदाहरण कालिदास के प्राप्त होते हैं जिनमें प्रथम विप्रलम्भ शृंगार दूसरा भयानक रस तथा तीसरा पद्य भावशबलता का है। यद्यपि भावशबलता का उदाहरण प्रक्षिप्त है तथापि मम्मट से पूर्व अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने भी विक्रमोर्वशीयम् के इस पद्य को उदाहृत किया है।<sup>7</sup> शृंगार के दो भेद सम्भोग और विप्रलम्भ का निर्वचन करते हुए प्रथम को अनन्त प्रकार का मानते हुए द्वितीय के पाँच प्रकार मम्मट ने बताए।<sup>8</sup> विप्रलम्भ शृंगार के पाँच प्रकारों में शापहेतुक विप्रलम्भ के उदाहरण के रूप में मेघदूत का निम्न पद्य मम्मट ने उदाहृत किया है

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायामात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्।  
अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते में क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नौ कृतान्तः।।<sup>9</sup>

यद्यपि मम्मट ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की किन्तु टीकाकारों ने पर्याप्त विचार किया है। सामान्य विद्वान्त के अनुसार नायिका आलम्बन है और उसका प्रणय कोप उद्दीपन है। पैरों में गिरना अनुभाव तथा कृतान्त के प्रति असूया व्यभिचारी भाव है। इन सबसे निष्पन्न होने वाली रति स्थायी भाव है।

भयानक रस के लिए शाकुन्तल के निम्न पद्य को मम्मट ने उदाहृत किया है –

ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्यार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम्।  
दर्भैरार्द्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति।।<sup>10</sup>

काव्य प्रकाश के अनुसार इस पद्य में मृग का भय वर्णित है। यद्यपि काव्यप्रकाश में इसकी कोई व्याख्या नहीं है तथापि सामान्य सिद्धान्त के अनुसार मृग के पीछे चलने वाला राजा आलम्बन, शरपतन की सम्भावना उद्दीपन, बारम्बार ग्रीवाभंगादि अनुभाव तथा मृग के श्रम आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन सबसे उत्पन्न भय स्थायी भाव है।

पंचम उल्लास में गुणीभूतव्यंग्य के सन्दिग्धप्राधान्य नामक भेद के उदाहरण के रूप में कुमार सम्भव के तृतीय सर्ग का निम्न पद्य उद्धृत है

हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्यश्रयन्दोदयारम्भ इवाम्बुराशिः।  
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि।।<sup>11</sup>

मम्मट ने इस पद्य को सन्दिग्धप्राधान्य गुणीभूतव्यंग्य प्रकार मानते हुए इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है

**अत्र परिचुम्बतुमैच्छदिति कि प्रतीयमानं कि वा विलोचनव्यापारणं वाच्यं प्रधानमिति सन्देहः।<sup>12</sup>**

मेरी दृष्टि में यहाँ मम्मट के द्वारा अधरचुम्बन को व्यंग्य और लोचनत्रय के व्यापार को वाच्यार्थ माना गया है। यहाँ ये दोनों ही चमत्कारजनक हैं। अतः व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ के चमत्कार की प्रधानता सन्दिग्ध हो जाने से यह सन्दिग्धप्राधान्य गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण हो गया। किन्तु यदि कुमारसम्भव में यह जहाँ है वही प्रसंग कुछ देर और निरन्तर बढ़ता जाता तो निश्चित रूप से यहाँ रति की ही व्यञ्जना होती। किन्तु अगले ही पल सारा प्रसंग ही बदल जाता है। अतः यहाँ व्यंग्यार्थ जैसे ही चमत्कार की सम्भावना अभिधेयार्थ में सहृदय कर लेता है।

सप्तम उल्लास में ग्रीडा, जुगुप्सा तथा अमंगल नामक तीन अश्लील<sup>1</sup> दोषों का निर्वचन करते हुए अश्लील<sup>13</sup> के उदाहरण के रूप में विक्रमोर्वशीयम् के चतुर्थ अंग का निम्न पद्य मम्मट द्वारा उदाहृत किया गया है –

**मृदुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशाद् घनरुचिरकलापो निः सपत्नोऽद्य जातः।  
रतिगिगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बर्ही।<sup>14</sup>**

इस पद्य में मम्मट ने अमंगल रूप अश्लील माना है क्योंकि विनाश शब्द मृत्यु का बोधक है। अतः मम्मट ने इसे अमंगल कहते हुए दोष माना है। किन्तु यदि इस पूरे प्रसंग को पुरुरवा की दृष्टि से देखा जाए तो यह पुरुरवा की दशा को उसकी पूरी योग्यता के साथ चित्रित करने वाला गुण माना जा सकता है। सुधासागर टीका के अनुसार भी भावी अमंगल की सूचना होने पर कामशास्त्र की स्थिति में दोष नहीं माना जाता।<sup>15</sup> अतः विनाश शब्द का विवक्षित अर्थ अमंगल होने पर भी इस प्रसंग में कामशास्त्र की दृष्टि से उसका दोषत्व समाप्त हो जाता है।

अविमृष्टविधेयांश दोष के प्रसंग में मम्मट ने कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग से निम्न पद्य उदाहृत किया है

**स्रस्तां नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसरदामकाञ्चीम्।  
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कार्मुकस्य।<sup>16</sup>**

मम्मट ने इस पद्य में अविमृष्टविधेयांश दोष मानते हुए इसका व्याख्यान निम्न प्रकार किया है

**अत्र द्वितीयत्वमात्रमुत्प्रेक्ष्यम्। मौर्वी द्वितीयामिति युक्तः पाठः।<sup>17</sup>**

कुमारसम्भव के उक्त पद्य में द्वितीयत्व विधेय है। अतः उसे प्रधानतया प्रीत होना चाहिए था। किन्तु उत्तरपद प्रधान कर्मधारय समास में गौण हो जाने से वह प्रधान रूप से प्रतीत नहीं होता, अतएव यहाँ अविमृष्टविधेयांश दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि द्वितीयमौर्वी के स्थान पर मौर्वी द्वितीयां यह पाठ होता तो अविमृष्टविधेयांश दोष नहीं रह जाता।

अविमृष्टविधेयांश दोष के एक अन्य उदाहरण के रूप में मम्मट के कुमारसम्भव का निम्न पद्य उदाहृत किया है

**विपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु।  
वरेषु यद् बालमृगाक्षि, मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने।<sup>18</sup>**

कुमारसम्भव के इस पद्य में शिव के जन्म की आलक्ष्यता ही विधेय है। किन्तु यह अलक्ष्यता अन्यपदप्रधान बहुव्रीहि समास में गौण हो जाने से प्रधानतया निर्दिष्ट नहीं होती है। अतः अविमृष्ट विधेयांश दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि इस पद्य में समस्त पद के स्थान पर अलक्षिता जनिः प्रयोग किया जाता तो यह दोष नहीं रहता। कुछ व्याख्याकारों का मत है कि शिव का जन्म ही असिद्ध है अतः यहाँ अलक्ष्यजन्म ही विधेय है अतः कोई दोष नहीं।<sup>19</sup>

मम्मट ने दोष प्रकरण में केवल दोषों को ही निर्दिष्ट करने में महाकवि के पद्यों का प्रयोग नहीं किया है अपितु उचित प्रयोग को निर्दिष्ट करने के लिए भी महाकवि के पद्यों को उदाहृत किया है। मम्मट ने नञ् समान में अविमृष्टविधेयांश दोष का निर्वचन करते हुए प्रसज्यप्रतिषेध नञ् तथा पर्युदास नञ् दोनों के ही उचित प्रयोग को निर्दिष्ट करने में महाकवि के पद्यों को उदाहृत किया है। प्रसज्यप्रतिषेध नञ् के उचित प्रयोग के लिए आचार्य ने विक्रमोर्वशीयम् के चतुर्थ अंक का निम्न पद्य उदाहृत किया है

नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः सुखनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम् ।  
अयमपि पटुधीरासारो न बाणपरम्परा कनकनिकषस्निग्धा विद्युत् प्रिया न ममोर्वशी ।<sup>20</sup>

यहाँ विधेयांश के निषेधपरक होने के कारण नञ् का समासगत प्रयोग नहीं किया गया है जिससे विधेयांश प्रधानताया निर्दिष्ट हो रहा है। इस कारण यहाँ अविमृष्टविधेयांश दोष नहीं है तथा प्रसाज्य प्रतिषेध नञ् का उचित प्रयोग है।

पर्युदास नञ् के उचित प्रयोग के लिए आचार्य ने रघुवंश के प्रथम सर्ग के निम्न पद्य को उदाहृत किया है –

जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्मानातुरः ।  
अगृध्नुराददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूत् ।<sup>21</sup>

इस पद्य में विधेयांश प्रतिषेधपरक है तथा नञ् का समासगत प्रयोग करने से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। अत्रस्त पद में पर्युदास नञ् का प्रयोग है तथा विभिन्न क्रियाओं के साथ उसका विधान किया गया है।

सप्तम उल्लास में मम्मट ने पदांशगत श्रुतिकटु आदि दोषों के निर्वचन में पदैकदेश श्रुतिकटु के उदाहरण के रूप में कुमारसम्भव के तृतीयसर्ग का निम्न पद्य उदाहृत किया है –

तद् गच्छ सिद्धयै कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तर लभ्य एव ।  
अपेक्षते प्रत्ययमंगलब्धयै बीजांकुरः प्रागुदयादिवाम्भः ।<sup>22</sup>

कुमारसम्भव के उक्त पद्य में तारकासुर के वध हेतु कामदेव के प्रति इन्द्र की प्रार्थना वर्णित है। प्रार्थना में प्रायः मधुर भाषण ही शोभनीय होने के कारण सिद्धयै तथा लब्धयै पदों में पदांशगत श्रुतिकटु दोष उत्पन्न हो जाता है।

आचार्यों द्वारा पदों का क्रम विद्यमान न होने पर अक्रम दोष माना गया है। इस दोष के उदाहरण के रूप में मम्मट के कुमार सम्भव के निम्न पद्य को उदाहृत किया है –

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।  
कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।<sup>23</sup>

आचार्य मम्मट के अनुसार इस पद्य में त्वं शब्द के पश्चात् चकार का प्रयोग किया जाना चाहिए था।<sup>24</sup> अतः पदों में क्रम विद्यमान न होने के कारण इसे अक्रम दोष के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया।

आचार्यों के अनुसार कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ दोष, दोष न रहकर गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकरण वशाद् दोष के गुणके रूप में परिणत हो जाने के उदाहरण के रूप में मम्मट ने पुरुरवा की निम्न उक्ति को उद्धृत किया है –

रक्ताशोक, कृशोदरी क्व नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं नो दृष्टेति चालयसि किं वातावधूनं शिरः ।  
उत्कण्ठाघटमानषट्पदघटासंघदष्टच्छदस्तत्पादाहतिमनतरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः ।<sup>25</sup>

यद्यपि इस पद्य में विप्रलम्भ श्रृंगार की व्यञ्जना होने से दीर्घसमास तथा परुष वर्णों का प्रयोग हस पद्य में दोष उत्पन्न कर देता तथापि प्रकरणवशाद् वह दोष, दोष न रहकर गुण के रूप में परिणत हो जाता है। पुरुष वर्णों का प्रयोग विप्रलम्भ के अंगभूत कोप को और अधिक प्रकर्ष प्रदान कर मुख्य रस को भी और अधिक चमत्कारी बना देता है।

आचार्यों के अनुसार कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ न गुण होता औरन ही कोई दोष होता है। इस प्रसंग में मम्मट ने उदाहरण के रूप में विक्रमोर्वशीयम् के चतुर्थ अंग से निम्न पद्य को उदाहृत किया है –

तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति स्वर्गायोऽपतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्या मनः ।  
तां हर्तुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ।<sup>26</sup>

उक्त पद्य में न तो गुण है न कोई दोष। पिहिता पद के अनन्तर नैतद्यतः पद न्यून होते हुए भी गुण नहीं है और बिना इस पद्य के भी उत्तरकालीन ज्ञान पूर्वज्ञान का बाध कर देता है अतः कोई दोष भी नहीं है।

दशम उल्लास में भी अलंकार निरूपण के प्रसंग में आचार्य मम्मट ने महाकवि के कई पद्यों के उदाहृत किया है। किन्तु शोध-पत्र विस्तार के भय से सभी उदाहरणों की समीक्षा सम्भव न होने के कारण कुछ ही पद्यों की समीक्षा यहाँ की जा रही है। ससन्देह अलंकार के उदाहरण के रूप में मम्मट ने विक्रमोर्वशीयम् के प्रथम अंग का निम्न पद्य उदाहृत किया है –

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः शृगरैकरसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः ।  
वेदाभ्यासजडः कथन्तु विषयव्यावृत्तकौतूहलो निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ।<sup>27</sup>

इस पद्य में प्रजापति के उपमान के रूप में चन्द्रमा, मदन तथा वसन्त को कहा गया है। किन्तु किसी के भी वैधर्म्य का कथन न होने के कारण यह ससन्देह अलंकार का उदाहरण बन जाता है।

वाक्यार्थ निदर्शना के उदाहरण के रूप में मम्मट नेरघुवंश के निम्न पद्य को उदाहृत किया है –

क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः ।  
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ।।<sup>28</sup>

इस पद्य में छोटी सी नौका से सागर तरण का उपयुक्त सम्बन्ध न होने के कारण उडुप सागर तरणके समान ही अल्पबुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन, कवि की यह उक्ति उपमा में परिणत हो जाती है।

दशम उल्लास में अलंकार निरूपण करने के पश्चात् आचार्य मम्मट ने अलंकार दोषों के निरूपण में भी महाकवि के पद्यों को उदाहृत किया है।

आचार्य मम्मट ने अलंकार में अनुचितार्थतत्त्व दोष दिखलाने के लिए कुमारसम्भव का निम्न पद्य उदाहृत किया है—

दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भतमिवान्धकारम् ।  
क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसामतीव ।।<sup>29</sup>

इस पद्य में अचेतन अन्धकार का सूर्य से भय सम्भव न होने के कारण हिमालय से रक्षा की सम्भावना भी असम्भव ही है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा के समर्थन में अर्थान्तरन्यास का प्रयत्न व्यर्थ सा ही प्रतीत होता है। इस कारण मम्मट ने इस पद्य में अनुचितार्थतत्त्व नामक दोष की सम्भावना की है।

आचार्य मम्मट ने सम्पूर्ण काव्यप्रकाश में महाकवि के अनेक उदाहरणों के उदाहरणों को उदाहृत किया है। किन्तु शोध-पत्र के गौरव के भय से सभी पद्यों की समीक्षा न कर कुछ ही पद्यों की समीक्षा की गई है और अन्य समस्त पद्यों को पूर्व में तालिका के माध्यम से उल्लिखित कर दिया है।

निष्कर्षतः ऐसा कहा जाना उचित होगा कि आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में जिन-जिन स्थानों पर महाकवि की चर्चा की है उनसे महाकवि का श्रेष्ठ कवित्व ही सिद्ध होता है। यह हम महाकवि के प्रति किसी श्रद्धाभावना के अनुशीलन होकर नहीं अपितु तर्कश्रित बुद्धि पर कह सकते हैं। काव्यप्रकाश वस्तुतः एक ऐसा महान ग्रन्थ है जिसे संस्कृत काव्यशास्त्र की श्रेष्ठ समीक्षा पद्धति की भी दृष्टि से सम्मान प्राप्त है। आचार्य मम्मट जब काव्यांगो का निरूपण करते हैं तो उनके अनुसार उनके उदाहरण भी देते हैं उदाहरणों को अपने लक्षण निष्कर्ष पर रखते भी हैं और परखकर उसे साहित्य प्रेमियों के लिए भी देते हैं। इस दृष्टि से मम्मट का दोष, गुण, अलंकार, रस आदि विवेचन वस्तुतः एक श्रेष्ठ समीक्षा की प्रस्तुति भी है। इसके लिए अधिकाधिक बार मम्मट ने कालिदास का उद्धृत भी किया। काव्यप्रकाश के जिन उल्लासों में कालिदास के उदाहरण प्राप्त होते हैं उनमें सप्तम और दशम उल्लास अर्थात् दोष और अलंकार प्रकरण हैं। जबकि रस और ध्वनि के भेदादि के उदाहरण के रूप में कुछ ही उदाहरण हैं किन्तु सप्तम उल्लास में भी जहाँ कि दोषों के उदाहरण के रूप में कालिदास के पद्यों को मम्मट के द्वारा उद्धृत किया गया वहीं कालिदास के ही पद्यों से उनमें से कुछ का परिमार्जन भी दिखाया गया। अतः विधेयाविमर्श आदि दोषों के रहने पर भी महाकवि के महाकवित्व के प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता। वस्तुतः मम्मट की पद्धति भिन्न है और कहीं-कहीं उनका ध्यान दोषों के अन्वेषण के प्रकरण आदि पर नहीं किया जा सकता। वस्तुतः मम्मट की पद्धति भिन्न है और कहीं-कहीं उनका ध्यान दोषों के अन्वेषण के प्रकरण आदि पर नहीं जा पाया है या यह कहें कि उनका यह मानना है कि इस

प्रकार दोष किसी भी दशा में नहीं होने चाहिये। जैसे कि द्वितीय मौर्वी आदि में जबकि टीकाकारों ने प्रकरण का अंग होने के कारण भाव विशेष की उपस्थिति के कारण ऐसे प्रसंगों में दोषों का होना नहीं माना है। यथा –

**भाव्यमंगलादिसूचने कामशास्त्रस्थितौ च न दोषत्वम् वैमुख्याभावात् । शिवलिंग भगिनी-ब्रह्माण्डादिशब्देषु तु समुन्नीतगुप्तलक्षितेष्वसभ्यार्थानुपस्थितेर्नायं दोषः ।<sup>30</sup>**

अतः महाकवि के प्रति इस प्रकार की दोष दृष्टि का भी निवारण हो जाता है। जहाँ तक काव्यप्रकाशकार के बारे में कहा जा सकता है तो वे एक लक्षणग्रन्थकार हैं उसी दृष्टि से शास्त्र का निरूपण करते हैं और उदाहरण में अनेकानेक कवियों का उल्लेख करते हैं। उनकी स्वयं की दृष्टि में महाकवि कालिदास एक अद्वितीय कवि हैं जिनके लिए स्वयं उन्हें लिखना पड़ता है कालिदासादीनामिव यशः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट की दृष्टि में भी महाकवि कालिदास असंदिग्ध रूप से महाकवि है।

**सन्दर्भ :**

1. तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुभितविहगश्रेणिरशना  
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम् ।  
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो  
नदीरूपेण्यं ध्रुवमसहना सा परिणत ॥ – ध्वन्यालोक, पृ0 212
- (ख) तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति  
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्य मनः ।  
तां हर्तुविबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरावेर्तिनीं  
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥ – लोचन, पृ0 184
2. द्वयं गतं .....प्रभृति  
यह पद्य आचार्य मम्मट ने स्वयं दोष प्रकरण में दो बार उद्धृत किया है।
3. आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, से प्रकाशित।
4. महाकविसम्बन्धिनां कुमारसम्भवादीनाम् । सा0चू0, पृ0 16
5. महाकविसम्बन्धिनां रघुवंशादीनाम्, न तु रामायणादीनाम् । सु0सा0, पृ0 17
6. येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः  
पञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते । ध्वन्यालोक, पृ0 94
7. क्वकार्यं शशलक्षणः क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा  
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।  
किं वक्ष्यन्त्यापकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा  
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ लोचन, पृ0 186
8. (क) तत्र श्रृगारस्य द्वौ भेदौ, सम्भोगी विप्रलम्भश्च । तत्राद्यः  
परस्परावलोकनालिङ्गनाधपानपरिचुम्बनाद्यनन्तभेदत्वाद-परिच्छेद्य इत्येक एव गण्यते । का0प्र0, पृ0 132  
(ख) अपरस्त अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चविधः । का0प्र0, पृ0 136
9. मेघूदतम्, उ0मे0, 47
10. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 1/7

11. कुमारसम्भवम्, 3/67
12. काव्यप्रकाश, 247
13. त्रिधेति त्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वाद् । का०प्र० 319
14. विक्रमोर्वशीयम्, 4/22
15. भाव्यमङ्गलादिसूचने कामशास्त्रस्थितौ च न दोषत्वम् वैमुख्याभावात् । शिवलिङ्ग-भगिनी-ब्रह्माण्डादिशब्देषु तु समुन्नीतगुप्तलक्षितेष्वसभ्यार्थानुपस्थितेर्नायं दोषः । सुधासागर टीका, पृ० 321
16. कुमारसम्भव, 3/55
17. काव्यप्रकाश, पृ० 327
18. कुमारसम्भव, 5/72
19. काव्यप्रकाश, श्रीनिवास शास्त्री, पृ० 293
20. विक्रमोर्वशीयम्, 4/7
21. रघुवंश, 1/21
22. कुमारसम्भव, 3/18
23. कुमारसम्भव, 5/71
24. अत्र त्वं शब्दानन्तरं चकारो युक्तः । का०प्र०, 394
25. विक्रमोर्वशीयम्, 4/62
26. विक्रमोर्वशीयम् 4/9
27. विक्रमोर्वशीयम् 1/10
28. रघुवंश, 1/2
29. कुमारसम्भव, 1/12
30. सुधासागर टीका, पृ० 321

# भाषाविज्ञानदृष्ट्या मैथिलीसंस्कृतभाषयोः ध्वनितत्त्वानुशीलनम्



गौतमकुमारराजहंसः

शोधार्थी,

श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः।

## Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 304-314

## Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

**शोधपत्रसारांशः-** संस्कृतं मैथिली च भारतीये द्वे मुख्ये भाषे स्तः। उभयोः भाषयोर्मध्ये अस्ति कश्चन समीपतरः सम्बन्धः। अस्य सम्बन्धस्य ज्ञानं भाषाविज्ञानस्य माध्यमेन भवति। भाषाविज्ञानस्य तुलनात्मकशाखया द्वयोः भाषयोः समग्रं भाषावैज्ञानिकं तौलनिकं च चिन्तनं क्रियते। अनया रीत्या मैथिलीसंस्कृतभाषयोः ध्वनिसम्बन्धिनी कीदृशी भाषावैज्ञानिकी चिन्तनधारा अस्ति तथा उभयोर्भाषयोर्मध्ये ध्वनिविषयकं किं साम्यं किञ्च वैषम्यम् अस्तीति अस्मिन् शोधपत्रे विव्रियते।

**कूटशब्दाः-** ध्वनिः, ध्वनिविज्ञानम्, भाषाविज्ञानम्, मैथिली, संस्कृतम्, स्वराः, व्यञ्जनानि।

1. ध्वनिशब्दार्थनिरूपणम् - ध्वनति ध्वनयति वेति व्युत्पत्त्या ध्वनिरिति पदेन शब्दः गृह्यते। ध्वनिः अक्षररूपेण परिचीयते। पस्पाशाह्निके तत्त्वलोके प्रतिपाद्यते यत् " ध्वनिः कादिवर्णात्मकः"। ध्वनय एव वर्णाः इति भावः।<sup>1</sup> ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनेन उक्तं यत् वैयाकरणाः श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति।<sup>2</sup> यत्र ध्वनिपदेन शब्दः गृहीतः, तत्र सः शब्दः व्यक्ताव्यक्तसाधारणः ध्वनिरूपः। यथा पदार्थयोः अभिघाताख्यसंयोगात् पटत् पटत् इति, वेणोः विभागाच्च चटत् चटतेति अव्यक्ताः ध्वनयः प्रादुर्भवन्ति। पुनश्च जिह्वाव्यापारेण ताल्वादिस्थानेभ्यः वायोः संयोगात् व्यक्ताः वर्णरूपाः ध्वनयः प्रभवन्ति। अत्र उभयत्रापि ध्वनिशब्दव्यापारः प्रचलति लोके। भाषाविज्ञानदृष्ट्या अत्र ध्वनिशब्दः सामान्यार्थपरः न विद्यते न च साहित्यपरः। यथा कोलाहलं कुर्वतः छात्रान् शान्तयितुं शिक्षकद्वारा मार्जन्या उत्पीठिकायामुपरि ताडनानन्तरं यः

<sup>1</sup> तत्त्वलोकः

<sup>2</sup> ध्वन्यालोकः, प्रथमोद्योतः

ध्वनिः जायते सः सामान्यः ध्वनिः किञ्च साहित्ये मानवेतरवस्तुभिरपि उत्पन्नः ध्वनिः कदाचित् सार्थकध्वनिरिति मन्यते । यथा रघुवंशे राज्ञः दिलीपस्य गोचारणार्थं गम्यमाने समये वंशवृक्षच्छिद्रद्वारा समुत्पन्नः ध्वनिः यशोगानात्मकः स्वीकृतः महाकविना कालिदासेन -

स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः, कूजद्विरापादितवंशकृत्यम् ।

शुश्राव कुक्षेषु यशः स्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः॥<sup>3</sup>

विषयेस्मिन् वाक्यपदीये प्रतिपादितमस्ति यत् प्राणिनां ध्वनौ सर्वत्र संस्काररूपा प्रतिभा एव कारणं भवति-  
अभ्यासात् प्रतिभाहेतुः सर्वः शब्दपरैः स्मृतः ।


बालानाञ्च तिरश्चां च यथार्थप्रतिपादने ॥

वस्तुतः मानवभिन्नेषु पञ्चादिषु अपि स्वाभाविकी काचित् प्रतिभा वर्तते, येन मनुष्याह्वाने पशवः प्रवृत्ताः भवन्ति । पुनश्च पशवः यदा हुँ इत्याकारयन्ति तदा वत्साः तत्क्षणमेव तेषां समक्षमायान्ति। अनेन ज्ञायते यत् अव्यक्तध्वनिरपि ग्राह्यो वर्तते। भाषाविज्ञाने तु एवम्प्रकारकाः ध्वनयः ध्वनिविज्ञानस्य विवेचने विश्लेषणे वा न गृह्यन्ते अपितु मानववागिन्द्रियैः व्यक्ताः उच्चारिताः वा ध्वनय एव ग्राह्यास्सन्ति ।

## 2. ध्वनेः परिभाषा-

भाषा मानवस्य ध्वन्यात्मिका अभिव्यक्तिर्वर्तते । ध्वनिसमूह एव भाषा एतदर्थमेव कथ्यते । भाषाविज्ञाने सामान्यरूपेण श्रवणेन्द्रियग्राह्यः वागिन्द्रियद्वारा व्यक्तः वायुविशेषः एव ध्वनिपदवाच्यो भवति । भाषाविज्ञानपरिधौ ध्वनिः वक्त्रि श्रोतरि वायौ च समाश्रितो वर्तते । भौतिकविज्ञानानुसारं ध्वनिरेका शक्तिरस्ति । अस्माभिः यत्किमपि श्रूयते तद्ध्वनिरिति कथ्यते । अत्र मानवानां वचनम्, पक्षिणां कलरवः, मेघानां गर्जनम्, सर्वमपि अन्तर्भवति । अतः ध्वनेः क्षेत्रं सुविस्तृतं मन्यते । डा० भोलानाथतिवारीमहोदयस्य मतेन वैज्ञानिकदृष्ट्या ध्वनिः वायुमण्डलीयस्य प्रभावस्य परिवर्तनं वर्तते । परिवर्तनमिदं वायुकणानां ( Air-Particles) प्रभावेण विरलेन ( Rarefaction) च भवति ।<sup>4</sup> अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं यदत्र भाषाविज्ञाने ध्वनिः व्यापकरूपेण न स्वीक्रियते अपितु संकुचित एवार्थः स्वीकृतः । इत्थं ध्वनिरत्र द्विविधः भवति -

ध्वनिः



<sup>3</sup> रघु०

<sup>4</sup> भा० वि० -पृ० 305

डा० अम्बादासजीमहोदयस्य मतानुसारं " यः ध्वनिः मनुष्यस्य वागवयवैः उत्पद्यते सः भाषणध्वनिः भवति । यश्च वृक्षाणां संयोगेन मेघानां परस्परं मेलनेन उत्पन्नो भवति सः सामान्यः ध्वनिः कथ्यते ।<sup>5</sup> ध्वनिशब्दस्य परिभाषा भारतीयैः पाश्चात्यैश्च बहुभिः विद्वद्भिः कृता वर्तते । अत्र कतिपयविदुषां ध्वनिशब्दविषयिणीं परिभाषामुदाहरामि -

(1) भाषाध्वनिः भाषायां प्रयुक्तस्य ध्वनेः लघुतरः खण्डः विद्यते । यस्य उच्चारणश्रवणदृष्ट्या स्वतन्त्रम् अस्तित्वं स्यात् ।<sup>6</sup>

(2) भाषाविज्ञानदृष्ट्या मानवध्वनियन्त्रेण निःसृतः शब्दः ध्वनिरिति कथ्यते।<sup>7</sup>

(3) ध्वनिः मानवस्य नियतस्थानप्रयत्नाभ्याम् उच्चारितः श्रोत्रेन्द्रियद्वारा गृहीतः शब्दलहरीविशेषः अस्ति ।<sup>8</sup> उपर्युक्तपरिभाषाभिः ध्वनेः कानिचित् वैशिष्ट्यानि परिलक्ष्यन्ते -

(1) ध्वनिः भाषायाः लघुतमः खण्डः अस्ति।

(2) ध्वनेः स्वतन्त्रमस्तित्वं विद्यते।

(3) ध्वनौ उच्चारणश्रवणपक्षयोः गुरुत्वपूर्णं स्थानमस्ति।

(4) ध्वनिः वागवयानां साहाय्येन उच्चरितो भवति।

(5) प्रत्येकं ध्वनिः पूर्णः स्वतन्त्रश्च भवति।

वस्तुतः ध्वनेः क्षेत्रन्तु अत्यन्तं विस्तृतमस्ति परमत्र भाषाध्वनिरेव मम विवेच्यविषयोऽस्ति । भाषाध्वनेः विचारः भाषाविज्ञानस्य ध्वनिविज्ञानेन अङ्गेन क्रियते अतः किमिदं ध्वनिविज्ञानमिति आदौ विचारयामः ।

ध्वनिविज्ञानं भाषाशास्त्रस्य महत्त्वपूर्णमङ्गं विद्यते । आङ्ग्लभाषायां ध्वनिविज्ञानस्य कृते पदद्वयं प्रयुज्यते - Phonology, Phonetics इति । उभयोः पदयोः Phone इति ग्रीकमूलशब्दः अस्ति । Phone इत्यस्य ध्वनिः इत्यर्थो भवति । संस्कृतव्याकरणे अपि भण् धातोः अर्थः ध्वननमित्यस्ति । ग्रीकभाषायां संस्कृतस्य चतुर्थः वर्णः द्वितीयवर्णत्वेन परिवर्तते । अतः भण् इत्यस्य भकारः फकाररूपेण परिवर्तते । उभयोः आङ्ग्लपदयोः अर्थः ध्वनिविज्ञानमेव । यद्यपि उभयोः पदयोः अर्थे साम्यमस्ति तथापि केचन सूक्ष्मभेदमपि चिन्तयन्ति ।

अतः सामान्यतया वक्तुं शक्यते यत् " यत्र ध्वनेरितिहासः , उत्पत्तिः , ध्वनिपरिवर्तनम् , भाषामात्रस्य ध्वनीनां स्वनानां वा उच्चारणप्रक्रियायाः ध्वनिभेदानाञ्च विस्तृतं विवेचनं विश्लेषणं वा क्रियते तत् ध्वनिविज्ञानं कथ्यते ।

<sup>5</sup> भाषिकी ,पृ० 59

<sup>6</sup> भोलानाथ तिवारी , भा०वि० , पृ० 305

<sup>7</sup> प्रो०डोनियलजोन्सः, भाषिकी, पृ० 66

<sup>8</sup> डा० बाबूराम सक्सेना , भाषिकी ,पृ० 66

### 3. वैदिकसंस्कृतध्वनयः-

वैदिकसंस्कृते अधोलिखिताः 52 ध्वनयः प्राप्यन्ते । यद्यपि संस्कृतध्वनिविषये विविधेषु ग्रन्थेषु ध्वनेः संख्याविषये एकमतं नास्ति तथाप्यत्र सामान्यरूपेण स्वीकृताः व्यावहारिकाः वैदिकलौकिकसंस्कृतध्वनयः प्रस्तूयन्ते -

स्वराः-

मूलस्वरा- अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ओ -11

संयुक्तस्वराः- ऐ (अइ) औ (अउ)- 02

व्यञ्जनानि -

स्पर्शव्यञ्जनानि - क् ख् ग् घ् ङ् - कण्ठ्यवर्णाः, च् छ् ज् झ् ञ् - तालव्यवर्णाः,

ट् ठ् ड् (ळ्) ढ् (ळ्ह) ण् - मूर्धन्यवर्णाः, त् थ् द् ध् न् - दन्त्यवर्णाः, प् फ् ब् भ् म् - ओष्ठ्यवर्णाः - 27

अन्तस्था : - य् र् ल् व् - 04 , अघोषसंघर्षीवर्णाः- श् ष् स् - 03 , घोषोष्मः- ह् - 01

अघोषोष्मः- : ( विसर्गः), क्- जिह्वामूलीयः , प् - उपध्मानीयः- 03

शुद्धानुनासिकः- अनुस्वारः - 01 = 52

### 4. लौकिकसंस्कृतध्वनयः-

मूलस्वरा- अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ओ -11

संयुक्तस्वराः- ऐ (अइ) औ (अउ) - 02

व्यञ्जनानि -

स्पर्शव्यञ्जनानि -

क् ख् ग् घ् ङ् - कण्ठ्यवर्णाः, च् छ् ज् झ् ञ् - तालव्यवर्णाः, ट् ठ् ड् ढ् ण् - मूर्धन्यवर्णाः , त् थ् द् ध् न् - दन्त्यवर्णाः , प् फ् ब् भ् म् ओष्ठ्यवर्णाः - 25

अन्तस्था : - य् र् ल् व् - 04 , अघोषसंघर्षीवर्णाः- श् ष् स् - 03 , घोषोष्मः- ह् - 01

अघोषोष्मः- : ( विसर्गः) - 01 , शुद्धानुनासिकः- अनुस्वारः - 01 = 48

### 5. मैथिलीध्वनयः-

भाषाशास्त्रे भाषायाः उपयोगाय ध्वनिः स्वनः स्वनिमो वोच्यते। अस्यैव रैखिकप्रतीकः वर्णः ध्वनिर्वा भवति। तेषामेव वर्णानां सुविन्यस्ता सूची वर्णमाला कथ्यते। मैथिल्याः प्रचलिता वर्णमालासारिणी अधस्तात् द्रष्टुं शक्यते<sup>9</sup>-

स्वराः व्यञ्जनानि च -

अ , आ , इ , ई , उ , ऊ , ऋ , ॠ , लृ , ए , ऐ , ओ , औ , अं अ :

<sup>9</sup> मै.परि.पृ.31

क् ख् ग् घ् ङ् , च् छ् ज् झ् ञ् , ट् ठ् ड् ढ् ण् , त् थ् द् ध् न् , प् फ् ब् भ् म् , य् र् ल् व् श् ष् स् ह्  
वर्णमालायामस्यां ये ध्वनयो वर्णा वा सन्ति तेषामुपजीव्यं तु वैदिकं लौकिकं वा संस्कृतं मन्यते। किन्तु मैथिल्यां  
केचन ध्वनयः अनुपयुक्तास्सन्ति। मैथिल्यां प्रायशः सर्वाभ्यः भाषाभ्यः शब्दाः सन्ति, आधिक्यं तु  
संस्कृतशब्दानामेव विद्यते। अत एव सर्वे संस्कृतध्वनयः प्राप्यन्ते। तर्हि केचन अनुपयुक्ताः सन्तीति यत् प्रोक्तं तस्य  
अभिप्रायद्वयं विद्यते।<sup>10</sup> -

(1) मैथिलीशब्देषु ऋ , ऋ लृ , ज् , ण् , य् व् , श् , ष् चेति ध्वनीनां प्रयोगाः दृश्यन्ते, परं विशुद्धमैथिल्याम्  
एतेषां प्रयोगाः नावलोक्यन्ते।

(2) भाषाशास्त्रदृष्ट्या सूक्ष्मतयाऽवलोकनेन ज्ञायते यत् वर्णमालायां केवलं मूलध्वनयः भवेयुः न तु भेदोपभेदाः  
ध्वनयः। यतोहि भेदोपभेदानां ध्वनीनां समाप्तिरेव नास्ति। यथा - केयो कखनहु किनल बजताह। कखनहु किनल  
। कखनहु कीऽनल। कीऽऽनल इति।<sup>11</sup>

### 6. मैथिलीसंस्कृतभाषयोः ध्वनीनां साम्यं वैषम्यञ्च-

संस्कृतात् वर्तमानमैथिलीं यावत् भाषायाः विकासक्रमः महान् अस्ति। अत्र ध्वन्यात्मक-परिवर्तनं महत्त्वपूर्णं  
विद्यते यतोहि ध्वनिः भाषायाः विशिष्टः अंशः। भाषायां परिवर्तनस्य प्रथमारम्भः ध्वनिपरिवर्तनादेव मन्यते।  
अतोऽत्र प्रमुखं भवति यत् संस्कृतध्वनयः मैथिल्यां कथं प्राप्ताः? यद्यपि ध्वनिपरिवर्तनस्य बहूनि कारणानि  
मन्यन्ते किन्तु तेषामत्र उल्लेखो न क्रियते। अधुना अत्र ध्वनिपरिवर्तनस्य प्रवृत्त्याधारेण द्वयोः भाषयोः परस्परं  
तौलनिकं सम्बन्धं पश्यामः।

### 7. संस्कृतध्वनीनां मैथिल्यां परिवर्तनम् -

परिवर्तनं सृष्टेः निरन्तरं प्रवर्तमानः नियमः। आचार्यः यास्कः निरुक्ते वाप्यायणेः मतमुद्धरन् वदति यत् संसारस्य  
सर्वेषु भौतिकतत्त्वेषु षड्विकाराः भवन्ति।<sup>12</sup> तथैव या कापि भाषा आत्मानः स्वरूपं परिवर्तयति। यथा  
वैदिकसंस्कृतं लौकिकसंस्कृतरूपेण परिवर्तितम्। पुनश्च पालि-प्राकृतापभ्रंशादिरूपेण परिवर्त्य  
वर्तमानभारतीयभाषा मैथिलीत्यादिरूपा अभवत्।

मयोक्तं यत् भाषायां परिवर्तनारम्भः ध्वनिपरिवर्तनेन आरभते। इदं ध्वनिपरिवर्तनं प्राचीनकालादारभ्य  
अद्यावधि निरवच्छिन्नं जायमानं वर्तते। विषयेस्मिन् प्राचीनकालाद् विचारोऽपि प्रवर्तत एव।  
ध्वनिपरिवर्तनविषये आचार्ययास्कः , पतञ्जलिः , पाणिनिः , भर्तृहरिश्चेत्यादयः प्रमुखाः विवेचनम् अकार्षुः।  
पाश्चात्यविद्वत्सु पिशेलः , ग्रियर्शनः , मैक्समूलरः, ब्लूमफील्डश्चेत्यादयः सादरं स्मर्यन्ते।

वैदिकभाषाम् आरभ्य आधुनिकभारतीयार्यभाषां यावत् यत् ध्वनिपरिवर्तनं समभवत्तस्य द्विधा विभागो भवति-

(1) मात्रात्मकपरिवर्तनम् (2) गुणात्मकपरिवर्तनञ्च।<sup>13</sup>

मात्रात्मके परिवर्तने स्वराणां ह्रस्वदीर्घादिपरिवर्तनं विचार्यते किञ्च गुणात्मके एकः वर्णः अन्यवर्णरूपेण कथं  
परिवर्त्यते इति वर्ण्यते।

<sup>10</sup> तत्रैव

<sup>11</sup> तत्रैव, पृ. 32

<sup>12</sup> निरुक्तम् , 1.2

<sup>13</sup> Elements of the Science of Language. P. 123

(1) मात्रात्मकपरिवर्तनम् ( Quantative Change)

संस्कृभाषायां मात्रायाः सम्बन्धः कालेन सह मन्यते। ध्वनीनाम् उच्चारणदृष्ट्या स्वरः त्रिविधः भवति - ह्रस्वः दीर्घः प्लुतश्च। एतेषामुच्चारणकालविषये उच्यते -

एकमात्रा भवेद्ध्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।

त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रकम्।।

एवं रीत्या स्वराणां मात्रासु ह्रस्वदीर्घप्लुतादिभेदेन यत् परिवर्तनं जायते तत् मात्रात्मक-परिवर्तनं मन्यते। यथा -

अ > आ , आ > अ , इ > ई , ई > इ , उ > ऊ , ऊ > उ ।

डा.बनारसीदासजैनः मात्रात्मकपरिवर्तनस्य प्रधानं कारणं बलाघातं स्वीकरोति।<sup>14</sup>

(2) गुणात्मकपरिवर्तनम् (Qualitative Change)

गुणात्मकपरिवर्तनस्य अभिप्रायोऽस्ति यत् एकः स्वरः अपरस्वरेण किञ्च एकं व्यञ्जनम् इतरव्यञ्जनरूपेण कथं परिवर्तितं भवति इति।<sup>15</sup> यथा-

अ > इ , क् > ग् , च् > ज् , व् > ब् , य् > ज् ।

स्वराणाम् आदावन्ते स्थितिः-

प्राचीनभारतीयभाषासु शब्दस्य आदिस्वरः आधुनिकभारतीयभाषासु प्रायः संरक्षित एव परम् आदिस्वरे स्वराघातस्य अभावेन तत्र विकारोत्पन्नः। मैथिल्याम् ऋकारं विहाय संस्कृतस्य सर्वेऽपि स्वराः सुरक्षिताः सन्ति , किन्तु मैथिल्याः ध्वनिनियमानुसारं क्वचित् दीर्घात् ह्रस्वः क्वचिच्च ह्रस्वात् दीर्घः अभवत् ।<sup>16</sup> अधुना संस्कृतमैथिलीभाषयोः स्वरव्यञ्जनयोः परिवर्तनं कथं भवतीति अ परिशीलयामि।

यथा-

संस्कृतम् – अ/आ	मैथिली- अ/आ
अर्कः	आक
हस्तः	हाथ
आकाशः	अकास
पातालः	पताल

संस्कृतम् – इ/ई	मैथिली – इ /ई
भिक्षा	भीख
गौरी	गोरि
ईश्वरः	इसर

<sup>14</sup> BSOS, VOL.28 , P.NO.316

<sup>15</sup> S.K .Bhardwaj , Linguistic Studies in Dharam Sutras,P.No.35

<sup>16</sup> मै० परि० पृ. 51

संस्कृतम् - उ/ऊ	मैथिली - उ/ऊ
मुष्टिः प्रभूतम् मूर्खः सूर्यः	मूठि बहुत मुरुख सुरुज

संस्कृतम् - ऋ मैथिली - अ/आ, इ/ई, उ/ऊ

ऋध्वनिः मैथिल्यां चतुर्धा परिवर्तितः अस्ति । यथा -

(क) ऋ = अ/आ - वृषभः > बसहा, गृहम् > घर, विकृतम् > विकट

(ख) ऋ = इ/ई - कृष्णः > किसन, घृणा > घिन, घृत > घी, धृष्टः > ढीठ

(ग) ऋ=उ/ऊ - भृज्जः > भूज, शृणोति > सुनए, पृच्छा- पूछ

(घ) ऋ= इति - वृक्षः > बिरिछ, तृप्तः > तिरिपित, पृथ्वी > पिरथी

संस्कृतम्- ए/ऐ	मैथिली- ए/ऐ
एकादशः ज्यैष्ठः तैलम् चैत्रः	एगारह जेठ तेल चेत

संस्कृतम्- ओ/ औ।	मैथिली - ओ/औ
ओष्ठम् पौत्रः गौरी औषधम्	ओठ पोता गोरि औखद

संस्कृतम्- क्	मैथिली - ग्
सकलम् शाकः	सगर साग

संस्कृतम्- गृ	मैथिली-घृ
ग्रासः गृहम्	घास घर

संस्कृतम्- य् / धृ	मैथिली-ज्/झ
योध्यम् बोध्यम्	जूझब बूझब

संस्कृतम्- त्	मैथिली-ट्
खट्वा त्रोटनम् मणित्रिकः	खाट टूटब मनटीका

संस्कृतम्- द्/ल्	मैथिल-ड्
भाण्डः दोलिका तालम्	भाँड डोल ताड

संस्कृतम्- ठ	मैथिली-ढ्
पठ् पीठिका वृद्धः	पढब पीढी बूढ

संस्कृतम्- ल्/ण्	मैथिली-न्
लवणम् गणनम्	नोन गनब

संस्कृतम् -ल् /ञ्	मैथिली- न्
नम् ज्ञातिः ज्ञातिगृहम् लवणम् लिम्पनम्	नाति नाति नइहर नोन निपब

य् – अयं ध्वनिः तत्समशब्देष्वेव दृश्यते। मैथिल्यामस्य उच्चारणं परम्परया र् ह् ध्वन्योः अग्रे ज् ध्वनिवत् भवति। अन्यत्र संस्कृतवदेव। लेखनं तु सर्वत्र यकारः एव भवति। यकारस्य जकारोच्चारणं कदाचित् शुक्लयजुर्वेदस्य मिथिलाञ्चले प्रभावादपि मन्तुं शक्यते। उदाहरणानि यथा-

संस्कृतम्	मैथिली
यमुना आर्य सह्यम्	जमुना आर्ज सहज

व् - विशुद्धमैथिल्याम् अस्य प्रयोगः न दृश्यते। मैथिल्यां तत्समशब्देषु वकारस्य प्रयोगः भवति किन्तु तत्र बकारवदुच्चारणं श्रूयते।<sup>17</sup>

यथा –

संस्कृतम्	मैथिली
शिवः विद्या देवता नवम्	सिब बिद्या देबता नऽब

किन्तु स्पर्शान्तरं वकारोच्चारणमेव भवति। यथा-

स्वादः क्वाथः अन्वयः त्वदीयम्	स्वाद क्वाथ अन्वय त्वदीय
--	-----------------------------------

<sup>17</sup> मै.परि.पृ.42

ष - षध्वनिरपि तत्समेषु एव प्राप्यन्ते। अत्रापि वैदिकोच्चारणपद्धतेः प्रभावः स्पष्टतः परिलक्ष्यते। यथा-

संस्कृतम्	मैथिली
षष्ठी	खष्ठी
षड् रसः	खटरसः
दोषः	दोख
षडाननः	खडानन

इत्थं मैथिलीसंस्कृतभाषयोः ध्वनिविज्ञानदृष्ट्या अध्ययनेन ज्ञायते यत् मैथिल्याः ध्वन्यात्मकवैशिष्ट्यं संस्कृतभाषया सह साम्यं भजते। क्वचित् मैथिली लौकिकसंस्कृतभाषायाः अपेक्षा वैदिकसंस्कृतभाषया साकम् अधिकं नैकट्यं स्थापयति। वर्तमानमैथिल्यां वैदिकसंस्कृतस्य बह्व्यः विशेषताः सन्ति। प्रातिशाख्यग्रन्थानां शिक्षा-ग्रन्थानामनुसारं "यद्भूतं यच्च भाव्यम्" इत्यस्योच्चारणं "जद्भूतं जच्च भाव्यम्" इति भवति। एषा एव प्रवृत्तिः प्रायशः मैथिल्यां विलोक्यते।

मैथिल्यां वेदवत् 'ष्' ध्वनेः 'ख' उच्चारणं मिलति। वैदिकसंस्कृते ल्, ल्ह ध्वनी लौकिके लुप्तौ किन्तु मैथिल्यामस्यास्तित्वं विद्यत एव। अत्र ऐ, औ इत्यनयोः उच्चारणं अइ/अउ इति सन्ध्यक्षरवत् भवति।<sup>18</sup> यथा-

संस्कृतम्	मैथिली
कैलाशः	कइलास
वैदेही	वइदेही
गौतमः	गउतम

एषा प्रवृत्तिः प्राकृतादिद्वारा समागता इति प्रतिभाति। मैथिली-भाषायां वर्गस्य प्रथमवर्णस्य स्थाने शब्दान्ते तृतीयवर्णः प्रयुज्यते। यथा-

संस्कृतम्            मैथिली  
शाकम्,                साग

पुनश्च मैथिलीभाषायां समीकरणं, विषमीकरणम्, सघोषीकरणम्, अघोषीकरणम्, आगमः, लोपः, विपर्ययश्चेत्यादिप्रवृत्तयोऽपि लभन्ते। मैथिल्यां सानुनासिकतायाः प्रवृत्तिः महत्त्वपूर्णा विद्यते।

इत्थं मैथिल्याः सर्वाः अपि ध्वन्यात्मकविशेषताः परिशील्य वक्तुं शक्यते यत् मैथिली संस्कृतात् न केवलं विकसिता अपितु संस्कृतभाषायाः काश्चन विशेषताः अपि आत्मनि समाहृत्य अद्यापि स्वस्य स्वतन्त्रं किञ्चन विशिष्टं चिह्नं स्थापयति।

<sup>18</sup> मै०भा०वि० पृ०69

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. अष्टाध्यायी- पाणिनिः , शिवसंस्कृतसंस्थानम् , वाराणसी ,2003
2. निरुक्तम् – सम्पादकः, प्रो. उमाशंकरशर्मा ऋषि, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1989
3. मैथिली भाषा का विकास , गोविन्द झा , बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2008
4. मैथिली परिशीलन , पं. गोविन्द झा, मैथिली अकादमी , पटना , 2007
5. भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डा. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2010
6. भाषाविज्ञान तथा लिपिविज्ञान – प्रो. ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार , नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना , 2009
7. लघुसिद्धान्तकौमुदी- पं. सदाशिवशास्त्री , चौखम्बा संस्कृत सीरीज , वाराणसी , 2014
8. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी – डा. अर्कनाथ चौधरी , जगदीश संस्कृत पुस्तकालय , जयपुर, 2015
9. संस्कृतभाषाविज्ञानम् – चक्रवर्ती श्रीरामाधीनचतुर्वेदी , चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2011
10. Linguistic Analysis of Paninian Grammar – Dr. Shashibhushan Mishra , The Banaras Mercantile Co. Kolkata, 2012
11. Outlines of linguistic analysis, B. Bloch & G. L. Trager, Linguistic Society of America, 1942

## वैदिक संस्कृति में चिकित्सा विज्ञान



डॉ. ज्योति कपूर  
एसोसियेट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग

सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय,  
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 315-318

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

**सारांश** – आधुनिक युग में आयुर्वेद में प्रयोग में आने वाले औषधीय पादपों का संरक्षण किया जाना भी परम आवश्यक है। वनों के अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण कई औषधीय प्रजातियाँ लुप्त प्रायः हो गयी है। अतः इनके संरक्षण हेतु आधुनिक तकनीकों यथा जैव प्रौद्योगिकी, जर्मप्लाज्म संरक्षण एवं जीन बैंक स्थापित करके भी औषधीय पादपों का संरक्षण किया जा सकता है। यदि इसी गति से वृक्ष संपदा को नष्ट किया जाता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से प्राणवायु समाप्त होकर यहाँ जीवन ही समाप्त हो जायेगा।

**मुख्यशब्द**— वैदिक, संस्कृति, चिकित्सा, विज्ञान, औषधीय, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण।

भारत भूमि की समृद्ध प्राचीन परम्परा ही ज्ञान-विज्ञान के अक्षुण्ण भण्डार की रही है। इस पवित्र धरा पर 'वेद' अर्थात् ज्ञान का भण्डार ही वैदिक ऋषियों की थाती मानी जाती है। भारतीय जनों की अमित आकांक्षा "तमसो मा ज्योतिर्गमय" की है। वैदिक वाङ्मय एक विज्ञान सागर है, जिसकी गम्भीरता तथा विस्तार अनन्त है। वैदिक विज्ञान की महत्ता इसी से स्पष्टतः परिलक्षित होती है कि ऋषियों ने निर्देश दिया "विज्ञानमुपास्व" विज्ञान की उपासना करो। वैदिक ज्ञान का अगाध स्रोत विज्ञान है। अतः विज्ञान की उपासना करनी चाहिए।

संस्कृति मानव के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण प्रकार है, विचार और कर्म के क्षेत्र में राष्ट्र का जो सृजन है, वहीं उसकी संस्कृति है। संस्कृति मानव जीवन की प्रेरक शक्ति स्वीकार्य है। वह जीवन की प्राणवायु है। संस्कृति के माध्यम से हम दूसरों के साथ संतुलित स्थिति प्राप्त करते हैं। वैदिक विज्ञान को समुन्नत रूप प्रदान करने में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान मान्य है।

वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत तथा सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है। वैदिक सम्पदा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, आचार विचार व्यवहार व्यवस्था, गणित विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान, सामान्य

विज्ञान, शिल्प वेद, न्याय पद्धति, योग, दर्शन, भुगोल आदि विभिन्न विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो कि वर्तमान आधुनिक समाज के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। वेदों में रोगों के उपचार, निदान तथा औषध विज्ञान का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

चिकित्सा विज्ञान की परम्परा भारत में ऋग्वेद के काल से ही चली आ रही है। मानव जीवन को सुव्यवस्थित रखने के लिए चिकित्सा विज्ञान पर प्राचीनकाल में भी चिन्तन हुआ था। आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा विज्ञान का अपर रूप है। सुश्रुत, चरक, काश्यप और वाग्भट्ट तथा अन्य आचार्यों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। काश्यप ने "पञ्चम वेद" कहा है।<sup>1</sup> ब्रह्मवैवर्तपुराण "पञ्चम वेद" मानता है।<sup>2</sup> इस प्रकार आयुर्वेद "पुण्यतम वेद" के रूप में मान्य है। आयुर्वेदके तीन अंगों के प्रवर्तक आचार्य हुए। भरद्वाज काय चिकित्सा के प्रवर्तक हैं उनकी परम्परा का आदिम ग्रन्थ हैं चरक संहिता। धन्वन्तरि शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक है उनकी परम्परा का श्रेष्ठ ग्रन्थ है सुश्रुत संहिता। काश्यप ऋषि कौमार भृत्य (बाल चिकित्सा) के प्रवर्तक आचार्य थे जिनके सिद्धान्तों का प्रतिपादक श्लाघनीय ग्रन्थ है काश्यप संहिता।

वैदिक साहित्य के अनुसार अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, आदि देवता वैद्य थे। अश्विनी कुमारों की ख्याति नेत्र चिकित्सक एवं टूटी हड्डी को जोड़ने में विशेषज्ञ के रूप में थी। वरुण एक विशाल औषधालय के अध्यक्ष थे, जिसमें सहस्रों वैद्य कार्य करते थे।<sup>3</sup> वैदिक साहित्य के बाद के काल में भारद्वाज नाम के विद्वान को आयुर्वेद का आदि आचार्य कहा गया है। उनके व उनके शिष्यों के बाद पुनर्वसु से दूसरी परम्परा प्रारम्भ होती है। पुनर्वसु के छः शिष्यों ने आयुर्वेद की खोज को आगे बढ़ाया। इसके बाद चरक का योगदान आता है। चरक संहिता आयुर्वेद का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। चिकित्सा विज्ञान में चरक, वाग्भट्ट (छठी शताब्दी) और भावमिश्र (1550) का योगदान सराहनीय है। उन्होंने रोगों के निदान एवं उपचार का जो वर्णन किया है, उससे अपरिचित रहकर आजकल के चिकित्सक जनता का अधिक कल्याण नहीं कर सकते। यही नहीं सुश्रुत ई.पू. पाँचवी शताब्दी में हुए थे और चिकित्साशास्त्र के सफल आचार्य थे। यह चिकित्सा विज्ञान परम उपयोगी, यशवर्द्धक आयुरक्षक तथा पौष्टिक है।

चिकित्साशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है रोग निवारण। प्राचीन वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के दीर्घायु के लिए लता – वन – वनस्पति – वृक्ष – नदी का भी महत्व प्रतिपादित है। नमो वृक्षेभ्यः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः, अरण्यानां पतये नमः<sup>4</sup> इत्यादि सन्दर्भों से स्पष्ट है कि पार्यावरण के संरक्षण तथा दीर्घायु की रक्षा के लिये इन वनस्पतियों को नमस्कार किया गया है। यहीं नहीं जल, वनस्पति आदि मानव जीवन के लिये उपयोगी व लाभदायक औषधियाँ हैं।<sup>5</sup> शुद्ध प्राणवायु जीवन के लिये आवश्यक है। वृक्ष एवं वनस्पति वायु को प्राणवान एवं मधुमय बनाते हैं। प्रदूषण रहित वायु संसार के लिये दवा है। इस प्रकार की वायु को विश्वभेषज कहा गया है।<sup>6</sup> वैदिक काल में मंत्र दृष्टा ऋषियों को ज्ञात था कि भेषजवात हृदय के लिये सुखकर तथा आयुवर्धक होता है।<sup>7</sup> वैदिक युग में अनेक पेड़ पौधों को खोजने और नामकरण का अथक प्रयास किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और विशेष रूप से अथर्ववेद में विभिन्न वनस्पतियों का वर्णन है। वटवृक्ष, पीपल और शाल्मली वृक्ष वैदिक युग से ही संस्कृत साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। वृक्ष मानवमात्र को प्राणवायु देते हैं, इसलिए वे मानवमात्र के रक्षक, पोषक और माता – पिता हैं। मनुष्य प्राणवायु के विना जीवित नहीं रह सकता, अतः वृक्ष, वन, वनस्पतियों और औषधियों को रक्षक बताया गया है। प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान की युग के अनुरूप प्रगति हुई। प्राचीनकाल से ही वनस्पतियों के प्रति

लोगों का लगाव रहा और आज भी है। किन्तु प्राचीन काल के ऋषियों को वनस्पति जगत के प्रति विशेष लगाव तथा उनको वनस्पतियों के अध्ययन की आवश्यकता आयुर्वेद की दृष्टि से विशेष रूप से थी। ऋग्वेद में वर्णित है।<sup>8</sup>

**यत्रौषधीः सभग्मत राजानः समिताविव।**

**विप्रः स उच्यते मिषग् रक्षोहामीव चातनः।।**

ऋग्वेद में एकपूर्ण सूक्त औषधि युक्त है।<sup>9</sup> ऋग्वेद के 23 मंत्रों में औषधियों का महत्व प्रतिपादित किया गया है तथा वनस्पतियों से होने वाले विविध गुणों की महत्वपूर्ण बातें कहीं गयी है। अथर्ववेद के मंत्रों में वृक्ष –वनस्पतियों और औषधियों की उपयोगिता वर्णित है तथा इनके गुण-धर्म बताये गये हैं।<sup>10</sup> वृक्ष वनस्पति मानव जाति की रक्षा के लिये अनिवार्य है। यजुर्वेद में वर्णित है कि वृक्ष प्रदूषण को दूर करते हैं। अतः उन्हें 'शमिता' (शमन कर्ता) प्रदूषण निरोधक कहा गया है।<sup>11</sup> कौषीतकी ब्राह्मण में एक महत्वपूर्ण बात है कि वृक्ष-वनस्पतियाँ परमात्मा का उग्र रूप हैं।<sup>12</sup> वैदिक साहित्य में औषधि शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसमें सभी प्रकार के वृक्ष वनस्पति आ जाते हैं। औषधि की सामान्य व्याख्या है। औषधयः फलः पाकान्ताः" जिनके फल पकते हैं। औषधि शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गयी है। सायण ने इसकी व्युत्पत्ति दी है –"ओषः पाकः फलपाकः यासु धीयते इति ओषधयः।" अर्थात् जिनके फल पकते हैं, उन्हें औषधि कहते हैं। यास्क ने इसकी निरुक्ति दी है कि जो शरीर से उर्जा उत्पन्न करके उसे धारण करती है या जो दोष प्रदूषण आदि को दूर करती है।<sup>13</sup> शतपथ ब्राह्मण में भी औषधियों को दोष – नाशक कहा है।<sup>14</sup> प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायुष्य तथा स्वस्थ जीवन की आकांक्षा करता है। मानव जीवन को सुखी, दीर्घायु और निरोग बनाने के लिये आयुर्वेद का आर्थिक आविर्भाव हुआ है।<sup>15</sup>

प्राकृतिक-तत्त्वों के आश्रयभूत भेषज –कर्म प्राकृतिक – चिकित्सा से अभिहित है। अथर्ववेद के भेषज्य सम्बन्धी सूक्तों में प्राकृतिक- चिकित्सा को समाहित किया गया है यथा-मिट्टी, पर्वत जल, नदी, स्रोत, मेघवृष्टि, अग्नि, विद्युत्, वायु, सूर्य चन्द्रादि, प्राकृतिक पदार्थों से चिकित्सा विधान है। अथर्ववेद में बाँबी की मिट्टी को आस्राव भेषज कहा गया है।<sup>16</sup> जल द्वारा भी कुछ रोगों का निदान है। घाव भरने निद्राक्षय, स्वप्नदोष तथा वंशानुगत रोगों को दूर करने का अनुपम गुण जल में विद्यमान है। वर्षा के जल को शतवृष्य अर्थात् सौ गुनी शक्ति वाला गया है – "पर्जन्यं शतवृष्यम्"<sup>17</sup> वायु द्वारा शरीर के अन्दर रक्त शुद्ध होता है। वायु विश्व भेषज है। सूर्य हृदयरोग, कामला, अपची तथा शिरोरोगों की चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। सूर्य मनुष्य के लिये जीवनदाता है। सूर्य की किरणें रोगों के विष को बाहर खींच लेती हैं। सूर्योपासना, सूर्य नमस्कार तथा सूर्य स्नान का रोग निवारण के लिये महत्व बतलाया गया है। इस प्रकार अथर्ववेद में रोगों के निवारणार्थ भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ हैं।

आज के इस आधुनिक युग में आयुर्वेद में प्रयोग में आने वाले औषधीय पादपों का संरक्षण किया जाना भी परम आवश्यक है। वनों के अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण कई औषधीय प्रजातियाँ लुप्त प्रायः हो गयी हैं। अतः इनके संरक्षण हेतु आधुनिक तकनीकों यथा जैव प्रौद्योगिकी, जर्मप्लाज्म संरक्षण एवं जीन बैंक स्थापित करके भी औषधीय पादपों का संरक्षण किया जा सकता है। यदि इसी गति से वृक्ष संपदा को नष्ट किया जाता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से प्राणवायु समाप्त

होकर यहाँ जीवन ही समाप्त हो जायेगा। अतः वनों व औषाधियों के संरक्षण व पोषण हेतु हम सभी कृत संकल्प हो जाये।

इस प्रकार वैदिक युग से ही चिकित्सा विज्ञान प्रचलित रहा है, जिसका कालान्तर में विकास हुआ।

## संदर्भ सूची

1. एवमेवरवलु वेदनासु—आयुर्वेदमेवानुधावन्ति तस्मात् ब्रूमः—ऋग्वेद, यजुर्वेद सामाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेद — का. वि.।
2. ब्रह्म वै. पु. 1/16/9-10
3. ऋग्वेद — 1, 29, 9
4. यजुर्वेद 16, 17, 16.20
5. मधुमान्नो वनस्पति = ऋग्वेद — 21, 90,80 सुमित्रया न आप ओषधयः सन्तुः = यजुर्वेद = 36.23  
ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः = यजुर्वेद = 36.96
6. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रूपः। अथर्वेद = 4, 13, 3
7. त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥
8. वात आवातु भेषजं शुभ मयोभु नो हृदे। प्राण आयूंषि तारिषत्। ऋग्वेद = 10/1/86
9. ऋग्वेद — 10, 97.6
10. ऋग्वेद — 10.97.1 से 23
11. डॉ. कपिलदेव द्विवेदी कृत ग्रन्थ—वेदों में आयुर्वेद पृष्ठ — 235-277 विश्वभारती अनुसन्धान परिषद भदोही।
12. प्राणोवनस्पतिः । कौषी. 12.7 प्राणो वै वनस्पति। ऐतः 2.4 और 10
13. वनस्पति शमिता। यजु. 29.34
14. ओषधयः ओषढ धयन्तीती वा। ओषत्येना धयन्तीति वा। दोषं धयन्तीति वा निरुक्त—9.27
15. ओषं ध्येति तत् ओषधयः समभवम्। शत 2.2.4.5
16. हिताहितसुखे दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्। मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद स उच्यते। (चरकसूत्र—1.41)
17. अथर्वेद —2.3.4
18. अथर्ववेद — 1.3-1

## महाभारत के आदिपर्व में वर्णित राजधर्म : एक अध्ययन



अशोक कुमार वर्मा

सहायक आचार्य,

संस्कृत विभाग,

जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज,

महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 319-323

### Publication Issue :

September-October-2020

**सारांश** – आदिपर्व के अन्तर्गत राजधर्म के कुछ तथ्यों का वर्णन हमें यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है जिससे तात्कालिक राजव्यवस्था का दृष्टान्त कुछ अंशों में प्रतिभासित हो जाता है जो हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक होता है।

**मुख्यशब्द** – महाभारत, आदिपर्व, राजधर्म, राजव्यवस्था।

### Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

प्राचीन काल में आधुनिक शासन-प्रणाली अर्थात् लोकतंत्र का अभाव था, राजतंत्र-शासन व्यवस्था का प्रचलन था जिसमें शासनतन्त्र की प्रधानता राजाश्रित थी। सम्प्रभुता सम्पन्न राजा ही होता था। राजा में ही शासनतन्त्र की समस्त शक्तियाँ सन्निहित होती थी। उसका आदेश ही कानून होता था। राज्य के अन्य पदाधिकारी राजा के सहायक की भूमिका का निर्वाहन करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्तियों का प्रधान राजा ही होता था। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राजा की नीति स्वेच्छाचारिता पर आधारित होती थी। राजा को भी व्यापक रूप से धर्मशास्त्रों के नियमों-विनियमों के अन्तर्गत राजव्यवस्था का संचालन करना पड़ता था। ऐसा न करने पर राजा को पदच्युत भी किया जा सकता था। इस प्रकार राजा का पद अति उत्तरदायित्वपूर्ण होता था, निरंकुशता का भी कोई स्थान नहीं था। राज्य शासन सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो इसके लिए राजा अपने अधीनस्थ विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राज्य शासन के कुशल संचालन के लिए धर्मशास्त्र के अन्तर्गत 'राजधर्म' को भी समाविष्ट किया गया जो कि कालान्तर में अतिमहत्ता प्राप्त विषय बन गया क्योंकि 'राजधर्म' के सम्यक् अनुपालन से राजा को इहलोक एवं परलोक- दोनों लोकों के लाभों की प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता दृढ़ होने लगी।

राजधर्म प्रजा के चतुर्दिक-उन्नयन का हेतु समझा जाता था। चाहे प्रजा की धर्म विषयक उन्नति हो, अर्थविषयक हो, काम-विषयक हो या मोक्ष-विषयक हो सबकी सफलता के आश्रय का केन्द्रबिन्दु 'राजधर्म' के प्रशस्त अनुपालन में ही सन्निहित था।

'राजधर्म' शब्द दो शब्दों के योग से बना है— राज + धर्म। 'राजधर्म' में षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ है राजा का धर्म (राज्ञः धर्मः)। धर्म शब्दः इति कर्तव्यतावचनः अर्थात् धर्म को हम कर्तव्य के रूप में लेते हैं। 'राजधर्म' कहते किसे हैं? इसका आशय क्या है? इसका अनुपालन कब सुनिश्चित होता है? इसका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रतिफल क्या है? आदि विषयों के बारे में अतिविस्तार से चर्चा महाभारत में की गयी है जो आधुनिक राजशास्त्र अनुवर्तकों के लिए प्रेरणास्त्रोत व मार्गदर्शन का सिद्धान्त प्रस्तुत करती हैं।

राजधर्म के सन्दर्भ में आदिपर्व में भी कुछ चर्चा यत्र-तत्र प्राप्त होती है। अध्याय 41 में राजा के महत्त्व को दर्शाते हुए, राजाविहीन राज्य की भीषणता एवं विकट परिस्थिति का 'शमीकमुनि' द्वारा वर्णन किया गया है। शमीकमुनि के अनुसार— यदि राजा रक्षा न करें तो भारी कष्ट पहुँचता है।<sup>1</sup> राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान भी नहीं हो सकता है।<sup>2</sup> जिस देश में राजा न हो वहाँ अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। ऐसे धर्म की मर्यादा त्यागकर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दण्ड के द्वारा शिक्षा देता है।<sup>3</sup> दण्ड भय के उत्पत्ति के कारण है फिर भय से ही तत्काल शान्ति स्थापित होती है।<sup>4</sup> राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा होती है। राजा से सम्पूर्ण यज्ञकर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है।<sup>5</sup>

देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अनन्त से निरन्तर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता— (धारण-पोषण करने वाला) है। राजा दस श्रोत्रिय के समान है ऐसा मनुजी का कथन है।<sup>6</sup>

अध्याय 108 श्लोक संख्या 25 में किन्हीं विशिष्ट कारणों से उत्तराधिकारी का अधिकार च्युत होने की बात कही गयी है, इस श्लोक में यह बताया गया है कि धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पारशव अर्थात् शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने के कारण राज्य न पा सकें अतः पाण्डु ही राजा बने।<sup>7</sup>

अध्याय 169 श्लोक 75 में राजाओं को पुरोहित किसे बनाना चाहिए? इसका वर्णन मिलता है, इसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि जो छहों अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों, ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए।<sup>8</sup>

इसी अध्याय में पुरोहित के महत्त्व के बारे में भी गन्धर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि केवल शौर्य तथा साहस के बल पर राजा कोई, बड़ा कार्य नहीं कर सकता, ब्राह्मणत्व के साथ मिले बिना क्षत्रशक्ति नितान्त निष्प्रभ होती है।<sup>9</sup> ब्राह्मण परिचालित राज्य हर तरह से निरापद रहता है।<sup>10</sup>

अध्याय 182 के श्लोक संख्या-6 से 10 में वर्णित है कि आचार्य धौम्य की पुरोहित के पद पर नियुक्ति करके पाण्डवों ने अपने आपको सनाथ और कृतकृत्य समझा।<sup>11</sup>

अध्याय 19 में कणिक द्वारा धृतराष्ट्र को दिये गये कूटनीति विषयक बहुशः उपदेश वर्णित है। सही मायनों में यह नकारात्मक 'राजधर्म' का उपदेश है। मंत्रिप्रवर कणिक को बुलाकर पाण्डवों के यश, पराक्रम से ईर्ष्या रखने वाले धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे कणिक तुम निश्चय पूर्वक मुझे बताओ कि पाण्डवों के साथ सन्धि करनी चाहिए या विग्रह। इस पर कणिक ने राजनीति के सिद्धान्त का परिचय देने वाली तीखी बात करते हुए कहते हैं कि— राजा को सर्वदा दण्ड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए, सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए, अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं होने देना चाहिए, लेकिन शत्रु की दुर्बलता को जानने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए, अवसर मिलते ही आक्रमण करना चाहिए जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है उसी प्रकार राजा को अपने सब अंगों (सप्ताङ्ग) की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई कार्य शुरू कर दें तो उसे पूरा किए बिना कभी न छोड़े क्योंकि शरीर में चुभा हुआ शूल यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक कष्ट देता रहता है। आपत्ति में फँसे हुए शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए, शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे थोड़ी सी आग ईंधन का सहारा पाकर सामूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी विनाशकारी बन जाता है। स्वयं दुर्बलता की स्थिति में शत्रु के सम्मुख सर्वथा दीन-हीन बन जाना चाहिए जैसे-बहेलिए के सामने मृग हो जाते हैं। इस प्रकार सामादि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके शत्रु को मार डालना चाहिए। शत्रु को मारने से ही राजा निर्भय हो सकता है। शत्रु पक्ष के त्रिवर्गों प्रभुशक्ति, उत्साह शक्ति, मन्त्रशक्ति, पंचवर्गों (अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना) और सप्तवर्गों, (साम, दाम, भेद, दण्ड, उद्वन्धन, विषप्रयोग, आग लगाना-शत्रु को वश में करने या दबाने के ये सात साधन हैं) का सर्वथा से अन्य आश्रयियों का स्वतः ही विनाश हो जाता है।<sup>12</sup>

कणिक कूटनीति वर्णन प्रसंग में आगे कहते हैं कि— लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोना भी चाहिए। परन्तु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दें जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया जाता है।<sup>13</sup>

धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा हे कणिक, साम, दाम, दण्ड अथवा भेद के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कणिक ने किसी वन में रहने वाले चालाक गीदड़ और उसके चार मित्रों, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले का वृत्तान्त के माध्यम से यह बताते हैं कि डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले, जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में कर लेना चाहिए, लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में कर लेना चाहिए।

आगे भी कणिक ने कहा कि ऐश्वर्य चाहने वाला राजा शत्रु की भूमिका में आए हुए पुत्र, भाई, मित्र, पिता, गुरु आदि को भी मार डाले। शत्रु पर क्रोध शून्य बने रहें, मीठे वचन ही बोले, शत्रु को मार कर भी दया दिखाये, शोक करें, रोयें और आँसू बहाए, शत्रु के प्रति विश्वास उत्पन्न करें, स्वागत सत्कार करें अवसर आने पर सर्प की भाँति तीखे दाँतों से काटे जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके।

आगे के श्लोक में कणिक जी कहते हैं कि जो विश्वास पात्र नहीं हैं उस पर कभी विश्वास न करें, परन्तु जो विश्वासपात्र हैं उस पर भी अति विश्वास न करें क्योंकि अतिविश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़-मूल का भी नाश कर डालता है।<sup>14</sup>

गुप्तचर नियुक्ति के सन्दर्भ में कणिक जी कहते हैं कि— शत्रु के राज्य में पाखण्डी, तपस्वी जैसे वेश-भूषा वाले गुप्तचरों को उद्यान, घूमने-फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क, सम्पूर्ण तीर्थस्थान, चौराहे, कुएँ, पर्वत, वन, नदी तथा जहाँ मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों पर नियुक्त करना चाहिए।

नीतिज्ञ राजा के विषय में कणिक कहते हैं कि ये ऐसे वृक्ष के समान रहें जिसमें फूल तो खूब लगे हों, परन्तु फल न हों, वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाये (उसकी पूर्ति न करें) फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यन्त कठिन हो (लोगों की स्वार्थसिद्धि में वह विघ्न डाले या विलम्ब करें) वह देखने में पक्का लगे किन्तु रहे कच्चा (स्वार्थियों की दुराशा को पूर्ण न होने दे) कभी स्वयं जीर्ण न हो (तात्पर्य यह है कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण न करें)। धर्म, अर्थ और काम का सामंजस्य स्थापित करें। बुद्धि से ही कोई कार्य करें किसी को आशा देकर दीर्घकाल तक रोके रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि अपने मनोभाव को किसी के सामने प्रकट न करें। अनुकूल अवसर आने पर उसका प्रयोग करें।

इस प्रकार कणिक ने कूटनीति का चरम-उदाहरण दिया परन्तु यह राजनीति सर्वथा स्वार्थ पर आधारित है यह छद्मनीति का अंग है। कल्याण साधक राजा के लिए यह 'राजधर्म' का अंग नहीं है फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूसरे से सावधानी के स्तर से यह कूटनीति एक मार्ग-दर्शिका का काम अवश्य करती है।

अध्याय 122 के श्लोक 77 में सीमित परिवार की बात जिसे आज की भाषा में हम 'परिवार नियोजन' (Family Planning) कहते हैं की चर्चा की गयी है। जब पाण्डु ने कुन्ती से तीन सन्तान की प्राप्ति कर लिए तो पुनः लोभवशात् वह और सन्तानोत्पत्ति की बात कुन्ती से कहना चाहते हैं, इस पर कुन्ती उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि आर्यपुत्र! आपत्तिकाल में भी तीन से अधिक चौथी सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों में नहीं दी है। तीन से अधिक चौथी सन्तान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और पाँचवे पुत्र के उत्पन्न होने पर कुलटा समझी जाती है।<sup>12</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिपर्व के अन्तर्गत राजधर्म के कुछ तथ्यों का वर्णन हमें यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है जिससे तात्कालिक राजव्यवस्था का दृष्टान्त कुछ अंशों में प्रतिभासित हो जाता है जो हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक होता है।

### सन्दर्भ

1. यदि राजा न संरक्षेत् पीडा नः परमा भवेत् ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/22
2. न शक्नुयाम चरितुं धर्मं पुत्र यथासुखम् ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/23

3. अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै सदा ।  
उद्वृत्तं सततं लोकं राजा दण्डेन शास्ति वै ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/27
4. दण्डात् प्रतिभयं भूयः शान्तिरुत्पद्यते तदा ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/28
5. राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मो धर्मात् स्वर्गः प्रतिष्ठितः  
राज्ञो यज्ञक्रियाः सर्वा यज्ञाद् देवाः प्रतिष्ठिताः ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/29
6. देवाद् वृष्टिः प्रवर्तेत वृष्टोरोषध्यः स्मृताः ।  
ओषधिभ्यो मनुष्याणां धारयन् सततं हितम् ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/30  
मनुष्याणां च यो धाता राजा राज्यकरः पुनः ।  
दशश्रोत्रियसमो राजा इत्येवं मनुरब्रवीत् ॥ महाभारत, आदिपर्व 41/31
7. धृतराष्ट्रस्त्वचक्षुष्ट्वाद् राज्यं न प्रत्यपद्यत ।  
पारसवत्वाद् विदुरो राजा पाण्डुर्बभूव ह ॥ महाभारत, आदिपर्व 108/25
8. वेदे षडङ्गे निरताः शुचयः सत्यवादिनः ।  
धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युर्नृपाणां पुरोहिताः ॥ महाभारत, आदिपर्व 169/75
9. यस्तु स्यात् कामवृत्तोऽपि पार्थ ब्रह्मपुस्कृतः ।  
ब्राह्मणप्रमुखं राज्यं शक्यं पालयितुं चिरम् ॥ महाभारत, आदिपर्व 169/73-80
10. पुरोहितमिमं प्राप्य.....धर्मकामार्थतत्त्ववित् ॥ महाभारत, आदिपर्व 173/11-15
11. तत उत्कोचकं तीर्थं गत्वा धौम्याश्रमं तु ते ।  
ते धर्मविदा पार्था याज्या धर्मविदः कृताः ॥ महाभारत, आदिपर्व 182/6-10
12. उत्सिक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये द्विजोत्तम ।  
ततः सहायांस्तत्पक्षान् सर्वांश्च तदनन्तरम् ॥ महाभारत, आदिपर्व 139/3-16
13. फलार्थोऽयं समारम्भो.....घटमिवाश्मनि ॥ महाभारत आदिपर्व 139/21-22
14. न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।  
विश्वासाद् भययुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ महाभारत, आदिपर्व 139/62
15. नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत ।  
अतः परं स्वैरिणी स्याद्बन्धकी पंचमे भवेत् ॥ महाभारत, आदिपर्व 122/77

## उपसर्गाः

डॉ० सन्तोष माझी

सहाध्यापकः, व्याकरणविभागः राष्ट्रियसंस्कृतविद्यालयः, तिरुपति: (आ. प्र.)

### Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 324-329

### Publication Issue :

September-October-2020

### Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

**सारांशः** - माहेश्वरप्रसादात्प्राप्तमक्षरसमाम्नायम् आधारीकृत्य हि महर्षि पाणिनिः व्याकरणं व्यरचयत्। तच्च सूत्रात्मकं महत् विद्यते। स च व्याकरणग्रन्थः “अष्टाध्यायी” इति प्रसिद्धः। अस्याम् अष्टाध्याय्याम् ऊनचत्वारिंशत्-शताधिकत्रयशीति (3983) सूत्राणि विद्यन्ते। अन्यव्याकरणानामपेक्षया पाणिनीयव्याकरणस्य प्रसारः सम्प्रति दृश्यते। तत्र च कारणं बहूनामाचार्याणां मतान्यपि अत्र संगृहीतानि। वैदिकानां लौकिकानां शब्दानां साधुत्वम् अस्मिन् व्याकरणे निरूप्यते।

**मुख्यशब्दः**- उपसर्गाः, महर्षि पाणिनिः, व्याकरणग्रन्थः, अष्टाध्यायी वस्था।

अस्मिन् शास्त्रे नामाख्यातउपसर्गनिपातत्वेन चातुर्विध्यं लौकिकशब्दानां कृतमस्ति। निघण्टुकाराः वदन्ति यत् वैदिकशब्दानामपि “नामाख्यात उपसर्गनिपातत्वेन” विभाजनं कृतमस्ति। तदेवमाधारीकृत्य यास्कमुनिना निघण्टुव्याख्यानामसरे अर्थात् निरुक्ते उक्तमस्ति यत् -

तान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च।

उपसर्गनिपाताश्च तानीमानि भवन्ति॥ इति॥

तत्रैव यास्कमुनिना इदमपि उक्तम् यत् - “तत्रैतन्नामाख्यातयोर्लक्षणम्<sup>1</sup>” “प्रदिशन्ति<sup>2</sup>” “भावप्रधानमाख्यातम्<sup>3</sup>” “सत्त्वप्रधानानि नामानि<sup>4</sup>” इति। यच्च मतमनुसृत्य श्रीमत्कौण्डभट्टेन भूषणसारे - ‘भावप्रधानमाख्यातम्’ ‘सत्त्व-प्रधानानि नामानि’<sup>5</sup> इति निरुक्तात् भूवादिसूत्रादिस्थ-क्रियाप्राधान्यबोधकभाष्याच्च “धात्वर्थभावनाप्राधान्यम् अध्यवसीयते” इति मतमुपस्थापितम्।

‘भावप्रधानम्’ इत्यत्र भावपदस्यार्थः ‘क्रिया’। तेन ‘पचति’, ‘गच्छति’ इत्यादीनां ग्रहणम्। आख्यातपदे क्रियांशस्य प्राधान्यता भवति। ‘सत्त्व-प्रधानानि’ इत्यत्र सत्त्वपदस्यार्थः ‘द्रव्यम्’ इति। तच्च क्रियाभिन्नम्। यथा ‘पाकः’, ‘कृतिः’ इत्यादि। यत्र लिङ्गकारकादिसम्बन्धयोग्यत्वं तदेव द्रव्यम् इत्यर्थः। एवम् प्रकारेण नामाख्यातयोः व्याख्यां कृत्वा सम्प्रति उपसर्गम् अनुसरामः।

<sup>1</sup> निघण्टुः

<sup>2</sup> तत्रैव

<sup>3</sup> तत्रैव

<sup>4</sup> तत्रैव

<sup>5</sup> भूषणसारः

पाणिनिप्रणीताष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये चतुर्थपादे 'उपसर्गाः क्रियायोगे'<sup>6</sup> इति सूत्रं विद्यते। अत्र 'प्रादयः' इति अनुवर्तते। "गतिश्च"<sup>7</sup> इति च। एवञ्च प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः गतिसंज्ञाश्च स्युः इति सूत्रार्थः। तद्यथा क्रियायोगे प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप एतेषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति। सम्प्रति एते उपसर्गाः द्योतकाः उत वाचकाः इति शङ्का उदेति। तत्र बहवो मतभेदाः दृश्यन्ते। तद्यथा -

1. निरुक्ते गार्ग्य ऋषिमते - "उपसर्गाः वाचकाः"<sup>8</sup> इति।
2. निरुक्तकारः यास्कमुनिमते "उपसर्गाः वाचकाः"<sup>9</sup> इति।
3. शाकटायनमते "उपसर्गाः द्योतकाः" इति।
4. मीमांसकाः नैयायिकाश्च उपसर्गाः द्योतकाः इति वदन्ति। परन्तु एते निपाताः वाचकाः इति मन्यन्ते।
5. वैयाकरणाः उपसर्गाः निपाताश्च द्योतकाः इति मन्यन्ते।
6. वैयाकरणेषु भर्तृहरिस्तावत् मध्यमार्गानुयायी। अर्थात् ते उपसर्गाः वाचकाः द्योतकाश्च भवन्ति इति वदन्ति। तद्यथा -

"स वाचको विशेषाणां सम्भवाद् द्योतकोऽपि वा"<sup>10</sup> इति।

**उपसर्गाः वाचकाः**

उपसर्गाः वाचकाः। तद्यथा -

"उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति" गार्ग्यः। अर्थात् उपसर्गाणां नानार्थकत्वं सिध्यतीति गार्ग्यः। अमुं प्रसङ्गम् आधारीकृत्यैव यास्कमुनिना उपसर्गाणां नानार्थकत्वं साधितम्। अत्र (निरुक्ते) यास्कमुनिना एकैकस्य उदाहरणैः एकैकः अर्थः प्रदर्शितः। तद्यथा -

**1. आङ् - 'आ' इत्यर्वागर्थे।**

आ अर्थात् आङ् उपसर्गः। 'अर्वाक्' अर्थात् समीपार्थे प्रयोगः भवति। तद्यथा - "सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन"<sup>11</sup> इत्यत्र।

**2. प्र-परा - 'प्र', 'परा' इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्।**

'प्र', 'परा' इत्युपसर्गद्वयं 'प्र' इत्युपसर्गस्य विपरीतार्थकं भवति। अर्थात् दूरार्थकः इति। तद्यथा

याश्चे दमुपशण्वन्ति याश्च दूरं परागताः।

सर्वाः सङ्गत्य वीरूधोऽस्यै सं दत्त वीर्यम्।<sup>12</sup>

**3. अभि - 'अभि' इत्याभिमुख्यम्।**

'अभि' इत्युपसर्गः आभिमुख्यार्थे अथवा नम्रतार्थे प्रयुक्तः। तद्यथा -

**(अ) अभिमुख्यार्थे -**

<sup>6</sup> अष्टाध्यायी 1/4/59

<sup>7</sup> तत्रैव 1/4/60

<sup>8</sup> निरुक्तम्

<sup>9</sup> तत्रैव

<sup>10</sup> भर्तृहरिकारिका

<sup>11</sup> ऋग्वेदः 10.71.10

<sup>12</sup> तत्रैव 10.97.21

न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति।

स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं निपद्यते॥<sup>13</sup>

(आ) नप्रतार्थकत्वे -

“अभित्वादेव सवितरीशानं वार्च्याणाम् सदावन्भागमीमहे”<sup>14</sup>

4. प्रति - ‘प्रति’ इत्येतस्य प्रातिलोम्यात्

अर्थात् ‘प्रति’ इत्युपसर्गः ‘अभि’ इत्युपसर्गस्य विपरीतार्थक इत्यर्थः। अर्थात् दूरार्थकः। तद्यथा

अमे मन्युं प्रतिनुदन्परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्।

प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्तेश्चैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्॥<sup>15</sup>

5. ‘अति’, ‘सु’ - ‘अति’, ‘सु’ इत्यभिपूजितार्थे।

अर्थात् ‘अति’, ‘सु’ इत्युपसर्गद्वयं प्रशंसापरकं भवति। तद्यथा -

(अ) ‘अति’ - यः परस्याः परावतस्तिरोधन्वातिरोचते स नः पर्षदति द्विषः।<sup>16</sup>

(आ) ‘सु’ - सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव।<sup>17</sup>

6. ‘निर्’, ‘दूर्’ - ‘निर्’, ‘दूर्’ इत्युपसर्गद्वयम् ‘अति’, ‘सु’ इत्युपसर्गद्वयस्य विपरीतार्थकः भवति। अर्थात् निन्दार्थकः तद्यथा

(अ) ‘निर्’ -

युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रयायकम्

येन देवत्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः॥<sup>18</sup>

(आ) ‘दूर्’ -

आ भूरिपाशावनृतस्य सेतु दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय

ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम॥<sup>19</sup>

7. ‘नि’, ‘अव’ - ‘नि’, ‘अव’ इति विनिग्रहार्थीयौ।

अर्थात् ‘नि’, ‘अव’ इत्युपसर्गद्वयं अभुभूत इत्यर्थे भवति। तद्यथा -

(अ) ‘नि’ -

उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुषअव न्यमित्रौ औषतात्तिग्महेतै

यो नो अरातिं समिधानं चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं नशुष्कम्॥<sup>20</sup>

<sup>13</sup> ऋग्वेदः 10.146.5

<sup>14</sup> तत्रैव 1.24.3

<sup>15</sup> तत्रैव 10.128.6

<sup>16</sup> तत्रैव 10.187.2

<sup>17</sup> तत्रैव 8.69.22

<sup>18</sup> ऋग्वेदः 1.18.2.5

<sup>19</sup> तत्रैव 7.65.3

<sup>20</sup> तत्रैव 4.4.4.

(आ) 'अव' -

ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने  
अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमर्जामि प्रमृणीहिशत्रून्॥<sup>21</sup>

8. उत - 'उत' इत्येतयोः प्रातिलोम्यम्।

'उत' उपसर्गः 'नि', 'अव' इत्युपसर्गद्वयस्य विपरीतार्थकः अर्थात् उत्थार्थकः इत्यर्थः। तद्यथा -

“उदग्ने तिष्ठ प्रत्या ..... न शुष्कम्”<sup>22</sup>

9. सम् - 'सम्' इत्येकीभावम्।

अर्थात् 'सम्' इत्युपसर्गः ऐक्यभावार्थकः। तद्यथा -

संगच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्।  
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते॥<sup>23</sup>

10. 'वि', 'अपि' - 'वि', 'अपि' इत्येतस्य प्रातिलोम्याम्।

अर्थात् 'वि', 'अपि' इत्युपसर्गद्वयम् 'सम्' -

(अ) वि -

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जगन्था परस्याः  
सुकं संशाय विमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताकि हवि मृध नुदस्व॥<sup>24</sup>

(आ) अप -

आराच्छत्रमप बाधस्व दुरमुग्रो यः शम्बव पुरुहूतः तेन अस्म  
धेहि यमवद् गोमदिन्द्र कृधीधियं जरित्रे वाजरत्नाम्॥<sup>25</sup>

11. अनु - अनु इति सादृश्यपरभावम्।

अर्थात् अनु इत्युपसर्गः सादृश्यार्थकः। तद्यथा -

(अ) अनु सादृश्यार्थकत्वे -

सद्यो जातस्य ददृशानमाजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः।  
वृणक्ति तिग्मातमसेषु जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः॥<sup>26</sup>

(आ) अनु पश्चात्तार्थकत्वे -

सहस्तोमाः सदृच्छन्दसः आवृः सहप्रभा ऋषयः सप्त दैव्याः।  
सर्वेषां पन्थानमुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्योश्च रश्मीन्॥<sup>27</sup>

<sup>21</sup> तत्रैव 4.4.5

<sup>22</sup> तत्रैव 4.4.4.

<sup>23</sup> ऋग्वेदः 10.191.2

<sup>24</sup> तत्रैव 10.180.2

<sup>25</sup> तत्रैव 10.42.7

<sup>26</sup> तत्रैव 4.7.10

12. अपि - 'अपि' इति संसर्गः।

अर्थात् 'अपि' इत्युपसर्गः संसर्गार्थकः। तद्यथा उतस्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि। क्रतुं दधिक्रा अनु सन्तवीत्वत्पथामङ्कास्यन्वीपनीफणत्॥<sup>28</sup>

13. उप - 'उप' इत्युपजनम्।

अर्थात् 'उप' इत्युपसर्गः वृद्ध्यर्थे प्रयुक्तः। तद्यथा -  
आ द्या ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृष्णवन्नजामि।  
उप बर्बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्॥

14. परि - 'परि' इति सर्वतोभावम्।

अर्थात् 'परि' इत्युपसर्गः सर्वतोभावः इत्यर्थे प्रयुक्तः। तद्यथा -  
परितो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः।  
दधन्वो ययो नयी अपन्वन्तरा सुषाव सोममद्विभिः॥<sup>29</sup>

15. अधि - 'अधि' इत्युपरिभावे ऐश्वर्ये वा

'अधि' इत्युपसर्गः परिभावः। ऐश्वर्यार्थकश्च भवति। तद्यथा -

(अ) ऐश्वर्यार्थकत्वे -

हिरण्यशृङ्गो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्।  
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्॥<sup>30</sup>  
किं स्वद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निषृतक्षुः।  
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्॥<sup>31</sup>

“एकमुच्चावयानर्थान् प्राहुः।” अर्थात् एवम् प्रकारेण उपसर्गाणां वाचकत्वमिति सिद्धान्तः श्रीमद् यास्कमुनिना विविधवैदिकमन्त्राणामुपस्थापनपुरस्सरं प्रत्यपादि।

किन्तु वैयाकरणाः उपसर्गाः द्योतकाः इति मन्यन्ते। तद्यथा -

उपसर्गाः द्योतकाः - धातुपाठे भू सत्तायाम्, एध वृद्धौ, अद भक्षणे, हु दानादानयोः, दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहार-  
द्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु, षूञ् अभिषवे, तुद व्यथने, रूधिर् आवरणे, तनु विस्तारे, चुर स्तेये इत्यादि धात्वर्थनिर्देशः  
कृतः। अथापि तत्र धातोः स एव अर्थः, अन्यार्थः नास्तीति न चिन्तनीयम्। धातवः अनेकार्थाः। तेषाम् अर्थाः  
सर्वैरनिरूपयितुमशक्यया प्रयोगेणैव ज्ञातव्याः। तत्रापि उपसर्गाणां योगेन विविधाः अर्थविशेषाः एकस्यैव भवन्ति इति निरूपयन्  
भट्टोजिदीक्षितेन भू धातोरेव विविधोपसर्गयोगे विभिन्नार्थबोधकत्वं कथमिति समन्वयः अकारि। तद्यथा -

<sup>27</sup> ऋग्वेदः 10.130.7

<sup>28</sup> तत्रैव 4.40.4

<sup>29</sup> तत्रैव 9.9.107.1

<sup>30</sup> ऋग्वेदः 1.163.9

<sup>31</sup> तत्रैव 10.81.4

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।  
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्।<sup>32</sup>

कारिकायामस्यां हञ् धातोः विविधोपसर्गयोगे धातुपाठनिर्दिष्टार्थापेक्षया कथमन्यार्थबोधकत्वमिति निदर्शितं प्रहार इत्यादिना। अत्र प्रहारः - कुशाद्याघातः, आहारः - भक्षणम्, संहारः - वधः, विहारः - क्रीडा, परिहारः - परित्यागः इत्यर्थः।

एतदेव अमरेणआपि उक्तम्। तद्यथा -

स्यादाभाषणमालापः प्रलापोऽनर्थकं वचः॥

अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम्।

विप्रलापो विरोधाक्तिः संलापो भाषणं मिथः॥

सुप्रलापः सुवचनम् अपलापस्तु निह्वः।<sup>33</sup>

अत्र लप धातोः उपसर्गयोगे विविधार्थाः प्रदर्शिताः। एवरूपेण केचन 'उपसर्गा वाचकाः' इति च मन्यन्ते।

सहायकग्रन्थसूची

1. अष्टाध्यायीसहजबोधः - पुष्पा दीक्षित, पाणिनीयशोधसंस्थान, छत्तीसगढ, 2004.
2. ऋग्वेदसंहिता, विद्यनिधिप्रकाशन, दिल्ली, 2004.
3. निघण्टु, यास्कः, श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वरीकृतशब्दानुक्रमणिकया सहितः, वैदिक पुस्तकालय अजमेर.
4. पाणिनीय अष्टाध्यायीसूत्रपाठः सम्पा - कृष्णदास अकादमी वाराणसी, पं सत्यनारायणशास्त्री खण्डुडी, 2012
5. प्रौढमनोरमा, (प्रथमो भागः) भट्टोजिदीक्षित, सम्पा. - श्रीसीतारामशास्त्री, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी, वैक्रमाब्द - 2021
6. भूषणसार-परमलघुमञ्जुषयोः सिद्धान्तानां समीक्षा, डा. राममनोहरमिश्रः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी।
7. लघुशब्दन्दुशेखरः, नागेशभट्टः, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानदिल्ली - 2001.
8. लघुशब्दन्दुशेखरः, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, हरिनारायण तिवारी, सम्पा. - 2014.
9. व्याकरणमहाभाष्यम्, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, दिल्ली, 2021.
10. वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्), भर्तृहरिः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006..
11. वैयाकरणभूषणसारः, कौण्डभट्टः, चौखम्बासंस्कृतसिरीजू, वाराणसी, 1969.
12. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, (संश्रित्गिरिधरशर्मा, म. म (मोतीलाल बनारसीदास, देहली, 1997.
13. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीतत्त्वबोधिनीसहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006.

<sup>32</sup> भर्तृहरिकारिका

<sup>33</sup> अमरकोषः 2/6/15.16

# महाभाष्यवचनाच्च सर्वेषां शब्दानां धातुप्रत्यनिष्पन्नत्वात् को नाम धात्वर्थ ?

डॉ. छगन लाल महोलिया

सह आचार्य (संस्कृत), श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर।

## Article Info

Volume 3, Issue 5

Page Number : 330-331

Publication Issue :

September-October-2020

## Article History

Accepted : 20 Sep 2020

Published : 30 Sep 2020

इति महाभाष्यवचनाच्च सर्वेषां शब्दानां धातुप्रत्यनिष्पन्नत्वात् को नाम धात्वर्थ इति जिज्ञासा कस्य हृदयाम्बुजे नोदेति ? दार्शनिकानां मते धात्वर्थविषये पर्याप्तं वैमत्यमवलोक्यते । वैयाकरणानां मतद्वयं वर्तते । प्राचीनं नवीनं च । वैयाकरणास्तु फलव्यापारयोः धातुवाच्यत्वं स्वीकुर्वन्ति आख्यातार्थश्च कर्तृकर्मणी । तत्र आख्यातार्थकर्तुरपि चैत्रः ओदनं पचति चैत्रादिनाऽभेदेनान्वयः फलञ्च अनुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारे विशेषणम् आख्यातार्थकर्तुरपि व्यापारे एव निरूपकत्वसम्बन्धेनाऽन्वयः व्यापारमुख्यविशेष्यकश्च शाब्दबोधः ' भावप्रधानमाख्यातम्' सत्त्वप्रधानानि नामानि' इति निरुक्तवचनात् । तत्र चोक्तं कौण्डभट्टेन

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि' इति गौतमसूत्रोक्तप्रमाणेषु वैयाकरणैः प्रधानतया शब्दस्य प्रामाण्यमुरीक्रियते । तदुक्तमहाभाष्ये ' शब्द प्रमाणका वयम् यच्छब्द आह तदस्माकम्प्रमाणम्' तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च न सर्वाणीति गार्यो वैयाकरणानां चैके इति निरुक्तवचनात्

नाम च धातुजमाह निरुक्ते ।

व्याकरणे शकटस्य च तोकम् ।।

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः ।

फले प्रधानं व्यापारस्तिर्यस्तु विशेषणम् ।। इति ।

फलव्यापारौ धातुवाच्यौ आख्यातार्थः कर्तृकर्मणी व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधश्चेति वैयाकरणानां मतम् ।

तत्र को नाम व्यापार इति जिज्ञासायां कौण्डभट्टः साध्यत्वेनाभिधीयमानायाः क्रियाया एव व्यापारत्वं स्वीकुर्वन्ति । उक्तञ्च तैः - व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेनाविधीयमाना क्रिया । भर्तृहरिणाऽप्युक्तम्

यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाविधीयते ।

आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ।।

अनेन लक्षणेन ज्ञायते यद् व्यापाररूपा क्रिया द्विविधा भवति - सिद्धा साध्या च । तत्र साध्यस्वभावक्रिया तिङन्तस्थले सिद्धस्वभावक्रिया कृदन्तस्थले भवति । साध्यरूपक्रिया तत्रैव भवति यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा न भवति । यथा - गच्छति इत्यत्र प्रतीयमाना उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापाररूपा क्रिया साध्यस्वभावा । उक्तञ्च कौण्डभट्टेन - तथा च क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेकरूपत्वं साध्यत्वम् । अनुभव एव क्रियायाः साध्यत्वे प्रमाणम्, तथाहि पचति' पाकः' इत्यत्र धात्वर्थः विक्लित्यनुकूलव्यापाररूपोऽस्ति, किन्तु पाकः इत्यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा भवति पचति इत्यत्र क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा न भवति । अतः' पचति गच्छति' इत्यत्र साध्यरूपैव क्रिया । पाक इत्यत्र पचातुवाच्या क्रिया साध्यस्वभावा प्रत्ययघजादिवाच्या च सिद्धस्वभावा इति सिध्यति । उक्तञ्च कौण्डभट्टेन.

साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना ।

सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घजादिनिबन्धनः ।।

वस्तुतः साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया एव व्यापारः ।

नागेशमते व्यापारस्य स्वरूपं ११ धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम् । यथा पचादिधातौ फूत्कारादिव्यापाराः धातुवाच्याः सन्ति । सर्वेषामेव तेषां व्यापाराणां धातुवाच्यत्वात् । उक्तञ्च - 'अयञ्च १२ व्यापारः फूत्कारत्वाधःसन्तापनत्वयत्नत्वादितत्तद्रूपेण वाच्यः ।' पचति' इत्यादौ तत्तत्प्रकारक बोधस्यानुभवसिद्धत्वात् । न च पच्यतोरनेकव्यापारवाचकत्वे' नानाधर्मावच्छिन्नशक्यतानिरूपितैकधर्मावच्छिन्न शक्ततावत्त्वरूपनानार्थतापत्तिः स्यादिति चेत् - अत्रोच्यते बुद्धिविशेषस्य शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारेण न नानार्थतापत्तिः । उक्तञ्च वाक्यपदीयेऽपि

गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम् ।

बुद्ध्या प्रकल्पिताऽभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ।। १३ ।

तस्मात् - फूत्काराधः श्रयणाधिश्रयणादिसर्वेषां धातुवाच्यत्वात् धात्वविक्लित्तिजनकत्वाच्च व्यापारत्वमक्षुण्णमेव ।

वैयाकरणभूषणसारस्य दर्पणव्याख्यायां यदिदं व्यापारलक्षणं खण्डितं तन्न समीचीनम् । युक्तिविरुद्धत्वात् । तथा हि - 'अत एव न तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपं तन्त्रान्तरप्रसिद्धं तत् । तदवच्छिन्नस्य धातुवाच्यत्वे साक्षाद्विक्लित्तिजनकान्तिमानिसंयोगदशायां' पचति' प्रयोगः स्यात् न त्वधिश्रयणादिदशायामपि तेषामन्तिमानिसंयोगेनान्यथासिद्धतयाविक्लित्यजनकत्वात् इति ।

सिद्धान्ते तु तेषामन्यथासिद्धत्वाभावाद् विक्लित्तिं प्रति जनकत्वेन तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वमस्त्येवेति न कश्चन दोषः । तस्मात् नागेशमते' व्यापारत्वं तज्जन्यत्वे सति - तज्जन्यजनकत्वरूपम् । कौण्डभट्टमते साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया एव व्यापारः इति ।

मयायंमाशयः

एवञ्च फलाभावात् व्यापारमात्रमेवार्थोऽस्त्यादीनाम् । अतः फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वरूपं सकर्मकत्वं तेषां नास्ति । तस्यायमाशयः - यदि तत्र फलांशस्य प्रतीतिर्नास्ति । अतः फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वमपि नास्ति तर्हि तद्वाच्ये व्यापारे तद्वाच्यफलजनकत्वं कथं स्यात्, फलांशाभावात् धातुवाच्यव्यापारे धातुवाच्यफलजनकत्वं कथं स्यात्, फलांशाभावात् धातुवाच्यव्यापारे धातुवाच्यफलजनकत्वाभावात् धातुवाच्यत्वे सति धातुवाच्यफलजनकत्वं व्यापारे नास्ति, अतः अव्याप्तिदोषः, अतः नागेशाभिमतव्यापारलक्षणं अव्याप्तिदोषग्रस्तत्वात् न समीचीनम् ।

वस्तुतः कौण्डभट्टाभिमत एव व्यापारो युक्तियुक्तत्वात् स्वीकरणीयः, नागेशभट्टाभिमत व्यापारस्वीकारे तु नागेशवचनैरेव विरोधः स्यात् । तथाहि सकर्मकत्वाकर्मकत्वस्वरूपविवेचनप्रसङ्गे तदुक्तम् क्वचित्तु फलांशाभावदकर्मकत्वम् । यथाऽस्त्यादौ केवलं सत्तादिरेवार्थः, अत्र फलांशस्य सूक्ष्मदृष्ट्याप्यप्रतीतेः इति ।

**सन्दर्भाः**

१. गौतमन्यायदर्शनम्, १. १. ३

३ यास्कनिरुक्तम्, १. ४. १

निरुक्तम्, १. ९

५. वै. भू. सा. धावनिर्णये

९. वै. भू. सा. धात्वर्थनिर्णये

११. परमलघुमञ्जूषायां, धात्वर्थविचारः

१५. वाक्यपदीयम् क्रियासमुद्देशः ४

प. ल. म. धात्वर्थनिरूपणे

२. महाभाष्यम् १. १. १

४. महाभाष्यम् १. १. १

६. वै. भू. सा. कारिका २

८. वाक्यपदीयम् - क्रियासमुद्देशः, १

१०. वाक्यपदीयम् २. ८.

१२. ४८ वै. भू. सा. धात्वर्थनिर्णये

१४. वै. भू. सा. दर्पणटीकायाम्, पृ. १६



**Shodhshauryam**  
**International Scientific Refereed Research**

**Publisher**

**Technoscience Academy**

Website : [www.technoscienceacademy.com](http://www.technoscienceacademy.com)

Email: [info@technoscienceacademy.com](mailto:info@technoscienceacademy.com)

**Email: [editor@shisrrj.com](mailto:editor@shisrrj.com)**